हमारा साथ, हमारी शक्ति
Stronger Together

वार्षिक रिपोर्ट 2018 - 19
Annual Report 2018 - 19

IDBI BANK

आइडीबीआइ बैंक और एलआइसी के बीच इनिशिएटिव

▶ नागपुर। आइडीबीआइ बैंक और एलआइसी के बीच साझेदारी से उत्पन्न व्यापारिक तालमेल से विभिन्न इनिशिएटिव पर कार्य शुरू है, जो दीर्घकालिक संबंध कायम करते हुए व्यावसायिक रूप से दोनों संस्थानों के लिए फायदेमंद होने की राह पर अग्रसर है।

इस संबंध में आइडीबीआइ बैंक के एमडी व सीईओ राकेश शर्मा ने कहा कि एलआइसी के एलआइसी के संरक्षा और भुगतान आवश्यकताओं के लिए कई सुविधाओं की मेजबानी प्रदान करता है, जिसमें नकद/चेक विकअप, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बाल पेमेंट, लीगल पेमेंट आदि शामिल हैं।

एलआइसी ऑफ इंडिया के पास 11 लाख से अधिक एजेंटों का विशाल नेटवर्क है। एजेंटों के साथ दीर्घकालिक और लाभदायक रिश्तों से उपजने वाले

▶ एजीएम सम्मेलन में मौजूद एलआइसी के एमडी विपिन आनंद,

Rakesh Sharma named IDBI Bank MD & CEO

Reenya Nair
reenya.n@livemint.com

NEW DELHI: The government on Friday appointed senior banker Rakesh Sharma as managing director (MD) and chief executive officer (CEO) of IDBI Bank.

Sharma was appointed for six months or until further orders and will have the task of ensuring a smooth transfer of majority ownership from the government to Life Insurance Corporation of India (LIC).

Sharma is a former MD and CEO of Canara Bank and was among the few bankers hired in 2015 from the private sector to lend big state-run banks.

• Rakesh Sharma MINTFILE

open offer for 26% of IDBI shares amounting to more than ₹12,000

IDBI बैंक की रेटिंग में हुआ सुधार

मुंबई, (भाषा): वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने सोमवार को आईडीबीआई बैंक को क्रेडिटवाच (सावधिगरानी) की सूची से हटा दिया है। इसके साथ ही एजेंसी ने दीर्घकालिक कर्ज विदेशी मुद्रा कर्ज के लिए बैंक की 'बीबी' रेटिंग और अल्पकालिक कर्ज के लिये 'बी' रेटिंग की पुष्टि की है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने हाल ही में आईडीबीआई बैंक में नई पूंजी डाली है। बैंक ने जानकारी

- एसएण्डपी की निग्राह में पहले से बेहतर हुई स्थिति, एजेंसी ने निगरानी से बाहर किया

एलआईसी की ओर से यह पूंजी डालने का काम आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के प्रस्तावित अभिग्रहण के कुल 17,000- 20,230 करोड़ रुपये तक का लेनदेन किया जाना है। यह राशि 30 सितंबर, 2018 को बैंक की कुल पूंजी 13,860 करोड़ रुपये से अधिक है। रेटिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इस तरह की बड़ी पूंजी बैंक में डालने से हमारे इस विचार को समर्थन मिलता है कि सरकार की तरफ से बैंक को काफी ऊंचा समर्थन प्राप्त हो सकता है। एलआईसी के पूंजी समर्थन से आईडीबीआई बैंक अपने फंसे कर्ज

IDBI charts out plan to bring banking, insurance services at one platform

PTI ■ NEW DELHI

IDBI Bank on Sunday said it is strategising to be a 'one-of-its-kind' financial conglomerate and plans to bring banking and insurance services under a single platform.

The country's largest and the only state-owned life insurer LIC now holds a majority stake in IDBI Bank. Also, the change in ownership of IDBI Bank from a government-owned to LIC-owned has led to the lender becoming a private sector entity.

"IDBI Bank is putting in place necessary business enablers to bring the convergence and workforce, have started leveraging their mutual business synergies," the bank said in a release.

The bank said these strategic initiatives will pave the way for improved operations and better financing which in turn would lead to wealth maximisation for all of its stakeholders, including LIC and the government.

This strategic plan would enable IDBI bank as well as LIC to realise the full potential arising out of business synergies, the bank said.

The major areas identified are pertaining to selling of LIC policies through IDBI branchers of LIC as well as IDBI customers.

"Towards this end, bank's board has approved appointment of LIC as a corporate agent under bancassurance," the release said.

As part of this initiative, the chairman of LIC has been appointed as the non-executive chairman of the bank.

"The bank is considering the name of Rakesh Sharma, the current MD of the bank, for appointment for a further period of three years as MD and CEO of IDBI Bank," it said.

The new board will be entrusted with the responsibility of charting out a fresh

IDBI Bank & LIC of India sign BANCA Agreement

Mumbai, February 26, 2019: LIC of India, the biggest insurance company in India, and IDBI Bank Ltd, have entered into a Service Level Agreement to offer LIC's insurance products through IDBI Bank's branches. IDBI Bank as a Corporate Agent of LIC would get a window to provide LIC's entire gamut Bank's 1.80 Cr customer base spread over 1800 branches across the country. Further, the Bank will become the preferred bank for LIC premium payments and also function as premium point to boost sale of LIC products thereby gaining from fees and float income. IDBI Bank's sizeable presence areas will help to penetrate LIC's product offerings. Also, its diversified product base would enable targeting the HNI customers in Metro and Urban areas. On signing of the Bancassurance agreement Shri Hemant Bhargava, Chairman, LIC said " IDBI Bank is fundamentally strong, having a young, energetic and talented work-force who will help in selling the LIC products. This will enable the Bank to add to its revenue growth and simultaneously help LIC in increasing its Bancassurance business. It's a win-win situation for both the organisations". Speaking on the occasion, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, IDBI Bank said, "We partnership with LIC. It offers us the chance to give our clients the stellar insurance products which will deal with their protection and saving needs. Since client centricity shapes the core mission of both the organizations, it will be a mutually beneficial association and we are looking forward to working closely with LIC." Shri B Venugopal, MD, LIC of India assured full cooperation from LIC offices and expressed that potential available under Bancassurance is huge and we should exploit it to the full. LIC and IDBI Bank are committed to serve the interests of all its stakeholders. All representatives of Print,

IDBI prepares roadmap for NPA reduction

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, 15 April

State-owned IDBI Bank has prepared a comprehensive plan for improving its financial health and reducing stressed assets in light of RBI's recent communication pointing out various weaknesses in the lender.

The bank has also identified various non-core assets and real estate properties for sale to shore up its capital, sources said.

The bank, which is one of the richest in terms of real estate assets, recently got them valued at market rate

tal infusion of ₹106.1 billion bank is in the process of addressing these two concerns, sources said.

It is to be noted that IDBI Bank is under RBI's prompt corrective action (PCA) framework. Gross non-performing loans were pegged at ₹506.2 billion at the end of December 2017, 24.72 per cent of advances. It reported a net loss of ₹15.4 billion in the December 2017 quarter.

Strategies have been drawn to ensure that the NPAs are reduced in a structured manner by taking help of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) and other means, sources said.

IDBI Bank receives govt nod to handle import, exports with Iran: Sources

IDBI BANK HAS received government nod to handle import and export transactions with Iran, a move which would help in promoting two-way trade amid US sanctions on the Persian Gulf nation, industry sources said.

US President Donald Trump had in May last year withdrawn from the 2015 nuclear

प्रतिस्पर्धा फ्रेमवर्क का विकास

मुंबई, 2 अप्रैल, 2018: आईडीबीआई बैंक ने प्रतिभावान लोगों के पूल को सुनिश्चित करने के लिहाज से बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दक्षता की पहचान, मूल्यांकन और विकास के माध्यम से एक योग्यता ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव तैयार किया है। बैंक इस प्रक्रिया के माध्यम से बैंकिंग के वर्तमान चुनौतीपूर्ण दौर में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए अधिकारियों को तैयार करेगा। साथ ही बैंक "फ्यूचर मैनेजर्स" की एक सतत लाइन को भी सुनिश्चित करेगा।

उपयुक्त ढंग से जिम्मेदारियों को वहन करने, कौशल अंतर और क्षमता निर्माण के लिए एक उपयुक्त योग्यता ढांचा तैयार करने के लिहाज से बैंक ने एक एचआर कंसल्टेंट की सेवाएं ली हैं, जो कि प्रस्तावित मूल्यांकन प्रयासों के दौरान जरूरी होने पर कौशल अंतर विश्लेषण और भविष्य के विकास के लिए आवश्यक उपकरणों की तैयारी कर सकेगा।

विषयवस्तु

कॉरपोरेट विहंगावलोकन

ii यथा 30 मई 2019 को निदेशक मंडल और कार्यपालक निदेशकगण

iv अध्यक्ष महोदय का संदेश

viii प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

xii कुछ प्रमुख गतिविधियां

xvi पुरस्कार एवं सम्मान

सांविधिक रिपोर्ट

2 निदेशकों की रिपोर्ट

20 प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

52 कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

160 एकल वित्तीय विवरण

275 समेकित वित्तीय विवरण

374 पिलर III प्रकटन

Contents

Corporate Overview

ii Board of Directors & Executive Directors as on May 30, 2019

iv Message from Chairman

viii Message from Managing Director & CEO

xii Some Major Events

xvi Awards & Accolades

Statutory Reports

11 Directors' Report

36 Management Discussion and Analysis

107 Corporate Governance Report

Financial Statements

160 Standalone Financial Statements

275 Consolidated Financial Statements

374 Pillar III Disclosures

हमारा साथ हमारी शक्ति

आईडीबीआई बैंक प्रगति में साझेदार होने की भावना का प्रतीक है. पाँच दशक के अंतराल में फैली अपनी इस सुदीर्घ यात्रा में आईडीबीआई बैंक ने पहले एक विकास वित्तीय संस्था के रूप में और फिर एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में अपनी बहुविध योजनाओं और सेवाओं के जरिए समावेशिता सुनिश्चित करने की कोशिश की है. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा आईडीबीआई बैंक की बहुलांश शेयरधारिता हासिल करने से वित्तीय क्षेत्र परिदृश्य में बैंक की स्थिति और भी सुदृढ़ हुई है. बैंकिंग और बीमे के व्यापक परिदृश्य में आच्छादित विभिन्न योजनाओं और पेशकशों के जरिए बैंक अपने सभी ग्राहकों के लिए मूल्यवर्धित प्रस्ताव उपलब्ध कराना चाहता है. बैंकिंग फलक पर नए क्षितिज को परिभाषित करने की कोशिश में बैंक अपने सभी हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य सृजित करने और 'हमारा साथ हमारी शक्ति' वाली संस्था के रूप में उभरने की दिशा में सद्निष्ठ प्रयास कर रहा है.

Stronger Together

IDBI Bank epitomises the spirit of being a partner in progress. In its journey spanning over five decades, IDBI Bank, first as a Development Financial Institution and thereafter as a commercial bank, has strived to ensure inclusiveness through its varied products and services. With Life Insurance Corporation of India (LIC) acquiring majority stake in IDBI Bank, the Bank's position in the financial sector landscape has been further reinforced. With a gamut of products and offerings spanning the entire spectrum of banking and insurance, the Bank seeks to provide value-added propositions for all its customers. Striving to define new horizons in the banking space, the Bank is conscientiously working towards creating better value for all its stakeholders and emerging '*Stronger Together*'.

यथा 30 मई 2019 को निदेशक मंडल

Board of Directors as on May 30, 2019

श्री एम. आर. कुमार
(अध्यक्ष)
Shri M. R. Kumar
(Chairman)

श्री राकेश शर्मा
(प्रबंध निदेशक एवं सीईओ)
Shri Rakesh Sharma
(Managing Director & CEO)

श्री के. पी. नायर
(उप प्रबंध निदेशक)
Shri K. P. Nair
(Deputy Managing Director)

श्री जी. एम. यादवाडकर
(उप प्रबंध निदेशक)
Shri G. M. Yadwadkar
(Deputy Managing Director)

श्री पंकज जैन
Shri Pankaj Jain

श्री सुधीर श्याम
Shri Sudhir Shyam

श्री राजेश कंडवाल
Shri Rajesh Kandwal

श्री ज्ञान प्रकाश जोशी
Shri Gyan Prakash Joshi

डॉ. आशिमा गोयल
Dr. Ashima Goyal

श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी
Shri Bhuwanchandra B. Joshi

श्री समरेश परिदा
Shri Samaresh Parida

श्री एन. जंबुनाथन
Shri N. Jambunathan

श्री दीपक सिंघल
Shri Deepak Singhal

श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर
Shri Sanjay Gokuldas Kallapur

यथा 30 मई 2019 को कार्यपालक निदेशक

Executive Directors as on May 30, 2019

श्री पी. सीताराम
Shri P. Sitaram

श्री जी. ए. तड़स
Shri G. A. Tadas

डॉ. सौम्य एस. बॅनर्जी
Dr. Saumya S. Banerjee

श्री सुरेश खटनहार
Shri Suresh Khatanhar

श्री इंद्रपाल एस. कालरा
Shri Inderpal S. Kalra

श्री माधव फड़के
Shri Madhav Phadke

श्री सुब्रतो गुप्ता
Shri Subroto Gupta

श्री बुद्धदेव दासगुप्ता
Shri Buddhadev Dasgupta

श्री अजय शर्मा
Shri Ajay Sharma

श्री शैलेंद्र नाडकर्णी
Shri Shailendra Nadkarni

श्री वी. नारायणमूर्ति
Shri V. Narayanamurthy

श्री जॉर्टी चाको
Shri Jorty Chacko

श्री प्रदीप कुमार दास
Shri Pradip Kumar Das

अध्यक्ष का संदेश

Message from Chairman

एम. आर. कुमार - अध्यक्ष

M. R. Kumar - Chairman

प्रिय शेयरधारको,

मैंने आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष का पदभार मई 2019 में ग्रहण किया. वास्तव में यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मुझे एक ऐसे बैंक से जुड़ने का अवसर मिला है जिसकी भारत की संवृद्धि और विकास में साझेदारी की सुदीर्घ परंपरा रही है. आईडीबीआई बैंक की यह यात्रा कारोबार परिदृश्य के अनुकूल रूपांतरण के साथ चिह्नित हुई है. जनवरी 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बैंक की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर इसका प्रमोटर बन गया है. इसी के साथ अपनी ही तरह का एक ऐसा वित्तीय समूह अस्तित्व में आया है, जिसमें एलआईसी और आईडीबीआई बैंक मिलकर बैंकिंग और बीमा संबंधी बहुविध योजनाएँ एक ही छत के नीचे प्रदान कर सकेंगे.

वर्ष 2018 में कई प्रमुख 'उभरती बाजार व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं' (ईएमडीई) में आई मंदी के चलते वैश्विक आर्थिक संवृद्धि में भी मंदी देखी गई. बढ़ते व्यापारिक संरक्षणवाद की बात आज वैश्विक नीतिगत संवाद का प्रमुख पहलू हो गया है. भारत की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2018-19 में 6.8% की दर से वृद्धि हुई, किन्तु देशी कारकों जैसे विषम मानसून और कृषि व सेवा क्षेत्रों में उपभोग व निवेश की सुस्त मांग के चलते इसमें 2017-18 के 7.2% की तुलना में कमी आई. इसी के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) स्फीति दर भी, जोकि मौद्रिक नीति का आधार होती है, 2018-19 में 3.4% के सामान्य स्तर पर ही रही. कमजोर संवृद्धि और घटती मुद्रास्फीति के दबावों के चलते आर्थिक विकास में सहयोग देने के इरादे से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो रेट कम कर दिया.

देशी नीतिगत संवाद में विकास की अवधारणा की प्रमुखता को देखते हुए बैंकिंग सिस्टम के पुनरुद्धार का महत्व बढ़ गया है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था बैंकों से संचालित होती है. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र आस्ति गुणवत्ता, धोखाधड़ी व इनके चलते लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव जैसी विभिन्न परेशानियों से घिरा हुआ है. इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अभिशासन व विनियामक क्षेत्रों में सुधार के साथ-साथ विधिक मोर्चे पर भी सुधार किए गए हैं ताकि एक मजबूत बैंकिंग क्षेत्र की नींव रखी जा सके. बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन, जोखिम प्रबंधन व सेवा के स्तर जैसे विभिन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से संवर्धित पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) के लिए पीएसबी सुधार एजेंडा जैसे उपाय किए गए हैं. ईएएसई रूपरेखा की कार्यसूची के प्रमुख बिंदु अनुक्रियाशील और जिम्मेदार बैंकिंग सुनिश्चित करने के इरादे से तैयार किए गए. दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) लागू होने से एनपीए का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए अत्यावश्यक संस्थागत प्रणाली

Dear Shareholders,

I assumed the position of Chairman of IDBI Bank in May 2019. It is indeed a privilege for me to be associated with the Bank which has a rich legacy of partnering India in its growth and development. IDBI Bank's journey is marked by transformation in tandem with the evolving business environment. In January 2019, Life Insurance Corporation of India (LIC) acquired 51% stake in the Bank, becoming the promoter. With this, a one-of-a-kind financial conglomerate came into existence with LIC and IDBI Bank offering a gamut of banking and insurance products under one roof.

The year 2018 saw deceleration in global economic growth as several major Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) slowed down. Growing trade protectionism emerged as a prominent feature of the global policy dialogue. In this backdrop, the Indian economy remained fairly resilient, though not without its own set of challenges. India's economy grew at 6.8% in 2018-19, marking a decline from 7.2% in 2017-18, on the back of domestic factors such as disparate monsoons and muted consumption and investment demand which restricted growth in agriculture and services sectors. At the same time, Consumer Price Index (CPI) inflation rate, which is the mainstay of the monetary policy, remained moderate at 3.4% in 2018-19. Keeping in view the weakening growth and soft inflationary pressures, the Reserve Bank of India (RBI) reduced the Repo Rate with the intent to support economic growth.

With driving growth assuming primacy in the domestic policy dialogue, the importance of revitalising the banking system came to the fore as India continues to be a bank-led economy. The banking sector in India has been beleaguered by concerns on the asset quality front, frauds and consequential adverse impact on profitability. In response to these challenges, substantive reforms in governance and regulatory regime as well as legal reforms have been undertaken to lay the foundations for a stronger banking sector. Measures such as the PSB Reforms Agenda for Enhanced Access & Service Excellence (EASE) have laid out the framework for driving improvements in various areas including corporate governance, risk management and service standard of the banks. The action points outlined in the EASE framework are intended at ensuring responsive and responsible banking. Simultaneously, the enactment of the Insolvency

भी मुहैया हो गई है. परिणामस्वरूप बैंकों ने गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) के समाधान में अच्छी प्रगति की है, जिसके चलते अधिकांश बैंकों के एनपीए स्तर में गिरावट आई है. समूचे उद्योग जगत में जमाराशि और ऋण में वृद्धि देखी जा रही है, जो पुनर्प्रवर्तन का संकेत है. बैंक भी इन परिवर्तनों के प्रति सजग हैं और वे अपने जोखिम प्रबंधन व कॉरपोरेट अभिशासन कार्यों को मजबूत कर रहे हैं. बैंकों की रणनीतिक कारोबार योजनाओं में अनुपालन को बहुत महत्व दिया जा रहा है ताकि इनके परिचालनों में जोखिम उत्पन्न करनेवाले अप्रिय प्रसंगों से बचा जा सके.

इस परिप्रेक्ष्य में यह बात समझनी भी बहुत जरूरी है कि बैंकिंग जगत के प्रतिमान बदल रहे हैं. इन चुनौतियों के बावजूद भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सामने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं. वित्तीय समावेशन और डिजीटलीकरण पर जोर देने से अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है. आकांक्षी ग्राहकों को, जिनमें से अधिकांश प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान में रखते हुए डिजिटल भुगतान प्रोत्साहित करने के लिए कई अल्प-लागत वाले प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं. इंडियास्टेक व ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के चलते भारत में आंकड़ों की उपलब्धता सर्वसुलभ हो गई है और बैंक एक ही स्रोत से ग्राहक के संबंध में जानकारियां ले पा रहे हैं. इन परिवर्तनों से मौजूदा व भावी वित्तीय प्लेयर्स के सामने नए नवोन्मेषी कारोबार मॉडल तैयार करने के अवसर होंगे ताकि वे अपने ग्राहकों को कम लागत पर प्रभावी ढंग से सेवाएँ प्रदान कर सकें.

लक्षित खंड बैंकिंग क्षेत्र के लिए विकास का अगला संवाहक होंगे. भले ही नीतिगत व विनियामकीय रूपरेखा विकसित हो रही है, यह बात एकदम स्पष्ट है कि भारत अब एक डिजिटल, समावेशी और अंतर-संचालित वित्तीय सेवा बाजार की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इन उभरते परिवर्तनों के साथ बैंकिंग क्षेत्र में विकास की चाबी प्रौद्योगिक कौशल में ही निहित है ताकि समेकित डिजिटल आधारभूत ढांचा तैयार हो सके; ग्राहक की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए पारंपरिक व गैर-पारंपरिक डाटा स्रोत मिलाए जा सकें और साझेदारी संचालित डिजिटल इको प्रणालियाँ तैयार की जा सकें.

नियामकीय ढांचा भी नई और यहाँ तक कि गैर-पारंपरिक संस्थाओं को प्रवेश की अनुमति देकर बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहता है. इसीलिए बैंकिंग संबंधी सभी सेवाएँ उपलब्ध कराने की बजाय विशेष क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए भिन्न-भिन्न स्वरूप के बैंक नामक एक नई श्रेणी बनाई गई है. इसलिए इस क्षेत्र के नए प्रवेशकों को भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन करने के लिए लाइसेंस दिया गया. इन परिवर्तनों के मद्देनजर आपके बैंक की कारोबार रणनीति उभरती प्रवृत्तियों और इसकी वित्तीय हालत को बहाल करने की मौजूदा अनिवार्यता

and Bankruptcy Code (IBC) has provided the much-needed institutional mechanism for ensuring time-bound resolution of Non-Performing Assets (NPAs). Consequently, banks have made much headway in resolving NPAs, which has led to a decline in the NPA levels for most of the banks. There has also been a pick-up in the industry-wide deposit and credit growth, underscoring signs of revival. Banks, too, have become more alert to these ramifications of the recent challenges and are proactively strengthening their risk management and corporate governance practices. Compliance has emerged as one of key themes in the strategic business plans of the banks to avert any untoward incidents that may pose risk to its operations.

In this backdrop, it is also essential to understand that the banking space is undergoing a paradigm shift. Notwithstanding these challenges, the banking sector in India represents one of the biggest opportunities globally in terms of potential value. The policy emphasis on financial inclusion and digitisation is driving change throughout the economy. Keeping in mind the aspirational class clientele, most of whom are technology adopters, low-cost Indian platforms have been launched to promote digital payments. The availability of data in India has become more democratic with IndiaStack and open Application Programming Interfaces (APIs) allowing banks to access customer information from a single source. With these developments, financial players – both existing and the new entrants – have the opportunities to build innovative business models to serve their customers in a cost-effective and efficient manner.

The targeted segments represent the next growth drivers for the banking sector. Even as the policy and regulatory framework is evolving, it is abundantly clear that India is moving towards a digital, inclusive, and interoperable financial services market. With these emerging developments, the key for growth in the banking sector lies in harnessing technological prowess to create integrated digital infrastructures; combining traditional and non-traditional data sources to gain customer insights; and cultivating partnership-driven digital ecosystems.

The regulatory framework is also seeking to promote competition in the banking space by allowing entry of new and even non-traditional players. Thus, a new category, viz. differentiated banks, has been created for performing specific functions rather than providing full-service banking.

को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है. इस दिशा में आपका बैंक अपने कारोबार सम्मिश्र को कम आस्ति वाले व विविधिकृत मॉडल की दिशा में क्रमिक रूप से रूपांतरित करने के बारे में विचार कर रहा है. तद्नुसार आपका बैंक आस्तियों के मोर्चे पर रिटेल और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अंश बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहा है. देयता के संबंध में कासा और रिटेल मीयादी जमाओं का अंश बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं. आपके बैंक में एलआईसी द्वारा 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के साथ ही आपसी सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों की परिकल्पना की गई और इनमें से कुछ क्षेत्रों के लिए जमीनी स्तर पर किए गए कार्य सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं. उम्मीद है कि इस आपसी सहयोग से बैंक को अपनी रिटेल आस्तियों को बढ़ाने के प्रयासों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा. बैंक यह भी समझ रहा है कि आस्ति गुणवत्ता एक चिंता का विषय है. इसलिए एनपीए की अधिक से अधिक वसूली और उन्नयन के लिए बैंक द्वारा विधिक और विनियामकीय ढांचे के तहत सभी संभव उपाय अपनाए जा रहे हैं. इसके अलावा ऋण निगरानी प्रक्रिया में भी सुधार किया जा रहा है ताकि इसके द्वारा शुरुआती स्तर पर ही आस्ति गुणवत्ता में संभावित गिरावट की गहन निगरानी सुनिश्चित की जा सके. बैंक को प्रबंध स्तर पर योग्य व्यावसायिकों का लाभ मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि उनके बहुमूल्य प्रयासों से कारोबार संस्कृति में अनुकूल बदलाव लाने में मदद मिलेगी जो बैंक की सतत और लाभप्रद्ध संवृद्धि में सहायक होगा और इससे हितधारकों के लिए मूल्य संवर्धन हो सकेगा.

हाल ही में हुए नीतिगत व विनियामकीय सुधार बैंकिंग क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है क्योंकि इससे आर्थिक संवृद्धि को गति मिलेगी और बैंक इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं. बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को समझते हुए भावी अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करेगा. व्यापक तौर पर बैंकिंग जगत के एकसमान परिदृश्य के बीच आपका बैंक अपने सेवा स्तर में निरंतर सुधार लाने के साथ-साथ विभिन चैनलों के ज़रिये ग्राहकों के लिए संतोषजनक अनुभव सुनिश्चित करते हुए स्वयं को एक अलग बैंक के रूप में पहचान दिलाने का प्रयास कर रहा है.

मुझे खुशी है कि मैं बैंक के अध्यक्ष के रूप में आईडीबीआई बैंक के इस सफर का साथी बना हूँ. मुझे विश्वास है कि बैंक द्वारा शुरू किए गये रूपांतरणकारी और नवोन्मेषी पहल कार्य इसे लाभप्रदता की राह पर लौटने में मदद करेंगे.

शुभकामनाओं सहित,

एम. आर. कुमार
अध्यक्ष

Thus, new entrants were licensed to operate as Payment Banks and Small Finance Banks. Keeping in view these developments, your Bank's business strategy is being shaped by the emerging trends as well as the current imperative to restore its financial health. Towards this end, your Bank has also been progressively moving towards recalibrating its business mix to transition towards a capital-light and diversified model. Accordingly, your Bank has been focusing on augmenting the share of retail and priority sector loans on the asset side. On the liability side, concerted efforts are being made to boost the share of CASA and retail term deposits. With LIC acquiring 51% stake in your Bank, various areas of mutual synergies have been envisaged and the groundwork laid for some of these areas has been yielding positive results. The mutual synergies are expected to provide a further impetus to the Bank's effort in ramping up its retail business. At the same time, the Bank recognises that asset quality remains an area of concern. Thus, all possible measures are being pursued under legal and regulatory framework by the Bank to maximise recovery and upgradations in the NPAs. Furthermore, the credit monitoring processes are being revamped to ensure close monitoring to arrest further slippages in the asset quality at nascent stage itself. The Bank stands to gain from qualified professionals at the helm and I am confident that their invaluable inputs will help in bringing about a favourable change in business culture that will help the Bank to drive sustained and profitable growth, thereby creating immense value for all its stakeholders.

The recent policy and regulatory reforms augur well for the banking sector in general as it would foster economic growth, and banks are an integral part of the process. The Bank will strive to capture the emerging opportunities by understanding the financial requirements of its customers. In a largely homogenous landscape of the banking sector, the Bank strives to differentiate itself by continually improving its service standards as well as trying to ensure seamless customer experience across channels.

As the Chairman of the Bank, I am happy to be a part of IDBI Bank's journey. I am sure that the transformational initiatives and innovations undertaken by the Bank will help it to return to a profitable growth path.

With best wishes,

M. R. Kumar
Chairman

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

Message from Managing Director & CEO

राकेश शर्मा - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Rakesh Sharma - Managing Director & CEO

प्रिय शेयरधारको,

मैं आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के कार्य निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ प्रस्तुत कर रहा हूँ.

कारोबार रणनीति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विरासत में मिले मुद्दों के समाधान के लिए अनेक रणनीतिपरक प्रयास किए और बैंक को भविष्य में एक सक्षम बैंक बनाने हेतु समुचित व्यवस्थाएँ कीं.

आपके बैंक ने स्वयं को एक रिटेल व्यवसाय केंद्रित बैंक के रूप में स्थापित करने हेतु अपने कम लागत वाले जमा आधार को सुदृढ़ किया तथा रिटेल, कृषि तथा एमएसएमई (आरएएम) आस्ति बही में वृद्धि करते हुए रिटेल व्यवसाय को बढ़ाने के प्रयास किए. इसी के साथ आपके बैंक ने ऋण बही को अधिक विविधतापूर्ण, रिटेल आस्तियों के पक्ष में सुमेलित करने की अपनी रणनीति के अनुरूप अपनी कॉरपोरेट आस्ति बही में वृद्धि को सीमित रखा है. निर्दिष्ट बिक्री में तीव्र वृद्धि के महत्व को स्वीकारते हुए बैंक अपने ग्राहक संबंध प्रबंधन तथा कारोबार आसूचना क्षमताओं को उत्तरोत्तर मजबूत बना रहा है ताकि ग्राहकों की पसंद का आकलन किया जा सके. डिजिटल विश्व के बढ़ते दायरे को देखते हुए बैंक तकनीकी उन्नयन को अपनाने की दिशा में अग्रसर है ताकि न केवल परिचालनगत क्षमता में वृद्धि लाई जा सके बल्कि ग्राहक की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हो सके. आपका बैंक सभी भौतिक और डिजिटल चैनलों के ज़रिए निर्बाध ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है ताकि मौजूदा ग्राहकों की किसी भी समय और किसी भी स्थान से सहजतापूर्वक बैंकिंग लेनदेन करने संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके.

आस्ति गुणवत्ता आपके बैंक के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने वसूली में अधिकतम वृद्धि करने और अपने एनपीए को उन्नत करने के लिए सभी संभव कानूनी और विनियामकीय कार्रवाइयों का सहारा लेने हेतु संगठित प्रयास किए हैं. इसके अतिरिक्त आपके बैंक ने अपने संग्रहण एवं वसूली प्रयासों को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए समर्पित संग्रहण एवं वसूली वार रूम की भी स्थापना की है. आपका बैंक उच्च जोखिम वाले खातों तथा दबाव के प्रारंभिक संकेत दर्शाने वाले खातों की पहचान करने की अपनी क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए बैंक में समयपूर्व चेतावनी प्रणाली भी स्थापित कर रहा है.

इन बृहद रणनीतिपरक रूपरेखाओं के अंतर्गत किए गए उपायों की विस्तृत जानकारी वार्षिक रिपोर्ट के निदेशकों की रिपोर्ट तथा प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंडों में दी गई है. बैंक द्वारा किए गए संगठित प्रयासों से कई मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम हासिल हुए हैं जिनमें से कुछ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा.

वित्तीय विशेषताएँ

कम लागतवाले जमा आधार को बढ़ाने की बैंक की रणनीति के अनुरूप कुल जमाओं में कासा जमाराशियों के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और ये 31 मार्च 2018 के 37.15% की तुलना में बढ़कर 31 मार्च 2019 को 42.54% हो गईं. इसके अतिरिक्त बैंक की थोक जमाराशियों में भी 30% की कमी लायी गई और यह 31 मार्च 2018 के ₹ 82,683 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को ₹ 57,719 करोड़ रहीं. बैंक की रिटेल मीयादी जमाराशियों में 0.30% की मामूली गिरावट आई और ये 31 मार्च 2018 के ₹ 73,147 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को ₹ 72,922 करोड़ रहीं. कासा जमाराशियों की बढ़ती हिस्सेदारी और थोक जमाराशियों में आई गिरावट से जमाराशियों की लागत में कमी आई और यह वर्ष 2017-18 के 5.56% की तुलना में वर्ष 2018-19 में 5.44% रही.

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank, I place before you the highlights of your Bank's performance during the financial year 2018-19.

Business Strategy

During the year under review, your Bank's strategic endeavours were designed around the need to address the legacy issues while putting in place enablers for making the Bank a future ready bank.

Striving to position itself as a retail-focussed bank, your Bank endeavoured to boost its retail business by augmenting its low-cost deposit base and ramping up the Retail, Agri and MSME (RAM) asset book. At the same time, your Bank restricted growth in its corporate asset book in consonance with its strategy of realigning the loan book in favour of more granular retail assets. Recognising the importance of driving targeted sales, the Bank has been progressively building up its Customer Relationship Management (CRM) and business intelligence capabilities to have an insight into customer preferences. In an increasingly digital world, the Bank is exploring technological advances to not just drive operational efficiency but also enhance customer convenience. Your Bank is striving to move towards ensuring a seamless customer experience across all physical and digital channels as it seeks to cater to the prevailing customer need for facilitating transactions at any time, any place.

Asset quality continued to be a major area of concern for your Bank. Taking cognisance of this, your Bank took concerted efforts to pursue all possible legal and regulatory recourses for maximisation of recovery and upgradation of its NPAs. Furthermore, your Bank has set up a dedicated Collection & Recovery War Room to provide the much needed impetus towards its collection and recovery efforts. Your Bank is also in the process of setting up an automated comprehensive bank-wide Early Warning System to further augment its capability to identify high risk accounts and accounts showing early signs of stress.

The measures taken under these broad strategic contours are detailed in the Directors' Report and Management Discussion & Analysis sections of the Annual Report. The concerted efforts taken by the Bank yielded positive results on several fronts, some of which I would like to draw to your attention.

Financial Highlights

In tandem with its strategy for augmenting the low-cost deposit base, the share of CASA deposit to total deposits improved significantly to 42.54% as on March 31, 2019 from 37.15% as on March 31, 2018. Furthermore, the Bank's bulk deposits were brought down by 30% to ₹ 57,719 crore as on March 31, 2019 from ₹ 82,683 as on March 31, 2018. There was a marginal decline in the Bank's retail term deposits by 0.30% to ₹ 72,922 crore as on March 31, 2019 from ₹ 73,147 crore as on March 31, 2018. The increasing share of CASA deposits and decline in the bulk deposits facilitated a reduction in Cost of Deposits to 5.44% for 2018-19 from 5.56% in 2017-18.

बैंक ने अपने ऋण बही सम्मिश्र को रिटेल आस्तियों के पक्ष में पुनः संतुलित करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. कॉरपोरेट अग्रिमों की तुलना में रिटेल अग्रिमों का अनुपात 31 मार्च 2018 के 55:45 की तुलना में 31 मार्च 2019 को 49:51 रहा. यह पुनः संतुलन मुख्य रूप से संरचित रिटेल आस्तियों (एसआरए) में हुई 18% की वृद्धि से ही संभव हुआ है जिसमें आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण, शिक्षा ऋण, वैयक्तिक ऋण और ऑटो ऋण शामिल हैं.

वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के लिए निर्धारित विनियामकीय लक्ष्य को प्राप्त किया और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम इसके समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 43.62% रहे.

न्यून-पूंजी मॉडल की ओर बढ़ने की अपनी रणनीति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए बैंक ने जोखिम भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) में 17% की कमी की और यह 31 मार्च 2018 के ₹ 2.21 लाख करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को ₹ 1.83 लाख करोड़ रहीं.

31 मार्च 2019 को बैंक ने सभी विनियामक पूंजी अनुपातों के लक्ष्य को प्राप्त किया और इसका जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 11.58% तथा सामान्य इक्विटी टीयर 1 (सीईटी 1) अनुपात (सीसीबी अनुपात सहित) 8.91% रहा.

हालांकि आपके बैंक के लिए ऋणों की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी रही, किन्तु इस मोर्चे पर भी कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं. बैंक द्वारा अपनाए गए सक्रिय उपायों से प्रथम बार एनपीए (एफटीएनपीए) में उल्लेखनीय कमी लाने में सहायता मिली है और यह वर्ष 2017-18 के ₹ 35,605 करोड़ की तुलना में 2018-19 में घट कर ₹ 15,281 करोड़ रहे. यद्यपि सकल एनपीए में वृद्धि हुई, लेकिन यह यथा 31 मार्च 2018 के 27.95% की तुलना में सुधर कर यथा 31 मार्च 2019 को 27.47% हो गए. बैंक का निवल एनपीए अनुपात भी 31 मार्च 2018 के 16.69% की तुलना में सुधर कर यथा 31 मार्च 2019 को 10.11% हो गया. प्रावधान कवरेज अनुपात यथा 31 मार्च 2018 के 63.40% की तुलना में यथा 31 मार्च 2019 को सुधर कर 82.88% हो गया. तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली वर्ष 2017-18 के ₹ 219 करोड़ की तुलना में बढ़ कर ₹ 468 करोड़ हो गई.

उच्चतर एनपीए के कारण उपार्जन आस्तियों में कमी के बावजूद, बैंक अग्रिमों पर अपनी आय को वर्ष 2017-18 के 8.39% की तुलना में वर्ष 2018-19 में बढ़ा कर 8.82% करने में सक्षम रहा. निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) भी वर्ष 2017-18 के 1.81% से बढ़ कर वर्ष 2018-19 में 2.03% हो गई.

रणनीतिक उपायों के माध्यम से बैंक ने परिचालनगत लाभ प्राप्त करना जारी रखा और यह ₹ 4,052 करोड़ रहा. तथापि, एनपीए के कारण अधिक प्रावधानीकरण से बैंक को वर्ष 2018-19 में ₹ 15,116 करोड़ की हानि हुई.

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा के अंतर्गत प्रगति

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा से बाहर निकलना रणनीतिक क्षेत्रों में एक है जिस पर बैंक ध्यान केंद्रित करता रहा है. इस संबंध में मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि बैंक ने प्रभावित करने वाले दो कारकों अर्थात् पूंजी और लीवरेज अनुपात संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया है और यह निवल अनर्जक आस्ति अनुपात के संबंध में जोखिम प्रारंभिक सीमा 2 तक पहुँच गया है. बैंक का प्रयास रहेगा कि यह अपने परिचालनगत और वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार कर जल्दी से जल्दी पीसीए से बाहर निकले.

The Bank also made a significant headway in rebalancing its loan book mix in favour of retail assets. The composition of corporate: retail advances stood at 49:51 as on March 31, 2019 as compared to 55:45 as on March 31, 2018. The rebalancing was largely facilitated by 18% growth in the Structured Retail Assets (SRA) which comprised of Housing Loan, Loan Against Property, Education Loan, Personal Loan and Auto Loan.

During the year, the Bank achieved the regulatory target for Priority Sector Lending (PSL) with the priority sector advances being 43.62% of its Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

In consonance with its strategy to transition to a capital-light model, the Bank reduced the Risk Weighted Assets (RWA) by 17% to ₹ 1.83 lakh crore as on March 31, 2019 as against ₹ 2.21 lakh crore as on March 31, 2018.

As on March 31, 2019, the Bank was able to achieve all regulatory capital ratios with its Capital-to-Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) at 11.58% and Common Equity Tier 1 (CET 1) Ratio (including CCB Ratio) at 8.91%.

While asset quality remained an area of concern for your Bank, there have been some positive developments even on this front. The proactive measures taken by the Bank helped in substantial decline in First Time NPAs (FTNPAs) to ₹ 15,281 crore in 2018-19 from ₹ 35,605 crore in 2017-18. Gross NPA ratio, while elevated, marginally improved to 27.47% as on March 31, 2019 as compared to 27.95% as on March 31, 2018. The Bank's Net NPA ratio also improved to 10.11% as on March 31, 2019 as against 16.69% as on March 31, 2018. Provision Coverage Ratio improved to 82.88% as on March 31, 2019 from 63.40% as on March 31, 2018. Recovery from Technically Written-Off accounts improved to ₹ 468 crore in 2018-19 as against ₹ 219 crore in 2017-18.

Notwithstanding decrease in earning assets because of higher NPAs, the Bank was able to improve its Yield on Advances to 8.82% in 2018-19 as compared to 8.39% in 2017-18. There was also an improvement in the Net Interest Margin (NIM) from 1.81% in 2017-18 to 2.03% in 2018-19.

Through the strategic measures, the Bank continued to post an operating profit which amounted to ₹ 4,052 crore. However, elevated provisioning on account of its NPAs resulted in a net loss of ₹ 15,116 crore in 2018-19 for the Bank.

Progress under the Prompt Corrective Action (PCA) framework

Exiting the Prompt Corrective Action (PCA) framework has been one of the strategic areas where the Bank has been focusing on. In this regard, I am glad to inform that the Bank has complied with two triggers points, namely capital and leverage ratio and has shifted to the Risk Threshold 2 with respect to Net Non-Performing Asset ratio. The Bank's endeavour would be to expeditiously exit the PCA framework by improving upon its operational and financial performance.

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बहुलांश शेयरों का अधिग्रहण

जनवरी 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बैंक में 51% शेयरों का अधिग्रहण किया. इसके परिणामस्वरूप एलआईसी को आईडीबीआई बैंक के प्रवर्तक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 14 मार्च 2019 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा विनियामकीय प्रयोजन हेतु बैंक को 'निजी क्षेत्र के बैंक' के रूप में पुनः श्रेणीबद्ध किया है. एलआईसी द्वारा शेयरों का अधिग्रहण बैंक के सफर में मील का एक और पत्थर साबित हुआ है. बैंक और एलआईसी के पास एक दूसरे के सहयोग से लाभ उठाने के अनेक रास्ते खुल चुके हैं. विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात् बैंकाश्यूरेंस एवं अन्य पक्ष उत्पाद; जमाराशियों और ऋण जैसे रिटेल बैंकिंग उत्पाद; सीएमएस उत्पाद और सेवाओं आदि में सहक्रिया के माध्यम से लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों सहित समर्पित कार्य बल गठित किए गए हैं. फरवरी 2019 में आपके बैंक ने बैंकाश्यूरेंस के लिए एलआईसी के साथ कॉरपोरेट एजेंसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं. बैंक ने एलआईसी के बैंकाश्यूरेंस भागीदार के रूप में मार्च 2019 में अकेले ही 160 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि के साथ 26,000 से अधिक पॉलिसी जुटाने का रिकॉर्ड कारोबार किया. बैंक ने *'आईडीबीआई रैपिड पे'* की भी शुरुआत की जो एलआईसी पॉलिसीधारकों को आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के माध्यम से नकदी या चेक के जरिए प्रीमियम भुगतान की सुविधा प्रदान करता है. एलआईसी परिवार के साथ एक दीर्घकालीन संबंध को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एलआईसी कर्मचारियों, एजेंटों और पॉलिसीधारकों के लाभ के लिए आकर्षक विशेषताओं के साथ कई खुदरा जमाराशि और ऋण उत्पाद भी शुरू किए हैं. मुझे विश्वास है कि आईडीबीआई बैंक और एलआईसी दोनों आपसी सहयोग से *'हमारा साथ, हमारी शक्ति'* के रूप में उभरेंगे.

आगे की राह

वर्ष 2018-19 में आपके बैंक ने अपने तुलन पत्र संबंधी जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है. बैंक द्वारा कासा जमाराशियों और एसआरए बही में वृद्धि पर जोर देने से आने वाले समय में संवृद्धि का मुख्य संचालक रिटेल खंड ही रहेगा. बैंक और एलआईसी के बीच परस्पर सहयोग से भी रिटेल जमाराशियों और ऋण बही को प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही, बैंक ग्राहक सेवा और परिचालन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए अपनी डिजिटल क्षमताओं में वृद्धि करने की दिशा में भी कार्य करेगा. आस्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर बैंक कानूनी और विनियामकीय सहायता का मजबूती के साथ उपयोग करते हुए वसूली को अधिकतम करने और अपने एनपीए का उन्नयन करने का प्रयास करेगा. इसके साथ ही, आस्ति गुणवत्ता में आगे कोई गिरावट न हो, इसके लिए बैंक अपनी जोखिम प्रबंध प्रक्रियाओं और ऋण नीतियों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सुस्थिर पोर्टफोलियो का निर्माण किया जा सके. मुझे विश्वास है कि एलआईसी के सहयोग और उभरती सहबद्धता के साथ बैंक की कारोबार रणनीति बैंक की वित्तीय स्थिति बहाल करने में सहायता प्रदान करेगी तथा इससे सतत कारोबार संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा.

आभार

मैं भारत सरकार, एलआईसी, सभी सांविधिक और विनियामकीय प्राधिकारियों, शेयरधारकों, ग्राहकों और कर्मचारियों सहित बैंक के सभी हितधारकों को उनके मूल्यवान सहयोग और हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूँ. बैंक अपनी यात्रा में सभी हितधारकों से लगातार सहयोग बनाए रखने की आशा करता है.

शुभकामनाओं सहित,

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Majority Stake Acquisition by Life Insurance Corporation of India (LIC)

In January 2019, the Life Insurance Corporation of India (LIC) acquired 51% stake in the Bank. Consequently, LIC was reclassified as the promoter of the Bank. The Reserve Bank of India, vide its press release dated March 14, 2019, recategorised the Bank as a 'Private Sector Bank' for regulatory purposes. The stake acquisition by LIC marked yet another milestone in the Bank's journey. A multitude of opportunities for leveraging synergies by the Bank and LIC have been opened up. Dedicated task force with senior executives has been set up to drive the synergies in varied areas such as bancassurance & third party products, retail banking products like deposits and loans, CMS products and services, etc. In February 2019, your Bank signed a Corporate Agency Agreement with LIC for bancassurance. As a bancassurance partner for LIC, the Bank started off with a record business of more than 26,000 Number of Policies with ₹ 160 crore of premium in the month of March 2019 alone. The Bank also launched *'IDBI Rapid Pay'* which facilitates LIC policyholders to pay the premiums through IDBI Bank branches by way of cash or cheque. With a view to building a long-lasting relationship with LIC family, the Bank has also introduced several retail deposit and loan products with attractive features for the benefit of LIC's employees, agents and policyholders. I am confident that both IDBI Bank and LIC will emerge *'Stronger Together'* through their association.

Way Forward

In 2018-19, your Bank has made significant progress in de-risking its balance sheet. Going forward, the retail segment would remain the key driver of growth with the Bank seeking to augment the CASA deposits and SRA book. The synergies between your Bank and LIC would also aid in boosting the retail deposit and loan book of the Bank. Simultaneously, the Bank will also work towards further enhancing its digital capabilities for greater customer convenience and operational efficiency. On the asset quality front, the Bank will continue to aggressively pursue legal and regulatory recourses to maximise recovery and upgradation from its NPAs. Furthermore, to prevent slippages in asset quality going forward, the Bank is committed to strengthening its risk management practices and credit policies to build a stable portfolio. I am confident that the business strategy of the Bank, coupled with the synergies emerging from collaboration with LIC, will help in restoring the financial health of the Bank and thus, pave the way for sustained future business growth.

Acknowledgement

I would like to thank all the stakeholders of the Bank, including the Government of India, LIC, all statutory and regulatory authorities, shareholders, customers and employees for their valuable support and trust. The Bank looks forward to the continued support of all stakeholders in its journey.

With best wishes,

Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

कुछ प्रमुख गतिविधियां

Some Major Events

श्री एम. आर. कुमार, अध्यक्ष (दाएं से तीसरे) ने श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (दाएं से चौथे) की उपस्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के चार प्रबंध निदेशकों के साथ आईडीबीआई बैंक में अपने प्लेटिनम सैलेरी खाते खोले.

Shri M. R. Kumar, Chairman, (third from right) along with four Managing Directors of Life Insurance Corporation of India (LIC) opened their platinum salary accounts with IDBI Bank in the presence of Shri Rakesh Sharma, MD & CEO (fourth from right).

आईडीबीआई बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन किया गया और इस अवसर पर एक विशेष पत्रिका जारी की गई.

Inauguration of Vigilance Awareness Week at IDBI Bank and release of a Special Journal to mark the occasion.

श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक (एकदम बाएं) पीएफआरडीए द्वारा अटल पेंशन योजना अभिदान के लिए चलाई गई अंतर बैंक प्रतियोगिता में बैंक के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए नई दिल्ली में श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग से 'लीडरशीप कैपिटल' पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

Shri G. M. Yadwadkar, DMD, (extreme left) receiving the *'Leadership Capital'* award from Shri Rajeev Kumar, Secretary, Department of Financial Services at New Delhi in recognition of superlative performance of the Bank in the interbank contest for Atal Pension Yojana subscriptions run by PFRDA.

आईडीबीआई बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 'बैंका एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर किए. फोटो में दाएं से बाएं: श्री हेमंत भार्गव, प्रबंध निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम, श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आईडीबीआई बैंक तथा श्री बी. वेणुगोपाल, प्रबंध निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम.

IDBI Bank & Life Insurance Corporation of India (LIC) signed BANCA Agreement. (Right to Left) Shri Hemant Bhargava, MD, LIC, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, IDBI Bank and Shri B. Venugopal, MD, LIC.

श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा उप प्रबंधक निदेशकगण श्री के. पी. नायर और श्री जी. एम. यादवाडकर तथा कार्यपालक निदेशकगण श्री जी. ए. तड़स और श्री आई. एस. कालरा की उपस्थिति में एक कार्यनिष्पादन प्रणाली 'आईपेस' का शुभारंभ किया गया.

Inauguration of 'iPACE' - a Performance Management System - by Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, in the presence of DMDs, Shri K. P. Nair and Shri G. M. Yadwadkar and EDs, Shri G. A. Tadas and Shri I. S. Kalra.

जेएनबीआईएफ, हैदराबाद में आयोजित बैंक की संगोष्ठी 'संकल्प-स्केलिंग न्यू हाइट्स' के दौरान स्टाफ को संबोधित करते हुए कार्यपालक निदेशक डॉ. एस.एस. बॅनर्जी.

Dr. S. S. Banerjee, ED, addressing staff during the Bank's Conclave *'Sankalp-Scaling New Heights'* held at JNIBF, Hyderabad.

कुछ प्रमुख गतिविधियां

Some Major Events

श्री सुरेश खटनहार, कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बिल्डिंग, बेलापुर में केंद्रीकृत स्विफ्ट सेल (सीएससी) का उद्घाटन करते हुए.

Shri Suresh Khatanhar, ED, inaugurating Centralised SWIFT Cell (CSC) at IDBI Building, Belapur.

कार्यपालक निदेशक श्री वी. नारायणमूर्ति तथा श्री पी. के. दास मुंबई में आयोजित ग्राहक जागरूकता बैठक में ग्राहकों के साथ चर्चा करते हुए.

EDs, Shri V. Narayanamurthy and Shri P. K. Das, interacting with customers at Customer Awareness Meet held at Mumbai.

आईडीबीआई बैंक ने एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) द्वारा आयोजित भारतीय भाषा पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत अपनी हिंदी पत्रिका 'विकास प्रभा' के लिए तीन पुरस्कार (दो रजत और एक कांस्य) जीते.

IDBI Bank won three prizes (two silver and one bronze) for its Hindi publication *'Vikas Prabha'* under Indian Language Publication Category organised by Association of Business Communicators of India (ABCI).

आईडीबीआई बैंक ने श्री बी. पी. कानूनगो, उप गवर्नर, आरबीआई से राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्टता अवार्ड 2017 प्राप्त किया.

IDBI Bank received Special Award at National Payments Excellence Awards 2017 from Shri B. P. Kanungo, Deputy Governor, RBI.

मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष, केरल को आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों के अंशदान का चेक सौंपते हुए उप प्रबंध निदेशक श्री के. पी. नायर.

Shri K. P. Nair, DMD, handing over the cheque of IDBI Bank employees' contribution to the Chief Minister's Distress Relief Fund, Kerala.

डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के रूप में बैंक के कार्यनिष्पादन के लिए एनएसडीएल स्टार परफॉर्मर अवार्ड 2018 ग्रहण करते हुए श्रीमती माया चक्रवर्ती, मुख्य महा प्रबंधक (दायें से तीसरी). बैंक को नए खाते खोलने के लिए (पीएसयू-बैंक श्रेणी) शीर्ष परफॉर्मर चुना गया.

Smt. Maya Chakravorty, CGM, (third from right), receiving the NSDL Star Performer Award 2018 in recognition of the Bank's performance as depository participants. The Bank was conferred as Top Performer in New Accounts Opened (PSU – Bank Category).

पुरस्कार एवं सम्मान

पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अटल पेंशन योजना अभिदान के लिए चलाई गई अंतर-बैंक प्रतियोगिता में बैंक को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए *'लीडरशिप कैपिटल'* पुरस्कार प्राप्त हुआ.

डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के लिए मुंबई में आयोजित एनएसडीएल स्टार परफॉर्मर पुरस्कार 2018 में नए खाते खोलने (पीएसयू-बैंक श्रेणी) के लिए शीर्ष परफॉर्मर पुरस्कार प्रदान किया गया.

त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका *'विकास प्रभा'* को भारतीय भाषा पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) के तीन पुरस्कार (दो रजत और एक कांस्य) प्राप्त हुए. इसके अलावा *'विकास प्रभा'* को प्रतिष्ठित साहित्यक और सांस्कृतिक संस्था *'आशीर्वाद'* द्वारा गृह पत्रिका के लिए श्रेठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया.

मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से रुपे कार्ड, एनएफएस एटीएम नेटवर्क, यूपीआई / आईएमपीएस और एनएसीएच के संबंध में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ.

'स्ट्रेट थ्रू' ऑनलाइन भुगतान और भुगतान संदेशों की गुणवत्ता की प्रोसेसिंग में परिचालनगत दक्षता के लिए यूएस डॉलर भुगतान हेतु स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) श्रेणी में सिटी बैंक और ड्यूश बैंक से 'कार्य-निष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार' प्राप्त हुआ.

Awards and Accolades

Received the *'Leadership Capital'* award in recognition of the superlative performance of the Bank in interbank contest for Atal Pension Yojana (APY) subscriptions run by The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) at a ceremony held at New Delhi.

Conferred Top Performer Award in New Accounts Opened (PSU - Bank Category) at the NSDL Star Performer Awards 2018 held at Mumbai for Depository Participants.

Conferred with three Awards (two Silver and one Bronze) by Association of Business Communicators of India (ABCI) in Indian Language Publication category for in-house quarterly Hindi Magazine, *'Vikas Prabha'*. Also, conferred with Best In-House Magazine citation from *'Ashirvad'* - a renowned literary and cultural organisation for *'Vikas Prabha'*.

Received a Special Award from National Payment Corporation of India (NPCI) in recognition of excellent performance in RuPay Card, NFS ATM Network, UPI/IMPS & NACH at National Payments Excellence Awards ceremony held at Mumbai.

Received *'Performance Excellence Awards'* from Citi Bank and Deutsche Bank in the Straight Through Processing (STP) category for US Dollar payments for operational efficiency in processing 'Straight Through' online payments and quality of payment messages.

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने कारोबार तथा परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

भारत की आर्थिक विकास दर कृषि और सेवा क्षेत्र में मंदी के कारण गत वर्ष की तुलना में, 2018-19 में धीमी रही. यद्यपि भारत की आर्थिक गतिविधि में गिरावट के कारणों में आंशिक रूप से घरेलू कारकों जैसे कि मानसून में कमी और असमानता, खपत और निवेश की मांग में मंदी के साथ-साथ वैश्विक अस्थिरता ने भी समग्र विकास की गति को प्रभावित किया. भारत की विकास गाथा में बैंक अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि बैंक किसी भी अन्य स्रोत की तुलना में बड़े पैमाने पर ऋण वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत बने रहे हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, अन्य सुधारात्मक उपायों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, दिवाला और शोधन अक्षमता कोड के अंतर्गत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान जैसे अन्य उपाय बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आरंभ किए गए. इन उपायों से बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार और तदनंतर अर्थव्यवस्था में ऋण बढ़ोतरी की उम्मीद है. यद्यपि ये उपाय बैंकों को उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने में सक्षम बना रहे हैं, इससे संबंधित बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन में समग्र बदलाव कुछ अंतराल पश्चात् दिखाई देगा. इस संदर्भ में आपके बैंक के कार्यनिष्पादन पर दृष्टि डालना अत्यंत महत्वपूर्ण है.

वित्तीय विशेषताएं

यथा 31 मार्च 2019 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमशः ₹ 2,27,372 करोड़ तथा ₹ 1,46,790 करोड़ रहे. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं तालिका 1 में दी गई हैं:

तालिका 1 : प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

	यथा 31 मार्च 2018 की स्थिति	यथा 31 मार्च 2019 की स्थिति
पूंजी	3,083.86	7,736.30
रिज़र्व और अधिशेष	18,125.87	29,875.40
जमाराशियां	2,47,931.61	2,27,371.72
उधार राशियां	63,185.53	45,287.72
अन्य देयताएं और प्रावधान	17,758.85	10,013.35
कुल देयताएं	**3,50,085.72**	**3,20,284.49**
नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	13,163.69	12,730.47
बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	20,522.40	8,503.23
निवेश	91,606.06	93,072.63
अग्रिम	1,71,739.94	1,46,790.43
अचल और अन्य आस्तियां	53,053.63	59,187.73
कुल आस्तियां	**3,50,085.72**	**3,20,284.49**
इस अवधि में	**2017-18**	**2018-19**
कुल आय	30,040.11	25,371.53
कुल व्यय (प्रावधान छोड़कर)	22,130.90	21,319.41
प्रावधान (कर छोड़कर)	20,501.74	26,879.29
कर - पूर्व लाभ / (हानि)	(12,592.53)	(22,827.17)
कर के लिए प्रावधान*	(4,354.61)	(7,710.87)
कर पश्चात् लाभ / (हानि)	(8,237.92)	(15,116.30)

** वर्तमान आयकर और आस्थगित आयकर को घटाकर*

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक की कुल आय ₹ 25,372 करोड़ रही जिसमें ₹ 22,071 करोड़ की ब्याज आय और ₹ 3,300 करोड़ की अन्य आय शामिल है. ₹ 21,319 करोड़ के कुल व्यय (प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं को छोड़कर) में ब्याज व्यय ₹ 16,166 करोड़ और परिचालनगत व्यय ₹ 5,154 करोड़ शामिल है.

बैंक के कॉरपोरेट लोन पोर्टफोलियो में निरंतर दबाव के चलते आपके बैंक का कुल प्रावधान बढ़ गया. प्रावधानों में अनर्जक आस्तियों, बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों तथा निवेशों के लिए प्रावधान के प्रति ₹ 25,747 करोड़ की राशि शामिल है. इसके परिणामस्वरूप आपके बैंक को वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 15,116 करोड़ की निवल हानि हुई.

यद्यपि हानि के कारण वर्ष के दौरान प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) ऋणात्मक रहा, मार्च 2019 के अंत में प्रति शेयर बही मूल्य (अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) ₹ 14.40 रहा. हानि को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफ़ारिश नहीं की है.

यथा 31 मार्च 2019 को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या (हानि) में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या (हानि) के % रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5
मूल: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	97.09	37,611.70	(101.00)	(15,116.30)
सहायक संस्थाएं:				
भारतीय:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि.	0.81	314.91	0.00	0.26
2. आईडीबीआई इंटेक लि.	0.15	56.34	0.06	8.84
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि.	0.28	108.09	(0.03)	(4.34)
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	0.00	1.47	0.00	0.04
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	0.54	207.37	0.25	37.51
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित	0.25	96.98	0.11	16.99
सहायक कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.51
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉज़िटरी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.19	28.78
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.09	13.92
4. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल)*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम (आनुपातिक समेकन के अनुसार / इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.13	438.06	0.43	63.73
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100	38,737.94	(100.00)	(14,967.04)
विलोपन	(1.01)	(391.23)	(0.13)	(19.71)
निवल कुल	98.99	38,346.71	(100.13)	(14,986.76)

*पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, अत: उपर्युक्त में सूचना का समेकन नहीं किया गया है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल के निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया है.

आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के दौरान उत्पन्न हुई हों

बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं नहीं हैं जो बैंक के वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2019 और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख के दौरान उत्पन्न हुई हों.

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता से संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3) (i) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में यह दर्शाया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में क्या बैंक के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणाली उपलब्ध है तथा क्या ऐसे नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता है. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) (i) में संदर्भित आईएफसी से आशय वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी-एफआर) से है. बैंक का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में बैंक में स्थापित उन मानदंडों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आईएफसी-एफआर के लेखापरीक्षण पर वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए बनाए गए हैं. इन जिम्मेदारियों में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन व निर्वहन शामिल हैं, जो बैंक की नीतियों के अनुपालन, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम व पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता और सक्षमता तथा कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 व पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी करने सहित अपने कारोबार के नियमानुसार व प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे.

आपके बैंक ने मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए आईएफसी-एफआर रूपरेखा तैयार की है और सभी कारोबार वर्टिकलों/विभागों के नियंत्रण की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण, प्रमाणन के अनुपालन के वैधीकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में बैंक में नियंत्रणों की उपयुक्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया है.

वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक की आईएफसी-एफआर रूपरेखा के अनुसार सभी अंतर्निहित प्रक्रियाओं के परीक्षण और वैधीकरण के पश्चात् परामर्शदाता ने जून 2018 से मार्च 2019 तक की तिमाहियों के लिए आंतरिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है.

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में उल्लेखनीय परिवर्तनों के विवरण (अर्थात् गत वर्ष की तुलना में 25% या अधिक बदलाव) तथा उन पर विस्तृत स्पष्टीकरण

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियमावली 2018, के अनुपालन के अनुसार बैंक के महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात नीचे दिये गए हैं:

विवरण	2017-18	2018-19	टिप्पणियां
औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ	(58.30%)	(155.20%)	मुख्यतः एनपीए पर अतिरिक्त प्रावधानों के कारण, वर्ष के लिए निवल हानि वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹ 8,237.92 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 15,116.30 करोड़ हो गयी है. निवल मालियत 31 मार्च 2018 के ₹ 12,031.01 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2019 को ₹ 11,140.35 करोड़ थी.
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	(2.46%)	(4.68%)	
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का %	27.95	27.47	कुल एनपीए प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹ 19,126.14 करोड़ से ₹ 3,266.10 करोड़ बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 22,392.24 करोड़ हो गए.
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए का %	16.69	10.11	
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने सहित)	63.40%	82.88%	
कुल जमाराशियों की तुलना में कासा का प्रतिशत	37.15%	42.54%	कासा शेष 31 मार्च 2018 के ₹ 92,102.09 करोड़ की तुलना में बढ़कर यथा 31 मार्च 2019 को ₹ 96,730.41 करोड़ हो गया और कुल जमाराशियां 31 मार्च 2018 के ₹ 2,47,931.61 करोड़ की तुलना में घटकर यथा 31 मार्च 2019 को ₹ 2,27,371.72 करोड़ रह गयीं.

पूंजी पर्याप्तता

आपका बैंक बासेल-III ढांचे के पिलर-1 दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता का तिमाही आधार पर परिकलन करता है. यथा 31 मार्च 2019 को आपके बैंक की *'कुल पूंजी + पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)'* का अनुपात 11.58% रहा. इसी प्रकार आपके बैंक का *'सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1)+ सीसीबी'* अनुपात 7.375% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 8.91% रहा. यथा 31 मार्च 2019 को आपके बैंक का 'टियर 1 + सीसीबी' अनुपात 8.875% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 9.13% रहा.

आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर 2 मानदंडों के अनुरूप आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है. यह नीति बैंक को पिलर-1 में शामिल नहीं किए गए जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन करने और उनका परिमाण निर्धारित करने और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिमों का प्रबंध करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने में समर्थ बनाती है. दबाव परीक्षण पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक ने व्यापक दबाव परीक्षण की रूपरेखा तैयार की है. यह रूपरेखा आपके बैंक को असाधारण लेकिन संभाव्य घटनाक्रमों में अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए उचित अग्रसक्रिय रणनीति बनाने में सक्षम बनाती है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिस्थिति विश्लेषण और प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण को शामिल करते हुए इस रूपरेखा को मजबूत किया गया है. आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के अंतर्गत पिलर 3 अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटन नीति अपनाई है. तदनुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर प्रकटनों को बैंक की वेबसाइट पर रखा जाता है, जिससे उच्च स्तरीय पारदर्शिता का पता चलता है. आपका बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनगत जोखिम के लिए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना हेतु मूलभूत सांकेतिक दृष्टिकोण (बीआईए) और बाजार जोखिम के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का अनुकरण करता है.

कारोबार रणनीति

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने खुदरा- केंद्रित बैंक के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए रणनीतिक पहल की शुरुआत की है. इस ओर, बैंक की कारोबार रणनीति खुदरा आस्ति बही में वृद्धि के ज़रिए कम-लागत वाली जमाराशि के आधार को बढ़ाने और खुदरा आस्ति मिश्रण के संचयन से विकास करने पर केंद्रित थी. कासा और खुदरा जमाराशि आधार को बढ़ाने के उपायों से जमाराशियों की लागत को बढ़ने से रोकने में मदद मिली है. इसके अतिरिक्त, रिटेल, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) अग्रिमों में लगातार वृद्धि ने बैंक को जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) को कम करने में समर्थ बनाया है. इसी के साथ आपके बैंक ने सजगता के साथ अपने कॉरपोरेट फोर्टफोलियो को सीमित किया है जिससे इसे अपने कारोबार फोर्टफोलियो संमिश्र में जोखिम को और कम करने में मदद मिली है.

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बहुलांश शेयरों के अधिग्रहण के कारण आपके बैंक के लिए कारोबार के कई मार्ग खुल गए हैं. बैंक और एलआईसी अपनी शाखाओं, कार्यालयों तथा कार्यबल के सामूहिक नेटवर्क के माध्यम से पारस्परिक कारोबार सहयोग, विशेषकर बैंकाश्योरेंस, नकदी प्रबंधन एवं प्रीमियम वसूली सेवाएं, निवेश एवं सलाहकारी सेवाएं आदि जैसे विविध राजस्व सृजन के क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं.

इन सहक्रियाओं का लाभ उठाने के लिए आपके बैंक ने कारोबार में वृद्धि को गतिशील बनाए रखने हेतु समर्पित दलों का गठन किया है जिनकी निगरानी शीर्ष प्रबंधन द्वारा की जाती है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने अपने सभी ग्राहकों हेतु एक ही स्थान पर बैंकिंग और बीमा सेवाओं की सुविधा के लिए आवश्यक कारोबार साधन भी तैयार किए हैं.

ग्राहक केंद्रित बैंक के रूप में बैंक अपनी क्षमताओं को, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में, बढ़ाता रहा है. डिजिटलीकरण बैंक की रणनीति की एक प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि यह ग्राहकों को बड़े स्तर पर सुविधा प्रदान करने और बैंक की परिचालनगत क्षमता को बढ़ाने में सहायक है. आपका बैंक अपने ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) और बिज़नेस इंटेलीजेंस क्षमताओं को अधिक मजबूत करने का प्रयास कर रहा है जिससे ग्राहकों की पसंद को बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिलेगी तथा जिसके परिणामस्वरूप लक्षित बिक्री को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा आपका बैंक भारत सरकार के पीएसबी सुधार एजेंडे के प्रति, जिसका उद्देश्य त्वरित पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) प्राप्त करना है, प्रतिबद्ध है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है.

व्यापार संवर्धन संबंधी आवश्यक कदम उठाने के अतिरिक्त, बैंक ने अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए सकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाना जारी रखा है. इसके लिए आपके बैंक ने संग्रहण और वसूली वार रूम स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए, अपने लक्ष्य के अनुरूप, संग्रहण और वसूली के प्रति सकेंद्रित और त्वरित प्रयास करेगा. इसके अलावा आपका बैंक और अधिक गिरावट से बचने के लिए तथा अग्रिमों की गहन निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए समय-पूर्व चेतावनी प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया में है.

इन रणनीतिक प्रयासों को मजबूती प्रदान करते हुए स्थायी विकास पथ सुनिश्चित करने के लिए बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सक्रियता के साथ फिर से लागू कर रहा है. इसी के साथ मुख्य विनियामकीय/ नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तथा इसके परिणामस्वरूप सभी अंशधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक मजबूत अनुपालन संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहा है.

मुख्य कारोबारी पहल-कार्य

रिटेल सकेंद्रित बैंक की कारोबार रणनीति के अनुरूप स्वयं को स्थापित करते हुए आपके बैंक ने अपने विविध ग्राहक आधार को व्यापक उत्पाद और सुविधाएं प्रदान करने के उपायों की शुरुआत की है. विकसित होते उद्योग के रुझानों, विनियामकीय परिदृश्य और ग्राहक की पसंद को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने नए उत्पादों को लागू करना और वर्तमान उत्पाद को अद्यतित करना जारी रखा. इसके अतिरिक्त आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को विविध मूल्य योजित उत्पाद एवं सेवाएं भी प्रदान की हैं जिनमें उनके जोखिम प्रोफाइल और वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है. एलआईसी द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप आपके बैंक ने एलआईसी के कर्मचारियों, एजेंटों और सहायक संस्थाओं की निवेश जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार किए गए उत्पाद प्रकारों को भी आरंभ किया है.

आपका बैंक 1,892 शाखाओं, 3,700 एटीएम और 58 ई-लाउंज के नेटवर्क के माध्यम से अपने ग्राहकों की सेवा करता है. बैंकिंग को और अधिक सुविधाजनक बनाने और अपने ग्राहकों की जरूरतों को शामिल करते हुए आपके बैंक ने डिजिटल सेवाओं की व्यापक श्रृंखला भी प्रदान की.

निर्बाध डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के डिजीधन मिशन के अनुरूप आपके बैंक ने सभी डिजिटल उत्पाद संबंधी पूछताछ के लिए संपर्क हेतु एक एकल केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक शाखा में एक अधिकारी को *'डिजिटल गुरु'* के रूप में पदनामित किया है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र खंड को प्रोत्साहित करने के महत्व को स्वीकारते हुए आपका बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) देने में सक्रियता के साथ योगदान करता रहा है तथा ऐसा करके आरबीआई के अधिदेश का अनुपालन करता है. आपका बैंक उचित और पारदर्शी तरीके से वहनीय लागत पर समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय उत्पाद और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित कराते हुए समावेशी विकास के उद्देश्य को सक्रियता से आगे बढ़ाता रहा है. सटीक वित्तीय उत्पाद प्रदान करने तथा प्रौद्योगिकी के गहन प्रयोग द्वारा अपनी पहुँच का विस्तार करने के अलावा, आपके बैंक ने समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय साक्षरता पर भी बल दिया है. आपका बैंक अपने कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) नेटवर्क का लाभ उठाकर अपने कारोबार को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में फैलाने का प्रयास कर रहा है जिससे वित्तीय समावेशन के साथ-साथ बैंक के पीएसएल कारोबार को बल मिल सके.

आपका बैंक पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर अपने 39 श्रेणी बी प्राधिकृत डीलर व्यापार वित्त (टीएफ) केंद्रों और 177 नामित रिटेल टीएफ शाखाओं के माध्यम से अपने व्यापार वित्त कारोबार का संचालन करता है. वर्ष के दौरान आपके बैंक को तेल और गैर-तेल लेनदेन हेतु भारतीय रुपये में इंडो-ईरान व्यापार निपटान में सौदे के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ. आपके बैंक के सतत डिजिटल रूपांतरण के एक भाग के रूप में लेनदेन की प्रक्रिया प्रवाह के स्वचालन के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कई आईटी पहल कार्य किए गए हैं जिनका उद्देश्य सुरक्षा नियंत्रण उपायों को बढ़ाना और साथ ही परिचालनगत दक्षता और उत्पादकता में सुधार लाना है.

आपका बैंक केंद्र और राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतानों के प्रबंधन के लिए उनके एजेंट के रूप में भी कार्य करता है. आपका बैंक केंद्र सरकार के करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), सरकारी प्राप्तियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के ऑनलाइन संग्रहण तथा लघु बचत योजनाओं की पेशकश करने और केंद्र सरकार के पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत है.

अपनी नकदी प्रबंधन सेवाओं (सीएमएस) के एक भाग के रूप में आपका बैंक वसूली और भुगतानों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है. आपका बैंक भारतीय रेलवे की ई-किराया भुगतान प्रणाली में भाग लेने के लिए प्राधिकृत है. आपका बैंक भारत बिल भुगतान (बीबीपीएस) के माध्यम से जनोपयोगी सेवा बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए भी प्राधिकृत है.

आपके बैंक ने अपने कई महत्वपूर्ण आईटी हार्डवेयर प्रणालियों को अद्यतित करने और उनकी मरम्मत पर विशेष बल दिया है तथा अपनी आस्तियों को बढ़ाने हेतु दीर्घावधि निवेश के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है ताकि नियोजित हार्डवेयर द्वारा कारोबारी जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके. इसके अलावा निर्बाध ग्राहक सेवा और उत्कृष्ट प्रयोक्ता अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए आपका बैंक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष को अपना रहा है. आपके बैंक ने विविध उन्नत सुरक्षा समाधान इंस्टाल कर उद्योग-व्यापी सुरक्षा चिंताओं पर भी ध्यान दिया है.

विश्लेषण परिचालित बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपके बैंक ने सही समय पर सही उत्पाद उपलब्धता के द्वारा अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स (सीओई) फॉर डेटा एनालिटिक्स की स्थापना की है.

आपके बैंक ने वर्तमान प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के अपने उद्देश्य के एक भाग के रूप में प्रक्रियाओं की पहचान करने और उन्हें डिजिटल करने का प्रयास किया तथा इसके द्वारा सेवा सुपुर्दगी बेहतर करने के साथ ही इससे संबंधित लागत को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में कार्य किया.

आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति है जो समाज के कल्याण के प्रति अर्थपूर्ण योगदान के लिए बैंक के रुझान को दर्शाती है. आपका बैंक अपनी विभिन्न संलिप्तताओं के माध्यम से समाज के लिए दीर्घावधि सामाजिक और आर्थिक मूल्य सृजन के लक्ष्य रखता है.

वर्ष के दौरान किए गए बैंक के पहल कार्यों के विस्तृत ब्योरे वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिए गए हैं.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, आपके बैंक के संस्था अंतर्नियम के प्रावधानों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) में उल्लिखित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं द्वारा अभिशासित है. बोर्ड, बैंक के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में संकेंद्रित अभिशासन प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही बोर्ड की विभिन्न गठित समितियों के माध्यम से कार्य करता है. एलआईसी द्वारा 51% नियंत्रक शेयरों के अधिग्रहण के बाद आपके बैंक के बोर्ड का पुनर्गठन संस्था अंतर्नियम के संशोधित नियम 116(1) के अनुसार और साथ ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए के अनुपालन में किया गया है. बैंक के संशोधित संस्था अंतर्नियमों के अनुसार निदेशक मंडल में 15 सदस्य शामिल हैं जिनमें एलआईसी के अध्यक्ष बैंक के गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में, एमडी एवं सीईओ और एलआईसी द्वारा नामित दो डीएमडी, एलआईसी के एक आधिकारिक नामिती निदेशक, भारत सरकार के दो नामिती निदेशक और एक महिला निदेशक सहित आठ स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं.

31 मार्च 2019 को आपके बैंक के बोर्ड में तेरह निदेशक थे जिनमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ), दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), तीन गैर-कार्यपालक निदेशक और सात स्वतंत्र निदेशक थे. बोर्ड में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री के. पी. नायर तथा श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशकगण पूर्णकालिक निदेशक के रूप में, श्री पंकज जैन तथा श्री सुधीर श्याम, केंद्र सरकार के सरकारी नामिती और श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, डॉ. आशिमा गोयल, श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, श्री समरेश परिडा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल और श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल थे. बोर्ड में 13 (तेरह) निदेशकों की वर्तमान संख्या संस्था के अंतर्नियम के अंतर्नियम 114(ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है.

शीर्ष समितियां

आपके बैंक के कारोबार और परिचालन के विभिन्न कार्य पहलुओं की देख-रेख करने के लिए बोर्ड की कुल चौदह समितियां हैं. बोर्ड की समितियों में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, कार्यपालक समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, अंशधारक संबंध समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, वसूली समीक्षा समिति, जोखिम प्रबंध समिति, स्वतंत्र निदेशक समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति, ग्राहक सेवा समिति, इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति शामिल हैं.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन की बेहतर पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक की यह मान्यता है कि प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ विनियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बल्कि हितधारकों के मूल्य में वृद्धि के लिए एक सुसाध्यकारक भी है. आपके बैंक में अपनाई जा रही कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिनांक 22 दिसंबर 2015 की अपनी अधिसूचना के ज़रिये बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण के आधार पर सूचीबद्ध 500 शीर्ष कंपनियों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कारोबार दायित्व (बीआर) रिपोर्ट का समावेशन अनिवार्य कर दिया है. कारोबार दायित्व रिपोर्ट में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन परिप्रेक्ष्य में आरंभ किए गए पहल-कार्यों का वर्णन होना चाहिए. बैंक की कारोबार दायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर प्रदर्शित की गई है.

लाभांश वितरण नीति

आपके बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित लाभांश वितरण नीति है जो बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर प्रदर्शित की गई है.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत कथन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक की सेवा में ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे ₹1.02 करोड़ से अधिक वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष के किसी हिस्से के लिए ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे प्रतिमाह ₹8.50 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष अथवा उसके किसी हिस्से के दौरान ऐसा कोई कार्मिक नियुक्त नहीं किया गया जिसे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक द्वारा आहरित कुल पारिश्रमिक की दर से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो और जिसके पास स्वयं अथवा जिसके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ मिलाकर बैंक के 2% इक्विटी शेयर से अधिक शेयर धारित हों.

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत विवरण-शीर्ष 10 कर्मचारियों का ब्योरा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त पारिश्रमिक के अनुसार बैंक के शीर्ष दस कर्मचारियों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	प्राप्त पारिश्रमिक (₹)	नियोजन की प्रकृति, यह संविदागत है अथवा अन्य प्रकार का है	कर्मचारी की अर्हताएं और अनुभव	नियोजन शुरू करने की तारीख	कंपनी में आने से पूर्व ऐसे कर्मचारी द्वारा धारित पिछला नियोजन	ऐसे कर्मचारी की आयु
1	श्री उमेश जैन	मुख्य महा प्रबंधक	42,11,622	स्थायी कर्मचारी	एम.टेक., सीएआईआईबी, बिजनेस फाइनेंस में डिप्लोमा, एम.डी.बी.ए 31 वर्ष 2 माह	17 मार्च 1988	वोल्टास लिमिटेड	59 वर्ष 11 माह
2	श्रीमती माया चक्रवर्ती	मुख्य महा प्रबंधक	38,67,042	स्थायी कर्मचारी	बी.एससी. (इंजीनियरिंग), एम.एम.एस. सी.एफ.ए. 25 वर्ष 9 माह	17 अगस्त 1993	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	53 वर्ष 11 माह
3	श्री राजीव कुमार	मुख्य महा प्रबंधक	37,60,017	स्थायी कर्मचारी	बी.टेक., एम.बी.ए., सीएआईआईबी 25 वर्ष 8 माह	17 सितंबर 1993	भारतीय स्टेट बैंक	56 वर्ष 5 माह

क्र. सं.	नाम	पदनाम	प्राप्त पारिश्रमिक (₹)	नियोजन की प्रकृति, यह संविदागत है अथवा अन्य प्रकार का है	कर्मचारी की अर्हताएं और अनुभव	नियोजन शुरू करने की तारीख	कंपनी में आने से पूर्व ऐसे कर्मचारी द्वारा धारित पिछला नियोजन	ऐसे कर्मचारी की आयु
4	श्री कृष्णन श्रीनिवासन	महा प्रबंधक	37,15,869	स्थायी कर्मचारी	बी.कॉम., आईसीडब्ल्यूए (इंटर), सीएआईआईबी 34 वर्ष 5 माह	17 दिसंबर 1984	मोडेला वूलन्स लिमिटेड	58 वर्ष 2 माह
5	श्री के. आर. मुरली मोहन	मुख्य महा प्रबंधक	37,08,185	स्थायी कर्मचारी	बी.कॉम., सीएआईआईबी 31 वर्ष	27 मई 1988	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	60 वर्ष
6	श्री सुनित सरकार	मुख्य महा प्रबंधक	36,98,482	स्थायी कर्मचारी	बी.टेक., आईसीडब्ल्यूए, सीएआईआईबी, बिजनेस प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 25 वर्ष 8 माह	1 सितंबर 1993	ईएसएबी इंडिया लिमिटेड	52 वर्ष 9 माह
7	श्री शंकर वी.	महा प्रबंधक	36,85,908	स्थायी कर्मचारी	बी.एससी., एम.डी.बी.ए., पी.जी.डी.एफ.एम., जेएआईआईबी 34 वर्ष 8 माह	24 सितंबर 1984	नाबार्ड	56 वर्ष 9 माह
8	श्री स्वपन कुमार बागची	मुख्य महा प्रबंधक	36,77,071	स्थायी कर्मचारी	अन्वेषण भूभौतिकी में एम.एससी., एम.टेक., पी.जी.डी.एम., सीएआईआईबी 25 वर्ष 4 माह	25 जनवरी 1994	परफेक्ट कंप्यूटर्स लिमिटेड और इसके बाद स्वनियोजित	59 वर्ष 3 माह
9	श्री नागराज गारला	मुख्य महा प्रबंधक	36,31,806	स्थायी कर्मचारी	बी.कॉम., एम. कॉम., एमबीए, आईसीडब्ल्यूए (इंटर), सीएआईआईबी 19 वर्ष 3 माह	17 फरवरी 2000	दि वैश्य बैंक लिमिटेड	50 वर्ष 1 माह
10	श्री कृष्णेंदु बैनर्जी	मुख्य महा प्रबंधक	35,71,071	स्थायी कर्मचारी	एम.ए., जेएआईआईबी 31 वर्ष 6 माह	2 नवंबर 1987	भारतीय स्टेट बैंक	58 वर्ष 5 माह

टिप्पणियां:

1. *ऊपर सूचीबद्ध कोई भी कर्मचारी यथा 31 मार्च 2019 को बैंक की चुकता पूंजी के 2 % अथवा उससे अधिक का धारक नहीं है.*
2. *ऊपर सूचीबद्ध कोई भी कर्मचारी बैंक के किसी निदेशक का रिश्तेदार नहीं है.*

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा व्यय

क) ऊर्जा संरक्षण

बैंक द्वारा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में शुरू किए गए विभिन्न पहल कार्य निम्नानुसार हैं:

- बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई और सीबीडी-बेलापुर, नवी मुंबई में स्थित एनेक्स इमारत में ऊर्जा की खपत कम करने के लिए सभी पारंपरिक बिजली के फिक्सचर को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट फिक्सचर / लैम्प/ ट्यूबों से बदल दिया गया है. ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए केबिन की लाइटों को नियंत्रित करने हेतु ऑक्युपेंट सेंसर का प्रयोग किया गया है.
- प्रधान कार्यालय, मुंबई और सीबीडी-बेलापुर, नवी मुंबई में स्थित एनेक्स इमारत में परिवर्तनशील आवृत्ति ड्राइव के साथ लिफ्टें इंस्टॉल की गई हैं.
- प्रधान कार्यालय, मुंबई और सीबीडी-बेलापुर, नवी मुंबई में स्थित एनेक्स इमारत में एसी के लिए ऊर्जा दक्ष स्क्रू चिलर इंस्टॉल किए गए हैं.
- सीबीडी-बेलापुर, नवी मुंबई में स्थित एनेक्स इमारत में सामान्य लाइटिंग के लिए सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं. जवाहरलाल नेहरू बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद में सोलर पैनल की स्थापना का कार्य प्रगति पर है.
- जेएनआईबीएफ कैंपस में सोलर वाटर हीटर स्थापित किए गए हैं.
- उपर्युक्त के अलावा, बैंक अपनी सभी नई परियोजनाओं और मौजूदा परिसरों के नवीकरण में जल एवं ऊर्जा बचत के उपाय अपना रहा है. इसके अतिरिक्त, नई शाखा की फर्निशिंग की तथा पुरानी शाखा के स्थान बदलने की प्रक्रिया में ऊर्जा बचत के उद्देश्य से एलईडी लाइट फिक्सचर का प्रयोग किया जा रहा है.

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन

आपका बैंक आधुनिकतम प्रौद्योगिकी-आधारित नवोन्मेषी कार्यों की पूरी सक्रियता के साथ संवीक्षा कर उनका समावेशन कर रहा है. इनसे कारोबारी कामकाज को सशक्त बनाने, अपने ग्राहकों को सुखकर अनुभव देने तथा भावी अवसरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्परता बरतने में मदद मिलेगी. आपके बैंक द्वारा हाल ही में शुरूकिए गए प्रौद्योगिकी-आधारित सुधार कार्यों में डीसी/ डीआर ड्रिल की केंद्रीय स्तर पर ऑटोमेशन व निगरानी के लिए समाधान लागू करना; बैंक के सुरक्षा परिदृश्य को मजबूती देने के लिए उद्यम स्तर पर प्रॉक्सी समाधान लागू करना और एक्टिव डायरेक्टरी (एडी) व सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) का उन्नयन करना; भावी कारोबार संवृद्धि के लिए निजी क्लाउड आर्किटेक्चर के तहत क्षमता में वृद्धि करना; तथा ऋण का एकबारगी निपटान करने व अन्य पक्ष वित्तीय लिखतों में काउंटर पर ही निवेश करने जैसी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना शामिल है. आपके बैंक ने ग्राहकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नए *'ऑल इन वन'* मोबाइल बैंकिंग एप्प की शुरुआत कर डिजिटल फुट प्रिंट/ टच पॉइंट बढ़ाए हैं.

जहां आपके बैंक ने नई गिरावट को रोकने के लिए समयपूर्व चेतावनी सिग्नल प्रणाली (ईडबल्यूएस) और उधार से जुड़ी प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन के लिए ऑनलाइन ऋण समीक्षा प्रणाली जैसे विभिन्न समाधानों का कार्यान्वयन पहले ही शुरू कर दिया है, वहीं बैंक उद्यमी डीएलपी व डाटा वर्गीकरण समाधान, हनीपॉट समाधान, एंडपॉइंट और एनक्रिप्शन के लिए बैकअप समाधान तथा आंतरिक खतरों से बचने के लिए डीडीओएस प्रिवेंशन टूल जैसे कई सुरक्षा संबंधी पहल कार्य लागू कर रहा है. बैंक आने वाले समय में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लेने के लिए चैट बॉट्स / वॉइस बॉट्स, ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी, एपीआई लेयर इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबेटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जैसे नवोदित प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन कर उनका समावेशन कर रहा है. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बैंक द्वारा किए गए अन्य पहल कार्यों का ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

ग) विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन एवं व्यय

वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा ₹ 53.38 करोड़ की विदेशी मुद्रा का अर्जन (डेरिवेटिव में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह एवं विदेशी मुद्रा विनिमय लेन-देनों को छोड़कर) तथा परिचालन व पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए कुल ₹ 87.16 करोड़ की विदेशी मुद्रा का व्यय किया गया.

भारतीय रिज़र्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

आपके बैंक की उच्च निवल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और आस्तियों पर ऋणात्मक प्रतिलाभ (आरओए) को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2017 के अपने पत्र के ज़रिए आपके बैंक के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) शुरू कर दी. बैंक इस संबंध में रिज़र्व बैंक के निदेशों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता रहा है. बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए रूपांतरण की एक व्यापक रणनीति भी बनाई है. इसके साथ-साथ, रिज़र्व बैंक द्वारा नये कॉरपोरेट एक्सपोजर देने पर प्रतिबंध के संबंध में जारी निदेशों के अनुपालन के क्रम में बैंक ने अपनी आंतरिक क्रेडिट नीति की समीक्षा की है और यह अपने कॉरपोरेट एक्सपोजर को सीमित करने की दिशा में काम कर रहा है.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करता है कि:

क. वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है. साथ ही तात्विक रूप से अनुसरण न किये गये मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है.

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं एवं अनुमान लगाए हैं जो लेखा वर्ष के अंत में आपके बैंक की स्थिति और इसी अवधि में आपके बैंक के लाभ अथवा हानि की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए यथोचित तथा विवेकपूर्ण हैं.

ग. निदेशकों ने आपके बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए विनियामक प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है.

घ. निदेशकों ने चालू कार्यशील संस्था आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं.

ङ. निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा कि ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

च. निदेशक मंडल ने लागू सभी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं तथा कि ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं.

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), अन्य सभी सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी है. निदेशक मंडल विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/ संस्थाओं से समय-समय पर मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. बोर्ड अपने सभी निष्ठावान शेयरधारकों और ग्राहकों का भी वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है और भविष्य में भी उनसे सतत सहयोग की अपेक्षा करता है. निदेशक मंडल अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और बैंक के प्रति उनकी वचनबद्धता का अत्यधिक सम्मान करता है.

[जी. एम. यादवाडकर]
उप प्रबंध निदेशक

[राकेश शर्मा]
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई 2019

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors is pleased to present the Report on its Business and Operations for the financial year ended March 31, 2019.

India's economic growth decelerated in 2018-19 as compared to the previous year on account of slowdown in agriculture and services sector. While deceleration in the economic activity in India was partly on account of domestic factors such as deficient and uneven monsoon, muted consumption and investment demand, among others, global volatilities also impacted the overall growth momentum. Banks play a major role in India's growth story as they continue to remain the major source of debt funding by a large margin compared to any other source. Taking this into consideration, various reform measures such as recapitalisation of public sector banks, resolution of stressed assets under the Insolvency and Bankruptcy Code, among other measures, were initiated to strengthen the banking sector. These measures are expected to improve the financial health of banks and subsequently lead to credit off-take in the economy. While these measures are enabling banks to improve their financial position, the overall turnaround in the banking sector performance will be realised with a lag. It is crucial to view the performance of your Bank in this context.

Financial Highlights

As on March 31, 2019, your Bank's aggregate deposits and advances touched ₹ 2,27,372 crore and ₹ 1,46,790 crore, respectively. Your Bank's business highlights for the period under review are presented in Table 1:

Table 1: Key Financials

(In ₹ crore)

	As on March 31, 2018	As on March 31, 2019
Capital	3,083.86	7,736.30
Reserves & Surplus	18,125.87	29,875.40
Deposits	2,47,931.61	2,27,371.72
Borrowings	63,185.53	45,287.72
Other Liabilities & Provisions	17,758.85	10,013.35
Total Liabilities	**3,50,085.72**	**3,20,284.49**
Cash & Balances with RBI	13,163.69	12,730.47
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	20,522.40	8,503.23
Investments	91,606.06	93,072.63
Advances	1,71,739.94	1,46,790.43
Fixed & Other Assets	53,053.63	59,187.73
Total Assets	**3,50,085.72**	**3,20,284.49**
For the period	**2017-18**	**2018-19**
Total Income	30,040.11	25,371.53
Total Expenses (other than provisions)	22,130.90	21,319.41
Provisions (other than tax)	20,501.74	26,879.29
Profit/ (Loss) Before Tax	(12,592.53)	(22,827.17)
Provision for Tax*	(4,354.61)	(7,710.87)
Profit/ (Loss) After Tax	(8,237.92)	(15,116.30)

** Net of Current Income Tax and Deferred Income Tax*

During the year under review, your Bank's total income amounted to ₹ 25,372 crore, comprising interest income of ₹ 22,071 crore and other income of ₹ 3,300 crore. Interest expenses stood at ₹ 16,166 crore and operational expenses at ₹ 5,154 crore, accounting for total expenditure of ₹ 21,319 crore (excluding provisions and contingencies).

Total provisioning of your Bank increased in view of continued stress in the Bank's corporate loan portfolio. The provisions include ₹ 25,747 crore towards provision for non-performing assets, bad debts written-off and investments. As a result, your Bank incurred a net loss of ₹ 15,116 crore during FY 2018-19.

While the Earnings per Share (EPS) during the year was negative due to the losses, the Book Value per Share (excluding intangible assets) stood at ₹ 14.40 per Share as at end-March 2019. In view of the losses incurred, the Board of Directors have not recommended any dividend for the year.

Report on the Performance and Financial Position of Subsidiaries and Joint Venture included in the Consolidated Financial Statement as on March 31, 2019

Name of the entity	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or (loss)	
	As % of consolidated net assets	Amount (In ₹ crore)	As % of consolidated profit or (loss)	Amount (In ₹ crore)
1	2	3	4	5
Parent : IDBI Bank Ltd.	97.09	37,611.70	(101.00)	(15,116.30)
Subsidiaries:				
Indian:				
1. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	0.81	314.91	0.00	0.26
2. IDBI Intech Ltd.	0.15	56.34	0.06	8.84
3. IDBI Asset Management Ltd.	0.28	108.09	(0.03)	(4.34)
4. IDBI MF Trustee Company Ltd.	0.00	1.47	0.00	0.04
5. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.54	207.37	0.25	37.51
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Minority Interests in all subsidiaries	0.25	96.98	0.11	16.99
Associates (Investment as per the equity method)				
Indian:				
1. Biotech Consortium India Ltd.	NA	NA	0.00	0.51
2. National Securities Depository Ltd.	NA	NA	0.19	28.78
3. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	NA	NA	0.09	13.92
4. Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd. (PIPDICL)*	NA	NA	NA	NA
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Joint Venture (as per proportionate consolidation/ investment as per the equity method)				
Indian:				
1. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	1.13	438.06	0.43	63.73
Foreign:	NA	NA	NA	NA
TOTAL	100	38,737.94	(100.00)	(14,967.04)
Elimination	(1.01)	(391.23)	(0.13)	(19.71)
Net Total	98.99	38,346.71	(100.13)	(14,986.76)

*- In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements and transaction details from the company hence information not consolidated in the above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

Material changes and commitments, if any, affecting financial position of IDBI Bank which have occurred during the end of financial year and the date of Board Report.

There are no material changes and commitments affecting the financial position of the Bank which have occurred between the end of the financial year of the Bank, i.e. March 31, 2019 and the date of the Directors' Report.

The details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the financial statements.

According to Section 143(3)(i) of the Companies Act 2013, w.e.f. Financial Year 2015-16, the report of the Statutory Auditors shall state whether the Bank has adequate Internal Financial Control (IFC) system in place and the operating effectiveness of such controls, in the context of the financial statements. IFCs as referred to in Section 143(3)(i) of the Companies Act relates to Internal Financial Controls Over Financial Reporting (IFC-FR). The Bank's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of IFC-FR issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Your Bank has put in place an IFC-FR Framework for evaluation of the existing internal financial controls system and appointed a Consultant for validating the compliances with respect to the documentation, certification, reporting process of the controls across all business verticals/ departments and ascertaining the adequacy and effectiveness of the controls in the Bank in all material respects with respect to financial reporting.

During 2018-19, the Consultant submitted the Internal Compliance Certificate for the quarters ended June 2018 to March 2019 after carrying out the testing and validation of all the underlying processes as per the Bank's IFC-FR framework.

Details of Significant changes (i.e. change of 25% or more as compared to the immediately previous financial year) in key financial ratios, along with a detailed explanation thereof, including:

In terms of compliance with the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations 2018, the key financial ratios for the Bank are as follows:

Particulars	2017-18	2018-19	Comments
Return on Average Net Worth	(58.30%)	(155.20%)	The Net Loss for the year has increased to ₹ 15,116.30 crore in FY 2018-19 from ₹ 8,237.92 crore in FY 2017-18 mainly on account of additional provisioning on NPAs. The Net Worth as on March 31, 2019 was ₹ 11,140.35 crore as against ₹ 12,031.01 crore as on March 31, 2018.
Return on Average Assets	(2.46%)	(4.68%)	
Gross NPA % to Gross Advances	27.95	27.47	Total NPA Provisions have increased by ₹ 3,266.10 crore from ₹ 19,126.14 crore for FY 2017-18 to ₹ 22,392.24 crore for FY 2018-19.
Net NPA % to Net Advances	16.69	10.11	
Provision Coverage Ratio (including Technical Write-offs)	63.40%	82.88%	
CASA to % of total deposits	37.15%	42.54%	CASA balance increased to ₹ 96,730.41 crore as on March 31, 2019 as against ₹ 92,102.09 crore as on March 31, 2018 and Total Deposits have reduced to ₹ 2,27,371.72 crore as on as on March 31, 2019 from ₹ 2,47,931.61 crore as on as on March 31, 2018.

Capital Adequacy

Your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks as prescribed under the Pillar 1 guidelines of the Basel III framework on a quarterly basis. Your Bank's *'Total Capital + Capital Conservation Buffer (CCB)'* ratio was 11.58% as on March 31, 2019. Similarly, your Bank's *'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB'* ratio was 8.91% as against the regulatory requirement of 7.375%. Your Bank's *'Tier 1 + CCB'* ratio stood at 9.13% as on March 31, 2019 as against the regulatory requirement of 8.875%.

Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered under Pillar 1 as well as to develop appropriate strategies to manage and mitigate risks under normal and stressed conditions. In line with the RBI's guidelines on stress testing, your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework. This framework enables your Bank to assess its performance under exceptional but plausible events and facilitates appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies. The framework has been strengthened during the period under review by inclusion of scenario analysis and reverse stress testing. Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms. Accordingly, disclosures as at the end of each quarter are hosted on your Bank's website, thereby exhibiting high degree of transparency. Your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk for computation of capital charge, Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk and Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital requirement for market risk.

Business Strategy

During the year, your Bank embarked on a strategic initiative to position itself as a retail-focused bank. Towards this end, the business strategy of the Bank was focussed on driving growth through accretion of a low-cost deposit base and granular asset mix through growth in retail asset book. Measures to enhance CASA and retail deposit base has aided in containing the cost of deposits. Additionally, augmenting growth in Retail, Agri and MSME (RAM) advances has enabled the Bank to reduce its Risk Weighted Assets (RWA). Simultaneously, your Bank consciously restricted its corporate portfolio, thereby furthering the process of de-risking its business portfolio mix.

The majority stake acquisition by Life Insurance Corporation of India (LIC) has opened up several business avenues for your Bank. The Bank and LIC, through its collective network of branches, offices and workforce, have been leveraging on the mutual business synergies, especially in various revenue generating areas such as bancassurance, cash management and premium collection services, investment and advisory services, among others.

To capitalise on these synergies, your Bank has created dedicated teams, overseen by the top management, to drive its business growth. Additionally, your Bank has also put in place necessary business enablers to bring the convenience of banking and insurance services at one stop for all its customers.

As a customer-centric bank, the Bank is scaling up its capabilities, especially in Information Technology (IT). Digitalisation is a prominent feature of your Bank's strategy as it would help in ensuring greater degree of customer convenience as well as enable your Bank to enhance its operational efficiency. Your Bank is making efforts to further strengthen its Customer Relationship Management (CRM) and business intelligence capabilities that will help in better understanding of customer preferences and thereby, provide an impetus to targeted sales. Furthermore, your Bank remains committed to the Government of India's PSB Reforms Agenda aimed at Enhanced Access and Service Excellence (EASE) and is taking necessary steps towards its implementation.

In addition to putting in place necessary business enablers, the Bank continues to remain focussed on improving its asset quality. Towards this end, your Bank has set up a Collection & Recovery War Room to bring focused and accelerated efforts towards collection and recovery in consonance with the Bank's objective to drive improvement in its asset quality. Furthermore, your Bank is in the process of putting in place Early Warning Signals to ensure close monitoring of advances to preclude further slippages.

Underpinning these strategic endeavours, the Bank is proactively reinforcing its risk management practices to ensure a stable growth path. Simultaneously, the Bank is fostering a robust compliance culture to meet key regulatory/ policy objectives and consequently, protect interest of all stakeholders.

Key Business Initiatives

In line with the business strategy of positioning itself as a retail-focussed bank, your Bank has initiated measures to broad-base the products and services offering to its diversified customer base. Your Bank continued to introduce new products and upgraded its existing products to cater to the evolving industry trends, regulatory landscape and customer preferences. Additionally, your Bank also offered various value-added products and services to its customers, keeping in view their risk profile and financial goals. Subsequent to stake acquisition by LIC, your Bank has also introduced specially designed product variants to cater to the banking and investment requirements of employees, agents and subsidiaries of LIC.

Your Bank served its customers through its network of 1,892 branches, 3,700 ATMs and 58 e-lounges. The Bank also extended a wide range of digital offerings to make banking more convenient and inclusive to the needs of its customers.

In line with the Government's DigiDhan Mission of promoting seamless digital payments, your Bank has designated one officer from every retail branch as '*Digital Guru*' to act as a single point of contact for all digital product related queries.

Acknowledging the significance of promoting the priority sector segment, your Bank has been actively contributing to Priority Sector Lending (PSL), thereby also adhering to the RBI's mandate. Your Bank has also been proactive in furthering the national objective of inclusive growth by ensuring access to financial products and services to the vulnerable sections of the society at affordable cost in a fair and transparent manner. Apart from offering appropriate financial products and expanding its reach by making intensive use of technology, your Bank also placed emphasis on financial literacy to ensure an inclusive and holistic growth. Your Bank leveraged the Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) network to increase penetration in rural and semi-urban areas to ensure greater financial inclusion as also provide an added impetus to its PSL business.

Your Bank conducts its Trade Finance (TF) business through its 39 Category B Authorised Dealer TF centres and 177 designated retail TF branches in various locations pan-India. During the year, your Bank got approval from the GoI for dealing in Indo-Iran trade settlements in Indian Rupee for both oil and non-oil transactions. As part of your Bank's ongoing digital transformation, various IT initiatives have been taken during the year under review to automate the process flow of transaction with a view to enhance security control measures as well as to improve operational efficiency and productivity.

Your Bank also acts as an agent for Central and State Governments to manage their receipts and payments. Your Bank is authorised to collect Central Government taxes (direct and indirect), Goods & Services Tax (GST), Government receipts, online collection for Employee Provident Fund Organisation (EPFO) and Employee State Insurance Corporation (ESIC), offer Small Saving Schemes and extend facility to submit Life Certificate for Central Government pensioners digitally, among others.

Your Bank offers a wide array of collection and payment products as part of its Cash Management Services (CMS). Your Bank is authorised to participate in e-freight payment system of Indian Railways. Your Bank is also authorised to facilitate utility bill payments through Bharat Bill Payment (BBPS).

Your Bank has laid special emphasis on the upgrade and overhaul of many of its critical IT hardware systems and committed long-term investments in enrichment of its assets to ensure that the deployed hardware meets the business needs. Furthermore, your Bank is also embracing technological innovation to ensure seamless customer service and highest level of user experience. Your Bank has also responded to the industry-wide information security concerns by installing various high-end security solutions.

In order to promote analytics driven sales, your Bank has setup a Centre of Excellence (COE) for Data Analytics with the objective of achieving higher customer wallet share by delivering the right product at the right time.

Your Bank strived to identify and digitise activities as part of its objective to automate the existing processes, and thereby, enhance service delivery as well as rationalise related costs.

Your Bank has a Board-approved CSR policy which underscores the Bank's inclination to make a meaningful contribution towards the welfare of the society. Your Bank, through its various interventions, aims to create long-term social and economic value for the society.

The detailed description of the Bank's initiatives undertaken during the year is outlined in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

Board of Directors

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of corporate governance, as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [LODR Regulations]. The Board functions directly as well as through various board committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas of the Bank. Post-acquisition of 51% controlling stake by LIC, the Board of your Bank has been reconstituted in accordance with the amended Article 116(1) of the Articles of Association and is also in compliance with section 10A of the Banking Regulation Act, 1949. The Board of Directors, as per the amended Articles of Association of the Bank, includes 15 members with the Chairman of LIC as Non-Executive Non Whole-Time Chairman of the Bank, MD & CEO and two DMDs nominated by LIC, one Official Nominee Director of LIC, two Nominee Directors of GOI and eight Independent Directors including one Woman Director.

As on March 31, 2019, the Board comprised of thirteen Directors, including Managing Director and CEO (MD & CEO), two Deputy Managing Directors (DMDs), three Non-Executive Directors and seven Independent Directors. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri K. P. Nair & Shri G. M. Yadwadkar, DMDs as Whole Time Directors; Shri Pankaj Jain & Shri Sudhir Shyam, Central Government official Nominees and Shri Rajesh

Kandwal, LIC Nominee Director, as Non-Executive Directors; Shri Gyan Prakash Joshi, Dr. Ashima Goyal, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal and Shri Sanjay Gokuldas Kallapur as Independent Directors constituted the Board. The present strength of 13 (thirteen) Directors on the Board meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association.

Apex Committees

The Board has a total of fourteen committees to oversee various functional areas of your Bank's business and operations. The Board committees include Audit Committee of the Board, Executive Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, HR Steering Committee, Frauds Monitoring Committee, Recovery Review Committee, Risk Management Committee, Independent Directors' Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Non-Cooperative Borrowers' Review Committee, Customer Service Committee, Wilful Defaulters' Review Committee and Information Technology Strategy Committee.

Corporate Governance

Your Bank is committed to adoption of best corporate governance practices. It believes that effective corporate governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for enhancement of stakeholders' value. The details of your Bank's corporate governance practices are given in this Annual Report as a separate section under Corporate Governance Report.

Business Responsibility Report

The Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide its notification dated December 22, 2015, has mandated the inclusion of Business Responsibility (BR) Report as part of the Annual Report for Top 500 listed entities based on market capitalisation at BSE and NSE. The BR Report should describe initiatives taken by the listed entity from an environmental, social and governance perspective. The Bank's Business Responsibility Report has been hosted on the website of the Bank (www.idbibank.in).

Dividend Distribution Policy

Your Bank has a Board-approved Dividend Distribution Policy which is hosted on the website of the Bank (www.idbibank.in).

Statement under Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

There were no personnel in your Bank's services, during the financial year under review, who received remuneration of over ₹ 1.02 crore annually. Besides, there were no personnel in the service of the Bank for a part of the year who received remuneration in excess of ₹ 8.50 lakh per month. Further, there was no personnel employed throughout the financial year or part thereof who was in receipt of remuneration at a rate, which in the aggregate, was in excess of that drawn by Managing Director & CEO or Deputy Managing Director of the Bank and who held by himself or along with his spouse and dependent children, not less than 2% of the equity shares of the Bank.

Statement under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 for year ended March 31, 2019 – Details of Top Ten Employees

The statement indicating details of top ten employees of the Bank in terms of remuneration drawn during FY 2018-19 is as follows:

Sr. No.	Name	Designation	Remuneration received (₹)	Nature of employment, whether contractual or otherwise	Qualifications and experience of the employee	Date of commencement of employment	The last employment held by such employee before joining the company	The age of such employee
1	Shri Umesh Jain	CGM	42,11,622	Confirmed Employee	M.Tech., CAIIB, Diploma in Business Finance, M.D.B.A. 31 yrs. 2 months	17-Mar-1988	Voltas Ltd.	59 yrs 11 months

Sr. No.	Name	Designation	Remuneration received (₹)	Nature of employment, whether contractual or otherwise	Qualifications and experience of the employee	Date of commencement of employment	The last employment held by such employee before joining the company	The age of such employee
2	Smt. Maya Chakravorty	CGM	38,67,042	Confirmed Employee	B.Sc. (Engg), M.M.S., C.F.A. 25 yrs. 9 months	17-Aug-1993	Oil & Natural Gas Commission	53 yrs 11 months
3	Shri Rajeev Kumar	CGM	37,60,017	Confirmed Employee	B.Tech., M.B.A., CAIIB 25 yrs. 8 months	17-Sep-1993	State Bank of India	56 yrs 5 months
4	Shri Krishnan Srinivasan	GM	37,15,869	Confirmed Employee	B.Com., ICWA (Inter), CAIIB 34 yrs 5 months	17-Dec-1984	Modella Woollens Ltd.	58 yrs 2 months
5	Shri K. R. Murali Mohan	CGM	37,08,185	Confirmed Employee	B.Com., CAIIB 31 yrs	27-May-1988	Indian Overseas Bank	60 yrs
6	Shri Sunit Sarkar	CGM	36,98,482	Confirmed Employee	B.Tech., ICWA, CAIIB, Post Graduate Diploma in Business Management 25 yrs 8 months	1-Sep-1993	ESAB India Ltd.	52 yrs 9 months
7	Shri Shankar V.	GM	36,85,908	Confirmed Employee	B.Sc., M.D.B.A., P.G.D.F.M., JAIIB 34 Yrs. 8 months	24-Sep-1984	NABARD	56 yrs 9 months
8	Shri Swapan Kumar Bagchi	CGM	36,77,071	Confirmed Employee	M.Sc. in Exploration Geophysics, M.Tech., P.G.D.M., CAIIB 25 yrs 4 months	25-Jan-1994	Perfect Computers Ltd. and then Self Employed	59 yrs 3 months
9	Shri Nagraj Garla	CGM	36,31,806	Confirmed Employee	B.Com., M.Com., MBA, ICWA (Inter), CAIIB 19 yrs 3 months	17-Feb-2000	The Vysya Bank Ltd.	50 yrs 1 month
10	Shri Krishnendu Banerjee	CGM	35,71,071	Confirmed Employee	M.A., JAIIB 31 yrs 6 months	2-Nov-1987	State Bank of India	58 yrs 5 months

Notes:

1. *None of the employees listed above hold 2% or more of the paid-up share capital of the Bank as at March 31, 2019.*
2. *None of the employees listed above is a relative of any director of the Bank.*

Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and Outgo

a) Conservation of Energy

Various initiatives taken by Bank towards conservation of energy are as follows:

- All conventional light fixtures at the Head Office, Mumbai and Annexe building at CBD-Belapur, Navi Mumbai have been replaced with energy efficient LED light fixtures/ lamps/ tubes to save power consumption. Occupant sensors have been used to control cabin lighting to save power consumption.
- Lifts with variable frequency drive have been installed at the Head Office, Mumbai and Annexe building at CBD-Belapur, Navi Mumbai.
- Energy efficient screw chillers have been installed for air-conditioning at Head Office, Mumbai and Annexe building at CBD-Belapur, Navi Mumbai.
- Solar panels have been installed to cater to common lighting at Annexe building at CBD-Belapur, Navi Mumbai. Installation of solar panels is in progress at Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF), Hyderabad.
- Solar water heaters are installed at the JNIBF campus.

In addition to the above, the Bank is adopting water and energy conservation measures in all its new projects and renovation of existing premises. Further, LED light fixtures are being used for power saving in the new branch furnishing and old branch relocation process.

b) Technology Absorption

Your Bank has been proactively scrutinising and absorbing the latest technology-based innovations which have potential to empower its business functions, enrich its customer experience and optimise its readiness towards opportunities and challenges of the future. A few technology-driven reforms adopted recently by your Bank include deployment of solutions for automation and monitoring of DC/ DR drills from centralised consoles, implementation of enterprise-level proxy solution and upgrades to the Active Directory (AD) and Security Operations Centre (SOC) to strengthen the security posture of the Bank, enhancement of capacity under the private cloud architecture to adequately provide for future business growth, and digitisation of processes like one-time settlement of debt and over-the-counter investments in third party financial instruments aimed at ease of business. Your Bank has also taken steps to increase digital foot-prints/ touch-points by introducing new *'All in one'* mobile banking app for giving various services to customers.

While your Bank has already embarked upon implementation of various solutions like Early Warning Signal System (EWS) to contain fresh slippages and an Online Loan Review System for automation of the lending related processes, the Bank is also in the process of implementing many security initiatives like Enterprise DLP and Data Classification Solution, Honeypot Solution, Backup Solution for endpoints and encryption, Distributed Denial-of-Service (DDoS) prevention tool to protect internal threats etc. The Bank is also evaluating and exploring the absorption of nascent technologies like Chat Bots/ Voice Bots, Block Chain Technology, API Layer Integration, Artificial Intelligence and Robotic Process Automation to its competitive advantage in the near future. Details of other initiatives taken in the Information Technology ecosphere have been provided in the Management Discussion & Analysis section of this Annual Report.

c) Foreign Exchange Earnings and Outgo

During the year, the total foreign exchange earned by the Bank was ₹ 53.38 crore (excluding foreign currency cash flows in derivatives and foreign currency exchange transactions) and the total foreign exchange outgo was ₹ 87.16 crore towards the operating and capital expenditure requirements.

RBI's Prompt Corrective Action (PCA)

The RBI, vide its letter dated May 05, 2017, initiated PCA for your Bank in view of its high net Non-Performing Assets (NPA) and negative Return on Assets (ROA). The Bank has been taking necessary actions to comply with the RBI's directive in this regard. The Bank has also put in place a comprehensive turnaround strategy to improve its financial position. Furthermore, in compliance with the RBI directive with regard to restriction on fresh corporate exposure, the Bank has reviewed its internal credit policy and has been working towards limiting its corporate exposure.

Directors' Responsibility Statement

The Board of Directors, hereby, declares and confirms that:

a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b. The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

Your Bank's Board of Directors is sincerely grateful to the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), all other statutory/ regulatory authorities and Life Insurance Corporation of India (LIC) for their valuable cooperation and guidance. The Board also acknowledges, with gratitude, the co-operation and support received from various State Governments and other banks/ financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their support. The Board takes this opportunity to put on record its deep sense of gratitude to its loyal shareholders and customers for extending their support during the year, and looks forward to their continued association in the years ahead. The Board appreciates the sincere and devoted services rendered by its entire staff and highly values their commitment towards the Bank.

[G. M. Yadwadkar]
Deputy Managing Director

[Rakesh Sharma]
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: May 30, 2019

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

कारोबारी परिवेश

उभरते व्यापार तनाव, वित्तीय तंगी तथा कुछ उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में आर्थिक विकास में आई नरमी के चलते कैलेंडर वर्ष 2018 में वैश्विक विकास की गति मंद रही. यही रुझान कैलेंडर वर्ष 2019 में भी जारी रहने की संभावना है. कुछ प्रमुख ईएमडीई में आर्थिक विकास की गति कम हो जाने व गहराते व्यापारिक तनाव और वित्तीय बाजार के दबावों के चलते कैलेंडर वर्ष 2019 में वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. जहां कुछ प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने अपनी नीतिगत दरों में यथास्थिति बनाए रखते हुए सजीव रुख अपनाया है, वहीं प्रत्याशित मंदी के साथ-साथ व्यापारिक तनाव का भी वैश्विक निवेशक के रुख पर असर पड़ेगा.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार देशी मोर्चे पर भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2017-18 की 7.2% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6.8% रही, जो विगत पाँच वर्ष में सबसे कम है. क्षेत्र-वार विश्लेषण से यह पता चलता है कि भले ही उद्योग जगत में वर्ष के दौरान तेजी आई, लेकिन कृषि व सेवा क्षेत्र की मंदी ने कुछ हद तक इस गति पर पानी फेर दिया और इस प्रकार समग्र विकास की रफ्तार में मंदी ही आई.

वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि में कई अनुकूल कारणों से पुनः उछाल आने की संभावना है. सरकार के जारी रहने के कारण सुधार के उपायों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो निवेश और उपभोग गतिविधियों को गति प्रदान करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. इस प्रकार भारत में आर्थिक विकास को गति मिलेगी. जहां भारत की आर्थिक संवृद्धि को वैश्विक विकास और व्यापार में आई मंदी और वैश्विक वित्तीय बाजार की प्रत्याशित अस्थिरता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, वहीं आर्थिक सुधार के उपाय कुछ हद तक इन कारकों का असर कम करने में प्रभावी सिद्ध हो सकेंगे.

कारोबार समीक्षा

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपनी रणनीतिक प्राथमिकता के तहत कॉरपोरेट ऋण सहायता को सीमित कर आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाते हुए अपने पोर्टफोलियो में रिटेल और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का सम्मिश्र रखने पर जोर दिया. अपने रणनीतिक प्रयासों के तहत बैंक ने जमाराशियों की लागत कम करने का लक्ष्य रखते हुए अल्प-लागत जमाराशि आधार हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया. आपके बैंक ने रिटेल, कृषि और एमएसएमई (रैम) आस्ति बही, जोकि बहुविध प्रकृति के हैं, को बढ़ाने के लिए प्रयास किए. दूसरी ओर कॉरपोरेट आस्ति बही में सोच समझकर वृद्धि को सीमित किया ताकि बहुविध आस्ति सम्मिश्र हासिल हो सके. इन रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कुछ नई पेशकश आरंभ की गईं और मौजूदा पेशकशों में ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर कुछ नए फीचर जोड़े गए. बैंक अपने ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) और कारोबार आसूचना क्षमताओं को भी बेहतर कर रहा है ताकि ग्राहकों की पसंद समझते हुए लक्षित बिक्री अभियान चलाए जा सकें.

बैंक के रणनीतिक प्रयासों को तब और भी बल मिला, जब जनवरी 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इसका प्रमोटर बन गया. एलआईसी द्वारा बैंक की बहुलांश शेयरधारिता हासिल करने से उत्पन्न पारस्परिक सहक्रिया दोनों ही संस्थाओं के लिए बैंकाश्योरेंस, नकदी प्रबंधन व प्रीमियम कलेक्शन सेवाएं, निवेश व सलाहकार सेवाएं सरीखे भावी कारोबार के कई द्वार खुल गए हैं. आपके बैंक ने इन राजस्व उत्पन्न करने वाले कारोबार क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए आपसी सहयोग के क्षेत्र तय करने व रणनीति बनाने के लिए समर्पित टीमें तैयार की हैं.

चूंकि बैंक की कारोबार रणनीति में ग्राहक को केंद्र में रखा गया है, इसलिए बैंक अपने भौतिक नेटवर्क के साथ-साथ डिजिटल/ वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकताएँ पूरी कर रहा है ताकि ग्राहकों को निर्बाध सेवाओं का अनुभव देना सुनिश्चित किया जा सके. यथा 31 मार्च 2019 को आपके बैंक के नेटवर्क में 1892 शाखाएँ शामिल थीं जिनमें पूरे भारत में महानगरीय केंद्रों में 432 शाखाएँ, शहरी केंद्रों में 464 शाखाएँ, अर्ध शहरी केंद्रों में 585 शाखाएँ तथा ग्रामीण केंद्रों में 409 शाखाएँ (255 वित्तीय समावेशन शाखाओं सहित), दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), दुबई में एक समुद्रपारीय शाखा, गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (जीआईएफटी) में एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) तथा 3,700 एटीएम और 58 ई-लाउंज शामिल थे. मौजूदा अर्थव्यवस्था में डिजिटल व्यवस्था के बढ़ते महत्व को देखते हुए बैंक ने अपनी प्रक्रियाओं और सुपुर्दगी चैनलों के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी है ताकि ग्राहकों को किसी भी समय और कहीं भी लेनदेन करने में सुविधा हो सके.

कारोबार संवृद्धि जारी रखने के अलावा बैंक आस्ति गुणवत्ता के सुस्त पड़े मामलों का उपचार करने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है, साथ ही आगे चलकर बेहतर आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यवस्थाएँ भी लागू कर रहा है. बैंक अधिकतम वसूली करने और गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) के उन्नयन के लिए सभी उपलब्ध विधिक व विनियामक संसाधनों का आक्रामक रूप से प्रयोग कर रहा है. अपनी आस्ति गुणवत्ता में आगे किसी भी किस्म की गिरावट रोकने के लिए एक समर्पित संग्रहण व वसूली वार रूम की स्थापना की गई है ताकि संग्रहण और वसूली की दिशा में केंद्रित व तीव्रतर प्रयास किए जा सकें. इसके अलावा आपका बैंक शुरुआती चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था भी लागू कर रहा है ताकि अग्रिमों पर सूक्ष्म निगरानी रखते हुए उन्हें गिरावट से बचाया जा सके.

अपने सभी हितधारकों के मूल्यवर्धन के लिए स्थायी व लाभप्रद संवृद्धि सुनिश्चित करने हेतु बैंक अपने जोखिम प्रबंधन और कॉरपोरेट अभिशासन प्रक्रियाओं को मजबूत करने की पहल कर रहा है. आपके बैंक द्वारा लागू की गई विभिन्न नीतियाँ व दिशानिर्देश, सारगर्भित रूप में कॉरपोरेट अभिशासन और विनियामक अनुपालन के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित कर रही हैं. आपका बैंक रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में स्वयं को विश्वसनीय बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्यरत रहेगा.

रिटेल बैंकिंग

रिटेल देयता उत्पाद

अपने मौजूदा और भावी ग्राहकों के लिए बैंकिंग को और अधिक सुविधाजनक, समावेशी और उत्तरदायी बनाने के लिए आपके बैंक ने इस क्षेत्र के रुझानों, विनियामक परिदृश्य और ग्राहकों की अधिमान्यताओं में तेजी से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए नए बेहतर उत्पाद आरंभ करने के अलावा चालू खाता, बचत खाता और मीयादी जमा जैसे मौजूदा उत्पादों का उन्नयन जारी रखा.

आपके बैंक ने अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं की पहचान कर उनका डिजिटलीकरण कर दी जाने वाली सेवा में

सुधार करते हुए इससे जुड़ी लागतों को युक्तिसंगत किया.

लोक वित्तीय प्रबंध प्रणाली (पीएफएमएस) के अलावा आपके बैंक ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ भी सफलतापूर्वक समन्वय किया जोकि केंद्र व राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) व संबद्ध निकायों के लिए आम तौर पर वस्तु व सेवाएं हासिल करने के लिए संपूर्ण समाधान है.

एलआईसी और आपके बैंक के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने एलआईसी के कर्मचारियों, एजेंटों और सहायक संस्थाओं के लिए कई करंट व वेतन प्रोडक्ट विशेष रूप से तैयार किए गए.

एनआरआई सेवाएं

आपका बैंक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और मूलभूत अनिवासी बाह्य (एनआरई) खाता, अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाता तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियों से लेकर एफसीएनआर जमाराशियों पर वायदा रक्षा, भारतीय सेकंडरी शेयर बाजार में निवेश के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस), एनआरआई जमाराशियों की प्रतिभूति पर ओवरड्राफ्ट सुविधा, आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं जैसे वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का एक पूर्ण फलक प्रदान करते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है. बैंक ने एनआरआई ग्राहकों की सहूलियत बढ़ाने के लिए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी के आधार पर वेब-आधारित ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा आरंभ की है. आपका बैंक तीव्र, किफ़ायती और सुविधाजनक निधि अंतरण करने के लिए एनआरआई ग्राहकों को भारत में झंझट-रहित निधि प्रेषण के लिए कई विकल्प प्रदान करता है.

रिटेल आस्तियां

आपके बैंक ने अधिक संतुलित कारोबार संमिश्र को सुसाध्य बनाने के लिए बड़े रिटेल कारोबार पोर्टफोलियो को लक्षित करना जारी रखा. इसके अनुसरण में आपका बैंक वर्तमान में आवास ऋण, बंधक ऋण, वैयक्तिक ऋण, शिक्षा ऋण, ऑटो ऋण जैसे कई रिटेल आस्ति उत्पादों की श्रृंखला ऑफर करता है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक के संरचित रिटेल आस्ति (एसआरए) उत्पादों को 'सरल, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी' टैग लाइन के साथ 'सुविधा' के रूप में रि-ब्रैंड किया गया, जिससे बैंक को इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद मिल सकी. आपके बैंक के बहुविध विशिष्ट बिक्री प्रस्तावों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रिंट मीडिया में प्रचार अभियान चलाए गए.

आपके बैंक ने एलआईसी पॉलिसीधारकों, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेरोल ग्राहकों के लिए रियायती ब्याज दरों पर विशेष एसआरए उत्पाद शुरू करने जैसे कई पहल कार्य किए. आपके बैंक ने उच्चतर क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों के लिए वैयक्तिक ऋण और ऑटो ऋण पर रियायती ब्याज दर लगानी शुरू की. इसके अलावा आपके बैंक ने प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत कई आवास ऋण उधारकर्ताओं को सब्सिडी लाभ प्रदान करवाए तथा साथ ही सरकार की कार्यसूची के अनुरूप शैक्षणिक ऋण संवितरण के लक्ष्य भी प्राप्त किए. आवास ऋण के अंतर्गत ₹ 35 लाख तक के ऋणों के लिए न्यूनतम ब्याज दर ऑफर की गई ताकि आपके बैंक के ऋण प्रस्ताव भी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) के लिए संशोधित किए गए मानदंडों के अनुरूप किए जा सकें. त्वरित कार्यान्वयन समय (टीएटी) सुनिश्चित करने व उधारकर्ताओं को अपने ऋण आवेदनों की स्थिति पर निगाह रखने में मदद देने के लिए बैंक ने अपने एसआरए उत्पाद के लिए स्वचालित ऋण कार्रवाई प्रणाली (एएलपीएस) लागू की है.

क्रेडिट कार्ड

आपका बैंक विभिन्न नेटवर्क स्कीम के अंतर्गत पाँच क्रेडिट कार्ड वेरिएंट ऑफर करता है, जो इस प्रकार हैं: (क) रुपे स्कीम के तहत विनिंग्स सिलेक्ट; (ख) वीसा स्कीम के तहत रॉयल सिग्नेचर, एस्पायर प्लेटिनम और इम्पेरियम प्लेटिनम; तथा (ग) मास्टरकार्ड स्कीम के तहत यूफोरिया वर्ल्ड. उक्त कार्ड वेरिएंट विभिन्न ग्राहक खंडों को उनकी प्रोफाइल व आवश्यकता के आधार पर टैग किए जाते हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने बाजार में अपने क्रेडिट कार्ड की पैठ जमाने के लिए अपने चुनिंदा मौजूदा ग्राहकों को पूर्व-अनुमोदित क्रेडिट कार्ड ऑफर किए.

72वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष योजना आरंभ की गई, जिसके तहत आपके बैंक के क्रेडिट कार्डधारक 72 घंटों के लिए ₹720/- या इससे अधिक के प्रत्येक ई कॉमर्स लेन-देन के लिए 72 अतिरिक्त डिलाइट पॉइंट अर्जित कर सके. आपके बैंक ने अपने क्रेडिट कार्डों का अनुप्रयोग बढ़ाने और ग्राहक के मन में उस प्रोडक्ट की विशेष छवि बनाने के उद्देश्य से 'फेस्टिव डिलाइट' नामक एक ब्रैंड प्रॉपर्टी तैयार की है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 'फेस्टिव डिलाइट' अभियान के तहत दो अभियान चलाए, जिसके ज़रिये ग्राहक अतिरिक्त डिलाइट पॉइंट अर्जित कर सके. आपके बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को मर्चेन्ट डिस्काउंट के रूप में अतिरिक्त सुविधा भी ऑफर की.

डिजिटल बैंकिंग

आपका बैंक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के 'डिजि धन मिशन' के तहत डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस), डिजिटल पीओएस, इंटरनेट भुगतान गेटवे जैसे विभिन्न डिजिटल उत्पादों को प्रोत्साहित करने व इनका वितरण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. ग्राहकों की सुविधा के लिए व उन्हें जागरूक करने हेतु आपके बैंक ने प्रत्येक शाखा में एक अधिकारी को 'डिजिटल गुरु के रूप में नामित किया है जो डिजिटल उत्पाद संबंधी तमाम पूछताछ के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेंगे. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक में वार्षिकीकृत आधार पर डिजिटल लेनदेन में 42%, मोबाइल बैंकिंग आधार में 182% तथा डेबिट कार्ड ग्राहक आधार में 7% संवृद्धि देखी गई.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग एप्प 'गो मोबाइल +' में कार्ड रहित नकदी आहरण, एसएमएस के ज़रिए त्वरित पंजीयन, त्वरित ओटीपी आधारित सक्रियन, डेबिट कार्ड कंट्रोल, ग्रीन पिन जनरेशन, मीयादी जमा बुक करना, वित्तीय कैलक्युलेटर, फॉरेक्स कार्ड दर आदि नए फीचर जोड़ते हुए इसे अद्यतन किया. आपके बैंक ने एटीएम के सक्रिय रहने की अवधि और उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए रणनीतिक पहल कार्य किए तथा एटीएम को युक्तिसंगत करने के लिए भी कदम उठाए ताकि इंटरचेंज आय अधिकतम की जा सके. इसके अलावा आपके बैंक ने ईएमवी चिप कार्ड स्वीकारने व एटीएम में एंटी-स्किमिंग डिवाइस को चरणबद्ध रूप में लगाने जैसे विभिन्न बेहतर सुरक्षा उपाय लागू करना आरंभ कर दिया है. आपके बैंक ने विनियामक मानदंडों के अनुपालन के तहत सभी मेगस्ट्रिप कार्डों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ईएमवी चिप कार्ड के रूप में तब्दील कर दिया है. आपके बैंक ने ग्रीन पिन के रूप में कागजविहीन पिन जनरेट करने का एक समाधान आरंभ किया, जिसके तहत आईडीबीआई बैंक के डेबिट कार्डधारक एटीएम, आईवीआर, इंटरनेट बैंकिंग चैनल, एसएमएस और मिस्ड कॉल सुविधाओं के माध्यम से अपना डेबिट कार्ड पिन जनरेट कर सकते हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज कीं. भारत सरकार के 'डिजि धन मिशन' के तहत आपके बैंक ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत भीम क्यूआर डिजिटल मर्चेंट की ऑन-बोर्डिंग में लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त की. इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक दिनांक 28 फरवरी 2019 के अनुसार कुल 56 बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं में आपके बैंक को 9वां स्थान प्राप्त हुआ.

अन्य पक्ष उत्पाद तथा पूंजी बाजार उत्पाद

आपका बैंक अपने ग्राहकों के जोखिम प्रोफाइल तथा वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मूल्य-योजित उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करता है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विभिन्न अभियान चलाते हुए शुल्क आधारित आय बढ़ाने और स्वस्थ बिक्री संस्कृति का निर्माण करने पर विशेष जोर दिया. आपके बैंक ने भारत सरकार के बांड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बांड, सॉवरिन गोल्ड बांड स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इस विषयक सेवाएं भी प्रदान कीं.

फरवरी 2019 में आपके बैंक ने एलआईसी के एक अतिरिक्त बैंकाश्योरेंस पार्टनर के रूप में अपनी शाखाओं के ज़रिए एलआईसी के बीमा उत्पादों की क्रॉस सेलिंग के लिए एलआईसी के साथ कॉरपोरेट एजेंसी करार किया. आपके बैंक ने एक समर्पित बैंका पोर्टल पर एलआईसी के उत्पादों को सफलतापूर्वक एकीकृत किया. एलआईसी के बहुविध उत्पाद से आपके बैंक के सभी ग्राहकों को मूल्य-वर्धित प्रस्ताव मिल रहे हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक को नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की 33 वीं डीपी कॉन्फ्रेंस में पीएसयू बैंक श्रेणी के तहत सर्वाधिक नए डीमैट खाते खोलने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ.

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ती लागत पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने में नीति-निर्माताओं के साथ भागीदारी में तत्पर रहा है. बैंक की वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) वित्तीय समावेशन के लिए सुसंगठित और योजनाबद्ध नजरिया प्रदान करती है. आपका बैंक वित्तीय समावेशन के अजेंडे को तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् उपयुक्त वित्तीय उत्पाद ऑफर करने, प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग करने तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने पर केंद्रित करते हुए प्रवर्तित कर रहा है.

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

आपके बैंक ने भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात् दुर्घटना बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), जीवन बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा वृद्धावस्था पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सक्रिय रूप से भागीदारी की है.

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ)

आपके बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी पैठ जमाकर बेहतर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) देने के अपने कारोबार को समृद्ध करने के लिए कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) का नेटवर्क बढ़ाया है. बीसी (जिन्हें बैंक मित्र भी कहा गया है) के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें हैंड-हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए जिनमें रुपे कार्ड स्वीकार करने तथा आधार-आधारित लेनदेन करने की सुविधा दी गई है. इसके अतिरिक्त, कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं के कौशल को बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने देशभर में विभिन्न स्थानों पर सभी बीसी/ बीएफ के लिए गहन प्रशिक्षण सत्रों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया. इसके अलावा, आपके बैंक ने कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं को बैंकिंग लेनदेन करने तथा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर कार्य करने हेतु तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए कार्य पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया.

वित्तीय साक्षरता

प्रभावी वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता को एक आधारभूत आवश्यकता के रूप में निर्धारित किया गया है, क्योंकि यह लाभार्थियों को उन्हें उपलब्ध वित्तीय सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने में सक्षम बनाती है. आपके बैंक ने अपनी ग्रामीण शाखाओं में 'वित्तीय साक्षरता जानकारी केंद्र' नामक डेस्क स्थापित किए हैं जो विभिन्न बैंकिंग उत्पादों तथा भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में शाखा से बाहर आयोजित साक्षरता कैम्पों के ज़रिए आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं. आपके बैंक ने बैंक रहित/कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के बीच विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए हैं. आपके बैंक का महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित आईडीबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) भी ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है ताकि वे स्व-रोजगार हेतु सक्षम हो सकें.

अन्य पहल कार्य

आपका बैंक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ आधार नामांकन के लिए पंजीयक के रूप में पंजीकृत है. आपके बैंक ने केंद्रीय/राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष कल्याण योजनाओं में सक्रियता से सहभागिता की है. इसके अलावा आपका बैंक बीसी चैनल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण भी कर रहा है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंकिंग

आपका बैंक आरबीआई के अधिदेश के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) को उधार देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों, प्रत्यक्ष गैर-कॉरपोरेट कृषि (डीएएनसी) तथा लघु व सीमांत कृषकों (एसएफएमएफ) के वित्तपोषण पर ध्यान दिया. बैंक ने कॉरपोरेट कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) चैनल के माध्यम से अपनी पहुँच को बढ़ाने का प्रयास जारी रखा है.

भारत सरकार की योजनाओं/ निर्देशों के अनुसार आपका बैंक अनुसूचित जाति (अजा) अनुसूचित जनजाति (अजजा) सहित अल्पसंख्यक समुदायों एवं कमजोर वर्गों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया के तहत ऋण प्रदान करता रहा है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत मुख्य पहल कार्य

- स्वर्ण ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, (केसीसी) कृषि निवेश, सूक्ष्म उद्यम, एमएसएमई, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया आदि के तहत वित्तपोषण के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए.
- आपका बैंक 1 अक्तूबर 2018 से psbloansin59minutes.com नामक एक समर्पित पोर्टल पर लाइव हो गया है, जिसके द्वारा जीएसटी पंजीकृत उधारकर्ताओं को ₹ 1 करोड़ तक के एमएसएमई ऋण संपर्क रहित तरीके से मंजूर किए जाते हैं.
- आपके बैंक ने 27 जून 2018 को अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जिसमें विशेषीकृत शाखाओं द्वारा ग्राहकों से मुलाकात की गई

ताकि ग्राहक बैंक की सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में अपने विचार साझा कर सकें.

- आपके बैंक ने 2 जुलाई 2018 को महान चिकित्सक, डॉ. बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में तथा समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चिकित्सकों की स्मृति में चिकित्सक दिवस मनाया. आपके बैंक के अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं में बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए चिकित्सकों के साथ बैठकें आयोजित की गईं.
- आपके बैंक ने जोखिम वाले तरीके से उधार देने के लिए ₹ 0.1 करोड़ से ₹ 10 करोड़ तक की सीमा वाले एमएसएमई मामलों के लिए लागू सिबिल एमएसएमई रैंक (सीएमआर) की शुरुआत की है.
- आपके बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट प्लस सेवाएं शुरू की हैं जिससे उधारकर्ता सेवा प्रदाता की चुनिंदा शाखाओं के माध्यम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. (आईसीएमएस) और डन एवं ब्रैडस्ट्रीट की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं.
- आपके बैंक ने विशेषीकृत एमएसएमई शाखाओं के 20 शीर्ष ग्राहकों के लिए समर्पित संबंध प्रबंधकों की अवधारणा शुरू की है.
- आपके बैंक ने कुछ एमएसएमई क्लस्टरों की पहचान कर उन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जो बैंक के पीएसएल कारोबार को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे.
- आपके बैंक ने कार्रवाई में लगने वाले समय में तेजी लाने के लिए मौजूदा एप्लिकेशन फॉर्म और मूल्यांकन फॉर्मेट को सरल बनाया है.

कॉरपोरेट बैंकिंग

आपके बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो में बिजली, तेल व गैस, वस्त्र, दूरसंचार, सीमेंट, इस्पात, इंजीनियरिंग, निर्माण, कागज और कागज उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बिजली उपकरण, चीनी, रसायन, ऑटोमोबाइल, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर शामिल है.

कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए आपके बैंक के आस्ति उत्पाद समूह में मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी (निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित दोनों), निर्यातकों को पैकिंग ऋण, प्राप्य राशियों की खरीद, बिल भुनाई, आदि शामिल हैं. कॉरपोरेट बैंकिंग के अंतर्गत आपका बैंक डीलरों/कॉरपोरेट वेंडरों, आदि के लिए चैनल वित्तपोषण एवं वेंडर वित्तपोषण जैसे उत्पादों को ऑफर करते हुए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार पर पर्याप्त जोर देता है. आपके बैंक की कॉरपोरेट बैंकिंग टीम उपयुक्त उत्पाद विकसित करने तथा उपयुक्त समाधान के लिए रिटेल बैंकिंग, संव्यवहार बैंकिंग, ट्रेजरी आदि जैसी अन्य विशेषीकृत टीमों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ कर कार्य करती है ताकि कॉरपोरेट ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.

अपनी रूपांतरण योजना के अनुरूप आपका बैंक सोच-विचार कर अपनी कॉरपोरेट ऋण बही में वृद्धि को सीमित कर रहा है जिससे इसे कम पूंजी वाले कारोबार मॉडल में परिवर्तित होने में मदद मिलेगी तथा साथ ही इसके कारोबार पोर्टफोलियो में जोखिम कम हो सकेगा.

आस्ति गुणवत्ता

आपके बैंक ने नई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर नियंत्रण करना और मौजूदा क्षतिग्रस्त आस्तियों से वसूली पर जोर देना जारी रखा. मार्च 2019 के अंत में आपके बैंक की कुल आस्तियों में 72.53% अर्जक आस्तियां और 27.47% अनर्जक आस्तियां (जिसमें 11.26% अवमानक आस्तियां, 85.61.% संदिग्ध आस्तियां और 3.13% हानि आस्तियां शामिल हैं) थीं. मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रर्याप्त प्रावधान किये गए तथा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के साथ, बैंक ने प्रावधान कवरेज अनुपात को 31 मार्च 2018 के 63.40% से बढ़ाकर 31 मार्च 2019 में 82.88% कर दिया है.

वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त आस्तियों से 7,850.49 करोड़ रुपये की राशि की वसूली और उन्नयन किया गया जिसमें बैंक की अंतिम स्तर पर एनपीए राशि यथा 31 मार्च 2019 को 50,027.94 करोड़ रुपये हो सकी.

आपके बैंक ने रिटेल आस्ति पोर्टफोलियो में नपी-तुली संवृद्धि के लिए एक बहु-आयामी सक्रिय रणनीति तैयार की है, जिसके साथ बेहतर ऋण हामीदारी मानक बनाने और निगरानी करने, दबावों की जल्द पहचान करने तथा एनपीए के समाधान और वसूली जैसी बातें भी जोड़ी गई हैं. बैंक ने पॉलिसी दिशानिर्देशों की समीक्षा कर इनमें संशोधन किए हैं तथा आंकड़ों की समय पर उपलब्धता/ विश्लेषण आधारित गतिविधि के लिए उच्च मूल्य वाले खातों से वसूली के लिए प्रकरण विशेष हेतु रणनीति के साथ निगरानी व सुनियोजित समीक्षा करने के लिए तथा रिटेल एनपीए के संबंध में सतत् व समय पर कार्रवाई के लिए एमआईएस के इष्टतम उपयोग हेतु प्रणाली को विकसित/ मजबूत किया है.

आपके बैंक ने सकेंद्रित खाता विशेष आधारित समाधान कार्य-योजना और गहन निगरानी के लिए कॉरपोरेट एनपीए एकत्र करने हेतु आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने और ध्यान देने के लिए एनपीए प्रबंधन समूह नामक एक समर्पित वर्टिकल बनाया है. रिटेल खंड के एनपीए की निगरानी, पर्यवेक्षण करने और वसूली अभियान चलाने के लिए एनएमजी के भीतर वार रूम सहित एक समर्पित टीम का गठन किया गया है, जो रिटेल एनपीए में वसूली के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करती है. कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन मामलों के लिए एक समर्पित केंद्रित डेस्क की स्थापना की गई है, जिसने विभिन्न टीमों के फील्ड से जुड़े तथा विभिन्न जटिलताओं का सामना करने में आए अनुभवों को अंगीकार करते हुए व्यापक नजरिया प्रदान किया है.

आपके बैंक ने एकबारीय निपटान को मुद्रा का सामयिक मूल्य प्राप्त करने के साधन के रूप में एन्हेन्स्ड एक्सेस एण्ड सर्विस एक्सीलेंस (ईज़) कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 'ओटीएस प्रबंधन प्रणाली' शुरू की है. ओटीएस प्रबंधन प्रणाली बैंक की वेबसाइट के ज़रिए वसूली को ट्रैक करने सहित ओटीएस प्रस्ताव की प्रोसेसिंग को शुरू से अंत तक सक्षम बनाने के साथ ही ओटीएस आवेदन प्रस्तुति की सुविधा देती है. आपके बैंक ने तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों (टीडब्ल्यूओ)/ कम मूल्य के एनपीए के लिए भेदभाव रहित और हस्तक्षेप रहित ओटीएस योजना सफलतापूर्वक शुरू की है.

आपके बैंक ने लागू कानूनों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) के अधीन प्रवर्तन कार्रवाई, ऋण वसूली न्यायाधिकरण /न्यायालयों के साथ निरंतर फॉलो-अप को भी बनाए रखा जिसके लिए समर्पित विधि अधिकारी की नोडल अधिकारी के रूप में तैनाती शामिल है ताकि बिना किसी विलंब के वसूली प्रमाणपत्र/डिक्री प्राप्त की जा सके और उसका निष्पादन हो सके.

आपके बैंक ने 222 मामलों का वर्गीकरण इरादतन चूककर्ता के रूप में किया है तथा ऐसे उधारकर्ताओं/प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की पहल की है. 31 मार्च 2019 के अनुसार बैंक ने 8 मामलों में असहयोगी उधारकर्ताओं की घोषणा की है.

ऋण निगरानी समूह

ऋण निगरानी समूह (सीएमजी) की स्थापना दबाव के आरंभ होने की निगरानी, ऋण प्रशासन मानदंडों की निगरानी और संरचित ऋण की समीक्षा जैसे मुख्य उद्देश्यों के साथ मई 2017 में की गई थी.

सीएमजी विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) संभावित अनर्जक खातों (एनपीए) और नियमित खातों की पहचान करता है जो दबाव के संबंध में आरंभिक चेतावनी संकेत दर्शाते हैं. सीएमजी ने अत्यंत जोखिम वाले खातों की पहचान के लिए एक

आंतरिक भविष्य सूचक मॉडल विकसित किया है जो चुनिंदा खंडों में पूर्व-एसएमए स्तर पर भी इनकी पहचान कर सकता है. इन खातों में एनपीए के रूप में गिरावट को रोकने के लिए गहन अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी की गई है. सीएमजी के ऑनलाइन पोर्टल के पास आस्ति निगरानी टूल 'सजग' और 'एसएमए ऐक्शन ट्रैकर' है जो वास्तविक समय में शाखाओं को एसएमए, संभावित एनपीए, ईडब्ल्यूएस खातों, अत्यंत जोखिम वाले खातों तथा विचाराधीन ऋण प्रशासन मानदंडों (सीएपी) के विवरण प्रदान करता है. फील्ड स्टाफ द्वारा वसूली कार्रवाइयां एसएमए ऐक्शन ट्रैकर द्वारा कैप्चर की जाती हैं तथा सीएपी अद्यतन कार्रवाइयां 'सजग' द्वारा कैप्चर की जाती हैं जो वास्तविक समय के आधार पर इन खातों की निगरानी के लिए सक्षम बनाता है. बैंक व्यापी एक व्यापक स्वचालित पूर्व चेतावनी प्रणाली कार्यान्वयन के अधीन है जो अत्यंत जोखिम वाले खातों की पहचान और पूर्व एसएमए स्तर पर खातों में दबाव के आरंभिक लक्षण की पहचान के लिए बैंक की क्षमता को अधिक बढ़ाएगी.

ऋण मंजूरी की प्रभावकारिता के संबंध में समय पर फीडबैक पोर्टफोलियो गुणवत्ता में आरंभिक गिरावट की पहचान के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई, पूर्व चेतावनी संकेतों का पता लगाने और ऋण प्रशासन मानदंडों के अनुपालन के संबंध में संरचित ऋण समीक्षा कार्यप्रणाली तैयार की गई है.

व्यापार वित्त

आपके बैंक ने 39 श्रेणी-बी प्राधिकृत डीलर व्यापार वित्त (टीएफ) केंद्रों और 177 प्राधिकृत रिटेल व्यापार वित्त शाखाओं के माध्यम से संचालित व्यापार वित्त कारोबार में प्रभावशाली वृद्धि दिखाना जारी रखा.

बैंक के सतत चल रहे डिजिटल रूपान्तरण के एक भाग के रूप में, सुरक्षा नियंत्रण उपायों में बढ़ोतरी तथा साथ ही परिचालनगत दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए लेनदेन की प्रक्रिया-प्रवाह को स्वचालित करने हेतु समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कई आईटी पहल कार्यों की शुरुआत की गई है.

आपके बैंक को भारतीय रुपये में इंडो-ईरान व्यापार निपटान के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हुआ है जिसमें तेल और गैर-तेल लेनदेन दोनों ही शामिल हैं. इस अधिदेश का उद्देश्य दोनों देशों के निर्यातकों को उनके व्यापार निपटान में सुविधा प्रदान करना है.

आपके बैंक ने एक सुरक्षित आईटी प्लेटफॉर्म पर भारतीय शाखाओं के व्यापार वित्त लेनदेन के के संबंध में स्विफ्ट परिचालन के प्रबंधन के लिए सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई में केंद्रीकृत स्विफ्ट सेल (सीएससी) स्थापित किया है.

आपके बैंक ने 1,000 से भी अधिक विदेशी बैंकों के साथ मिलकर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लिकेशन (आरएमए) स्थापित किए हैं. इस विस्तारित नेटवर्क के ज़रिए अब आपका बैंक दुनिया भर में प्रमुख भौगोलिक स्थानों पर द्विपक्षीय व्यापार लेनदेनों की सुविधा प्रदान करता है.

स्ट्रेट थ्रू ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसिंग तथा भुगतान संदेशों की गुणवत्ता में आपके बैंक की परिचालनगत क्षमता को स्वीकारते हुए सिटी बैंक तथा ड्यूश बैंक ने यूएस डॉलर भुगतान के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) श्रेणी के अंतर्गत आपके बैंक को 'परफॉर्मेंस एक्सिलेन्स अवार्ड' से सम्मानित किया है.

सरकारी कारोबार

आपका बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंध करने हेतु उनके लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है. आपका बैंक केंद्र सरकार के करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) और साथ ही वस्तु एवं सेवा कर तथा 23 राज्य सरकारों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सरकारी प्राप्तियों के भुगतान को संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत है. आपका बैंक कर भुगतानों के लिए 24x7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है. आपके बैंक ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के लिए कर वसूली के क्षेत्र में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और प्राधिकृत निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त किया.

आपके बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से संबंधित ऑनलाइन वसूली करने के लिए परिचालन शुरू किया है. आपका बैंक भारत सरकार द्वारा अपनी शाखाओं के माध्यम से छोटी बचत योजनाओं अर्थात् लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना (एसएसए) ऑफर करने के लिए भी प्राधिकृत है. आपका बैंक जीवन प्रमाण पोर्टल का डिजिटली उपयोग करते हुए केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा भी प्रदान करता है.

नकदी प्रबंधन सेवाएं

आपका बैंक नकदी प्रबंधन सेवाओं (सीएमएस) के रूप में वसूली और भुगतान उत्पादों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है. आपके बैंक की सीएमएस प्रणाली ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने और साथ ही परिचालनगत क्षमता में सुधार के लिए आवधिक आधार पर अद्यतन की जाती है. आपका बैंक राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच), वर्चुअल खाता सुविधा, जनोपयोगी सेवा भुगतानों, प्रत्यक्ष नामे सुविधाओं और अन्य ग्राहक-अनुकूल ई-समाधान जैसे विविध समाधान प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक प्रणालियों के साथ तकनीकी रूप से एकीकृत (होस्ट-टू-होस्ट) किया गया है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने 1,900 से अधिक भुगतान ग्राहक वाले 300 से भी अधिक कॉरपोरेट को नकदी और चेक संग्रहण की सुविधा प्रदान की. आपका बैंक भारतीय रेलवे की ई-मालभाड़ा भुगतान प्रणाली में सहभागिता के लिए प्राधिकृत है तथा 49 कॉरपोरेट ग्राहकों के साथ 12 अंचलों में ई-मालभाड़ा संग्रहण के लिए कारोबार पहले ही आरंभ कर चुका है. आपके बैंक को दक्षिण रेलवे के भुगतान कारोबार को संभालने के लिए प्राधिकृत किया गया. वर्ष के दौरान आपके बैंक को लाभांश वितरण/बांडों पर ब्याज भुगतान के 323 अधिदेश प्राप्त हुए.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने एलआईसी के पॉलिसीधारकों को वार्षिकी भुगतान तथा अन्य प्रबंधन व्ययों के भुगतान के संबंध में उनके 11 मंडलों को सुविधाएं प्रदान की. आपके बैंक ने अपनी शाखाओं के माध्यम से एलआईसी के पॉलिसीधारकों से बीमा प्रीमियम संग्रहण के लिए आईडीबीआई रैपिड पे का भी शुभारंभ किया.

आपका बैंक, भारत बिल पेमेंट (बीबीपीएस) के माध्यम से जनोपयोगी सेवा बिल के भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए भी प्राधिकृत है.

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में एकीकृत ट्रेजरी है जिसमें निधियों के प्रभावी प्रबंधन तथा ट्रेजरी परिचालन के लिए मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा-विनिमय, डेरिवेटिव और इक्विटी ट्रेडिंग परिचालनों से संबंधित कार्य किए जाते हैं. आपके बैंक ने नियमित रूप से विभिन्न बाज़ारों को ट्रैक किया तथा व्यापार लाभों के लिए स्वीकार्य स्थितियों के स्तर को अपनाया.

ट्रेजरी, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक निधि अनुपात (एसएलआर) की विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है. जमाराशियों को जुटाने के अतिरिक्त, आपके बैंक ने तुलन पत्र प्रबंधन और देयताओं की परिपक्वता के लिए चलनिधि प्रबंधन हेतु विविध लिखतों का प्रयोग किया है. चलनिधि की स्थिति का मूल्यांकन नियमित रूप से सक्रियता के साथ किया गया और निधि निर्भरता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रेजरी द्वारा विभिन्न अल्पावधि/ मुद्रा बाजार लिखतों तथा आरबीआई की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), मीयादी रेपो दर, खुले बाजार परिचालन जैसी सुविधाओं के माध्यम से इसका प्रबंध किया गया. बैंक ने उच्च लागत वाली जमाराशियों पर अपनी निर्भरता को कम करने का सचेतन प्रयास किया.

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूल्स और उन्नत चलनिधि जोखिम

प्रबंधन के लिए एलसीआर प्रकटन मानकों को शामिल करते हुए चलनिधि मानकों के लिए बासेल III रूपरेखा को कार्यान्वित किया है तथा वर्ष के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियों का पता लगाने के लिए विक्रेयता-क्षमता परीक्षण किया.

आपके बैंक की ट्रेजरी अपने कॉरपोरेट और रिटेल ग्राहकों का ध्यान रखने के लिए देश भर के 17 केंद्रों पर विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए एक सेल्स टीम द्वारा समर्थित है और इसने उन्हें मुद्राओं और दरों में उनके एक्सपोजर के प्रभावी प्रबंधन के लिए समाधान प्रदान करने हेतु उनके साथ सक्रिय रूप से कार्य किया है. विदेशी मुद्रा कारोबार बढ़ाने और वर्तमान संबंधों को मजबूत बनाने के लिए रिटेल एवं कॉरपोरेट संबंधों पर पकड़ बनाने हेतु कई अभियान चलाये गए.

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में आपका बैंक सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई में ट्रेजरी कारोबार निरंतरता केंद्र का संचालन करता है. केंद्र के पास एकीकृत परिचालन की सुविधा है जिसमें विविध बाजार खंड शामिल हैं तथा यह ट्रेजरी के फ्रंट कार्यालय, बैक कार्यालय और मिड कार्यालय संबंधी कार्यों का परिचालन कर सकता है.

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के रिटेल कारोबार और विशेषकर स्क्रीन आधारित तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) के बाहर लेनदेन के लिए निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आपके बैंक के पास विभिन्न केंद्रों पर ऋण सेल्स टीम है. इसके साथ ही आरबीआई के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के ऑनलाइन व्यापार के लिए गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) को वेब आधारित एनडीएस-ओएम की सुविधा प्रदान करता है. ट्रेजरी बैंक के पास अपने खातों का रखरखाव करने वाले गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) को ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) सेवा भी प्रदान करता है.

आपके बैंक की ट्रेजरी ने नवोन्मेषी वित्तीय समाधान लागू करने में अग्रणी रहना जारी रखा जो अप्रत्यक्ष रूप से बाजार के विकास में सहयोग करती है. आपके बैंक की *'आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक'* पोर्टल ने ऑनलाइन और एटीएम के माध्यम से जी-सेक खरीदने के लिए रिटेल निवेशकों को सुविधा प्रदान करना जारी रखा.

प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कारोबार में आपके बैंक ने टी-बिल खंड सहित भारत सरकार द्वारा जुटाए गए विभिन्न अवधियों के ऋण की विनियामक रूप से अपेक्षित राशि की हामीदारी की है. आपके बैंक ने नीलामी बोली प्रक्रियाओं में भाग लेकर निधियाँ जुटाने में विभिन्न राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान की है. प्राथमिक व्यापारी कार्यकलाप के एक भाग के रूप में आपका बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अनकदी/अर्ध नकदी के संबंध में बाजार का निर्माण करने संबंधी कार्यों में शामिल रहा है.

ट्रेजरी परिचालन में सक्रिय खिलाड़ी होने के कारण, आपका बैंक एफबीआईएल पोल्ड टर्म माइबोर एवं एफबीआईएल पोल्ड एफसी-रुपी ऑप्शन वोलेटिलिटी के संबंध में फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) के लिए वित्तीय बेंचमार्क हेतु एक प्रस्तुतकर्ता बना रहा.

सीमा पार शाखाएँ

आपके बैंक की दो अंतरराष्ट्रीय शाखाएं हैं जिसमें एक दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में है और एक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में है.

डीआईएफसी, दुबई में स्थित आपके बैंक की शाखा विदेश में पहली शाखा है और परिचालन के नौ वर्ष पूरे कर चुकी है. भारतीय ग्राहकों की भारतीय परिचालनों के साथ-साथ विदेशी उद्यमों के लिए निधिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीआईएफसी शाखा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल), ईसीबी/एफसीएल समूहन और व्यापार वित्त उत्पाद जैसी कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करने के अलावा डीआईएफसी शाखा, यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) से बाहर और अन्य गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) से परिचालन करने वाले स्थानीय उद्यमियों को कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है.

आपके बैंक ने मई 2016 में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में स्थित भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में अपनी पहली आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) खोली. विदेश में परिचालन को तर्कसंगत बनाने के संबंध में सरकार के निर्देशों और बैंक की रूपांतरण कार्य-योजना के आधार पर इसे तर्कसंगत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

रुपया उधार राशियों के लिए रेटिंग

श्रेणी निर्धारित लिखत	क्रिसिल		इक्रा			इंडिया रेटिंग	
को संशोधित	नवंबर 2018	जनवरी 2019	मई 2018	अगस्त 2018	मार्च 2019	जून 2018	नवंबर 2018
सावधि जमाराशियां	एफएए / स्टेबल	एफएए/ स्टेबल	एमएए- / निगेटिव	एमएए- / निगेटिव	एमएए- / निगेटिव	इंड टीएए-/ निगेटिव	इंड टीए#
अल्पावधि उधार राशियां (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	क्रिसिल ए1+	[इक्रा] ए1	[इक्रा] ए1	[इक्रा] ए1	इंड ए1+	इंड ए1
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टियर II बांड)	क्रिसिल ए1+/स्टेबल	क्रिसिल ए+/स्टेबल	[इक्रा] ए/ निगेटिव	[इक्रा] ए/ निगेटिव	[इक्रा] ए/ निगेटिव	इंड एए-/ निगेटिव	इंड ए#
हाइब्रिड - अपर टियर II बांड	क्रिसिल ए-@	क्रिसिल ए-/स्टेबल	[इक्रा] बीबीबी+/ निगेटिव	[इक्रा] बीबीबी+@	[इक्रा] बीबीबी+/ निगेटिव	इंड बीबीबी -/ निगेटिव	इंड बीबीबी -#
हाइब्रिड - आईपीडीआई (बासेल II)	क्रिसिल ए-@	क्रिसिल ए-/स्टेबल	[इक्रा] बीबीबी+/ निगेटिव	[इक्रा] बीबीबी+@	[इक्रा] बीबीबी+/ निगेटिव	---	---
हाइब्रिड एटी1 बांड (बासेल III)	वापस लिया	वापस लिया	वापस लिया	वापस लिया	वापस लिया	वापस लिया	वापस लिया
टियर II बांड (बासेल III)	क्रिसिल ए+/स्टेबल	क्रिसिल ए+/स्टेबल	[इक्रा] ए(हाइब्रिड)/ निगेटिव	[इक्रा] ए(हाइब्रिड)/ निगेटिव	[इक्रा] ए(हाइब्रिड)/ निगेटिव	इंड एए-/ निगेटिव	इंड ए #

@ -विकसित होती जटिलताओं के साथ रेटिंग वॉच

 # -रेटिंग वॉच निगेटिव

नोट - केयर ने पूर्व आईडीबीआई होम फाइनेंस से संबंधित 50 करोड़ रुपये के लोअर टियर II बांड की रेटिंग केयर ए /स्टेबल के रूप में की है. ये बांड 27 मार्च 2019 को परिपक्व हो चुके हैं.

ऋण रेटिंग

आपका बैंक देशी तथा विदेशी मुद्रा उधार दोनों के लिए ऋण की रेटिंग प्राप्त करता है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रेटिंग में परिवर्तन यथा 31 मार्च 2019 को रुपया संसाधनों के लिए वर्तमान रेटिंग के साथ निम्नानुसार है :

आपके बैंक की विदेशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग दो अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात् फिच रेटिंग्स (फिच) तथा एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा की जाती है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रेटिंग और आधारभूत क्रेडिट मूल्यांकन (बीसीए)/ अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर) तथा स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी) में परिवर्तन और यथा 31 मार्च 2019 को वर्तमान रेटिंग निम्नानुसार हैं :

विदेशी मुद्रा उधार राशियों के लिए रेटिंग

श्रेणी निर्धारित लिखत	संशोधन की तारीख	
फिच रेटिंग	**मई 2018**	**नवंबर 2018**
दीर्घावधि निर्गमकर्ता चूक रेटिंग	बीबी+/स्टेबल	बीबी+/स्टेबल
अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर)	सीसीसी (रेटिंच वाच के अंतर्गत)	सीसीसी

श्रेणी निर्धारित लिखत	संशोधन की तारीख	
एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग	**अगस्त 2018**	**जनवरी 2019**
निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग (सीआर)	बीबी/नकारात्मक जटिलताओं के साथ क्रेडिट वॉच	बीबी/स्टेबल
स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफ़ाइल (एसएसीपी)	बी-	बी-

दीर्घावधि रुपया उधार राशियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने घरेलू बाजार में कोई नया बांड जारी नहीं किया. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने बासेल II अनुपालन अपर टियर II बांड के संबंध में कुल ₹ 1,500 करोड़ और नवोन्मेषी स्थायी कर्ज लिखत (आईपीडीआई) बांड के संबंध में कुल ₹ 332 करोड़ तक के क्रय विकल्प का प्रयोग किया.

विदेशी मुद्रा संसाधन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कारोबार पुनर्गठन के एक भाग के रूप में, आपके बैंक ने अपेक्षित विनियामकीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भारत से संबंधित 1,637.50 मिलियन यूएस डॉलर की सकल आस्ति को अपनी डीआईएफसी शाखा, दुबई से आईबीयू गिफ्ट सिटी शाखा में भेजा. मध्यावधि नोट (एमटीएन) बांडों की 4 बकाया श्रृंखलाओं सहित तदनुरूपी अनुकूल देयताओं को भी डीआईएफसी शाखा, दुबई से आईबीयू, गिफ्ट सिटी शाखा को भेजा गया.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अल्पावधि चलनिधि और निधीयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके बैंक की विदेश शाखाओं ने अल्पावधि उधार राशियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में कुल 570 मिलियन यूएस डॉलर जुटाए.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 1,061 मिलियन यूएस डॉलर की दीर्घावधि विदेशी मुद्रा उधार राशियों का सफल मोचन किया जिसमें 571 मिलियन यूएस डॉलर के द्विपक्षीय ऋण और 490 मिलियन यूएस डॉलर के एमटीएन बांड शामिल हैं.

31 मार्च 2019 के अनुसार एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत आपके बैंक का कुल बकाया 1,000 मिलियन यूएस डॉलर था.

जोखिम प्रबंध

बासेल मानकों का कार्यान्वयन

आपका बैंक बासेल III मानदंडों के अंतर्गत पिलर - 1 दिशानिर्देशों के अनुपालन में तिमाही आधार पर ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम हेतु विनियामकीय पूंजी आवश्यकता की गणना करता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को 31 मार्च 2016 से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखना अनिवार्य है. दिनांक 10 जनवरी 2019 की आरबीआई की अधिसूचना, जिसके द्वारा बासेल III पूंजी विनियमों की संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई थी, के अनुसार 31 मार्च 2019 के लिए लागू सीसीबी 1.875% थी. तदनुसार यथा 31 मार्च 2019 को 'कुल पूंजी + सीसीबी' की न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा 10.875% थी. यथा 31 मार्च 2019 को आपके बैंक का 'कुल पूंजी + सीसीबी' 11.58% था. इसी प्रकार आपके बैंक का 'कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी 1) + सीसीबी' अनुपात 8.91% था, जबकि विनियामकीय अपेक्षा 7.375% है.यथा 31 मार्च 2019 को आपके बैंक का 'टियर-I + सीसीबी' अनुपात 9.13% हो गया जबकि विनियामकीय अपेक्षा 8.875 % है.

आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर - 2 मानदंडों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संबंधी नीति है. यह नीति आपके बैंक को पिलर - 1 के अंतर्गत न आने वाले जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन और गणना करने तथा सामान्य और दबावग्रस्त स्थितियों में ऐसे जोखिमों का प्रबंध करने और उन्हें कम करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ विकसित करने में समर्थ बनाती है. आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यापक दबाव परीक्षण ढांचा भी कार्यान्वित किया है. दबाव परीक्षण ढांचा आपके बैंक को असाधारण किन्तु तर्कयुक्त घटनाओं की स्थिति में क्षमता का आकलन करने में और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त सक्रिय रणनीतियाँ लागू करने में सहायता करता है. इस ढांचे को परिदृश्य विश्लेषण और विपरीत दबाव परीक्षण के समावेश द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मजबूत किया गया है. बैंक की पूंजी स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल समष्टि अर्थशास्त्र संकेतकों के संभावित प्रभाव के अध्ययन के लिए परिदृश्य विश्लेषण किया गया है. विपरीत दबाव परीक्षण की कार्यप्रणाली को दबाव के स्तर, जो पूर्वनिर्धारित न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए पूंजी को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है, का पता लगाने के लिए ढांचे में जोड़ा गया है.

आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के तहत पिलर - 3 आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रकटन नीति अपनाई है. तदनुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत में आपके बैंक की वेबसाइट पर प्रकटन प्रदर्शित किए जाते हैं जो उच्च स्तरीय पारदर्शिता प्रदर्शित करता है.

आपका बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम हेतु विनियामक पूंजी प्रभार गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का अनुसरण करता है. प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के लिए विभिन्न कारोबारी खंडों में मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) का व्यापक सेट तथा जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन रूपरेखा (आरसीएसए) उपलब्ध कराई गई हैं. बाजार जोखिम के लिए, आपका बैंक विनियामक पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) अपनाता है.

ऋण जोखिम

आपके बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में ऋण प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए जोखिम आकलन मॉडल (आरएएम) और पूंजी निर्धारण के स्वचालन के लिए पूंजी निर्धारण मॉडल (सीएएम) शामिल है. ऋण नीति दस्तावेज की बदलते कारोबारी उद्देश्यों तथा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप समीक्षा की जाती है. यह कारोबारी वर्टिकलों के लिए मार्गदर्शक साधन है.

बाजार जोखिम

कार्य तथा कारोबार स्थितियों के संदर्भ में आपके बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति तथा निवेश नीति में परिभाषित नीतिगत ढांचे के अनुरूप परिचालित होता है. सामान्यतः ये नीतियां जोखिम वहन क्षमता के उपयुक्त स्तरों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं तथा जोखिमों व अपवादों के मापन, रिपोर्टिंग तथा वृद्धि के आकलन के लिए प्रक्रिया लागू करती हैं. बाजार जोखिमों का प्रबंधन करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने निगरानी और रिपोर्टिंग टूल सहित उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ कार्यान्वित की हैं. इसके साथ ही आपके बैंक ने 2018-19 में स्वचालन प्रक्रिया और जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के माध्यम से निगरानी और विनियामकीय रिपोर्टिंग को फिर से लागू किया है. ये कार्यकलाप बाजार जोखिम मापन और नियंत्रण की मजबूती को बढ़ाते है. संकेंद्रण जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न एक्सपोजर सीमाएं तय की गई हैं. सभी निर्धारित सीमाओं तथा सभी प्रक्रियाओं की गहन निगरानी ट्रेजरी के फ्रंट और बैक ऑफिस से स्वतंत्र ट्रेजरी मिड ऑफिस द्वारा की जाती है.

चलनिधि प्रबंध

बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंध ढाँचा है. बैंक की आस्ति-देयता प्रबंध समिति (आल्को) व्यवसाय रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की निगरानी और प्रबंध करती है. चलनिधि विश्लेषण और प्रबंध सहित आस्ति-देयता प्रबंध कार्यकलाप तुलन-पत्र प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आल्को सहयोग समूहों, ट्रेजरी फ्रंट कार्यालय, बजट एवं आयोजना आदि के बीच समन्वय के जरिए संपन्न किए जाते हैं. आल्को निर्देश तथा एएलएम कार्रवाईयाँ व्यवसाय समूहों और वर्टिकलों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं. विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2017 से बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात की गणना दैनिक आधार पर की जाती है. 2018-19 के दौरान दैनिक अवलोकनों के आधार पर बैंक का औसत एलसीआर 114.37% था.

परिचालनगत जोखिम

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) है जिसमें एक संगठनात्मक व्यवस्था के तहत निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा विभिन्न कार्यों/विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हैं. परिचालनगत जोखिम की परिचालन प्रक्रिया बोर्ड अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित है जिसका लक्ष्य बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े परिचालनगत जोखिमों की पहचान, निगरानी, आकलन तथा प्रबंधन करना है. आपके बैंक में विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों/परिचालनों में अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं हैं. गौण नियंत्रण उपाय के तौर पर परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) अनुभाग मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) तथा जोखिम नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) अभ्यासों के ज़रिए परिचालनगत जोखिमों का प्रबंधन करता है और इस संबंध में हुई प्रगति से निदेशक मंडल की ओआरएमसी और आरएमसी को आवधिक रूप से अवगत कराता है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) बनाए गए हैं और शाखाओं / इकाइयों की व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकन (कोर) प्रणाली के ज़रिए जोखिम रेटिंग की जाती है. ओआरएम अनुभाग द्वारा परिचालनगत जोखिम हानि संबंधी घटनाओं की जानकारी एकत्रित की जाती है जिस पर ओआरएमसी द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है और संबंधित परिचालन/डीलिंग समूहों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है. परिचालन स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को अवगत कराने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन

आपके बैंक के पास कारोबारी व्यवधानों तथा जीवन संबंधी जोखिमपूर्ण स्थितियों को कम करने के लिए एक सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रिया है. आपके बैंक को कारोबार निरंतरता प्रबंधन के बैंक व्यापी कवरेज के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रमाणन आईएसओ 22301:2012 से सम्मानित किया गया है.

आपके बैंक ने बीसीएम के एक भाग के रूप में मूल तथा सहायता कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) कार्यान्वित की है. इस योजना का उद्देश्य कारोबार व्यवधान/आपदा के बावजूद ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है. इसके अलावा आपदा के दौरान मानव जीवन की रक्षा करने और मूल्यवान आस्तियों का नुकसान कम करने के लिए अपनी प्रमुख स्थापनाओं के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी लागू की गई है. इन बीसीपी तथा डीएमपी की क्रियाशीलता का बीसीपी परीक्षण अभ्यास, संपूर्ण ड्रिल और मॉक इवैक्यूएशन ड्रिलों सहित आपदा बहाली के माध्यम से आवधिक परीक्षण किया जाता है. बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली एक स्वचालित घटना रिपोर्टिंग टूल अर्थात् एकीकृत आपदा और कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (आई-डीएबी) से भी सुसज्जित है.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

आपके बैंक ने अपने आईटी जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. आपके बैंक ने अपने डेटा केंद्र में एक अत्याधुनिक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है. इस एसओसी के माध्यम से आपका बैंक केंद्रीकृत रूप से सुरक्षा साधनों/समाधानों जैसे फायरवाल्स, राउटर्स, इंट्रूज़न डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) डिवाइस/ इंट्रूज़न प्रिवेंशन सिस्टम (आईपीएस) डिवाइस/ विशेषाधिकारकृत पहचान प्रबंध (पीआईएम), एंटीवायरस, फिशिंग/मालवेयर प्रयासों आदि की निगरानी करता है और सुधारात्मक उपाय करता है. एसओसी बैंक के सम्मानित ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बैंक के उद्देश्य को पूरा करने के अलावा साइबर अपराधों से निपटने के लिए और बैंक की सूचना सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक कमान केंद्र के रूप में कार्य करता है. बैंक ने निगरानी के लिए एसओसी के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में डिवाइस उपलब्ध कराएं हैं. आपका बैंक बाह्योन्मुख एप्लीकेशनों अर्थात् इंटरनेट बैंकिंग, मेल मैसेजिंग आदि के लिए नियमित रूप से भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) करता है.

आपके बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों के संबंध में रिज़र्व बैंक की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. आपके बैंक ने दिशानिर्देशों में अनुशंसित रूप में उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है. ग्राहक डेटा की सुरक्षा करने,

बाह्य आक्रमणों को रोकने तथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने के लिए कई सूचना सुरक्षा समाधान जैसे विशेषाधिकार प्राप्त पहचान एक्सेस प्रबंधन, पैच प्रबंधन समाधान, सक्रिय डायरेक्टरी, वेब/ मेल गेटवे, एंडपॉइंट एवं यूएसबी एनक्रिप्शन, डेटा लीकेज प्रिवेंशन (डीएलपी) सॉल्यूशन, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट (एपीटी), नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी), वेब-एप्लिकेशन फायरवाल (डब्ल्यूएएफ) आदि कार्यान्वित किए गए हैं.

आपके बैंक ने एक सुस्पष्ट साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू की है जो साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का समाधान करने के लिए प्रबंधन के इरादे तथा दिशा को स्पष्ट करती है. इसके साथ ही, आपका बैंक अपने सूचना सुरक्षा ढाँचे की जाँच करने और उसे प्रभावी बनाए रखने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली साइबर ड्रिलों में भी सहभागिता करता है. कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा सुरक्षा सेंध के प्रयासों को कम/विफल करने के लिए ग्राहकों को मेलर, एसएमएस, एटीएम तथा पोस्टर के माध्यम से विभिन्न सूचना सुरक्षा संबंधी सावधानियों की जानकारी दी जाती है. आपके बैंक का आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा प्रणालियाँ पेरिमीटर और एंडपॉइंट्स दोनों पर समाधान सहित एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित की गई हैं. आपके बैंक के डेटा केंद्र, आपदा बहाली केंद्र और नियर डीआर केंद्र को नवीनतम आईएसओ 27001:2013 सूचना सुरक्षा मानदंडों का प्रमाणन प्राप्त है. बैंक की सूचना सुरक्षा संचालन समिति सूचना प्रणालियों में परिचालनगत जोखिम कम करने के लिए दिशानिर्देश और मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है. सुरक्षा घटनाएँ तथा नीतियाँ आवश्यक दिशानिर्देश के लिए बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसीबी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं. आईटीसीबी अनुमोदन के लिए बोर्ड को नीतियों की सिफ़ारिश करती है.

प्रबंधन, नियंत्रण एवं प्रणालियां

मानव संसाधन

भर्ती और स्टाफिंग

यथा 31 मार्च 2019 को आपके बैंक के पास कुल स्टाफ संख्या 17,117 रही. कर्मचारियों का श्रेणीवार अलग-अलग विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल
लिपिकीय स्टाफ	736
एक्जीक्यूटिव	815
अधिकारी	14,898
अधीनस्थ स्टाफ	668
कुल	**17,117**

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विभिन्न श्रेणियों में 1,005 व्यक्तियों की भर्ती की जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल
अधिकारी ग्रेड ए	177
लिपिकीय स्टाफ $	2
एक्जीक्यूटिव	826
कुल	**1,005**

$ - लिपिकीय संवर्ग में भर्ती अनुकंपा नियुक्ति के रूप में की गई है.

आरक्षण नीति

यथा 31 मार्च 2019 को बैंक की कुल जनशक्ति संख्या में अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) का प्रतिनिधित्व निम्नवत है:

श्रेणी	अजा	अजजा	अपिव
लिपिक	63	91	35
एक्जीक्यूटिव	289	114	52
अधिकारी	3,717	2,155	903
अधीनस्थ स्टाफ	128	156	55
कुल	**4,197**	**2,516**	**1,045**

आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाओं पर लागू होने वाली भारत सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन करता है.

आपके बैंक ने अजा/अजजा/अपिव तथा दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) के लिए महाप्रबंधक तथा उप महा प्रबंधक स्तर के मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) तथा अंचल संपर्क अधिकारियों (ज़ेडएलओ) की नियुक्ति की है. सीएलओ और ज़ेडएलओ आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा उनकी शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करते हैं.

आपका बैंक अजा, अजजा और अपिव कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करता है.

आपके बैंक ने अजा तथा अजजा वर्ग के कर्मचारियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को दर्ज करने के लिए पृथक् शिकायत रजिस्टर भी बनाया है और समुचित कार्रवाई की जाती है.

आपके बैंक ने आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर बनाया है. बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अलग रोस्टर बनाया है.

प्रशिक्षण एवं विकास

आपका बैंक अपने कर्मचारियों को सतत प्रशिक्षण एवं विकास अवसर उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है ताकि संगठनात्मक लक्ष्य हासिल किए जा सकें और साथ ही कर्मचारियों के समग्र विकास में सहायता मिल सके. कार्यात्मक ज्ञान के साथ-साथ व्यवहार विकास के लिए भी अवसर प्रदान किए जाते हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कक्षा आधारित प्रशिक्षण में ई-लर्निंग मॉड्यूलों को शामिल किया जा रहा है.

वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक ने अपने शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (जेएनआईबीएफ) में 133 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अंचल प्रशिक्षण केंद्रों में 702 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए. वर्ष के दौरान नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा डिजिटल बैंकिंग एवं उभरते भुगतान प्लेटफॉर्मों से लाभ उठाने, वित्तीय मॉडलिंग, प्रबंध विकास कार्यक्रम जैसे चुनिंदा विषयों पर कार्यशालाएं और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए लीडरशिप एक्सिलेन्स कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

आपके बैंक ने चुनिंदा 141 बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों को नामित किया है ताकि उन्हें अपने कार्यक्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जा सके. प्रतिष्ठित संस्थानों के ज़रिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार, रिटेल ऋण प्रबंध, आस्ति गुणवत्ता एवं एनपीए प्रबंधन, बाजार जोखिम, परिचालन

जोखिम तथा ऋण जोखिम मॉडलिंग, कॉरपोरेट ऋण की पुनर्संरचना एवं समाधान, विदेश व्यापार एवं विदेशी विनिमय व्यवसाय, ट्रेजरी पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया. बैंक में आईटी तथा साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति प्रबंधन की जागरूकता में वृद्धि संबंधी रिज़र्व बैंक के निर्देश के अनुपालन में बोर्ड के निदेशकों सहित कई वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारियों को *'आईटी एवं साइबर सुरक्षा'* पर बाह्य प्रमाणन प्रशिक्षण प्रदान किया गया. अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण, आंतरिक लेखा परीक्षा, वसूली नीतियाँ, व्यवहार एवं विधि जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण प्रदान किए गए ताकि उन्हें उक्त विषयों पर व्यापक जानकारी उपलब्ध हो सके.

आपका बैंक ज्ञानार्जन संस्कृति के भाग के तौर पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण प्रबंधन प्रणाली - ओजस - के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दे रहा है ताकि कर्मचारियों को शिक्षण के लिए अतिरिक्त चैनल उपलब्ध कराए जा सकें. ओजस में विभिन्न प्रकार के बैंकिंग संबंधी विषयों को शामिल करते हुए 260 से अधिक अद्यदित ई-लर्निंग मॉड्यूल रखे गए हैं. इस वर्ष आपके बैंक ने व्यवहार विज्ञान से संबंधित विषयों को भी शामिल किया है. ओजस में कर्मचारियों को अनिवार्य ई-लर्निंग प्रमाणन/पाठ्यक्रम सौंपे गए हैं और इनमें कर्मचारियों के ज्ञान उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए केवाईसी तथा एएमएल, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी दिशा-निर्देश, रिटेल बैंकिंग, एनपीए प्रबंध, जोखिम प्रबंध, ट्रेजरी, रिटेल बैंकिंग परिचालन नियंत्रण क्षेत्र आदि जैसे विषय शामिल किए गए हैं ताकि उनकी क्षमता में वृद्धि हो और उन्हें बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए सक्षम बनाया जा सके.

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके बैंक द्वारा ग्राहक सेवा, महिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण (उन्नति), और पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं.

जेएनआईबीएफ को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए बाहरी सहभागियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. वर्ष के दौरान जेएनआईबीएफ में रीजनल डेवलपमेंट बैंक, श्रीलंका के लिए एसएमई परियोजना वित्तपोषण विषय पर दो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए. समग्र रूप से जेएनआईबीएफ में 22 बाह्य कार्यक्रम और अंचल प्रशिक्षण केंद्रों में 21 बाह्य कार्यक्रम आयोजित किए गए. बैंकिंग, वित्त और प्रबंध के उभरते क्षेत्रों में संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार एवं कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के भाग के रूप में और संवहनीय पर्यावरण के संवर्धन के लिए जेएनआईबीएफ में कृमि वानस्पतिक खाद प्लांट लगाने, विलुप्तप्राय और प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास अनुरक्षित रखने, आम जनता के लिए गर्मियों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराने जैसे पहल कार्य किए गए हैं.

समूह जीवन बीमा योजना

कर्मचारी कल्याणकारी उपाय के रूप में आपका बैंक 2015 से अपने सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए समूह जीवन मीयादी बीमा पॉलिसी की सुविधा दे रहा है जो 70 वर्ष की आयु तक कवर देगी. इस योजना के तहत प्रीमियम राशि का आधा व्यय बैंक द्वारा और आधा व्यय कर्मचारियों द्वारा वहन किया जाता है. अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को पूरी प्रीमियम राशि का भुगतान कर योजना को जारी रखने का विकल्प उपलब्ध है.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मेडीक्लेम योजना

आपका बैंक अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दैनिक डे केयर सुश्रूषा प्रक्रियाओं सहित अस्पताल में भर्ती के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय देयताओं से संरक्षण प्रदान करने के लिए नवंबर 2016 से समूह मेडीक्लेम बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. कल्याणकारी उपाय के रूप में आपका बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का समूह बनाने और उनकी ओर से बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है जिससे उन्हें कम प्रीमियम तथा उदार विशेषताओं का लाभ मिलता है. योजना की विशेषताओं में रक्षित राशि तक सूचीबद्ध अस्पतालों में नकदी-रहित बीमा सुविधा, किसी प्रकार की पूर्व-चिकित्सा जांच के बिना सभी पुरानी तथा मौजूदा बीमारियों का कवरेज और साथ ही अस्पताल में भर्ती के बाद होने वाले खर्चे शामिल हैं.

कर्मचारियों को विधिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना

बैंक के कामकाज को सद्भावी रूप से निष्पादित करने से उत्पन्न मामलों पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ जानबूझकर की गई झूठी शिकायतों से कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने उक्त योजना लागू की है जो निदेशकों/अधिकारियों/ कर्मचारियों को वित्तीय और विधिक सहायता उपलब्ध कराती है.

आई-पेस- नई कार्य-निष्पादन प्रबंध प्रणाली

आपके बैंक ने अपनी कार्य निष्पादन प्रबंध प्रणाली में व्यापक परिवर्तन कर उसे नया आकार दिया है ताकि इसे और अधिक विशिष्ट, मापनीय, हासिल करने योग्य, संगत एवं समयबद्ध बनाया जा सके. इसे सटीक नाम अर्थात् आई-पेस (आईडीबीआई बैंक- कार्य निष्पादन निर्धारण एवं सतत मूल्यांकन) दिया गया है. आई-पेस में एकसमान भूमिकाओं के लिए मानकीकृत मुख्य परिणाम क्षेत्र (केआरए), मानकीकृत केआरए के लिए एकसमान भारिता और अधिकांश मापनीय केआरए के लिए सीधा प्रणाली जुड़ाव, डेटा जुड़ाव के लिए सामान्य डैशबोर्ड और गैर-मापनीय केआरए के लिए सामान्य अपलोड पोर्टल शामिल हैं. आई-पेस की अन्य विशेषताओं में उसका व्यवसाय अंतर्दृष्टि औजार के रूप में कार्य करना शामिल है जो माह-दर-माह आधार पर प्रत्येक केआरए पर कार्य निष्पादन को सतत रूप से रेखांकित करेगा, प्रभावी कार्य निष्पादन फीडबैक प्रणाली प्राप्त करने हेतु सुपरवाइज़र को अधिकारी के केआरए-वार कार्य निष्पादन की गहराई से जांच करने और सहगण (अर्थात् केवल एक जैसे कार्य करने वालों के बीच तुलना) के बीच कार्य निष्पादन की सापेक्षिक ग्रेडिंग करने का अवसर प्रदान करेगा. आई-पेस का उद्देश्य अधिकारी के कार्य निष्पादन को संस्था के लक्ष्यों के अनुरूप रखना और कार्य निष्पादन आधारित संस्कृति और सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व/जवाबदेही को बढ़ावा देना है. यह बैंक के कार्य निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिशा देगा तथा सामान्य समझ को बढ़ावा देगा.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

आपके बैंक ने अवांछनीय घटना के घटित होने पर पीड़ित महिलाओं को तुरंत सहायता देने और अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न झेलने वाली महिला की शिकायत सीधे समिति के सदस्यों के पास दर्ज कराने के लिए एसएमएस/ई-मेल आधारित शिकायत प्रणाली भी कार्यान्वित की है.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

आपके बैंक ने सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण को सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए दो आंतरिक शिकायत समितियां बनाई हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक को इस संबंध में 6 (छः) शिकायतें प्राप्त हुईं जिनका विधिवत छानबीन के पश्चात् समाधान

कर दिया गया है. यथा 31 मार्च 2019 को पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त 2 (दो) शिकायतों पर निष्कर्ष लंबित था.

औद्योगिक संबंध

आपके बैंक में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध का वातावरण सामान्यतः मैत्रीपूर्ण रहा है तथा अधिकांश समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण रूप से कर लिया गया है. अधिकारियों / कर्मचारियों की शिकायतों को समझने और उनका समाधान निकालने हेतु रचनात्मक संवाद स्थापित करने के अपने प्रयासों के तौर पर बैंक संघों और यूनियनों के साथ बैठकें करता रहा है. यूनियन / संघ भी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय और तत्पर रहे हैं.

कर्मचारियों का नियोजन और तैनाती

अधिकारियों का नियोजन और तैनाती बैंक अधिकारियों के लिए लागू नियोजन और तैनाती नीति के आधार पर की जाती है. इसके अलावा संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों का केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है.

आई-एक्जिट प्रबंध प्रणाली को लाइव किया गया और सभी त्यागपत्र और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जा रही हैं. इससे अधिक पारदर्शिता, शीघ्र एवं प्रभावी कैप्चरिंग सुनिश्चित हुई है और साथ ही, एक्जिट सर्वे का विश्लेषण जैसे अनेक लाभ मिले हैं.

अन्य पहल कार्य

(i) केरल राज्य में आई अप्रत्याशित बाढ़ ने पूरे राज्य में भारी तबाही मचाई जिससे जान-माल की भारी क्षति हुई और सार्वजनिक बुनियादी संरचना को बहुत नुकसान पहुँचा. सामाजिक उत्तरदायित्व के नाते आपके बैंक और इसके स्टाफ सदस्यों ने केरल मुख्यमंत्री आपदा राहत कोश में 3,27,64,703.07 रुपये का अंशदान दिया है.

(ii) देश के साथ एकजुट होकर खड़े होने और जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकवादी हमले में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देनेवाले शहीद सैनिकों के परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु शहीदों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आपके बैंक के कर्मचारियों से अंशदान करने की अपील की गई.

बुनियादी संरचना प्रबंधन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अनेक सिविल परियोजनाएं हाथ में लीं जिनमें इसके जवाहरलाल नेहरू बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद स्थित प्रशिक्षण संस्थान में अधिकारियों के लिए आवासीय फ्लैटों का निर्माण शामिल है जिसके सितंबर 2019 में पूरा होने की आशा है. आपके बैंक ने केके नगर, चेन्नई स्थित अपने कुछ फ्लैटों के निर्माण के लिए पुनर्विकास प्रस्ताव पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है.

आपके बैंक ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) से ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली में निर्माणाधीन इसकी परियोजना में 36 आवासीय फ्लैटों जिनका कुल क्षेत्रफल 60,972 वर्ग फुट है के साथ 1,22,088 वर्ग फुट क्षेत्रफल का वाणिज्यिक परिसर अर्जित किया है. निर्माण कार्य पूर्णता के निकट है. एनबीसीसी द्वारा वाणिज्यिक परिसर जून-जुलाई 2019 में सौंप दिए जाने की आशा है. आवासीय फ्लैटों के दिसंबर 2019 तक तैयार होने की उम्मीद है.

व्यय को युक्तिसंगत बनाने तथा लागत को कम करने के लिए आपके बैंक ने मुंबई में आईडीबीआई टॉवर, कफ परेड तथा मित्तल कोर्ट, नरीमन पॉइंट स्थित अपने स्वामित्ववाले परिसरों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए जिसके फलस्वरूप बैंक की सहायक संस्थाओं यथा- आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. और आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. को आईडीबीआई टॉवर में स्थानांतरित किया गया.

आंतरिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करता है. आपके बैंक में एक सुसज्जित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) है जो बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के दिशानिर्देशों तथा देख-रेख में कार्य करता है. आईएडी के कार्य (i) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति; (ii) समवर्ती लेखापरीक्षा नीति; और (iii) सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा नीति द्वारा अभिशासित हैं. ये नीतियाँ वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गईं हैं. इस प्रकार से आईएडी के कार्य और विस्तार क्षेत्र समय-समय पर आशोधित की जानेवाली उपर्युक्त नीतियों के अनुसार निर्धारित और निष्पादित होते हैं.

आईएडी लेखापरीक्षा के तीन प्रमुख प्रकारों अर्थात् आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, और सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा का संचालन/पर्यवेक्षण करता है. आईएडी (i) धोखाधड़ी निगरानी समूह (ii) सतर्कता प्रणाली (iii) स्टाफ जवाबदेही समिति सचिवालय के जरिए स्टाफ जवाबदेही (एसए) नीति का कार्यान्वयन (iv) लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) और (v) वित्तीय रिपोर्टिंग अनुपालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का भी पर्यवेक्षण करता है.

आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यों में शाखाओं/गैर-शाखा खंडों की नियमित लेखापरीक्षा करना, अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ प्रधान कार्यालय के वर्टिकलों/विभागों की प्रबंध लेखापरीक्षा करना; अकस्मात् लेखापरीक्षा (विशेष रूप से नई खुली आरबीजी शाखाओं की चार महीने के बाद किंतु उनके परिचालन आरंभ करने के छः महीने के अंदर); विशेष लेखापरीक्षा (ऑफसाइट जोखिम मूल्यांकन, नियंत्रक विभागों/वर्टिकलों, अन्य लेखापरीक्षाओं के दौरान ध्यान में आए गंभीर मुद्दों/कुप्रथाओं/धोखाधड़ियों से प्राप्त होनेवाले विभिन्न संकेतकों के फलस्वरूप) और ऋण लेखापरीक्षा शामिल हैं. लेखापरीक्षा विभाग नियत कार्यों को करते समय अपनी स्वतंत्रता तथा वस्तुनिष्ठता को बनाए रखता है.

शाखाओं की लेखापरीक्षा पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने और अनुवर्तन कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए सभी अंचलों में अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (जेडएओ) बनाए गए हैं. जेडएओ शाखाओं, गैर-शाखा खंडों और क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा करते हैं और बैंक के वार्षिक लेखापरीक्षा प्लानों तथा जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) नीति के अनुसार पर्याप्त अनुपालन के बाद लेखापरीक्षा रिपोर्टों को बंद करते हैं. लेखापरीक्षा विभाग परिचालनगत जोखिमों को कम करने के लिए परिचालनगत प्रक्रियाओं और सेवा गुणवत्ता में सुधारों के लिए सिफ़ारिशें भी करता है. बैंक ने सभी प्रयोज्य विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप नीतियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं और लेखापरीक्षा ट्रेल, फ्रंट और बैक ऑफिस परिचालनों के समुचित विभाजन सहित व्यापक आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था लागू की है.

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)

आपके बैंक ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) की नीति अपनाई है जिसके अंतर्गत इसकी जोखिम प्रबंध प्रक्रियाओं तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है. जोखिम रोकने, प्रभावी नियंत्रण प्रणाली रखने और परिचालनों की क्षमता में सुधार लाने के लिए बैंक की सभी शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) की जाती है. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा में शाखा की

जोखिम अवधारणा के आधार पर प्रत्येक शाखा की 6-18 महीने में एक बार आरबीआईए सुनिश्चित की जाती है. आपके बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के सहायक आरबीआईए के जरिए लेखापरीक्षित इकाइयों के समग्र परिचालनों की विवेचनात्मक समीक्षा करता है जो कि रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का अनिवार्य हिस्सा है.

गुणवत्ता आश्वासन लेखा परीक्षा

आपके बैंक ने अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को और सुदृढ़ एवं बेहतर बनाने के लिए और इसे प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने हेतु बाहरी परामर्शदाता के जरिए अप्रैल-मई 2018 में व्यापक गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा (क्यूएए) शुरू किया था. क्यूएए के भाग के रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, आपके बैंक की समग्र आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और जोखिम रेटिंग रूपरेखा (नीतियाँ, प्रक्रियाएँ, कार्य प्रणालियाँ, रिपोर्टिंग संरचनाएँ, फॉर्मेट आदि) की समीक्षा करने, उसे जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के साथ समन्वित करने और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए अच्छी/सफल पद्धतियों के बेंचमार्क निर्धारित करने, अभिनिर्धारित करने और सिफ़ारिशें देने के लिए अभ्यास किया गया है. प्रमुख सिफ़ारिशों अर्थात् अंतर्निहित व्यवसाय जोखिम (आईबीआर) के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय मानदंडों की समीक्षा; आंतरिक लेखापरीक्षा आवधिकता में परिवर्तन; गैर-शाखा खंडों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र की समीक्षा; समवर्ती लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादन और समीक्षा; अनुपालन का स्तर और लेखापरीक्षा रिपोर्टों को बंद करना; आंतरिक तथा समवर्ती लेखा परीक्षकों के लिए वर्कबुक, को बैंक द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है.

लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर)

आपका बैंक 2017-18 से लागू की गई सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा के संबंध में लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) भी तैयार करता रहा है. वर्ष 2018-19 के लिए एलएफएआर की संकलन प्रक्रिया के लिए शाखाओं द्वारा डेटा के इनपुट के लिए और प्रधान कार्यालय में लेखा परीक्षकों के उपयोग के लिए समेकित रिपोर्टें जेनरेट करने हेतु ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (इफको-एफआर)

आपके बैंक ने (i) कार्यान्वित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता; और (ii) ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता तथा सभी खुले मुद्दों को समय पर और प्रभावी रूप से बंद करने की सुनिश्चितता का सत्यापन करने के प्रयोजन से जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स के परीक्षण के लिए बाहरी परामर्शदाता की भी नियुक्ति की है.

सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा परीक्षा

सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नए पहल कार्य/ कार्यकलाप शुरू किए गए हैं जैसे- (i) सामान्य/दुहराई जानेवाली टिप्पणियों की संख्या को सीमित स्तर पर रखने के लिए मानक सॉफ्टवेयर विकास टेम्पलेट के कार्यान्वयन हेतु सिफ़ारिश करना, (ii) 'उच्च जोखिम' उल्लेखवाली लंबित टिप्पणियों के शीघ्रतर निस्तारण के लिए मुख्य महा प्रबंधक स्तरीय समिति बैठक आयोजित कर अनुवर्तन व्यवस्था में सुधार लाना, (iii) बैंक के जोखिम प्रबंध विभाग को अर्ध वार्षिक आधार पर उनकी जानकारी तथा समुचित निदेश/ मार्गदर्शन के लिए लंबित टिप्पणियों को प्रस्तुत करना, (iv) शाखाओं द्वारा मासिक आधार पर सूचना प्रणाली- स्व-लेखापरीक्षा अनुपालन प्रमाणपत्र की प्रस्तुति, (v) अनुपालन की स्थिति पर ध्यान दिए बिना लेखापरीक्षा रिपोर्टों को कार्यपालक लेखापरीक्षा समिति (एसीई) और बोर्ड लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महत्वपूर्ण टिप्पणियों को इन समितियों की जानकारी और निदेश के लिए इनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. आईएस लेखापरीक्षा ने आईएस लेखापरीक्षा कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और सांविधिक/ विनियामकीय दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु सुरक्षा घटनाओं की समीक्षा के साथ-साथ सूचना सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, डेटा प्रतिधारण नीति और ई-वेस्ट प्रबंध नीति से जुड़ी आईएस लेखापरीक्षा नीति की समीक्षा की है.

ऑफसाइट निगरानी प्रणाली (ओएमएस)

आपके बैंक ने ऑफ साइट निगरानी प्रणाली (ओएमएस) अलर्ट को तुरंत बंद करने के संबंध में शाखाओं को जागरूक करने के लिए परिपत्र जारी किया है जिसे शाखा स्टाफ के महत्वपूर्ण दायित्व क्षेत्र (केआरए) का भाग बनाया गया है. अलर्टों को खोलने/बंद करने में हुए विलंब संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए ओएमएस टीम द्वारा ओपन अलर्टों को एकांतर दिवसों को अंचल प्रमुखों को भेजा जाता रहा है. मौजूदा प्रणाली की सीमाओं/दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से ओएमएस टीम ने ओएमएस को सशक्त बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. क्यूएए परामर्शदाता की सलाह के आधार पर बैंक ने (i) लंबित ओएमएस अलर्टों के लिए सोपान मैट्रिक्स में आशोधन; (ii) जोखिम गंभीरता में परिवर्तन और 4 नियमों की बारंबारता; (iii) बीमा नवीकरण से संबंधित नए नियम का कार्यान्वयन जैसी अनेक सिफ़ारिशें कार्यान्वित की हैं.

समवर्ती लेखापरीक्षा

समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) प्रणाली अनियमितताओं/चूकों का पता लगाने के लिए बैंक की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) का भाग है जो जोखिमों को नियंत्रित रखने में आंतरिक एवं विनियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघनों की रोकथाम करने और धोखाधड़ी वाले लेनदेनों को रोकने में सहायता करती है. समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली अनिवार्यतः एक नियंत्रण प्रक्रिया है जो मजबूत आंतरिक लेखांकन प्रणालियों और प्रभावी नियंत्रणों की स्थापना हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा शाखाओं/ अन्य गैर शाखा इकाइयों जैसे ट्रेज़री, केन्द्रीय प्रोसेसिंग इकाई और खुदरा आस्ति केंद्रों में की जाती है, जिनकी पहचान जोखिम बोध और कारोबार की मात्रा के आधार पर होती है. बैंक की बोर्ड अनुमोदित समवर्ती लेखापरीक्षा नीति के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा को रिज़र्व बैंक द्वारा जमाओं के न्यूनतम 50% और अग्रिमों के न्यूनतम 50% को कवर करने संबंधी मानदंड की तुलना में बैंक की जमाओं के 70% और अग्रिमों के 70% भाग को कवर करना आवश्यक है. तदनुसार वर्ष के दौरान बैंक की ऐसी शाखाएं व अन्य इकाइयां समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन थीं तथा इनकी समवर्ती लेखापरीक्षा के लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों की सेवाएं ली गई थीं. इसके अलावा प्रधान कार्यालय में अभिनिर्धारित किए गए वर्टिकल/विभाग भी समवर्ती परीक्षा के अधीन हैं. सभी व्यापार वित्त केंद्र भी समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं. रिपोर्ट की गुणवत्ता तथा समय पर प्रस्तुति हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन पर अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (ज़ेडएओ) लगातार गहन निगरानी रखते हैं.

ऋण लेखापरीक्षा

आपके बैंक ने वार्षिक आधार पर चुनिंदा खातों की विस्तृत समीक्षा के लिए ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली कार्यान्वित की है. निम्नलिखित परिभाषित मानदंडों के आधार पर समीक्षाधीन अवधि के दौरान मंजूर किए गए नए खातों में से उधारकर्ता खाते ऋण लेखापरीक्षा के लिए अभिनिर्धारित किए जाते हैं: (i) कार्यकलाप के आकार के आधार पर निर्दिष्ट सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक की मंजूरी सीमा वाले सभी नए प्रस्ताव (संवितरण की तारीख से 3-6 महीने के अंदर) और सीमाओं के नवीकरण/नवीकरण-सह- वृद्धि के प्रस्ताव; (ii) बचे हुए प्रस्तावों में से बिना किसी क्रम से चुने गए (5%) प्रस्ताव; (iii) निवेश ग्रेड से नीचे (यदि वित्तीय वर्ष के दौरान निवेश ग्रेड से परिवर्तित हुए हों);

और (iv) कार्यकलाप के आकार के आधार पर निर्दिष्ट सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक की मंजूरी सीमा वाले अधिग्रहण संबंधी मामले.

रिटेल शाखाओं के लिए धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई)

शाखा द्वारा प्रदान किए गए अग्रिमों में धोखाधड़ी की संभाव्यता के स्तर का आकलन करने के लिए आपके बैंक ने रिटेल शाखाओं के लिए मौजूदा आरबीआईए टेम्पलेट के अंतर्गत धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) व्यवस्था लागू की है. 24 कार्यात्मक क्षेत्रों को धोखाधड़ी के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है और धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) के रूप में चुना गया है.

विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षा (एसआईए)

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के फलस्वरूप आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को बड़ी संख्या में जांच-पड़ताल करने हेतु अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं. वर्ष 2018-19 के दौरान 62 मामलों की जांच-पड़ताल की गई. ये जांच-पड़तालें नीतियों, उत्पाद संबंधी दिशानिर्देशों, कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं में प्रणालीगत सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और नियंत्रणों की बहाली तथा शाखाओं की बेहतर समग्र निगरानी सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं. इन जांच पड़तालों से आयी आरंभिक सक्रियता ने बैंक को समय पर वसूली/कानूनी कार्रवाई आरंभ करने में तथा खातों को एनपीए बनने से रोकने में सहायता की. इसके अलावा, उन्होंने बैंक को नये जोखिम क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने तथा कमियों पर सक्रियतापूर्वक कार्रवाई करते हुये विभिन्न जोखिमों को कम करने में सहायता की.

धोखाधड़ी निगरानी

आपके बैंक ने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) के अंतर्गत एक समर्पित धोखाधड़ी निगरानी समूह (एफएमजी) के माध्यम से धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था कार्यान्वित की है. धोखाधड़ी निगरानी समूह धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाइयों की प्रभावोत्पादकता की भी समीक्षा करता है साथ ही इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक परामर्श देता / परिपत्र भी जारी करता है. इस प्रकार की कार्रवाई में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाना और आवश्यकता आधारित उपचारात्मक उपाय लागू करना शामिल है. धोखाधड़ियों का समयपूर्व पता लगाने, उनकी रोकथाम करने, रिपोर्टिंग, निगरानी और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विस्तृत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित की गई है. धोखाधड़ी के मामलों को कम करने हेतु ₹ 1 करोड़ और उससे ऊपर के सभी ऋण और दृष्टिबंधक संबंधी दस्तावेजों की विधिक लेखा-परीक्षा करने का तंत्र बनाया गया है. आपके बैंक ने धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए धोखाधड़ी के मामलों के मूल कारणों का विश्लेषण और इसमें व्यवस्थित सुधार किये हैं.

अन्य पक्षकार संस्थाओं को कालीसूची में डालना (ब्लैक लिस्टिंग)

धोखाधड़ी वाले खातों की जांच करते समय, बैंक को कुछ अन्य पक्षकारों अर्थात् अधिवक्ताओं, मूल्यांकनकर्ताओं, संपार्श्विक प्रबंधकों आदि के बारे में पता चला है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधारकर्ता / स्टाफ सदस्य के साथ साठगांठ कर धोखाधड़ी के अपराध में शामिल हो सकते हैं. बैंक ने वर्ष के दौरान पांच संपार्श्विक प्रबंधकों को कालीसूची में डाला और नौ मूल्यांकनकर्ताओं के नाम सूची से हटा दिये हैं.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में पूर्ण रूप से गठित सतर्कता विभाग है जिसके विभागाध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होते हैं. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने सतर्कता से संबंधित गतिविधियों के बेहतर अनुपालन के लिए एक अंचल सतर्कता ढांचा स्थापित किया है.

आपके बैंक के सीवीओ द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का व्यापक कार्यक्षेत्र/ दायरा है तथा इसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गये/ संभवतः किए जाने वाले भ्रष्ट कार्यों के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्रित करना शामिल है. सीवीओ, बैंक के सतर्कता मामलों से संबंधित सभी कार्यों को करते/ देखते हैं जिनमें (i) सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करना, सतर्कता इंगित करने वाली और सत्यापन किए जाने लायक आरोपों से संबद्ध शिकायतों की जांच करना (ii) रिपोर्टों पर कार्रवाई करना जिन्हें आगे अनुशासनात्मक प्राधिकारी के विचारार्थ भेजा जाए, (iii) जहां कहीं भी आवश्यकता हो मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीओ) को उनके विचारार्थ/ सूचना हेतु भेजना (iv) भ्रष्टाचार/ कदाचार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना शामिल हैं.

सतर्कता विभाग ने आपके बैंक के इंट्रानेट साइट पर वेब पेज रखा है जिस पर विभाग के कार्यों की जानकारी, बैंक की सभी शाखाओं / कार्यालयों में प्रदर्शित किये जाने वाले सीवीसी के मानक नोटिस के प्रारूप; सीवीसी व सीवीसी के मुख्य तकनीकी निरीक्षक संगठन (सीटीईओ) द्वारा तथा आपके बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिपत्र / दिशानिर्देशों और निवारक सतर्कता के लिए 'क्या करें और क्या न करें' जैसी जानकारी दी गई है.

आपके बैंक द्वारा अपनाए गए कुछ निवारक उपायों में विभिन्न शाखाओं में अनाचार, यदि कोई हो, का पता लगाने और स्थापित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन की जांच हेतु औचक सतर्कता दौरे तथा स्वतः संज्ञान आधार पर निरीक्षण (एसवीवी) करना शामिल हैं. सतर्कता विभाग द्वारा एकबारीय निपटान/ पहली बार एनपीए मामलों की जांच के अलावा, बैंक अधिकारियों की आस्ति व देयताओं में असामान्य भिन्नता/ बेमेल पाए जाने अथवा गैर-अनुपातिक आस्तियों के मामले का पता लगाने के लिए बैंक अधिकारियों की वार्षिक आस्ति व देयताओं की विवरणियों (एआरएएल) की जांच, बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच का कार्य भी किया जाता है.

भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों के तहत साथ ही साथ सीवीसी द्वारा निर्देशित जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आपके बैंक ने 29 अक्टूबर, 2018 से 03 नवंबर, 2018 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2018' मनाया. इस अवसर पर, आपके बैंक ने स्टाफ के सदस्यों के लाभ के लिए एक विशेष जर्नल जारी किया और स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे निबंध लेखन, वक्तृत्व, क्विज़, आदि का आयोजन भी किया. बैंक के प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाओं के कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को सुग्राही बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों / सेमिनारों / वार्ताओं का आयोजन किया गया. आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, आपके बैंक ने, सतर्कता जागरूकता सप्ताह वीएडब्लू 2018 के एक भाग के रूप में, अपने अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं और अन्य ग्राहक-संपर्क प्लेटफार्मों पर प्रमुख स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए. बैंक की अर्ध शहरी और ग्रामीण शाखाओं में जागरूकता ग्राम सभाओं का आयोजन भी किया गया.

विनियामक अनुपालन

आपका बैंक आंतरिक नियंत्रणों की संरचित प्रणाली और विभिन्न स्तरीय समीक्षा के ज़रिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य विनियामक/ सांविधिक निकायों

द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. कार्यपालक निदेशक पद के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के रूप में नामित एक वरिष्ठ अधिकारी की देख-रेख में आपके बैंक का अनुपालन विभाग सभी वैधानिक और विनियामक दिशानिर्देशों के प्रसार और आंतरिकीकरण का समन्वय करता है. आपके बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक अनुपालन नीति लागू की है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. आपके बैंक में अनुपालन कार्य के संबंध में प्रत्येक टियर के लिए भूमिका व जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है. बोर्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों / एजेंसियों से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं / दिशानिर्देशों के संबंध में मासिक अंतराल से अवगत कराया जाता है.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

आपके बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों का त्वरित उत्तर देने के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए हैं. इसके अलावा, सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने और उन्हें नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने असंतुष्ट आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक श्रेणी के एक वरिष्ठ अधिकारी (एफएए) को प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक पद के एक पारदर्शिता अधिकारी को नामित किया गया है. बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के लिए एक अलग लिंक उपलब्ध कराई गयी है. आपके बैंक ने भारत सरकार के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.gov.in) के साथ भी संबद्धता स्थापित की है जिसके ज़रिए नागरिक आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकते हैं और अपील दायर कर सकते हैं.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने भारत सरकार के राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा अधिनियम व नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु संगठित प्रयास किए. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम और अन्य निदेशों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके बैंक के सभी वर्टिकलों, विभागों, अंचल कार्यालयों और शाखाओं द्वारा नियमित रूप से विशेष प्रयास किए गए.

वर्ष के दौरान बैंक की वेबसाइट पर बैंक के उत्पादों एवं योजनाओं के बारे में हिंदी में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए. बैंक के अभय, पेएप्ट और एम-पासबुक जैसे मोबाइल एप्लिकेशन हिंदी सुविधा के साथ उपलब्ध कराए गए. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा डिजिटल बैंकिंग से संबंधित विभिन्न अभियान हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किए गए. ग्राहकों को सूचना देने के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर, बैनर तथा अन्य तथ्यपरक सामग्रियों को हिंदी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रदर्शित किया गया. सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे- 'अटल पेंशन योजना', प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना', 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना', 'सुकन्या समृद्धि योजना' आदि से संबंधित प्रचार अभियानों में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया.

आपके बैंक ने दैनंदिन कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अपने इंट्रानेट पर द्विभाषी रूप में टेम्पलेट पत्र, फॉर्म, शब्दकोश, नोटिंग और अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री अपलोड की है. दैनं दिन कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने हेतु स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गईं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. आपके बैंक के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपके बैंक द्वारा सभी क्षेत्रों में राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न अपेक्षाओं और हिंदी यूनिकोड के प्रयोग से स्टाफ सदस्यों को परिचित कराया गया. बैंक के आंतरिक कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली (एचआरएमएस) के लिए सभी कम्प्यूटरों में हिंदी कन्वर्टर की सुविधा उपलब्ध करायी गई. आपके बैंक ने सितंबर 2018 में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन भी किया.

आपके बैंक द्वारा दैनंदिन कार्यों और अपने कारोबार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों की विभिन्न मंचों पर प्रशंसा हुई है और बैंक ने वर्ष के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त किए जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i) आपके बैंक के दिल्ली अंचल कार्यालय, देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, पुड्डूचेरी और कडलूर (तमिलनाडु) शाखा को उनकी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन हेतु राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया;

ii) आपके बैंक की तिमाही हिंदी पत्रिका 'विकास प्रभा' को एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) ने भारतीय भाषा प्रकाशन श्रेणी में तीन पुरस्कार (दो रजत तथा एक कांस्य) प्रदान किए; 'विकास प्रभा' को प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था - 'आशीर्वाद' द्वारा श्रेष्ठ हिंदी गृह पत्रिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

iii) राजभाषा नीति को लागू करने में बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति और आलेख एवं साक्ष्य समिति द्वारा रुद्रप्रयाग, सूरत शाखाओं और दिल्ली अंचल कार्यालय तथा मुंबई अंचल कार्यालय के निरीक्षणों के दौरान सराहना की गई;

iv) भारत सरकार के राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों ने अपने निरीक्षणों के दौरान आपके बैंक में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की सराहना की.

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन

अपने सभी हितधारकों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने के ध्येय को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम वित्तीय समाधानों के व्यापक समूह पर विशेष जोर दिया गया है.

आपके बैंक में आईएसओ 9001 : 2015 का प्रमाणन प्राप्त ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी) है, जो विभिन्न संपर्क बिन्दुओं से प्राप्त शिकायतों का निवारण करता है. आपका बैंक, बैंक ग्राहक सेवा नीति, शिकायत निवारण नीति तथा ग्राहक अधिकार जैसी नीतियों की नए परिवर्तनों के मद्देनजर नियमित आधार पर समीक्षा करता है. आंतरिक लोकपाल योजना 2018 पर रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, शिकायत निवारण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिकायत निवारण समय (टीएटी) को 19 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है. ग्राहक अब बैंक की वेबसाइट पर विभिन्न माध्यमों के ज़रिए दर्ज की गई अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकता है. ग्राहक विभिन्न माध्यमों के ज़रिये खाते में किसी भी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की रिपोर्टिंग 24x7 आधार पर कर सकता है. आपके बैंक ने सुविधाजनक बैंकिंग के प्रयास तथा हरित पहल के रूप में एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग व इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पोंस (आईवीआर) जैसे माध्यमों के ज़रिये डेबिट कार्ड पिन जनरेट करने की सुविधा प्रदान की है.

आपका बैंक नियमित आधार पर ग्राहक से फीडबैक प्राप्त करता है तथा ग्राहकों की खुशी के लिए प्रक्रियाओं में सुधार हेतु इसका प्रयोग करता है. आपका बैंक अखिल भारतीय स्तर पर ग्राहक बैठकों का आयोजन करता है जिसमें बैंक का वरिष्ठ प्रबंधन ग्राहकों से बातचीत करता है. बैंक विनियामक अनुपालन तथा

ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा के मूल्यांकन के उद्देश्य से सभी शाखाओं में गुप्त खरीददारी कार्यकलाप भी आयोजित करता है.

बैंक के संपर्क केंद्र दो स्थानों अर्थात् सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई तथा हैदराबाद से 24x7 आधार पर परिचालन करता है. संपर्क केंद्र हिंदी व अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सेवाएं प्रदान करता है. ग्राहक सेवा मुहैया कराने के अलावा ये संपर्क केंद्र लीड जनरेशन और वसूली कॉल भी संचालित करते हैं.

आपके बैंक ने ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) एवं बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) जैसी वरिष्ठ स्तर की दो समितियां भी स्थापित की हैं, जो हर तिमाही में बैठकें आयोजित करती हैं. ये समितियां बैंक के विभिन्न चैनलों द्वारा ग्राहकों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के फीडबैक की समीक्षा करती हैं. ये समितियां ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा करती हैं और इनके समाधान में तत्परता बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश भी प्रदान करती हैं

कॉरपोरेट संप्रेषण

मीडिया में आपके बैंक पर सकारात्मक खबरों के महत्व को देखते हुए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जनसंपर्क गतिविधियों पर लगातार जोर दिया गया. आपके बैंक द्वारा अपनाई गई रूपांतरण रणनीति के परिणामस्वरूप प्रगति और सुधारों को अद्यतित करने के लिए मीडिया के साथ नियमित अंतरालों पर बातचीत की गई. बैंक के विभिन्न सोशल मीडिया पृष्ठों का उपयोग बैंक के उत्पादों, सेवाओं और विशेष प्रस्तावों के विवरण के प्रसारण के लिए किया गया. वर्ष के दौरान, बैंक के उत्पादों की दृश्यता और ब्रांड की छवि को बढ़ाने के लिए कई विज्ञापन अभियान चलाए गए.

आपके बैंक के आंतरिक संप्रेषण का उद्देश्य बैंकिंग तथा उससे इतर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रभावी आदान-प्रदान को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना तथा कर्मचारियों के बीच सामुदायिक भावना को जागृत करने और एक सामूहिक लक्ष्य के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से संबंधों को विकसित करना है. इसमें, अन्य बातों के साथ- साथ, डिजिटल समाचार पत्र 'अभ्युदय' का आरंभ कर इसके माध्यम से कर्मचारियों को बैंक के विभिन्न विकास कार्यों के बारे में अद्यतन जानकारी देना है, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने वाले शीर्ष प्रबंधन के विडियो दिखाना, शनिवार को ऑनलाइन क्विज द्वारा कर्मचारियों से जुड़ना, आदि शामिल है.

सूचना प्रौद्योगिकी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा और संतुष्टि पर अपना मुख्य ध्यान केंद्रित रखते हुए अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण और उन्नयन पर ध्यान देना जारी रखा है. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने प्रमुख परियोजनाओं जैसे कि बैंक के कोर बैंकिंग समाधान का उन्नयन, फिनेकल ई-बैंकिंग आर्किटेक्चर, उद्यम-वार डेटा वेयरहाउस समाधान, उद्यम-वार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंध समाधान के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति की है. आपके बैंक ने इन परियोजनाओं को 2019-20 में पूरा करने का लक्ष्य रखा है. इन परियोजनाओं के साथ ही आपके बैंक ने अपने कई महत्वपूर्ण आईटी हार्डवेयर सिस्टमों के उन्नयन और उनके पूर्ण रख-रखाव पर विशेष जोर दिया है और नेटवर्क उपकरणों, स्विचों और सर्वरों जैसी अपनी आस्तियों के संवर्धन में दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियोजित हार्डवेयर कारोबारी जरूरतों को पूरा करता है. विनियामकीय और संवैधानिक महत्व की परियोजनाओं के सफल निष्पादन के अलावा, आपके बैंक ने विभिन्न उत्कृष्ट सुरक्षा समाधानों को प्रारम्भ करते हुए उद्योग-वार सूचना सुरक्षा मसलों का भी समाधान किया है.

आपके बैंक ने सही समय पर सही उत्पाद उपलब्ध कराने के द्वारा उच्च ग्राहक वॉलेट शेयर प्राप्त करने के उद्देश्य से डेटा एनालिटिक्स के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का भी गठन किया है. सीओई टीम विश्लेषणात्मक परिचालित बिक्री के माध्यम से उच्च स्तरीय कारोबार के सृजन और शुल्क आय में वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है. 'माई बैंक, माई लीड (एमबीएमएल)' नामक मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा लीड और अभियान प्रबंधन के लिए एक सुपुर्दगी, नियंत्रण, निगरानी और समीक्षा टूल का उपयोग कर सभी शाखाओं में इन-हाउस अभियान आरंभ किए गए जिससे बैंक की शाखाओं को कारोबार अर्जन को बढ़ाने तथा ग्राहक के साथ संपर्क करने में मदद मिली.

आपके बैंक ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड 2016 के तत्वावधान में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड में पंजीकृत सूचना यूटिलिटी (आईयू) है, जिसमें बैंक की कानूनी साक्ष्य के भंडार के रूप में सेवा देने की प्राथमिक भूमिका, वित्तीय या परिचालनगत लेनदार द्वारा प्रस्तुत और ऋण के लिए अन्य पक्षों द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किसी भी ऋण / दावे से संबंधित जानकारी रखना है. आपके बैंक ने 99% सटीकता सहित एनईएसएल में सफलतापूर्वक जानकारी अपलोड की है. आपके बैंक ने *'प्रोजक्ट शुचि'* के अंतर्गत डाटा क्लिंजिंग में और प्रगति की है जिसके अंतर्गत गलत रिकॉर्ड की स्थिति के संबंध में कार्यालयों/ शाखाओं को ऐसा डाटा सही करने के लिए प्रत्येक दिवसांत स्वचालित अलर्ट के सृजन संबंधी प्रणाली तैयार की गई.

ग्राहक-केंद्रित एप्लिकेशन को पेश करने के अपने ध्येय प्रचार के अंतर्गत, आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को तकनीकी प्रगति का लाभ पहुँचाने के लिए कई नए और अभिनव एप्लीकेशनों की शुरुआत की है. आपके बैंक ने एनआरआई ग्राहकों के लिए सावधि जमा के एवज ओवरड्राफ्ट और वेब-आधारित खाता खोलने जैसी ऑनलाइन सुविधाएं आरंभ की हैं. आपके बैंक ने एक ऑनलाइन एकबारीय निपटान (ओटीएस) एप्लिकेशन मॉड्यूल आरंभ किया है, जो ग्राहकों को झंझट मुक्त ऑनलाइन माध्यम से अपने लंबे समय से लंबित ऋणों के निपटान के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है. आधार नामांकन की सुविधा देने के लिए, बैंक ने भारत भर में अपने 192 कार्यालयों / शाखाओं को आधार नामांकन केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार कर दिया है. विभिन्न ग्राहकोन्मुखी प्रस्तावों के अलावा, आपके बैंक ने अपने आंतरिक उपयोग के लिए भी कई एप्लिकेशन तैयार किए हैं. इसमें मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन- *'जियो-आईडीबीआई'* शामिल है जो अपने अधिकारियों को अपने उधारकर्ताओं द्वारा संपार्श्विक के रूप में पेश की गई अचल संपत्तियों के स्थानों को जियो-टैग करने में सक्षम बनाता है. देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ तालमेल में, एलआईसी ने बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी अधिग्रहित की है जिसके अंतर्गत एलआईसी शाखाओं द्वारा प्रीमियम वसूल करने, डिजिटल चैनल पर ग्राहकों द्वारा प्रीमियम के भुगतान ग्राहक अधिग्रहण आदि के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी समाधान के कई अवसर खुल गए हैं जो कार्यान्वित हो गए / कार्यान्वयन के अधीन हैं.

केंद्रीकृत परिचालन

आपके बैंक के पास केंद्रीकृत सेवाओं जैसे मीयादी जमाराशियों के ब्याज पर टीडीएस, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, पिन मेलर, चेक बुक, खाता विवरण तथा ग्राहकों को सुपुर्द किए जाने वाले अन्य प्रदेयों के निर्माण तथा सुपुर्दगी, डीमैट खाता खोलने, अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए), सिंडीकेट एएसबीए और प्रतिभूति पर ऋण (एलएएस) आदि के लिए एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) है. केंद्रीकृत गतिविधि आपके बैंक द्वारा इन कार्यकलापों के लिए लगने वाले समय (टीएटी) में कटौती और बैंक की लागत में बचत में मदद करती है.

आपके बैंक में छः क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई (आरपीयू) मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद में हैं.

शाखा परिचालन सहायता एवं नीति

आपका बैंक कर्मचारियों को बैंकिंग परिचालनों, सेवाओं आदि की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनके दैनंदिन परिचालनों के लिए ज्ञान प्रदान करने में सबसे आगे है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपका बैंक उत्पादों, परिचालनों और सेवाओं पर अद्यतन जानकारी सहित सभी हितधारकों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है.

आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुपालन में और अपनी सभी शाखाओं में नोट छँटाई / नोट स्वीकार करने वाली मशीनें लगाई हैं. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने सूरत, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी में तीन नए करेंसी चेस्ट (सीसी) खोले हैं. इसी के साथ, बैंक के देश भर में 21 सीसी हैं. ये सीसी सभी संबद्ध शाखाओं से नकदी संसाधित और एटीएम और शाखाओं के माध्यम से वितरण के लिए स्वच्छ नोट उपलब्ध कराते हैं.

घरेलू भुगतान तथा विप्रेषण सेवाएं (डीपीआरएस)

आपका बैंक पेपर आधारित भुगतान लिखतों के भुगतान और संग्रहण तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से निधि अंतरणों के प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करता है. आपके बैंक में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) द्वारा समाशोधन कार्यकलापों को संभालने हेतु चेन्नई, दिल्ली और मुंबई तीन केंद्रीकृत समाशोधन ग्रिड केंद्र हैं. सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तथा विप्रेषण सेवाओं के परिचालन कार्यकलापों को संभालने हेतु मुंबई में एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रोसेसिंग केंद्र (ईटीपीसी) भी है. किसी भी ग्रिड केंद्र और ईटीपीसी में संकटकालीन परिस्थितियों के दौरान समेकित परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एक लागत- प्रभावी 'कारोबारी निरंतरता योजना' लागू की है.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

सीएसआर के लिए आपके बैंक की परिकल्पना समाज के लिए दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक मूल्य सृजन हेतु निरंतर पहल कार्यों के माध्यम से समाज के कल्याण में सार्थक योगदान देना और सीएसआर में एक अहम भूमिका निभाना है. आपका बैंक प्रत्यक्ष पहल कार्यों के साथ-साथ विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने और लाभार्थियों के साथ साझेदारी बनाते हुये इसे हासिल करना चाहता है. आपके बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के अनुपालन में 1 अप्रैल 2014 से बोर्ड-अनुमोदित सीएसआर नीति लागू की है. सीएसआर विषय को और स्पष्ट बनाने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर नीति को संशोधित किया गया. कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में इन विविध सीएसआर कार्यकलापों के ज़रिए आपके बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने, बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने, पर्यावरण संबंधी निरंतरता सुनिश्चित करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने, व्यावसायिक और रोजगार परक कौशल को समुन्नत बनाने तथा योजनाबद्ध मध्यस्थताओं के ज़रिये गाँवों का संपूर्ण विकास करने में योगदान दिया है.

कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत किसी भी राशि के व्यय की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, सक्रिय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार इकाई के रूप में, आपके बैंक ने चयनित सीएसआर पहल कार्यों के लिए 0.25 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है.

Management Discussion and Analysis

BUSINESS ENVIRONMENT

Global growth slowed in the Calendar Year (CY) 2018 on the back of rising trade tensions, financial tightening as also moderation in economic growth in some of the major Emerging Market and Developing Economies (EMDEs). These trends are expected to be carried forward in CY2019 as well. For CY2019, the global economic prospects are clouded by loss in economic growth momentum in some of the major EMDEs with elevated trade tensions and financial market pressures. While central banks in some of the major advanced economies have maintained a status quo on their policy rates and adopted a dovish stance, the trade tensions, coupled with expected slowdown, may weigh down on the global investor sentiments.

Even on the domestic front, India's real Gross Domestic Product (GDP) growth for Financial Year (FY) 2018-19 has been pegged at a five-year low of 6.8% as per the provisional estimates released by National Statistical Office (NSO), marking a slowdown from 7.2% in FY 2017-18. Sector-wise analysis reveals that even as industry gained momentum during the year, slowdown in both agriculture and services sector eroded the gains to some extent, and thus, contributed to the deceleration in the overall growth momentum.

Going forward, India's real GDP growth may rebound in FY 2019-20 on account of several favourable factors. Continuity in the Government is expected to provide a fillip to reform measures targeted to boost investment and consumption activity in the economy and thus, fuel economic growth in India. While India's economic growth may confront headwinds from moderation in global growth and trade as well as unanticipated volatility in global financial markets, the cumulative impact of reform measures may be effective in counteracting these factors to some extent.

BUSINESS REVIEW

During the year, your Bank continued to pursue its strategic priorities of diversifying its portfolio mix in favour of retail and priority sector segments while pruning its corporate exposure and improving the asset quality. In consonance with its strategic endeavours, the Bank focussed on augmenting its low-cost deposit base with the intended objective of lowering the cost of deposits. Your Bank strived to ramp up its Retail, Agri and MSME (RAM) asset book, which is more granular in nature, while consciously restricting growth in its corporate asset book, in a bid to achieve a more diversified asset mix. These strategic objectives were ably supported by introduction of new offerings and revamped features in existing offerings in tandem with the emerging customer requirements. The Bank is also leveraging Customer Relationship Management (CRM) and business intelligence capabilities to have an insight into customer preferences and thereby, drive targeted sales.

The Bank's strategic endeavours received further impetus with the LIC becoming its promoter in January 2019. The mutual synergies emerging from the majority stake acquisition by LIC has opened up a wide range of potential business avenues for both the entities such as bancassurance, cash management and premium collection services, investment and advisory services, among others. Your Bank, in cognisance of these revenue generating business areas, has created dedicated teams to envisage and strategise on the areas of collaboration.

As customer-centricity is at the core of your Bank's business strategy, the Bank has been catering to the customer requirements through its physical network as well as digital/ alternate channels to ensure seamless customer experience. As on March 31, 2019, your Bank served its customers through its network of 1,892 branches, comprising 432 branches at metro centres, 464 branches at urban centres, 585 branches at semi–urban centres and 409 branches at rural centres (including 255 Financial Inclusion branches) across India, one overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai, one International Banking Unit (IBU) at Gujarat International Finance Tec–City (GIFT) as well as 3,700 ATMs and 58 e-lounges. With growing adoption of digital technologies in the current economy, the Bank has accorded due primacy to digitalisation of its processes and delivery channels with the intent of ensuring greater degree of customer convenience of transacting at any time, any place.

Apart from driving business growth, the Bank has been taking all possible steps to remedy the lingering asset quality issues as well as putting in place enablers for ensuring better asset quality, going forward. The Bank has been aggressively pursuing all available legal and regulatory recourses to maximise recovery and upgradation of Non-Performing Assets (NPAs). To arrest further slippages in its asset quality, a dedicated Collection & Recovery War Room has been set up to ensure focussed and accelerated efforts towards collection and recovery. Furthermore, your Bank is in the process of putting in place Early Warning Systems to ensure close monitoring of advances to preclude further slippages.

Seeking to ensure a stable and profitable growth that would enhance value for all its stakeholders, the Bank is proactively reinforcing its risk management and corporate governance practices. Various policies and guidelines put in place by your Bank encapsulates highest levels of corporate governance and regulatory compliance. Going forward, your Bank will continue to work progressively toward positioning itself as a trusted bank in the retail banking space.

Retail Banking

Retail Liability Products

As part of its endeavour to make banking more convenient, inclusive and responsive to the needs of its existing and prospective customers while also being mindful of the rapidly evolving industry trends, regulatory landscape and customer preferences, your Bank continued to introduce new improved products and upgrade its existing products such as Current Account, Savings Account and Term Deposits.

Your Bank strived to identify and digitise activities as part of its objective to automate the existing processes, and thereby, enhance service delivery as well as rationalise related costs.

In addition to Public Financial Management System (PFMS), your Bank has successfully integrated with Government e-Marketplace (GeM) which is an end-to-end solution for procurement of commonly used goods and services for all Central Government and State Government Ministries, Departments, Public Sector Units (PSUs) and affiliated bodies.

To tap the synergies between LIC and your Bank, specially designed current and payroll product variants for employees, agents and subsidiaries of LIC were introduced by the Bank.

NRI Services

Your Bank highly values its relationship with its Non-Resident Indian (NRI) customers and caters to their financial needs by offering a full spectrum of products and services, ranging from basic Non Resident External (NRE) Account, Non Resident Ordinary (NRO) Account and Foreign Currency Non Resident (FCNR) deposits to value-added services such as forward cover on FCNR deposits, Portfolio Investment Scheme (PIS) for investments in Indian secondary stock markets, overdraft facilities against NRI deposits, Home Loans, Loans Against Property, among others. The Bank has also launched a web-based online account opening facility for NRI customers on the basis of scanned copies of requisite documents to enhance customer convenience. Your Bank also offers various options to NRI customers for hassle-free fund remittances to India to enable fast, economical and convenient fund transfer.

Retail Assets

Your Bank continued to target a progressively larger retail business portfolio to facilitate a more balanced business mix. Pursuant to the same, your Bank currently offers a bouquet of retail asset products including Housing Loans, Mortgage Loans, Personal Loans, Education Loans, Auto Loans, among others.

During the year under review, your Bank's Structured Retail Asset (SRA) products were re-branded as *'Suvidha'* with tag line *'Convenient, Competitive and Transparent'* that helped it to retain its position as one of the leading players in the segment. Print media campaigns were undertaken to highlight your Bank's unique selling proposition.

Your Bank has also undertaken a host of initiatives such as introduction of specialised SRA products with concessional interest rates for LIC policyholders, Central & State Government employees and Payroll Customers. Your Bank introduced discounted rate of interest to borrowers with higher credit score for personal loan and auto loan. Further, your Bank also extended subsidy benefits under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) - Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) to numerous home loan borrowers and also achieved the education loan disbursement target in consonance with the Government agenda. The minimum rate of interest offered under home loan was extended for loan amount up to ₹ 35 lakh to align your Bank's loan offerings in line with the revised norms by the Reserve Bank of India (RBI) for Priority Sector lending (PSL). To ensure faster turnaround time (TAT) and enable tracking of loan applications by the borrowers, the Bank has in place an Automated Loan Processing System (ALPS) for its SRA products.

Credit Cards

Your Bank offers five credit card variants under different network schemes, which are (a) Winnings Select under RuPay scheme; (b) Royale Signature, Aspire Platinum & Imperium Platinum under Visa scheme; and (c) Euphoria World under Mastercard scheme. The card variants are targeted at different customer segments based on their profile and needs.

Your Bank, during the year under review, offered pre-approved credit cards to a select segment of its customers to boost its credit card penetration in the market.

On the occasion of 72nd Independence Day, a special scheme was launched where your Bank's credit cardholders could earn 72 additional Delight Points on each successful e-commerce transaction of ₹ 720/- or above for 72 hours. Your Bank has created a brand property, viz. *'Festive Delight'* to promote the usage of its credit cards and to position the product distinctively in customers' minds. During the year, your Bank launched two campaigns under the flagship *'Festive Delight'* campaign, whereby the customers could earn extra Delight Points. Your Bank also offered additional customer value in the form of merchant discounts and offers to its credit card customers.

Digital Banking

Your Bank is committed to significantly promote and enhance the distribution of various digital products viz. Debit Cards, Mobile Banking, Internet Banking, Point of Sale (PoS), Digital PoS, Internet Payment Gateway in line with the DigiDhan Mission of the Government of India (GoI) aimed at promoting digital payments. For customer convenience and creating awareness, your Bank has designated one officer from every retail branch as '*Digital Guru'* to act as a single point of contact for all digital product-related queries. During the year under review, the Bank saw 42% growth in its digital transactions, 182% growth in mobile banking base and 7% growth in debit card customer base on an annualised basis.

During the year, your Bank has updated its mobile banking app *'GO Mobile+'* by adding new features such as Card Less Cash Withdrawal, instant registration through SMS, instant OTP based activation, Debit Card Control, Green PIN generation, booking of term deposits, financial calculator, forex card rate etc. Your Bank has also taken strategic initiatives to improve uptime and availability of ATMs, and also taken steps to rationalise the ATMs to maximise interchange income. Further, your Bank has started to implement enhanced security measures such as acceptance of EMV chip card and anti-skimming devices at ATMs in a phased manner. Your Bank has also converted all the Magstripe cards to EMV chip cards within the stipulated timelines in compliance with the regulatory norms. Your Bank also offers Green PIN generation facility which is a paperless PIN generation solution that enables the Bank's debit cardholders to securely generate debit card PIN in electronic form through ATM, Interactive Voice Response (IVR), Internet Banking Channel, SMS & Missed Call facility.

During the year under review, your Bank saw several important achievements. Under the GoI's DigiDhan Mission, your Bank successfully exceeded the target assigned for on-boarding of BHIM QR Digital Merchants under Smart City Project. Your Bank was ranked at the 9th position amongst 56 banks/ financial institutions as on February 28, 2019 as per a report by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), GoI.

Third Party Products and Capital Market Products

Your Bank offers various value-added products and services to its customers, keeping in view their risk profile and financial goals. During the year, the Bank launched various campaigns to impart necessary thrust in enhancing fee income and fostering a healthy sales culture. Your Bank also worked towards promotion and servicing of the GoI Bonds, Rural Electrification Corporation of India (REC)/ National Highway Authority of India (NHAI) Bonds, the Sovereign Gold Bond (SGB) Scheme and the New Pension Scheme (NPS).

In February 2019, your Bank entered into a Corporate Agency agreement with LIC as an additional bancassurance partner for cross-selling LIC's insurance products through its branches. Your Bank has also successfully integrated LIC's products on a dedicated Banca Portal. The diversified product base of LIC offers a value-enhancing proposition for all your Bank's customers.

During the year under review, your Bank was ranked at the 1st position for being the top performer in new Demat accounts opened under the PSU-Bank Category at 33rd DP Conference of National Securities Depository Ltd. (NSDL).

Financial Inclusion

Your Bank has been proactive in partnering with the policymakers to further the objective of financial inclusion by ensuring access of financial products and services to the vulnerable sections of the society at affordable cost in a fair and transparent manner. The Financial Inclusion Plan (FIP) provides a structured and planned approach to financial inclusion with a commitment at the highest echelon. Your Bank has been actively promoting the agenda of financial inclusion with interventions in three key areas, viz., offering appropriate financial products, making intensive use of technology and enhancing financial literacy.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and Social Security Schemes

Your Bank proactively participated in social security schemes of Government of India, viz. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) for accident insurance cover, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) for life insurance cover and Atal Pension Yojana (APY) for pension in old age.

Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs)

Your Bank leveraged its network of Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) in an effort to increase penetration in rural and semi-urban areas and thereby, ensure greater financial inclusion as also provide an added impetus to its Priority Sector Lending (PSL) business. To provide facility of payments through BCs (also referred to as Bank Mitras), hand-held devices have been provided to them which are enabled with the facilities to accept RuPay cards and carry out Aadhaar-based transactions. Furthermore, to enhance the skill sets of BCs/ BFs, the Bank conducted extensive training sessions/ workshops at various locations across the country. Besides, your Bank has also provided on-the-job training to BCs/ BFs to develop their technical skill to operate on technology platform for conducting banking transactions.

Financial Literacy

Financial literacy has been identified as a pre-requisite for effective financial inclusion as it empowers the beneficiaries to make best use of the financial services being made available to them. Your Bank has set up desks known as *'Vittiya Sakhsharta Jankari Kendras'* in its rural branches, which have been entrusted with the responsibility of spreading awareness on various banking products and GoI social security schemes, through outdoor literacy camps. Your Bank has also conducted street plays in unbanked/ under-banked areas to spread awareness among rural populace about various banking services. Your Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) at Satara district in Maharashtra also conducts free residential training programme in job-oriented courses for the rural unemployed youth to empower them to be self-employed.

Other Initiatives

Your Bank is registered with Unique Identification Authority of India (UIDAI) as Registrar for Aadhaar enrolments. Your Bank has actively participated in Direct Benefit Scheme of the Central/ State Governments. Further, your Bank has continued with the distribution of social security pension through the BC channel.

Priority Sector Banking

Your Bank has been contributing significantly to Priority Sector Lending (PSL) as mandated by the RBI. During the year under review, the Bank focussed on financing Micro Enterprises, Direct Agri Non-Corporate (DANC) and Small & Marginal Farmers (SFMF). The Bank continued its effort to extend reach through corporate Business Correspondent (BC)/ Business Facilitator (BF) channel.

In terms of the GoI schemes/ directions, the Bank has been extending loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Stand-up India, minority communities and weaker sections including Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs).

Major Initiatives under PSL

- Special campaigns were launched for financing under Gold Loan, Kisan Credit Card (KCC), Agri Invest, Micro Enterprise, MSME, MUDRA, Stand-up India etc.
- Your Bank went live on a dedicated portal, viz. psbloansin59minutes.com, on October 1, 2018, whereby MSME loans up to ₹ 1 crore are sanctioned in a contactless manner to GST registered borrowers.
- Your Bank celebrated International MSME day on June 27, 2018 wherein specialised MSME branches conducted customer meet to enable customers to share their views with regard to the Bank's service and facilities.
- Your Bank observed Doctors' Day on July 2, 2018 as a mark of respect to the legendary physician, Dr. Bidhan Chandra Roy, and to commemorate the significant role doctors play in the society. Doctors' Meet was organised at

your Bank's Zonal Offices, Regional Offices and branches to brief them about the Bank's products and services.

- Your Bank has introduced CIBIL MSME Rank (CMR) applicable for MSME cases ranging from ₹ 0.1 crore to ₹ 10 crore for lending in a risk-contained manner.
- Your Bank launched credit plus services for MSME borrowers whereby the borrower can avail services of National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), IDBI Capital Markets & Securities Ltd. (ICMS) and Dun & Bradstreet through select branches of the service provider.
- Your Bank has introduced the concept of dedicated relationship managers for top 20 clients of specified MSME branches.
- Your Bank also placed special focus on the identified MSME clusters, which would aid in improving the Bank's PSL business.
- Your Bank has simplified the existing application form and appraisal format to facilitate faster turnaround time.

Corporate Banking

Your Bank's corporate banking portfolio includes exposure spread over varied sectors such as power, oil & gas, textiles, telecom, cement, steel, engineering, construction, paper & paper products, electronics & electrical equipment, sugar, chemicals, automobiles, Non-Banking Financial Companies (NBFCs), etc.

Your Bank's asset basket for corporate clients includes term loans, working capital (both fund-based and non-fund based), packing credit to exporters, receivables buyout, bill discounting, etc. Within the ambit of corporate banking, your Bank also places due emphasis on Priority Sector Lending by offering products such as channel financing and vendor financing for dealers/ vendors of corporates. The corporate banking team of your Bank works closely with other specialised teams in retail banking, transaction banking, treasury, etc. for developing suitable products and devising appropriate solutions to fulfil specific needs of the corporate clients.

In alignment with its turnaround strategy, your Bank is consciously restricting growth in its corporate loan book which would help the Bank in shifting to a capital light model while simultaneously de-risking its business portfolio.

Asset Quality

Your Bank continued to lay emphasis on containment of fresh Non-Performing Assets (NPAs) and maximising recovery from the existing impaired assets. As at end-March 2019, 72.53% of your Bank's total loans were Performing Assets whereas 27.47% were NPAs (of which 11.26% were Sub-standard Assets, 85.61% were Doubtful Assets and Loss Assets formed 3.13%). Adequate provisions were made in conformity with extant regulatory guidelines and as a prudent approach, your Bank has increased the Provision Coverage Ratio from 63.40% as on March 31, 2018 to 82.88% as on March 31, 2019.

Recovery from impaired assets and upgrade of NPAs to Performing Assets during the year was at ₹ 7,850.49 crore which facilitated the Bank to reduce the end-level NPAs to ₹ 50,027.94 crore as on March 31, 2019.

Your Bank has crafted a multi-pronged response strategy of calibrated growth in retail assets portfolio coupled with the improved credit underwriting standards and monitoring, early recognition of stress, resolution and recovery of NPAs. The Bank has reviewed and revised the policy guidelines, enhanced/ strengthened the system enablers for optimum use of MIS for timely data availability/ analysis-based activity, monitoring and structured review with case-specific strategy for recovery from large-value accounts and persistent and timely action with respect to retail NPAs.

Your Bank has a dedicated vertical, viz. NPA Management Group (NMG), for focussed and aggressive approach towards resolution and recovery with account-specific resolution strategies and close monitoring of corporate NPAs. A dedicated team within NMG has been carved out to monitor, supervise and drive recovery actions from NPAs of retail segment including through a War Room, which has provided an impetus to recovery in retail NPAs. A centralised dedicated desk has been set up for cases under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP), which has provided the overarching view by internalisation of learning from the field and dissemination across teams for navigating through the complexities.

Your Bank, in order to utilise One Time Settlement (OTS) as an effective tool to facilitate realisation of time value of money, has introduced *'OTS Management System'* as per the GoI's directions under Enhanced Access and Service Excellence (EASE) programme. The OTS management system facilitates submission of an OTS application through your Bank's website as also enables end-to-end processing of an OTS proposal, including tracking of recovery. Your Bank has successfully launched a non-discriminatory and non-discretionary OTS scheme for small value NPA/ Technically Written-Off (TWO) accounts.

Your Bank also pursues legal actions under the applicable laws, enforcement actions under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, follows up with Debt Recovery Tribunals (DRTs)/ courts on a continuous basis, including posting dedicated legal officers as nodal officers so as to minimise the delays in obtaining recovery certificates/ decrees and execution thereof.

Your Bank has classified 222 cases as wilful defaulters with punitive actions initiated against such borrowers/ promoters/ directors and declared 8 cases as Non-Cooperative Borrowers as on March 31, 2019.

Credit Monitoring Group

Credit Monitoring Group (CMG) was set up in May 2017, with major objectives viz. monitoring of onset of stress, monitoring of credit administration parameters and structured loan review.

CMG identifies Special Mention Accounts (SMAs), probable Non Performing Accounts (NPAs) and regular accounts showing Early Warning Signals of stress. CMG has developed an in-house predictive model for identification of high-risk accounts, even at pre-SMA stage, in select segments. To prevent slippage of these accounts into NPA, intensive follow up and monitoring of these accounts is undertaken. The online portal of CMG has Asset Monitoring Tools *'SAJAG'* and *'SMA Action Tracker'*

which provides details of SMAs, Probable NPAs, EWS Accounts, High-risk Accounts and pending Credit Administration Parameters (CAP) to branches on a real-time basis. The collection actions by field functionaries are captured by SMA Action Tracker and CAP updations are captured by '*SAJAG*' which enables monitoring of these accounts on a real-time basis. An Automated Comprehensive Bank-wide Early Warning System is under implementation which would further augment the capability of the Bank to identify high-risk accounts and accounts showing early signs of stress in pre-SMA stage.

Structured Loan Review Mechanism is designed to provide timely feedback on the effectiveness of credit sanction and follow-up to identify incipient deterioration in portfolio quality, track early warning signals and compliance with credit administration parameters.

Trade Finance

Your Bank continued to show healthy growth in its trade finance business conducted through its 39 Category B Authorised Dealer Trade Finance (TF) centres and 177 designated retail TF branches.

As part of your Bank's ongoing digital transformation, various IT initiatives have been taken during the year under review to automate the process flow of transaction with a view to enhancing security control measures as well as improving operational efficiency and productivity.

Your Bank has got approval from the GoI for dealing in Indo-Iran trade settlements in Indian Rupee, which includes both oil and non-oil transactions. This mandate is aimed at facilitating trade settlement for exporters between the two countries.

Your Bank has set-up a Centralised SWIFT Cell (CSC) at CBD-Belapur, Navi Mumbai for conducting SWIFT operation of trade finance transactions of the Bank's Indian branches on a secured IT platform.

Your Bank has established Relationship Management Applications (RMAs) with over 1,100 major foreign banks. With this enhanced network, your Bank facilitates bi-directional trade transactions across major geographical locations globally.

In recognition of your Bank' s operational efficiency in processing 'Straight Through' online payments and quality of payment messages, Citi Bank and Deutsche Bank have bestowed the Bank with 'Performance Excellence Awards' in the Straight Through Processing (STP) category for US Dollar payments.

Government Business

Your Bank acts as an agent for Central Government and State Governments to manage their receipts and payments. Your Bank is authorised to collect Central Government Taxes (Direct & Indirect) as well as Goods & Service Tax and Government Receipts for 23 State Governments and 4 Union Territories. Your Bank facilitates 24x7 internet banking facilities for tax payments. Your Bank was ranked at the 3rd position among all public sector banks and authorised private sector banks in terms of collection for Central Board of Direct Taxes (CBDT).

Your Bank has enabled online collection of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employee State Insurance Corporation (ESIC). Your Bank is also authorised by GoI to offer Small Saving Schemes, viz. Public Provident Fund (PPF), Senior Citizens Saving Scheme (SCSS) and Sukanya Samriddhi Account Scheme (SSA) through its branches. Your Bank also provides facility to submit Life Certificate for Central Government pensioners digitally using Jeevan Pramaan Portal.

Cash Management Services

Your Bank offers a wide array of collection and payment products as part of Cash Management Services (CMS). Your Bank's CMS systems are upgraded on a periodic basis in order to meet client requirements as well as to improve operational efficiency. Your Bank offers various solutions like National Automated Clearing House (NACH), virtual account facility, utility payments, direct debit facilities and other customised e-solutions that have been technologically integrated (host-to-host) with client systems.

During the year under review, your Bank provided cash and cheque pick-up facility to over 300 corporates whereas payment clients are over 1,900. Your Bank is also authorised to participate in e-freight payment system of Indian Railways and has already commenced business in 12 zones for e-freight collections having 49 corporate clients. Your Bank is also authorised to handle payment business of Southern Railways. During the year, your Bank bagged 323 dividend distribution/ interest on bonds payment mandates.

During the year under review, your Bank facilitated 11 divisions of LIC with regard to annuity payment to their policyholders and payment of other management expenses. Your Bank has also launched *IDBI Rapid Pay* to collect insurance premium from LIC's policyholders through its branches.

Your Bank is also authorised to facilitate utility bill payments through Bharat Bill Payment (BBPS).

Treasury Operations

Your Bank's Head Office has integrated Treasury which covers various segments like money market, fixed income, foreign exchange, derivatives and equities for efficient fund management and treasury operations. Your Bank also regularly tracked various markets and adopted acceptable level of positions for trading gains.

The Treasury is responsible for adherence to regulatory requirement of Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR). Your Bank has used various instruments to manage liquidity for balance sheet management and maturity of liabilities in addition to deposit mobilisation. Liquidity position was proactively assessed on a regular basis and depending upon fund position, the same was managed by the Treasury through various short term/ money market instruments and RBI's facilities like Liquidity Adjustment Facility (LAF), Term Repo and Open Market Operation (OMO). Following the capital fund infusion into your Bank by LIC and with muted credit off-take during the year under review, the Bank made conscious efforts to reduce dependence on high cost bulk deposits.

In accordance with the RBI guidelines, your Bank has complied with the Basel III Framework on Liquidity Standards covering Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring tools and LCR Disclosure Standards for improved liquidity risk

management and conducted saleability test for identifying High Quality Liquid Assets (HQLA).

Your Bank's Treasury is supported by a sales team for effective marketing of foreign exchange and derivative products across 17 centres pan-India to cater to its corporate and retail clients and proactively interacted with them to provide them with solutions to effectively manage their exposures in currencies and rates. Several campaigns were launched to tap the retail and corporate relations to augment the forex business and deepen the existing relationships.

As a part of operational risk management, your Bank operates Treasury Business Continuity Centre at CBD-Belapur, Navi Mumbai. The centre has integrated operations covering various market segments and can handle the front office, back office and mid-office functions of Treasury.

Your Bank has debt sales teams at various centres for retailing of Government Securities (G-Secs) and caters especially to the needs of the investors for undertaking transactions outside the screen-based Negotiated Dealing System-Order Matching (NDS-OM). Further, in line with the RBI directives, your Bank provides the facility of web-based NDS-OM module to Gilt Account Holders (GAHs) for online trading of G-Secs in the secondary market. Treasury also provides Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) service to GAHs having accounts with your Bank.

Your Bank's Treasury continues to be in the forefront of introducing innovative financial solutions which indirectly contributes towards market development. The Bank's *'IDBI Samriddhi G-Sec'* portal continues to provide facility to retail investors to buy G-sec online and through ATMs.

In the Primary Dealer (PD) business, your Bank underwrote the regulatory required amount of debts of various tenors raised by the GoI including T-bill segment. Your Bank has also assisted various State Governments in raising funds by participating in the auction bidding processes. As part of the PD activity, your Bank has been involved in the market making activities in respect of illiquid/ semi liquid for Government Securities.

Being an active player in treasury operations, your Bank continues to be one of the submitters to Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) for FBIL Polled Term MIBOR and FBIL Polled FC-Rupee Options Volatility.

Cross-Border Branches

Your Bank has two international branches – one at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and one at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT).

Your Bank's branch at the DIFC, Dubai is its first overseas branch and has completed nine years of operations. Apart from extending a range of corporate banking services including External Commercial Borrowings (ECB), Foreign Currency Loans (FCL), syndication of ECB/FCL and trade finance products to meet Indian clients' fund requirements for their Indian operations as well as overseas ventures, DIFC branch also provides corporate banking services to local entrepreneurs operating out of United Arab Emirates (UAE) and other Gulf Cooperation Council (GCC) countries.

Your Bank opened its IFSC Banking Unit (IBU) at India's International Financial Services Centre (IFSC) at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT) in May 2016. Based on the GoI's directive of rationalisation of overseas operations and as a part of the Bank's turnaround strategy, necessary steps are being taken to rationalise its overseas operations.

Credit Rating

Your Bank obtains credit ratings for both domestic and foreign currency borrowings. The changes in ratings during the financial year 2018-19 along with current ratings for the Rupee resources as on March 31, 2019 are as under:

Ratings for Rupee Borrowings

Rated Instruments	CRISIL		ICRA			India Rating	
Revised on	**November 2018**	**January 2019**	**May 2018**	**August 2018**	**March 2019**	**June 2018**	**November 2018**
Fixed Deposit	FAA/ Stable	FAA/ Stable	MAA- / Negative	MAA- / Negative	MAA- / Negative	IND tAA- / Negative	IND tA#
Short Term Borrowings (Certificate of Deposit)	CRISIL A1+	CRISIL A1+	[ICRA] A1	[ICRA] A1	[ICRA] A1	IND A1+	IND A1
Long Term Rupee Bond (Senior and Lower Tier II Bonds)	CRISIL A+/ Stable	CRISIL A+/ Stable	[ICRA] A / Negative	[ICRA] A / Negative	[ICRA] A / Negative	IND AA-/ Negative	IND A#
Hybrid Upper Tier II Bonds	CRISIL A-@	CRISIL A- / Stable	[ICRA] BBB+ / Negative	[ICRA] BBB+@	[ICRA] BBB+/ Negative	IND BBB-/ Negative	IND BBB-#
Hybrid – IPDI (Basel II)	CRISIL A-@	CRISIL A- / Stable	[ICRA] BBB+ / Negative	[ICRA] BBB+@	[ICRA] BBB+/ Negative	---	---
Hybrid AT1 Bond (Basel III)	Withdrawn	Withdrawn	Withdrawn	Withdrawn	Withdrawn	Withdrawn	Withdrawn
Tier II Bonds (Basel III)	CRISIL A+ / Stable	CRISIL A+ / Stable	[ICRA] A (hyb) / Negative	[ICRA] A (hyb) / Negative	[ICRA] A (hyb) / Negative	IND AA -/ Negative	IND A#

@- Rating watch with developing implications

#-Rating watch negative

Note: CARE had rated ₹ 50 crore Lower Tier II Bonds of the erstwhile IDBI Home Finance Ltd. as CARE A/ Stable. These bonds have since matured on March 27, 2019.

The foreign currency borrowings of your Bank are rated by two international rating agencies, viz. Fitch Ratings (Fitch) and S&P Global Ratings. The changes in long term Foreign Currency Ratings and Baseline Credit Assessment (BCA)/ Viability Rating (VR) and Stand-alone Credit Profile (SACP) during the financial year 2018-19 and current ratings as on March 31, 2019 are as follows:

Ratings for Foreign Currency Borrowings

Rated Instruments	Revised on	
Fitch Ratings	**May 2018**	**November 2018**
Long Term Issuer Default Rating	BB+/ stable	BB+/ stable
Viability Rating (VR)	ccc (Rating Watch Evolving)	ccc

Rated Instruments	Revised on	
S&P Global Ratings	**August 2018**	**January 2019**
Issuer Credit Rating (CR)	BB/ CreditWatch with negative implications	BB/ stable
Stand-alone Credit Profile (SACP)	b-	b-

Long Term Rupee Borrowings

During the year under review, your Bank did not issue any fresh bonds in the domestic markets. During the year under review, your Bank exercised call options on Basel II compliant Upper Tier II Bonds aggregating ₹ 1,500 crore and Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) bonds aggregating ₹ 332 crore.

Foreign Currency Resources

During the year under review, as a part of business re-organisation, your Bank has shifted India-related gross assets amounting to US$ 1,637.50 million from its DIFC branch, Dubai to IBU, Gift City branch after obtaining required regulatory approvals. The corresponding matching liabilities along with the outstanding 4 series of Medium Term Note (MTN) bonds were also shifted to your Bank's IBU, Gift City branch from its DIFC branch, Dubai.

Your Bank's overseas branches raised an aggregate sum of US$ 570 million in foreign currency by way of short-term borrowings to meet the short-term liquidity and funding requirements during the year under review.

During the year, your Bank has successfully retired long-term FC borrowings amounting to US$ 1,061 million comprising of bilateral loan of US$ 571 million and MTN bonds of US$ 490 million.

As on March 31, 2019, your Bank's total outstanding under the MTN Programme was US$ 1,000 million.

RISK MANAGEMENT

Implementation of Basel Norms

Your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks as prescribed under the Pillar 1 guidelines of the Basel III framework on a quarterly basis. As per the Basel guidelines, banks have to mandatorily maintain Capital Conservation Buffer (CCB) with effect from March 31, 2016. In line with the RBI's notification dated January 10, 2019 whereby the transitional arrangements of Basel III capital regulations was reviewed, the applicable CCB for March 31, 2019 was 1.875%. Accordingly, the minimum regulatory requirement of *'Total Capital + CCB'* was 10.875% as on March 31, 2019. Your Bank's 'total capital + CCB' ratio was 11.58% as on March 31, 2019. Similarly, your Bank's *'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB'* ratio was 8.91% as against the regulatory requirement of 7.375%. Your Bank's *'Tier 1 + CCB'* ratio stood at 9.13% as on March 31, 2019 as against the regulatory requirement of 8.875%.

Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered under Pillar 1 as well as to develop appropriate strategies to manage and mitigate risks under normal and stressed conditions. Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework in line with the RBI guidelines. The stress testing framework enables your Bank to assess its performance under exceptional but plausible events and facilitates appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies. The framework has been strengthened during the year under review by inclusion of scenario analysis and reverse stress testing. Scenario analysis has been conducted to study the likely impact of the adverse macro-economic indicators on the capital position and profitability of the Bank. The mechanism of reverse stress testing has been added to the framework to find the level of stress which may adversely hit the capital to take it to a pre-determined floor level.

Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms. Accordingly, disclosures as at the end of each quarter are hosted on your Bank's website, thereby exhibiting high degree of transparency.

Your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk for computation of capital charge. Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk. A comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) framework has been rolled out across different business segments for ensuring effective control mechanism. For market risk, your Bank uses Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital requirement.

Credit Risk

The Credit Risk Management system in your Bank includes the Risk Assessment Model (RAM) for credit rating of proposals and Capital Assessment Model (CAM) for automation of capital assessment. The credit policy document is reviewed in line with changing business objectives and economic environment and forms the guiding tool for the business verticals.

Market Risk

Market Risk Management in your Bank, in terms of functions and business positions, operates in line with policy framework defined in the Market Risk & Derivative Policy and Investment Policy. These policies, in general, outline the appropriate levels of risk appetite and implement mechanism for measurement, reporting and escalation of risks and exceptions. In order to manage market risks, your Bank has put in place appropriate risk management systems, including monitoring and reporting tools. Your Bank has further reinforced monitoring and regulatory reporting through process automation and on-boarding of Value at Risk (VaR) engine in 2018-19. These activities enhance the robustness of market risk measurement and control. Various exposure limits are also put in place to mitigate concentration risk. All the prescribed limits and all the procedures are monitored closely by Treasury mid-office, which is independent of the front office and the back office of Treasury.

Liquidity Management

The Bank has a well-organised liquidity risk management structure as enumerated in the Board-approved Asset Liability Management (ALM) Policy. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors and manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis and management is conducted through coordination amongst various ALCO support groups in the functional areas such as Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the concerned business groups and verticals. As per regulatory guidelines, Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Bank is computed on a daily basis from January 1, 2017. The average LCR of the Bank, based on daily observations, was 114.37% in 2018-19.

Operational Risk

Your Bank has a robust Operational Risk Management Framework (ORMF) which includes an organisational setup comprising the Board of Directors, the Risk Management Committee (RMC) of the Board, the Operational Risk Management Committee (ORMC) and nodal officers of various functions/ departments. The operating procedures for operational risk are guided by the Board-approved Operational Risk Management Policy which aims at identifying, monitoring, measuring and managing operational risks associated with banking activities. Your Bank has robust internal systems and procedures for mitigation of inherent risks spread across various business activities/ operations. As a secondary control measure, Operational Risk Management (ORM) section manages the operational risks through Key Risk Indicators (KRIs), and Risk Control Self-Assessment (RCSA) exercises and periodically updates the developments to the ORMC and the RMC of the Board. The KRIs have been framed for critical functions and branches/ units are risk-rated on the basis of their operational performance through Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) system. Operational risk loss incidents are collected by ORM section that is deliberated by the ORMC and concerned operating/ dealing groups are advised for necessary corrective actions. Training programmes on Operational Risk Management are regularly conducted for sensitising officers working at operational level.

Business Continuity Management

Your Bank has a robust Business Continuity Management (BCM) processes to mitigate business disruptions and life threatening events. Your Bank has been awarded with ISO 22301:2012 certification for its bank-wide coverage of Business Continuity Management.

As a part of BCM, well-defined Business Continuity Plan (BCP) has been put in place for core and support functions. This is intended to provide continuity in services to customers even in case of business disruption/ disaster. Besides, comprehensive Disaster Management Plan (DMP) is deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimise damage to valuable assets during disaster. The resilience of these BCPs and DMPs is tested periodically through BCP testing exercises, disaster recovery including holistic drill and mock evacuation drills. The Bank's Business Continuity Management System is well equipped with an automated incident reporting tool, viz. Integrated Disaster and Business Continuity Management System (i-DaB).

Information Technology Risk

Your Bank has taken a series of steps to improve its IT risk management and control. Your Bank has set up a state-of-the-art Security Operation Centre (SOC) at its Data Centre. Through the SOC, your Bank centrally monitors security devices like firewalls, routers, Intrusion Detection System (IDS) devices/Intrusion Prevention System (IPS) devices, Privileged Identity Management (PIM), antivirus, phishing/ malware attempts and takes corrective actions. The SOC is a Command Centre for countering cyber threats and ensuring compliance with the Bank's Information Security Policy besides fulfilling the Bank's objective of providing safe and secure banking to its esteemed customers. The Bank has added substantial number of devices under SOC for monitoring. Your Bank regularly conducts Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) of external facing applications viz. i-Net banking, mail messaging etc.

Your Bank has made significant progress in implementing the RBI's recommendations pertaining to Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds. Your Bank has put in place an appropriate organisational framework as recommended in the guidelines. Several information security solutions have been implemented like Privileged Identity Access Management, Patch Management Solution, Active Directory, Web/ Mail Gateways, Endpoint & USB encryption, Data Leakage Prevention (DLP) solution, Advance Persistent Threat (APT), Network Access Control (NAC), Web Application Firewall (WAF) etc. to protect customer data, prevent external attacks as well as strengthen internal controls.

Your Bank has put in place a distinct Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan which articulates management intent and direction for addressing cyber security risks. Further, your Bank participates in cyber drills conducted by various agencies to check and maintain the health of its information security set-up. Apart from conducting regular information security awareness programs for the employees, various

information security precautions are also communicated to customers through mailers, SMSes, ATMs and posters, to minimise/ thwart the attempts of security breach. IT infrastructure and systems have been implemented within a robust information security framework including solution on both perimeter and end-points. Your Bank's Data Centre, Disaster Recovery Centre as well as Near DR Centre are certified with the latest ISO 27001:2013 information security standards. Your Bank's Near DR ensures zero data loss for critical transaction systems. The Information Security Steering Committee of the Bank provides directions and guidance for mitigating IT risk in the information systems. The security incidents and the policies are placed before the IT Committee of the Board (ITCB) for necessary directions. The policies are recommended by ITCB to the Board for approval.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

Human Resources

Recruitment and Staffing

As on March 31, 2019, your Bank had a total staff strength of 17,117. The category-wise break-up of employees is as follows:

Class	Total
Clerical	736
Executive	815
Officers	14,898
Subordinate	668
Total	**17,117**

During the year, your Bank recruited 1,005 individuals in various ranks as given below:

Grade	Total
Officer Grade A	177
Clerical$	2
Executive	826
Total	**1,005**

$ - Appointment of clerical is Compassionate Appointment

Reservation Policy

As on March 31, 2019, representation of Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Other Backward Classes (OBCs) in your Bank's total manpower is as follows:

Class	OBC	SC	ST
Clerical	63	91	35
Executive	289	114	52
Officers	3,717	2,155	903
Subordinate	128	156	55
Total	**4,197**	**2,516**	**1,045**

Your Bank is fully compliant to the extant policy of GoI on reservation in services as applicable to Public Sector Banks.

Your Bank has appointed Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison Officers (ZLOs), in the rank of General Manager and Deputy General Manager, respectively, for SC/ ST/ OBC and Persons with Disabilities (PwD) employees. The CLOs and ZLOs ensure compliance to various guidelines pertaining to reserved category employees and effective redressal of their grievances.

Your Bank conducts quarterly meeting with the representatives of SC, ST and OBC Welfare Association.

Your Bank also maintains a complaint register for recording grievances received from SC and ST employees and suitable action is initiated.

Your Bank maintains reservation registers/ rosters with a view to ensuring proper implementation of reservation guidelines. The Bank also maintains separate reservation rosters for PwD employees as per GoI guidelines.

Training and Development

Your Bank is focussed on providing continuous learning and development opportunities to its employees so as to achieve the organisational goals and also help in overall development of the employees. Opportunities are provided for behavioural development along with functional knowledge. Classroom training programmes are being blended with e-learning modules to make them more effective.

During 2018-19, your Bank has conducted 133 training programmes at its apex training institution - Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF) - and 702 programmes at the Zonal Training Centres. Apart from the regular training programmes, workshops on select topics such as Leveraging Digital Banking & Emerging Payments platforms, Financial Modelling, Management development programme and Leadership excellence programmes for senior officials have also been conducted during the year.

Your Bank has nominated its officers for 141 select external training programmes in order to provide necessary skill in their area of working. Training on Priority Sector Lending , Retail Credit Management, Asset Quality and NPA Management, Market Risk, Operational Risk and Credit Risk Modelling, Restructuring and Resolution of Corporate Debt, Foreign Trade and Foreign Exchange Business, among others, were imparted through reputed institutions. A number of senior management officials including Board of Directors have been imparted external certification training on '*IT and Cyber Security*' in compliance with RBI directive to enhance the management awareness of IT and cyber security issues in the Bank. Customised trainings was provided for officers in areas such as Information Technology, Data Analytics, Internal Audit, Recovery policies, practices & law to provide comprehensive inputs on the said topics.

As part of learning culture, your Bank has been promoting e-learning through Bank's Learning Management System - OJAS - to provide additional channels of learning to the employees. OJAS is updated with over 260 e-learning modules covering a wide range of banking topics. This year, your Bank has covered behavioural topics as well. Mandatory e-learning certifications/courses have been assigned to employees and cover topics like KYC & AML, Priority Sector Lending guidelines, Retail Banking, NPA management, Risk Management, Treasury,

Retail Banking operational control areas etc. to ensure knowledge up-gradation of the employees so as to enhance their efficiency and equip them for offering improved customer experience.

As per GoI directives, programmes on Customer Service, Training for Women officers (Unnati), and pre-promotion training programmes are also being conducted.

With a view to positioning JNIBF as a Centre for Excellence, training programmes are being conducted for external participants as well. During the year, two International Programmes on SME Project Financing were conducted for Regional Development Bank, Sri Lanka at JNIBF. Overall 22 external programmes were conducted at JNIBF and 21 external programmes at Zonal Training Centres. Memorandum of Understanding (MoU) has been inked with School of Management Studies, University of Hyderabad, for conducting joint training programmes, seminars & workshops in emerging areas of banking, finance and management.

As part of CSR and promotion of environmental sustainability, initiatives such as setting up of vermi compost plant, maintaining habitat for endangered and migratory birds, providing water facility in summer for the general public and plantation of trees have been carried out at JNIBF.

Group Life Insurance Scheme

As an employee welfare measure, your Bank has successfully extended Group Life Term Insurance Policy since 2015 for all permanent employees of the Bank upto 70 years of age. Under the scheme, the premium is borne in equal proportions by the Bank and the employees. Beyond the age of superannuation, retiring employees have the option to continue with the scheme by paying the full premium amount.

Mediclaim Scheme for Retired Employees

Your Bank is extending Group Mediclaim Insurance Scheme since November 2016 for its retired employees to provide them with protection from financial liabilities arising on account of hospitalisation including daycare procedures. As a welfare measure, your Bank acts as a facilitator to form a group of retired employees and obtain an insurance policy on their behalf, providing them benefit of lower premium and liberal features. The features of the Scheme include cashless insurance facility at empanelled hospitals up to the covered amount, coverage of all pre and existing illnesses without any pre-medical examination and post-hospitalisation expenses.

Extending legal and financial support to employees

With an objective to safeguard interest of employees against whom motivated false complaints have been made by outsiders on matters arising out of bona fide execution of the Bank's work, your Bank has put in place the said scheme which provides financial and legal assistance to Directors/ Officers/ Employees.

i-PACE - New Performance Management System

Your Bank has revamped and redesigned its Performance Management System aptly christened as i-PACE (IDBI Bank-Performance Assessment and Continuous Evaluation), with a view to making it more specific, measurable, achievable, relevant and time-bound. i-PACE includes standardised Key Result Areas (KRAs) for similar roles, uniform weightage for the standardised KRAs and direct system linkages for most of the measurable KRAs, common dashboard for data linkage and common upload portal for non-measurable KRAs. Among other features, i-PACE also provides for a business insight tool, which shall constantly on month-on-month basis highlights the performance on each of the KRAs, drill down access upto individual officer's KRA-wise performance to supervisor so as to have an effective performance feedback mechanism, relative grading of performance within cohorts (i.e. comparison among similar roles only). i-PACE aims to align officers' performance with organisational targets and to foster performance oriented culture and responsibility/accountability at all levels and will provide focus, direction and common understanding on Bank's performance needs.

Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)

With the aim to providing quick assistance and the much desired immediate support to the aggrieved women at the occurrence of an untoward incident, a SMS/ email-based Grievance Mechanism is put in place by the Bank to lodge complaint of sexual harassment faced by a woman at the Bank's workplace directly to the committee members.

Disclosures under The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

With the objective of creating a safe and friendly work environment and to ensuring prevention of sexual harassment at workplace, your Bank in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, has set up two Internal Complaints Committees to redress the complaints received regarding sexual harassment of women at workplace. During the year, your Bank received 6 (six) complaints in this regard which have been resolved after due inquiry. As on March 31, 2019, 2 (two) complaints, received in the previous years, were pending for conclusion.

Industrial Relations

The industrial relations climate in your Bank has been generally cordial during the year with most of the issues having been resolved amicably. The Bank has been holding meetings with the Associations and Unions in its endeavour to have constructive dialogue for understanding and addressing grievances of officers/ employees. The Unions/ Associations have also been responsive and proactive while addressing various issues.

Placement and Posting of Employees

Placement and posting of officers is based on the Bank's extant Officers' Placement & Transfer Policy. Further, movement of officers holding sensitive positions is in accordance with Central Vigilance Commission (CVC) guidelines.

I-Exit Management System was made live and all resignations and Voluntary Retirements are now being carried out online. This has ensured greater transparency, early and effective capturing as well as analysis of Exit Survey, among other benefits.

Other Initiatives

(i) The unprecedented floods in the state of Kerala wrought havoc and destruction over the State, resulting in loss of life & property and damage to public infrastructure. As a social responsibility, your Bank and staff contributed ₹ 3,27,64,703.07/- to Kerala Chief Minister's Distress Relief Fund.

(ii) To stand in solidarity with the country and provide support to the families of the martyred soldiers who sacrificed their life for the country in the terrorist attack at Pulwama district, Jammu and Kashmir, an appeal was made to the employees of your Bank for contributions towards financial assistance to the families of the martyrs.

Infrastructure Management

During the year under review, your Bank undertook several major civil projects which include construction of residential flats for officers at Jawaharlal Nehru Institute of Banking & Finance (JNIBF), Hyderabad, which is expected to be completed in September 2019. Your Bank also initiated the redevelopment proposal for construction of some of its flats at KK Nagar, Chennai.

Your Bank has acquired commercial space admeasuring 1,22,088 sq.ft along with 36 residential flats admeasuring 60,972 sq.ft. from National Building Construction Corporation (NBCC) at its project coming up at East Kidwai Nagar, New Delhi. The construction is in advanced stage of completion and commercial space is expected to be handed over by NBCC by June-July 2019. The residential flats are expected to be ready by December 2019.

In a bid to rationalise expenditure and contain cost, your Bank undertook measures to optimally utilise its owned commercial space at IDBI Tower, Cuffe Parade and Mittal Court, Nariman Point premises in Mumbai, which saw relocation of the Bank's subsidiaries viz. IDBI Capital Market & Securities Ltd. and IDBI Asset Management Ltd. to IDBI Tower.

Internal Audit

Your Bank's internal audit function independently evaluates the adherence to internal policies, procedures and regulatory guidelines. There is a well-equipped Internal Audit Department (IAD) in your Bank, which functions under the guidance and supervision of the Audit Committee of the Board (ACB). The functions of IAD are governed by (i) Risk Based Internal Audit Policy; (ii) Concurrent Audit Policy; and (iii) Information Systems (IS) Audit Policy. These policies are designed as per the guidelines of Department of Financial Services (DFS), GoI and RBI. The IAD's function and scope, thus, revolves around the above policies, amended from time-to-time.

The IAD conducts/ supervises three major types of audits viz. Internal Audit, Concurrent Audit, and Information Systems (IS) Audit. The IAD also supervises (i) Fraud Monitoring Group (ii) Vigil Mechanism; (iii) Implementation of Staff Accountability (SA) Policy through SA Committee Secretariat (iv) Long Form Audit Report (LFAR) and (v) Internal Financial Controls over Financial Reporting compliance.

The internal audit function includes conducting regular audits of branches/ non-branch segments, management audits of Zonal Offices and Regional Offices as well as the verticals/ departments at the Head Office; Snap Audits (especially newly opened RBG Branches after four months and not more than six months of their operationalisation); Special Audits (on account of various triggers from offsite risk assessment, controlling departments/ verticals, serious issues/ malpractices/ frauds noticed during other audits) and Credit Audits. The audit function maintains its independence and objectivity while carrying out the assignments.

Zonal Audit Offices (ZAOs) have been created in all Zones of your Bank in order to have focussed attention on the audit of branches and for effective follow-up functions. The ZAOs undertake the audit of the branches, non-branch segments and the Regional Offices and close the audit reports after adequate compliance, in terms of the Annual Audit Plans and the Risk Based Internal Audit (RBIA) Policy of the Bank. The audit function also proactively recommends improvements in operational processes and service quality to mitigate operational risks. The Bank has laid down policies and procedures of the Bank and to all applicable regulatory guidelines and put in place extensive internal controls, including audit trails, appropriate segregation of front and back office operations.

Risk Based Internal Audit (RBIA)

Your Bank has adopted the policy of Risk Based Internal Audit (RBIA) wherein the adequacy and effectiveness of its risk management procedures and internal control systems are evaluated. All the branches of the Bank are subjected to the RBIA so as to contain risk, have effective control mechanism and improve efficiency of operations. The RBIA of each branch is ensured once in 6-18 months depending upon the overall risk level of the branch on the basis of business and control parameters, as assessed in its previous audit. The IAD of your Bank undertakes a critical review of the entire operations of the audited units through the RBIA, which is an adjunct to Risk Based Supervision as per the RBI directives.

Quality Assurance Audit

Your Bank had initiated an exhaustive Quality Assurance Audit (QAA) in April-May 2018 through an external consultant to further strengthen and enhance its internal audit function and align it with the prevailing best practices. As a part of the QAA, an exercise has been undertaken to, inter alia, review the entire internal audit system and risk rating framework (policies, processes, procedures, reporting structures, formats etc.) of your Bank, integration thereof with Risk Based Supervision and to benchmark, identify and recommend good/ successful practices of internal audit. The major recommendations, viz. review of business parameters for assessment of Inherent Business Risk (IBR); change in internal audit periodicity; review of the scope of work for Concurrent Audit for non-branch segments; performance and review of concurrent auditors; level of compliance and closure of audit reports; workbook for Internal and Concurrent Auditors, have been since implemented by the Bank.

Long Form Audit Report (LFAR)

Your Bank is also preparing the Long Form Audit Reports (LFAR), including in respect of Statutory Branch Audit, which was introduced from 2017-18. For the process of compilation of LFAR for 2018-19, an online system has been developed for input of data by branches and generation of consolidated reports for use by auditors at the Head Office.

Internal Financial Control over Financial Reporting (IFCO-FR)

Your Bank has also appointed an external consultant for the testing of the Risk Control Matrix identified for the purpose of verifying (i) adequate internal financial control systems are in place; and (ii) the operating effectiveness of such controls and ensuring timely and effective closure of all open issues.

Information Systems (IS) Audit

New initiatives/ activities have been undertaken to improve the quality of Information Systems (IS) Audit function such as (i) recommendation for implementation of Standard software development template to minimise common/ repeated observations, (ii) improving follow-up mechanism by conducting Chief General Manager-level Committee meeting for early closure of 'High Risk' pending observations, (iii) submission of pending observations to the Bank's Risk Management Department on a half-yearly basis for their information and suitable direction/ guidance, (iv) submission of Information Systems-Self Audit Compliance Certificate by the branches on a monthly basis, (v) submission of audit reports to the Audit Committee of Executives (ACE) and the ACB, irrespective of compliance status, to ensure significant observations are presented before these Committees for their information and direction. The IS Audit reviewed IS Audit Policy along with Information Security Policy, Cyber Security Policy, Information Technology Policy, Data Retention Policy and E-Waste Management Policy, along with review of security incidents, to improve the quality of IS Audit function and to adhere to statutory/ regulatory guidelines.

Offsite Monitoring System (OMS)

Your Bank has issued a circular to its branches to sensitise them for prompt closure of Offsite Monitoring System (OMS) alerts, which has been made a part of KRAs of the branch staff. In order to address open/ delayed closure of alerts, the OMS team has been escalating open alerts to the Zonal Heads on alternate days. With a view to removing the limitations/ concerns in the existing system, the OMS Team has initiated revamping of the OMS. Based on the advice of QAA consultant, the Bank implemented several recommendations such as (i) modifications in escalation matrix for pending OMS alerts; (ii) change in the risk severity and frequency of 4 rules; (iii) implementation of new rule pertaining to insurance renewal.

Concurrent Audit

The Concurrent Audit (CA) system is a part of the Bank's Early Warning System (EWS) to detect irregularities/ lapses, which helps in checking violations of the internal and regulatory guidelines, in controlling risks and in preventing fraudulent transactions. The CA system is essentially a control process, integral to the establishment of sound internal accounting systems and effective controls. In terms of the RBI guidelines, concurrent audit is carried out in branches/ other non-branch units such as Treasury, Central Processing Unit and Retail Asset Centres, which are identified on the basis of risk perception and volume of business handled. As per the Board-approved CA Policy of the Bank, concurrent audit is required to cover 70% of deposits and 70% of advances of the Bank, as against the RBI's stipulation for coverage at minimum of 50% of deposits and 50% of advances. Accordingly, such branches and other units were subjected to concurrent audit during the year by engaging the services of external firms of Chartered Accountants. Further, identified verticals/ departments at the Head Office are also subjected to concurrent audit. All Trade Finance centres are covered under concurrent audit. The Concurrent Auditors' performance is closely monitored by the ZAOs on a continuous basis for qualitative reports and timely submission of the same.

Credit Audits

Your Bank has a system of credit audit for detailed review of selected accounts on an annual basis. Borrower accounts for credit audit are identified from the new proposals sanctioned during the review period, on the basis of defined criteria: (i) all fresh proposals (within 3-6 months from the date of disbursement) and proposals for renewal/ renewal-cum enhancement of limits, with sanction limits equal to or above a cut-off depending upon the size of activity.; (ii) randomly selected (5%) proposals from the rest of the portfolio; (iii) Below Investment Grade (if migrated from Investment Grade during the financial year); and (iv) takeover cases with sanction limits equal to or above the cut-off depending upon the size of activity.

Fraud Risk Indicator (FRI) for Retail Branches

To assess the level of vulnerability of a branch to frauds in its advances, your Bank has a Fraud Risk Indicator (FRI) within the existing RBIA template for retail branches. 24 functional areas were identified as vulnerable to fraud and selected as FRIs.

Special Investigative Audits (SIAs)

In the wake of increased incidence of frauds in the Indian banking system, a large number of requests for investigations are being received by the IAD. During 2018-19, 62 investigations were carried out. These investigations play a vital role in bringing about systemic improvements in policies, product guidelines, processes and procedures; helps in restoring the controls and ensuring better overall monitoring of the branches. Early triggers provided by these investigations also helped the Bank to initiate timely recovery/ legal actions and to arrest slippage of accounts into NPAs. Further, they helped the Bank to identify new risk areas and to mitigate various risks by proactively addressing the lapses.

Fraud Monitoring

Your Bank has put in place a fraud monitoring mechanism through a dedicated Fraud Monitoring Group (FMG) within the IAD. The FMG reviews efficacy of the remedial actions taken to prevent recurrence of frauds and also issues necessary advisories/ circulars from time-to-time. These actions include strengthening of internal controls and putting in place need-based remedial measures. A detailed Fraud Risk Management Policy is in place for early detection, prevention, reporting, monitoring and follow-up of frauds. A mechanism of conducting Legal Audit of

all loan and mortgage-related documents of loans of ₹ 1 crore and above has also been put in place to mitigate frauds. Your Bank carries out Root Cause Analysis and systemic corrections in respect of fraud cases to prevent recurrence of frauds.

Black Listing of Third Party Entities

While conducting investigation of fraudulent accounts, the Bank has come across certain third party entities, viz. advocates, valuers, collateral managers, etc. who may be directly or indirectly involved in perpetrating the fraud in connivance with the borrower/ staff member. The Bank has during the year blacklisted five Collateral Managers and de-empanelled nine Valuers.

Vigilance Mechanism

Your Bank has a full-fledged Vigilance Department at its Head Office, which is headed by a Chief Vigilance Officer (CVO). During the year under review, your Bank has set up a Zonal vigilance structure for better compliance of vigilance-related activities.

Your Bank's CVO performs vigilance function which has wide scope/ coverage and includes collecting intelligence about corrupt practices committed or may be committed by the employees of the Bank. The CVO performs/ oversees all functions relating to vigilance matters in the Bank including (i) processing of vigilance cases, investigating or initiating investigations into complaints with vigilance overtones and verifiable allegations; (ii) processing of investigation reports for further consideration of the Disciplinary Authority (iii) referring matters, where necessary, to the Central Vigilance Commission (CVC) for its consideration/ advice; (iv) taking steps to prevent commission of malpractices/ misconducts.

The Vigilance Department has hosted a web page on the Intranet of your Bank, which provides an overview of its functions, format of standard notice of the CVC which is to be displayed at the Bank's branches/ offices, important circulars/ guidelines issued by the CVC, Chief Technical Examiner's Organisation (CTEO) of the CVC, as also by your Bank and Do's and Don'ts of Preventive Vigilance.

Some of the preventive vigilance measures adopted by your Bank include undertaking of Surprise Vigilance Visits (SVVs) and conducting inspections on a suo moto basis in various branches to detect malpractices, if any, and non-adherence of laid down systems and procedures. Apart from this, the Vigilance Department also undertakes scrutiny of One Time Settlement/ First Time NPA cases, scrutiny of Annual Return of Assets & Liabilities (ARAL) of the officers of the Bank to ascertain any instances of disproportionate assets or abnormal variation/ mismatch in officers' assets & liabilities and scrutiny of the Bank's audit reports.

As a part of efforts to combat corruption as also promote public awareness as directed by the CVC, your Bank observed 'Vigilance Awareness Week (VAW) 2018' from October 29, 2018 to November 03, 2018. To mark the occasion, your Bank released a Special Journal for the benefit of staff members and also conducted various competitions like essay writing, elocution, quiz, etc. for its staff members. Various programmes/ seminars/ talks were organised at the Bank's Head Office, Zonal Offices, Regional Offices and branches for sensitising the employees and other stakeholders of the organisation. For spreading awareness among general public, your Bank, as a part of VAW 2018, displayed banners and posters in prominent locations at its Zonal Offices, Regional Offices, branches and other customer-facing platforms. Awareness Gram Sabhas were also organised at the Bank's semi-urban and rural branches.

Regulatory Compliance

Your Bank ensures compliance of various statutory and regulatory guidelines laid down by the GoI, the RBI, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory/ statutory bodies through a structured system of internal controls and tiered review. The Compliance Department located at your Bank's Head Office, which is headed by a senior official in the rank of an Executive Director designated as Chief Compliance Officer (CCO), coordinates dissemination and internalisation of all the statutory and regulatory guidelines. Your Bank has put in place an extensive Board-approved Compliance Policy as per the RBI guidelines and reviews it annually. The role and responsibility with regard to the compliance function is clearly defined for every tier in your Bank. The Board is apprised at monthly intervals about important communications/ guidelines received from the RBI and other regulators/ agencies.

Right to Information (RTI) Act

Your Bank has designated Central Public Information Officers (CPIOs) for responding promptly to requests for information pertaining to various functional areas. In addition, all branch heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications under the Right to Information (RTI) Act to CPIOs. Your Bank has designated a senior officer in the rank of Chief General Manager as First Appellate Authority (FAA) for dealing with appeals of aggrieved applicants. A Transparency Officer, in the rank of Executive Director, has been designated for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link for the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbibank.in). Your Bank has also aligned with the Government of India's RTI online portal, whereby citizens can seek the information and raise appeals under RTI Act through the portal (https://rtionline. gov.in).

Progressive use of Hindi

During the year under review, your Bank made concerted efforts to increase usage of Official Language, i.e., Hindi and implementing the various provisions of Official Language Act and Rules of the GoI. Your Bank's offices and branches made concerted efforts on regular basis to achieve the targets prescribed in the Annual Programme and other directives issued by Official Language Department, Ministry of Home Affairs, GoI.

Efforts were taken during the year to provide in-depth information about your Bank's products and schemes in Hindi on the Bank's website. The language option for Hindi was provided on some of your Bank's mobile applications, viz. Abhay, PayApt and M-Passbook. Various campaigns relating to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and digital banking were organised in Hindi and other regional languages. Various posters, banners and other publicity material were displayed in Hindi as

well as in regional languages for the benefit of customers. Hindi and regional languages were used in advertising campaigns for the Government social security schemes, viz. Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Sukanya Samriddhi Yojana etc.

Your Bank has uploaded template letters, forms, dictionaries, notings and other relevant reference materials in bilingual form on its Intranet to promote use of Hindi. Various incentive schemes were implemented and several competitions were organised to encourage staff members to use Hindi in their day-to day-official work. In order to progressively increase the usage of Hindi in various offices of your Bank, Hindi workshops were organised across all the regions of the Bank to familiarise staff members with the various requirements of Official Language implementation and use of Hindi Unicode. In order to increase the usage of Official Language Hindi in the internal work of the Bank, Hindi convertor has been installed in all the Bank's computers for Human Resource Management System (HRMS). Your Bank also organised Rajbhasha fortnight in September 2018.

Your Bank's endeavour to promote use of Hindi in day-to-day work and in its business, found due recognition on various forums and received many awards during the year, which include the following:

i) Rajbhasha Award has been conferred to your Bank's New Delhi Zonal Office, Dehradun Regional Office, Patna Branch, Puducherry Branch and Cuddalore Branch (Tamil Nadu) by their respective Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) for commendable performance in Rajbhasha implementation.

ii) Your Bank's in-house quarterly Hindi Magazine, '*Vikas Prabha',* was conferred with three Awards (two Silver and one Bronze) from Association of Business Communicators of India (ABCI) in Indian Language Publication category. 'Vikas Prabha' was also conferred with Best In-House Magazine citation from 'Ashirvad' - a renowned literary and cultural organisation.

iii) The Third Sub-Committee and Drafting & Evidence Committee of Parliamentary Committee on Official Language commended the efforts made by the Bank in implementing Official Language Policy during their inspection of Delhi Zonal Office, Mumbai Zonal Office, Rudraprayag Branch and Surat Branch.

iv) Officials from Department of Official Language, Ministry of Home Affairs & Department of Financial Services, Government of India appreciated implementation of Hindi in your Bank during their inspections.

Customer Service and Complaints Management

Your Bank, in its quest for being the most preferred and trusted bank for all its stakeholders, has adopted a customer-centric approach focussing on delightful customer experience and a comprehensive suite of best-in-class financial solutions.

Your Bank has an ISO 9001:2015 certified Customer Care Centre (CCC) to redress customer grievances received from various touchpoints. Your Bank regularly reviews policies like Customer Care Policy, Grievance Redressal Policy and Customer Rights Policy in line with the latest developments. To ensure prompt resolution of customer grievances, the Bank, in line with the RBI direction on Internal Ombudsman Scheme 2018, has revised the grievance redressal timelines and has reduced the resolution turnaround time (TAT) from 19 days to 15 days. A customer of the Bank can track status of his/ her complaint lodged through the website of the Bank. To minimise loss for a customer from unauthorised electronic banking transactions, the Bank has put in place several mediums through which customers can report such transactions on 24x7 basis. In your Bank's endeavour towards offering convenient banking and as a green initiative, the Bank facilitates debit card PIN generation through various channels like ATM, Internet Banking and Interactive Voice Response (IVR) to add to customer convenience.

Your Bank captures customer feedback on an ongoing basis and uses it towards improvement of processes to delight customers. Your Bank has also conducted customer meets on pan-India basis wherein senior management of the Bank interacted with customers. The Bank also conducts mystery shopping activities across the branches in order to evaluate quality of customer service rendered to the customers.

The Contact Centre of the Bank operates 24x7 from two locations, viz. CBD-Belapur, Navi Mumbai and Hyderabad. The Contact Centre offers services in 10 regional languages in addition to Hindi and English. In addition to offering customer service, the Contact Centre also undertakes lead generation and recovery calling activities.

Your Bank has established two senior level committees for customer service, that is, Standing Committee on Customer Service (SCCS) and Customer Service Committee of the Board (CSCB), both of which meet on a quarterly basis. These Committees are entrusted with the task of evaluating feedback on quality of customer service rendered by the various channels of the Bank. The Committees also evaluate complaints and feedback received from customers and provide necessary directions to increase efficiency of resolution.

Corporate Communications

Given the importance of positive news on your Bank in media, there was continued emphasis during the year on Public Relations activities. At regular intervals interactions were undertaken with media updating the progress and the improvements as a result of the turnaround strategy adopted by your Bank. The various social media pages of the Bank were used for disseminating details of products, services and special offers of your Bank. During the year, the accent was on undertaking advertising campaigns to increase visibility of the products of the Bank and enhance the brand image.

Your Bank's internal communication objective is focussed on enabling effective exchange of important information in the field of banking and beyond, to foster a sense of community among the employees and cultivate relationships of trust in order to work towards a collective goal. Various initiatives were undertaken to motivate and engage with employees. These, inter alia, include circulation of digital newsletter *'Abhyudaya'* which updates employees about the various developments in the Bank, videos from top management encouraging employees, employee engagement through online quiz on Saturdays, etc.

Information Technology

During the year under review, your Bank continued to invest in technological innovation and up-gradation to augment its business while maintaining its prime focus on customer service and satisfaction. Your Bank progressed towards the implementation of major projects such as upgradation of the Bank's Core Banking Solution, Finacle E-Banking Architecture, Enterprise-wide Data Warehouse Solution, Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution and aims to complete these projects in 2019-20. Along with these projects, your Bank has laid special emphasis on the upgrade and overhaul of many of its critical IT hardware systems and committed long-term investments in the enrichment of its assets like network devices, switches and servers to ensure that the deployed hardware meets the business needs. In addition to the successful execution of projects of regulatory and statutory importance, your Bank has also responded to the industry-wide information security concerns by embarking on various high-end security solutions.

Your Bank has also setup a Centre of Excellence (COE) for Data Analytics with the objective of achieving higher customer wallet share by delivering the right product at the right time. The COE team has been focussing on generating high quality business and fee income growth through analytics driven sales. A number of in-house campaigns were launched across branches using a mobile application *'My Bank, My Lead (MBML)'* - a delivery, control, monitoring and review tool for leads and campaign management – which enabled the Bank's branches in the objective of enhanced business acquisition and customer engagement.

Your Bank signed an Agreement with National E-Governance Service Ltd. (NeSL), which is an Information Utility (IU) registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India under the aegis of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, with the primary role of serving as a repository of legal evidence, holding information pertaining to any debt/ claim, as submitted by the financial or operational creditor and verified and authenticated by other parties to the debt. Your Bank successfully uploaded information to NeSL with 99% of accuracy. Your Bank made further progress in data cleansing under *'Project Shuchi'* by developing systems that generate automated alerts at the end of each day to the concerned offices/ branches with regard to the status of erroneous records, thereby enabling them to correct the same.

In its quest to introduce customer-centric applications, your Bank introduced many new and innovative applications to pass on the benefits of technological advancement to its customers. Your Bank introduced online facilities such as overdrafts against fixed deposits and web-based account opening for NRI customers. Your Bank introduced an online One-Time Settlement (OTS) application module which enabled customers to apply for a settlement of their long pending debts in a hassle-free online manner. To facilitate Aadhaar enrolment, the Bank equipped 192 of its offices/ branches pan-India to function as Aadhaar Enrolment Centres. In addition to various customer-facing offerings, your Bank also developed several applications for its internal use. This included a mobile-based application *'Geo-IDBI'* which enabled its officers to geo-tag the locations of the immovable assets offered as collateral by its borrowers. The synergies with country's largest insurer, Life Insurance Corporation of India (LIC), emanating from LIC acquiring a majority stake in the Bank, has thrown open several opportunities and various technology solutions for collection of premium by the branches, payment of premium by the customers on digital channels, customer acquisition etc. which are being implemented/ underway.

Centralised Operations

Your Bank has a Central Processing Unit (CPU) which undertakes different operational activities like TDS on interest on Term Deposits, production & delivery of Debit Cards/ Prepaid Cards, Pin Mailers, Cheque Books, Account Statements & other deliverables to customers, Demat Account Opening, Application Supported by Blocked Amount (ASBA), Syndicate ASBA and Loan Against Securities (LAS), etc. The centralised activity helps in reducing Turn Around Time (TAT) and savings in cost for your Bank.

Your Bank also has six Regional Processing Units (RPU) at Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Pune and Ahmedabad.

Branch Operations Support and Policy

Your Bank is at the forefront in disseminating knowledge to staff on their day-to-day operations by equipping them with latest information on banking operations, services etc. This ensures that your Bank is able to provide service to all stakeholders with updated knowledge on products, operations and services.

Your Bank is in compliance with the Clean Note Policy of RBI and has deployed note sorting/ note accepting machines in all of its branches. During the year under review, the Bank has opened three new Currency Chests (CCs) at Surat, Siliguri and Guwahati. With this, the Bank has 21 CCs across the country. These CCs process cash from all linked branches and provide clean notes for dispensing through ATMs and branches.

Domestic Payment and Remittance Services (DPRS)

Your Bank facilitates payment and collection of paper-based payment instruments and processing of fund transfers through various electronic payment systems. There are three Centralised Clearing Grid Centres for handling clearing activities through Cheque Truncation System (CTS) at Chennai, Delhi and Mumbai. A centralised Electronic Transaction Processing Centre (ETPC) functions from Mumbai to handle operational activities of all electronic payment and remittance services. In order to ensure seamless operations during emergency situations at any of the Grid Centres or ETPC, a cost-effective Business Continuity Plan has been put in place.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Your Bank's vision for CSR is to make a meaningful contribution to the welfare of the society through sustained interventions to create long-term social and economic value for the society and assume leadership role in CSR. Your Bank seeks to achieve this through direct intervention as well as acting as a catalyst for development and creating a partnership with the beneficiaries. Your Bank has put in place a Board-approved CSR policy with effect from April 1, 2014 in compliance with Section 135 and Schedule VII of Companies Act, 2013. The said CSR Policy was revised during the financial year to make the content crisp. Your Bank, through the diverse CSR activities in areas as stipulated in the Companies Act 2013, inter alia, aims to contribute towards providing improved access to health services, promoting education for children, ensuring environmental sustainability, promoting gender equality, enhancement of livelihood opportunities, advancement of vocational & employable skills and holistic development of villages by undertaking planned interventions.

In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, there is no requirement for your Bank to incur any spends under CSR during the year under review. However, as a pro-active and socially responsible entity, your Bank spent ₹ 0.25 crore towards selected CSR interventions.

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट
Corporate Governance Report

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

के. एस. अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ़-7, लक्ष्मी मिल्स,
शक्ति मिल्स लेन,
(डॉ. ई. मोजेस रोड के पास),
महालक्ष्मी, मुंबई - 400 011.

जेएलएन यूएस एंड कं.
सनदी लेखाकार
330/348, तीसरी मंज़िल,
टावर ए-, अटलांटिस के-10.
वडोदरा सेंट्रल के सामने,
साराभाई मेन रोड
बड़ौदा - 390023

एम. पी. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
पहली मंज़िल, हमाम हाउस
अंबालाल दोशी मार्ग,
फोर्ट,
मुंबई - 400 001

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

1. हमने सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 यथा संशोधित (सेबी सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (i) तथा अनुसूची V के पैरा सी, डी, और ई में निर्दिष्टानुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. सेबी सूचीबद्धता विनियम में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है.

4. हमने बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं के अनुपालन पर समुचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक के बहीखातों तथा अन्य संबधित अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है.

5. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानक जो कि इस प्रमाणन के उद्देश्य के लिए लागू है तथा रिपोर्टों पर मार्गदर्शी नोट अथवा आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों हेतु प्रमाणपत्र जो जिसके द्वारा यह अपेक्षित है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें, के अनुसार संबंधित अभिलेखों की जांच की है.

6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, लेखा परीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना की समीक्षा और अन्य आश्वासन व संबद्ध सेवा वचनबद्धताओं के लिए लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

अभिमत

7. हमारे अभिमत एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ऊपर उल्लिखित सेबी सूचीबद्धता विनियम में यथा निर्धारित रूप में कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

अन्य मामले और प्रयोग प्रतिबंध

8. हम आगे उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन है.

9. यह रिपोर्ट बैंक के सदस्यों को कॉरपोरेट अभिशासन के संबंधित विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में सूचीबद्धता विनियम के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन करने के एकमात्र उद्देश्य से बैंक के सदस्यों को संबोधित और उपलब्ध कराई गई है तथा इसका प्रयोग किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है. तदनुसार, हम बिना हमारी पूर्व सहमति के किसी अन्य उद्देश्य के लिए अथवा किसी अन्य पक्ष को यह दिखायी जाने पर अथवा किसी अन्य को उपलब्ध हो जाने पर कोई देयता अथवा सावधानी संबंधी कर्तव्य का दायित्व स्वीकार अथवा मान्य नहीं करते हैं.

कृते **के. एस. अय्यर एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 100186डब्ल्यू

शांतनु घोष
साझेदार (सदस्यता सं. 050927)
युडीआईएन: 19050927ए ए ए ए डी 2060

कृते **जेएलएन यूएस एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 101543डब्ल्यू

रमाप्रसन्न अग्रवाल
साझेदार (सदस्यता सं. 119693)
युडीआईएन: 19119693 ए ए ए ए ए एफ 2196

कृते **एम. पी. चितले एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 101851डब्ल्यू

आशुतोष पेडणेकर
साझेदार (सदस्यता सं. 041037)
युडीआईएन: 19041037ए ए ए ए ए एम 6359

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 जून 2019

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता पर बैंक के दर्शन का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इसकी नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने अंशधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व आपके बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों पर है जिन्हें विधिक एवं विनियामकीय प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित उत्कृष्ट कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना और निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग बैंक के अन्य नीतिगत दिशा-निर्देश हैं. बैंक बोर्ड को निर्बाध रूप से सभी संबद्ध सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (एलओडीआर विनियम) में यथावर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से शासित होता है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा 51% की नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद, बैंक के बोर्ड को संस्था के अंतर्नियम के संशोधित अनुच्छेद 116(1) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए के अनुपालन में पुनर्गठित किया गया है. बैंक के संशोधित संस्था के अंतर्नियम के अनुसार निदेशक मंडल में एलआईसी के अध्यक्ष, बैंक के गैर कार्यपालक अधिकारी गैर पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में, एलआईसी द्वारा नामित प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) और दो उप प्रबंध निदेशकों (डीएमडी), एलआईसी के एक आधिकारिक नामिती निदेशक, भारत सरकार (जीओआई) के दो नामिती निदेशक और आठ स्वतंत्र निदेशक जिसमें एक महिला निदेशक शामिल हैं सहित पंद्रह सदस्यों को शामिल किया गया है.

मुख्य रूप से, कंपनी अधिनियम, 2013 और एलओडीआर विनियमावली के तहत निर्धारित संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

- शेयरधारकों से उनके शेयरों पर अप्रदत्त धनराशि के संबंध में मांग करना;
- धारा 68 के तहत प्रतिभूतियों की वापसी खरीद हेतु प्राधिकृत करना;
- भारत में या भारत से बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभूतियों को जारी करना;
- धन उधार लेना;
- बैंक की निधियों को निवेश करना;
- ऋण मंजूर करना या गारंटी देना या ऋणों के संबंध में प्रतिभूति उपलब्ध कराना;
- वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट को अनुमोदित करना.
- बैंक के कारोबार में विविधता लाना;
- समामेलन, विलयन या पुनर्निर्माण को अनुमोदित करना;
- किसी कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रण अर्जित करना या पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को नियुक्त करना या हटाना;
- आंतरिक लेखा-परीक्षकों और सचिवीय लेखा-परीक्षक को नियुक्त करना;
- निदेशकों के हित और शेयरधारिता के प्रकटन को नोट करना;
- बैंक द्वारा धारित निवेशों (व्यापार निवेशों के अलावा) का क्रय-विक्रय जिसमें निवेशक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत या उससे अधिक और निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं;
- यथास्थिति तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों या वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करना;
- गैर अनुपालन के मामलों में सुधार करने के लिए बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के साथ बैंक पर लागू सभी कानूनों से संबंधित और बैंक द्वारा अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा करना;
- निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार करना;
- बैंक के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना, कार्यान्वयन करना और निगरानी सुनिश्चित करना;
- स्वतंत्र निदेशकों, सभी अन्य निदेशकों, बोर्ड की समितियों और सम्पूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना;
- कॉरपोरेट रणनीति, कार्रवाई की प्रमुख योजनाओं, जोखिम नीति, वार्षिक बजट और कारोबार योजना की समीक्षा और मार्गदर्शन, कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों की स्थापना, कार्यान्वयन और कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन की निगरानी और प्रमुख पूंजी व्यय, अधिग्रहण और विनिवेशों का निरीक्षण करना;
- बैंक की अभिशासन पद्धतियों की प्रभावशीलता की निगरानी और उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का चयन, मुआवज़ा, निगरानी, और जब आवश्यक हो, उनका प्रतिस्थापन और उत्तराधिकार योजना का निरीक्षण करना;
- बैंक और उसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों के साथ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और निदेशकों के पारिश्रमिक को सुमेलित करना;

- निदेशक मंडल में विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और लिंग की विविधता के साथ निदेशक मंडल के लिए पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना;
- कॉरपोरेट आस्तियों के दुरुपयोग और संबंधित पक्ष लेनदेनों के गलत उपयोग के साथ प्रबंधन, निदेशक मंडल के सदस्य और शेयरधारकों के हितों के संभावित टकरावों की निगरानी और प्रबंध करना;
- बैंक के लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के साथ स्वतंत्र लेखा-परीक्षा की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और नियंत्रण की उचित प्रणाली, मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन, वित्तीय और परिचालनगत नियंत्रण प्रणाली लागू करना, कानून और प्रासंगिक मानदंडों के अनुपालन की व्यवस्था करना;
- प्रकटन और संचार प्रक्रिया की देखरेख;
- निदेशक मंडल की मूल्यांकन संरचना की निगरानी और समीक्षा;
- बैंक को रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध करने के लिए प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना और बैंक और शेयरधारकों के लिए जवाबदेह होना;
- कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य निर्धारित करना जिसके अनुसार समूह के सभी कार्यपालकों को आचरण करना होगा;
- पूर्ण जानकारी के आधार पर, सद्भावना में, समुचित सावधानी और देखभाल के साथ बैंक और शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना;
- निदेशक मंडल के सदस्यों को अद्यतित जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना;
- सभी शेयरधारकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना;
- उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना और हितधारकों के हितों का ध्यान रखना;
- कॉरपोरेट मामलों के बारे में वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णयन करना;
- जहां हितों के टकराव की संभावना हो, वहाँ पर्याप्त संख्या में निदेशक मंडल के स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम गैर-कार्यकारी सदस्यों को नामित करने पर विचार करना;
- रणनीति, रणनीतिक पहल (जैसे कि अधिग्रहण), जोखिम क्षमता, एक्सपोज़र और सूचीबद्ध संस्था के ध्यान देने योग्य मुख्य क्षेत्रों जैसी अंतर्निहित धारणाओं की चुनौती से कार्यपालक प्रबंधन की सहायता करने के लिए पीछे हटने की क्षमता. निदेशक मंडल की समितियों के अधिदेश, संरचना और कार्य प्रणाली को परिभाषित और प्रकट करना;
- निदेशक मंडल के एक सदस्य के रूप में और निदेशक मंडल की समिति के एक सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सुविधा प्रदान करना;
- विनियामक/ सांविधिक दिशा-निर्देशों द्वारा समय-समय पर इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

31 मार्च 2019 के अनुसार बैंक के बोर्ड में तेरह निदेशक थे, जिसमें प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (एमडी एवं सीईओ), दो उप प्रबंध निदेश निदेशक (डीएमडी), तीन गैर-कार्यपालक निदेशक और सात स्वतंत्र निदेशक शामिल थे. पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक व श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक; गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पंकज जैन एवं श्री सुधीर श्याम, केंद्र सरकार के आधिकारिक नामिती और श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी नामिती निदेशक, स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, डॉ. आशिमा गोयल, श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल और श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर शामिल थे. वर्तमान में बोर्ड में 13 (तेरह) निदेशकों की संख्या संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 114(ए) के अंतर्गत प्रदान की गई अपेक्षाओं को पूरा करती है.

निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

(i) बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक का किसी अन्य निदेशक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध नहीं है.

(ii) आरबीआई द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा के अनुसार बैंक के किसी भी निदेशक की आयु सत्तर वर्ष नहीं है.

(iii) बैंक के अध्यक्ष गैर कार्यपालक निदेशक हैं और वे अनुच्छेद 116(1)(i) के निबंधनों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 अंतर्गत परिभाषित 'रिलेटिव' शब्द के परिभाषा के अनुसार बैंक के एमडी एवं सीईओ से संबंधित नहीं है.

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई अथवा तीन (3) निदेशक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा बशर्ते कि इनमें कम से कम एक निदेशक एलआईसी का नामिती और एक स्वतंत्र निदेशक हो.

बोर्ड की बैठकों की बारंबारता

बोर्ड की बैठक आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी तथा बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019) के दौरान बोर्ड की कुल सोलह बैठकें 26 अप्रैल 2018, 07 मई 2018, 25 मई 2018, 22 जून 2018, 17 जुलाई 2018, 14 अगस्त 2018, 31 अगस्त 2018, 27 सितंबर 2018, 04 अक्तूबर 2018, 14 नवंबर 2018, 19 दिसंबर 2018, 21 जनवरी 2019 (दो बैठकें), 04 फरवरी 2019, 25 फरवरी 2019 और 19 मार्च 2019 को संपन्न हुईं. इनमें से 07 मई 2018 को दिल्ली में आयोजित एक बैठक तथा 21 जनवरी 2019 को बेंगलुरु में आयोजित दो बैठकों को छोड़कर शेष सभी बैठकें मुंबई में आयोजित की गईं.

आपके बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा तालिका 1 में दिया गया है.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और वार्षिक महासभा में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकता और समितियों में सदस्यता

निदेशक का नाम	आपके बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (संपन्न बैठकों की कुल संख्या - 16)	13 अगस्त 2018 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियों) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में एसीबी / एसआरसी सदस्यता (अध्यक्षता)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष					
श्री हेमंत भार्गव (डीआईएन-01922717 [25.02.2019 से 13.03.2019 तक]	0(0)	लागू नहीं	12(9)	1(0)	1. एल एंड टी लि. नामिती निदेशक 2. टाटा पॉवर कं. लि.- नामिती निदेशक 3. वोल्टास लि. - निदेशक 4. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. अध्यक्ष
पूर्णकालिक निदेशक					
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ (डीआईएन-06846594) [10.10.2018 से प्रभावी]	7(7)	लागू नहीं	2(2)	शून्य	शून्य
श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं सीईओ (डीआईएन - 02993708) [30.06.2018 से 30.09.2018 तक]	4(4)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री महेश कुमार जैन एमडी एवं सीईओ (डीआईएन- 03513127) [21.06.2018 तक]	3(3)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री के.पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 02611496)	16(16)	उपस्थित	2(2)	शून्य	शून्य
श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 01432796)	16(16)	उपस्थित	3(3)	शून्य	शून्य
गैर-कार्यपालक निदेशक					
श्री पंकज जैन भारत सरकार नामिती (डीआईएन - 00675922)	15(16)	उपस्थित	8(6)	1(0)	शून्य
श्री प्रवीण गर्ग भारत सरकार नामिती (डीआईएन - 00208604) [14.05.2018 तक]	2(2)	लागू नहीं	1(1)	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम	आपके बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (संपन्न बैठकों की कुल संख्या - 16)	13 अगस्त 2018 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियों) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में एसीबी / एसआरसी सदस्यता (अध्यक्षता)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
श्री सुधीर श्याम भारत सरकार नामिती (डीआईएन- 08135013 (16.05.2018 से प्रभावी)	12(14)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी नामिती (डीआईएन-02509203) [21.01.2019 से प्रभावी]	4(4)	लागू नहीं	1(1)	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक					
श्री एस. रवि (डीआईएन - 00009790) (12.05.2018 तक)	1(2)	लागू नहीं	10(7)	7(2)	1. बीएसई लि.- अध्यक्ष, सार्वजनिक हित निदेशक 2. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.- स्वतंत्र निदेशक
श्री निनाद कर्पे (डीआईएन - 00030971) [11.05.2018 तक]	1(2)	लागू नहीं	7(4)	3(1)	1. एप्टेक लि.- निदेशक 2. सविता ऑयल टेक्नोलॉजिस लि.- निदेशक
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन - 00603925)	15(16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. आशिमा गोयल (डीआईएन - 00233635)	16(16)	उपस्थित नहीं	3(2)	शून्य	1.एडलेविस फाईनेंशियल सर्विसेस लि. - निदेशक
श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी (डीआईएन - 06713850)	16(16)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री समरेश परिदा (डीआईएन-01853823) [19.05.2018 से प्रभावी]	14(14)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन-05126421) [19.05.2018 से प्रभावी]	13(14)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपक सिंघल (डीआईएन-08375146 [28.02.2019 से प्रभावी]	1(1)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर (डीआईएन- 08377808 [05.03.2019 से प्रभावी]	1(1)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

कॉलम 4 में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकता और कॉलम 5 में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समितियों की अध्यक्षता की संख्या दर्शाते हैं.

अध्यक्ष की नियुक्ति

21 जनवरी 2019 से प्रभावी, आईडीबीआई बैंक के संशोधित संस्था के अंतर्नियम (एओए) की शर्तों के अनुसार, एलआईसी के अध्यक्ष बैंक के पदेन गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे. यथा 31 मार्च 2019 को अध्यक्ष का पद रिक्त था. इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से दिनांक 09 मई 2019 को प्राप्त अनुमोदन के अनुसार निदेशक मंडल ने 13 मई 2019 को आयोजित अपनी बैठक में श्री मंगलम रामसुब्रमणियन कुमार, एलआईसी के अध्यक्ष को 3 वर्ष की अवधि या जब तक वे एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहेंगे, जो भी पहले हो, के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के गैर-कार्यपालक गैर पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया.

ए. बोर्ड की समितियां

बोर्ड की कुल 14 समितियां हैं, यथाः

- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- स्वतंत्र निदेशक समिति
- कार्यपालक समिति
- धोखाधड़ी निगरानी समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति
- हितधारक संबंध समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी समिति

1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2019 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) में छः सदस्य थे जिसमें, श्री समरेश परिदा, सनदी लेखाकार और स्वतंत्र निदेशक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे तथा श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, डॉ आशिमा गोयल और श्री संजय कल्लापुर स्वतंत्र निदेशक इसके अन्य सदस्य थे. श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक और श्री पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक एसीबी में स्थाई विशेष आमंत्रिती थे. एसीबी की भूमिका और उसके अधिकार कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों और एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग सी के साथ पठित विनियम 18 के अनुसार हैं.

कंपनी अधिनियम 2013, एलओडीआर विनियमावली, रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की व्यापक भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैंः

- संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण सहायता, अर्थात् (क) पूंजी बाजार, और (ख) रियल इस्टेट;
- अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारक (केवाईसी / एएमएल) दिशा-निर्देश-
  - i. कार्यान्वयन की समीक्षा;
  - ii. शाखाओं में केवाईसी/ एएमएल दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की समीक्षा;
- हाउस कीपिंग की समीक्षा - विशेषकर लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों, उचंत/ विविध/ देय अथवा प्रदत्त ड्राफ्ट/ मार्गस्थ निधियाँ/ समाशोधन/ सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल)/ संघटक सहायक सामान्य खताबही (सीएसजीएल) खातों का संतुलन और समाधान;
- रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के संबंध में अनुपालन की समीक्षा (जब तक बैंक पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता, एसीबी को निरंतर आधार पर इसकी समीक्षा करनी चाहिए. एसीबी को रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में दर्शायी गयी कमियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए);
- लेखा-परीक्षा योजना और इसकी उपलब्धियों की स्थिति की समीक्षा;
- महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों/निम्नलिखित लेखा-परीक्षाओं में पायी गयी आंतरिक नियंत्रण कमियों की उसके अनुपालन सहित समीक्षा- (i) लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) (ii) संगामी लेखा-परीक्षा (iii) आंतरिक निरीक्षण (iv) सूचना प्रणाली(आईएस) डाटा सेंटर और अन्य विभागों की लेखा-परीक्षा (v) ट्रेजरी और डेरिवेटिव (vi) नियंत्रण कार्यालयों/ प्रधान कार्यालये में प्रबंधन लेखा-परीक्षा (vii) सेवा शाखाओं की लेखा-परीक्षा, (viii) करेंसी चेस्ट (ix) विदेशी मुद्रा विनिमय में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) लेखा-परीक्षा आदि;
- एसीबी/ बोर्ड/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट;
- समुद्रपारीय शाखाओं के संबंध में मेज़बान देशों में विनियामकों की विनियामकीय अपेक्षाओं पर अनुपालन रिपोर्ट;
- प्रबंधन चर्चा, समीक्षा, वित्तीय स्थिति के विश्लेषण, प्रबंधन पत्रों/ सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण की कमियों के बारे में जारी पत्रों सहित तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा;
- विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा उल्लंघन संबंधी जानकारी की समीक्षा;
- उधारकर्ता कंपनियों में उनकी प्रदत्त पूंजी के 30% से अधिक की इक्विटी शेयर धारिता के संबंध में जानकारी;
- मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए गए सभी धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा;
- संबद्ध पक्षों के साथ लेन-देनों की समीक्षा और संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए पूर्वानुमोदन,
- (क) जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा नीति, (ख) संगामी लेखा-परीक्षा नीति और (ग) आईएस लेखा-परीक्षा नीति की समीक्षा;
- बैंक के खातों में अधिक पारदर्शिता लाने और लेखांकन मानकों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक की लेखांकन नीतियों/ प्रणालियों की समीक्षा; वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन और उसके परिणाम की समीक्षा. इस आशय की पुष्टि कि लेखांकन नीतियों का अनुपालन लेखांकन मानदंडों और रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशो के अनुसार किया गया है;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या

तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखा-परीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा;

- बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा;
- बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य निष्पादन तथा देशी और समुद्रपारीय परिचालनों दोनों के लिए लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा;
- निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुति से पूर्व एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग सी के बिन्दु ए (4) में दर्शाई गयी (क) से (छ) की मदों के विशेष संदर्भ में वार्षिक लेखों/ वित्तीय विवरणों और इस पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए लेखा-परीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान का अनुमोदन करना;
- लेखा-परीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा साथ ही चिंताजनक विषयों का पता लगाने के लिए लेखा-परीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श;
- विभिन्न कानूनों और संविधियों के तहत बैंक पर लगाए गए दंडों/ दंडात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए की गयी कार्रवाई;
- आंतरिक/ बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा पता लगाई गई राजस्व हानि की रिपोर्ट और इसकी वसूली की स्थिति की समीक्षा; कमतर राजस्व के कारण और राजस्व हानियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई;
- ऑफर दस्तावेजों और निधियों के सार्वजानिक निर्गम (सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित) के जरिये जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग पर रिपोर्ट और साथ ही साथ, (I) विनियमावली 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी रिपोर्ट सहित विचलन(नों) के तिमाही विवरण और (II) एलओडीआर विनियमावली के विनियम 32(7) के अनुसार ऑफर दस्तावेज में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिये उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण;
- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में वास्तविक चूक के कारणों की समीक्षा;
- असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए विशेष निवेशों सहित वित्तीय विवरणियों की समीक्षा;
- पहली बार हुए एनपीए (एफटीएनपीए) की समीक्षा;
- 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के नकारे गए चेक;
- संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा;
- वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना का अनुमोदन;
- आउटसोर्स वेंडरों की लेखा-परीक्षा की वार्षिक समीक्षा;
- सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली (पूर्व में विसिल ब्लोअर तंत्र) की समीक्षा;
- (i) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ); (ii) मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक और (iii) मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन;
- बैंक के उपक्रमों और आस्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो;
- बैंक के लेखों को प्रभावित करने वाले रिज़र्व बैंक के परिपत्र;
- अनुपालन स्थिति सहित पिछली बैठकों में एसीबी/ एसीबी अध्यक्ष द्वारा दिये गए विशेष निदेश;
- अंगीकार करने के उद्देश्य से वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) को रिपोर्ट किए गए एनपीए/वसूली संबंधित मामले;
- होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक संस्था में 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक संस्था के आस्ति भाग के 10%, इस प्रावधान के लागू होने की नियत तारीख से मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित जो भी कम हो, के निवेश/ ऋण और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा,
- सेबी (इन्साइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एसीबी की बैठकों के लिए कोरम

एसीबी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा 2 सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, किन्तु इनमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे.

एसीबी बैठकों की बारंबारता

एसीबी की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होंगी और एसीबी की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019) के दौरान एसीबी की 11 बैठकें 26 अप्रैल 2018, 25 मई 2018, 22 जून 2018, 13 अगस्त 2018, 14 अगस्त 2018, 27 सितंबर 2018, 14 नवंबर 2018, 19 दिसंबर 2018, 21 जनवरी 2019, 04 फरवरी 2019, और 19 मार्च 2019 को संपन्न हुईं.

2. कार्यपालक समिति (ईसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कार्यपालक समिति (ईसी) ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी, निबंधनों एवं शर्तों में संशोधन आदि सहित ऋण अनुमोदन के सभी मामलों पर विचार करती है.

31 मार्च 2019 को कार्यपालक समिति (ईसी) में छः सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष के रूप में सर्वश्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा ईसी सदस्य के रूप में के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, भुवनचन्द्र बी. जोशी, एन. जंबुनाथन और श्री दीपक सिंघल स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

कार्यपालक समिति की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- 250 करोड़ रुपये से अधिक के एक्सपोजर वाले उच्च मूल्य ऋण प्रस्तावों की मंजूरी;
- कार्यपालक समिति द्वारा मंजूरी संबंधी बनाए गए निबंधनों और शर्तों में संशोधन;
- ऋण समितियों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग;
- एकबारीय निपटान (ओटीएस) हेतु प्रस्तावों की मंजूरी;
- निम्नलिखित को 25 लाख रुपये से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी:
  - (i) अन्य बैंकों के निदेशक (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सहित)
  - (ii) कोई फर्म जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों; और
  - (iii) कोई कंपनी जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों;
- निम्नलिखित को 25 लाख रुपये से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी :
  - i. बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या बैंक के अन्य निदेशकों के कोई संबंधी,
  - ii. अन्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के कोई संबंधी,
  - iii. कोई फर्म जिसमें (i) और (ii) में किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों, और
  - iv. कोई कंपनी जिसमें (i) और (ii) में किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों,
- प्रतिभूतिकरण पोर्टफोलियो की मंजूरियों की रिपोर्टिंग;
- प्रथम बार एनपीए (एफटीएनपीए) मामलों की समीक्षा और रिपोर्टिंग;
- कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित मामलों के संबंध में प्रतिभूति सृजन की स्थिति की समीक्षा और रिपोर्टिंग;
- बकाया और प्राप्य राशियों के निवेश लिखत(तों) में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव;
- प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) /अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) में बोली लगाने के लिए अनुमोदन;
- कंपनियों/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की प्रतिभूति रसीदों/उद्यम एवं निजी इक्विटी फंड/म्युचुअल फंड के नए फंड प्रस्ताव (एनएफओ), आदि के इक्विटी/अधिमान्य शेयरों/परिवर्तनीय/गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों, बांडों आदि (सममूल्य/प्रीमियम पर) में निवेश;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ईसी की बैठकों के लिए कोरम

ईसी की बैठकों के लिए कोरम कार्यपालक समिति की कुल संख्या का एक तिहाई या कार्यपालक समिति के दो (2) सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

ईसी की बैठक की बारंबारता

कार्यपालक समिति की बैठक जरूरत के अनुसार और वर्ष में कम-से-कम चार बार होगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) के दौरान कार्यपालक समिति की कुल 23 बैठकें हुईं जो 25 अप्रैल 2018, 07 मई 2018, 25 मई 2018, 08 जून 2018, 09 जुलाई 2018, 25 जुलाई 2018, 7 अगस्त 2018, 21 अगस्त 2018, 07 सितंबर 2018, 26 सितंबर 2018, 23 अक्तूबर 2018, 13 नवंबर 2018, 26 नवंबर 2018, 11 दिसंबर 2018, 19 दिसंबर 2018, 27 दिसंबर 2018, 14 जनवरी 2019, 21 जनवरी 2019, 06 फरवरी 2019, 22 फरवरी 2019, 06 मार्च 2019, 18 मार्च 2019 और 28 मार्च 2019 को सम्पन्न हुईं.

3. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2019 को आपके बैंक की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) में चार सदस्य थे जिसमें डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक बैठक की अध्यक्षता करती हैं तथा श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक अन्य सदस्य हैं. समिति का गठन शेयर धारकों, बांड धारकों, अन्य प्रतिभूति धारकों और निवेशकों के शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने आदि संबंधी शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है. यह समिति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियमावली के विनियम 20 तथा अनुसूची II के भाग डी के अंतर्गत उपबंधित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है.

एसआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :

- शेयरों के अंतरण/पारेषण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए /डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, महा सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित शेयरधारकों, बांडधारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान;
- उपर्युक्त में दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए एसआरसी अपनी प्रत्येक बैठक में इक्विटी सर्विसिंग और बांड सर्विसिंग रिपोर्टों पर विचार तथा उनकी समीक्षा करेगी और जरूरी होने पर इस संबंध में निदेश जारी करेगी;
- इक्विटी सर्विसिंग संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा;

- फ्लेक्सीबॉण्डों की सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा;
- शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समाधान विवरण की रिपोर्टिंग;
- स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निवेशकों की शिकायतों के विवरण की रिपोर्टिंग;
- शेयर धारकों द्वारा वोटिंग अधिकार के प्रभावी के लिए किए गए उपाय की समीक्षा;
- रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा लिए गए मानक सेवाओं के अनुपालन की समीक्षा;
- अदावी लाभांश के भाग को कम करने और कंपनी के शेयर धारकों को लाभांश वारंट/ वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समयबद्ध प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपाय और पहल कार्यों की समीक्षा;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एसआरसी बैठकों के लिए कोरम

एसआरसी की बैठकों के लिए कोरम एसआरसी की कुल संख्या का एक तिहाई या दो (2) सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

एसआरसी की बैठकों की बारंबारता

एसआरसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) के दौरान एसआरसी की चार बैठकें दिनांक 22 जून 2018, 27 सितंबर 2018, 19 दिसंबर 2018 और 19 मार्च 2019 को सम्पन्न हुईं.

4. धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

1 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए एक विशेष समिति के रूप में धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) का गठन किया गया है. इसका गठन धोखाधड़ी का पता लगाने, उन पर निगरानी रखने और उनसे निपटने के लिए किया गया है.

31 मार्च 2019 को धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) में 6 सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष के रूप श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ तथा सर्वश्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, ज्ञान प्रकाश जोशी, दीपक सिंघल और संजय गोकुलदास कल्लापुर स्वतंत्र निदेशकगण इसके सदस्य थे.

एफएमसी की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- प्रणालीगत कमी, यदि कोई है, जिससे धोखाधड़ी संभव हुई, की पहचान करना तथा उसे रोकने के लिए उपाय सुझाना;
- धोखाधड़ी, यदि कोई है, का पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान करना तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन और रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना;
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)/पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी करना;
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही की जांच हो तथा बिना समय गँवाए तत्काल कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, पूरी हो;
- धोखाधड़ी की पुनर्रावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता, जैसे आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, की समीक्षा करना;
- रेड फ्लैग खातों तथा बकाया रेड फ्लैग खातों के बारे में की गई उपचारात्मक कार्रवाई/दिए गए जांच आदेश की स्थिति की समीक्षा करना;
- धोखाधड़ी के मामलों में स्टाफ जवाबदेही प्रक्रिया के पूरा होने और उस पर की गई कार्रवाई को नोट करना;
- सीबीआई/पुलिस आदि द्वारा जांच किए जा रहे मामलों से वसूली सहित धोखाधड़ी मामलों में वसूली की स्थिति;
- बैंक में सतर्कता कार्यकलापों की समीक्षा;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एफएमसी की बैठकों के लिए कोरम

एफएमसी बैठकों के लिए कोरम एफएमसी के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

एफएमसी बैठकों की बारंबारता

1 करोड़ रु. और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आने पर धोखाधड़ी निगरानी समिति की बैठक आयोजित करना अपेक्षित होता है और उसमें मामले की समीक्षा की जाती है.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) के दौरान एफएमसी की दो बैठकें दिनांक 21 जून 2018, तथा 27 दिसंबर 2018 को संपन्न हुईं.

5. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करने, उनमें कमी लाने का प्रयास करने, आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने और साथ ही बैंक की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है. आरएमसी एलओडीआर विनियमावली के विनियम 21 के अंतर्गत उपबंधित अधिदेश/ विचारार्थ विषयों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करती है.

31 मार्च 2019 को बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) में छह सदस्य अर्थात् अध्यक्ष के रूप में सर्वश्री संजय गोकुलदास कल्लापुर, राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, के.पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, सुधीर श्याम, सरकारी

नामिती निदेशक एवं भुवनचन्द्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे.

यह समिति आरएमसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:

- चलनिधि जोखिम सहित बैंक के समक्ष आने वाले सभी जोखिमों का मूल्यांकन करना;
- अन्य जोखिमों के साथ चलनिधि जोखिम के संभाव्य प्रभाव को आरएमसी द्वारा निवारण किए जा रहे जोखिमों में भी शामिल किया जाए;
- नकदी प्रवाह के अनुमानों की रिपोर्टिंग, चलनिधि जोखिम, प्रयुक्त धारणाओं का मापन;
- बोर्ड को नीतियों यथा - ऋण नीति, वसूली नीति, निधि प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता नीति, परिचालनगत जोखिम तथा कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर एवं बीसीएम) नीति, डीआईएफसी शाखा एएलएम नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, बाजार जोखिम तथा डेरिवेटिव नीति, देशी जोखिम प्रबंधन नीति एवं देशी जोखिम सीमाएं, निवेश नीति आदि की सिफ़ारिश करना;
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली/ एएलएम एवं जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा;
- परिचालनगत जोखिम एवं कारोबार निरंतरता प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा;
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा;
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बाजार जोखिम रिपोर्ट की समीक्षा;
- दबाव परीक्षण के परिणामों की समीक्षा;
- जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा;
- आंतरिक रेटिंग का अंतरण और चूक का विश्लेषण;
- आस्ति देयता प्रबंधन समीक्षा;
- बासेल III कार्यान्वयन तथा जोखिम प्रबंधन विभाग के अन्य कार्यकलापों की समीक्षा;
- संपार्श्विक प्रबंधन तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) तकनीक पर नीति;
- प्रणाली, उत्पाद अनुमोदन एवं समीक्षा समिति (स्पार्क) I एवं II के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग;
- बासेल II तथा III के लिए तैयारी की स्थिति की समीक्षा;
- प्रतिपक्षकार बैंक सीमाओं एवं देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिए सीमाओं के आबंटन पर नीति;
- ऋण एक्सपोजर - मानदंडों की समीक्षा तथा उनका अनुपालन;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन को प्राप्त करने के संबंध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ समन्वय कार्य;
- बैंक में साइबर सुरक्षा कार्य की निगरानी;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

आरएमसी की बैठकों के लिए कोरम

आरएमसी की बैठकों के लिए कोरम, आरएमसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

आरएमसी बैठकों की बारंबारता

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) के दौरान आरएमसी की कुल पाँच बैठकें 21 जून 2018, 26 सितंबर 2018, 23 अक्तूबर 2018, 18 दिसंबर 2018 और 18 मार्च 2019 को संपन्न हुईं.

6. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन किया गया है. 31 मार्च 2019 को समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, श्री सुधीर श्याम, सरकारी नामिती निदेशक और डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल थे.

सीएसआर समिति के प्राथमिक दायित्व निम्नानुसार हैं:

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार कर बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिये गए अनुसार बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी गई हो;
- उपर्युक्त खंड में दिए गए कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;
- बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर की निगरानी करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम

सीएसआरसी की बैठकों के लिए कोरम, सीएसआरसी के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

सीएसआरसी की बैठकों की बारंबारता

सीएसआरसी की बैठकें छमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) के दौरान सीएसआर की कुल दो बैठकें 22 जून 2018 और 13 नवंबर 2018 को संपन्न हुईं.

7. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक संरक्षण तथा सेवाओं के लिए अभिशासन संरचना को मजबूत बनाने और साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां बनाने और उनके आंतरिक अनुपालन का आकलन करने के लिए ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया है.

31 मार्च 2019 को ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) में छह सदस्य अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, श्री पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी तथा श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य थे.

सीएससी की व्यापक भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहक की शिकायतों पर ध्यान देना तथा ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना;
- व्यापक जमा नीति तैयार करना;
- जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उनके खाते के परिचालन जैसे मुद्दों का समाधान;
- उपयुक्तता तथा सटीकता के उद्देश्य से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया;
- जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण;
- ऐसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा;
- विभिन्न राज्यों के बैंकिंग लोकपाल द्वारा समाधान प्रस्तुत शिकायतों के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाना;
- बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को नोट करना;
- तीन माह से अधिक समय तक कार्यान्वित नहीं किए गए सभी निर्णयों की कारणों सहित समीक्षा करना;
- बैंक में ग्राहक सुरक्षा एवं सेवा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;
- भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) संहिता अनुपालन रेटिंग;
- शिकायत निवारण नीति का संशोधन;
- प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मुद्दों की जांच करना.
- आंतरिक लोकपाल के कार्यकलापों की समीक्षा;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

सीएससी की बैठकों के लिए कोरम

सीएससी बैठकों के लिए कोरम सीएससी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

सीएससी बैठकों की बारंबारता

सीएससी बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019) के दौरान ग्राहक सेवा समिति की चार बैठकें 22 जून 2018, 26 सितंबर 2018, 19 दिसंबर 2018 तथा 19 मार्च 2019 को संपन्न हुईं.

8. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंक में प्रभावी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया गया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न आईटी समर्थकारी सेवाएं प्रदान करना, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना तथा नए आईटी उत्पाद लांच करने में सहायता देना और तत्संबंधी सेवाएं प्रदान करना और साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना और साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी करना है.

31 मार्च 2019 को सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) में सात सदस्य थे जिसमें श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक, विशेषज्ञ आईटी व्यावसायिक, अध्यक्ष के रूप में तथा श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री के.पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, श्री सुधीर श्याम, सरकारी नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी और श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक के रूप शामिल थे.

आईटीएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- बोर्ड को प्रस्तावित आईटी बजट की संस्तुति;
- आईटी बजट के उपयोग की समीक्षा;
- बैंक के ग्राहकों के लिए विभिन्न उत्पादों तथा आईटी आधारित सेवाओं के प्रारंभ की समीक्षा;
- आंतरिक अथवा बाहर से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के विकास, अधिप्राप्ति और परिचालनों की समीक्षा करना और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने अथवा अन्य प्रक्रिया के लिए प्रक्रियाएँ तैयार करना;
- प्रौद्योगिकी के जरिए शाखाओं के एकीकरण और बैंक के लिए एमआईएस के विकास की देखरेख करना;
- प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर की अद्यतन स्थिति और की गईं प्रमुख आईटी पहलों की समीक्षा करना;
- सूचना सुरक्षा संबंधी घटनाओं की समीक्षा;
- डिजिटल बैंकिंग एवं अभिनव भुगतान प्रणालियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा;
- सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा;
- आईटी नीति की समीक्षा;
- साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारी का मूल्यांकन;
- साइबर सुरक्षा प्रबंध योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी;
- साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर

अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

आईटीएससी की बैठकों के लिए कोरम

आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम आईटीएससी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

आईटीएससी बैठकों की बारंबारता

आईटीएससी बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019) के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति की पाँच बैठकें 21 जून 2018, 07 सितंबर 2018, 26 सितंबर 2018, 18 दिसंबर 2018 तथा 18 मार्च 2019 को संपन्न हुईं.

9. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (आरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

25 फरवरी 2019 को नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) को एकल समिति के रूप में विलय कर दिया गया जिसे नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के रूप में जाना जाता है. 31 मार्च 2019 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में पाँच सदस्य थे जिसमें श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रूप में, श्री पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी नामिती निदेशक, श्री बी. बी. जोशी और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक अन्य सदस्य के रूप में शामिल थे. समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियमावली के विनियम 19 और अनुसूची II के भाग डी और निदेशकों के उपयुक्त और उचित स्थिति के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिए गए अधिदेश/ विचारार्थ विषयों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करती है.

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- निदेशक के लिए अर्हताओं, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों की नियुक्ति तथा मूल्यांकन से संबंधित नीति निदेशक मंडल को संस्तुत करना;
- बोर्ड, उसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशक के कार्यनिष्पादन की प्रभावी मूल्यांकन के लिए, या तो बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा निष्पादन की रीति को निर्दिष्ट करना और उसके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा करना;
- स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक नियुक्ति एवं मूल्यांकन नीति के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अर्ह हैं.
- बोर्ड को निदेशकों की नियुक्ति एवं मूल्यांकन नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति और पृथक्करण की संस्तुति करना;
- अर्हता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा, 'उपयुक्त और उचित' मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता (यदि लागू हो) तथा स्वतंत्र निदेशक और इसके अतिरिक्त संबंधित मानदंड को तैयार करने सहित निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/नियुक्ति को जारी रखने की योग्यता को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाना;
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति बनाना;
- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को भुगतान किए जाने वाले सभी पारिश्रमिक, चाहे वे किसी भी रूप में हों, की सिफारिश करना;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन को प्राप्त करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय कार्य.
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एनआरसी की बैठकों के लिए कोरम

एनआरसी बैठकों के लिए कोरम एनआरसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जिसमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति आवश्यक होगी.

एनआरसी बैठकों की बारंबारता

एनआरसी की बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी.

बैठकों की संख्या :

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019) के दौरान एनआरसी की एक बैठक 21 जनवरी 2019 को सम्पन्न हुई.

10. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

मानव संसाधन संबधी मामलों को देखने के लिए और मानव संसाधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी) का गठन किया गया है.

31 मार्च 2019 को एचआरएससी समिति में सात सदस्य अर्थात् श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ अध्यक्ष के रूप में, श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी.एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, श्री

पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी नामिती निदेशक, श्री समरेश परिदा और श्री दीपक सिंघल स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

एचआरएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- भर्ती एवं प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां बनाना;
- कार्य-निष्पादन प्रबंधन, प्रतिकर और कैरियर विकास पहलों की समीक्षा;
- प्रबंधन विकास और उत्तराधिकार नियोजन पर विचार करना;
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना; और
- कार्मिक की नियुक्ति, मानवशक्ति मूल्यांकन, पदोन्नति आदि सहित विभिन्न एचआर मामलों पर विचार और अनुमोदन प्रदान करना.
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एचआरएससी समिति की बैठकों के लिए कोरम

एचआरएससी बैठकों के लिए कोरम एचआरएससी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

एचआरएससी बैठकों की बारंबारता

एचआरएससी की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएंगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019) के दौरान मानव संसाधन संचालन समिति की तीन बैठकें 13 अगस्त 2018, 19 दिसंबर 2018 और 21 जनवरी 2019 को संपन्न हुईं.

11. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एनपीए, दबावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, सरकारी परिसमापक (ओएल) मामलों, ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) मामलों आदि से वसूली की समीक्षा करने के लिए और वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने तथा अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया गया है.

31 मार्च 2019 को वसूली समीक्षा समिति में छह सदस्य अर्थात श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष), श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, श्री पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक, डॉ. आशिमा गोयल और श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

आरआरसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- अनर्जक आस्तियों (एनपीए)/ बट्टे खाते डाले गए खातों के वसूली कार्यनिष्पादन की समीक्षा;
- दबावग्रस्त संरचित रिटेल आस्तियों और शीघ्र अनर्जक होने वाली आस्तियों वाले मामलों की समीक्षा;
- बैंक की शीर्ष 100 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) मामलों की समीक्षा;
- कॉरपोरेट वर्टिकलों के दबावग्रस्त खातों की समीक्षा;
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के संबंध में स्थिति रिपोर्ट;
- विशेष उल्लेख वाले खातों (एसएमए) की समीक्षा;
- वाद दायर किए गए मामलों की समीक्षा;
- प्रथम बारीय एनपीए (एफटीएनपीए)/ इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा;
- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की तिमाही समीक्षा; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

आरआरसी समिति की बैठकों के लिए कोरम

आरआरसी बैठकों के लिए कोरम आरआरसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

आरआरसी बैठकों की बारंबारता

आरआरसी की बैठकें आवश्यकतानुसार किंतु वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें आयोजित की जाएंगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019) के दौरान आरआरसी की आठ बैठकें 25 अप्रैल 2018, 22 जून 2018, 13 अगस्त 2018, 26 सितंबर 2018, 14 नवंबर 2018, 19 दिसंबर 2018, 21 जनवरी 2019 और 19 मार्च 2019 को संपन्न हुईं.

12. स्वतंत्र निदेशकों की समिति (आईडीसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV तथा एलओडीआर विनियमावली के विनियम 25 के निबंधनों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की समिति (आईडीसी) गठित की गई है. 31 मार्च 2019 को स्वतंत्र निदेशकों की समिति में सात सदस्य अर्थात् श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, डॉ. आशिमा गोयल, श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल और श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

आईडीसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- गैर-स्वतंत्र निदेशकों की और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड के कर्तव्यों के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक है;
- सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम 2011 की अपेक्षाओं का अनुपालन; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशा-निर्देशों के तहत समय-समय पर अधिसूचित किए गए निदेशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

आईडीसी बैठकों के लिए कोरम

आईडीसी बैठकों के लिए कोरम आईडीसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा. तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशक आईडीसी की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे.

आईडीसी बैठकों की बारंबारता

आईडीसी बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होंगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019) के दौरान आईडीसी की तीन बैठकें 26 अप्रैल 2018, 23 अक्तूबर 2018 और 14 नवंबर 2018 को संपन्न हुईं.

13. असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी) का गठन किया गया जिसमें एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

31 मार्च 2019 को इस समिति में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष) तथा श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल थे.

एनसीबीआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- ऋणकर्ता को असहयोगी ऋणकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित आंतरिक असहयोगी ऋणकर्ता समिति के आदेशों/निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशा-निर्देशो के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निदेशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एनसीबीआरसी बैठकों के लिए कोरम

एनसीबीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगी.

बैठकों की बारंबारता

बैंक की आंतरिक असहयोगी उधारकर्ता समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को 'असहयोगी उधारकर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो एनसीबीआरसी को बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होगा.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019) के दौरान एनसीबीआरसी की 2 बैठकें 04 फरवरी 2019 और 28 मार्च 2019 को संपन्न हुईं.

14. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी) का गठन किया गया जिसमें एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

31 मार्च 2019 को इस समिति में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ अध्यक्ष के रूप में, श्री एन. जंबुनाथन तथा श्री भुवनचंद्र बी जोशी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे.

इस समिति की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- ऋणकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधित आंतरिक इरादतन चूककर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों के लिए कोरम

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों के लिए सभी सदस्यों की उपस्थिति कोरम होगी.

बैठकों की बारंबारता

बैंक की डब्ल्यूडीआरसी समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो डब्ल्यूडीआरसी को बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होगा.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019) के दौरान डब्ल्यूडीआरसी की 11 (ग्यारह) बैठक 25 अप्रैल 2018, 25 जुलाई 2018, 13 अगस्त 2018, 07 सितंबर 2018, 26 सितंबर 2018, 23 अक्तूबर 2018, 26 नवंबर 2018, 27 दिसंबर 2018, 04 फरवरी 2019, 22 फरवरी 2019 और 28 मार्च 2019 को संपन्न हुईं.

समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति तालिका 2 में दर्शाई गई है.

तालिका 2 : समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति (1 अप्रैल 2018 से 31मार्च 2019 तक)

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	एसीबी		ईसी		एसआरसी		एफ़एमसी		आरएमसी		सीएस आरसी		सीएससी		आईटी एससी		एनआरसी		एचआर एससी		आर आरसी		आईडीसी		एनसीबी आरसी		डब्ल्यूडी आरसी	
		एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए
1.	श्री हेमंत भार्गव (डीआईएन - 01922717) [25.02.2019 से 13.03.2019 तक]																												
2.	श्री राकेश शर्मा, (डीआईएन-06846594) [10.10.2018 से प्रभावी]			13	13			1	1	2	2	0	0	2	2	2	2			2	2	4	4			2	2	6	6
3.	श्री बी. श्रीराम, (डीआईएन -02993708) [30.06.2018 से 30.09.2018 तक]			6	6			0	0			0	0	1	1					1	1	2	2			0	0	4	4
4.	श्री महेश कुमार जैन, (डीआईएन - 03513127)[21.06.2018 तक]			4	3			0	0					0	0					0	0	1	1			0	0	1	1
5.	श्री के पी नायर, (डीआईएन - 02611496)	11	11	23	23	4	3	2	2	5	5	2	2	4	4	5	5			3	3	8	8						
6.	श्री जी. एम. यादवाडकर, (डीआईएन - 01432796)			23	21	4	4	2	1	5	5	2	2	4	4	5	5			3	3	8	7						
7.	श्री पंकज जैन (डीआईएन - 00675922)	10	10											4	1			0	0	3	3	8	5						
8.	श्री प्रवीण गर्ग (डीआईएन - 00208604) (14.05.2018 तक)																					1	1						
9.	श्री सुधीर श्याम (डीआईएन- 08135013) [16.05.2018 से प्रभावी]									5	2	0	0			4	2			3	3	7	5						
10.	श्री राजेश कंडवाल (डीआईएन-02509203) [21.01.2019 से प्रभावी]	1	1															0	0	0	0								
11.	श्री एस. रवि (डीआईएन- 00009790) [12.05.2018 तक]	1	1	2	1																	1	1	1	1			1	1
12.	श्री निनाद कर्पे (डीआईएन- 00030971) [11.05.2018 तक]	1	1	2	0																	1	0	1	1				
13.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन- 00603925)	11	11	20	19			2	2	5	5	2	2	4	4	5	5	1	1					3	3				
14.	डॉ. आशिमा गोयल (डीआईएन- 00233635)	11	10			4	4	2	0			2	2					1	1			0	0	3	3	1	1		
15.	श्री बी. बी. जोशी (डीआईएन- 06713850)	10	10	23	22			2	2	5	5							1	1			7	7	3	3	2	2	11	11
16.	श्री समरेश परिदा (डीआईएन- 01853823) [19.05.2018 से प्रभावी]	10	9							5	5					5	4	1	1	3	3	0	0	2	2				
17.	श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन- 05126421) [19.05.2018 से प्रभावी]			21	20	4	4							4	4	5	5	0	0					2	2			10	10
18.	श्री दीपक सिंघल (डीआईएन: 08375146) [28.02.2019 से प्रभावी]			1	1			0	0											0	0			0	0	1	1		
19.	श्री संजय कल्लापुर (डीआईएन: 08377808) [05.03.2019 से प्रभावी]	0	0					0	0	0	0			0	0									0	0				

एच - निदेशक के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें; ए - निदेशक ने बैठकों में भाग लिया.

निदेशक मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता के निर्धारण की मैट्रिक्स

एलओडीआर विनियमन के निबंधन में, बैंक ने उन फील्ड को चिन्हित किया है जहां निदेशकों को विशेष ज्ञान/ अनुभव/ कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता की आवश्यतकता है. इस फील्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए की अपेक्षाओं पर विचार करने के बाद चिन्हित किया गया है. 31 मार्च 2019 के अनुसार विभिन्न फील्ड में निदेशकों के विशेष ज्ञान/ अनुभव/ कौशल/ क्षमता को मैट्रिक्स में दर्शाया गया है जो निम्नानुसार तालिका 3 में दी गई हैं.

तालिका 3: निदेशक मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता के निर्धारण की मैट्रिक्स

	श्री राकेश शर्मा	श्री के. पी. नायर	श्री जी. एम. यादवाडकर	श्री पंकज जैन	श्री सुधीर श्याम	श्री राजेश कंडवाल	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	डॉ. आशिमा गोयल	श्री बी. बी. जोशी	श्री समरेश परिदा	श्री एन. जंबुनाथन	श्री दीपक सिंघल	श्री संजय कल्लापुर
लेखाशास्त्र	√			√		√				√			√
कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था	√				√		√	√	√	√	√	√	
बैंकिंग	√	√	√	√	√			√	√		√	√	
सहकारिता								√					
अर्थशास्त्र	√				√			√					√
वित्त		√		√		√	√	√	√	√			√
विधि								√					
लघु उद्योग	√			√			√		√		√		
मानव संसाधन	√	√			√	√						√	
जोखिम						√	√						√
सूचना प्रौद्योगिकी		√		√				√		√	√		
भुगतान और निपटान								√			√		
व्यवसाय प्रबंधन	√	√	√	√		√				√		√	
प्रशासन	√	√	√			√		√				√	
कॉरपोरेट अभिशासन	√	√	√	√		√		√	√				√

वार्षिक विवरणी का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का सारांश नीचे दिया गया है.

I. पंजीकरण और अन्य ब्योरे

i.	सीआईएन	L65190MH2004GOI148838
ii.	पंजीकरण की तारीख	27 सितंबर 2004
iii.	कंपनी का नाम	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/ उपश्रेणी	सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी /शेयरों द्वारा लिमिटेड
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005. संपर्क विवरण : फोन नं. : (022)-66553355, 22189111, फैक्स: (022) 22180411 वेबसाइट: www.idbibank.in
vi.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हाँ
vii.	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सिलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद- 500032. टेली नं. (040) 33211500 टोल फ्री नं. : 1-800-3454001 फैक्स नं. : (040) 23420814 ईमेल : einward.ris@karvy.com

II. कंपनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियां

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद/ सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/ सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	वाणिज्यिक बैंकों, बचत बैंकों, डाक बचत बैंक और डिस्काउंट हाउसों की मौद्रिक मध्यस्थता	64191	100%

III. धारिता, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों के ब्योरे

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/ ग्लोबल लोकेशन संख्या (जीएलएन)	धारिता / सहायक / सहयोगी	शेयरों का %	लागू धारा
1	भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रवर्तक), 'योगक्षेम' जीवन बीमा मार्ग, पी बी सं. 19953, मुंबई 400021.	लागू नहीं	धारिता	51.00	2(46)
2	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड, 6ठीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई 400005.	U65990MH1993GOI075578	सहायक	100.00	2(87)
3	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड, आईडीबीआई बिल्डिंग, तल मंज़िल, प्लॉट नं. 39-41, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई- 400 614.	U72200MH2000GOI124665	सहायक	100.00	2(87)
4	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005.	U65991MH2010PLC199326	सहायक	100.00	2(87)
5	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. 4थी मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई 400005	U65100MH2010PLC199319	सहायक	66.67	2(87)
6	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, तल मंज़िल, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400 001.	U65991MH2001GOI131154	सहायक	54.70	2(87)
7	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंज़िल, ट्रेड व्यू, ओएसिस कॉम्प्लेक्स, कमला सिटी, पी.बी. मार्ग, लोअर परेल (प). मुंबई - 400 013.	U66010MH2007PLC167164	संयुक्त उद्यम	48.00	2(6)
8	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड 'ए' विंग, चौथी मंज़िल, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.	U74120MH2012PLC230380	सहयोगी	30.00	2(6)
9	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड, पाँचवीं मंज़िल, अणुव्रत भवन, 210, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110 002.	U73100DL1990PLC041486	सहयोगी	27.93	2(6)
10	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेडफी हाउस, दिसपुर, गुवाहाटी - 781006.	U65923AS1995GOI004529	सहयोगी	25.00	2(6)

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/ ग्लोबल लोकेशन संख्या (जीएलएन)	धारिता / सहायक / सहयोगी	शेयरों का %	लागू धारा
11	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. 60, रोमेन रोलैंड स्ट्रीट, पुडुचेरी - 605 001.	U65923PY1974SGC000121	सहयोगी	21.14	2(6)

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (इक्विटी शेयर पूंजी - कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में अलग-अलग विवरण)

i) श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % बदलाव
		डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ. प्रवर्तक										
(1) भारतीय										
क)	वैयक्तिक/ हिन्दू अविभाजित परिवार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख)	केंद्र सरकार/	2055467184	441371502	2496838686	80.96	3594165335	0	3594165335	46.46	-34.51
ग)	राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)	कॉरपोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ)	वित्तीय संस्थाएं/ बैंक	0	0	0	0	3945510389	0	3945510389	51.00	51.00
च)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप-कुल (अ)(1)	2055467184	441371502	2496838686	80.96	7539675724	0	7539675724	97.46	16.49
(2) विदेशी										
क)	एनआरआई- वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख)	अन्य- वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग)	कॉरपोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)	बैंक/वित्तीय संस्थाएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप-कुल (आ)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (अ)= (अ)(1)+(अ)(2)	2055467184	441371502	2496838686	80.96	7539675724	0	7539675724	97.46	16.49
आ. सार्वजनिक शेयरधारिता										
1. संस्थाएं										
क)	म्यूचुअल फंड	11981236	0	11981236	0.39	5425800	0	5425800	0.07	-0.32
ख)	बैंक/ वित्तीय संस्थाएं	15379559	6340	15385899	0.50	2795536	7140	2802676	0.04	-0.46
ग)	केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)	राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ)	जोखिम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च)	बीमा कंपनियाँ	347301541	0	347301541	11.26	12778869	0	12778869	0.17	-11.10
छ)	एफआईआई	52784074	1860	52785934	1.71	7970709	100	7970809	0.10	-1.61
ज)	विदेशी जोखिम पूंजी निधियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झ)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप-कुल (आ)(1)	**427446410**	**8200**	**427454610**	**13.86**	**28970914**	**7240**	**28978154**	**0.37**	**-13.49**

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % बदलाव
		डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(2)	**गैर-संस्थागत**									
	कॉरपोरेट निकाय									
	भारतीय	27327492	207020	27534512	0.89	24368569	179684	24548253	0.32	-0.58
	विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	वैयक्तिक									
	1 लाख रुपये तक की शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	78415551	11890629	90306180	2.93	93117883	9715545	102833428	1.33	-1.60
	1 लाख रुपये से अधिक की अधिकृत शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	29729312	95480	29824792	0.97	23589003	337021	23926024	0.31	-0.66
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
	समाशोधन सदस्य	4831157	0	4831157	0.16	8333219	0	8333219	0.11	-0.05
	आईईपीएफ	2117434	0	2117434	0.07	2647217	0	2647217	0.03	-0.04
	एनबीएफसी	27391	0	27391	0.00	107932	0	107932	0.00	0.00
	अनिवासी भारतीय	2591597	1370343	3961940	0.13	2997171	1160923	4158094	0.05	-0.07
	एनआरआई गैर-प्रत्यावर्तन	610081	0	610081	0.02	729262	0	729262	0.01	-0.01
	सोसायटियाँ	0	28960	28960	0.00	0	28960	28960	0.00	0.00
	ट्रस्ट	301033	25920	326953	0.01	304293	24320	328613	0	-0.01
	उप-योग (आ) (2)	145951048	13618352	159569400	5.17	156194549	11446453	167641002	2.17	-3.01
	कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (आ)= (आ) (1)+(आ)(2)	**573397458**	**13626552**	**587024010**	**19.04**	**185165463**	**11453693**	**196619156**	**2.54**	**-16.49**
इ.	**जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
	कुल योग (अ+आ+इ)	**2628864642**	**454998054**	**3083862696**	**100.00**	**7724841187**	**11453693**	**7736294880**	**100.00**	**0.00**

ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्रम. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	333722672	10.82	0	3945510389	51.00	0	40.18
2.	भारत सरकार	2496838686	80.96	0	3594165335	46.46	0	(34.50)

iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्रम सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
	भारतीय जीवन बीमा निगम				
	वर्ष के आरंभ में	333722672	10.82	333722672	10.82
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी				
	04.10.2018 (अधिमानी आबंटन)	339897328	14.90	673620000	14.90
	28.12.2018(अधिमानी आबंटन)	2387617322	44.31	3061237322	44.31
	18.01.2019(खुली पेशकश खरीद)	56682182		3117919504	
	21.01.2019(अधिमानी आबंटन)	827590885	51.00	3945510389	51.00
	वर्ष के अंत में	3945510389	51.00	3945510389	51.00
	भारत सरकार				
	वर्ष के आरंभ में	2496838686	80.96	2496838686	80.96
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी				
	25.05.2018 (अधिमानी आबंटन)	1097326649	85.96	3594165335	85.96
	वर्ष के अंत में	3594165335	46.46	3594165335	46.46

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर के धारकों को छोड़कर)

क्रम सं.		प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
1	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	वर्ष के आरंभ में	12010000	0.39	12010000	0.39
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी				
		बिक्री - 08.06.2018	-54080	0.29	11955920	0.29
		खरीद - 15.06.2018	8103384	0.48	20059304	0.48
		बिक्री - 15.06.2018	-10500000	0.23	9559304	0.23
		बिक्री - 22.06.2018	-83000	0.23	9476304	0.23
		बिक्री - 29.06.2018	-9057669	0.01	418635	0.01
		बिक्री - 06.07.2018	-418635	0.00	0	0.00
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को)	0	0.00	0	0.00
2	कोटक फंड्स- इंडिया मिडकैप फंड	वर्ष के आरंभ में	10298084	0.33	10298084	0.33
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी				
		बिक्री - 25.05.2018	-824548	0.23	9473536	0.23
		बिक्री - 08.06.2018	-1000000	0.20	8473536	0.20
		बिक्री - 29.06.2018	-1647851		6825685	0.16
		बिक्री - 06.07.2018	-6825685		0	0.00
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को)	0	0.00	0	0.00

क्रम सं.		प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
3	यूनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लि.	वर्ष के आरंभ में	8057143	0.26	8057143	0.26
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को)	-	-	8057143	0.10
4	वैनगार्ड एमेर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फ़ंड	वर्ष के आरंभ में	7872869	0.26	7872869	0.26
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी				
		बिक्री - 04.05.2018	-21260	0.25	7851609	0.25
		बिक्री - 11.05.2018	-20197	0.25	7831412	0.25
		बिक्री - 01.06.2018	-15945	0.19	7815467	0.19
		बिक्री - 22.06.2018	-41574	0.19	7773893	0.19
		बिक्री - 29.06.2018	-66924	0.18	7706969	0.18
		बिक्री - 06.07.2018	-27378	0.18	7679591	0.18
		बिक्री - 13.07.2018	-43602	0.18	7635989	0.18
		खरीद - 28.12.2018	3939064	0.17	11575053	0.17
		खरीद - 01.02.2019	86478	0.15	11661531	0.15
		खरीद - 08.02.2019	275835	0.15	11937366	0.15
		बिक्री - 01.03.2019	-1254787	0.14	10682579	0.14
		बिक्री - 08.03.2019	-4903885	0.07	5778694	0.07
		बिक्री - 15.03.2019	-1768922	0.05	4009772	0.05
		बिक्री - 22.03.2019	-3634529	0.00	375243	0.00
		बिक्री - 29.03.2019	-375243	0.00	0	0.00
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को)	0	0.00	0	0.00
5	आशीष रमेशकुमार गोयनका	वर्ष के आरंभ में	7714978	0.25	7714978	0.25
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी				
		खरीद - 03.08.2018	376000	0.19	8090978	0.19
		बिक्री - 04.01.2019	-6785753	0.02	1305225	0.02
		बिक्री - 08.02.2019	-1305225	0.00	0	0.00
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को)	0	0.00	0	0.00

क्रम सं.		प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
6	वेंगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	वर्ष के आरंभ में	7321838	0.24	7321838	0.24
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी				
		खरीद - 24.08.2018	577710	0.19	7899548	0.19
		खरीद - 14.09.2018	589618	0.20	8489166	0.20
		खरीद - 21.09.2018	212862	0.21	8702028	0.21
		खरीद - 28.12.2018	4786251	0.21	13488279	0.21
		खरीद - 11.01.2019	568067	0.21	14056346	0.21
		बिक्री - 01.03.2019	-679444	0.17	13376902	0.17
		बिक्री - 08.03.2019	-5774364	0.10	7602538	0.10
		बिक्री - 15.03.2019	-2082921	0.07	5519617	0.07
		बिक्री - 22.03.2019	-5077766	0.01	441851	0.01
		बिक्री - 29.03.2019	-441851	0.00	0	0.00
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को)	0	0.00	0	0.00
7	एमेर्जिंग मार्केट्स कोर इक्विटी पोर्टफोलियो	वर्ष के आरंभ में	5511533	0.18	5511533	0.18
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी				
		बिक्री - 01.06.2018	-669685	0.12	4841848	0.12
		बिक्री - 29.06.2018	-1213832	0.09	3628016	0.09
		बिक्री - 18.01.2019	-3628016	0.00	0	0.00
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को)	0	0.00	0	0.00
8	कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड	वर्ष के आरंभ में	4882401	0.16	4882401	0.16
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी				
		खरीद - 06.04.2018	1104	0.16	4883505	0.16
		बिक्री - 06.04.2018	-10000	0.16	4873505	0.16
		खरीद - 13.04.2018	480000	0.17	5353505	0.17
		बिक्री - 13.04.2018	-2175	0.17	5351330	0.17
		खरीद - 20.04.2018	8699	0.17	5360029	0.17
		खरीद - 27.04.2018	9442	0.17	5369471	0.17
		बिक्री - 27.04.2018	-10000	0.17	5359471	0.17
		खरीद - 04.05.2018	460000	0.19	5819471	0.19
		बिक्री - 04.05.2018	-198718	0.18	5620753	0.18
		खरीद - 11.05.2018	1077	0.18	5621830	0.18
		खरीद - 18.05.2018	3231	0.18	5625061	0.18
		बिक्री - 18.05.2018	-20000	0.18	5605061	0.18
		खरीद - 25.05.2018	260000	0.14	5865061	0.14
		बिक्री - 25.05.2018	-1077	0.14	5863984	0.14

क्रम सं.		प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
		बिक्री - 01.06.2018	-1332	0.14	5862652	0.14
		बिक्री - 08.06.2018	-5379	0.14	5857273	0.14
		बिक्री - 15.06.2018	-6456	0.14	5850817	0.14
		खरीद - 29.06.2018	2152	0.14	5852969	0.14
		बिक्री - 29.06.2018	-210000	0.13	5642969	0.13
		खरीद - 06.07.2018	74727	0.14	5717696	0.14
		बिक्री - 06.07.2018	-10000	0.14	5707696	0.14
		खरीद - 13.07.2018	10050	0.14	5717746	0.14
		बिक्री - 13.07.2018	-170000	0.13	5547746	0.13
		खरीद - 20.07.2018	49835	0.13	5597581	0.13
		खरीद - 27.07.2018	551108	0.15	6148689	0.15
		बिक्री - 03.08.2018	-3321	0.15	6145368	0.15
		खरीद - 10.08.2018	380000	0.16	6525368	0.16
		बिक्री - 10.08.2018	-25420	0.16	6499948	0.16
		खरीद - 17.08.2018	429885	0.17	6929833	0.17
		खरीद - 24.08.2018	2880000	0.23	9809833	0.23
		खरीद - 31.08.2018	1107	0.23	9810940	0.23
		बिक्री - 31.08.2018	-1320000	0.20	8490940	0.20
		खरीद - 07.09.2018	130000	0.21	8620940	0.21
		बिक्री - 07.09.2018	-240	0.21	8620700	0.21
		खरीद - 14.09.2018	140000	0.21	8760700	0.21
		खरीद - 21.09.2018	180000	0.21	8940700	0.21
		बिक्री - 21.09.2018	-54222	0.21	8886478	0.21
		बिक्री - 28.09.2018	-5361951	0.08	3524527	0.08
		खरीद - 05.10.2018	180000	0.08	3704527	0.08
		बिक्री - 05.10.2018	-21412	0.08	3683115	0.08
		खरीद - 12.10.2018	1091	0.08	3684206	0.08
		बिक्री - 12.10.2018	-170000	0.08	3514206	0.08
		खरीद - 19.10.2018	1091	0.08	3515297	0.08
		खरीद - 26.10.2018	1092	0.08	3516389	0.08

क्रम सं.		प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
		बिक्री - 26.10.2018	-2310000	0.03	1206389	0.03
		खरीद - 02.11.2018	820000	0.04	2026389	0.04
		खरीद - 16.11.2018	1480000	0.08	3506389	0.08
		बिक्री - 16.11.2018	-114	0.08	3506275	0.08
		खरीद - 23.11.2018	170000	0.08	3676275	0.08
		बिक्री - 23.11.2018	-21819	0.08	3654456	0.08
		खरीद - 30.11.2018	38290	0.08	3692746	0.08
		बिक्री - 30.11.2018	-2770000	0.02	922746	0.02
		बिक्री - 07.12.2018	-10000	0.02	912746	0.02
		खरीद - 14.12.2018	3831	0.02	916577	0.02
		बिक्री - 14.12.2018	-30000	0.02	886577	0.02
		खरीद - 21.12.2018	1277	0.02	887854	0.02
		बिक्री - 21.12.2018	-70000	0.02	817854	0.02
		बिक्री - 28.12.2018	-300292	0.01	517562	0.01
		बिक्री - 31.12.2018	-501	0.01	517061	0.01
		खरीद - 04.01.2019	158022	0.01	675083	0.01
		खरीद - 11.01.2019	40437	0.01	715520	0.01
		बिक्री - 11.01.2019	-20000	0.01	695520	0.01
		बिक्री - 18.01.2019	-101264	0.01	594256	0.01
		खरीद - 25.01.2019	110000	0.01	704256	0.01
		बिक्री - 25.01.2019	-237622	0.01	466634	0.01
		बिक्री - 01.02.2019	-69968	0.01	396666	0.01
		खरीद - 08.02.2019	1273	0.01	397939	0.01
		बिक्री - 08.02.2019	-180000	0.00	217939	0.00
		खरीद - 15.02.2019	562	0.00	218501	0.00
		खरीद - 22.02.2019	1	0.00	218502	0.00
		खरीद - 01.03.2019	6184	0.00	224686	0.00
		खरीद - 08.03.2019	330000	0.01	554686	0.01
		बिक्री - 08.03.2019	-17456	0.01	537230	0.01

क्रम सं.		प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
		खरीद - 15.03.2019	134783	0.01	672013	0.01
		बिक्री - 29.03.2019	-29823	0.01	642190	0.01
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को)	-	-	642190	0.01
9.	कोथ्थल्ल मॉरिशियस इनवेस्टमेंट लि.	वर्ष के आरंभ में	3804963	0.12	3804963	0.12
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी				
		बिक्री - 27.04.2018	-110000	0.12	3694963	0.12
		बिक्री - 04.05.2018	-92388	0.12	3602575	0.12
		बिक्री - 01.06.2018	-3120000	0.01	482575	0.01
		खरीद - 13.07.2018	24368	0.01	506943	0.01
		खरीद - 31.08.2018	83340	0.01	590283	0.01
		खरीद - 07.09.2018	94866	0.02	685149	0.02
		बिक्री - 02.11.2018	-264156	0.01	420993	0.01
		खरीद - 30.11.2018	342908	0.02	763901	0.02
		खरीद - 07.12.2018	10764	0.02	774665	0.02
		खरीद - 14.12.2018	90066	0.02	864731	0.02
		खरीद - 21.12.2018	48826	0.02	913557	0.02
		बिक्री - 28.12.2018	-517614	0.01	395943	0.01
		खरीद - 31.12.2018	2578	0.01	398521	0.01
		बिक्री - 04.01.2019	-2141	0.01	396380	0.01
		बिक्री - 18.01.2019	-36801	0.01	359579	0.01
		खरीद - 01.02.2019	5703	0.00	365282	0.00
		बिक्री - 08.02.2019	-98326	0.00	266956	0.00
		बिक्री - 15.02.2019	-15065	0.00	251891	0.00
		बिक्री - 08.03.2019	-220	0.00	251671	0.00
		खरीद - 15.03.2019	58357	0.00	310028	0.00
		खरीद - 22.03.2019	148969	0.01	458997	0.01
		खरीद - 29.03.2019	41621	0.01	500618	0.01
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को)	-	-	500618	0.01

क्रम सं.		प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
10.	दि ओरिएंटल इन्श्युरेंस कंपनी लि.	वर्ष के आरंभ में	3202859	0.10	3202859	0.10
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को)	-	-	3202859	0.04

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्रम सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
निदेशक						
1.	श्री हेमंत भार्गव (डीआईएन-01922717) [25.02.2019 से 13.03.2019 तक]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		पृथक्करण की तारीख को	0	0	0	0
2.	श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ (डीआईएन-06846594) [10.10.2018 से प्रभावी]	वर्ष के आरंभ में	2500	0	2500	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	2500	0	2500	0
3.	श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं सीईओ (डीआईएन-02993708) [30.06.2018 से प्रभावी]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		पृथक्करण की तारीख को	0	0	0	0
4.	श्री महेश कुमार जैन एमडी एवं सीईओ (डीआईएन-03513127) [21.06.2018 तक]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		पृथक्करण की तारीख को	0	0	0	0
5.	श्री के.पी. नायर, डीएमडी (डीआईएन-02611496)	वर्ष के आरंभ में	320	0	320	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	320	0	320	0

क्रम सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
6.	श्री जी. एम. यादवाडकर, डीएमडी (डीआईएन-00675922)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
7.	श्री पंकज जैन (डीआईएन-00675922)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
8.	श्री प्रवीण गर्ग (डीआईएन-00208604) [14.05.2018 तक]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		पृथक्करण की तारीख को	0	0	0	0
9.	श्री सुधीर श्याम (डीआईएन- 08135013) [16.05.2018 से प्रभावी]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
10.	श्री राजेश कंडवाल (डीआईएन-02509203) [21.01.2019 से प्रभावी]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
11.	श्री एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन- 00009790) [12.05.2018 तक]	वर्ष के आरंभ में	200	0	200	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		पृथक्करण की तारीख को	200	0	200	0
12.	श्री निनाद कर्पे, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन- 00030971) [11.05.2018 तक]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		पृथक्करण की तारीख को	0	0	0	0

क्रम सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
13.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन- 00603925)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
14.	डॉ. अशिमा गोयल (डीआईएन- 00233635)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
15.	श्री बी. बी. जोशी (डीआईएन- 06713850)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
16.	श्री समरेश परिदा (डीआईएन- 01853823) [19.05.2018 से प्रभावी]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
17.	श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन- 05126421) [19.05.2018 से प्रभावी]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
18.	श्री दीपक सिंघल (डीआईएन: 08375146) [28.02.2019 से प्रभावी]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
19.	श्री संजय कल्लापुर (डीआईएन: 08377808) [05.03.2019 से प्रभावी]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0

क्रम सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक						
1.	श्री अजय शर्मा, सीएफओ	वर्ष के आरंभ में	120	0	120	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	120	0	120	0
2.	श्री पवन अग्रवाल, म प्र एवं कंपनी सचिव सदस्यता सं.: एफ7744	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/ उपचित किंतु भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित बैंक की ऋणग्रस्तता (₹ '000' में)

	जमाराशियों को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमाराशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन राशि	211078409	420776862	2479316112	3111171383
ii. देय किंतु अप्रदत्त ब्याज	0	0	0	0
iii. उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	121442.89	7632250	4016801	11770493.89
कुल (i+ii+iii)	211199851.89	428409112.00	2483332913.00	3122941876.89
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• वृद्धि	0	190229169.1	0	190229169.1
• कमी	0	211408154.4	214832723	426240877.4
निवल परिवर्तन	**0**	**-21178985.25**	**-214832723**	**-236011708.3**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन राशि	139893538	312983701	2273717247	2726594486
ii. देय किंतु अप्रदत्त ब्याज	0	0	0	0
iii. उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	258853.78	5876374.89	3174516	9309744.67
कुल (i+ii+iii)	**140152391.8**	**318860075.90**	**2276891763**	**2735904231.0**

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

अ. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/ या प्रबंधक को पारिश्रमिक (₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक का नाम					कुल राशि (₹)
		श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ [10.10.2018 से प्रभावी]	श्री बी. श्रीराम, एमडी एवं सीईओ [30.06.2018 से 30.09.2018 तक]	श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ [21.06.2018 तक]	श्री के. पी. नायर, डीएमडी	श्री जी एम यादवाडकर, डीएमडी	
1.	**सकल वेतन** (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	1440191.48	741792.88	642588.00	2457732.30	2437629.21	**7719933.87**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	332015.84	-	98055.00	429545.14	373253.04	**1232869.02**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-	**-**
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-	**-**
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	**-**
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	**-**
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें [साधारण छुट्टी का नकदीकरण] [एल एफ सी]	-	-	-	-	27265.00 33829.00	**27265.00** **33829.00**
	कुल (अ)	**1772207.32**	**741792.88**	**740643.00**	**2887277.44**	**2871976.25**	**9013896.89**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा						

आ. प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक/ पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		कुल राशि (₹)
		श्री अजय शर्मा, सीएफओ	श्री पवन अग्रवाल, म.प्र. एवं कंपनी सचिव	
1.	**सकल वेतन** (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	2410635.03	2128898.52	4539533.55
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	505060.55	720237.36	1225297.91
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें- साधारण छुट्टी का नकदीकरण	137800.98	99028.60	236829.58
	एलएफ़सी	75000.00	50000.00	125000.00
	कुल	**3128496.56**	**2998164.48**	**6126661.04**

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों का प्रशमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/ दंड/ शमनीय शुल्क के विवरण	प्राधिकारी [आरडी/ एनसीएलटी/कोर्ट]	की गई अपील, यदि कोई हो
अ) कंपनी - आईडीबीआई बैंक लिमिटेड					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		
आ) निदेशक					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		
इ) चूक में अन्य अधिकारी					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		

फॉर्म एमजीटी - 9 में वार्षिक विवरणी का सारांश हमारी वेबसाइट www.idbibank.in पर भी उपलब्ध है.

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर प्रकथन

आईडीबीआई बैंक लि. के स्वतंत्र निदेशकों श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, डॉ. आशिमा गोयल, श्री भुवनचन्द्र बी जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल और श्री संजय कल्लापुर ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार 1 अप्रैल 2019 को घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में और विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (बी), एलओडीआर विनियम के उप-विनियम 17(10) तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 10ए में उल्लिखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और वे किसी भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो यथोचित रूप से मौजूद है या प्रत्याशित होने वाली है जो निष्पक्ष स्वतंत्र निर्णय के साथ और किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना अपने कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता को प्रभावित करते हैं या प्रभावित कर सकते हैं. उक्त को निदेशक मंडल द्वारा 16 अप्रैल 2019 को नोट किया गया था और इसकी सत्यता का सही आकलन करने के बाद इस पर बोर्ड की राय थी कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में बैंक की नीति उसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर लिंक https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp के अंतर्गत उपलब्ध है.

कंपनी का लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण पर बैंक की नीति उसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर लिंक https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp के अंतर्गत उपलब्ध है.

सचिवीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित और आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानकों यथा एसएस-1 (बोर्ड बैठकों पर सचिवीय मानक) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक) को अंगीकृत किया है. बैंक ने अपनी बोर्ड, समिति और सामान्य बैठकों का आयोजन इन मानकों के अनुसार तथा इनका अनुपालन करते हुए किया है.

आंतरिक लेखापरीक्षक

बैंक का अपना आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है जो आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्य करता है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार श्री एम. वी. फडके,

कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक को मुख्य लेखा-परीक्षा अधिकारी के रूप में नामित किया गया है.

दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत शुरू की गयी कॉरपोरेट दिवाला अक्षमता समाधान प्रक्रिया पर प्रकटीकरण

उक्त प्रावधान बैंकिंग कंपनियों के लिए लागू नहीं हैं.

सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियम 33(3)(डी) में निर्धारित की गई लेखापरीक्षा सापेक्षता के प्रभाव पर विवरण और लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक सापेक्षता, पूर्वधारणा अथवा प्रतिकूल अभियुक्ति अथवा दावात्याग पर बोर्ड की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसी सापेक्षता, पूर्वधारणा अथवा प्रतिकूल अभियुक्ति अथवा दावात्याग नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणियों की आवश्यकता हो.

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के अनुसार, बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा बैंक में किए गए धोखाधड़ी की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों के विवरण

उप-धारा (1) को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान, कारोबार के साधारण अनुक्रम में बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान किये गए ऋण, गारंटी अथवा प्रतिभूति पर पर लागू नहीं होते है. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा किए गए निवेश के ब्योरे वित्तीय विवरणों को अनुसूची 8 में प्रकट किया गया है.

निर्धारित फॉर्म पर संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा समझौतों के विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा समझौते, यदि कोई हो, के विवरण निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में नीचे दिए गए हैं :

एओसी-2

[अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत किए गए कुछ स्वतंत्र संव्यवहार सहित की गई संविदाओं/ समझौतों के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

i. स्वतंत्र आधार के न होते हुए की गई संविदाओं अथवा समझौतों अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ समझौते/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ समझौते/ संव्यवहार की अवधि	मूल्य सहित संविदा अथवा समझौते अथवा संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	इस प्रकार की संविदा अथवा समझौते अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख
शून्य								

ii. स्वतंत्र आधार पर महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा समझौते अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ समझौते/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ समझौते/ संव्यवहार की अवधि	मूल्य सहित संविदा अथवा समझौते अथवा संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हों	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खँ), यदि कोई हो (हों)	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
शून्य						

ह./-
राकेश शर्मा
(डीआईएन -06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
30 मई 2019

जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण

बैंक विस्तृत व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के समय-समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतित किया जाता है. बोर्ड की एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन सहित बैंक के जोखिम से संबंधित पहलुओं की नियमित रूप से समीक्षा करती है. बैंक का निदेशक मंडल भी आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही जोखिम आकलन तथा न्यूनीकरण प्रक्रियाओं और साथ ही बासेल III मानदंडों के अंतर्गत बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करता है.

वर्ष के दौरान सीएसआर नीति तथा उसके कार्यान्वयन संबंधी विवरण

कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित फॉर्मेट में विवरण निम्नानुसार हैं:

सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण सहित बैंक की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा तथा सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ**

   बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित वर्ग में व्याप्त विभेदों की पहचान कर उनकी बेहतरी के लिए आवश्यकता आधारित योगदान करते हुए उनके लिए मूर्त, दृश्य तथा स्थायी बदलाव लाना है. बैंक यह प्रत्यक्ष दखल तथा विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए तथा हिताधिकारियों के साथ भागीदारी निर्मित करते हुए हासिल करना चाहता है.

   बैंक की सीएसआर नीति अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, लैंगिक समानता और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यावरणीय स्थायित्व, आजीविका के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में सहयोगात्मक दखल के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है.

   बैंक की सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की वेब-लिंक http://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf है.

2. **बोर्ड की सीएसआर समिति की संरचना: बोर्ड के सीएसआर समिति की संरचना निम्न तालिका में दी गई है:**

क्र. सं.	निदेशक	पदनाम
1.	श्री राकेश शर्मा	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2.	श्री के पी नायर	उप प्रबंध निदेशक
3.	श्री जी एम यादवाडकर	उप प्रबंध निदेशक
4.	श्री सुधीर श्याम	सरकारी नामिती निदेशक
5.	डॉ. आशिमा गोयल	स्वतंत्र निदेशक

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बैंक का औसत निवल लाभ:** बैंक को पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 16, वित्तीय वर्ष 17 और वित्तीय वर्ष 18 में 4955 करोड़ रुपये की औसत निवल हानि (सीएसआर प्रयोजन हेतु) हुई है.

4. **विनिर्दिष्ट सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 की राशि का दो प्रतिशत):** लागू नहीं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार बैंक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 16, वित्तीय वर्ष 17 और वित्तीय वर्ष 18 के लिए 4955 करोड़ रुपये की औसत निवल हानि उठाई है. तथापि, बैंक ने सक्रिय पहलों और (सीएसआर नीति) की गतिविधियों की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए अपने सीएसआर व्ययों को जारी रखा है.

5. **वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण :**

   (क) **वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि:** लागू नहीं. तथापि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्षों में आगे बढ़ाई गई परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धताओं हेतु 0.25 करोड़ रु. व्यय किए है.

   (ख) **व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो:** लागू नहीं. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर बजट अनिवार्य नहीं है क्योंकि पिछले तीन वर्षों का औसत निवल लाभ ऋणात्मक है.

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है: (₹ में)

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		व्यय की गयी राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार *	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि †
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय #		
1	3 वर्ष की अवधि के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत वडोदरा जिले के करनाली समूह पंचायत के चार गाँवों में कौशल विकास कार्यक्रम और नए माइक्रो उपक्रम को सक्रिय सहायता के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजना	अन्य	वडोदरा, गुजरात	60,75,000	18,51,449	0	56,80,925	भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात
2	मिज़ोरम के सइहा जिले में मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए अक्षमता अनुकूल विशेष स्कूल के बचे हुए हिस्से का निर्माण कार्य पूर्ण करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजना	अन्य	सइहा, मिज़ोरम	30,00,000	6,00,000	0	30,00,000	मारा, टी.टी. चाको एंड अब्राहम चैरिटेबल ट्रस्ट, सइहा, मिज़ोरम
3	रिजर्व प्रभार क्रियाविधि (आरसीएम) गैर-सेनवैट के अंतर्गत सेवा कर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	36,000	36,000	सेन वैट.
	कुल				90,75,000	24,51,449	36,000	87,16,925	

*- निरसन घटाने के बाद निवल राशि
† - कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी का पंजीकृत कार्यालय पता
# - वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)

6. यदि बैंक विगत तीन वित्तीय वर्षों या उनके किसी भाग के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत व्यय करने में असफल रहता है तब कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में राशि व्यय न करने के कारण बताने होंगे

कंपनी अधिनियम 2013 में दिये गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप आईडीबीआई बैंक को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत कोई व्यय उपगत करने की आवश्यकता नहीं है. तथापि बैंक ने पिछले वर्षों से आगे लायी गयी परियोजनाओं के लिए की गयी प्रतिबद्धताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 0.25 करोड़ रुपये व्यय किए हैं.

7. सीएसआर समिति का दायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीतियों के अनुपालन में है.

आईडीबीआई बैंक की सीएसआर समिति घोषणा करती है कि सीएसआर नीति, इसका कार्यान्वयन तथा निगरानी अक्षरशः कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों के अनुपालन में है.

ह/-
राकेश शर्मा
(डीआईएन - 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
सी एस आर समिति के अध्यक्ष
30 मई 2019

बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके की सूचना का विवरण

कंपनी (लेखा) विनियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) स्वतंत्र निदेशकों की समिति (आईडीसी) ने दिनांक 15 अप्रैल 2019 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड की बैठकों के अध्यक्ष सहित सभी गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन और समग्र रूप से बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया.

(ii) बोर्ड ने दिनांक 16 अप्रैल 2019 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के कार्य निष्पादन, स्वयं के कार्य-निष्पादन के साथ-साथ बोर्ड की समितियों के कार्यनिष्पादन का भी मूल्यांकन किया. सभी वैयक्तिक निदेशकों का मूल्यांकन सम्पूर्ण बोर्ड द्वारा किया गया था, जिसमें (क) बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा और (ख) कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करना तथा उनकी प्रबंधन से स्वतंत्रता शामिल है. मूल्यांकन किए गए निदेशकों का ऐसे संबंधित निदेशकों ने अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान बैठक में भाग नहीं लिया.

आईडीसी और बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वैयक्तिक निदेशकों, बोर्ड की समितियों और बोर्ड के संबंध में रिक्त मूल्यांकन शीटें ईमेल के माध्यम से वैयक्तिक निदेशकों को अग्रिम रूप में प्रेषित की गईं ताकि वे पहले से ही अपना अभिमत बना सकें और संबंधित बैठकों में मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सहायता मिल सके. संबंधित बैठकों के अध्यक्ष ने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के पश्चात आईडीसी और बोर्ड की ओर से मूल्यांकन शीटों पर हस्ताक्षर किए.

कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत दिये गए आरबीआई के निदेशों का अनुपालन करता रहा है.

बैंक की स्थिति में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने आईडीबीआई बैंक में 51% नियंत्रणकारी हिस्सेधारी का अधिग्रहण किया. अधिग्रहण प्रक्रिया 21 जनवरी 2019 को पूरी हुई तथा एलआईसी को बैंक के प्रवर्तक (प्रबंधन नियंत्रण के साथ) के रूप में तथा भारत सरकार को बैंक के सह-प्रवर्तक (बिना प्रबंधन नियंत्रण के) के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 14 मार्च 2019 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा 21 जनवरी 2019 से बैंक को विनियामकीय प्रयोजनों के लिए निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नियुक्त होने अथवा त्यागपत्र देने वाले निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

निदेशकों के नाम	पदनाम	नियुक्ति/त्यागपत्र/सेवा समाप्ति	दिनांक
श्री राकेश शर्मा	एमडी एवं सीईओ (केएमपी)	नियुक्ति	10.10.2018
श्री बी. श्रीराम	एमडी एवं सीईओ (केएमपी)	नियुक्ति	30.06.2018
श्री बी. श्रीराम	एमडी एवं सीईओ (केएमपी)	सेवा समाप्ति	30.09.2018
श्री महेश कुमार जैन	एमडी एवं सीईओ (केएमपी)	सेवा समाप्ति	21.06.2018
श्री प्रवीण गर्ग	सरकारी नामिती निदेशक	सेवा समाप्ति	14.05.2018

निदेशकों के नाम	पदनाम	नियुक्ति/त्यागपत्र/सेवा समाप्ति	दिनांक
श्री सुधीर श्याम	सरकारी नामिती निदेशक	नियुक्ति	16.05.2018
श्री एस. रवि	स्वतंत्र निदेशक	त्यागपत्र	12.05.2018
श्री निनाद कर्पे	स्वतंत्र निदेशक	त्यागपत्र	11.05.2018
श्री समरेश परिदा	स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति	19.05.2018
श्री एन. जंबुनाथन	स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति	19.05.2018
श्री राजेश कंडवाल	एलआईसी नामिती निदेशक	नियुक्ति	21.01.2019
श्री हेमंत भार्गव	गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष	नियुक्ति	25.02.2019
श्री दीपक सिंघल	अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र निदेशक श्रेणी में)	नियुक्ति	28.02.2019
श्री संजय कल्लापुर	अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र निदेशक श्रेणी में)	नियुक्ति	05.03.2019
श्री हेमंत भार्गव	गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष	सेवा समाप्ति	14.03.2019

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक की बनने वाली या न रहने वाली सहायक संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों के नाम

सहायक कंपनियों के नाम	बनने वाली/ न रहने वाली	दिनांक
	शून्य	

सहायक कंपनियों के नाम	बनने वाली/ न रहने वाली	दिनांक
	शून्य	

संयुक्त उद्यमों के नाम	बनने वाली/ न रहने वाली	दिनांक
	शून्य	

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अधीन शामिल जमाराशियों से संबंधित विवरण और उन जमाराशियों के विवरण जो इस अधिनियम के अध्याय V की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के परंतुक के अनुसार इस उप-धारा का कोई भी अंश बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगा, अतः उपर्युक्त विवरण के प्रकटन की अपेक्षा आईडीबीआई बैंक पर लागू नहीं है.

चालू प्रतिष्ठान स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सार्थक और महत्वपूर्ण आदेशों के विवरण

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया जो आईडीबीआई बैंक की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और भविष्य में बैंक के परिचालनों को प्रभावित करते हैं.

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशको को बैंक के कारोबार, उनके कर्तव्यों और दायित्वों तथा विनियामक वातावरण में परिवर्तन के अनुसार बैंक में अपेक्षित अनुपालन से नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है. वर्ष 2018-19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित / प्रतिनियुक्त किया गया. इस संबंध में विस्तृत ब्योरे बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्न लिंक के अंतर्गत दिए गए हैं:

https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

सतर्कता प्रणाली की स्थापना

बैंक ने सांविधिक / विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सतर्कता प्रणाली स्थापित की है. सतर्कता प्रणाली पर रिपोर्ट नियमित आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है. वर्ष 2018-19 के दौरान, [किसी भी] कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है. बैंक द्वारा सतर्कता प्रणाली नीति का प्रकटन अपनी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्न लिंक के अंतर्गत किया गया है जिसमें सतर्कता प्रणाली की स्थापना के ब्योरे दिए गए हैं:

https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 46 की अपेक्षाओं के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण के लिए नीति बैंक की वेबसाइट - www.idbibank.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत दी गई है:

https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

संबद्ध पक्ष लेनदेनों पर कार्रवाई संबंधी नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और एलओडीआर विनियमावली के विनियम 23 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने संबद्ध पक्ष लेनदेनों पर कार्रवाई संबंधी नीति बनाई है.

संबद्ध पक्ष लेनदेनों पर कार्रवाई संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट- www.idbibank.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है:

https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

व्यापक रूप से सूचीबद्ध संस्था के हितों से संभावित टकराव वाले भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेन-देनों पर प्रकटन

एल ओ डी आर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने ऐसा कोई अत्यंत महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेन-देन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों से किसी प्रकार के टकराव की संभावना हो.

पण्य मूल्य जोखिमों अथवा विदेशी मुद्रा एवं पण्य हेजिंग कार्यकलापों का प्रकटन

बैंक विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार पण्य मूल्य जोखिमों अथवा विदेशी मुद्रा एवं पण्य हेजिंग कार्यकलापों के संबंध में संबंधित उपबंधों का अनुपालन करता है.

लेखांकन व्यवहार का प्रकटन

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखांकन मानदंड में निर्धारित विधियों से अलग कोई भी विधि नहीं अपनायी गई है. अतः इस संबंध में प्रबंधन की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण अपेक्षित नहीं है.

इस बात का प्रकटन कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी द्वारा अपेक्षित है तथा क्या इस तरह के खाते और रिकॉर्ड बनाए व रखे जाते हैं

बैंकिंग कंपनी होने के नाते लागत रिकॉर्डों के रखने का प्रावधान आईडीबीआई बैंक लि. पर लागू नहीं होता है.

निदेशकों के पारिश्रमिक

आईडीबीआई बैंक के 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र का बैंक बन जाने से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के अनुसार प्रबंध निदेशक (एम डी) एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक एवं परिलब्धियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं. एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों (डी एमडी) को प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण तालिका 4 में दिये गये हैं. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध/लेनदेन नहीं रहे हैं.

तालिका 4 : प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक के घटक

वेतन और भत्ते	**श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ** - वेतन ₹ 2,24,400/- प्रति माह और महंगाई भत्ता (वर्तमान में 9%) ₹ 20,196/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 2,44,596/-. **श्री के पी नायर, डीएमडी** - वेतन ₹ 1,87,600/- प्रति माह और 9% की दर से ₹ 16,884/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 2,04,484/-. **श्री जी एम यादवाडकर, डीएमडी** - वेतन ₹ 1,87,600/- प्रति माह और 9% की दर से ₹ 16,884/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 2,04,484/-.
आतिथ्य	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक, दोनों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹ 6000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक आतिथ्य (क्लब की सदस्यता उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर समायोज्य).
आवास	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक दोनों को किराया-मुक्त सुसज्जित आवास.
वाहन व्यय	कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए बैंक की कार का निःशुल्क उपयोग करने हेतु पात्र.
छुट्टी यात्रा रियायत	एमडी एवं सीईओ और डीएमडी दोनों के लिए आधिकारिक दौरे हेतु लागू पात्रता श्रेणी के अनुसार स्वयं एवं परिवार के लिए भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए 2 वर्षों के ब्लॉक में एक बार.
पेंशन	बैंक, जहां वे कैरियर पद पर रहे हैं, के नियमों और विनियमों के अनुसार कैरियर पद में (बोर्ड स्तर से नीचे) स्वीकार्य पेंशन, यदि कोई है, प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.

ग्रेच्युटी	एमडी एवं सीईओ / डीएमडी के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष अथवा 6 माह से अधिक की सेवा के लिए आधे माह के वेतन की दर से.
कार्यकाल	**श्री राकेश शर्मा -** भारत सरकार की दिनांक 5 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना सं. एफ.सं. 4/2/2015-बीओ.I द्वारा पूर्व में पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए या अगले के आदेश तक, जो भी पहले हो, एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त. श्री राकेश शर्मा ने आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में 10 अक्तूबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था. एलआईसी ने 51% की नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप दिनांक 18 जनवरी 2019 के अपने पत्र द्वारा यह बताया कि श्री राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ के रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक एलआईसी नए एमडी एवं सीईओ को नामित नहीं करती है. इसके बाद, एलआईसी ने 13 फरवरी 2019 को अपने पत्र द्वारा श्री राकेश शर्मा को बैंक के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(ii) के अंतर्गत 3 वर्षों के नए कार्यकाल के लिए आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में नामित किया है. आरबीआई के अनुमोदन की प्राप्ति के बाद बोर्ड ने श्री राकेश शर्मा की नियुक्ति को 19 मार्च 2019 से अनुमोदित किया है. 20 अगस्त 2019 को होने वाली आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की जा रही है.
	श्री के पी नायर - भारत सरकार की दिनांक 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना सं.एफ.सं.4/5/(7)/2016-बीओ.I द्वारा पद के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31 मई 2019 तक की अवधि अर्थात् अधिवर्षिता की तारीख अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री नायर ने 15 सितंबर 2016 को कार्यभार ग्रहण किया. 51% की नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप एलआईसी ने दिनांक 18 जनवरी 2019 के अपने पत्र द्वारा यह बताया कि श्री के. पी. नायर डीएमडी के रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक एलआईसी आईडीबीआई बैंक बोर्ड पर नए डीएमडी को नामित नहीं करती है. तत्पश्चात् एलआईसी ने सूचित किया है कि श्री के. पी. नायर अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने पर 31 मई 2019 को पद त्याग कर देंगे. तदनुसार, बोर्ड ने 31 मई 2019 को कारोबार समय की समाप्ति पर श्री के. पी. नायर द्वारा पद त्याग करने का अनुमोदन कर दिया है. **श्री जी एम यादवाडकर -** भारत सरकार की दिनांक 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना सं.एफ.सं.4/5/(7)/2016-बीओ.I द्वारा पद के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष तक की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री यादवाडकर ने 15 सितंबर 2016 को कार्यभार ग्रहण किया. 51% की नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप एलआईसी ने दिनांक 18 जनवरी 2019 के अपने पत्र द्वारा यह बताया कि श्री जी एम यादवाडकर डीएमडी के रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक एलआईसी आईडीबीआई बैंक बोर्ड पर नए डीएमडी को नामित नहीं करती है.

सरकार नामित निदेशकों को छोड़कर सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों को उनके द्वारा सम्मिलित प्रत्येक बोर्ड/ समिति बैठक के लिए केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया गया था. बैठक शुल्क को 25 फरवरी 2019 से संशोधित कर बोर्ड, ईसी तथा एसीबी की प्रति बैठक ₹ 20,000/- तथा बोर्ड की अन्य समितियों के लिए ₹ 10,000/- प्रति बैठक से बोर्ड की बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 40,000/- (बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए 10,000 रु. प्रति बैठक अतिरिक्त) और बोर्ड समिति बैठकों के लिए 20,000 रु. प्रति बैठक (बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 5,000 प्रति बैठक अतिरिक्त) किया गया. एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को उपर्युक्त पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक फीस के अलावा आपके बैंक द्वारा निदेशकों को बैठक में भाग लेने हेतु उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर वहन किए गए खर्च को छोड़कर और कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

स्वतंत्र निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री एस. रवि (12.05.2018 तक)	90,000
श्री निनाद कर्पे (11.05.2018 तक)	50,000
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	11,70,000
डॉ. आशिमा गोयल	6,85,000
श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी	13,55,000
श्री समरेश परिदा (19.05.2018 से प्रभावी)	6,80,000
श्री एन. जंबुनाथन (19.05.2018 से प्रभावी)	9,90,000
श्री राजेश कंडवाल (21.01.2019 से प्रभावी)*	1,40,000
श्री दीपक सिंघल (28.02.2019 से प्रभावी)	80,000
श्री संजय कल्लापुर (05.03.2019 से प्रभावी)	40,000

*श्री राजेश कंडवाल (नामित निदेशक - एलआईसी) को बोर्ड/ समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए देय बैठक शुल्क की राशि एलआईसी के बैंक खाते में जमा कर दी गई है.

कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अधीन प्रकटन

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों, जिनकी नियुक्ति पहले भारत सरकार द्वारा की गई थी, के पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप पारिश्रमिक में लागू वृद्धि सहित भारत सरकार के वेतनमानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया जाता है. एलआईसी द्वारा 51% शेयरों का अधिग्रहण करने के पश्चात् प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के तहत आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जाना है. बैंक ने प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, उप प्रबंध निदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए लागू वेतनमान को जारी रखा है. बोर्ड के अन्य निदेशकों को उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किए अनुसार बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) अर्थात् मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव सहित बैंक के अन्य कर्मचारियों को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू पारिश्रमिक मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन का संबंध बैंक के कार्य-निष्पादन सहित अन्य कारकों से जुड़ा होता है. बैंक ने कोई अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) नहीं जारी किया है, अतः बैंक के शेयरों के बाजार कोटेशन की कोई तुलना संभव नहीं है. तथापि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक के शेयरों के बाजार मूल्य, वित्तीय अनुपात आदि का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा एमडी एवं सीईओ/ डीएमडी सहित कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कोई परिवर्ती वेतन अवधारणा लागू नहीं है. 31 मार्च 2019 को बैंक के रोल पर कर्मचारियों की संख्या 17,117 थी जिसमें 821 कर्मचारी संविदा आधार पर थे तथा अन्य सभी कर्मचारी स्थायी थे. इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है और प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक तथा माध्यिका कर्मचारी के पारिश्रमिक का अनुपात और अन्य विवरण ऊपर किए गए प्रकटन के आधार पर हैं तथा ये कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अनुपालन में हैं. कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) की शर्तों में अन्य विवरण नीचे दिये गए हैं:

बैंक के रोल पर नियमित कर्मचारियों की संख्या	16,296	
वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक और प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात;	**कार्यपालक निदेशक का नाम**	**सभी कर्मचारियों की माध्यिका में पारिश्रमिक का अनुपात**
	श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	4.06
	श्री के. पी. नायर, डीएमडी	3.34
	श्री जी एम यादवाडकर, डीएमडी	3.11
वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक के पारिश्रमिक में वृद्धि प्रतिशत, यदि कोई हो;	**पदनाम**	**प्रतिशत वृद्धि**
	एमडी एवं सीईओ	4.16
	डीएमडी, श्री के. पी. नायर	6.06
	डीएमडी, श्री जी एम यादवाडकर	8.56
	सीएफओ*	33.74
	सीएस	7.72
वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक में वृद्धि प्रतिशत;	16.83	
पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से ही हुई औसत वृद्धि तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि के साथ इसकी तुलना एवं इसका औचित्य तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए हुई असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख, यदि कोई हो,	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के गैर-प्रबंधकीय कार्मिक के लिए औसत पारिश्रमिक वृद्धि [16.83%] थी और बैंक के प्रबंधकीय कार्मिक के लिए औसत पारिश्रमिक वृद्धि 12.05% थी.	
अभिपुष्टि कि पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है.	हाँ	

*श्री अजय शर्मा, सीएफओ के पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि अधिक है क्योंकि पूर्ववर्ती वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017-18) के लिए पारिश्रमिक उनके सीएफओ बनने की तारीख से लिया गया था. साथ ही, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान श्री अजय शर्मा को बैंक की आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया के समय उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किया गया था.

महासभा की बैठकें

(i) वार्षिक महासभाओं का विवरण

बैंक की पिछली वार्षिक महासभा (एजीएम) 13 अगस्त 2018 को हुई थी. आईडीबीआई बैंक लि. की वार्षिक महासभाओं का विवरण तालिका 5 में दिया गया है.

तालिका 5 : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण

पिछली तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान और समय	1) 22 जुलाई 2016 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 12वीं वार्षिक महासभा).
	2) 18 जुलाई 2017 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 13वीं वार्षिक महासभा).
	3) 13 अगस्त 2018 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 14वीं वार्षिक महासभा).
क्या पिछली 3 वार्षिक महासभाओं में विशेष संकल्प पारित किए गए थे	**12वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 22 जुलाई 2016 को संपन्न 12वीं वार्षिक महासभा में (i) 8,000 करोड़ रुपये (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकल या एक से अधिक भाग में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, बासेल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड/ अतिरिक्त टीयर I बॉन्ड के रूप में 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने और (iii) श्री एस. रवि को चार वर्षों की अंतिम अवधि के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने (iv) श्री निनाद कर्पे को चार वर्षों की अंतिम अवधि के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने (v) बैंक के प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि और बैंक के संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए. **13वीं वार्षिक महासभा के लिए** (i) 5,000 करोड़ रुपये (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकल या एक से अधिक भाग में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, बासेल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड/ अतिरिक्त टीयर I बॉन्ड के रूप में 5,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने, (iii) बैंक के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.
	14वीं वार्षिक महासभा के लिए बैंक की 13 अगस्त 2018 को संपन्न 14वीं वार्षिक महासभा में (i) 5,000 करोड़ रुपये (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकल या एक से अधिक भाग में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, बासेल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड/ अतिरिक्त टीयर I बॉन्ड के रूप में 5,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.
क्या गत वर्ष डाक मतपत्र के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पद्धति का ब्योरा	हाँ, निम्नलिखित विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से निम्नानुसार पारित किए गए थे: 1. 21 मई 2018 को पारित विशेष संकल्प - (i) भारत सरकार को 7881 करोड़ रुपये मूल्य के इक्विटी शेयरों का अधिमान्य निर्गम तथा (ii) प्राधिकृत पूंजी 4500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपये करना. 2. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को बैंक की पूर्व प्रदत्त पूंजी के 14.90% तक कुल इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के लिए 3 अक्टूबर 2018 को पारित विशेष संकल्प. 3. 7 नवंबर 2018 को पारित विशेष संकल्प (i) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को बैंक की बढ़ाई गई प्रदत्त पूंजी के 51% तक कुल इक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम; (ii) बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करते हुए इसे 8,000 करोड़ रुपये से 15,000 करोड़ रुपये तक करना; (iii) एलआईसी के अधिग्रहण के अनुसरण में बैंक के अंतर्नियमों में संशोधन करना.

व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	सुश्री अपर्णा गाडगिल/ सुश्री मालती कुमार, मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं. कंपनी सचिव की साझेदार
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतदान के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है.	नहीं

डाक मतपत्र के माध्यम से पारित संकल्प और उसकी प्रक्रिया

1. 21 मई 2018 को डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

मांगे गए अनुमोदन	(i) भारत सरकार को कुल 7881 करोड़ रुपये मूल्य के इक्विटी शेयरों का अधिमान्य निर्गम और		
	(ii) प्राधिकृत शेयर पूंजी 4500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपये करना.		
संवीक्षक	बोर्ड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 2018 को सुश्री मालती कुमार, साझेदार मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एवं कं., कंपनी सचिव, को डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था.		
नोटिस की तारीख	5 अप्रैल 2018		
डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 मई 2018 (शाम 5:00 बजे)		
संवीक्षक की रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण	**मद सं.**	**सहमति**	**असहमति**
	(i)	2,88,76,30,429 (99.99%)	7,341 (0.01%)
	(ii)	2,88,76,19,418 (99.99%)	5,330 (0.01%)
	दिनांक 22 मई 2018 की संवीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, संकल्पों को अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया गया था. डाक मतपत्र के परिणाम को, दिनांक 22 मई 2018 को चेयरमैन द्वारा घोषित किया गया था और बैंक तथा रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट आरटीए, अर्थात् कार्वी की वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया गया था. इसे बीएसई और एनएसई जैसे उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया गया था, जहां बैंक शेयर सूचीबद्ध हैं.		
ई-वोटिंग सुविधा	बैंक ने उपर्युक्त दोनों ही डाक मतपत्र के लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु ई-वोटिंग उपलब्ध कराई.		

2. 3 अक्तूबर 2018 को डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

मांगे गए अनुमोदन	(i) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को बैंक की पूर्व प्रदत्त चुकता पूंजी के 14.90% तक कुल इक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम		
संवीक्षक	बोर्ड के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 अगस्त 2018 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सचिव, की सुश्री अपर्णा गाडगिल को डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया था.		
नोटिस की तारीख	31 अगस्त 2018		
डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	3 अक्तूबर 2018 (शाम 5:00 बजे)		
संवीक्षक की रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण	**मद सं.**	**सहमति**	**असहमति**
	(i)	3,97,05,13,310 (99.99%)	5,654 (0.01%)
	दिनांक 3 अक्तूबर 2018 की संवीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, संकल्प को अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया गया था. डाक मतपत्र के परिणाम को, दिनांक 3 अक्तूबर 2018 को चेयरमैन द्वारा घोषित किया गया था और बैंक के तथा आरटीए, अर्थात् कार्वी की वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया गया था. इसे बीएसई और एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया गया था, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं.		
ई-वोटिंग सुविधा	बैंक ने उपर्युक्त डाक मतपत्र के लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु ई-वोटिंग की उपलब्ध कराई.		

3. 7 नवंबर 2018 को डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

मांगे गए अनुमोदन	(i) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को बैंक की विस्तारित चुकता पूंजी के 51% तक कुल इक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम (ii) बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि; और (iii) एलआईसी के अधिग्रहण के अनुसरण में बैंक के संस्था के अंतर्नियमों में संशोधन.		
संवीक्षक	बोर्ड के निदेशक मंडल ने दिनांक 4 अक्तूबर 2018 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सचिव की सुश्री अपर्णा गाडगिल को डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया था.		
नोटिस की तारीख	4 अक्तूबर 2018		
डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	7 नवंबर 2018 (शाम 5:00 बजे)		
संवीक्षक की रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण	**मद सं.**	**सहमति**	**असहमति**
	(i)	3,96,70,87,067 (99.5549%)	1,77,35,387 (0.4451%)
	(ii)	3,96,70,86,957 (99.5549%)	1,77,35,477 (0.4451%)
	(iii)	3,98,04,95,881 (99.9996%)	16,543 (0.0004%)
	दिनांक 8 नवंबर 2018 की संवीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, संकल्प को अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया गया था. डाक मतपत्र के परिणाम को, दिनांक 8 नवंबर 2018 को चेयरमैन द्वारा घोषित किया गया था और बैंक तथा आरटीए, अर्थात् कार्वी की वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया गया था. इसे बीएसई और एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया गया था, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं.		
ई-वोटिंग सुविधा	बैंक ने उपर्युक्त डाक मतपत्र के लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु ई-वोटिंग की उपलब्ध कराई.		

(ii) असाधारण महासभा का विवरण

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई ईजीएम आयोजित नहीं की.

प्रकटन

1 01 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019 के दौरान ऐसी किसी भी कंपनी को सहायता प्रदान नहीं की गई, जिसमें निम्न को छोड़कर बैंक के किसी भी निदेशक की कोई हितबद्धता थी.

(i) आईडीबीआई म्यूचुअल फंड (आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. द्वारा प्रतिनिधित्व)- श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के बोर्ड में थे. तथापि, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, आईडीबीआई बैंक लि. की एक सहायक संस्था है जिसे आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत संबद्ध उधार संबंधी प्रावधानों से छूट प्राप्त है.

(ii) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड- श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के बोर्ड में थे. तथापि, आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लि. की एक सहायक संस्था है जिसे आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत संबद्ध उधार संबंधी प्रावधानों से छूट प्राप्त है.

(iii) भारतीय आयात और निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक) - श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ एक्जिम बैंक के बोर्ड में हैं. तथापि, एक्जिम बैंक को नकद प्रवाह में बेमेल को पूरा करने के लिए अंतर्दिवसीय/ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी दी गई है जिसे आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत संबद्ध उधार संबंधी प्रावधानों से छूट प्राप्त है.

2 पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, कटु आलोचना के विवरण निम्नानुसार हैं :

वित्तीय वर्ष 2016-17	शून्य
वित्तीय वर्ष 2017-18	शून्य

वित्तीय वर्ष 2018-19	शून्य, तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने (i) आरबीआई द्वारा आय अभिनिर्धारण और आस्ति वर्गीकरण पर जारी निर्देशों के गैर अनुपालन पर बैंक को 09 अप्रैल 2018 को 3 करोड़ रुपये (ii) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर आरबीआई के विनियामक निर्देशों के गैर अनुपालन के लिए 04 फरवरी 2019 को 20 लाख रुपये (iii) परिचालन नियंत्रण संबंधी समयबद्ध कार्यान्वयन और स्विफ्ट को मजबूत करने हेतु आरबीआई के विनियामक निर्देशों के उल्लंघन के लिए 25 फरवरी 2019 को 01 करोड़ रुपये का दंड लगाया था.

3. सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 32 (7 ए) के अनुसार प्रकटन :

   वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक ने मई 2018 में भारत सरकार को कुल 7881 करोड़ रुपये तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को (i) अक्तूबर 2018 में कुल 2098 करोड़ रुपये के (ii) दिसंबर 2018 में कुल 14,500/- करोड़ रुपये के और (iii) जनवरी 2019 में कुल 5025.96 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के जरिये निधियां जुटाई हैं. इक्विटी शेयरों के आबंटन तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में फॉर्म पीएएस-3 (आबंटन पर प्रतिलाभ) दाखिल करने के पश्चात् ये निधियां आपके बैंक के उपयोग हेतु उपलब्ध हैं. भारत सरकार तथा एलआईसी को आबंटित इक्विटी के निर्गम से प्राप्त प्रतिफल की राशि बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने तथा सामान्य व्यवसाय प्रयोजनों हेतु पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है.

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एलओडीआर विनियमावली 2015 के विनियम 32 (4) के अनुसार डाक मतपत्र की नोटिसों के व्याख्यात्मक विवरण में उल्लेखित उद्देश्यों से प्राप्त की गई राशियों के उपयोग के संबंध में कोई विचलन नहीं किया गया है.

5. मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव (सीपी सं. 1774) से दिनांक 21 मई 2019 का इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कंपनी कार्य मंत्रालय अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा बने रहने के लिए विवर्जित अथवा निरर्हित नहीं किया गया है. उक्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट में दिया गया है.

6. बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट में वे सभी प्रकटन किए हैं जो एलओडीआर विनियमावली 2015 के अनुसूची V की कॉर्पोरेट अभिशासन खंड के उप पैरा (2) से (10) के अनुसार अपेक्षित हैं.

7. बैंक ने एलओडीआर विनियमावली 2015 के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) में विनिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का पालन किया है.

8. ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की ऐसी किसी सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं किया हो जो अनिवार्य रूप से अपेक्षित हो, अतः इस संबंध में किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है.

9. एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V प्रावधानों के अनुसार बैंक सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सभी सेवाओं के लिए कुल 3.39 करोड़ रुपये की कुल फीस अदा की गई (एलएफएआर, अधिप्रमाणन फीस, कर लेखा परीक्षा फीस, एसआरए लेखापरीक्षा आदि सहित).

आचार एवं सदाचार संहिता

बैंक के निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार एवं सदाचार संहिता को अपनाया है. एलओडीआर विनियमावली के अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

ह/-
राकेश शर्मा
(डीआईएन - 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
30 मई 2019

भेदिया व्यापार की रोकथाम

01 अप्रैल 2019 से प्रभावी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमावली, 2015 [पीआईटी विनियमावली] की संशोधित अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित तैयार किया है :

(i) पीआईटी विनियमावली की विनियम 8 के निबंधन के अनुसार अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के निष्पक्ष प्रकटन के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं की संहिता,

(ii) सेबी (पीआईटी) विनियमावली की विनियम 3(2ए) के निबंधन में वैध उद्देश्य के निर्धारण के लिए नीति, और

(iii) अपने पदनामित व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता जिसमें यूपीएसआई की संबद्धता पर नीति भी शामिल है.

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर एमडी एवं सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त कर बोर्ड को प्रस्तुत किए गए हैं.

धारित कंपनी

21 जनवरी 2019 को एलआईसी द्वारा 51% नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, एलआईसी प्रर्वतक बन गया है और बैंक अब एलआईसी की सहायक कंपनी है.

सहायक कंपनियां

यथा 31 मार्च 2019 को बैंक के पास पांच सहायक कंपनियां थीं अर्थात् आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटिज लि., आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड. बैंक के बोर्ड के किसी भी स्वतंत्र निदेशक को इसकी सहायक कंपनियों के बोर्ड में शामिल किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी सहायक कंपनी एलओडीआर विनियमावली के विनियमन 16 के अंतर्गत परिभाषित किये अनुसार तात्विक रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है. एलओडीआर विनियमावली के विनियम 24 की अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किये गये निवेशों की समीक्षा करती है. असूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त बैंक की बोर्ड बैठकों में नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं.

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और एलओडीआर विनियमावली के विनियम 24ए के अनुसार मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सचिव बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं. दिनांक 21 मई 2019 की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में संलग्न है.

दस्तावेज़ रखरखाव और प्रतिधारण नीति

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 9 के अनुसार बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित दस्तावेज़ रखरखाव और प्रतिधारण नीति को लागू किया है.

सूचना के साधन

बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित निदेशकों की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणामों को प्रकाशित करता है. इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र अर्थात् फाइनैंशियल एक्सप्रेस में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र अर्थात् लोकसत्ता में प्रकाशित किया जाता है. उपर्युक्त जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के साथ बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर भी उपलब्ध कराई गई है.

ऐसे दस्तावेज, जो वर्णित हैं लेकिन वार्षिक महासभा की सूचना पाने के पात्र व्यक्तियों को नहीं भेजे गए हैं, वार्षिक महासभा की तारीख से 21 दिन पहले से बैंक के पंजीकृत कार्यालय में कार्य समय के दौरान शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के दौरान शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव तथा शेयरधारकों से संबंधित अन्य सामान्य सूचनाओं का ब्योरा क्रमशः तालिका 6 और तालिका 7 में दिया गया है.

तालिका 6 : आम शेयरधारकों के लिए सूचना

i.	एजीएम की तारीख, समय और स्थान	मंगलवार 20 अगस्त 2019 को अपराह्न 3.30 बजे. यशवंत राव चव्हाण केंद्र ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021
ii.	वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019
iii.	कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित एलओडीआर विनयमावली के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग अवधि.	ई-वोटिंग अवधि गुरुवार 15 अगस्त 2019 को भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 9.00 बजे से प्रारंभ होगी और सोमवार 19 अगस्त 2019 को भारतीय मानक समय के अनुसार शाम 5.00 बजे समाप्त होगी.
iv.	लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	बुधवार 14 अगस्त 2019 से मंगलवार 20 अगस्त 2019 (दोनों दिन शामिल)

v.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान की पुष्टि	**1. बीएसई लि. (बीएसई)** पता : 25वीं मंज़िल, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400001. **2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)** पताः (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई - 400051 बीएसई और एनएसई के वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान क्रमशः 11 अप्रैल 2019 और 27 अप्रैल 2019 को किया गया है.
vi.	स्टॉक कोड/ प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई-आईडीबीआई
vii.	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	कार्वी फिनटेक प्रा.लि., यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500032
viii.	शेयर अंतरण प्रणाली	शेयर अंतरण कार्यपालक निदेशक/ मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं.
ix.	वित्तीय कैलेंडर	01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 : 1) 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही के परिणाम 14 अगस्त 2018 को अनुमोदित किए गए. 2) 30 सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही / छमाही के परिणाम 14 नवंबर 2018 को अनुमोदित किए गए. 3) 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तीसरी तिमाही / नौ महीने के परिणाम 04 फरवरी 2019 को अनुमोदित किए गए. 4) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित परिणाम 30 मई 2019 को अनुमोदित किए गए.
x.	प्रॉक्सी फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख	रविवार 18 अगस्त 2019 को अपराह्न 3.30 बजे तक
xi.	तिमाही परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के समापन से 45 दिनों के भीतर और वार्षिक लेखापरीक्षित परिणाम हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर.
xii.	गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों तथा परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	यथा 31 मार्च 2019 को बैंक के किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास बैंक के शेयर नहीं थे.
xiii.	डिबेंचर ट्रस्टी के विवरण	1. **एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,** दूसरी मंजिल, एक्सिस हाउस, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, बाम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई- 400025, फोन : 022-62300429. **ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी** rohit.jhamnani@axistrustee.com 2. **एसबीआईकैप ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,** एपीजे हाउस, 6ठी मंजिल, 3 दिनशा वाच्छा रोड चर्चगेट, मुंबई - 400020, फोनः 022-43025572. **ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी** savitri.yadav@sbicaptrustee.com 3. **विस्ट्रा आई टी सी एल (इंडिया) लि., (पूर्ववर्ती आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड),** द आईएल एंड एफएस फाइनान्शियल सेंटर, प्लॉट सी-22, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई 400051. फोन : 022-26593455. ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी Poojan.Baxi@vistra.com

आईडीबीआई के शेयरों का एनएसई और बीएसई में सक्रिय रूप से कारोबार होता है. एक्सचेजों के पास सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क आज की तारीख तक अदा किया जा चुका है.

तालिका 7: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव : अप्रैल 2018 - मार्च 2019 (₹)

माह	एनएसई		बीएसई			एनएसई		बीएसई	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	माह	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल 2018	74.15	66.15	74.20	66.15	अक्तूबर 2018	59.70	54.10	59.70	54.00
मई 2018	68.60	60.45	68.55	60.65	नवंबर 2018	61.20	59.15	61.25	59.10
जून 2018	63.70	49.85	63.90	49.90	दिसंबर 2018	62.00	59.40	62.05	59.50
जुलाई 2018	60.10	48.10	60.10	48.15	जनवरी 2019	64.65	53.60	64.70	53.65
अगस्त 2018	63.40	60.35	63.30	60.30	फरवरी 2019	52.75	41.65	52.80	41.70
सितंबर 2018	61.15	48.85	61.15	49.80	मार्च 2019	46.65	41.95	46.65	41.95

यथा 31 मार्च 2019 को शेयरधारिता का स्वरूप

मार्च 2019 के अंत में बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता के ब्योरे और वितरण अनुसूची नीचे तालिका 8 और तालिका 9 में दी गई है.

तालिका 8 : 31 मार्च 2019 के अंत में शेयरधारिता का स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रबंधन नियंत्रण के साथ प्रवर्तक)	3945510389	51
भारत सरकार (बिना प्रबंधन नियंत्रण के साथ सह-प्रवर्तक)	3594165335	46.46
कर्मचारी	758859	0.01
जनता	122032350	1.58
हिन्दू अविभाजित परिवार	3965303	0.05
कंपनी निकाय	24548253	0.32
संस्थाएं		
अ) बैंक	2452516	0.03
आ) विदेशी संस्थागत निवेशक	100	0.00
इ) राज्य वित्त निगम	0	0.00
ई) वित्तीय संस्थाएं	350160	0.00
उ) म्यूचुअल फंड	5425800	0.07
सोसायटी	28960	0.00
न्यास	328613	0.00
बीमा कंपनियां	12778869	0.17
अनिवासी भारतीय	4887356	0.06
निदेशक, केएमपी एवं उनके रिश्तेदार		
(i) श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	2500	0
(i) श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक	320	0
(i) श्री अजय शर्मा, सीएफओ	120	0
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	8333219	0.11

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	7970709	0.10
एनबीएफसी	107932	0.00
आईईपीएफ	2647217	0.03
कुल योग	**7736294880**	**100.00**

व्यापक सूचकांकों अर्थात् बीएसई सेंसेक्स आदि की तुलना में प्रदर्शन

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के दौरान बीएसई सेंसीटिव इंडेक्स (सेंसेक्स) की तुलना में आईडीबीआई बैंक के इक्विटी शेयर का प्रदर्शन निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है:

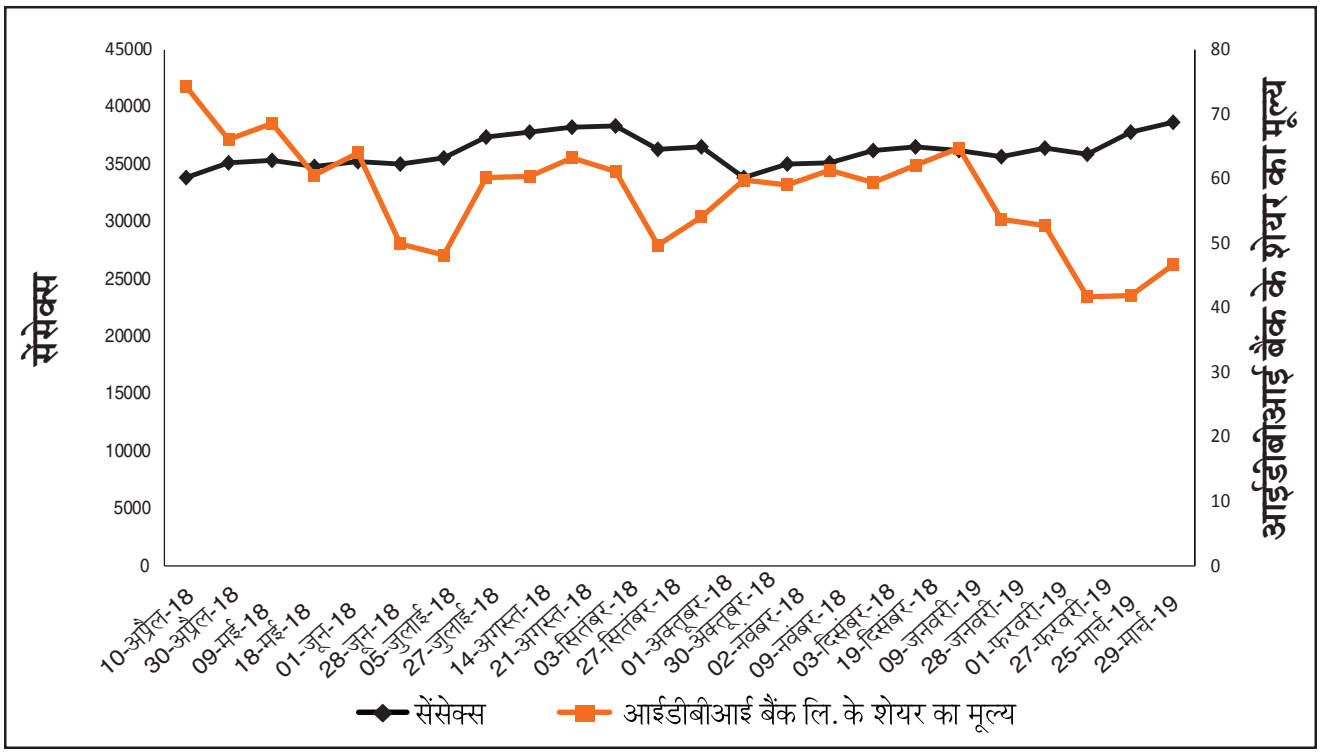

तालिका 9 : 31 मार्च 2019 के अंत में वितरण अनुसूची

क्र. सं	श्रेणी		शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों में %	राशि (₹)	कुल राशि में %
	से	तक				
1	1	5000	336432	89.43	488463650.00	0.63
2	5001	10000	22399	5.95	175987020.00	0.23
3	10001	20000	9748	2.59	146575690.00	0.19
4	20001	30000	2695	0.72	69306390.00	0.09
5	30001	40000	1283	0.34	46165980.00	0.06
6	40001	50000	1000	0.27	47653300.00	0.06
7	50001	100000	1477	0.39	109506830.00	0.14
8	100001 और अधिक		1163	0.31	76279289940.00	98.60
कुल			**376197**	**100.00**	**77362948800.00**	**100.00**

शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशक शिकायत समाधान

शेयर अंतरण प्रक्रिया को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से अंतरण ज्ञापन (एमओटी) को साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित करने के लिए कार्यपालक निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति गठित की गई है.

यथा 1 अप्रैल 2018 को शिकायत निवारण के लिए 1 निवेशक शिकायत लंबित थी और 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट को शेयरधारकों/ निवेशकों से कुल 7,224 निवेशक शिकायतें प्राप्त हुईं. वर्ष के दौरान 7,223 शिकायतों का निवारण किया गया और 31 मार्च 2019 को शिकायत निवारण के लिए 2 निवेशक शिकायत लंबित थी.

शेयरों के संबंध में 1 अप्रैल 2018 को अंतरण से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं था. 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट को शेयरों के अंतरण के लिए 1,639 अनुरोध प्राप्त हुए. इनमें से शेयरों के अंतरण से संबंधित 1,639 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई और 31 मार्च 2019 को कोई अनुरोध लंबित नहीं थे.

हितधारक संबंध समिति के बारे में प्रकटन

(क)	समिति की अध्यक्षता करने वाले गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक
(ख)	अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम	श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी हैं. वे एलओडीआर विनियमावली और सेबी विनियमावली के सचिवीय अनुपालन का पर्यवेक्षण करते हैं.
(ग)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	2,899
(घ)	शेयरधारकों की संतुष्टि तक समाधान नहीं किए गए मामलों की संख्या	0
(ङ)	लंबित शिकायतों की संख्या	1

डिमैट उचंत खाता/ अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटन

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरे रिपोर्ट करता है:

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	दिनांक 1 अप्रैल 2018 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	4,807	8,56,554
(ख)	दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के दौरान उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	25	5,100
(ग)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	25	5,100
(घ)	यथा 31 मार्च 2019 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	4,782	8,51,454
(ङ)	इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक फ्रीज रहेगा जब तक इन शेयरों के वैध स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते.		

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) के संबंध में प्रकटन

(क) वर्ष के दौरान आईईपीएफ में किए गए अंतरण का विवरण

क्र. सं.	विवरण	शेयर	राशि
(i)	अदावी/अप्रदत्त लाभांश की राशि और तद्नुरूपी शेयर	1380047	48634405.00
(ii)	अधिमानी शेयरों की मोचन राशि	लागू नहीं	0
(iii)	उपचित ब्याज के साथ बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए परिपक्व जमा की राशि	लागू नहीं	0
(iv)	उपचित ब्याज के साथ परिपक्व डिबेंचर राशि	लागू नहीं	280550424.00
(v)	उपचित ब्याज सहित धन वापसी के लिए किसी प्रतिभूति के आबंटन और देय हेतु प्राप्त आवेदन राशि	लागू नहीं	0
(vi)	बोनस शेयर के जारी होने, विलय और अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले आंशिक शेयरों की बिक्री से प्राप्त प्रतिफल	लागू नहीं	0

(ख) आईईपीएफ में पहले से अंतरित शेयरों से उत्पन्न होने वाले लाभ का विवरण - 0

(ग) पूरे वर्ष तक के अप्रदत्त/ अदावी लाभांश की वर्ष-वार राशि जो अप्रदत्त खाते में पड़ी है और तद्नुरूपी शेयर जो आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं और ऐसे अंतरण के लिए नियत तारीखें

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	अप्रदत्त लाभांश	शेयरों की संख्या	आईईपीएफ में अंतरित के लिए देय दिनांक
(i)	वित्तीय वर्ष 2011-12 (अंतिम)	14499077.48	9665896	13.10.2019
(ii)	वित्तीय वर्ष 2012-13	31310430.00	8945122	11.10.2020
(iii)	वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतरिम)	8170705.00	11265337	19.02.2021
(iv)	वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतिम)	3272612.00	11880875	06.08.2021
(v)	वित्तीय वर्ष 2014-15	8525142.00	11361958	18.09.2022

(घ)	आईईपीएफ को कंपनी द्वारा दिये गए दान की राशि, यदि कोई हो	0
(ङ)	वर्ष के दौरान आईईपीएफ को अंतरित ऐसी अन्य राशि, यदि कोई हो	0

तालिका 10 : डिमटेरियलाइजेशन के ब्योरे तथा पत्राचार के लिए पता

शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन और चलनिधि

शेयरधारिता का स्वरूप	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	प्रतिशत
कागजी रूप में	46537	11453693	0.15
एनएसडीएल (डिमटेरियलाइज्ड)	214030	4082031059	52.76
सीडीएसएल (डिमटेरियलाइज्ड)	122399	3642810128	47.09
कुल	**382966**	**7736294880**	**100.00**

बकाया जीडीआर/एडीआर/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक लि. ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट आदि जारी नहीं किए हैं.
प्लांट का स्थान	लागू नहीं. तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थान के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट, (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.
पत्राचार के लिए पता	**आईडीबीआई बैंक लि.** सीआईएन - L65190MH2004GOI148838 इक्विटी कक्ष- बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., 22वीं मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 फोन- (022) - 66552779/2711/3147/3336 ई-मेल - idbiequity@idbibank.in वेबसाइट - www.idbibank.in

रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032
फोन : (040) 33211500
टोल फ्री नंबर: 1-800-3454001
फैक्स नं. : (040) 23420814
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड
6ठी मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-400 005

आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड
आईडीबीआई बिल्डिंग, तल मंज़िल, प्लॉट नं. 39-41, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614

आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड
4थी मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-400 005

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, तल मंज़िल, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001

विनियम 27 की विवेकाधिकार अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

बैंक ने एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के तहत दी गई सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को निर्दिष्ट प्रारूप में कॉरपोरेट अभिशासन पर तिमाही/ छमाही/ वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है. एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग ई के अंतर्गत दी गई विवेकाधिकार अपेक्षाओं के संदर्भ में स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं	विवेकाधीन आवश्यकताएं	स्थिति
1.	एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने का अधिकार होगा और उन्हें उनके द्वारा दायित्व के निर्वहन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त होगी.	बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 116(1) के अनुसार श्री मंगलम रामसुब्रमणियन कुमार, अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम को 13 मई 2019 से आईडीबीआई बैंक के गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. बैंक ने आईडीबीआई टॉवर, कफ परेड, मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष के कार्यालय की व्यवस्था की है.
2.	पिछले 6 महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के संक्षिप्त विवरण सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्द्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक के घर भेजी जाए.	बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए तिमाही और अर्द्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रसारित किया जाता है.
3.	कंपनी असंशोधित लेखापरीक्षा अभिमत वाले वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो.	बैंक इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है.
4.	कंपनी द्वारा अध्यक्ष और एमडी एवं सीईओ पद के लिए अलग-अलग व्यक्ति की नियुक्ति की जाए.	अब बैंक में गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष और एमडी एवं सीईओ के अलग-अलग पद हैं.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट किया जाए.	आंतरिक लेखापरीक्षक, श्री एम. वी. फड़के, कार्यपालक निदेशक सीधे एसीबी को रिपोर्ट करते हैं.

फॉर्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400005.

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् 'कंपनी' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार संचालित की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है.

कंपनी की बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही, कंपनी ने इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, वर्णित रीति से और उसके अध्यधीन उपयुक्त बोर्ड- प्रक्रियाएँ और अनुपालन-प्रणाली लागू की हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है

i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियमावली तथा उप-विधियों;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमन - लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट न की जाने वाली कोई घटना नहीं हैं.

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश :-

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 ;

   ग. 09 नवंबर 2018 तक प्रभावी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 और 10 नवंबर 2018 से प्रभावी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 - लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान उक्त विनियम के अंतर्गत निदेशकों / कर्मचारियों को कोई शेयर/ऑप्शन जारी नहीं किया है.

   ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;

   च. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ संव्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम,1993 - लागू नहीं क्योंकि कंपनी समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है;

   छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 - लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी स्टाक एक्सचेंज से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध नहीं किया है/ असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं किया है; तथा

ज. 10 सितंबर 2018 तक प्रभावी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम,1998 और 11 सितंबर 2018 से प्रभावी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 2018 - लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति की वापसी-खरीद नहीं की है/ वापसी-खरीद का प्रस्ताव नहीं किया है.

vi. प्रबंधन ने कंपनी पर लागू पर निम्नलिखित विधियों की पहचान तथा पुष्टि की है

1. बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891;
2. परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881;
3. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934;
4. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 तथा बैंककारी कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित);
5. बैंककारी कंपनी (अभिलेखों के परिरक्षण की अवधि) नियम, 1985;
6. बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993;
7. धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 तथा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण आदि) नियम, 2005;
8. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002;
9. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007;
10. दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016;
11. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986;
12. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) विनियमन, 1992; (03/08/18 को पंजीकरण का अभ्यर्पण कर दिया गया)
13. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के बैंकर) विनियमन, 1994;
14. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1994;
15. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के लागू प्रावधान और समय - समय पर जारी नियम, विनियम तथा अधिसूचनाएं;
16. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1953;
17. बैंकिंग लोकपाल योजना, 2016

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और महा सभा (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानक.

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), विनियम 2015 तथा बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता करार ;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि : -

- कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक के समुचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.
- सभी निदेशकों को बोर्ड /समिति बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त समय पहले सूचना दी जाती है और कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिन पहले भेजे जाते हैं; केवल ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट बैठक से 7 दिन से कम समय पहले भेजने के लिए निदेशकों की सहमति प्राप्त होती है.
- बैठकों से पहले कार्य-सूची की मदों पर अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने तथा लेने के लिए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए व्यवस्था मौजूद है.
- बोर्ड तथा समिति की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि क) कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा ख) संबंधित उद्देश्य के लिए प्राधिकृत विभिन्न अधिकारियों द्वारा जारी और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक (कों) में दर्ज किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र(त्रों) और ग) समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त पत्राचार के आधार पर हमारा अभिमत है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी को उसके आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी की प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के प्रयास जारी रखने चाहिए.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि : -

1. कंपनी ने सूचित किया है कि उसने विभिन्न सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिसों का उचित उत्तर दिया है और जहां आवश्यक पाया गया है वहाँ सुधारात्मक उपायों के लिए कारवाई की गई है.

2. कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवाईसी/ धन शोधन निवारण मानकों पर आरबीआई के नियामकीय दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन तथा स्विफ्ट से संबंधित परिचालनगत नियंत्रण को समय सीमा के भीतर मजबूत व लागू करने पर आरबीआई के नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाए गए दंड के रूप में क्रमशः 16 फरवरी 2019 को ₹ 20 लाख और 11 मार्च 2019 को ₹ 1 करोड़ का भुगतान किया है.

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुसरण के कारण निम्न गतिविधियों/ कार्रवाइयों का कंपनी के कार्य पर प्रमुख प्रभाव पड़ाः

कंपनी ने:

1. भारत सरकार (जीओआई) को अधिमान्य आधार पर दिनांक 25 मई 2018 को 109,73,26,649 इक्विटी शेयर जारी तथा आबंटित किए.

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को अधिमान्य आधार पर 4 अक्तूबर 2018 को 33,98,97,328 इक्विटी शेयर, 28 दिसंबर 2018 को 238,76,17,322 इक्विटी शेयर और 21 जनवरी 2019 को 82,75,90,885 इक्विटी शेयर जारी तथा आबंटित किए जिससे बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में एलआईसी की कुल शेयरधारिता 51% हो गई.

3. 21 जनवरी 2019 से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा 51% नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप,

   क) एलआईसी को बैंक के प्रवर्तक के रूप में वर्गीकृत किया गया है

   ख) नियंत्रण में उपर्युक्त परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए इसके संस्था के अंतर्नियमों में बदलाव किया गया है

   ग) रिज़र्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है

4. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 4390 करोड़ रुपये की ऋण प्रतिभूतियों की चुकौती तथा मोचन किया गया है.

5. बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 19 मार्च 2019 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी को निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बासेल अनुपालन III टीयर II बॉन्ड और अधिमानी बॉन्ड (1000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं) को शामिल कर एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं के जरिये 4000 करोड़ रुपये तक उधार लेने के लिए प्राधिकृत किया है.

रिपोर्ट हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ी जाए जो कि अनुबंध अ में इस रिपोर्ट के एक अभिन्न अंग के रूप में यहाँ संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.**
कंपनी सचिव
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. P1991MH040400

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफसीएस 4206
सी पी नं. 1774

दिनांक : 21 मई 2019
स्थान : ठाणे

अनुबंध अ

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400005

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए हमारी सम दिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. यह कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करे, लागू सभी विधियों तथा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां तैयार करे और सुनिश्चित करे कि प्रणालियां पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हों.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों, सचिवीय अनुपालनों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुसरण किए गए मानकों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अपनी राय प्रकट करना है.
3. हमारा विश्वास है कि कंपनी प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारियां हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त हैं.
4. जहां भी आवश्यक है, हमने विधियों, नियमों व विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के बारे में प्रबंधन से प्रकथन प्राप्त किया है.

डिस्क्लेमर

5. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही कंपनी के कामकाज को संचालित करने की प्रबंधन की क्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है.
6. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की परिशुद्धता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.**
कंपनी सचिव
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. P1991MH040400

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफसीएस 4206
सी पी नं. 1774

दिनांक : 21 मई 2019
स्थान : ठाणे

पेशेवर कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10) (i) के अनुसार]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400005

हमने निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच की है:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 164 के तहत अपेक्षित गैर-निरर्हता की घोषणा;

ii) अधिनियम की धारा 184 के तहत अपेक्षित सरोकारों अथवा हितों का प्रकटन; (इसके पश्चात् 'संबंधित दस्तावेजों' के रूप में उल्लिखित)

ये दस्तावेज आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (कंपनी) जिसका सीआईएन: L65190MH2004GOI148838 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 में स्थित है, के निदेशकों द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत किए गए हैं. साथ ही हमने कंपनी द्वारा रखे गए और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10) (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार प्रमाणपत्र जारी करने के लिए हमें उपलब्ध कराये गए संबंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, फॉर्मों और विवरणों की भी जांच की है. हमने विनियामक/ सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा गैर-वर्जन को शामिल करने के लिए गैर-निरर्हता पर विचार किया है.

यह निदेशकों की जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित दस्तावेज संपूर्ण एवं सटीक जानकारी के साथ प्रस्तुत करें.

हमारी ऊपर उल्लिखित जांच और हमारे द्वारा आवश्यक तथा पर्याप्त अन्य सत्यापनों (www.mca.gov.in पोर्टल पर दी गई निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) सहित) के आधार पर, हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान तथा कंपनी, इसके अधिकारियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से नहीं रोका गया है अथवा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)
01	श्री राकेश शर्मा	06846594
02	श्री कृष्ण प्रसाद नायर	02611496
03	श्री गुरुदेव मधुकर यादवाडकर	01432796
04	श्री पंकज जैन	00675922
05	श्री सुधीर श्याम	08135013
06	श्री राजेश कंडवाल	02509203
07	श्री ज्ञान प्रसाद जोशी	00603925
08	डॉ. आशिमा गोयल	00233635
09	श्री भुवनचन्द्र बालकृष्ण जोशी	06713850
10	श्री समरेश परिदा	01853823
11	श्री जंबुनाथन नारायणन	05126421
12	श्री दीपक सिंघल	08375146
13	श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर	08377808

यह प्रमाणपत्र, कंपनी के अनुरोध पर 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उनकी कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में प्रकटीकरण हेतु जारी किया गया है.

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.**
कंपनी सचिव
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. P1991MH040400

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफसीएस 4206
सी पी नं. 1774

दिनांक : 21 मई 2019
स्थान : ठाणे

Auditors' Report On Corporate Governance

K. S. Aiyar & Co.
Chartered Accountants
F-7, Laxmi Mills,
Shakti Mills Lane,
Off. Dr. E Moses Road,
Mahalaxmi,
Mumbai - 400 011.

JLN US & Co.
Chartered Accountants
330/348, 3rd Floor,
Tower A-, Atlantis K-10.
Opp.Vadodara Central,
Sarabhai Main Road
Baroda – 390023

M. P. Chitale & Co.
Chartered Accountants
1st Floor, Hamam House,
Ambalal Doshi Marg,
Fort,
Mumbai – 400 001

To the Members of IDBI Bank Ltd.

1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by the Bank for the year ended on March 31, 2019, as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46 (2) and paragraphs C, D and E of Schedule V to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations").

Management's Responsibility

2. The compliance of conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. This responsibility also includes the design, implementation and maintenance of internal control and procedures to ensure the compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the SEBI Listing Regulations.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is limited to examining the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
4. We have examined the books of account and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purposes of providing reasonable assurance on the compliance with Corporate Governance requirements by the Bank.
5. We have carried out an examination of the relevant records of the Bank in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of the Chartered Accountants of India ("the ICAI"), the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, in so far as applicable for the purpose of this certificate and as per the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the ICAI which requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank, has in all material respects, complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI Listing Regulations for the year ended March 31, 2019.

Other Matters and Restriction on Use

8. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.
9. This report is addressed to and provided to the members of the Bank solely for the purpose of enabling it to comply with its obligations under the Listing Regulations with reference to compliance with the relevant regulations of Corporate Governance and should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this report for events and circumstances occurring after the date of this report.

For **K S Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
FRN - 100186W

Santanu Ghosh
Partner (M.No. 050927)
UDIN: 19050927AAAAAD2060

For **JLN US & Co.**
Chartered Accountants
FRN - 101543W

Ramaprasanna Agarwal
Partner (M.No. 119693)
UDIN: 19119693AAAAAF2196

For **M P Chitale & Co.**
Chartered Accountants
FRN - 101851W

Ashutosh Pednekar
Partner (M.No. 041037)
UDIN:19041037AAAAAM6359

Place: Mumbai
Date : June 27, 2019

Corporate Governance Report

Brief Statement on Bank's philosophy on Code of Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of corporate governance in its operations. Its policies and practices are not only in line with the statutory requirement, but also reflect its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high governance standards lies with the Bank's Board of Directors and various Board Committees, which are empowered to monitor implementation of the best corporate governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, the Bank is committed to ensure that its Board of Directors continues to be constituted according to the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. Besides, the other policy directives of the Bank are to establish a strategic control framework and continuously review its efficacy; set up clearly documented and transparent management processes to develop, implement and review policies, take decisions, monitor, control and report. The Bank provides free access of relevant information and resources to the Board, enabling it to carry out its role effectively.

Board of Directors

The Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of corporate governance, as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [LODR Regulations]. The Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focused governance in the important functional areas of the Bank. Post-acquisition of 51% controlling stake by Life Insurance Corporation of India (LIC), the Board of the Bank has been reconstituted in accordance with the amended Article 116(1) of the Articles of Association and is also in compliance with section 10A of the Banking Regulation Act, 1949. The Board of Directors, as per the amended Articles of Association of the Bank, includes fifteen members with the Chairman of LIC as Non-Executive Non Whole Time Chairman of the Bank, Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and two Deputy Managing Directors (DMDs) nominated by LIC, one Official Nominee Director of LIC, two Nominee Directors of the Government of India (GoI) and eight Independent Directors including one Woman Director.

Broadly, the terms of reference of the Board, as prescribed under the Companies Act, 2013 and LODR Regulations, is as follows:

- To make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;
- To authorise buy-back of securities under section 68;
- To issue securities, including debentures, whether in or outside India;
- To borrow monies;
- To invest the funds of the Bank;
- To grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans;
- To approve financial statement and the Board's report;
- To diversify the business of the Bank;
- To approve amalgamation, merger or reconstruction;
- To take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company;
- To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP);
- To appoint Internal Auditors and Secretarial Auditor;
- To take note of the disclosure of director's interest and shareholding;
- To buy, sell investments held by the Bank (other than trade investments), constituting five percent or more of the paid up share capital and free reserves of the investee company;
- To approve quarterly, half-yearly and annual financial statements or financial results as the case may be;
- To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Bank, prepared by the Bank as well as steps taken by the Bank to rectify instances of non-compliances;
- To lay down a code of conduct for all members of Board of Directors and senior management of the Bank;
- To ensure framing, implementing and monitoring the risk management plan for the Bank;
- To undertake performance evaluation of Independent Directors, all other Directors, Committees of the Board and Board as a whole;
- Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, risk policy, annual budgets and business plans, setting performance objectives, monitoring implementation and corporate performance, and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestments;
- Monitoring the effectiveness of the Bank's governance practices and making changes as needed;
- Selecting, compensating, monitoring and, when necessary, replacing key managerial personnel and overseeing succession planning;
- Aligning remuneration of key managerial personnel and Directors with the longer term interests of the Bank and its shareholders;

- Ensuring a transparent nomination process to the Board of Directors with the diversity of thought, experience, knowledge, perspective and gender in the Board of Directors;
- Monitoring and managing potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions;
- Ensuring the integrity of the Bank's accounting and financial reporting systems, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards;
- Overseeing the process of disclosure and communications;
- Monitoring and reviewing the Board of Directors' evaluation framework;
- To provide strategic guidance to the Bank, ensure effective monitoring of the management and shall be accountable to the Bank and the shareholders;
- To set a corporate culture and the values by which executives throughout group shall behave;
- To act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interest of the Bank and the shareholders;
- To encourage continuing directors' training to ensure that the members of Board of Directors are kept up to date;
- To treat all shareholders fairly;
- To maintain high ethical standards and take into account the interests of stakeholders;
- To exercise objective independent judgment on corporate affairs;
- To consider assigning a sufficient number of non-executive members of the Board of Directors capable of exercising independent judgment to tasks where there is a potential for conflict of interest;
- Ability to step back to assist executive management by challenging the assumptions underlying: strategy, strategic initiatives (such as acquisitions), risk appetite, exposures and the key areas of the listed entity's focus. To define and disclose the mandate, composition and working procedures of the committees of the Board of Directors;
- To facilitate the independent directors to perform their role effectively as a member of the Board of Directors and also a member of a Committee of Board of Directors;
- To carry out any other role as may be mandated to it by regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

As on March 31, 2019, the Board comprised of thirteen Directors, including Managing Director & CEO (MD & CEO), two Deputy Managing Directors (DMDs), three Non-Executive Directors and seven Independent Directors. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri K. P. Nair & Shri G. M. Yadwadkar, DMDs as Whole Time Directors; Shri Pankaj Jain & Shri Sudhir Shyam, Central Government official Nominees and Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, as Non-Executive Directors; Shri Gyan Prakash Joshi, Dr. Ashima Goyal, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal and Shri Sanjay Gokuldas Kallapur as Independent Directors constituted the Board. The present strength of 13 (thirteen) Directors on the Board meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association.

Relationship between Directors inter-se

(i) None of the Directors on the Bank's Board is related in any manner, directly or indirectly, to any other Director.

(ii) None of the Directors of the Bank has attained the age of seventy years as prescribed by RBI as upper age limit for private sector banks.

(iii) Chairperson of the Bank is a non-executive director and he is not related to the MD & CEO of the Bank as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013, in terms of Article 116(1)(i).

Quorum for the Board Meetings

The quorum for Board Meetings shall be one-third of the total strength or three (3) Directors, whichever is higher subject to at least one director being a nominee of the LIC and one Independent Director.

Frequency of Board Meetings

Meetings of the Board shall ordinarily be held at least six times in a year and at least once in every quarter and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive Board meetings.

Number of Board Meetings held

During the period under review (April 01, 2018 – March 31, 2019), sixteen Board Meetings were held on April 26, 2018, May 7, 2018, May 25, 2018, June 22, 2018, July 17, 2018, August 14, 2018, August 31, 2018, September 27, 2018, October 4, 2018, November 14, 2018, December 19, 2018, January 21, 2019 2 Meetings), February 4, 2019, February 25, 2019 and March 19, 2019. All meetings were held in Mumbai, except one meeting of May 7, 2018 held in New Delhi and two meetings of January 21, 2019 held in Bengaluru.

Details regarding attendance at Board Meetings, attendance at the last Annual General Meeting (AGM), directorships in other companies and memberships of committees, in respect of each Director of the Bank, are given in Table 1.

Table 1: Directors' Attendance at the Board Meetings and AGM, their Directorships and Committee Memberships

Name of Director	Attendance at the Bank's Board Meetings (Total No. of Meetings held - 16)	Attendance at the last AGM held on August 13, 2018	Directorships in other companies (other public companies)	ACB/SRC Memberships/ (Chairmanships) in other Companies	Names of the other listed entities where the person is a director and the category of directorship
1	2	3	4	5	6
Non-Executive Chairman					
Shri Hemant Bhargava (DIN – 01922717) [w.e.f. 25.02.2019 to 13.03.2019]	0(0)	NA	12(9)	1(0)	1. L&T Ltd.-Nominee Director 2. The Tata Power Co. Ltd. - Nominee Director 3. Voltas Ltd.- Director 4. LIC Housing Finance Ltd. - Chairman
Whole Time Directors					
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO (DIN-06846594) [w.e.f. 10.10.2018]	7(7)	NA	2(2)	Nil	Nil
Shri B. Sriram, MD & CEO (DIN – 02993708) [w.e.f. 30.06.2018 to 30.09.2018]	4(4)	Present	Nil	Nil	Nil
Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO (DIN- 03513127) [upto 21.06.2018]	3(3)	NA	Nil	Nil	Nil
Shri K. P. Nair, DMD (DIN - 02611496)	16(16)	Present	2(2)	Nil	Nil
Shri G. M. Yadwadkar, DMD (DIN - 01432796)	16(16)	Present	3(3)	Nil	Nil
Non Executive Directors					
Shri Pankaj Jain, Government Nominee (DIN - 00675922)	15(16)	Present	8(6)	1(0)	Nil
Shri Praveen Garg, Government Nominee (DIN - 00208604) [upto 14.05.2018]	2(2)	NA	1(1)	Nil	Nil
Shri Sudhir Shyam, Government Nominee (DIN - 08135013) [w.e.f. 16.05.2018]	12(14)	Present	Nil	Nil	Nil
Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee (DIN - 02509203) [w.e.f. 21.01.2019]	4(4)	NA	1(1)	Nil	Nil
Independent Directors					
Shri S. Ravi (DIN - 00009790) [upto 12.05.2018]	1(2)	NA	10(7)	7(2)	1. BSE Ltd.- Chairman, Public Interest Director 2. Tourism Finance Corporation of India Ltd. – Independent Director
Shri Ninad Karpe (DIN - 00030971) [upto 11.05.2018]	1(2)	NA	7(4)	3(1)	1. Aptech Ltd.-Director 2. Savita Oil Technologies Ltd. –Director
Shri Gyan Prakash Joshi (DIN - 00603925)	15(16)	Present	Nil	Nil	Nil
Dr. Ashima Goyal (DIN - 00233635)	16(16)	Not Present	3(2)	Nil	1 Edelweiss Financial Services Ltd. - Director
Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN - 06713850)	16(16)	Present	Nil	Nil	Nil

Name of Director	Attendance at the Bank's Board Meetings (Total No. of Meetings held - 16)	Attendance at the last AGM held on August 13, 2018	Directorships in other companies (other public companies)	ACB/SRC Memberships/ (Chairmanships) in other Companies	Names of the other listed entities where the person is a director and the category of directorship
1	2	3	4	5	6
Shri Samaresh Parida (DIN - 01853823) [w.e.f. -19.05.2018]	14(14)	Present	Nil	Nil	Nil
Shri N. Jambunathan (DIN - 05126421) [wef -19.05.2018]	13(14)	Present	Nil	Nil	Nil
Shri Deepak Singhal (DIN - 08375146) [w.e.f. – 28.02.2019]	1(1)	NA	Nil	Nil	Nil
Shri Sanjay Gokuldas Kallapur (DIN - 08377808) [w.e.f. 05.03.2019]	1(1)	NA	Nil	Nil	Nil

Figures in parentheses in column 4 indicate directorships in Public Companies and in column 5 indicate chairmanships of committees

Appointment of Chairman

In terms of amended Articles of Association (AoA) of IDBI Bank, effective from January 21, 2019, the Chairman of LIC will be the ex-officio Non-Executive Non-Whole Time Chairman of the Bank. As on March 31, 2019, the position of Chairman was vacant. The Board of Directors, at its meeting held on May 13, 2019, appointed Shri M. R. Kumar, Chairman of LIC as Non Executive Non Wholetime Chairman of IDBI Bank Ltd. for a period of three years or till such time he continues as the Chairman of LIC, whichever is earlier, as per the approval dated May 09, 2019 received in this regard from Reserve Bank of India.

A. Board Committees

The Board has a total of fourteen committees, namely:

- Audit Committee of the Board
- Risk Management Committee
- Independent Directors' Committee
- Executive Committee
- Frauds Monitoring Committee
- Non-Cooperative Borrowers' Review Committee
- Wilful Defaulters Review Committee
- Stakeholders' Relationship Committee
- Nomination & Remuneration Committee
- Corporate Social Responsibility Committee
- HR Steering Committee
- Recovery Review Committee
- Customer Service Committee
- Information Technology Strategy Committee

1. Audit Committee of the Board (ACB)

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2019, the Audit Committee of the Board (ACB) comprised of six members with Shri Samaresh Parida, a Chartered Accountant and an Independent Director, as the Chairman of the Audit Committee and Shri K. P. Nair, DMD, Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Dr. Ashima Goyal and Shri Sanjay Kallapur, Independent Directors as the other members. Shri G. M. Yadwadkar, DMD and Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director, are Permanent Special Invitees on ACB. The Roles & Powers of the ACB are in line with provisions of the Companies Act, 2013, relevant RBI guidelines and Regulation 18 read with Part C of Schedule II of the LODR Regulations.

The broader roles and responsibilities of the ACB as per the Companies Act, 2013, LODR Regulations, RBI and GoI Guidelines, are as under:

- Exposure to sensitive sectors, i.e., (a) Capital market; and (b) Real estate;
- Know Your Customer/ Anti Money Laundering (KYC/ AML) Guidelines –
  - i. Review of implementation;
  - ii. Review of compliance of concurrent audit reports with respect to adherence to KYC/ AML guidelines at branches;
- Review of housekeeping - particularly balancing and reconciliation of long outstanding entries, Suspense/ Sundries/ Drafts payable or paid/ Funds in Transit/ Clearing/ Subsidiary General Ledger (SGL)/ Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts;
- Review of compliance in respect of the Annual Financial Inspection conducted by RBI (ACB should review this on ongoing basis till the Bank furnishes full compliance. ACB should closely monitor persisting deficiencies pointed out in RBI Inspection Reports);
- Review of Audit Plan and status of achievement thereof;
- Review of significant audit findings/ internal control weakness of the following audits along with the compliance thereof - (i) Long Form Audit Report (LFAR), (ii) Concurrent Audit, (iii) Internal

Inspection, (iv) Information System Audit of Data Centre and other Departments, (v) Treasury and Derivatives, (vi) Management Audit at controlling offices/ Head Office, (vii) Audit of service branches, (viii) Currency Chest (ix) Foreign Exchange Management Act (FEMA) Audit of branches authorised to deal in foreign exchange, etc;

- Compliance report on directives issued by the ACB/ the Board / RBI;
- Report on compliance of regulatory requirement of regulators in host countries in respect of overseas branches;
- Review of financial results for the quarter including management discussion, analysis of financial condition, management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the Statutory Auditors;
- Review of information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers;
- Information in respect of equity shareholdings in borrower companies more than 30% of their paid up capital;
- Review of all fraud cases reported during the quarter ending March, June, September and December;
- Review of transactions with related parties and prior approval to related party transactions;
- Review of (a) Risk Based Internal Audit Policy, (b) Concurrent Audit Policy and (c) IS Audit Policy;
- Review of accounting policies/ systems of the Bank with a view to ensuring greater transparency in the Bank's accounts and adequacy of accounting standards; review of any change during the year and their impact. A confirmation that accounting policies are in compliance with accounting standards and RBI guidelines;
- Review of adequacy of the internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit;
- Review of the Bank's Internal Financial Controls;
- Review of the Bank's Risk Management Systems;
- Appointment of statutory auditors, reviewing and monitoring the auditor's independence, performance, effectiveness of audit process both for domestic and overseas operations;
- Review of annual accounts/ financial statements of the Bank and auditor's report thereon before submission to the Board for approval with particular reference to items (a) to (g) as indicated in Point A(4) of Part C of Schedule II of LODR regulations;
- Approval of payment to Statutory Auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
- Discussion with Statutory Auditors before the audit commences about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- Penalties imposed/ penal action taken against the Bank under various laws and statutes and action taken for corrective measures;
- Review of report on revenue leakage detected by Internal/ External Auditors and status of recovery thereof - reasons for undercharges and steps taken to prevent revenue leakage;
- Report on end-use of funds raised through offer documents and public issue funds (certified by Statutory Auditors) as well as (i) quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency in terms of Regulations 32(1) and (ii) annual statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document in terms of Regulation 32(7) of LODR Regulations;
- Review of the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of nonpayment of declared dividends) and creditors;
- Review of financial statements including particular investments made by Unlisted Subsidiaries;
- Review of First Time Non-performing Assets (FTNPAs);
- Dishonour of cheques amounting to ₹ 1 crore & above;
- Annual review of Concurrent Audit System;
- Approval of Annual Audit Plan;
- Annual review of Outsourced Vendors' Audit;
- Review the functioning of Vigil Mechanism (formerly Whistle Blower Mechanism) ;
- Approval of appointment of (i) Chief Financial Officer; (ii) Chief Internal Auditor and (iii) Chief Compliance Officer;
- Valuation of undertakings or assets of the listed entity wherever it is necessary.
- RBI circulars having impact on Bank's accounts;
- Specific direction of ACB/ ACB Chairman in earlier meetings along with the compliance status;
- NPA/ recovery-related matters reported in Recovery Review Committee (RRC) for adoption purpose;
- Reviewing the utilisation of loans and/ or advances from/ investment by the holding company in the subsidiary exceeding ₹ 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower

including existing loans/ advances/ investments existing as on the date of coming into force of this provision;

- Reviewing annually the compliance of the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for ACB Meetings

The quorum for ACB meetings shall be one-third of the total strength or two members of the ACB, whichever is higher, with at least two Independent Directors.

Frequency of ACB Meetings

The ACB shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive ACB meetings.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), the ACB met eleven times on April 26, 2018, May 25, 2018, June 22, 2018, August 13, 2018, August 14, 2018, September 27, 2018, November 14, 2018, December 19, 2018, January 21, 2019, February 04, 2019, and March 19, 2019.

2. Executive Committee (EC)

Composition and brief terms of reference

The Executive Committee (EC) has been constituted to consider all matters of credit approvals including sanction of loans and advances, modifications in terms and conditions, etc.

As on March 31, 2019, the EC comprised of six members with S/Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD, Bhuwanchandra B. Joshi, N. Jambunathan and Shri Deepak Singhal, Independent Directors, as the members of EC.

The broader roles and responsibilities of EC are as under:

- Sanction of high value credit proposals with exposure of more than ₹ 250 crore;
- Modification in terms and conditions of sanctions made by the EC;
- Reporting of the minutes of the Credit Committees;
- Sanction of proposals for One Time Settlements (OTS);
- Sanction of proposals with exposure of more than ₹ 25 lakh to :
  - (i) Directors (including the Chairman/ Managing Director) of other banks
  - (ii) Any firm in which any of the directors of other banks is interested as a partner or guarantor; and
  - (iii) Any company in which any of the directors of other banks holds substantial interest or is interested as a director or as a guarantor;
- Sanction of proposals with exposure of more than ₹ 25 lakh to :
  - i. Any relative of the Chairman/ Managing Directors or other Directors of the Bank;
  - ii. Any relative of the Chairman/ Managing Director or other directors of other banks
  - iii. Any firm in which any of the relatives as mentioned in (i) & (ii) above is interested as a partner or guarantor; and
  - iv. Any company in which any of the relatives as mentioned in (i) & (ii) above hold substantial interest or is interested as a director or as a guarantor;
- Reporting of sanctions of securitisation portfolios;
- Review and reporting of First Time NPAs (FTNPAs);
- Review and reporting of status of security creation in respect of EC approved cases;
- Proposal for conversion of dues and receivables into investment instrument(s);
- Approval for bidding in Initial Public Offerings (IPOs)/ Follow-on Public Offers (FPOs)/ Qualified Institutional Placements (QIPs);
- Investment in Equity/ Preferences Shares/ Convertible/ Non-convertible Debentures, Bonds etc. (at par/ premium) in companies/ Security Receipts of Asset Reconstruction Companies (ARCs)/ Venture and Private Equity Funds/ New Fund Offerings (NFOs) of Mutual Funds, etc.;
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for EC Meetings

The quorum for EC meetings shall be one-third of the total strength or two members of EC, whichever is higher.

Frequency of EC Meetings

EC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), twenty three meetings of the EC were held on April 25, 2018, May 7, 2018, May 25, 2018, June 8, 2018, July 9, 2018, July 25, 2018, August 7, 2018, August 21, 2018, September 7, 2018, September 26, 2018, October 23, 2018, November 13, 2018, November 26, 2018,

December 11, 2018, December 19, 2019, December 27, 2018, January 14, 2019, January 21, 2019, February 6, 2019, February 22, 2019, March 6, 2019, March 18, 2019 and March 28, 2019.

3. Stakeholders' Relationship Committee (SRC)

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2019, the Stakeholders' Relationship Committee (SRC) of the Bank comprised of four members with Dr. Ashima Goyal, an Independent Director as the Chairperson and Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD and Shri N. Jambunathan, Independent Director as other members. The SRC has been constituted to look into various aspects of interest of shareholders, bondholders and other security holders including investors' grievances pertaining to share transfers, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividend and so on. The SRC functions as per the terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations.

The broader roles and responsibilities of SRC are as under:

- Resolving the grievances of the shareholders, bondholders and other security holders including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings etc.;
- Towards achieving the mandate as given above, the SRC will consider and review the equity servicing as well as bonds servicing reports of the Bank in each of its meetings and give directions, wherever deemed necessary;
- Review of the report on equity servicing ;
- Report on servicing of Flexibonds;
- Reporting of reconciliation of Share Capital Audit Report;
- Reporting of details of Investors' complaints submitted to stock exchanges;
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders;
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent;
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ Annual Reports/ statutory notices by the shareholders of the company;
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for SRC Meetings

The quorum for SRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of SRC, whichever is higher

Frequency of SRC Meetings

SRC meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), four SRC meetings were held on June 22, 2018, September 27, 2018, December 19, 2018 and March 19, 2019.

4. Frauds Monitoring Committee (FMC)

Composition and brief terms of reference

The Frauds Monitoring Committee (FMC) has been constituted as a special committee for monitoring and following up on fraud cases of ₹ 1 crore and above. It has been set up to detect, monitor and address frauds.

As on March 31, 2019, the FMC comprised of six members with S/Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD, Gyan Prakash Joshi, Deepak Singhal and Sanjay Gokuldas Kallapur, Independent Directors as its members.

The broader roles and responsibilities of FMC are as under:

- Identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same;
- Identify the reasons for delay in detection of fraud, if any, in reporting to top management of the Bank and RBI;
- Monitor progress of Central Bureau of Investigation (CBI)/ police investigation and recovery position;
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all cases of frauds and action, if required, is completed quickly without loss of time;
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls;
- Review the Red Flagged Accounts and the status of remedial action taken/ investigation ordered in the outstanding Red Flagged Accounts;
- To take note of completion of staff accountability exercise in fraud cases and the action taken thereon;
- Status of recovery in fraud cases including recovery from cases being investigated by CBI, police, etc.;
- Review of vigilance activities in the Bank;

- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for FMC Meetings

The quorum for FMC meetings shall be one-third of the total strength or two members of FMC, whichever is higher.

Frequency of FMC Meetings

FMC is required to meet and review as and when a fraud involving an amount of ₹ 1 crore and above comes to light.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), two meetings of FMC were held on June 21, 2018 and December 27, 2018.

5. Risk Management Committee (RMC)

Composition and brief terms of reference

The Risk Management Committee (RMC) has been constituted to assess various risks associated with the Bank's business, their mitigation, address the issues related to asset liability mismatch and also monitor and review the Risk Management Plan of the Bank. The RMC also fulfils the mandate/ terms of reference provided under Regulation 21 of the LODR Regulations.

As on March 31, 2019, the RMC comprised of six members, viz., S/Shri Sanjay Gokuldas Kallapur as Chairman, Rakesh Sharma, MD & CEO, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD, Sudhir Shyam, Government Nominee Director and Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director as its members.

The broader roles and responsibilities of the RMC are as under:

- Evaluating the overall risks faced by the Bank including liquidity risk;
- The potential interaction of liquidity risk with other risks should also be included in the risks addressed by the RMC;
- Reporting of projections of cash flows and measuring liquidity risk, assumptions used;
- Recommendation of policies, viz., Credit Policy, Recovery Policy, Fund Management Policy, Risk Management Policy, Asset Liability Policy, Operational Risk and Business Continuity Management (OR & BCM) Policy, DIFC Branch ALM Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Market Risk and Derivative Policy, Country Risk Management Policy & Country Risk Limits, Investment Policy, etc. to the Board;
- Review of progress in implementation of Risk Management System/ ALM & Risk Based Supervision;
- Review of progress report on Operational Risk & Business Continuity Management;
- Review of progress in implementation of Risk Based Internal Audit;
- Review of market risk report of trading portfolio;
- Review of results of stress test;
- Review of activities undertaken in Risk Management Department;
- Migration and default analysis of Internal Ratings;
- Asset Liability Management Review;
- Review of Basel III implementation and other activities undertaken in Risk Management Department;
- Policy on Collateral Management and Customer Relationship Management (CRM) Techniques;
- Reporting of minutes of Systems Product Approval & Review Committee (SPARC) I & II;
- Review of status of preparedness for Basel II and III;
- Policy on counter-party bank limits and allocation of limits for domestic & international banks;
- Credit Exposure – review and compliance of norms;
- To work in co-ordination with Nomination and Remuneration Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks;
- To monitor cyber security functions in the Bank;
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for RMC Meetings

The quorum for the RMC meetings shall be one-third of the total strength or two members of RMC, whichever is higher.

Frequency of RMC Meetings

RMC meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018– March 31, 2019), the RMC held five meetings on June 21, 2018, September 26, 2018, October 23, 2018, December 18, 2018, and March 18, 2019.

6. Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)

Composition and brief terms of reference

In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility Committee (CSRC) of the Board has been constituted. As on March 31, 2019,

the Committee comprised of Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD, Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director and Dr. Ashima Goyal, Independent Director as its members.

The primary responsibilities of the CSR Committee are

- To formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility (CSR) Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Bank in areas or subject, specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013;
- To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in above clause
- To monitor the CSR Policy of the Bank from time-to-time; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for CSRC Meetings

The quorum for CSRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of CSRC, whichever is higher.

Frequency of CSRC Meetings

CSRC meetings will be held on half-yearly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), two meetings of the CSR Committee were held on June 22, 2018 and November 13, 2018.

7. Customer Service Committee (CSC)

Composition and brief terms of reference

The Customer Service Committee (CSC) has been constituted to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the governance structure for customer protection and service in the banking system and also to bring about on-going improvements in the quality of customer service provided by the Bank.

As on March 31, 2019, the CSC comprised of six members, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD, Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi and Shri Sanjay Gokuldas Kallapur, Independent Directors as its members.

The broader roles and responsibilities of the CSC are as under:

- To look into the customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment;
- Formulation of a Comprehensive Deposit Policy;
- Issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his/ her account;
- Product approval process with a view to suitability and appropriateness;
- Annual survey of depositor satisfaction;
- Tri-enniel audit of such services;
- To play more pro-active role with regard to complaints/ grievances resolved by Banking Ombudsman of various States;
- To take note of all the awards given by the Banking Ombudsman;
- To review all the awards remaining unimplemented for more than three months with the reasons therefor;
- Review of measures taken for Customer Protection & Service in the Bank;
- Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) Code Compliance Rating;
- Revision of Grievance Redressal Policy;
- To examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered;
- To review the activities of Internal Ombudsman;
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for CSC Meetings

The quorum for CSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of CSC, whichever is higher.

Frequency of CSC Meetings

CSC meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), four meetings of the CSC were held on June 22, 2018, September 26, 2018, December 19, 2018 and March 19, 2019.

8. Information Technology Strategy Committee (ITSC)

Composition and brief terms of reference

The Information Technology Strategy Committee (ITSC) has been constituted to put in place an effective technology platform in the Bank. The objectives were to render various IT enabled services to customers; to help in streamlining the approach, to assist in launching new IT products and to provide related services and to monitor the implementation of Cyber Security Management Plans and monitor Cyber Security Policies.

As on March 31, 2019, the ITSC comprised of seven members with Shri N. Jambunathan, Independent

Director, an expert IT Professional as Chairman and Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD, Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi & Shri Samaresh Parida, Independent Directors as its members.

The broader roles and responsibilities of ITSC are as under:

- Recommendation of proposed IT budget to the Board;
- Review of IT budget utilisation;
- To review launch of various products and IT enabled services to the Bank's customers;
- To review development, procurement and operations of various software/ hardware either in-house or purchased from outside and to formulate procedures for inviting tenders or other process for selection of technology;
- Overseeing the execution, implementation and operations of systems and procedures;
- To oversee integration of branches through technology and development of MIS for the Bank;
- To review update of technology architecture and major IT initiatives undertaken;
- Review of information security incidents;
- Review of performance of Digital Banking and Emerging Payments;
- Review of Information Security Policy;
- Review of IT Policy;
- Assessing cyber security preparedness;
- Monitoring the implementation of Cyber Security Management Plans;
- Monitoring Cyber Security Policies;
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for ITSC Meetings

The quorum for ITSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of ITSC, whichever is higher.

Frequency of ITSC Meetings

ITSC meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), five meetings of the ITSC were held on June 21, 2018, September 7, 2018, September 26, 2018, December 18, 2018 and March 18, 2019.

9. Nomination & Remuneration Committee (NRC)

Composition and brief terms of reference

On February 25, 2019, the Nomination Committee and the Remuneration Committee (NRC) had been merged into a single committee known as Nomination and Remuneration Committee. As on March 31, 2019, the NRC comprised of five members with Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director, as its chairman and Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director, Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, Shri B. B. Joshi & Shri N. Jambunathan, Independent Directors as other members. The Committee fulfils the mandate/ terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013, Regulation 19 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations and RBI guidelines in respect of fit and proper status of Directors.

The broader roles and responsibilities of the NRC are as under:

- Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board of Directors a policy relating to appointment and evaluation of Directors;
- To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual directors to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;
- Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- Devising a policy on diversity of Board of Directors;
- To identify persons who are qualified for appointment as Independent Directors in accordance with Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- To recommend to the Board the appointment and removal of Directors in accordance with the criteria laid down in the Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment / continuing to hold appointment as a director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors including independent directors and formulate the criteria relating thereto;
- Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc;
- Recommend to the Board, all remuneration, in whatever form, payable to the senior management;

- To work in co-ordination with Risk Management Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks;
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum of NRC Meetings

The quorum for NRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of NRC, whichever is higher including at least one Independent Director in attendance.

Frequency of NRC Meetings

NRC shall meet at least once in a year.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), one meeting of the NRC was held on January 21, 2019.

10. HR Steering Committee (HRSC)

Composition and brief terms of reference

The HR Steering Committee (HRSC) has been constituted to deal with the matters related to human resources and to discuss critical issues in HR.

As on March 31, 2019, the HRSC comprised of seven members, namely Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD, Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director, Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, Shri Samaresh Parida and Shri Deepak Singhal, Independent Directors.

The broader roles and responsibilities of HRSC are as under:

- Making policies pertaining to recruitment and training;
- Review of performance management, compensation and career development initiatives;
- Consider management development and succession planning; and
- Alignment of the HR strategy to the business strategy and plan;
- To consider and approve various other HR matters including appointment of personnel, manpower assessment, promotions, etc.;
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for HRSC Meetings

The quorum for HRSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of HRSC, whichever is higher.

Frequency of HRSC Meetings

HRSC shall meet as per the need.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), three meetings of the HR Steering Committee were held on August 13, 2018, December 19, 2018, and January 21, 2019.

11. Recovery Review Committee (RRC)

Composition and brief terms of reference

According to the Government of India directives/ the Board's recommendation, a Recovery Review Committee (RRC) has been constituted for reviewing recovery from NPAs, stressed accounts, written-off cases, Official Liquidator (OL) cases, Debt Recovery Tribunal (DRT) cases and to monitor the progress of recovery and so on.

As on March 31, 2019, the RRC comprised of six members, namely Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD, Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director, Dr. Ashima Goyal and Shri Samaresh Parida, Independent Directors.

The broader roles and responsibilities of the RRC are as under:

- Review of recovery performance of Non-performing Assets (NPAs)/ written-off accounts;
- Review of stressed Structured Retail Assets (SRA) and Quick Mortality assets cases;
- Review of top 100 NPAs of the Bank;
- Review of stressed accounts of the corporate verticals;
- Status report on Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest (SARFAESI) Act, 2002;
- Review of Special Mention accounts (SMA) accounts;
- Review of suit filed cases;
- Review of First time NPAs (FTNPAs)/ Wilful Defaulters;
- Quarterly Review of NPAs; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for RRC Meetings

The quorum for RRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of RRC, whichever is higher.

Frequency of RRC Meetings

RRC shall meet as per the need with at least four meetings in a year

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), eight meetings of the RRC were held on April 25, 2018, June 22, 2018, August 13, 2018, September 26, 2018, November 14, 2018, December 19, 2018, January 21, 2019 and March 19, 2019.

12. Independent Directors' Committee (IDC)

Composition and brief terms of reference

The Independent Directors' Committee (IDC) has been constituted in terms of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and Regulation 25 of the LODR Regulations. As on March 31, 2019, the IDC comprised of seven members, namely Shri Gyan Prakash Joshi, Dr. Ashima Goyal, Shri Bhuwanchandra B Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal and Shri Sanjay Gokuldas Kallapur, Independent Directors.

The broader roles and responsibilities of the IDC are as under:

- Review the performance of Non-Independent Directors and the Board as a whole;
- Review the performance of the Chairperson of the Bank, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors;
- Assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank's management and the Board which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties;
- To carry out compliances under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; and
- To carry out any other role as may be mandated to it by regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for IDC Meetings

The quorum for IDC meetings shall be one-third of the total strength or two members of IDC, whichever is higher. However, as per schedule IV of the Companies Act, 2013, all independent directors shall strive to be present in IDC meetings.

Frequency of IDC Meetings

IDC meetings will be held at least once in a year.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), three meetings of the IDC were held on April 26, 2018, October 23, 2018, and November 14, 2018.

13. Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NCBRC)

Composition and brief terms of reference

The Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NCBRC) was constituted comprising of MD & CEO and two Independent Directors.

As on March 31, 2019, the NCBRC comprised of Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Bhuwanchandra B. Joshi and and Shri Deepak Singhal, Independent Directors as members.

The broader roles and responsibilities of NCBRC are:

- To review the internal Non-Cooperative Borrowers' Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as non-cooperative borrower; and
- To carry out any other role as may be mandated to it by regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for NCBRC Meetings

The presence of all members shall form the quorum for NCBRC Meetings.

Frequency of NCBRC Meetings

NCBRC is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as 'Non-Cooperative Borrower', is taken by internal Non-Cooperative Borrower Committee of the Bank.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), two meetings of NCBRC were held on February 4, 2019 and March 28, 2019.

14. Wilful Defaulters Review Committee (WDRC)

Composition and brief terms of reference

The Wilful Defaulters Review Committee (WDRC) was constituted consisting of MD & CEO and two Independent Directors.

As on March 31, 2019, the WDRC comprised of Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri N. Jambunathan and Shri Bhuwanchandra B Joshi, Independent Directors as members.

The broader roles and responsibilities of WDRC are:

- To review the internal Wilful Defaulters Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as wilful defaulter; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Quorum for WDRC Meetings

The presence of all members shall form the quorum for WDRC meetings.

Frequency of WDRC Meetings

WDRC is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as 'Wilful Defaulter', is taken by internal Wilful Defaulters Committee of the Bank.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2018 – March 31, 2019), eleven meetings of WDRC were held on April 25, 2018, July 25, 2018, August 13, 2017, September 7, 2018, September 26, 2018, October 23, 2018, November 26, 2018, December 27, 2018, February 4, 2019, February 22, 2019 and March 28, 2019.

Details of attendance of Directors at Committee Meetings are given in Table 2

Table 2 : Directors' Attendance at the Committee Meetings (April 1, 2018 to March 31, 2019)

Sr. No.	Names of Directors	ACB		EC		SRC		FMC		RMC		CSRC		CSC		ITSC		NRC		HRSC		RRC		IDC		NCBRC		WDRC	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
1.	Shri Hemant Bhargava (DIN – 01922717) [w.e.f. 25.02.2019 to 13.03.2019]																												
2.	Shri Rakesh Sharma (DIN-06846594) [w.e.f.10.10.2018]			13	13			1	1	2	2	0	0	2	2	2	2			2	2	4	4			2	2	6	6
3.	Shri B. Sriram (DIN –02993708) [w.e.f.30.06.2018 to 30.09.2018]			6	6			0	0			0	0	1	1					1	1	2	2			0	0	4	4
4.	Shri Mahesh Kumar Jain (DIN-03513127) [upto 21.06.2018]			4	3			0	0					0	0					0	0	1	1			0	0	1	1
5.	Shri K.P. Nair (DIN-02611496)	11	11	23	23	4	3	2	2	5	5	2	2	4	4	5	5			3	3	8	8						
6.	Shri G.M. Yadwadkar (DIN-01432796)			23	21	4	4	2	1	5	5	2	2	4	4	5	5			3	3	8	7						
7.	Shri Pankaj Jain (DIN-00675922)	10	10											4	1			0	0	3	3	8	5						
8.	Shri Praveen Garg (DIN-00208604) [upto 14.05.2018]																					1	1						
9.	Shri Sudhir Shyam (DIN- 08135013) [wef 16.05.2018]									5	2	0	0			4	2			3	3	7	5						
10.	Shri Rajesh Kandwal (DIN-02509203) [wef 21.01.2019]	1	1															0	0	0	0								
11.	Shri S. Ravi (DIN- 00009790) [upto 12.05.2018]	1	1	2	1																	1	1	1	1			1	1
12.	Shri Ninad Karpe (DIN- 00030971) [upto 11.05.2018]	1	1	2	0																	1	0	1	1				
13.	Shri Gyan Prakash Joshi (DIN- 00603925)	11	11	20	19			2	2	5	5	2	2	4	4	5	5	1	1					3	3				
14.	Dr. Ashima Goyal (DIN- 00233635)	11	10			4	4	2	0			2	2					1	1			0	0	3	3	1	1		
15.	Shri B.B. Joshi (DIN- 06713850)	10	10	23	22			2	2	5	5							1	1			7	7	3	3	2	2	11	11
16.	Shri Samaresh Parida (DIN- 01853823) [wef -19.05.2018]	10	9							5	5					5	4	1	1	3	3	0	0	2	2				
17.	Shri N. Jambunathan (DIN- 05126421) [wef -19.05.2018]			21	20	4	4							4	4	5	5	0	0					2	2			10	10
18.	Shri Deepak Singhal (DIN: 08375146) [w.e.f. – 28.02.2019]			1	1			0	0											0	0			0	0	1	1		
19.	Shri Sanjay Kallapur (DIN: 08377808) [w.e.f. 05.03.2019]	0	0					0	0	0	0			0	0									0	0				

H – Meetings Held during Director's tenure; A – Meetings Attended by the Director

Matrix setting out skills/ expertise/ competence of the Board of Directors

In terms of LODR Regulations, the Bank has identified the fields wherein the Directors are required to have special knowledge/ experience/ skills/ expertise/ competence. These fields have been identified after taking into consideration the requirements of the Companies Act, 2013 as well as Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949. The matrix highlighting the special knowledge/ experience/ skills/ expertise/ competence of the Directors in various fields as on March 31, 2019 is given in Table 3 below.

Table 3: Matrix setting out skills/expertise/competence of the Board of Directors

	Shri Rakesh Sharma	Shri K. P. Nair	Shri G. M. Yadwadkar	Shri Pankaj Jain	Shri Sudhir Shyam	Shri Rajesh Kandwal	Shri Gyan Prakash Joshi	Dr. Ashima Goyal	Shri B. B. Joshi	Shri Samaresh Parida	Shri N. Jambunathan	Shri Deepak Singhal	Shri Sanjay Kallapur
Accountancy	√			√		√				√			√
Agriculture and Rural Economy	√				√		√	√	√	√	√	√	
Banking	√	√	√	√	√			√	√		√	√	
Co-operation								√					
Economics	√				√			√					√
Finance		√		√		√	√	√	√	√			√
Law								√					
Small-scale industry	√			√			√		√		√		
HR	√	√			√	√						√	
Risk						√	√						√
Information Technology		√		√				√		√	√		
Payment and Settlement								√			√		
Business Management	√	√	√	√		√				√		√	
Administration	√	√	√			√		√				√	
Corporate governance	√	√	√	√		√		√	√				√

Extract of the Annual Return

In terms of the provisions of Section 92(3) read with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 and Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return in the prescribed form MGT-9 is given herein below.

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i.	CIN	L65190MH2004GOI148838
ii.	Registration Date	September 27, 2004
iii.	Name of the Company	IDBI Bank Limited
iv.	Category/Sub-Category of the Company	Public Limited Company/Limited by Shares
v.	Address of the Registered office and contact details	Registered Office: IDBI Bank Ltd., IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400005 Contact Details: Ph: (022) 66553355, 22189111 Fax: (022) 22180411 Website: www.idbibank.in
vi.	Whether listed Company	Yes

vii.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent	Karvy Fintech Private Limited Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Tel.No.(040) 33211500 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No.(040) 23420814 email : einward.ris@karvy.com

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

Sr. No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/ Service	% of total turnover of the company
1.	Monetary intermediation of commercial banks, saving banks, postal savings bank and discount houses	64191	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	Name and Address of the company	Corporate Identification Number (CIN)/ Global Location Number (GLN)	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares	Applicable Section
1	Life Insurance Corporation of India (Promoter) 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, P B No 19953, Mumbai 400 021	NA	Holding	51.00	2(46)
2	IDBI Capital Markets & Securities Ltd. 6th Floor, IDBI Tower, World Trade Centre, Cuffe Parade , Mumbai 400 005	U65990MH1993GOI075578	Subsidiary	100.00	2(87)
3	IDBI Intech Ltd. IDBI Building, Ground Floor, Plot No.39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614.	U72200MH2000GOI124665	Subsidiary	100.00	2(87)
4	IDBI MF Trustee Company Ltd. IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005	U65991MH2010PLC199326	Subsidiary	100.00	2(87)
5	IDBI Asset Management Ltd. 4th Floor, IDBI Tower, World Trade Centre, Cuffe Parade , Mumbai 400 005	U65100MH2010PLC199319	Subsidiary	66.67	2(87)
6	IDBI Trusteeship Services Ltd. Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001.	U65991MH2001GOI131154	Subsidiary	54.70	2(87)
7	IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. 1st Floor, Tradeview, Oasis Complex, Kamala City, P.B. Marg, Lower Parel (W). Mumbai – 400 013	U66010MH2007PLC167164	Joint Venture	48.00	2(6)
8	National Securities Depository Ltd. 'A' Wing, 4th Floor, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013.	U74120MH2012PLC230380	Associate	30.00	2(6)
9	Biotech Consortium India Ltd. 5th floor, Anuvrat Bhawan 210, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi – 110 002	U73100DL1990PLC041486	Associate	27.93	2(6)

Sr. No.	Name and Address of the company	Corporate Identification Number (CIN)/ Global Location Number (GLN)	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares	Applicable Section
10	North Eastern Development Finance Corporation Ltd. NEDFi House, Dispur, Guwahati - 781006.	U65923AS1995GOI004529	Associate	25.00	2(6)
11	Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Ltd. 60, Romain Rolland Street, Puducherry - 605 001.	U65923PY1974SGC000121	Associate	21.14	2(6)

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital - Break-up as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Shareholding

Category of Shareholders			No. Of Shares Held At The Beginning Of The Year				No. Of Shares Held At The End Of The Year				% Change During The Year
			Demat	Physical	Total	% Of Total Shares	Demat	Physical	Total	% Of Total Shares	
A.	Promoters										
	(1)	Indian									
	a)	Individuals/ Hindu Undivided Family	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	Central Government/	2055467184	441371502	2496838686	80.96	3594165335	0	3594165335	46.46	-34.51
	c)	State Government(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Bodies Corporate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	Financial Institutions/ Banks	0	0	0	0	3945510389	0	3945510389	51.00	51.00
	f)	Any Other (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sub-Total (A)(1)	2055467184	441371502	2496838686	80.96	7539675724	0	7539675724	97.46	16.49
	(2)	Foreign									
	a)	NRIs-Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	Other-Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	Any Other (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sub-Total A(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total Shareholding of Promoter (A)= (A)(1)+(A)(2)	2055467184	441371502	2496838686	80.96	7539675724	0	7539675724	97.46	16.49

Category of Shareholders			No. Of Shares Held At The Beginning Of The Year				No. Of Shares Held At The End Of The Year				% Change During The Year
			Demat	Physical	Total	% Of Total Shares	Demat	Physical	Total	% Of Total Shares	
B.	**Public Shareholding**										
	1.	**Institutions**									
	a)	Mutual Funds	11981236	0	11981236	0.39	5425800	0	5425800	0.07	-0.32
	b)	Banks/ FI	15379559	6340	15385899	0.50	2795536	7140	2802676	0.04	-0.46
	c)	Central Government	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	State Government(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	Insurance Companies	347301541	0	347301541	11.26	12778869	0	12778869	0.17	-11.10
	g)	FIIs	52784074	1860	52785934	1.71	7970709	100	7970809	0.10	-1.61
	h)	Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i)	Any Other (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sub-Total B(1)	**427446410**	**8200**	**427454610**	**13.86**	**28970914**	**7240**	**28978154**	**0.37**	**-13.49**
	2.	**Non-Institutions**									
		Bodies Corporate									
		Indian	27327492	207020	27534512	0.89	24368569	179684	24548253	0.32	-0.58
		Overseas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Individuals									
		Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹1 lakh.	78415551	11890629	90306180	2.93	93117883	9715545	102833428	1.33	-1.60
		Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh.	29729312	95480	29824792	0.97	23589003	337021	23926024	0.31	-0.66
		Any Others (specify)									
		Clearing Members	4831157	0	4831157	0.16	8333219	0	8333219	0.11	-0.05
		I E P F	2117434	0	2117434	0.07	2647217	0	2647217	0.03	-0.04
		NBFC	27391	0	27391	0.00	107932	0	107932	0.00	0.00
		Non Resident Indians	2591597	1370343	3961940	0.13	2997171	1160923	4158094	0.05	-0.07
		NRI Non-Repatriation	610081	0	610081	0.02	729262	0	729262	0.01	-0.01
		Societies	0	28960	28960	0.00	0	28960	28960	0.00	0.00
		Trusts	301033	25920	326953	0.01	304293	24320	328613	0	-0.01
		Sub-Total (B)(2)	145951048	13618352	159569400	5.17	156194549	11446453	167641002	2.17	-3.01
		Total Public Shareholding (B)= (B)(1)+(B)(2)	**573397458**	**13626552**	**587024010**	**19.04**	**185165463**	**11453693**	**196619156**	**2.54**	**-16.49**
C.		**Shares held by Custodian for GDRs & ADRs**	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Grand Total (A+B+C)	**2628864642**	**454998054**	**3083862696**	**100.00**	**7724841187**	**11453693**	**7736294880**	**100.00**	**0.00**

(ii) Shareholding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			
		No. of shares	% of total shares of the Bank	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the Bank	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	%change in shareholding during the year
1.	Life Insurance Corporation of India	333722672	10.82	0	3945510389	51.00	0	40.18
2.	Government of India	2496838686	80.96	0	3594165335	46.46	0	(34.50)

(iii) Change in Promoters' Shareholding

Sr. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
	Life Insurance Corporation of India				
	At the beginning of the year	333722672	10.82	333722672	10.82
	Date-wise Increase/ Decrease in Promoters shareholding during the year 04.10.2018 (Pref. Allotment)	339897328	14.90	673620000	14.90
	28.12.2018 (Pref. Allotment)	2387617322	44.31	3061237322	44.31
	18.01.2019 (Open offer Purchase)	56682182		3117919504	
	21.01.2019(Pref. Allotment)	827590885	51.00	3945510389	51.00
	At the End of the Year	3945510389	51.00	3945510389	51.00
	Government of India				
	At the beginning of the year	2496838686	80.96	2496838686	80.96
	Date-wise Increase/ Decrease in Promoters shareholding during the year 25.05.2018 (Pref. allotment)	1097326649	85.96	3594165335	85.96
	At the End of the Year	3594165335	46.46	3594165335	46.46

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, promoters and Holders of GDRs ad ADRs)

Sl. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
1.	Small Industries Development Bank of India	At the beginning of the year	12010000	0.39	12010000	0.39
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year				
		Sale – 08.06.2018	-54080	0.29	11955920	0.29
		Purchase – 15.06.2018	8103384	0.48	20059304	0.48
		Sale – 15.06.2018	-10500000	0.23	9559304	0.23
		Sale – 22.06.2018	-83000	0.23	9476304	0.23
		Sale – 29.06.2018	-9057669	0.01	418635	0.01
		Sale – 06.07.2018	-418635	0.00	0	0.00
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0.00	0	0.00

Sl. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
2.	Kotak Funds - India Midcap Fund	At the beginning of the year	10298084	0.33	10298084	0.33
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year				
		Sale – 25.05.2018	-824548	0.23	9473536	0.23
		Sale – 08.06.2018	-1000000	0.20	8473536	0.20
		Sale – 29.06.2018	-1647851		6825685	0.16
		Sale – 06.07.2018	-6825685		0	0.00
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0.00	0	0.00
3.	United India Insurance Company Ltd.	At the beginning of the year	8057143	0.26	8057143	0.26
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the End of the Year (or on the date of separation)	-	-	8057143	0.10
4.	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	At the beginning of the year	7872869	0.26	7872869	0.26
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year				
		Sale – 04.05.2018	-21260	0.25	7851609	0.25
		Sale – 11.05.2018	-20197	0.25	7831412	0.25
		Sale – 01.06.2018	-15945	0.19	7815467	0.19
		Sale – 22.06.2018	-41574	0.19	7773893	0.19
		Sale – 29.06.2018	-66924	0.18	7706969	0.18
		Sale – 06.07.2018	-27378	0.18	7679591	0.18
		Sale – 13.07.2018	-43602	0.18	7635989	0.18
		Purchase – 28.12.2018	3939064	0.17	11575053	0.17
		Purchase – 01.02.2019	86478	0.15	11661531	0.15
		Purchase – 08.02.2019	275835	0.15	11937366	0.15
		Sale – 01.03.2019	-1254787	0.14	10682579	0.14
		Sale – 08.03.2019	-4903885	0.07	5778694	0.07
		Sale – 15.03.2019	-1768922	0.05	4009772	0.05
		Sale – 22.03.2019	-3634529	0.00	375243	0.00
		Sale – 29.03.2019	-375243	0.00	0	0.00
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0.00	0	0.00
5.	Ashish Rameshkumar Goenka	At the beginning of the year	7714978	0.25	7714978	0.25
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year				
		Purchase – 03.08.2018	376000	0.19	8090978	0.19
		Sale – 04.01.2019	-6785753	0.02	1305225	0.02
		Sale – 08.02.2019	-1305225	0.00	0	0.00
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0.00	0	0.00

Sl. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
6.	Vanguard Total International Stock Index Fund	At the beginning of the year	7321838	0.24	7321838	0.24
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year				
		Purchase - 24.08.2018	577710	0.19	7899548	0.19
		Purchase - 14.09.2018	589618	0.20	8489166	0.20
		Purchase - 21.09.2018	212862	0.21	8702028	0.21
		Purchase - 28.12.2018	4786251	0.21	13488279	0.21
		Purchase - 11.01.2019	568067	0.21	14056346	0.21
		Sale - 01.03.2019	-679444	0.17	13376902	0.17
		Sale - 08.03.2019	-5774364	0.10	7602538	0.10
		Sale - 15.03.2019	-2082921	0.07	5519617	0.07
		Sale - 22.03.2019	-5077766	0.01	441851	0.01
		Sale - 29.03.2019	-441851	0.00	0	0.00
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0.00	0	0.00
7.	Emerging Markets Core Equity Portfolio	At the beginning of the year	5511533	0.18	5511533	0.18
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year				
		Sale - 01.06.2018	-669685	0.12	4841848	0.12
		Sale - 29.06.2018	-1213832	0.09	3628016	0.09
		Sale - 18.01.2019	-3628016	0.00	0	0.00
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0.00	0	0.00
8.	Kotak Equity Arbitrage Fund	At the beginning of the year	4882401	0.16	4882401	0.16
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year				
		Purchase - 06.04.2018	1104	0.16	4883505	0.16
		Sale - 06.04.2018	-10000	0.16	4873505	0.16
		Purchase - 13.04.2018	480000	0.17	5353505	0.17
		Sale - 13.04.2018	-2175	0.17	5351330	0.17
		Purchase - 20.04.2018	8699	0.17	5360029	0.17
		Purchase - 27.04.2018	9442	0.17	5369471	0.17
		Sale - 27.04.2018	-10000	0.17	5359471	0.17
		Purchase - 04.05.2018	460000	0.19	5819471	0.19
		Sale - 04.05.2018	-198718	0.18	5620753	0.18
		Purchase - 11.05.2018	1077	0.18	5621830	0.18
		Purchase - 18.05.2018	3231	0.18	5625061	0.18
		Sale - 18.05.2018	-20000	0.18	5605061	0.18
		Purchase - 25.05.2018	260000	0.14	5865061	0.14
		Sale - 25.05.2018	-1077	0.14	5863984	0.14
		Sale - 01.06.2018	-1332	0.14	5862652	0.14
		Sale - 08.06.2018	-5379	0.14	5857273	0.14
		Sale - 15.06.2018	-6456	0.14	5850817	0.14
		Purchase - 29.06.2018	2152	0.14	5852969	0.14
		Sale - 29.06.2018	-210000	0.13	5642969	0.13
		Purchase - 06.07.2018	74727	0.14	5717696	0.14

Sl. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
		Sale - 06.07.2018	-10000	0.14	5707696	0.14
		Purchase - 13.07.2018	10050	0.14	5717746	0.14
		Sale - 13.07.2018	-170000	0.13	5547746	0.13
		Purchase - 20.07.2018	49835	0.13	5597581	0.13
		Purchase - 27.07.2018	551108	0.15	6148689	0.15
		Sale - 03.08.2018	-3321	0.15	6145368	0.15
		Purchase - 10.08.2018	380000	0.16	6525368	0.16
		Sale - 10.08.2018	-25420	0.16	6499948	0.16
		Purchase - 17.08.2018	429885	0.17	6929833	0.17
		Purchase - 24.08.2018	2880000	0.23	9809833	0.23
		Purchase - 31.08.2018	1107	0.23	9810940	0.23
		Sale - 31.08.2018	-1320000	0.20	8490940	0.20
		Purchase - 07.09.2018	130000	0.21	8620940	0.21
		Sale - 07.09.2018	-240	0.21	8620700	0.21
		Purchase - 14.09.2018	140000	0.21	8760700	0.21
		Purchase - 21.09.2018	180000	0.21	8940700	0.21
		Sale - 21.09.2018	-54222	0.21	8886478	0.21
		Sale - 28.09.2018	-5361951	0.08	3524527	0.08
		Purchase - 05.10.2018	180000	0.08	3704527	0.08
		Sale - 05.10.2018	-21412	0.08	3683115	0.08
		Purchase - 12.10.2018	1091	0.08	3684206	0.08
		Sale - 12.10.2018	-170000	0.08	3514206	0.08
		Purchase - 19.10.2018	1091	0.08	3515297	0.08
		Purchase - 26.10.2018	1092	0.08	3516389	0.08
		Sale - 26.10.2018	-2310000	0.03	1206389	0.03
		Purchase - 02.11.2018	820000	0.04	2026389	0.04
		Purchase - 16.11.2018	1480000	0.08	3506389	0.08
		Sale - 16.11.2018	-114	0.08	3506275	0.08
		Purchase - 23.11.2018	170000	0.08	3676275	0.08
		Sale - 23.11.2018	-21819	0.08	3654456	0.08
		Purchase - 30.11.2018	38290	0.08	3692746	0.08
		Sale - 30.11.2018	-2770000	0.02	922746	0.02
		Sale - 07.12.2018	-10000	0.02	912746	0.02
		Purchase - 14.12.2018	3831	0.02	916577	0.02
		Sale - 14.12.2018	-30000	0.02	886577	0.02
		Purchase - 21.12.2018	1277	0.02	887854	0.02
		Sale - 21.12.2018	-70000	0.02	817854	0.02
		Sale - 28.12.2018	-300292	0.01	517562	0.01
		Sale - 31.12.2018	-501	0.01	517061	0.01
		Purchase - 04.01.2019	158022	0.01	675083	0.01
		Purchase - 11.01.2019	40437	0.01	715520	0.01
		Sale - 11.01.2019	-20000	0.01	695520	0.01
		Sale - 18.01.2019	-101264	0.01	594256	0.01

Sl. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
		Purchase - 25.01.2019	110000	0.01	704256	0.01
		Sale - 25.01.2019	-237622	0.01	466634	0.01
		Sale - 01.02.2019	-69968	0.01	396666	0.01
		Purchase - 08.02.2019	1273	0.01	397939	0.01
		Sale - 08.02.2019	-180000	0.00	217939	0.00
		Purchase - 15.02.2019	562	0.00	218501	0.00
		Purchase - 22.02.2019	1	0.00	218502	0.00
		Purchase - 01.03.2019	6184	0.00	224686	0.00
		Purchase - 08.03.2019	330000	0.01	554686	0.01
		Sale - 08.03.2019	-17456	0.01	537230	0.01
		Purchase - 15.03.2019	134783	0.01	672013	0.01
		Sale - 29.03.2019	-29823	0.01	642190	0.01
		At the End of the Year (or on the date of separation)	-	-	642190	0.01
9.	Copthall Mauritius Investment Ltd.	At the beginning of the year	3804963	0.12	3804963	0.12
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year				
		Sale - 27.04.2018	-110000	0.12	3694963	0.12
		Sale - 04.05.2018	-92388	0.12	3602575	0.12
		Sale - 01.06.2018	-3120000	0.01	482575	0.01
		Purchase - 13.07.2018	24368	0.01	506943	0.01
		Purchase - 31.08.2018	83340	0.01	590283	0.01
		Purchase - 07.09.2018	94866	0.02	685149	0.02
		Sale - 02.11.2018	-264156	0.01	420993	0.01
		Purchase - 30.11.2018	342908	0.02	763901	0.02
		Purchase - 07.12.2018	10764	0.02	774665	0.02
		Purchase - 14.12.2018	90066	0.02	864731	0.02
		Purchase - 21.12.2018	48826	0.02	913557	0.02
		Sale - 28.12.2018	-517614	0.01	395943	0.01
		Purchase - 31.12.2018	2578	0.01	398521	0.01
		Sale - 04.01.2019	-2141	0.01	396380	0.01
		Sale - 18.01.2019	-36801	0.01	359579	0.01
		Purchase - 01.02.2019	5703	0.00	365282	0.00
		Sale - 08.02.2019	-98326	0.00	266956	0.00
		Sale - 15.02.2019	-15065	0.00	251891	0.00
		Sale - 08.03.2019	-220	0.00	251671	0.00
		Purchase - 15.03.2019	58357	0.00	310028	0.00
		Purchase - 22.03.2019	148969	0.01	458997	0.01
		Purchase - 29.03.2019	41621	0.01	500618	0.01
		At the End of the Year (or on the date of separation)	-	-	500618	0.01
10.	The Oriental Insurance Company Ltd.	At the beginning of the year	3202859	0.10	3202859	0.10
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the End of the Year (or on the date of separation)	-	-	3202859	0.04

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
Directors						
1.	Shri Hemant Bhargava (DIN – 01922717) [w.e.f. 25.02.2019] [upto 13.03.2019]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		On the date of separation	0	0	0	0
2.	Shri Rakesh Sharma (DIN-06846594) [w.e.f.10.10.2018]	At the beginning of the year	2500	0	2500	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	2500	0	2500	0
3.	Shri B. Sriram (DIN –02993708) [w.e.f.30.06.2018]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		On the date of separation	0	0	0	0
4.	Shri Mahesh Kumar Jain (DIN-03513127) [upto 21.06.2018]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		On the date of separation	0	0	0	0
5.	Shri K. P. Nair (DIN-02611496)	At the beginning of the year	320	0	320	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	320	0	320	0
6.	Shri G. M. Yadwadkar (DIN-01432796)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	0	0	0	0
7.	Shri Pankaj Jain (DIN-00675922)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	0	0	0	0
8.	Shri Praveen Garg (DIN-00208604) [upto 14.05.2018]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		On the date of separation	0	0	0	0
9.	Shri Sudhir Shyam (DIN- 08135013) [wef 16.05.2018]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year)	0	0	0	0
10.	Shri Rajesh Kandwal (DIN-02509203) [wef 21.01.2019]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	0	0	0	0
11.	Shri S. Ravi (DIN- 00009790) [upto 12.05.2018]	At the beginning of the year	200	0	200	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At on the date of separation	200	0	200	0

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
12.	Shri Ninad Karpe (DIN- 00030971) [upto 11.05.2018]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		On the date of separation	0	0	0	0
13.	Shri Gyan Prakash Joshi (DIN- 00603925)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	0	0	0	0
14.	Dr. Ashima Goyal (DIN- 00233635)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the year	0	0	0	0
15.	Shri B.B. Joshi (DIN- 06713850)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	0	0	0	0
16.	Shri Samaresh Parida (DIN- 01853823) [wef -19.05.2018]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	0	0	0	0
17.	Shri N. Jambunathan (DIN- 05126421) [wef -19.05.2018]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	0	0	0	0
18.	Shri Deepak Singhal (DIN: 08375146) [w.e.f. – 28.02.2019]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	0	0	0	0
19.	Shri Sanjay Kallapur (DIN: 08377808) [w.e.f. 05.03.2019]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	0	0	0	0
Key Managerial Personnel						
1.	Shri Ajay Sharma, CFO	At the beginning of the year	120	0	120	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	120	0	120	0
2.	Shri Pawan Agrawal, GM & Company Secretary Membership No.: F7744	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year	0	0	0	0

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Bank including interest outstanding/accrued but not due for payment

(₹ in '000s)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i. Principal Amount	211078409	420776862	2479316112	3111171383
ii. Interest due but not paid	-	-	-	-
iii. Interest accrued but not due	121442.89	7632250	4016801	11770493.89
Total (i+ii+iii)	211199851.89	428409112.00	2483332913.00	3122941876.89
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition	-	190229169.1	-	190229169.1
• Reduction	-	211408154.4	214832723	426240877.4
Net Change	-	-21178985.25	-214832723	-236011708.3
Indebtedness at the end of the financial year				
i. Principal Amount	139893538	312983701	2273717247	2726594486
ii. Interest due but not paid	-	-	-	-
iii. Interest accrued but not due	258853.78	5876374.89	3174516	9309744.67
Total (i+ii+iii)	**140152391.8**	**318860075.90**	**2276891763**	**2735904231.0**

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel for Financial Year 2018-19

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager: (in ₹)

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/ WTD					Total Amount (₹)
		Shri Rakesh Sharma, MD & CEO [w.e.f. 10.10.2018]	Shri B. Sriram, MD & CEO [w.e.f. 30.06.2018] [upto 30.09.2018]	Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO [upto 21.06.2018]	Shri K.P. Nair, DMD	Shri G.M. Yadwadkar, DMD	
1.	**Gross Salary** (a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	1440191.48	741792.88	642588.00	2457732.30	2437629.21	**7719933.87**
	(b) Value of perquisites under Section 17(2) of the Income tax Act, 1961	332015.84	-	98055.00	429545.14	373253.04	**1232869.02**
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961	-	-	-	-	-	**-**
2.	Stock Option	-	-	-	-	-	**-**
3.	Sweat Equity	-	-	-	-	-	**-**
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	-	-	-	-	-	**-**
5.	Others, please specify [OL Encashment] [LFC]	-	-	-	-	 27265.00 33829.00	 **27265.00** **33829.00**
	Total (A)	**1772207.32**	**741792.88**	**740643.00**	**2887277.44**	**2871976.25**	**9013896.89**
	Ceiling as per the Act	-	-	-	-		-

B. Remuneration of Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD (in ₹)

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel		Total Amount (₹)
		Shri Ajay Sharma, CFO	Shri Pawan Agrawal, GM & CS	
1.	**Gross Salary** (a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	2410635.03	2128898.52	**4539533.55**
	(b) Value of perquisites under Section 17(2) of the Income tax Act, 1961	505060.55	720237.36	**1225297.91**
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961	-	-	**-**
2.	Stock Option	-	-	**-**
3.	Sweat Equity	-	-	**-**
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	-	-	**-**
5.	Others, please specify OL Encashment	137800.98	99028.60	**236829.58**
	LFC	75000.00	50000.00	**125000.00**
	Total	**3128496.56**	**2998164.48**	**6126661.04**

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment Compounding Fees imposed	Authority [RD/ NCLT /Court]	Appeal made, if any
A. Company – IDBI Bank Limited					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		
B. Directors					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		
C. Other Officers in Default					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		

The Extract of Annual Return in Form MGT - 9 is also available on the Bank's website (www.idbibank.in)

Statement on Declaration given by Independent Directors

In terms of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, Shri Gyan Prakash Joshi, Dr. Ashima Goyal, Shri Bhuwanchandra B Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal and Shri Sanjay Kallapur, Independent Directors of IDBI Bank Ltd. gave declaration on April 1, 2019, that they meet the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Clause (b) of Sub-regulation (1) of Regulation 16, 17(10) of LODR Regulations and Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and that they are not aware of any circumstance or situation, which exist or may be reasonably anticipated, that could impair or impact their ability to discharge their duties with an objective independent judgment and without any external influence. The same was noted by the Board of Directors on April 16, 2019 and after undertaking due assessment of the veracity of the same the Board was of the opinion that, the Independent directors fulfil the conditions specified in these regulations and are independent of the management.

Company's Policy on Directors' appointment and remuneration

The Bank's Policy on Directors' Appointment and remuneration is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

Company's Dividend Distribution Policy

The Bank's Policy on Dividend Distribution is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

Compliance with Secretarial Standards

The Bank has adopted the Secretarial Standards namely SS-1 (Secretarial Standard on Board Meetings) and SS-2 (Secretarial Standards on General Meetings) issued by The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and notified under the Companies Act, 2013. The Bank has conducted its Board, Committee and General Meetings in accordance with these standards and is in compliance with the same.

Internal Auditor

The Bank has an in-house Internal Audit department which carries out the Internal Audit functions. Shri M. V. Phadke, Executive Director, IDBI Bank Ltd. has been designated as Chief Audit Officer in terms of Section 138 of the Companies Act, 2013.

Disclosure on Corporate Insolvency Resolution Process Initiated Under The Insolvency And Bankruptcy Code, 2016 (IBC)

The provisions are not applicable for banking companies.

Board's comments on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the Auditors or Secretarial Auditors in their report and Statement on Impact of Audit Qualifications as stipulated in regulation 33(3)(d) of SEBI (LODR) Regulations, 2015

There are no qualifications, reservation or adverse remarks or disclaimers either in the Statutory Auditors' Report or in the Secretarial Auditors' Report which require Board's comments thereon in terms of Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013.

Further, pursuant to Section 143(12) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of the Bank have not reported any instances of frauds committed in the Bank by its officers or employees.

Particulars of Loans, Guarantees or Investments under Section 186 of the Companies Act, 2013

The provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of business. The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the financial statements as per the applicable provisions of Banking Regulation Act, 1949.

Particulars of contracts or arrangements with Related Parties on the prescribed form

In terms of Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars of contracts or arrangements, if any, with Related Parties are given in the prescribed form AOC -2 hereunder:

AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

i. Details of contracts or arrangements or transactions not on arms' length basis

Sr. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to Section 188
Nil								

ii. Details of material contracts or arrangement or transactions at arms' length basis

Sr. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Date(s) of approval by the Board, if any	Amount paid as advances, if any
Nil						

Sd/-
Rakesh Sharma
(DIN -06846594)
Managing Director & CEO
Date : May 30, 2019

Statement indicating development and implementation of Risk Management Policy

The Bank follows a detailed and comprehensive risk management system which is constantly updated based on the RBI's regulatory guidelines issued in this regard from time-to-time. A dedicated Risk Management Committee of the Board regularly reviews comprehensively the risk matters of the Bank, the risk-related aspects of the Bank including the implementation of Basel III norms in the Bank. The Board of Directors of the Bank also periodically reviews the risk assessment and minimisation procedures followed in the Bank as well as the capital requirement of the Bank under Basel III norms.

Details of CSR Policy and its implementation during the year

The details on the format prescribed under Annexure to the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 are as follows:

Annual Report on CSR

1. **A brief outline of the Bank's CSR policy, including overview of projects or programmes proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programmes.**

   The Bank's CSR objective is to make material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of society by identifying gaps and extending need-based contribution for their betterment. The Bank seeks to achieve this through direct intervention as well as acting as a catalyst for development and creating a partnership with the beneficiaries.

   The Bank's CSR policy, inter alia, provides the platform for undertaking interventions in areas such as healthcare, education, gender equality and socio-economic empowerment, environmental sustainability, enhancement of livelihood opportunities and rural development projects.

   The web-link to the CSR policy and projects or programmes is https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf

2. **The Composition of the CSR Committee:** The composition of the CSR Committee of Board is presented in the table below:

Sr. No.	Directors	Position
1.	Shri Rakesh Sharma	MD & CEO
2.	Shri K. P. Nair	Dy. Managing Director
3.	Shri G. M. Yadwadkar	Dy. Managing Director
4.	Shri Sudhir Shyam	Government Nominee Director
5.	Dr. Ashima Goyal	Independent Director

3. **Average net profit of the Bank for last three financial years:** The Bank incurred average net loss (for CSR purpose) of ₹ 4955 crore for the last three financial years i.e. FY16, FY17 and FY18.

4. **Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above):** Not applicable. In terms of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013, the Bank has incurred average net loss of ₹ 4955 crore for the last three financial years i.e. FY16, FY17 and FY18. However, the Bank has continued its CSR spends keeping with its proactive initiatives and continuance of CSR activities.

5. **Details of CSR spent during the financial year:**

   (a) **Total amount to be spent for the financial year:** Not applicable. However, the Bank has spent ₹ 0.25 crore during FY 2018-19 towards commitments for projects carried forward from previous years.

   (b) **Amount unspent, if any:** Not applicable. CSR budget is not mandatory for FY18-19 as the average net profit for last three years is negative.

   (c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below: (in ₹)

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	**CSR project or activity identified**	**Sector in which the project is covered**	**Projects or Programmes**		**Amount outlay (budget) project or programmes-wise***	**Amount spent on the projects or programmes Sub-Heads**		**Cumulative expenditure up to the reporting period**	**Amount spent Direct or through implementing agency†**
			(1) Local area or other	**(2) Specify the State and district where projects or programme was undertaken**		**(1) Direct expenditure on projects or programmes**	**(2) Overheads#**		
1	Financial assistance towards skill development programmes and handholding support to new micro ventures in four villages of Karnali group Panchayat of Vadodara district under the Saansad Adarsh Gram Yojana over a period of three years.	Promoting Education and Livelihood Enhancement Projects	Other	Vadodara, Gujarat	60,75,000	18,51,449	0	56,80,925	Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad, Gujarat.

(in ₹)

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programmes-wise*	Amount spent on the projects or programmes Sub-Heads		Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency†
			(1) Local area or other	(2) Specify the State and district where projects or programme was undertaken		(1) Direct expenditure on projects or programmes	(2) Overheads#		
2	Financial assistance for completion of the remaining portion of disabled friendly special school and setting up of vocational training centre for mentally and physically challenged children in Saiha District of Mizoram.	Promoting Education and Livelihood Enhancement Projects	Other	Saiha, Mizoram	30,00,000	6,00,000	0	30,00,000	Mara T.T. Chako & Abraham Charitable Trust, Saiha, Mizoram.
3	Service tax paid under Reverse Charge Mechanism (RCM) non-cenvatable	NA	NA	NA	NA	0	36,000	36,000	Cenvat.
					90,75,000	24,51,449	36,000	87,16,925	

** - Amount net of cancellations*

† - Registered office address of implementing agency

 # - Goods and Services Tax (GST)

6. **In case the Bank has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board Report.**

   In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, there is no requirement for IDBI Bank to incur any spends under CSR during FY 18-19. However, the Bank has spent ₹ 0.25 crore during FY 2018-19 towards commitments for projects carried forward from previous years.

7. **A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.**

   CSR Committee of IDBI Bank declares that CSR policy, implementation and monitoring thereof is, in letter and spirit, in compliance with CSR objectives of the company.

Sd/-
Rakesh Sharma
(DIN -06846594)
Managing Director & CEO
Chairman of CSR Committee
May 30, 2019

Statement indicating the manner of formal annual evaluation of Board, its Committees and Individual Directors

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the details on the captioned matter are furnished herein below :

(i) Independent Directors' Committee (IDC), at its meeting held on April 15, 2019, evaluated the performance of all Non-Independent Directors including the Chairman of the Board Meetings as well as the performance of the Board as a whole.

(ii) The Board, at its meeting held on April 16, 2019, evaluated the performance of all Directors on the Board including Independent Directors, its own performance as well as the performance of committees of the Board. The evaluation of all individual Directors was done by the entire Board, which also included evaluation of Independent Directors based on (a) review of the performance of Independent Directors in meetings and (b) fulfillment of the independence criteria as specified in the Companies Act, 2013 and LODR Regulations and their independence from the management. The Director concerned being evaluated by the Board did not participate in the meeting during the process of his/ her own evaluation.

For the purpose of annual evaluation by IDC and the Board, blank evaluation sheets in respect of individual Directors, Board Committees and the Board were circulated in advance to individual Directors through e-mails to enable the Directors to form their opinion in advance and help finalise the evaluation process at the respective meetings. Chairman of the respective meetings signed the evaluation sheets on behalf of IDC and the Board after finalisation of the evaluation.

Change in the nature of business, if any

During the period of review, the Bank continued to carry on the business of banking and there was no change in the nature of its business. The Bank has been following the RBI directives given under Prompt Corrective Action.

Change in status of the Bank

During the financial year 2018-19, Life Insurance Corporation of India (LIC) acquired 51% controlling stake in IDBI Bank. The process of acquisition was completed on January 21, 2019 with LIC having been re-classified as promoter of the Bank (with management control) and Government of India continuing to be the co-promoter of the Bank (without management control). The Bank has been categorised as a Private Sector Bank for regulatory purposes w.e.f. January 21, 2019 vide press release dated March 14, 2019 issued by the RBI.

Details of Directors or KMPs who were appointed or who resigned during the financial year 2018-19

Name of Directors	Designation	Appointed/ Resigned/ Cessation	Date
Shri Rakesh Sharma	MD & CEO (KMP)	Appointment	10.10.2018
Shri B. Sriram	MD & CEO (KMP)	Appointment	30.06.2018
Shri B. Sriram	MD & CEO (KMP)	Cessation	30.09.2018
Shri Mahesh Kumar Jain	MD & CEO (KMP)	Cessation	21.06.2018
Shri Praveen Garg	Government Nominee Director	Cessation	14.05.2018
Shri Sudhir Shyam	Government Nominee Director	Appointment	16.05.2018
Shri S. Ravi	Independent Director	Resigned	12.05.2018
Shri Ninad Karpe	Independent Director	Resigned	11.05.2018
Shri Samaresh Parida	Independent Director	Appointment	19.05.2018
Shri N. Jambunathan	Independent Director	Appointment	19.05.2018
Shri Rajesh Kandwal	LIC Nominee Director	Appointment	21.01.2019
Shri Hemant Bhargava	Non-Executive Non Whole Time Chairman	Appointment	25.02.2019
Shri Deepak Singhal	Additional Director (in Independent category)	Appointment	28.02.2019
Shri Sanjay Kallapur	Additional Director (in Independent category)	Appointment	05.03.2019
Shri Hemant Bhargava	Non-Executive Non Whole Time Chairman	Cessation	14.03.2019

Names of Companies which became or ceased to be Bank's subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies during the financial year 2018-19

Names of Subsidiaries	Became / Ceased to be so	Date
	Nil	

Names of Associate Companies	Became / Ceased to be so	Date
	Nil	

Names of Joint Ventures	Became / Ceased to be so	Date
	Nil	

Details relating to Deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013 and details of deposits which are not in compliance of the requirements of Chapter V of the Act

In terms of proviso to Section 73(1) of the Companies Act, 2013, nothing in this sub-section shall apply to a Banking Company and hence the requirement of disclosure of captioned details is not applicable to IDBI Bank.

Details of significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

There were no orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals during the financial year 2018-19 which could impact the going concern status and IDBI Bank's operations in future.

Familiarisation Programme for Independent Directors

The Independent Directors are being regularly familiarised with the business of the Bank, their duties and responsibilities and compliance requirements in the Bank as per the changes in the regulatory environment. Further, Independent Directors were nominated/ deputed to various training programmes during financial year 2018-19. The detailed status in this regard is provided on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link:

https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

Establishment of Vigil Mechanism

The Bank has established a Board-approved Vigil Mechanism in compliance with the statutory/ regulatory requirements. The report on Vigil Mechanism is being submitted to Board on a regular basis. During the financial year 2018-19, no personnel was denied access to the Audit Committee. The Policy on Vigil Mechanism giving details of establishment of Vigil Mechanism has been disclosed by the Bank on its website (www.idbibank.in) under the following link:

https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

Policy for Determining Material Subsidiaries

In terms of the requirement of Regulation 46 of the LODR Regulations, the Policy for determining material subsidiaries is available on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link:

https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

Policy on dealing with Related Party Transactions

In terms of the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of LODR Regulations, the Bank has formulated a policy on dealing with Related Party Transactions.

The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link:

https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

Disclosure on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interest of listed entity at large

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, during financial year 2018-19, the Bank has not undertaken any materially significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the Bank.

Disclosure of commodity price risks or Foreign Exchange and commodity hedging activities

The Bank is in compliance with the relevant provisions in respect of commodity price risks or foreign exchange and commodity hedging activities as per the guidelines, if any, prescribed by Regulators.

Disclosure of Accounting Treatment

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, in preparation of financial statements, no treatment different from that prescribed in an Accounting Standard has been followed and hence, no explanation from the Management is required to be given in this regard.

Disclosure, as to whether maintenance of cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the Companies Act, 2013, is required by the Company and accordingly such accounts and records are made and maintained

IDBI Bank Ltd., being a banking company, provisions of maintenance of cost records is not applicable to it.

Remuneration of Directors

IDBI Bank, being a Private Sector Bank w.e.f. January 21, 2019, remuneration and perquisites of the MD & CEO and DMDs are approved by RBI as per Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949. The details of remuneration paid to MD & CEO and DMDs are given in Table 4. There have been no pecuniary relationships/ transactions of Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the period under review.

Table 4 : Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs

Salary & Allowances	**Shri Rakesh Sharma, MD & CEO** – Pay ₹ 2,24,400/- p.m. and applicable DA (presently 9%) ₹ 20,196/- Total ₹ 2,44,596/- **Shri K. P Nair, DMD** - Pay ₹ 1,87,600/- p.m. and DA @ 9% ₹ 16,884/- Total ₹ 2,04,484/-. **Shri G. M. Yadwadkar, DMD** - Pay ₹ 1,87,600/- p.m. and DA @ 9% ₹ 16,884/- Total ₹ 2,04,484/-.
Entertainment	Actual entertainment subject to ceiling of ₹ 6,000 p.a. (membership of club adjustable within the above ceiling) in respect of both MD & CEO and DMDs.
Housing	Rent-free furnished accommodation in respect of both MD & CEO and DMDs.
Conveyance	Entitled to free use of the Bank's car for official purpose.
Leave Travel Concession	For self and family once in a block of 2 years for visiting any place in India as per entitled class as applicable for official tour in respect of both MD & CEO and DMDs.
Pension	Entitled to draw pension, if any, admissible in the career post (below board level) as per the rules and regulations of the Bank where the career post is held.
Gratuity	At the rate of half month's pay for every completed year of service or more than 6 months of service as MD & CEO/DMDs.
Tenure	**Shri Rakesh Sharma** – Earlier appointed as MD & CEO vide Government of India's Notification F.No.4/2/2015-BO.I dated October 05, 2018 for a period of six months with effect from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier. Shri Rakesh Sharma assumed the charge as MD & CEO of IDBI Bank w.e.f. October 10, 2018. Consequent upon the acquisition of 51% controlling stake, LIC, vide its letter dated January 18, 2019, conveyed that Shri Rakesh Sharma will continue as MD & CEO till such time as LIC makes fresh nomination of MD & CEO on the Board of IDBI Bank. Subsequently, LIC, vide its letter dated February 13, 2019 nominated Shri Rakesh Sharma as MD & CEO of IDBI Bank for the fresh term of 3 years, under Article 116(1)(ii) of the Articles of Association of the Bank. The Board approved the appointment of Shri Rakesh Sharma w.e.f. March 19, 2019 after receipt of RBI approval. The approval of shareholders is being obtained at the ensuing AGM to be held on August 20, 2019.

	Shri K. P. Nair - Appointed as DMD vide Government of India's Notification F.No.4/5/(7) 2016-BO.I dated September 15, 2016 w.e.f. the date of taking over the charge of the post till 31.05.2019 i.e. the date of superannuation or until further orders, whichever is earlier. Shri Nair took charge on September 15, 2016. Consequent upon the acquisition of 51% controlling stake, LIC, vide its letter dated January 18, 2019 conveyed that Shri K. P. Nair may continue as DMD till such time as LIC makes fresh nomination of DMDs on the Board of IDBI Bank. Subsequently, LIC has intimated that Shri K. P. Nair may demit office on attaining superannuation on May 31, 2019. Board has accordingly approved demitting of office by Shri K. P. Nair on close of business on May 31, 2019.
	Shri G. M. Yadwadkar - Appointed as DMD vide Government of India's Notification F.No.4/5/(7) 2016-BO.I dated September 15, 2016 for a period of 3 years w.e.f. the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever is earlier. Shri Yadwadkar took charge on September 15, 2016. Consequent upon the acquisition of 51% controlling stake by LIC, vide its letter dated January 18, 2019 conveyed that Shri G. M. Yadwadkar may continue as DMD till such time as LIC makes fresh nomination of DMDs on the Board of IDBI Bank.

All the Non-Executive Directors except Government Nominee Directors were paid only the sitting fees for each Board/ Committee Meeting attended by them. The rates of sitting fees were revised from ₹ 20,000/- per meeting of the Board, the EC and the ACB and ₹ 10,000/- per meeting for other Board committee meetings to ₹ 40,000/- per meeting of Board [plus ₹ 10,000/- per meeting for chairing the meetings] and ₹ 20,000/- per meeting of all Board committee meetings [plus ₹ 5,000/- per meeting for chairing the meetings] w.e.f. February 25, 2019. Apart from the remuneration to MD & CEO and DMDs and sitting fees to the Non-Executive Directors as above, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by them for attending the meetings.

Aggregate amount of sitting fees paid to Non-Executive Directors for financial year 2018-19 is as detailed below:

Name of the Non-Executive Director	Sitting fees paid for FY 2018-19 (₹)
Shri S. Ravi (upto 12.05.2018)	90,000
Shri Ninad Karpe (upto 11.05.2018)	50,000
Shri Gyan Prakash Joshi	11,70,000
Dr. Ashima Goyal	6,85,000
Shri B. B. Joshi	13,55,000
Shri Samaresh Parida (w.e.f. -19.05.2018)	6,80,000
Shri N. Jambunathan (w.e.f. -19.05.2018)	9,90,000
Shri Rajesh Kandwal (w.e.f. – 21.01.2019)*	1,40,000
Shri Deepak Singhal (w.e.f. – 28.02.2019)	80,000
Shri Sanjay Kallapur (w.e.f. – 05.03.2019)	40,000

**Sitting fees payable to Shri Rajesh Kandwal (Nominee Director – LIC) for attending the meetings of the Board/ Committees have been credited to the bank account of LIC.*

Disclosure under Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

The remuneration of MD & CEO and DMDs who were earlier appointed by Government of India, was fixed by Government of India as per Government of India pay scales with applicable increase in remuneration as per Government of India norms. After completion of acquisition of 51% stake by LIC, MD & CEO and DMDs appointment and remuneration is to be approved by RBI under Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949. The Bank has continued the pay scales applicable to Public Sector Banks (PSBs) for MD & CEO, DMDs and other employees. Other Directors on the Board do not get any remuneration except the sitting fees as mentioned in the paragraph above. The other employees of the Bank including Key Managerial Personnel (KMPs), i.e., Chief Financial Officer and Company Secretary get remuneration as applicable to the similar grade officials of the Bank. Periodical revision in the pay scales of employees including KMPs does have the relationship with many factors including Bank's performance. The Bank has not made any Follow-on Public Offer (FPO) and hence, no comparison in market quotation of the Bank's shares is possible. However, market price of the Bank's shares for financial year 2018-19, financial ratios, etc. are disclosed in the Annual Report. No variable

pay concept is applicable at present in the Bank in respect of remuneration of employees including KMPs and that of MD & CEO/ DMDs. The number of employees on the rolls of the Bank as on March 31, 2019 was 17,117 out of which 821 employees were on contract basis and all other employees were regular. It is also affirmed that the remuneration is as per the remuneration policy of the Bank and the ratio of the remuneration of each Director to the median employee's remuneration and other details are as per the disclosures made above and are in compliance of Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014. The other details in terms of Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is given below:

The number of regular employees on the rolls of the Bank	16,296	
The ratio of the remuneration of each Director to the median remuneration of the employees of the company for the financial year	**Name of the Executive Director**	**Ratio of remuneration to the median of all employees**
	Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	4.06
	Shri K. P. Nair, DMD	3.34
	Shri G. M. Yadwadkar, DMD	3.11
The percentage increase in remuneration of each Director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year	**Designation**	**Percentage Increase**
	MD & CEO	4.16
	DMD - Shri K. P. Nair	6.06
	DMD - Shri G. M. Yadwadkar	8.56
	CFO*	33.74
	CS	7.72
The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year	16.83	
Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration	Average remuneration increase for non-managerial personnel of the Bank during FY 2018-19 was 16.83% and the Average remuneration increase for the managerial personnel of the Bank was 12.05%.	
Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the company	Yes	

**The percentage increase in the remuneration of Shri Ajay Sharma, CFO is high as the remuneration for the previous year (FY 2017-18) was taken from the date of him becoming the CFO. Also, during FY 2018-19 Shri Ajay Sharma was promoted to higher grade during the Bank's internal promotions process.*

General Body Meetings

(i) Details of Annual General Meetings

The last Annual General Meeting (AGM) of the Bank was held on August 13, 2018. Details of AGMs of IDBI Bank Ltd. are given in Table 5.

Table 5 : Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.

Location and time of the last three AGMs.	1) July 22, 2016 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (12th AGM of the Bank). 2) July 18, 2017 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (13th AGM of the Bank). 3) August 13, 2018 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (14th AGM of the Bank).
Whether Special Resolutions were passed in previous three AGMs	**For 12th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 8,000/- crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard, (ii) taking shareholders' approval u/s 42 of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to mobilise in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior/ Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement/ Public Issue (iii) re-appointment of Shri S. Ravi as Independent Director of the Bank for the last term of four years (iv) re-appointment of Shri Ninad Karpe as Independent Director of the Bank for the last term of four years and (v) increase in authorised capital of the Bank and other alterations in Articles of Association of the Bank, were passed at the 12th AGM of the Bank held on July 22, 2016. **For 13th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 5,000/- crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard, (ii) taking shareholders' approval u/s 42 of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to mobilise in one or more tranches upto ₹ 5,000 crore comprising of Senior/ Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement/ Public Issue, (iii) alterations in Articles of Association of the Bank. **For 14th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 5,000/- crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard and (ii) taking shareholders' approval u/s 42 of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to mobilise in one or more tranches upto ₹ 5,000 crore comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement/ Public Issue were passed at the 14th AGM of the Bank held on August 13, 2018.
Whether any special resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern	Yes. Following Special Resolutions were passed through Postal Ballot as under: 1. Special Resolutions passed on May 21, 2018 - (i) Preferential Issue of equity shares aggregating to ₹ 7,881 crore to Government of India (GoI) and (ii) Increase in Authorised Share Capital from ₹ 4,500 crore to ₹ 8,000 crore. 2. Special Resolution passed on October 3, 2018 for Preferential Issue of equity shares aggregating upto 14.90% of the Bank's post issue paid up capital to Life Insurance Corporation of India (LIC). 3. Special Resolutions passed on November 7, 2018 - (i) Preferential Issue of equity shares aggregating upto 51% of the Bank's expanded paid up capital to Life Insurance Corporation of India (LIC); (ii) Increase in Authorised Share Capital of the Bank from ₹ 8,000 crore to ₹ 15,000 crore; and (iii) Amendments in Articles of Association of the Bank pursuant to LIC's acquisition.
Person who conducted the postal ballot exercise	Ms. Aparna Gadgil / Ms. Malati Kumar, Partners of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	No

Passing of Resolution through Postal Ballot and the procedure

1. Special Resolutions Passed through Postal Ballot on May 21, 2018

Approvals sought	(i) Preferential Issue of equity shares aggregating to ₹ 7,881 crore to Government of India (GoI) and		
	(ii) Increase in Authorised Share Capital from ₹ 4,500 crore to ₹ 8,000 crore.		
Scrutinizer	Ms. Malati Kumar, Partner of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries was appointed as Scrutiniser for conducting the postal ballot voting process, by Board of Directors on April 3, 2018		
Date of Notice	April 5, 2018		
Last date for receipt of postal ballot forms	May 21, 2018 (5:00 p.m.)		
Brief details of Scrutiniser's Report	Item No.	Assents	Dissents
	(i)	2,88,76,30,429 (99.99%)	7,341 (0.01%)
	(ii)	2,88,76,19,418 (99.99%)	5,330 (0.01%)
	According to the Scrutiniser's Report dated May 22, 2018, the resolutions were passed by the requisite majority. The result of the postal ballot was declared by the Chairman on May 22, 2018 and displayed on the websites of the Bank and Registrar and Transfer Agent RTA, viz., Karvy. It was also disclosed to Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, i.e., BSE and NSE.		
E-voting Facility	The Bank offered e-voting to enable the members to cast their votes electronically for both the items of postal ballot stated above.		

2. Special Resolution Passed through Postal Ballot on October 3, 2018

Approval sought	(i) Preferential Issue of equity shares aggregating upto 14.90% of the Bank's post issue paid up capital to Life Insurance Corporation of India (LIC).		
Scrutiniser	Ms. Aparna Gadgil of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries was appointed as Scrutiniser for conducting the postal ballot voting process, by Board of Directors at its meeting held on August 31, 2018		
Date of Notice	August 31, 2018		
Last date for receipt of postal ballot forms	October 3, 2018 (5:00 p.m.)		
Brief details of Scrutiniser's Report	**Item No.**	**Assents**	**Dissents**
	(i)	3,97,05,13,310 (99.99%)	5,654(0.01%)
	According to the Scrutiniser's Report dated October 3, 2018, the resolution was passed by the requisite majority. The result of the postal ballot was declared by the Chairman on October 3, 2018, and displayed on the websites of the Bank and RTA, viz., Karvy. It was also disclosed to Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, i.e., BSE and NSE.		
E-voting Facility	The Bank offered e-voting to enable the members to cast their votes electronically for the item of postal ballot stated above.		

3. Special Resolutions Passed through Postal Ballot on November 7, 2018

Approvals sought	(i)	Preferential Issue of equity shares aggregating upto 51% of the Bank's expanded paid up capital to Life Insurance Corporation of India (LIC);
	(ii)	Increase in Authorised Share Capital of the Bank; and
	(iii)	Amendments in Articles of Association of IDBI Bank pursuant to LIC acquisition.

Scrutiniser	Ms. Aparna Gadgil of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries was appointed as Scrutiniser for conducting the postal ballot voting process, by Board of Directors at its meeting held on October 4, 2018.		
Date of Notice	October 4, 2018		
Last date for receipt of postal ballot forms	November 7, 2018 (5:00 p.m.)		
Brief details of Scrutiniser's Report	**Item No.**	**Assents**	**Dissents**
	(i)	3,96,70,87,067 (99.5549%)	1,77,35,387 (0.4451%)
	(ii)	3,96,70,86,957 (99.5549%)	1,77,35,477 (0.4451%)
	(iii)	3,98,04,95,881 (99.9996%)	16,543 (0.0004%)
	According to the Scrutiniser's Report dated November 8, 2018, the resolutions were passed by the requisite majority. The results of the postal ballot were declared by the Chairman on November 8, 2018, and displayed on the websites of the Bank and RTA, viz., Karvy. It was also disclosed to Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, i.e., BSE and NSE.		
E-voting Facility	The Bank offered e-voting to enable the members to cast their votes electronically for all the items of postal ballot stated above.		

(ii) Details of Extra-Ordinary General Meeting –

The Bank did not conduct any EGM during financial year 2018-19

Disclosures

1. No company was assisted during April 1, 2018 – March 31, 2019, in which any of the Directors of the Bank was interested except as under:

   (i) IDBI Mutual Fund (Represented by IDBI Asset Management Ltd.)- Shri K.P.Nair, DMD was on the Board of IDBI Asset Management Ltd. However, IDBI Mutual Fund, being a subsidiary of IDBI Bank Ltd., is exempted under RBI Guidelines on connected lending provisions.

   (ii) IDBI Intech Limited – Shri K.P. Nair, DMD was on the Board of IDBI Intech Limited. However, IDBI Intech Limited, being a subsidiary of IDBI Bank Ltd., is exempted under RBI Guidelines on connected lending provisions.

   (iii) Export Import Bank of India (EXIM Bank) - Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, is on the Board of EXIM Bank. However, EXIM Bank has been sanctioned intra-day/overdraft facility to meet cash flow mismatches which is exempted under RBI Guidelines on connected lending provisions

2. Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on the Bank by Stock Exchange or SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years are:

FY 2016-17	Nil.
FY 2017-18	Nil.
FY 2018-19	Nil. However, Reserve Bank of India had imposed penalty of (i) ₹ 3 crore on the Bank for non-compliance with the directions issued by RBI on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) norms on April 9, 2018, (ii) ₹ 20 lakh for non-compliance with regulatory directions of RBI on Know Your Customer (KYC)/ Anti Money Laundering (AML) standards on February 4, 2019 and (iii) ₹ 1 crore for contravention of regulatory directions of RBI on time bound implementation and strengthening of SWIFT related operational controls on February 25, 2019.

3. Disclosure in terms of Regulation 32 (7A) of LODR Regulations: During FY 2018-19, your Bank has raised funds through Preferential allotment of equity shares to Government of India (GoI) in May, 2018 aggregating to ₹ 7881 crore and to LIC in (i) October, 2018 aggregating to ₹ 2098 crore, (ii) December, 2018 aggregating to ₹ 14,500 crore and (iii) January, 2019 aggregating to ₹ 5025.96 crore. These funds became available to your Bank for utilization post allotment of equity and filing of Form PAS-3 (Return on allotment) with MCA. The proceeds of the Equity issue allotted to GoI and LIC have been fully utilized for augmenting the capital adequacy of the bank and for general business purposes.

4. During the financial year 2018-19, there has been no deviation in the use of proceeds from the objects stated in the explanatory statement to the notices for the Postal Ballot in terms of Regulation 32(4) of LODR Regulations.

5. A certificate dated May 21, 2019 obtained from Shri S.N. Ananthasubramanian (CP No. 1774) of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries that none of the Directors on the Board of the Bank has been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority is annexed to this Report.

6. The Bank has made all the disclosures in the Annual Report that were required in terms of sub-paras (2) to (10) of the Corporate Governance Section of Schedule V (Annual Report) of LODR Regulations.

7. The Bank has complied with the corporate governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46 of LODR Regulations.

8. There has been no instance where the Board had not accepted any recommendation of any committee of the Board which is mandatorily required and hence no disclosure in this regard is required.

9. In terms of Schedule V of LODR Regulations, total fees for all services paid by the Bank to the statutory central auditor during FY 2018-19 is ₹ 3.39 Crore (including LFAR, Certification Fees, Tax Audit Fees, SRA Audit, etc.).

Code of Conduct and Ethics

The Bank's Board of Directors has adopted a Code of Conduct and Ethics for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, a declaration signed by the Managing Director & CEO about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of the Bank is given below:

DECLARATION BY MD & CEO

Pursuant to the provisions of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2018-19.

Sd/-
Rakesh Sharma
(DIN -06846594)
Managing Director & CEO
Date : May 30, 2019

Prevention of Insider Trading

In accordance with the requirements of amended Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 [PIT Regulations] applicable w.e.f. April 1, 2019, the Bank has formulated:

(i) A Code of Practices and Procedures for fair disclosure of Unpublished Price Sensitive Information [UPSI], in terms of Regulation 8 of PIT Regulations,

(ii) Policy for determination of legitimate purposes, in terms of Regulation 3(2A) of PIT Regulations, and

(iii) A Code of Conduct to regulate, monitor and report Trading by its Designated Persons which also includes policy on leakage of UPSI.

CEO/ CFO Certification

In terms of Regulation 17(8) of the LODR Regulations, the certification by MD & CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

Holding Company

Consequent upon acquisition of 51% controlling stake by LIC on January 21, 2019, LIC has become Promoter and the Bank is now the subsidiary of LIC.

Subsidiary Companies

As on March 31, 2019, the Bank had five subsidiaries, viz., IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Markets & Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Company Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries is a material non-listed subsidiary company as defined under Regulation 16 of LODR Regulations. In compliance of the requirements of Regulation 24 of the LODR Regulations,

the Bank's Audit Committee reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at the Bank's Board meetings.

Secretarial Audit

In terms of the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and Regulation 24A of LODR Regulations, M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries are acting as Secretarial Auditors of the Bank. The Secretarial Audit Report dated May 21, 2019 is annexed to this Report.

Document Handling and Retention Policy

In terms of Regulation 9 of SEBI LODR Regulations, the Bank has in place a Board-approved Document Handling and Retention Policy.

Means of Communication

Apart from providing detailed Annual Report on the Bank's working, consisting of the Board's Report as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 and Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders. These are published in one English language newspaper, viz., the Financial Express, having nation-wide circulation and in one regional language newspaper viz., Loksatta. The aforesaid information is also displayed on the Bank's website (www.idbibank.in), along with the official press release and presentations made to institutional investors and analysts.

The documents referred to, but not sent to the persons entitled to receive the notice of the Annual General Meeting will be made available for inspection of shareholders at the Bank's registered office during the working hours for 21 days before the date of the AGM.

General Shareholders' Information

General information relevant to shareholders and details of share price movement during April 1, 2018 – March 31, 2019 are provided in Table 6 and Table 7 respectively.

Table 6 : General Shareholders' Information

i.	Date, time and venue of AGM	August 20, 2019, Tuesday, 3.30 p.m., at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021
ii.	Financial Year	April 1, 2018 to March 31, 2019
iii.	E-voting period in terms of Regulation 44 of LODR Regulations and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014	E-voting period will commence on and from Thursday, August 15, 2019 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, August 19, 2019 (5:00 p.m. IST).
iv.	Book closure date	Wednesday, August 14, 2019 to Tuesday, August 20, 2019 (both days inclusive)
v.	Listing on Stock Exchanges and confirmation of payment of Annual listing fee	1. **BSE Ltd. (BSE)** **Address:** 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 2. **National Stock Exchange of India Ltd.** **Address:** (NSE) Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051 The payments of annual listing fee of BSE and NSE have been made on April 11, 2019 and April 27, 2019 respectively.
vi.	Stock code/ Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI
vii.	Registrar and Share Transfer Agents	Karvy Fintech Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Karvy Fintech Private Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032
viii.	Share Transfer system	Share Transfers are approved on weekly basis by an internal committee comprising of Executive Director / Chief General Manager.

ix.	Financial Calendar	April 1, 2018 to March 31, 2019 : 1) Results for the quarter ended June 30, 2018 were approved on August 14, 2018. 2) Results for the quarter/ half year ended September 30, 2018 were approved on November 14, 2018. 3) Results for the third quarter/ nine months period ended December 31, 2018 were approved on February 04, 2019. 4) Audited Results for the year ended March 31, 2019 were approved on May 30, 2019.
x.	Last date for receipt of proxy forms	Sunday, August 18, 2019 upto 3.30 p.m.
xi.	Board Meeting for considering the quarterly results	Within 45 days from the closure of respective quarter and within 60 days of the end of the financial year for annual audited results.
xii.	No. of shares and convertible instruments held by Non-Executive Directors	As on March 31, 2019, none of the Non-Executive Directors of the Bank held any equity shares of the Bank.
xiii.	Details of Debenture Trustee	1. **Axis Trustee Services Ltd.,** 2nd Floor, Axis House,Wadia International Centre, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400025. Telephone number : 022 – 62300429 E-mail ID of the Principal officer of the Trustee- rohit.jhamnani@axistrustee.com
		2. **SBICAP Trustee Services Ltd.,** Appejay house, 6th Floor,3 Dinshaw Wachha road, Churchgate, Mumbai-400020 Telephone number : 022 43025572 E-mail ID of the Principal officer of the Trustee - savitri.yadav@sbicaptrustee.com
		3. **Vistra ITCL (India) Ltd.,** (formerly IL&FS Trust Company Limited), The IL&FS Financial Centre, Plot C- 22, G Block, 7th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai 400051. Telephone number :022-26593455 E-mail ID of the Principal officer of the Trustee- Poojan.Baxi@vistra.com

IDBI Bank's scrip is actively traded at NSE and BSE. The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

Table 7 : IDBI Bank Ltd.'s Share Price Movement on the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) & BSE Ltd. (BSE) : April 2018 – March 2019 (₹)

	NSE		BSE			NSE		BSE	
Month	High	Low	High	Low	**Month**	High	Low	High	Low
April 2018	74.15	66.15	74.20	66.15	**Oct 2018**	59.70	54.10	59.70	54.00
May 2018	68.60	60.45	68.55	60.65	**Nov 2018**	61.20	59.15	61.25	59.10
June 2018	63.70	49.85	63.90	49.90	**Dec 2018**	62.00	59.40	62.05	59.50
July 2018	60.10	48.10	60.10	48.15	**Jan 2019**	64.65	53.60	64.70	53.65
Aug 2018	63.40	60.35	63.30	60.30	**Feb 2019**	52.75	41.65	52.80	41.70
Sept 2018	61.15	48.85	61.15	49.80	**Mar 2019**	46.65	41.95	46.65	41.95

Shareholding Pattern as on March 31, 2019

The details of shareholding in the Bank by major categories of shareholders and distribution schedule as at end-March 2019, is presented in Table 8 and Table 9 below:

Table 8 : Shareholding Pattern as at March 31, 2019

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Life Insurance Corporation of India (Promoter with Management control)	3945510389	51
Government of India (Co-promoter without Management control)	3594165335	46.46
Employees	758859	0.01
Public	122032350	1.58
Hindu Undivided Family	3965303	0.05
Bodies corporate	24548253	0.32
Institutions		
A) Banks	2452516	0.03
B) Foreign Institutional Investors	100	0.00
C) State Finance Corporations	0	0.00
D) Financial Institutions	350160	0.00
E) Mutual Funds	5425800	0.07
Societies	28960	0.00
Trusts	328613	0.00
Insurance Companies	12778869	0.17
NRI's	4887356	0.06
Directors, KMPs & Relatives		
(i) Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	2500	0
(ii) Shri K.P.Nair, DMD	320	0
(iii) Shri Ajay Sharma, CFO	120	0
NSDL (transit)	8333219	0.11
Foreign Portfolio Investors	7970709	0.10
NBFC	107932	0.00
IEPF	2647217	0.03
GRAND TOTAL	**7736294880**	**100.00**

Performance in comparison to broad-based indices such as BSE Sensex, etc.

The performance of IDBI Bank equity share relative to the BSE Sensitive Index (Sensex) during the period April 1, 2018 to March 31, 2019 is given in the following chart:

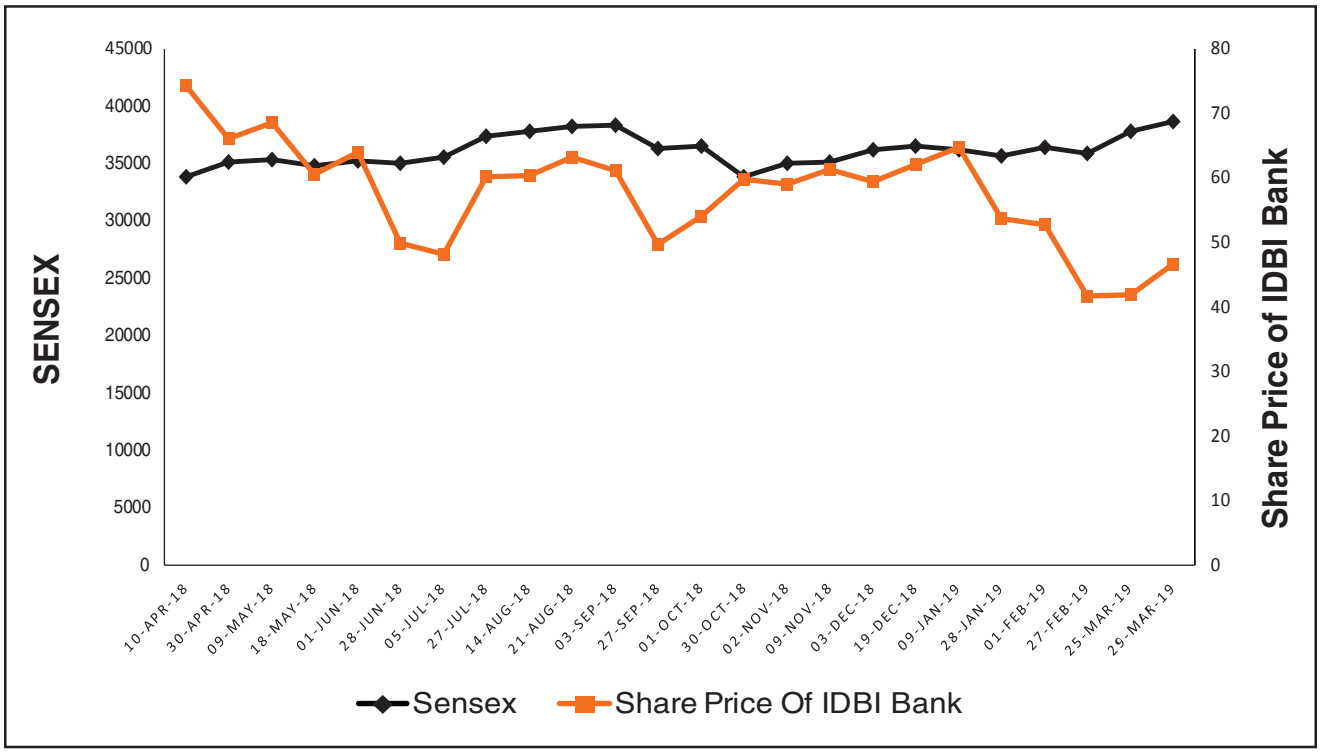

Table 9 : Distribution Schedule as at March 31, 2019

Sl. No.	Category		No. of share-holders	% to total share-holders	Amount (₹)	% to total Amount
	From	To				
1	1	5000	336432	89.43	488463650.00	0.63
2	5001	10000	22399	5.95	175987020.00	0.23
3	10001	20000	9748	2.59	146575690.00	0.19
4	20001	30000	2695	0.72	69306390.00	0.09
5	30001	40000	1283	0.34	46165980.00	0.06
6	40001	50000	1000	0.27	47653300.00	0.06
7	50001	100000	1477	0.39	109506830.00	0.14
8	100001 & above		1163	0.31	76279289940.00	98.60
Total			**376197**	**100.00**	**77362948800.00**	**100.00**

Share Transfer System & Redressal of Investor Grievances

To expedite the process of share transfers, an internal committee of Executive Director/ Chief General Manager has been set up to approve the Memorandum of Transfers (MoTs) on a weekly basis.

As on April 1, 2018, one investor grievance was pending for redressal and from April 1, 2018 to March 31, 2019, 7,224 investor grievances were received from shareholders/ investors by the Bank's Registrar & Transfer Agents. During the year, 7,223 grievances were redressed and 2 investor grievances were pending for redressal on March 31, 2019.

In respect of shares, no cases of transfers were pending on April 1, 2018. Between April 1, 2018 and March 31, 2019, 1,639 requests for transfer of shares were received by the Bank's Registrar & Transfer Agents. Of these, 1,639 requests for transfer of shares were processed and no requests were pending, as on March 31, 2019.

Disclosure with respect to Stakeholders' Relationship Committee

(a)	Name of Non-Executive director heading the Committee	Dr. Ashima Goyal, Independent Director
(b)	Name and designation of the Compliance Officer	Shri Pawan Agrawal, Company Secretary, is the Compliance Officer. He supervises the secretarial compliances of LODR Regulations and SEBI Regulations.
(c)	Number of shareholders' complaints received in financial year 2018-19	2,899
(d)	Number not solved to the satisfaction of shareholders	0
(e)	Number of pending complaints	1

Disclosures with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, the Bank reports the following details in respect of equity shares lying in the unclaimed suspense account:

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on April 01, 2018	4,807	8,56,554
(b)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Account during April 01, 2018 to March 31, 2019	25	5,100
(c)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Account during April 01, 2018 to March 31, 2019	25	5,100
(d)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on March 31, 2019	4,782	8,51,454
(e)	**The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.**		

Disclosures in respect of Investors Education and Protection Fund (IEPF)

(a) Details of the transfer/s to the IEPF made during the year :

Sl. No.	Description	Shares	Amount
(i)	Amount of unclaimed/ unpaid dividend and the corresponding shares	1380047	48634405.00
(ii)	Redemption amount of preference shares	NA	0
(iii)	Amount of matured deposits, for companies other than banking companies, along with interest accrued thereon	NA	0
(iv)	Amount of matured debentures along with interest accrued thereon	NA	280550424.00
(v)	Application money received for allotment of any securities and due for refund along with interest accrued	NA	0
(vi)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation	NA	0

(b) Details of the resultant benefits arising out of shares already transferred to the IEPF - 0

(c) Year-wise amount of unpaid/ unclaimed dividend lying in the unpaid account upto the Year and the corresponding shares, which are liable to be transferred to the IEPF, and the due dates for such transfer:

Sl. No.	Financial Year	Unpaid dividend	No. of shares	Due Date for transfer to IEPF
(i)	FY 2011-12 (Final)	14499077.48	9665896	13.10.2019
(ii)	FY 2012-13	31310430.00	8945122	11.10.2020
(iii)	FY 2013-14 (Interim)	8170705.00	11265337	19.02.2021
(iv)	FY 2013-14 (Final)	3272612.00	11880875	06.08.2021
(v)	FY 2014-15	8525142.00	11361958	18.09.2022

(d)	**The amount of donation, if any, given by the company to the IEPF**	0
(f)	**Such other amounts transferred to the IEPF, if any, during the year**	0

Table 10: Details of de-materialisation and address for correspondence

Dematerialisation of shares and liquidity

Nature of Holding	No. of shareholders	Shares	Percentage
Physical	46537	11453693	0.15
NSDL (Dematerialised)	214030	4082031059	52.76
CDSL (Dematerialised)	122399	3642810128	47.09
Total	**382966**	**7736294880**	**100.00**

Outstanding GDRs/ ADRs/ Warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank Ltd. has not issued GDRs/ ADRs/ Warrants, etc.
Plant Locations	Not applicable. However, information about locations of the Bank's branches is available on its website (www.idbibank.in).
Address for correspondence	**IDBI Bank Ltd.** CIN – L65190MH2004GOI148838 Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 22nd floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 Phone – (022) 66552779 / 2711 / 3147 / 3336 E-mail – idbiequity@idbi.co.in Website – www.idbibank.in **Registrar & Transfer Agents** Karvy Fintech Private Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Tel.No.(040) 33211500 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No.(040) 23420814 E-mail : einward.ris@karvy.com
	IDBI Capital Markets & Securities Ltd. 6th Floor, IDBI Tower , World Trade Centre Cuffe Parade , Mumbai 400 005 **IDBI Intech Ltd.** IDBI Building, Ground Floor, Plot No.39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614. **IDBI MF Trustee Company Ltd.** IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005. **IDBI Asset Management Ltd.** 4th Floor, IDBI Tower , World Trade Centre Cuffe Parade , Mumbai 400 005 **IDBI Trusteeship Services Ltd.** Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001.

Status of Compliance of Discretionary Requirements of Regulation 27

The Bank has complied with all the Mandatory requirements given under regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations and has been submitting quarterly/ half-yearly/ annual compliance report on Corporate Governance in the prescribed formats to the Stock Exchanges within the prescribed time-lines. As regards discretionary requirements given under Part E of Schedule II of the LODR Regulations, the status is as follows:

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status
1.	A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the Company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/ her duties	In terms of Article 116(1) (i) of the Articles of Association of the Bank, Shri M. R. Kumar, Chairman of LIC, has been appointed as Non-Executive Non-Whole Time Chairman of IDBI Bank Ltd. w.e.f. May 13, 2019. The Bank has provided Chairman's office in its Head Office at IDBI Tower, Cuffe Parade, Mumbai.
2.	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six months may be sent to each household of shareholders	Quarterly as well as half-yearly financial results are published in the newspapers as well as disseminated to the Stock Exchanges immediately after Board approval for information of Shareholders and other Stakeholders.
3.	Company may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank is constantly working in this direction.
4.	The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and MD & CEO	The Bank, now, has separate positions of a Non-Executive Non-Whole Time Chairman and a MD & CEO.
5.	The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal Auditor, Shri M. V. Phadke, Executive Director, reports directly to the ACB.

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH 2019

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400005.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by IDBI Bank Limited (hereinafter called 'the Company'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2019, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2019 according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings- Not Applicable as no reportable event during the year under review;

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act,1992 ('SEBI Act'):-

   a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

   c. Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as effective till 09th November, 2018 and Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as effective from 10th November, 2018;

   d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014- Not Applicable as the Company has not issued any shares/options to Directors/ Employees under the said Regulations during the period under review;

   e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

   f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations,1993 regarding the Companies Act and dealing with client - Not Applicable as the Company is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the financial year under review;

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 - Not applicable as the Company has not delisted/proposed to delist its equity shares from any stock exchange during the financial year under review; and

h. Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 as effective till 10th September, 2018 and Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 as effective from 11th September, 2018- Not applicable as the Company has not bought back/proposed to buy back any of its securities during the financial year under review;

vi. The management has identified and confirmed the following laws as applicable to the Company:

1. Bankers' Books Evidence Act, 1891;
2. Negotiable Instruments Act 1881
3. Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934;
4. Banking Regulation Act, 1949 & Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time to time);
5. The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985;
6. The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act,1993;
7. The Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002 and The Prevention of Money- Laundering (Maintenance of Records, etc) Rules, 2005;
8. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002;
9. The Payment And Settlement Systems Act, 2007;
10. Insolvency & Bankruptcy Code, 2016;
11. The Consumer Protection Act, 1986;
12. Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992; (Registeration surrendered on 03/08/18)
13. Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994.
14. Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1994
15. Applicable provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 and Rules, Regulations and notifications issued from time to time;
16. Reserve Bank of India (Amendment and Misc. Provisions) Act, 1953
17. Banking Ombudsman Scheme, 2006.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards with regard to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreements entered into with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations,Guidelines,Standards etc. mentioned above:

We further report that: -

- The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Directors and a Woman Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.
- Adequate notice is given to all Directors pertaining to the schedule of the Board/Committee Meetings and agenda & detailed notes on agenda were sent atleast seven days in advance except where consent of Directors was received for circulation of the notice, Agenda and notes on Agenda less than seven days before the meeting.

- A system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- All decisions of the Board and Committee meetings were carried unanimously.

We further report that based on a) review of the Compliance mechanism established by the Company b) Compliance Certificate(s) issued, by various officials authorised for the purpose, which were taken on record by the Board of Directors at their meeting(s) and c) communications received from Reserve Bank of India from time to time, we are of the opinion that the Company should continue its efforts to strengthen its systems and processes in the Company commensurate with the size and operations to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that: -

- the Company has informed that it has responded appropriately to notices received from various statutory/regulatory authorities including initiating actions for corrective measures, wherever found necessary;
- the Company has paid ₹ 20 Lac on 16th February, 2019 and ₹ 1 crore on 11th March, 2019 as penalties imposed by RBI for non-compliance with regulatory directions of RBI on KYC/Anti Money Laundering standards and for contravention of regulatory directions of RBI on Time bound implementation and strengthening of SWIFT related operational controls respectively.

During the audit period the following events/ actions having a major bearing on Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards referred to above have taken place:

The Company has,:

1. issued and allotted 109,73,26,649 equity shares on 25th May 2018 to Government of India (GOI) on Preferential basis;
2. issued and allotted 33,98,97,328 equity shares on 4th October, 2018; 238,76,17,322 equity shares on 28th December, 2018 and 82,75,90,885 equity shares on 21st January, 2019 to Life Insurance Corporation of India (LIC) on Preferential basis taking the aggregate shareholding of LIC in the Bank to 51% of the Bank's Equity share capital;
3. consequent upon acquisition of 51% Controlling stake by Life Insurance Corporation of India (LIC) with effect from 21st January, 2019,
   a. classified LIC as a Promoter of the Bank
   b. altered its Articles of Association to reflect the aforesaid change in control
   c. been classified as a Private Sector Bank by Reserve Bank of India
4. repaid and redeemed Debt securities aggregating to ₹ 4390 crore during the Financial Year under review;
5. been authorised by the Board of Directors at their meeting held on 19th March, 2019 to borrow upto ₹ 4000 crore in one or more tranches comprising Basel III Compliant Tier II Bonds and Senior Bonds (not more than ₹ 1000 crore) by way of private placement during Financial Year 2019-20.

The Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A hereto and forms an integral part of this report.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO.**
Company Secretaries
Firm Registration No. P1991MH040400

S.N. Ananthasubramanian
Partner
FCS 4206
C.P No. 1774

Date: 21st May, 2019
Place: Thane

ANNEXURE A

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN No L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400005.

Our Secretarial Audit Report of even date for the Financial Year 2018-19 is to be read along with this letter.

Management's Responsibility:

1. It is the responsibility of the management of the Company to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility:

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.

3. We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.

4. Wherever required, we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer:

5. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

6. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO.**
Company Secretaries
Firm Registration No. P1991MH040400

S.N. Ananthasubramanian
Partner
FCS 4206
C.P No. 1774

Date: 21st May, 2019
Place: Thane

CERTIFICATE BY A COMPANY SECRETARY IN PRACTICE

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C Clause (10)(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400005.

We have examined the following documents:

i) Declaration of non-disqualification as required under Section 164 of Companies Act, 2013 ('the Act');

ii) Disclosure of concern or interests as required under Section 184 of the Act; (hereinafter referred to as 'relevant documents')

as submitted by the Directors of IDBI Bank Limited ('the Company') bearing CIN:L65190MH2004GOI148838 and having its registered office at IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005, to the Board of Directors of the Company ('the Board') for the Financial Year 2019-20 and relevant registers, records, forms and returns maintained by the Company and as made available to us for the purpose of issuing this Certificate in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. We have considered non-disqualification to include non-debarment by Regulatory/ Statutory Authorities.

It is the responsibility of Directors to submit relevant documents with complete and accurate information in accordance with the provisions of the Act.

Based on our examination as aforesaid and such other verifications carried out by us as deemed necessary and adequate (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in), in our opinion and to the best of our information and knowledge and according to the explanations provided by the Company, its officers and authorized representatives, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company, as listed hereunder for the Financial Year ending 31st March 2019, have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies by Securities and Exchange Board of India/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Sr. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)
01	Mr. Rakesh Sharma	06846594
02	Mr. Krishna Prasad Nair	02611496
03	Mr. Gurudeo Madhukar Yadwadkar	01432796
04	Mr. Pankaj Jain	00675922
05	Mr. Sudhir Shyam	08135013
06	Mr. Rajesh Kandwal	02509203
07	Mr. Gyan Prakash Joshi	00603925
08	Dr. Ashima Goyal	00233635
09	Mr. Bhuwanchandra Balkrishna Joshi	06713850
10	Mr. Samaresh Parida	01853823
11	Mr. Jambunathan Narayanan	05126421
12	Mr. Deepak Singhal	08375146
13	Mr. Sanjay Gokuldas Kallapur	08377808

This Certificate has been issued at the request of the Company to make disclosure in its Corporate Governance Report of the Financial Year ended 31st March, 2019.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO.**
Company Secretaries
Firm Registration No. P1991MH040400

S.N. Ananthasubramanian
Partner
FCS 4206
C.P No. 1774

Date: 21st May, 2019
Place: Thane

वित्तीय विवरण
Financial Statements

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें यथा 31 मार्च 2019 के लिए तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं तथा इन सभी को एकल वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है और इनमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 21 भारतीय शाखाएं, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1198 भारतीय शाखाएँ, स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित एक विदेशी शाखा तथा 776 अलेखापरीक्षित भारतीय शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा सकल अग्रिम का 3.63%, जमाराशियां का 8.48%, ब्याज आय का 0.88% और ब्याज व्यय का 5.18% है. हमारे द्वारा लेखापरीक्षित और अन्य लेखापरीक्षकों के द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी उसी रूप में देते हैं जो बैंकिंग कंपनियों के लिए जरूरी है और यह भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2019 को तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसकी हानि तथा इसके नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं.

अभिमत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एसए) मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है. इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का और अधिक उल्लेख हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व भाग में किया गया है. हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इस आधार पर बनाए गए नियमों के तहत हमारी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है तथा हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक आचार सहिंता के अनुरूप अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है. हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

To

The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited (the Bank) which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2019, the Statement of Profit and Loss, the Statement of Cash Flows and notes to the financial statements, including the summary of significant accounting policies and other explanatory information, all together referred to as the Standalone Financial Statements in which are incorporated the returns of 21 Indian branches audited by us, 1198 Indian branches audited by other auditors, one foreign branch audited by a local auditor and 776 Indian unaudited branches. The unaudited branches account for 3.63 % of gross advances, 8.48 % of deposits, 0.88 % of interest income and 5.18 % of interest expenses. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs in case of the Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2019 and its loss, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मुद्दों का एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का जवाब
आस्थगित कर आस्ति की मान्यता और मापन	
बैंक ने यथा 31 मार्च 2019 को रु 19669,48,05 (हजार में) की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जिसमें वर्ष के दौरान रु 7710,87,08 (हजार में) की निवल आस्ति शामिल है. आस्थगित कर आस्ति के निर्धारण और मापन, वस्तुनिष्ठ अनुमान के अलावा भविष्य में लाभों की उपलब्धता और दृश्यता के संबंध में विविध निर्णयों और अनुमानों के आधार पर किए जाते हैं. आस्थगित कर आस्तियों की अभिनिर्धारित राशि में हाल ही में हुई वृद्धि से विस्तारित अवधि में लाभ की उपलब्धता की संभावना पूर्वानुमानित की गई है, जिससे अनिश्चितता और उक्त आस्ति में निहित अनुपयुक्त निर्धारण का जोखिम बढ़ा है.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में जोखिम मूल्यांकन शामिल था ताकि प्रयोज्य कर कानून और बैंक पर प्रयोज्य संबंधित विनियमों को समझा जा सके. हमने अपनी नियंत्रण परीक्षा के तहत निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूरी कीं: • एएस 22 'आय पर कर का लेखांकन' के अनुसार आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का मूल्यांकन; • लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से बैंक निदेशक मंडल द्वारा एकल वित्तीय विवरण स्वीकार करते समय नोट किए गए पूर्वानुमानों के संदर्भ में भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर सकेगा. • प्रयोज्य कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई पद्धति, पूर्वानुमानों व अन्य मापदंडों का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset	
The Bank has recognised a net deferred tax asset of Rs. 19669,48,05 (in '000) as on March 31, 2019, including net asset of Rs. 7710,87,08 (in '000) during the year. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future. The recent increase in the amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.	Our audit procedures included the risk assessment to gain an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including: • evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • assessed the probability of the availability of profits against which the bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Board of Directors while adopting the standalone financial statements. • assessed the method, assumptions and other parameters used by the Management in determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.

अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण	
कृपया गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तन के संबंध में आस्ति गुणवत्ता विषयक टिप्पणी सं. 18 (ए) (X) (1) एवं 18 (ए) (V) (2) तथा गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के संबंध में प्रावधानों और प्रकटनों का संदर्भ लें. अग्रिमों के साथ-साथ निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला है क्योंकि इसमें तात्विकता तथा बैंक की मौजूदा प्रक्रियाएँ निहित हैं जिनके लिए मानवीय हस्तक्षेप, प्रबंधन अनुमान एवं निर्णय आवश्यक है.	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है. इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं: • हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन कर उसे समझा है. • हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में मानवीय प्रक्रिया और मानवीय नियंत्रणों सहित प्रमुख आईटी प्रणालियों/ एप्लीकेशनों, उनकी डिज़ाइन और कार्यान्वयन तथा संबंधित नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है. • हम अभिलिखित राशि की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण की जांच करने के लिए अग्रिमों का परीक्षण करते हैं. हमने खातों के विवरण, हानि संकेतकों, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए हानि प्रावधानों तथा अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के अनुपालनों की जांच की है. हमने प्रबंधन निर्णय की पुरानी प्रवृत्तियों, अभिशासन प्रक्रिया और हानि प्रावधान गणनाओं के समीक्षात्मक नियंत्रण का मूल्यांकन किया तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन से प्रावधानों पर विमर्श किया.

Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms	
Please refer to Note nos. 18 (A) (X) (1) and 18 (A) (V) (2) relating to Asset Quality in respect of movement of Non Performing Assets (NPAs) and related provisions and disclosures with regard to Non Performing Investments (NPI) respectively. Compliance of relevant prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances as well as those pertaining to investments is a key audit matter due to materiality involved and the current processes at the Bank which requires manual interventions, management estimates and judgement.	Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular: • we have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments; • we have tested key IT systems/ applications used and their design and implementation as well as operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments; • we test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, indicators of impairment, impairment provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances; and evaluated the past trends of management judgement, governance process and review controls over impairment provision calculations and discussed the provisions made with the top and senior management of the Bank.

आईटी प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण	
बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि आईटी नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रेकॉर्ड्स के तात्विक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है. इसलिए उपयुक्त आईटी नियंत्रण अपेक्षित है ताकि आईटी एप्लिकेशन योजना के अनुसार कार्य करते रहें व उसमें किए जाने वाले परिवर्तनों पर उचित रूप से नियंत्रण रहे. इस प्रकार के नियंत्रण से आउटपुट डाटा के गलत होने का जोखिम न्यूनतम रहेगा. लेखापरीक्षा के परिणाम आईटी नियंत्रण व प्रणाली पर निर्भर करते हैं.	हमने बैंक की आईटी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए ही अपेक्षित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं व नमूना जांच को नियोजित, निर्मित और निष्पादित किया है. हमारी राय में हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ आईटी नियंत्रण की पर्याप्तता का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं. इस परिप्रेक्ष्य में हमने बैंक के आईटी परिवेश को समझने के लिए हमारे आईटी विशेषज्ञों को भी शामिल किया. इसके अलावा हमने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा तथा सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा संचालित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भी भरोसा किया है. हमने प्रमुख ऑटोमोटेड व मानवीय कारोबार चक्र नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा से संबंधित सिस्टम जनरेटेड रिपोर्टों के तर्क का परीक्षण भी किया है, साथ ही प्रतिकारी नियंत्रण का परीक्षण करने के अलावा वैकल्पिक प्रक्रियाएं भी अपनाई हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या किसी ऐसे आईटी जोखिम पर कार्रवाई तो नहीं छूट गई, जो वित्तीय विवरणपत्रों पर तात्विक प्रभाव डाले.

IT Systems and controls over financial reporting	
The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking and Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. Appropriate IT controls are required to ensure that the IT applications perform as planned and the changes made are properly controlled. Such controls contribute to risk mitigation of erroneous output data. The audit outcome is dependent on the extent of IT controls and systems.	We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank. The procedures adopted by us are, in our opinion, adequate to provide reasonable assurance on the adequacy of IT controls in place. Towards this end, we have involved our IT Specialists to obtain an understanding of Bank's related IT environment. In addition, we have also relied on IS audit conducted by internal audit department and also the audit of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants. We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements.

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल एकल वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध सहित (जिसे सामूहिक रूप से 'अन्य जानकारी' कहा जाता है) निदेशकों की रिपोर्ट शामिल हैं लेकिन इनमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III प्रकटन) के तहत पिलर III के प्रकटन शामिल नहीं है.

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं.

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है

Information Other Than Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of information other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon. The Other Information comprises the Management Discussion and Analysis, Directors' Report including Annexures to Directors' Report (collectively called as "Other Information") but does not include the Standalone Financial Statements and our auditor's report thereon and the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures).

Our opinion on the financial statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our

कि अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा अर्जित सूचना से तात्विक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती है.

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्विक विसंगति है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है. इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है.

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की वित्तीय विवरणों के लिए जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन तथा निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम की धारा 133 और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उसे कार्यान्वित करना तथा उसे बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली तथा धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक का प्रबंधन मंडल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

बैंक का प्रबंधन मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है.

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र एकल वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई मिथ्याकथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर

responsibility is to read the Other Information and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cashflows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Bank's Management is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements

होता है और इसे ठोस तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का कारण त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करना, लेखापरीक्षा प्रक्रियायों को इस तरह से डिजाइन करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त है.

- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना.

- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित तात्विक अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित है. तथापि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं.

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और

can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the

लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्याक्तियों को एक विवरणी भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधी और उन मामलों जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और जहां भी लागू हो, वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या एकदम विपरीत परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दिये जाने चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है.

अन्य मामले

क) हमने भारत में स्थित 1198 शाखाओं और एक विदेशी शाखा के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा नहीं की है जो बैंक के एकल वित्तीय विवरण में शामिल हैं तथा जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2019 को ₹ 100124,67,01 (हजार में) करोड़ की कुल आस्ति तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 8082,21,49 (हजार में) करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है. इन शाखाओं की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई जिसकी रिपोर्ट हमें भेजी गई और इस पर शाखा के संबंध में शामिल की गई राशि और प्रकटन से संबद्ध हमारी राय केवल उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

ख) 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा बैंक के संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की गई, जिसमें से एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म है और ऐसे वित्तीय विवरणों पर दिनांक 25 मई 2018 को गैर-आशोधित विचार प्रकट किए गए हैं.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के प्रावधानों तथा इस आधार पर बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.

audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

a) We did not audit the financial statements of 1198 Indian branches and one foreign branch included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of ₹ 100124,67,01 (in '000) as at 31st March 2019 and the total revenue of ₹ 8082,21,49 (in '000) for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

b) The Standalone financial statement of the Bank for the year ended March 31, 2018 were audited by joint auditors of the Bank, one of whom is the predecessor audit firm, and have expressed an unmodified opinion dated May 25, 2018 on such financial statements.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.

2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

   a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

ख) हमारे ध्यान में आए बैंक के लेन-देन, बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, जिसमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी शामिल है, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं.

3. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ उचित और और पर्याप्त विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं;

ग) बैंक की शाखाओं के लेखों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्टें हमारे पास प्रेषित की गई हैं और उन पर उचित रूप से विचार किया गया है;

घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

ङ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और उसके आधार पर बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

च) यथा 31 मार्च 2019 को निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

छ) बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध अ' में अलग रिपोर्ट देखें.

ज) हमारी राय और हमारी सर्वोतम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा इसके निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35बी (2ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V और धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है.

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

c. The returns received from the offices and branches of the Bank as supplemented with the information furnished by the management have been found adequate for the purpose of our audit.

3. Further, as required by section 143(3) of the Act, we report that:

a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of branches of the bank audited by other auditors have been forwarded to us and the same have been appropriately dealt with;

d) the Balance Sheet, and the Statement of Profit and Loss, dealt with by this report are in agreement with the books of account;

e) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and Rules made thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

f) On the basis of written representation received from the directors as on March 31, 2019 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors are disqualified as on March 31, 2019 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act 2013;

g) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";

h) in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of Section 197 and Schedule V of the Companies Act, 2013 read with Section 35B (2A) of the Banking Regulation Act, 1949;

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार;

i. बैंक ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का अवधार्य/अभिनिश्चेय सीमा तक प्रकटन किया है. - एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची 18(बी) (10) (सी) का संदर्भ लें.

ii. बैंक ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है - एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची 18(बी) (10) (बी) का संदर्भ लें.

iii. बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है. एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची 18(सी) (XIII) का संदर्भ लें.

i) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

i) The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements to the extent determinable/ ascertainable. – Refer Schedule 18 (B) (10) (C) to the standalone financial statements.

ii) The Bank has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts. Refer Schedule 18 (B) (10) (B) to the standalone financial statements.

iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank. Refer Schedule 18 (C) (XIII) to the standalone financial statements.

कृते **के. एस. अय्यर एंड कं.**
For **K. S. Aiyar & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

शांतनु घोष
Santanu Ghosh
साझेदार/ (स. सं. 050927) / Partner (M.No. 050927)

कृते **जे एल एन यू एस एंड कं.**
For **JLN US & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

कृते **एम. पी. चितले एंड कं.**
For **M. P. Chitale & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध अ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जोकि बैंक द्वारा स्थापित ''वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण'' मानदंड पर आधारित है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी किए गए मार्गदर्शी नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्त्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए हैं. इन जिम्मेदारियों में संबंधित कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय की अभिव्यक्ति है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (मानकों) के अनुसार की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. उन मानकों और मार्गदर्शन नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें ताकि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय विवरणों के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसे जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण रूपरेखा और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

Annexure A to the independent auditor's report of even date on the financial statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of IDBI Bank Limited ('the Bank') as at March 31, 2019 in conjunction with our audit of the financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over financial reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ('the Act').

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over financial reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing ('the Standards'), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है.

वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. बैंक के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;

(2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यवहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की ऐसी घटना हो सकती है जिनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आनेवाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारे अभिमत में बैंक को अचल आस्तियों के संदर्भ में मध्यवर्ती/ नियंत्रण लेखों के लिए उपयुक्त समीक्षा प्रक्रिया अपनाने के साथ-साथ ट्रेजरी, पे-रोल, एनपीए प्रावधानीकरण और अचल आस्तियों के क्षेत्र में एकल प्रणाली को एकीकृत करने की आवश्यकता है. इसको छोड़ कर, बैंक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय विवरणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय विवरण मानदंडों पर

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system with reference to financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to financial statements

A Bank's internal financial control with reference to financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. Bank's internal financial control with reference to financial statements includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to financial statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion the Bank needs to adopt a proper review process for intermediary/control accounts in respect of fixed assets and also integrate the standalone systems in the areas of Treasury, Payroll, NPA provisioning and fixed assets, except for this, the Bank has in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to financial statements and such internal financial controls with reference to financial statements were operating effectively as at March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal

स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2019 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

अन्य मामले

जहां तक वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत उपर्युक्त रिपोर्ट का प्रश्न है, यह शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में है और यह संबंधित शाखा के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है जो हमें भेजी गई थी तथा जिसका इस रिपोर्ट को तैयार करने में उचित तरीके से प्रयोग किया गया.

control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Financial Statements insofar as it relates to branches audited by the branch auditors is based on the report of the respective branch auditor which has been sent to us and has been properly dealt with by us in preparing this report.

कृते **के. एस. अय्यर एंड कं.**
For **K. S. Aiyar & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

शांतनु घोष
Santanu Ghosh
साझेदार/ (स. सं. 050927) / Partner (M.No. 050927)

कृते **जे एल एन यू एस एंड कं.**
For **JLN US & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

कृते **एम. पी. चितले एंड कं.**
For **M. P. Chitale & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

तुलन पत्र 31 मार्च 2019 को
Balance Sheet as at March 31, 2019

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	7736 29 49	3083 86 27
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	29875 40 29	18125 86 72
जमा राशियां / Deposits	3	227371 72 47	247931 61 11
उधार राशियां / Borrowings	4	45287 72 39	63185 52 72
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	10013 34 76	17758 85 46
कुल / TOTAL		**320284 49 40**	**350085 72 28**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	12730 46 84	13163 68 62
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	8503 23 11	20522 39 93
निवेश / Investments	8	93072 63 04	91606 06 41
अग्रिम / Advances	9	146790 43 79	171739 94 51
अचल आस्तियां / Fixed assets	10	8230 98 61	6770 98 45
अन्य आस्तियां / Other assets	11	50956 74 01	46282 64 36
कुल / TOTAL		**320284 49 40**	**350085 72 28**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	140854 28 65	198016 17 06
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		9634 77 33	9300 58 44
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 01853823)	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं. For K. S. Aiyar & Co.	कृते जेएलएन यूएस एंड कं. For JLN US & Co.	कृते एम. पी. चितले एंड कं. For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W
शांतनु घोष Santanu Ghosh	रमाप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal	आशुतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar
साझेदार/ (स. सं. 050927) / Partner (M.No. 050927)	साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)	साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2019

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
I	आय / INCOME			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	22071 23 69	23026 53 25
	अन्य आय / Other income	14	3300 29 72	7013 57 99
	कुल / TOTAL		**25371 53 41**	**30040 11 24**
II	व्यय / EXPENDITURE			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	16165 62 20	17386 20 83
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	5153 78 75	4744 68 76
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		19168 41 86	16147 13 61
	कुल / TOTAL		**40487 82 81**	**38278 03 20**
III	लाभ / PROFIT			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) Net Profit/ (Loss) for the year		(15116 29 40)	(8237 91 96)
	आगे ले जाया गया लाभ / (हानि) / Profit/ (Loss) brought forward		(17164 00 94)	(8492 39 25)
	कुल / TOTAL		**(32280 30 34)**	**(16730 31 21)**
IV	विनियोग / APPROPRIATIONS			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		-	-
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		232 62 28	978 29 73
	सांविधिक रिज़र्व से अंतरण / Transfer from Statutory Reserve		-	(544 60 00)
	प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		-	-
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई राशि Balance carried over to balance sheet		(32512 92 62)	(17164 00 94)
	कुल / TOTAL		**(32280 30 34)**	**(16730 31 21)**

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2019

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(अ)(6) 18(A)(6)		
मूल / Basic		(30.48)	(34.45)
न्यूनीकृत / Diluted		(30.48)	(34.45)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ - हानि लेखे के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account			

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 01853823)	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं. For K. S. Aiyar & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	कृते जेएलएन यूएस एंड कं. For JLN US & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W	कृते एम. पी. चितले एंड कं. For M. P. Chitale & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W
शांतनु घोष Santanu Ghosh साझेदार/ (स. सं. 050927) / Partner (M.No. 050927)	रमाप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)	आशुतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
अनुसूची 1 -पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 1500 00 00 000 (450 00 00 000) इक्विटी शेयर 1500 00 00 000 (450 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	15000 00 00	4500 00 00
	15000 00 00	**4500 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid up Capital**		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 773 62 94 880 (308 38 62 696) इक्विटी शेयर 773 62 94 880 (308 38 62 696) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (अनुसूची 18 सी 1 देखें) / (Refer Schedule 18 C 1)	7736 29 49	3083 86 27
कुल / TOTAL	**7736 29 49**	**3083 86 27**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	2474 74 70	3019 34 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	544 60 00
		2474 74 70	**2474 74 70**
II	**पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	2307 54 74	1329 25 01
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	232 62 28	978 29 73
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2540 17 02	**2307 54 74**
III	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी अ. 1 देखें) Opening balance (Refer Schedule 18 Note A.1)	5053 88 23	5417 74 94
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2013 11 62	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	339 30 70	363 86 71
		6727 69 15	**5053 88 23**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	18160 48 27	12301 53 03
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	24852 71 35	5858 95 24
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		43013 19 62	**18160 48 27**
V	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve**		
	(क/a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	5720 86 68	5356 99 97
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	पूनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरण Transferred from Revaluation Reserve	339 30 70	363 86 71
	लाभ-हानि लेखे से अंतरण Transferred from Profit and Loss Account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6060 17 38	**5720 86 68**
	(ख/b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व **Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग/c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व **Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
VI	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि** **Balance in Profit and Loss Account**	(32512 92 62)	(17164 00 94)
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**29875 40 29**	**18125 86 72**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूचियां 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS			
अ/A				
	I.	**मांग जमाराशियां / Demand Deposits**		
		(i) बैंकों से / From banks	9052 75 33	7851 29 27
		(ii) अन्य से / From others	26264 15 45	27125 69 61
			35316 90 78	**34976 98 88**
	II.	**बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits**	**61413 50 61**	**57125 10 23**
	III.	**मीयादी जमाराशियां / Term Deposits**		
		(i) बैंकों से / From banks	8388 08 45	13744 53 06
		(ii) अन्य से / From others	122253 22 63	142084 98 94
			130641 31 08	**155829 52 00**
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)		**227371 72 47**	**247931 61 11**
आ/B				
	(i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	227316 89 71	247037 62 61
	(ii)	भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	54 82 76	893 98 50
	कुल / TOTAL		**227371 72 47**	**247931 61 11**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS			
I.	**भारत में उधार राशियां / Borrowings in India**			
	(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	8996 00 00	11561 00 00
	(ii)	अन्य बैंक / Other banks	4771 44 72	-
	(iii)	टीयर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	1376 80 00	1708 80 00
	(iv)	अपर टीयर II बांड / Upper Tier II Bonds	3136 20 00	4286 20 00
	(v)	अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	6440 00 00	6530 00 00
	(vi)	बासेल III ओम्नी टीयर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	1900 00 00	1900 00 00
	(vii)	अन्य* / Others *	7027 02 81	18950 05 76
II.	**भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India**		11640 24 86	18249 46 96
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)		**45287 72 39**	**63185 52 72**

* ₹ 850 00 00 हजार (₹ 850 00 00 हजार) का बेमीयादी ऋण लिखत शामिल है जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं है.
Includes Perpetual Debt Instrument of ₹ 850 00 00 Thousand (₹ 850 00 00 Thousand) which does not qualify for CRAR.

* ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 13989 35 38 हजार (₹ 21107 83 25 हजार)
Secured borrowings included in I and II above are ₹ 13989 35 38 Thousand (₹ 21107 83 25 Thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I.	देय बिल / Bills Payable	1676 52 65	1557 79 15
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	77 11	77 08
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	947 96 78	1191 68 23
IV.	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)**		
	(क) (a) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	1886 01 53	1911 61 40
	(ख) (b) प्राप्त अग्रिम भुगतान Advance payments received	176 63 73	395 61 65
	(ग) (c) देय लाभांश तथा लाभांश कर Dividend and dividend tax payable	-	-
	(घ) (d) विविध लेनदार Sundry Creditors	133 81 36	295 02 49
	(ङ) (e) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर Service Tax/ TDS/ Other taxes payable	77 32 98	68 55 21
	(च) (f) विविध जमाराशियां Sundry Deposits	41 93 95	62 80 26
	(छ) (g) अन्य प्रावधान Other provisions	2906 02 19	2231 34 43
	(ज) (h) विविध* Miscellaneous*	2166 32 48	10043 65 56
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**10013 34 76**	**17758 85 46**

* भारत सरकार के लंबित शेयरों के आबंटन से प्राप्त शून्य हजार (₹ 7881 00 00 हजार) की शेयर आवेदन राशि सहित

* Includes Share Application Money of ₹ NIL Thousand (₹7881 00 00 Thousand) received from GoI pending allotment of Shares

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	2057 38 18	1495 88 57
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	10673 08 66	11667 80 05
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**12730 46 84**	**13163 68 62**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**		
I	**भारत में / In India**		
	(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
	(क) (a) चालू खातों में in Current Accounts	271 23 07	388 27 14
	(ख) (b) अन्य जमा खातों में in Other Deposit Accounts	424 99 00	281 13 00
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
	(क) (a) बैंकों के पास with banks	484 08 50	-
	(ख) (b) अन्य संस्थाओं के पास with other Institutions	7150 00 00	16750 00 00
		8330 30 57	**17419 40 14**
II	**भारत से बाहर / Outside India**		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	9 41 86	212 13 71
	(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	103 73 25	2796 00 75
	(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	59 77 43	94 85 33
		172 92 54	**3102 99 79**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**8503 23 11**	**20522 39 93**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS			
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां*/ Government Securities*	82554 99 94	82342 53 93
	(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii)	शेयर / Shares	1402 18 61	2164 77 87
	(iv)	डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	2954 44 67	3957 80 25
	(v)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or Joint Ventures	688 47 82	690 03 82
	(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs)	5146 08 25	1674 13 41
			92746 19 29	**90829 29 28**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	326 43 75	776 77 13
	(ii)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
	(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (shares)	-	-
			326 43 75	**776 77 13**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)		**93072 63 04**	**91606 06 41**
III	**भारत में निवेश / Investments in india**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		96400 68 63	95427 15 51
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation		3654 49 34	4597 86 23
	निवल निवेश / Net investments		92746 19 29	90829 29 28
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments outside india**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		328 33 13	781 45 37
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation		1 89 38	4 68 24
	निवल निवेश / Net investments		326 43 75	776 77 13

* गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 7881 00 00 हजार (₹ 7881 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों सहित

* Includes Special GOI Securities of ₹ 7881 00 00 Thousand (₹ 7881 00 00 Thousand) classified as Non-SLR HTM Securities

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
		अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
अ A				
	(i)	खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	1510 97 80	3617 35 78
	(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	40344 29 80	49450 36 06
	(iii)	मीयादी ऋण* / Term loans*	104935 16 19	118672 22 67
		कुल / TOTAL	**146790 43 79**	**171739 94 51**
आ B				
	(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत**/ Secured by tangible assets **	140017 73 02	162201 09 39
	(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित*** Covered by Bank / Government guarantees***	186 44 97	2544 27 99
	(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	6586 25 80	6994 57 13
		कुल / TOTAL	**146790 43 79**	**171739 94 51**
इ C				
I		**भारत में अग्रिम / Advances in India**		
	(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	66877 91 80	62995 61 05
	(ii)	सरकारी क्षेत्र / Public sector	925 94 32	12907 66 10
	(iii)	बैंक / Banks	475 33 69	1606 08 28
	(iv)	अन्य / Others	71707 11 84	81279 72 63
		कुल / TOTAL	**139986 31 65**	**158789 08 06**
II		**भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India**		
	(i)	बैंकों से प्राप्य / Due from banks	-	185 79 95
	(ii)	अन्य से प्राप्य : / Due from others:		
		(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	32 50 28	666 67 33
		(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	1526 46 89	3670 03 15
		(ग) अन्य (c) Others	5245 14 97	8428 36 02
		कुल / TOTAL	**6804 12 14**	**12950 86 45**
		कुल (इ I तथा इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**146790 43 79**	**171739 94 51**

* ₹ 1530 00 00 हजार (पिछले वर्ष आईबीपीसी की ₹ 242 00 00 हजार की बिक्री) की आईबीपीसी की खरीद शामिल है.
Includes Purchase of IBPC of ₹ 1530 00 00 Thousand (PY sale of IBPC of ₹ 242 00 00 Thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes advances against book debts

*** बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes advances against letter of credit issued by banks.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी आ.1 देखें)** **Premises (Refer Schedule 18 Note B.1)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At cost)	6332 54 45	6762 84 74
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	18 50 53	67 74 32
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	2013 11 62	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year*	303 45 48	498 04 61
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	915 43 17	792 30 10
		7145 27 95	**5540 24 35**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित)** **Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At cost)	2169 72 66	1996 49 97
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	94 11 75	203 57 80
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	258 17 02	30 35 11
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1387 58 18	1440 87 22
		618 09 21	**728 85 44**
III	**पट्टे पर दी गयी आस्तियां/ Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non-Performing Assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	467 61 45	501 88 66
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**8230 98 61**	**6770 98 45**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	5 74
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2479 41 67	2557 48 87
III	अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance / tax deducted at source (net)	5024 26 67	4088 18 52
IV	लेखन सामग्री और स्टाम्प / Stationery and stamps	14 52	20 21
V	दावों की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर)* Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (At cost)*	791 98 93	791 98 93
VI	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर आस्ति (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	19669 48 05	11958 60 97
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares / Bonds Pending allotment	-	307 27 94
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	195 40 23	200 07 48
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	434 46 30	1363 00 16
	(ङ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय / संवितरण (e) Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	135 26 38	129 07 08
	(च) विविध * (f) Miscellaneous *	22226 31 26	24886 68 46
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**50956 74 01**	**46282 64 36**

* प्रावधान की निवल बकाया राशि ₹ 78 38 93 हजार (₹ 791 98 93 हजार)

* Amount outstanding net of provisions is ₹ 78 38 93 Thousand (₹ 791 98 93Thousand)

* प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 21537 83 75 हजार (₹ 24525 38 17 हजार) का निवेश शामिल हैं.

* Includes Investment in Priority Sector ₹ 21537 83 75 thousand (₹ 24525 38 17 thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**		
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	169 46 89	156 02 81
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	55635 82 89	91355 62 29
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) -भारत में (a) -in India	41744 55 71	50384 33 78
	(ख) -भारत से बाहर (b) -outside India	728 12 82	899 72 96
IV	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	13324 95 51	18551 25 92
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	23278 28 64	30085 29 18
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative contracts	1514 26 51	4738 17 56
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	4302 34 82	1730 44 46
VIII	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	156 44 86	115 28 10
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**140854 28 65**	**198016 17 06**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा / Interest / discount on advances / bills	14380 90 30	15693 55 26
II	निवेशों से आय / Income on investments	6443 21 51	5899 22 60
III	रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	189 36 50	232 84 40
IV	अन्य / Others	1057 75 38	1200 90 99
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**22071 23 69**	**23026 53 25**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
	अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1981 68 04	2072 21 53
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of investments (net)	336 13 40	3931 89 78
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on revaluation of investments (net)	-	-
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(72 56 72)	516 68 08
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	312 62 97	156 61 76
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	1 65 00	28 06 08
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	467 78 79	219 24 01
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	272 98 24	88 86 75
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**3300 29 72**	**7013 57 99**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
	अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	12525 74 12	13182 93 49
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / inter-bank borrowings	664 59 41	399 33 15
III	अन्य / Others	2975 28 67	3803 94 19
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**16165 62 20**	**17386 20 83**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	2191 19 96	1781 07 96
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	424 59 70	445 04 84
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	45 15 10	43 30 86
IV	विज्ञापन और प्रचार/ Advertisement and publicity	11 13 66	7 60 35
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on the Bank's property	366 44 06	372 73 05
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's fees, allowances and expenses	31 77	69 02
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	29 15 15	14 68 43
VIII	विधि प्रभार / Law charges	20 10 75	15 82 40
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	84 34 24	89 85 85
X	मरम्मत और रख-रखाव / Repairs and maintenance	85 41 11	80 21 23
XI	बीमा / Insurance	208 65 21	217 78 33
XII	अन्य / Others		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	84 51 81	67 50 94
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	438 93 13	360 21 74
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	33 19 50	7 93 62
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	4 66 48	3 93 57
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	633 97 11	708 53 81
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	81 84 53	84 32 11

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
(छ) स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	11 64 49	13 49 73
(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	27 02 16	22 31 24
(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	6 44 78	6 68 43
(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	2 07 40	7 03 84
(ट) अन्य व्यय (k) Other expenditure	362 96 65	393 87 41
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**5153 78 75**	**4744 68 76**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार/ Basis of Preparation

वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत बनाए नियमों के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों (एएस), अधिनियम के प्रावधानों (अधिसूचित सीमा तक) और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतया प्रचलित पद्धतियों के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय विधि, सिवाय कि जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, और परम्परागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है.

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, confirm to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rules made there under, provisions of the Act (to the extent notified) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. अनुमानों का उपयोग/ Use of Estimates

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान व धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान और धारणाएं तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं. तथापि वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3 राजस्व निर्धारण/ Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंकों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकेगा.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामले में जहां इसे रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है.
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र (एलसी) /बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/ बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होती है.
Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. अनर्जक अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.
In case of Non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the bank.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. अग्रिम व प्रावधान / Advances and Provisions

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं और प्रबंधन द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिये किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का कम से कम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.
Advances are classified as 'Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/ created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as 'Tangible Assets.'

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति के संदर्भ में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ-हानि लेखे में आय के रूप में लिया जाता है.
Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Profit and Loss account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.
The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित/पुनर्निधारित ऋणों और अग्रिमों पर प्रावधान बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से पिछले वर्षों में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण बफर बनाया है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमाओं और परिस्थितियों के भीतर उपयोग किया जा सकता है.
The Bank had made countercyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, in earlier years, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

5 निवेश/ Investments

अ. वर्गीकरण
A. Classification

निवेश वर्गीकरण व मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:
In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as

i. परिपक्वता तक धारित,
Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा
Available For Sale and

iii. ट्रेडिंग के लिए धारित
Held For Trading.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है.
Investments under each category are further classified as

i. सरकारी प्रतिभूतियां
Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
Other Approved Securities

iii. शेयर
Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड
Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार
B. Basis of Classification

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
b) Investments that are held principally for sale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'ट्रेडिंग लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली और मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है. सहयोगी कंपनियों में निवेश का वर्गीकरण इसके अधिग्रहण के समय किया जाता है.
e) Investments in subsidiaries and joint venture are classified as 'Held To Maturity'. The classification of investments in associates is done at the time of its acquisition.

इ. मूल्यांकन
C. Valuation

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में
In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से अधिगृहीत इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments under this category is provided for each investment individually.

iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.

Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

क) बट्टाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों तथा वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,

ख) ट्रेड/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर तथा अनुद्धृत / ट्रेड न की गई सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फाइनेंशियल बैंचमार्क इंडिया लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर किया जाता है.

c) The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Financial Benchmark India Pvt Ltd(FBIL).

घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा रु. 1 प्रति कंपनी आधार पर निकाला जाता है और म्यूचुअल फंड के यूनिटों का मूल्य रिज़र्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है.

d) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at Re. 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.

ङ) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर व वाईटीएम दरों को भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों पर लागू किया जाता है.

e) The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL.

च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.

छ) उद्धृत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / ट्रेड न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता उपयुक्त प्रतिलाभ आधार मूल्यांकित किया जाता है.

g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है, उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है.
Investments are shown net of provisions.

ई. रेपो व रिवर्स रेपो लेन-देन
D. Repo and reverse repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः उधार लेने व उधार देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

6 डेरिवेटिव लेन-देन/ Derivative Transactions

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में:
In Transactions designated as 'Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन-देनों पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.

b) On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:
In Transactions designated as 'Trading':

'ट्रेडिंग' के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंडों में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन्स और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माहांत निपटान की तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित किया जाता है.
Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

7 अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets and depreciation

i) अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर लिया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि के रूप में उल्लिखित किया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii) आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iii) पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

iv) अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

v) पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

vi) ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than Rs. 5000/- are fully depreciated in the year of addition.

vii) गोचर आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित रूप में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान विनिधानित किया जाता है. उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate useful lives of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimate of useful life / remaining useful life.

viii) वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए लगाया जाता है.
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held.

ix) अचल आस्तियों के लिए उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:
The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति/ Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
स्वयं के स्वामित्व वाले परिसर/ Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स/ Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन/ Motor vehicles	8
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन/ Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण/ VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर एवं फिक्सचर a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर a) Personal Computers	3

x) पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease.

xi) ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को 6 वर्ष की अवधि तक इसके उपयोगी जीवनकाल पर पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है.
Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 Lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

8 प्रतिभूतीकरण लेन-देन/ Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक, बिक्री के समय ही होने वाली हानि को हिसाब में लेता है और बिक्री के परिणामस्वरूप हुए लाभ/प्रीमियम को उस एसपीवी द्वारा, जिसे आस्तियां बेची गई हैं, जारी की जाने वाली अथवा जारी की गई प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.
Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

9 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री
Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है.
Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

आस्तियों की बिक्री, जिसके लिए पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है अर्थात् संदिग्ध आस्तियां- 3 तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की गणना बैंक की निवेश बही में एक रुपये मान कर की जाती है.
In case of sale of assets which are fully provided i.e. Doubtful Assets-3 and Technical Write Off cases, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् धारित प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य) से कम मूल्य पर है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे किया जाता है. एनपीए की बिक्री में कोई कमी होने पर अर्थात् बिक्री एनबीवी से कम मूल्य पर होने की स्थिति में बैंक उस कमी को पूरी करने के लिए प्रतिचक्रीय/ अस्थिर प्रावधान भी कर सकते हैं.
In case the sale value is at a price below the Net Book Value(NBV) (i.e., book value less provison held), the shortfall should be debited to the profit and loss account of that year. Banks can also use countercyclical/floating provisions for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से उच्चतर मूल्य पर है तो आधिक्य प्रावधान को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जाता है जिसमें नकद राशि प्राप्त हुई हो. तथापि आधिक्य प्रावधान का प्रतिवर्तन प्राप्त नकदी के आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक होने की सीमा तक सीमित रहेगा.
In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

10 विदेशी मुद्रा लेन-देन/ Foreign Currency Transactions:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख की प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.
Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.
Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का फेडाई की बंद दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.

Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेश स्थित शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. आय और व्यय मदें तिमाही औसत दरों पर रूपांतरित की जाती हैं. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as 'Integral Foreign Operations.' Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

11 कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान, जब अंशदान देय हैं, को वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जिसमें वे घटित होते हैं.

For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

12 खंड रिपोर्टिंग/ Segment Reporting

बैंक तीन खंडों अर्थात् होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण लेखा मानक-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जो आस्तियां एवं देयताएं पहचान योग्य खंडों में विनिधानीत नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अविनिधानीत आस्तियों व देयताओं के रूप में समूहित किया गया है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

13 आय कर / Income Tax

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.
Tax expense comprises of current and deferred tax.
चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार परिकलित अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है.
Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के लिए बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उनकी भविष्य में वसूली की उचित निश्चितता हो.
Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित मूल्यह्रास/ हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी हिसाब में ली जाती हैं जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.
Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.
Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

v. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेएए के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के संबंध में कर क्रेडिट का निर्धारण किया जाता है, जो इस बात पर कि कंपनी सांविधिक समय सीमा के भीतर सामान्य आयकर के रूप में भुगतान करेगी, के ठोस साक्ष्य आधार पर किया जाता है तथा इसकी समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर की जाती है.
Tax credit is recognized in respect of Minimum Alternate Tax (MAT) as per the provisions of Section 115JAA of the Income tax Act, 1961 based on convincing evidence that the Company will pay normal income tax within the statutory time frame and is reviewed at each balance sheet date.

14 प्रति शेयर उपार्जन / Earnings Per Share

i. बैंक लेखामानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.
The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding at the year end.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाता है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

15 आस्तियों का ह्रासित होना/ Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-लागत वसूलीयोग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों के ह्रासित होने की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से कर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां ह्रासित मानी गई हों तो उस ह्रास को उस आस्ति की रखाव लागत से उसके अनुमानित वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. लेखा मानक 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब बैंक यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त दायित्व के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 18 - लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO ACCOUNTS

अ रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन
A DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

I. पूंजी / Capital

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	बासेल III के अनुसार As per Basel III	
		यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019	यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018
1	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात (%) + सीसीबी Common Equity Tier I capital ratio (%)+CCB	8.91%	7.42%
2	सीआरएआर- टीयर I पूंजी (%) CRAR - Tier I Capital (%)	9.13%	7.73%
3	सीआरएआर - टीयर 2 पूंजी (%) CRAR - Tier II Capital (%)	2.45%	2.68%
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) Total Capital ratio (CRAR) (%)	11.58%	10.41%
5	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	46.46%	80.96%
6	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि** Amount of equity capital raised**	21624	4984
7	भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि # Amount of share application money received from GoI #	0.00	7881
8	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर I पूंजी की राशि; जिसमें से - Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which		
	पीएनसीपीएस : PNCPS:	0.00	0.00
	पीडीआई : PDI:	0.00	0.00
9	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि ; Amount of Tier 2 capital raised;		
	जिसमें से / of which		
	ऋण पूंजी लिखत: / Debt capital instrument:	0.00	0.00
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत: [स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / मोचन-योग्य गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)] /Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	0.00	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

भारत सरकार ने दिनांक 28 मार्च 2018 को बांड के पुनः पूंजीकरण के माध्यम से ₹ 7881 का निवेश किया तथा इसका आबंटन न होने से इसे दिनांक 31 मार्च 2018 के अनुसार 'इक्विटी शेयर आवेदन राशि' के रूप में दर्शाया गया. आरबीआई के दिनांक 23 अप्रैल 2018 के पत्र के आधार पर, बैंक ने 'इक्विटी शेयर आवेदन धनराशि' को यथा 31 मार्च 2018 को सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी 1) पूंजी मान लिया है.

Government of India infused ₹ 7881 crore on March 28, 2018 through Recapitalization Bonds and the same has not been allotted and shown as 'Equity Share Application Money' as at March 31, 2018. On the basis of RBI letter dated April 23, 2018, the Bank has considered such 'Equity Share Application Money' as a part of Common Equity Tier 1 (CET1) Capital as at March 31, 2018.

** ₹ 3555 करोड़ की शेयर पूंजी (₹ 778 करोड़) और ₹ 18069 करोड़ का शेयर प्रीमियम (₹ 4206 करोड़) शामिल

आरबीआई ने दिनांक 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015/16 के द्वारा सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए पूनर्मूल्यांकन रिजर्व /डीटीए के विचारार्थ बैंकों को विवेकाधिकार दिया है. बैंक ने उपर्युक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है.

** Includes Share Capital of ₹ 3555 crore (₹ 778 crore) and Share Premium of ₹ 18069 crore (₹4206 crore)

RBI vide circular no DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015/16 dated 1st March,2016 has given discretion to banks to consider Revaluation reserve / DTA for purpose of computation of capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The bank has exercised the option in the above computation.

II. निवेश / Investments

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें/Items	यथा 31 मार्च 2019 को As at March 31, 2019	यथा 31 मार्च 2018 को As at March 31, 2018
(1)	निवेश का मूल्य / Value of Investments		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य / Gross Value of Investments		
	(क) भारत में (a) In India	96400.69	95427.16
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	328.33	781.45
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provisions for Depreciation		-
	(क) भारत में (a) In India	3654.49	4597.86
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	1.89	4.68
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य / Net Value of Investments		
	(क) भारत में (a) In India	92746.19	90829.29
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	326.44	776.77

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें/Items		यथा 31 मार्च 2019 को As at March 31, 2019	यथा 31 मार्च 2018 को As at March 31, 2018
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में घट - बढ़ Movement of provisions held towards depreciation on investments			
	(i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	4602.54	2782.07
	(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान Add: Provisions made during the year	3802.64	2300.34
	(iii)	घटायें : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित किये गये आधिक्य प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	4748.79	479.87
	(iv)	अंतिम शेष / Closing balance	3656.39	4602.54

III आरबीआई ने दिनांक 2 अप्रैल 2018 और 15 जून 2018 के अपने परिपत्र द्वारा 31 दिसंबर 2017, 31 मार्च 2018 और 30 जून 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एएफ़एस और एचएफ़टी श्रेणियों में निवेश पर हानियों को बाजार भाव पर दर्शाने के लिए हानि वहन की जाने वाली तिमाही से आरंभ कर चार बराबर तिमाहियों में प्रावधान स्प्रेड करने के एक विकल्प की अनुमति बैंकों को दी है. बैंकों ने हानियों को बाजार भाव पर दर्शाने संबंधी स्प्रेडिंग का लाभ उठाया है और यथा दिनांक 31.03.2018 को 383.63 करोड़ रुपये परिशोधित किए गए. उक्त राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त स्प्रेडिंग लाभ के साथ वर्तमान वर्ष के दौरान पूरी तरह परिशोधित की गई है तथा यथा 31 मार्च 2019 को बाज़ार भाव पर और कोई अपरिशोधित हानि नहीं है. निवेश उत्तर-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफ़आर): चालू वित्तीय वर्ष के लिए नये हानियों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने आईएफ़आर सृजित नहीं किया है.

III. RBI vide its circular dated April 2, 2018 and June 15, 2018 permitted banks an option to spread provisioning for Mark to Market (MTM) losses on investments in AFS and HFT categories for the quarters ended December 31, 2017, March 31, 2018 and June 30, 2018 equally over the four quarters commencing with the quarter in which losses were incurred. The Bank has availed the benefit of spreading of MTM losses and an amount of ₹ 383.63 crore was unamortised as on 31.03.2018. the said amount along with spreading benefits availed during FY 2018-19 has been amortised fully during the current year and there are no further unamortised MTM losses as on march 31, 2019. Investment Fluctuation Reserve (IFR) : In view of the losses for the current FY 2018-19, the bank has not created IFR.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

IV. रेपो लेन-देन / Repo Transactions

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under repo (Face Value)				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	10.00	18232.92	5984.83	9056.81
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under reverse repo (Face Value)				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	5.00	16691.62	1344.24	6910.11
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

V. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो
Non-SLR Investment Portfolio

1. गैर एसएलआर निवेशों के मामले में निर्गमकर्ता संरचना
Issuer composition of Non-SLR investments

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of 'below investment grade' securities #	'बिना-रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unrated' securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	9349.52	285.10	150.00	7930.11	179.28
2	वित्तीय संस्थाएं FIs	195.98	96.32	12.50	31.26	31.26

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of 'below investment grade' securities #	'बिना-रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unrated' securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
3	बैंक Banks	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4	निजी कॉरपोरेट Private Corporates	5821.01	2899.05	2114.98	3094.35	3514.61
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ JV	676.54	665.77	0.00	676.54	676.54
6	अन्य* / Others*	8384.07	0.00	0.00	3051.73	4400.50
	सकल कुल Gross Total	**24604.05**	**3946.23**	**2277.48**	**14784.00**	**8802.20**
7	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान Prov held towards Dep..	3153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल कुल / NET Total	**21450.36**	**3946.23**	**2277.48**	**14784.00**	**8802.20**

*अन्य में पीटीसी, वीसीएफ़, सीपी/सीडी, म्यूचुअल फंड आदि शामिल.
*Others include PTC, VCF, CP/CD, Mutual Fund, etc.

नोटः इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियां नहीं माना गया है.
Note – Investment in Equities are not treated as unrated securities

इक्विटी/ अधिमान्य शेयरों तथा राज्य स्तरीय बांडों में एनपीआई निवेश को निवेश ग्रेड से नीचे माना गया है.
NPI Investments in equity/preference shares and state level bonds have been considered as below investment grade.

2 अनर्जक गैर - एसएलआर निवेश
Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
प्रारंभिक शेष / Opening balance	**2 574.83**	**1 517.20**
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	682.86	1 161.31
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year*	1 995.53	103.68
अंतिम शेष / Closing balance	**1 262.16**	**2 574.83**
एनपीआई के तहत धारित कुल प्रावधान/ Total provisions held toward NPI	**1 013.65**	**1 942.67**

* ₹ 1745.69 करोड़ के अवलेखित निवेश (₹ शून्य) और ₹ 249.84 करोड़ के उन्मोचित, बिक्री और निपटान निवेश (₹ 103.68 करोड़) सहित
*Includes Investment write down of ₹1745.69 cr (₹ Nil) and Investment Redemption, Sale and Settlement of ₹.249.84 cr (₹103.68 cr)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VI. प्रतिभूतियों का परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/को विक्रय व अंतरण

Sales and transfers of securities to/from Held to Maturity (HTM) category

क. 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान परिपक्वता तक धारित एचटीएम श्रेणी से/को की गई बिक्री का मूल्य (लेखा वर्ष के प्रारंभ में बैंकों को अनुमत निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों के एकबारीय अंतरण और पूर्व घोषित खुला बाजार परिचालन नीलामियों के तहत रिज़र्व बैंक को की गई बिक्री तथा एचटीएम से प्रतिभूतियों के अंतरण को छोड़कर) वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है. यह एसएलआर आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के संबंध में है.

a. During the year ended March 31, 2019, the value of sales and transfers of securities to/from HTM category (excluding onetime transfer to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year and sale to RBI under pre-announced Open Market Operation (OMO) auctions) has not exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year. The same is in regard to RBI extant guidelines for compliance with SLR requirements.

ख. वर्तमान वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों में उतार-चढ़ाव की स्थिति निम्नानुसार है :

b. The movement of Investments held in HTM Category during the current year is as under:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिभूतियों का अंतरण Shifting of securities during FY 2018-19	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
एचटीएम से एएफ़एस / From HTM to AFS	7649.52
एचटीएम से एचएफ़टी / From HTM to HFT	शून्य / Nil
एएफ़एस से एचटीएम / From AFS to HTM	2922.05
कुल / Total	**10571.57**

एचटीएम श्रेणी से ओएमओ बिक्री (रिज़र्व बैंक द्वारा पुन: खरीद) OMO sale from HTM category – (Repurchase by RBI)	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
19.09.2018	388.85
27.09.2018	18.32
11.10.2018	5.01
25.10.2018	45.13
01.11.2018	54.28
06.11.2018	58.29
15.11.2018	47.69
22.11.2018	42.04
29.11.2018	57.90
06.12.2018	100.55
20.12.2018	555.36
03.01.2019	802.56
17.01.2019	301.56
31.01.2019	778.65
14.02.2019	1789.64
21.02.2019	429.14
28.02.2019	1026.00
कुल / Total	6500.97

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री Sale of security from HTM category	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
अगस्त 2018/ August 2018	1.56
अक्तूबर 2018/ October 2018	102.54
नवंबर 2018 / November 2018	325.21
दिसंबर 2018/ December 2018	1149.99
जनवरी 2019 / January 2019	423.57
फरवरी 2019 / February 2019	116.08
मार्च 2019 / March 2019	637.56
कुल / Total	**2756.51**

यथा 31.03.2019 को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत स्टॉक निम्नानुसार है:
The stock under HTM category as on 31.03.2019 is as under :

	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book Value (₹ in crore)	बाजार मूल्य (₹ करोड़ में) Market value (₹ in crore)	मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास (₹ करोड़ में) Appreciation / Depreciation (₹ in crore)
केंद्र सरकार (सीजी) प्रतिभूति / CGovsec	33161.22	32752.39	(408.83)
राज्य सरकार (एसजी) प्रतिभूति / SGovsec	10306.40	10575.59	269.19
एसएएसएफ / SASF	3051.73	3051.73	0
विशिष्ट गैर- अंतरणीय जीओआई बांड Special Non Transferrable GOI bonds	7881.00	7881.00	0
इक्विटी / Equity	**688.48**	**1044.28**	**355.80**
जोखिम पूंजी / Venture Capital	25.66	25.66	0
कुल / Total	**55114.49**	**55330.64**	**216.15**

VII. एसजीएल बाऊंसिंग की घटना पर प्रकटन / Disclosure on instance of SGL bouncing

समाप्त वर्ष / Year	एसजीएल बाऊंसिंग की तारीख से Date of bouncing SGL form	एसजीएल बाऊंसिंग की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Bouncing of SGL (₹ in crore)	टिप्पणी / Remarks
2018-19 (वर्तमान वर्ष) 2018-19 (Current year)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2017-18 (पिछले वर्ष) 2017-18 (Previous year)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VIII. डेरिवेटिव / Derivatives

1 वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap*

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019		यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	4840.85	12172.59	8298.95	15217.07
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टी अपने दायित्व के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	0.00	97.35	0.00	97.75
(iii)	स्वैप निष्पादित करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the Bank upon entering into swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेद्रण (नीचे (क) देखें) Concentration of credit risk arising from the swaps (refer (a) below)	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	(82.58)	(5.70)	(130.97)	(2.87)

* इसमें समुद्रपारीय शाखा के आंकड़े भी शामिल हैं
* Includes overseas branches

क. 31 मार्च 2019 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक के लिए वर्तमान ऋण एक्सपोजर) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण एक्सपोजर का 100% (100%) है.

a. Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2019 is at 100% (100%) of the total current exposure from Corporate Clients to the Bank.

ख. यथा 31 मार्च 2019 को स्वैप का स्वरूप और शर्तें निम्नानुसार हैं:

b. The nature and terms of the Swap as on March 31, 2019 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या No.	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	147	4319.96	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	149	4022.67	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	5	125.00	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

स्वरूप Nature	संख्या No.	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	4	100.00	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	2	1788.81	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	2	1788.81	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	12.06	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	15.28	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
हेज (डीआईएफसी) Hedge (DIFC)	4	4840.85	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

यथा 31 मार्च 2018 को स्वैप का स्वरूप और शर्तें निम्नानुसार हैं:
The nature and terms of the Swaps as on March 31, 2018 are set out below :

स्वरूप Nature	संख्या No.	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	172	4779.20	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	189	5147.00	मिबोर- ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	13	425.00	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	11	275.00	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	3	2257.23	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	3	2257.23	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	34.83	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	41.58	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
हेज (डीआईएफसी) Hedge (DIFC)	8	8298.95	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. एक्सचेंज में ट्रेड किए गये ब्याज दर डेरिवेटिव
Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No	विवरण Particulars	कुल TOTAL
(i)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise) ending 31.03.2019	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	7,717.57
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	12.88
	ग) विकल्प c) Options	0.00
(ii)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की यथा 31 मार्च 2019 को आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31,2019 (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	555.60
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00
	ग) विकल्प c) Options	0.00
(iii)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	0.00
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00
	ग) विकल्प c) Options	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No	विवरण Particulars	कुल TOTAL
(iv)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य (लिखत वार) Mark-to market value of exchange traded interest derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	0.00
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00
	ग) विकल्प c) Options	0.00

3. **डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - गुणात्मक प्रकटन**
Disclosures on risk exposure in derivatives- Qualitative disclosures

(i) बैंक अपनी तुलन पत्र मदों के हेजिंग के साथ ही, ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरेवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं.
The Bank uses derivatives for Hedging its own balance sheet items as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc.

(ii) बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रमुख मुख्य महा प्रबंधक हैं तथा जिन्हें मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है. जोखिम प्रबंध ग्रुप, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनायमक दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत जोखिम का प्रबंध किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है.
The Bank has a well defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organization, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by a Chief General Manager designated also as Chief Risk Officer. The Risk Management Group is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of Asset Liability Management Committee with regular reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(iii) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरेवेटिव लेन-देनों में ऋण जोखिम का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरेवेटिव क्रय-विक्रय करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम, अनुमोदित सीमा के भीतर हो तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ हो. बाजार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, अंतराल, ग्रीक्स, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है.
Risk exposures in derivatives transactions are measured/ assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, gaps, greeks, stop loss etc. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

(iv) डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ''बैंक की उल्लेखनीय लेखा नीतियां'' में दिये गए हैं.
The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

4. डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - मात्रात्मक प्रकटन
Disclosures on risk exposure in derivatives- Quantitative disclosures

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष (मार्च 2019) Current Year (MAR 2019)		पिछले वर्ष (मार्च 2018) Previous Year (MAR 2018)	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amt)				
	(क) हेजिंग के लिए a) For hedging	26.38	4840.85	30.77	8298.95
	(ख) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	7197.14	12172.59	10197.86	15217.07
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट पोजीशन Marked to Market Positions				
	(क) आस्तियां (+) a) Asset(+)	568.95	97.35	601.89	97.75
	(ख) देयताएं (-) b) Liability (-)	(565.49)	(185.62)	(596.81)	(231.59)
(iii)	ऋण जोखिम Credit Exposure				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	7.89	48.41	7.25	76.25

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष (मार्च 2019) Current Year (MAR 2019)		पिछले वर्ष (मार्च 2018) Previous Year (MAR 2018)	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	1032.04	215.82	1420.26	250.65
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	0.66	54.97	0.90	130.67
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	0.01	10.88	0.01	3.39
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम* Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year*				
	क) हेजिंग पर a) on hedging				
	- अधिकतम - Maximum	0.87	125.55	1.11	229.03
	- न्यूनतम - Minimum	0.65	54.97	0.90	130.67
	ख) ट्रेडिंग पर b) on trading				
	- अधिकतम - Maximum	0.21	10.88	2.74	10.94
	- न्यूनतम - Minimum	0.00212	0.0922	0.00642	0.1231

* चूंकि संव्यवहार आस्ति-देयता पोर्टफोलियो में ब्याज दर और मुद्रा जोखिम से जुड़े जोखिमों से बचाव व्यवस्था के लिए किए जाते हैं, अतः बैंक अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 की गणना दैनिक आधार पर नहीं करता है.

*Since the transaction are undertaken to hedge the interest rate and currency risks in the asset-liability portfolio, the bank is not calculating the maximum and minimum of 100*PV01 on daily basis.

5. बैंक के पास निवल ओवरनाइट खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा है जो 01 नवंबर 2017 से ₹ 400 करोड़ निर्धारित है. वर्ष के दौरान खुली स्थिति अनुमोदित सीमा के भीतर थी तथा औसत उपयोग ₹ 298.22 करोड़ था. वर्ष दौरान अधिकतम उपयोग 10 दिसंबर 2018 को ₹ 368.41 करोड़ था.

The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹ 400 crore w.e.f from November 01, 2017. During the year the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 298.22 crore. The maximum utilization during the year was at ₹ 368.41 crore on December 10, 2018.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

IX ऋण चूक स्वैप
Credit Default Swaps

बैंक सीडीएस कांट्रैक्ट को बाज़ार भाव पर दर्शाने के लिए एफ़आईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व के अनुसार मानक मॉडेल और उनकी सीडीएस स्थिति के मूल्यांकन के लिए दैनिक गणना कन्वेन्शन का प्रयोग करता है. एफ़आईएमएमडीए इसके लिए दैनिक आधार पर सीडीएस कर्व का प्रकाशन करता है.

The Bank is using standard model for marking to market the CDS contracts as per FIMMDA published daily CDS curve and day count convention to value their CDS positions. FIMMDA is publishing the CDS curves for this purpose on daily basis.

X आस्ति गुणवत्ता
Asset Quality

1. अनर्जक आस्ति (ऋण एवं अग्रिम)
Non-Performing Asset (Loans & Advances)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019	यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018
(i)	**निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)** **Net NPAs to Net Advances (%)**	10.11	16.69
(ii)	**एनपीए में घट - बढ़ (सकल)** **Movement of NPAs (Gross)**		
	(क) (a) प्रारंभिक शेष Opening Balance	55588.25	44752.59
	(ख) (b) वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	18208.24	38351.09
	(ग) (c) वर्ष के दौरान कमी Reduction during the year	23768.55	27515.43
	(घ) (d) अंतिम शेष Closing balance	50027.94	55588.25
(iii)	**निवल एनपीए में घट - बढ़** **Movement of Net NPAs**		
	(क) (a) प्रारंभिक शेष Opening Balance	28665.14	25205.80
	(ख) (b) वर्ष के दौरान परिवर्धन (एफ़टीएनपीए) Addition (FTNPA) during the year	11049.14	10595.16*
	(ग) (c) वर्ष के दौरान कमी Reduction during the year	24876.84	7135.82
	(घ) (d) अंतिम शेष Closing balance	14837.44	28665.14
(iv)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में घट-बढ़** **Movement of provisions for NPAs**		
	(मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) (excluding provisions on standard assets)		
	(क) (a) प्रारंभिक शेष Opening Balance	26923.12	19546.79

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019	यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018
	(ख) (b) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान Provisions made during the year	29561.10	27755.93
	(ग) (c) प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर में अंतरित Transferred to Countercyclical Prov. Buffer	0.00	0.00
	(ग) (d) बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान Write-off / write back of excess provision	21293.73	20379.60
	(घ) (e) अंतिम शेष Closing balance	35190.49	26923.12
(v)	**रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलिक प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात Provisioning Coverage Ratio computed in accordance with the RBI guidelines**	**82.88%**	**63.40%**

*वर्तमान एनपीए में शामिल कर
*Includes addition in existing NPA

2. एनपीए की घट-बढ
Movement of NPAs

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
विवरण वर्ष के 01 अप्रैल के अनुसार सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष) Gross NPAs as on 1st April of particular year (Opening Balance)	55588.25	44752.59
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नवीन एनपीए) Additions (Fresh NPAs) during the year	18208.24	38351.09
उप - जोड़ (अ) Sub-total (A)	**73796.49**	**83103.68**
घटाएँ:- Less:-		
(i) अपग्रेडेशन (i) Upgradations	1407.32	8160.93
(ii) वसूली (अपग्रेड खाते से हुई वसूली को छोड़कर) (ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	6443.17	6839.72
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए (iii) Technical/ Prudential Write-offs	14608.86	11548.34

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
(iv) उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए (iv) Write-offs other than (iii) above	1309.20	966.44
उप - जोड़ (आ) **Sub-total (B)**	**23768.55**	**27515.43**
आगामी वर्ष के 31 मार्च के अनुसार सकल एनपीए (अंतिम शेष) (अ-आ) **Gross NPAs as on 31st March of following year (closing balance) (A-B)**	**50027.94**	**55588.25**

3. तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए स्टॉक और उनसे संबंधित वसूली:
Stock of technical write-offs and the recoveries made thereon.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
01 अप्रैल के अनुसार तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खाते में प्रारंभिक शेष Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at 01st April	22623.20	11125.06
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए ADD: Technical/ Prudential write-offs during the year	14608.86	11548.34
उप - जोड़ (अ) **Sub-total (A)**	**37232.06**	**22673.40**
घटाएँ: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खाते में हुई वसूली/बदलाव (निवल विनिमय अंतर) (आ) Less: Recoveries/ changes (exchange differences net) in previously Technical/ Prudential written-off accounts during the year (B)	796.40	50.20
31 मार्च के अनुसार अंतिम शेष (अ- आ) Closing Balance as at 31st March (A-B)	36435.66	22623.20

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. यथा दिनांक 31 मार्च 2019 के अनुसार पुनर्संरचित खातों के प्रकटन/ Disclosure of Restructured Accounts as on 31st March, 2019

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	पुनर्संरचना का प्रकार / Type of Restructuring →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य/ Others					कुल/ Total				
	आस्ति का वर्गीकरण / Asset Classification → / विवरण/ Details ↓		मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	यथा 01 अप्रैल 2018 को पुनर्संरचित खाते (आरंभिक आकड़े)* Restructured Accounts as on 1 April 2018 (opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	18	2	18	1	39	-	-	-	-	-	330	13	110	59	512	348	15	128	60	551
		बकाया राशि Amount outstanding	1294.41	50.53	2318.61	32.61	3696.16	-	-	-	-	-	3539.13	2152.61	10832.87	257.14	16781.75	4833.54	2203.14	13151.48	289.75	20477.91
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	42.54	1.59	8.28	0.00	52.41	-	-	-	-	-	56.66	0.02	11.15	0.00	67.83	99.20	1.61	19.43	0.00	120.24
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचनाएं Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	674	3	0	0	677	674	3	0	0	677
		बकाया राशि Amount outstanding	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	43.97	0.69	-	-	44.66	43.97	0.69	0.00	0.00	44.66
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	1.45	0.03	-	-	1.48	1.45	0.03	0.00	0.00	1.48
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
		बकाया राशि Amount outstanding	0	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिस पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्च प्रावधानीकरण और / या अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद हो गया, अतः इन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाया जाना आवश्यक नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0				0	-				-	0				0	0				0
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00				0.00	-				-	0.00				0.00	0.00				0.00
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.00				0.00	-				-	0.00				0.00	0.00				0.00
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को डाउनग्रेड करना[1] Downgradations of restructured accounts during the FY1	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	(3)	0	3	0	-	-	-	-	-	-	(141)	6	135	0	-	(144)	6	138	0	-
		बकाया राशि Amount outstanding	(681.73)	-	681.73	-	-	-	-	-	-	-	(120.54)	0.2	120.34	-	-	(802.27)	0.20	802.07	0.00	-
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	(0.17)	0.01	0.16	-	-	(0.17)	0.01	0.16	0.00	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्संरचित खाते Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	2	0	11	1	14	-	-	-	-	-	2	0	14	1	17	4	0	25	2	31
		बकाया राशि Amount outstanding	140.14	-	2052.33	32.61	2225.08	-	-	-	-	-	328.64	-	3562.43	187.73	4078.79	468.78	0.00	5614.76	220.34	6303.88
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आकड़े*)[2] Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)[2]	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	12	0	14	0	26	-	-	-	-	-	1219	529	1763	59	3570	1231	529	1777	59	3596
		बकाया राशि Amount outstanding	363.54	-	1037.71	-	1401.25	-	-	-	-	-	2973.80	4.40	7937.01	144.41	11059.63	3337.34	4.40	8974.73	144.41	12460.88
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	3.20	-	0.00	-	3.20	-	-	-	-	-	113.01	0.22	0.78	0.00	114.01	116.21	0.22	0.78	0.00	117.21

* मानक पुनर्संरचित अग्रिम जिन पर उच्चतर प्रावधान करने या जोखिम भार लगाने की जरूरत नहीं है, के आंकड़ों को छोड़कर (यदि लागू हों)

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

1 उपर्युक्त उल्लिखित डाउनग्रेडेशन मानक से अवमानक/संदिग्ध/ हानि श्रेणी में किया गया है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 802.27 करोड़ की बकाया राशि वाले 144 मामले डाउनग्रेड किए गए.
Down-gradations mentioned above are from Standard to Sub Standard / Doubtful /Loss Category. 144 cases with outstanding ₹ 802.27 Crore were downgraded during the FY 2018-19.

2 ₹ 6606.41 करोड़ बकाया के 95 मामले बट्टे खाते में डाले गए/ वापस लिए गए/ चुकाए गए/ पुनर्संरचना असफल हुई/एओडी की गई आदि. 31 मार्च 2019 को मौजूद मामलों में शेष में परिवर्तन के कारण बकाया शेष राशि में ₹1472.73 करोड़ की निवल गिरावट आई.
95 Cases with outstanding ₹ 6606.41 Crore were Witten off / revoked / repaid / restructuring failed / AOD etc . There is net decrease in outstanding balance of ₹ 1472.73 Crore due to movement in balances in existing cases as on 31st March 2019.

3 उन पर प्रावधान केवल उचित मूल्य में ह्रास के लिए किए गए प्रावधान को प्रतिबिंबित करता है.
Provision thereon represents only provision made for diminution in fair value.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

5. रिज़र्व बैंक के दिनांक 10 नवंबर 2016 के परिपत्र आरबीआई/2016-17/122 डीबीआर.सं. बीपी. बीसी. 34/21.04.132/2016-17 के अनुसार प्रकटन
Disclosures as per RBI circular RBI/2016-17/122 DBR.No.BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated November 10, 2016

i. वर्तमान ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन
Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

अवधि Period	लचीली संरचना के लिए गणना में लिए गए उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers taken up for flexible structuring	लचीली संरचना हेतु गणना में लिये गए ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली संरचना हेतु गणना में लिये गए ऋणों की एक्सपोजर भारित औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली संरचना करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली संरचना करने के बाद After applying flexible structuring
वित्तीय वर्ष FY 2018-19	शून्य / Nil				
वित्तीय वर्ष FY 2017-18	04	1767.25	733.85	10.20 वर्ष / Yrs.	19.49 वर्ष / Yrs.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में गतिरोध अवधि के अंतर्गत हैं)

Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

ऐसे खातों की संख्या जिनमें एसडीआर की सहायता ली गई है. No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि (एफबी मूलधन राशि) Amount outstanding as on the reporting date (FB principal balance)		ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि जिनमें ऋण का इक्विटी में रूपांतरण लंबित है (एफबी मूलधन शेष) Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending (FB principal balance)		ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि जिनमें ऋण का इक्विटी में रूपांतरण हो गया है (एफबी मूलधन शेष) Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place (FB principal balance)	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य / Nil						

iii. कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के संबंध में प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में गतिरोध अवधि के अधीन हैं)

Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	पुनर्संरचित मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य / Nil			

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iv. **दबावग्रस्त आस्तियों की वहनीय संरचना हेतु योजना पर प्रकटन**
Disclosures on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

खातों की संख्या जहां एस4ए योजना लागू है Number of Accounts- where S4A scheme has been applied	कुल बकाया राशि Aggregate Amount O/s	बकाया राशि Amount O/s		31 मार्च 2019 के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as on March 31, 2019
		भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत / Classified as standard				
3	1184.93	453.49	731.44	448.46
एनपीए के रूप में वर्गीकृत / Classified as NPA				
5	637.35	430.56	206.79	619.07

सकल बकाया राशि में मानक आस्तियों के लिए ₹ 847.16 करोड़ और एनपीए के लिए ₹ 226.69 करोड़ की एनएफ़बी बकाया शामिल नहीं है.

The Aggregate amount outstanding does not include NFB outstanding of ₹ 847.16 crore for Standard Assets and ₹ 226.69 crore for NPAs.

v. **समाधान योजना के कार्यान्वयन पर प्रकटन. (संदर्भ: पैरा- 16/रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 फरवरी 2018 के परिपत्र आरबीआई/2017-18/131/डीबीआर. सं. बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18- ''दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान - संशोधित ढांचा''**

Disclosure on resolution plans implemented (ref: Para-16/ RBI Circular dtd february 12, 2018-RBI/2017-18/131/DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18-"Resolution of Stressed Assets – Revised Framework"):

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

खातों की संख्या Number of accounts	31.03.2019 को बकाया राशि O/s Balance As on 31.03.2019	31.03.2019 को आईआरएसी स्थिति IRAC status a/o 31.03.2019	धारित प्रावधान, यदि कोई हो Provision held, if any	समाधान योजना के कार्यान्वन का विवरण Details Resolution plan implemented
02	₹ 1467.72	मानक / standard	₹ 744.22	प्रबंधन में बदलाव और नए प्रबंधन के अधीन वर्तमान ऋण का पुनर्वित्तपोषण Change in Management and Refinancing of the Existing Debt under the New Management

सकल बकाया राशि में रु. 85.93 करोड़ एनएफबी बकाया शामिल नही हैं.
The aggregate amount outstanding does not include NFB outstanding of ₹ 85.93 crore

6. वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गयी पीएसएलसी (श्रेणी-वार) का ब्योरा
Details of PSLCs (category-wise) purchased/sold during the year

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	खरीदी गयी राशि Purchased Amount	बेची गयी राशि Sold amount
पीएसएलसी - छोटे व सीमांत किसान (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	3065.00	शून्य / Nil
पीएसएलसी - कृषि / PSLC-Agriculture	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पीएसएलसी - सामान्य / PSLC-General	शून्य / Nil	1944.00
पीएसएलसी - सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises	शून्य / Nil	3542.50
कुल / Total	**3065.00**	**5486.50**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7. प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों का प्रकटन -
Disclosure of Investment in SRs –

रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 सितंबर 2016 के परिपत्र आरबीआई/2016/17/56 डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.9/21.04.048/2016-17 के अनुसार प्रतिभूति रसीदों में बैंक द्वारा किए गए निवेशों से संबंधित प्रकटन निम्नानुसार हैं.
The following disclosures pertaining to investments in security receipts by the Bank as per RBI Circular RBI/2016-17/56 DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 1, 2016 is shown below.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर SRs issued within past 5 years	5 वर्ष से ज्यादा समय पहले किन्तु पिछले 8 वर्षों के अंदर जारी किए गए एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्ष से ज्यादा समय पहले जारी किए गए एसआर SRs issued more than 8 years ago	कुल Total
(i) बैंक द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	723.43	7.75	617.59	1348.77
(i) के प्रति धारित प्रावधान Provision held against (i)	437.64	6.00	617.59	1061.23
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ii) के प्रति धारित प्रावधान Provision held against (ii)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total (i) + (ii)	**723.43**	**7.75**	**617.59**	**1348.77**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

8. आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा
Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 वर्ष के लिए For the year March 31, 2019	31 मार्च 2018 वर्ष के लिए For the year March 31, 2018
(i)	खातों की संख्या/ No. of Accounts	5	7
(ii)	एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	180.52	35.86
(iii)	समग्र प्रतिफल / Aggregate Consideration	205.20	109.48
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	10.71	3.65
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ /(हानि) Aggregate gain/(loss) over net book value	24.68	73.62

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	बैंक द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए द्वारा द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other Banks/ financial institutions/ non-Banking financial companies as underlying		कुल/ Total	
	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य Book value of investments in security receipts	1342.45	1348.77	-	-	1342.45	1348.77

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

9 अन्य बैंक से खरीदी गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा
Details of non-performing financial assets purchased from other Bank

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.		मदें/ Items	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
(i)	(क) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं. No. of accounts purchased during the year	शून्य /Nil	शून्य /Nil
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	शून्य /Nil	शून्य /Nil
(ii)	(क) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य /Nil	शून्य /Nil
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	शून्य /Nil	शून्य /Nil

10. अन्य बैंक को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा
Details of non-performing financial assets sold to other Bank

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	मदें/Items	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
(i)	बेचे गए खातों की संख्या / No. of accounts sold	शून्य /Nil	1
(ii)	कुल बकाया राशि / Aggregate outstanding	लागू नहीं /NA	2042.72
(iii)	प्राप्त कुल प्रतिफल/Aggregate consideration received	लागू नहीं /NA	1426.00

11. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
Provision on Standard Asset

(₹ करोड़) (₹ in crore)

मदें/Items	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
वर्ष के लिए मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provisions towards Standard Assets for the year	(27.59)	(1133. 08)

यथा 31.03.2019 के अनुसार संचयी प्रावधान बकाया ₹ 1886.02 करोड़ (₹ 1911.61 करोड़)
Cumulative provision outstanding as on 31.03.2019 ₹ 1886.02 crore (₹ 1911.61 crore)

12. रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 जून 2016 के परिपत्र आरबीआई/ 2015-16/423 डीबीआर.सं बीपी.बीसी.102/ 21.04.048/2015-16 के अनुसार, बैंक ने एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा तथा वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित निधियों' में नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा से संबंधित लेखा टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटन किया है.

As per RBI Circular RBI/2015-16/423 DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2015-16 dated June 13, 2016 Bank has made the following disclosure in Notes to Accounts with regard to the quantum of provision made during the year to meet the shortfall in sale of NPAs to SCs/RCs and the quantum of unamortised provision debited to 'other reserves' as at the end of the year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा - शून्य
a) quantum of provision made during the year to meet the shortfall in sale of NPAs to SCs/RCs- Nil

ख) वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित निधियों' में नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा - शून्य
b) quantum of unamortised provision debited to 'other reserves' as at the end of the year.- Nil

13. रिज़र्व बैंक के दिनांक 18 अप्रैल 2017 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 63/21.04.018/2016-17 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण में विचलन तथा एनपीए के लिए प्रावधानीकरण
Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs as per RBI Circular DBR.BP.BC. No.63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	राशि Amount
1	यथा 31 मार्च 2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	55588.25
2	यथा 31 मार्च 2018 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	59840.46
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1) Divergence in Gross NPAs (2-1)	4252.21
4	यथा 31 मार्च 2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	28665.14
5	यथा 31 मार्च 2018 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	28886.94
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4) Divergence in Net NPAs (5-4)	221.80
7	यथा 31 मार्च 2018 को बैंक द्वारा एनपीए के लिए रिपोर्ट किए गए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	26923.12
8	यथा 31 मार्च 2018 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	30953.52
9	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7) Divergence in provisioning (8-7)	4030.40
10	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात् निवल लाभ/ (हानि) Reported Net Profit /(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2018	(8237.92)
11	प्रावधानीकरण में विचलन को गणना में शामिल करने के बाद 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात् समायोजित (आनुमानिक) निवल लाभ /(हानि) Adjusted (notional) Net Profit/(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2018 after taking into account the divergence in provisioning	(12268.32)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XI. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण
Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs

1 जमाराशियों का संकेंद्रण/Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	27598	34446.39
बैंक की कुल जमाराशियां Total Deposits of the Bank	227372	247937.61
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	12.14%	13.89%

2 अग्रिमों का संकेंद्रण/ Concentration of Advances

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	40697.45	45119.69
कुल अग्रिम Total Advances	239786.66	273344.10
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	16.97%	16.51%

अग्रिमों की गणना एक्सपोजर मानदंडों पर रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में दिये अनुसार डेरिवेटिव सहित ऋण एक्सपोजर की परिभाषा के अनुसार की जाती है और इसमें एफ़बी, एनएफ़बी एवं एलईआर शामिल हैं.

Advances are computed as per definition of Credit Exposure including derivatives furnished in RBI Master Circular on exposure norms and include FB, NFB & LER.

3 एक्सपोजर का संकेंद्रण/Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	52929.10	59614.89
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	15.79%	15.49%

अग्रिमों की गणना एक्सपोजर मानदंडों पर रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में दिये अनुसार डेरिवेटिव सहित ऋण एक्सपोजर की परिभाषा के अनुसार की जाती है और इसमें एफ़बी, एनएफ़बी एवं एलईआर शामिल हैं.

Exposures computed as per definition of Credit Exposure including derivatives furnished in RBI Master Circular on exposure norms and include FB, NFB & LER.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4 एनपीए का संकेन्द्रण/Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
चार शीर्ष एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर Total Exposure to top four NPA accounts	13689.32	11653.80

XII. क्षेत्रवार अग्रिम / Sector-wise advances

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector	चालू वर्ष Current Year			पिछले वर्ष Previous Year		
अ A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में से सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में से सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	19256	2231	11.59%	17818	1344	7.54%
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उधार के लिए पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	9148	1754	19.17%	10826	1702	15.72%
3	सेवाएं/Services	22337	1779	7.96%	19713	1636	8.30%
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	19690	235	1.20%	17457	230	1.32%
	उप-योग (अ) Sub-total (A)	**70432**	**6000**	**8.52%**	**65814**	**4912**	**7.46%**
आ) B	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	48	0	0.00%	58	0	0.00%
2	उद्योग क्षेत्र में अग्रिम Advances to industries sector	72371	39294	54.30%	88719	43526	49.06%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector	चालू वर्ष Current Year			पिछले वर्ष Previous Year		
3	सेवाएं/ Services	9110	2737	30.05%	13727	4080	29.72%
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	23679	273	1.15%	21588	285	1.32%
5	अन्य/ Others	6458	1723	26.69%	8947	2785	31.12%
	उप-योग (आ) Sub-total (B)	**111666**	**44028**	**39.43%**	**133040**	**50676**	**38.09%**
	कुल (अ+आ) TOTAL (A+B)	**182097**	**50028**	**27.47%**	**198854**	**55588**	**27.95%**

XIII. समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए और राजस्व / Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
कुल आस्तियां/ Total Assets	9716.96	16727.32
कुल एनपीए (निवल)/Total NPAs (Net)	3135.62	5715.18
कुल राजस्व/Total Revenue	648.14	614.22

उपर्युक्त आंकड़े डीआईएफसी तथा जीआईएफटी सिटी शाखा के हैं.
The above figures are of DIFC & GIFT City branch.

XIV. अंतर-समूह एक्सपोजर/Intra-Group Exposures

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

(क) (a)	अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of intra-group exposures	1725.16
(ख) (b)	शीर्ष 20 अंतर - समूह एक्सपोजर की कुल राशि* Total amount of top-20 intra-group exposures*	1725.16
(ग) (c)	ऋणदाताओं/ ग्राहक पर बैंक के कुल एक्सपोजर के प्रति अंतर समूह एक्सपोजर का प्रतिशत ** Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers**	0.48%
(घ) (d)	अंतर-समूह एक्सपोजर पर सीमा उल्लंघन का वर्णन और इस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो. Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	शून्य/ NIL

*आईडीबीआई बैंक की 10 समूह संस्थाएं हैं जिनमें आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर धारिता 20% से अधिक है.
*Total Group entities of IDBI Bank are 10 where IDBI Bank is holding more than 20% equity shareholding.

** बैंक का कुल एक्सपोजर ₹ 3,56,454.98 करोड़ है .
**Total exposure of Bank is ₹ 3,56,454.98 crore.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XV. कारोबार अनुपात / Business Ratios

क्र. सं. Sr. No.	मदें/ Items	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय$ Interest income as a percentage to working funds$	6.84%	6.87%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	1.02%	2.09%
3	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ$ Operating profit as a percentage to working funds$	1.26%	2.36%
4	आस्तियों पर प्रतिलाभ@/ Return on assets@	(4.68%)	(2.46%)
5	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशियां तथा अग्रिम)# [₹ करोड़ में] Business (Deposits plus advances) per employee# [₹ in crore]	20.84	22.77
6	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) [₹ करोड़ में] Profit/ (loss) per employee [₹ in crore]	(0.88)	(0.47)

$ कार्यशील निधियों की गणना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान रिपोर्ट किए गए कुल आस्तियों के औसत (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हों) तथा समुद्रपारीय शाखाओं की कुल आस्तियों के औसत (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हों) द्वारा की गई है.

$ Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year and average of total assets (excluding accumulated losses, if any) of Overseas branches.

@ आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् कुल आस्तियां, इनमें संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के संदर्भ में है.

@ Return on Assets is with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).

प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां एवं अग्रिम) की गणना के प्रयोजन से अंतर बैंक जमाराशियां छोड़ दी गई हैं.

For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances) inter Bank deposits are excluded.

XVI. आस्ति देयता प्रबंध/ Asset Liability Management
आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप (यथा 31 मार्च 2019)
Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities (as on March 31, 2019)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	कुल Total
जमाराशि 1 Deposits 1	2,242.48	6,620.89	5,372.27	5,338.73	7,245.65	5,561.16	17,427.10	43,499.35	1,10,789.78	10,153.22	13,121.10	2,27,371.73
अग्रिम 1 Advances 1	765.83	1,334.17	1,125.95	800.61	1,347.21	4,027.32	4,049.43	7,615.26	51,807.30	16,821.23	57,096.12	1,46,790.44
निवेश Investments	16,337.25	15,052.21	201.54	1,470.72	1,542.48	707.40	392.57	873.68	729.08	5,642.70	50,122.99	93,072.63

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	कुल Total
उधार 1 Borrowings 1	-	9,369.69	1,000.00	1,669.39	1,846.00	118.57	2,419.62	2,843.11	8,234.71	2,535.01	15,251.63	45,287.73
विदेशी मुद्रा आस्तियां 2 Foreign Currency Assets 2	3,788.37	2,432.07	38.50	4,734.51	1,359.31	3,842.22	6,869.80	9,288.61	2,928.80	924.26	6,660.03	42,866.49
विदेशी मुद्रा देयताएं 3 Foreign Currency Liabilities 3	17.54	690.20	28.48	4,550.88	1,100.58	3,791.90	8,456.84	14,774.52	6,089.07	2,631.41	-	42,131.44

1. इनमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.
   Includes foreign currency balances.
2. इनमें विदेशी मुद्रा- रुपया क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.
   Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.
3. इनमें विदेशी मुद्रा- रुपया विक्रय- क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं.
   Includes foreign currency-Rupee sell –buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

XVII. एक्सपोजर / Exposure

1. संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर
Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

श्रेणी/ Category		31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
1.	प्रत्यक्ष एक्सपोजर / Direct exposure		
(क) (a)	आवासीय बंधक - Residential Mortgages –		
	आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	48993.72	41097.13
	उपर्युक्त में से ₹ 20 लाख तक के वैयक्तिक ऋण Of above individual having loans upto ₹ 20 Lakh	13869.03	12941.56
(ख) (b)	वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र - Commercial Real Estate –		
	वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lendings secured by mortgages on commercial real estates	1037.53	4426.30
	उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	0.00	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

श्रेणी/ Category		31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
(ग) (c)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर- Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
	क. आवासीय a. Residential,	0.00	0.00
	ख. वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
2.	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर Indirect Exposure		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	2800.92	4063.48
	उपर्युक्त में से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Of the above Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	-	-
	कोई अन्य - अप्रत्यक्ष एक्सपोजर Any other - Indirect Exposure	102.00	47.31
कुल/ Total		**52934.17**	**49634.22**

2. पूंजी बाजार में एक्सपोजर
Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr.No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है ; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	766.48	1847.26
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या अप्रतिभूत आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	353.68	392.65

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr.No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है; Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	1.34	4.36
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	148.90	243.00
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर अथवा अप्रतिभूत आधार पर कॉरपोरेटों को मंजूर ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	-	-
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में सभी एक्सपोजर इक्विटी के समान समझे जाएंगे. अतः पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, दोनों) के अनुपालन के लिए इनको हिसाब में लिया जाएगा. All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceiling (both direct and indirect)	123.18	141.30

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr.No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
(xi)	स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में अभिरक्षक बैंकों द्वारा जारी अप्रतिसंहरणीय भुगतान वचनबद्धताएं Irrevocable Payment Commitments issued by custodian Banks in favour of stock exchanges.	-	-
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर Total Exposure to Capital Market	**1393.58**	2628.57

पूंजी बाजार एक्सपोजर पर विनियामकीय सीमाओं/पाबंदियों से छूट प्राप्त ऋणों के इक्विटी में संपरिवर्तन के कारण इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण का प्रकटन
Disclosure of Acquisitions of Equity Shares due to conversion from Debt to Equity exempted from Regulatory Ceilings/Restrictions on Capital Market Exposure

क्र. सं. S. No.	पुनर्संरचना प्रकार Types of Restructuring		पुनर्संरचना के अधीन (सीडीआर तंत्र) Under Restructuring (CDR Mechanism)
1	यथा 31 मार्च 2019 तक पुनर्संरचित किए गए खाते Restructured Accounts as on March 31, 2019	उधारकर्ताओं की संख्या Number of Borrowers	81
		बकाया राशि (₹ करोड़ में) Amount Outstanding (₹ in Cr.)	1447.50

3. **जोखिम श्रेणी-वार देश में एक्सपोजर**
Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2019 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2019	31 मार्च 2019 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2019	31 मार्च 2018 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2018	31 मार्च 2018 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2018
नगण्य/Insignificant	4384.85	-	4737.69	-
निम्न / Low	3151.43	-	5841.40	-
मध्यम/ Moderate	0.00	-	8.16	-
उच्च/ High	18.18	-	273.01	-
अति उच्च/Very High	-	-	-	-
नियंत्रित/ Restricted	-	-	-	-
ऑफ-क्रेडिट Off-credit	-	-	-	-
कुल/ Total	**7,554.46**	**-**	**10,860.25**	**-**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं
Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ताओं और समूह उधारकर्ताओं के संबंध में बैंक का एक्सपोजर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के भीतर था जहां एकल उधारकर्ता सीमा टीसीएफ़ के 15% एवं 20% (आधारभूत संरचना के लिए) से अधिक थी और समूह उधारकर्ता सीमा टीसीएफ़ का 40% थी (तिमाही उल्लंघन नीचे उल्लेखित). इस संबंध में मंजूर सीमाएं और पूंजीगत निधियों (गैर-निधि एक्सपोजर सहित) के प्रतिशत के रूप में बकाया राशि निम्नानुसार रहीं:

During the Year ended March 31, 2019, the Bank's exposure to single borrowers and group borrowers were within the prudential exposure limits prescribed by RBI, where single borrower limit of 15% & 20% (for Infrastructure) of TCF was exceeded and Group borrower limit of 40% of TCF (Quarterly breach mentioned below). In respect of these cases, the sanctioned limits and outstanding as % of capital funds (including non-funded exposure) were as follows:

एकल उधारकर्ताओं /समूह के नाम Name of the single borrower/ group	पूंजीगत निधि के % के रूप में कुल प्रतिबद्ध एक्सपोजर Total Committed Exposure as % of Capital Fund	पूंजीगत निधि के % के रूप में कुल बकाया राशि Total Outstanding as % of Capital Fund
(i) एकल उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower		
वीडियोकॉन ऑयल वेंचर लिमिटेड* / Videocon Oil Ventures Limited*	34.22%	33.06%
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड* / Reliance Jio Infocomm Limited*	32.46%	28.17%
जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड* / Jaypee Infratech Limited*	28.26%	28.26%
लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड* / Larsen &Toubro Limited*	25.97%	24.90%
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड* / Bharat Heavy Electricals Limited*	25.62%	24.60%
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.* / Steel Authority Of India Ltd*	24.53%	1.84%
वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि.* / Videocon Industries Ltd. *	23.73%	22.66%
एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड* / Essar Steel India Limited*	23.35%	16.02%
एबीजी शिपयार्ड लि. / ABG Shipyard Ltd	15.25%	1.64%
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड / Vodafone Idea Limited	18.94%	10.60%
जयप्रकाश असोशिट्स लि. / Jaiprakash Associates Ltd	17.05%	14.08%
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. / Reliance Industries Ltd	16.05%	4.25%
स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. / Stock Holding Corporation Of India Ltd	16.05%	0.88%
श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड / Shree Renuka Sugars Limited	15.79%	10.64%
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. / Rashtriya Ispat Nigam Ltd	15.51%	8.73%
डी. बी. पॉवर लिमिटेड / D.B. Power Limited	15.28%	14.66%
ललितपुर पॉवर जेनरेशन कंपनी लि. / Lalitpur Power Generation Company Ltd	15.15%	13.79%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(ii) समूह का नाम Name of the group		
वीडियोकॉन* / Videocon*	65.34%	63.82%
जयप्रकाश* / Jaiprakash*	57.94%	55.84%
रिलायन्स (मुकेश) / Reliance (Mukesh)	52.00%	35.36%
एस्सार / Essar	42.43%	34.27%

* वर्ष के दौरान पाये गए बहु उल्लंघनों के मामले में, अधिकतम पाये गए उल्लंघनों और तदनुरूपी बकाया प्रतिशत के बारे में रिपोर्ट की गई है.

नोट: वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी पूंजी निधि परिकलन पद्धति को संशोधित किया है और बासेल III के अनुसार परिकलित विनियामकीय पूंजी को अब पूंजी निधि माना जाता है जिसमें तिमाही आधार पर हानियों की कटौती शामिल है. परिणामस्वरूप उपर्युक्त उल्लंघन पूंजी स्थिति में परिवर्तन के कारण पाये गए हैं.

* In case of multiple breaches observed during the year, the maximum breach observed and corresponding outstanding percentage have been reported.

Note : During the year, the Bank has revised its Capital Fund calculation methodology & the regulatory capital calculated as per Basel III is now considered as Capital fund which includes deduction of losses on quarterly basis. Consequently the above breaches are observed due to change in capital position.

XVIII. लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गये 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विवरण
Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on Investment	1604.41	2219.34
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision towards NPA	22392.24	19126.14
मानक आस्ति के लिए प्रावधान/ Provision towards Standard Asset	(27.59)	(1133.08)
पुनर्संरचित आस्तियों (एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान Provision for Restructured Assets (including FITL)	(154.93)	(540.61)
करों के लिए किए गए प्रावधान/ Provision made towards Taxes	0.00	0.00
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/ Deferred Tax Assets (Net)	(7710.87)	(4354.61)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	1750.50	778.09
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं* Other Provision and Contingencies*	1314.66	51.87
कुल / Total	**19168.42**	**16147.14**

* अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताओं में अन्य के साथ-साथ ₹ 713.60 करोड़ (₹ शून्य) के दावों की चुकौती के संबंध में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों हेतु प्रावधान, संग्रहित/ प्राप्त न किए गए प्रभार के लिए ₹ 253.05 करोड़ (₹ 121 करोड़) के प्रावधान, ₹ 294.15 करोड़ (₹ शून्य) के संचित निवल प्रावधान के कारण समुद्रपारीय शाखाओं के संचित अप्रेषित लाभ/हानि के पुनर्मूल्यांकन हानि के लिए प्रावधान शामिल हैं.

* Other Provision and Contingencies inter alia includes provision for Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims of ₹ 713.60 crore (₹ NIL), provision for uncollected/unrealised charges of ₹ 253.05 crore (₹121 crore), provision for revaluation loss on accumulated unremitted profit/loss of Overseas branches on account of accumulated net provisions of ₹ 294.15 crore (₹ Nil).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XIX. अप्रतिभूत अग्रिम/ Unsecured Advance

उन अग्रिमों की कुल राशियाँ जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं ₹ शून्य (₹ शून्य) है तथा दिनांक 31 मार्च 2019 तक अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य ₹ शून्य (₹ शून्य) है.

Total amount of unsecured advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken is ₹ Nil (₹ Nil) and the estimated value of intangible security as on March 31, 2019 is ₹. Nil (₹ Nil).

XX. अस्थायी प्रावधान/ Floating Provisions

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
1	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष Opening balance in the floating provisions account	-	-
2	वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा The quantum of floating provisions made during the year	-	-
3	वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की राशि Amount of draw down during the year	-	-
4	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष Closing balance in the floating provisions account	-	-

नीति के रूप में बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों और निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.

As a policy, the Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

XXI. शिकायतों/ अधिनिर्णयों का प्रकटन/ Disclosure of Complaints/Awards

1. ग्राहक शिकायतें (इसमें बांडों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं)
Customer Complaints (Includes complaints related to Bonds)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
i	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	297	622
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	23435	35583
iii	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	23541	35908
iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	191	297

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय
Awards passed by the Banking Ombudsman

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
i	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented awards at the beginning of the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
ii	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
iii	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards implemented during the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
iv	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented Awards at the end of the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil

3. एटीएम लेनदेनों के संबंध में ग्राहक शिकायतें
Customer Complaints on Account of ATM Transactions

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
i	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	860	694
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	83477	59934
iii	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	82910	59768
iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	1427	860

XXII. प्रायोजित तुलन-पत्र बाह्य एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है)
Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी के नाम/ Name of the SPV sponsored	
देशी Domestic	विदेशी Overseas
शून्य Nil	शून्य Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXIII. अ. प्रतिभूतीकरण
A. Securitisation

बैंक की प्रतिभूतीकरण गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:
The detail of securitisation activity of the Bank is given below:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2019 को As at March 31, 2019	31 मार्च 2018 को As at March 31, 2018
प्रतिभूतीकृत की गई ऋण आस्तियों/ प्रतिभूतीकृत किए गए खुदरा ऋणों के समूहों की कुल संख्या # Total number of loan assets securitized/Pools of retail loans securitized #	-	-
प्रतिभूतीकृत ऋण आस्तियों का कुल बही मूल्य Total book value of loan assets securitized	-	-
प्रतिभूतीकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल Sale consideration received for the securitized assets	-	-
प्रतिभूतीकरण के कारण निवल लाभ/ (हानि)* Net gain / (loss) on account of securitization*	-	-
निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त सेवाओं का विवरण : Details of services provided by way of :	-	-
बकाया ऋण वृद्धि (द्वितीय हानि ऋण सुविधा) Outstanding credit enhancement (second loss credit facility)	-	-
बकाया चलनिधि सुविधा **/ Outstanding liquidity facility **	-	4.47
बकाया शोधन देयता/ Outstanding servicing Liability	-	-

नोट : बैंक ने किसी भी मानक ऋण का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है. तथापि बैंक ने पास थ्रू सर्टिफिकेट ट्रांजेक्शन के अधिग्रहण के जरिए, द्वितीय हानि सुविधा के रूप में क्रेडिट वृद्धि प्रदाता तथा अन्य पक्ष/ अन्य बैंक के प्रतिभूतिकरण लेनदेन में चलनिधि सुविधा के माध्यम से निवेशक की भूमिका निभायी है.

Note: Bank has not securitized-out any standard loans. However, bank has played the role of Investor by way of acquisition of Pass Through Certificate transaction, provider of credit enhancement as second loss facility and liquidity facility in securitization transaction of third party/ other Bank.

खुदरा ऋणों के लिए पूल

Pools of retail loans

*अभिलाभ (व्यय घटाकर निवल)- ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष शून्य).

* Gain (net of expense)- ₹ Nil crore (previous year NIL).

**इसमें सीधे निर्धारित मामलों के लिए ₹ शून्य करोड़ शामिल है जिसमें से ₹ शून्य करोड़ गारंटी के रूप में हैं.

** Includes ₹ Nil crore for direct assignment cases, of which ₹ Nil crore is in the form of a guarantee.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आ. प्रतिभूतीकरण
B. Securitisation

स/ Sr. No.	विवरण/ Particulars	₹ करोड़ में No. / Amount in ₹ crore
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या * No of SPVs sponsored by the bank for securitisation transactions*	शून्य /Nil
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total Amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	शून्य /Nil
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमएमआर के अनुपालन के संबंध में बैंक द्वारा धारित एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य /Nil
	a) क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर /Off balance Sheet Exposure	-
	प्रथम हानि/First Loss	-
	अन्य /Others	-
	b) ख) तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर /On balance Sheet Exposure	-
	प्रथम हानि/First Loss	-
	अन्य /Others	-
4.	एमएमआर से इतर प्रतिभूति लेनदेन में एक्सपोजर राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	शून्य /Nil
	a) क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर /Off-balance sheet exposures	शून्य /Nil
	i) अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर / Exposure to own securitizations	-
	प्रथम हानि / First loss	-
	हानि / Loss	-
	ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations	-
	प्रथम हानि / First loss	-
	अन्य (द्वितीय हानि ऋण सुविधा) /Others (second loss credit facility)	-
	b) ख) तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर /On-balance sheet exposures	शून्य /Nil
	i) अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर / Exposure to own securitizations	-
	प्रथम हानि / First loss	-
	अन्य / Others	-
	ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations	-
	प्रथम हानि / First loss	-
	अन्य (चलनिधि सुविधा)/Others (liquidity facility)	-

*केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी की रिपोर्टिंग यहाँ की जाए.
*Only the SPVs relating to outstanding securitisation transactions may be reported here

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXIV. बैंक ने वर्ष के दौरान आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है.
The Bank has not issued letter of comfort during the year.

XXV. बैंक बीमा कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क तथा पारिश्रमिक
Fees and Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.	59.32	58.69
भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	7.42	लागू नहीं /NA
बजाज एलिआंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	12.28	8.87
कुल / Total	**79.02**	**67.56**

XXVI. दंड का प्रकटन
Disclosure on Penalty

विनियामक प्राधिकरणों द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए.
During the year following penalties were imposed by regulatory authorities.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण/ Brief particulars	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
1	रिज़र्व बैंक RBI	चेक संग्रहण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए दंड. Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	0.000	0.000
2	रिज़र्व बैंक RBI	ग्राहक सेवा संबंधी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन, सिक्कों एवं कम वर्गमूल्य के नोटों तथा कटे-फटे नोटों को बदलने संबंधी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन के लिए दंड. Penalty for non compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	0.000	0.000
3	रिज़र्व बैंक RBI	कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में की गई जाँचों के संबंध में संदिग्ध लेन-देन करने के लिए किए गए प्रयास हेतु एसटीआर दायर न करने के लिए लगाया गया दंड (शाखाओं द्वारा प्रधान अधिकारी को घटनाओं की सूचना न देने के कारण) Penalty levied for not filing STRs for Attempted Suspicious Transaction in respect of the inquiries happened in connection with Cobra-post sting operation (due to non-reporting of the incident by the branches to the Principal Officer)	0.000	0.000
4	रिज़र्व बैंक RBI	करेंसी चेस्टो द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए विप्रेषणों के मामलों में रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टो पर लगाए गए दंड. Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	0.035	0.127
5	सेबी SEBI	फ्लेक्सी बांडों के मोचन के मामलों में सेवा में कमी Deficiency of Service in dealing with the redemption of Flexibond	0.000	0.000

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण/ Brief particulars	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
6	रिज़र्व बैंक RBI	रिज़र्व बैंक के दिनांक 20 फरवरी 2018 के परिपत्र के कंट्रोल पॉइंट सं. 2(बी) के संबंध में अनुपालन नहीं करने पर रिज़र्व बैंक द्वारा ₹ 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया. आंतरिक रूप से निर्णीत विशेष अधिकतम सीमा से अधिक लेनदेन के लिए रिज़र्व बैंक के दिनांक 20 फरवरी 2018 के निर्देश के अनुसार मार्च 2018 तक अनुमोदन के अतिरिक्त स्तर के गैर कार्यान्वयन हेतु. Penalty of ₹ 1 crore imposed by RBI for non-compliance w.r.t. Control Point no. 2(b) of RBI's Circular dated Feb 20, 2018. In respect of non-implementation of additional layer of approval as per RBI directions dated February 20, 2018 for transactions exceeding a particular internally decide threshold latest by March, 2018.	1.000	0.000
7	रिज़र्व बैंक RBI	रिज़र्व बैंक द्वारा आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी निर्देशों के गैर अनुपालन के लिए बैंक को 12 जनवरी 2018 को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था तथा दिनांक 09 अप्रैल 2019 के आदेश द्वारा बैंक पर ₹ 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया जिसका भुगतान 16 अप्रैल 2018 को किया गया. The bank had received Show Cause Notice on January 12, 2018 from RBI and vide order dated April 09, 2018 bank has been imposed penalty of ₹ 3 crore for non-compliance with the directions issued by RBI on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) norms which was paid on April 16, 2018.	3.000	0.000
8	रिज़र्व बैंक RBI	बैंक को दिनांक 25 अक्तूबर 2018 की नोटिस प्राप्त हुई थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है. दिनांक 04 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा बैंक पर ₹ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया जिसका भुगतान 16 फरवरी 2019 को किया गया. Bank has received show cause notice dated October 25, 2018 stating the bank has not complied with KYC/AML guidelines prescribed by RBI, Bank has been imposed a penalty of ₹ 20. Lakhs vide order dated February 04, 2019 and was paid on February 16, 2019.	0.200	0.000
		कुल प्रदत्त दंड/ Total Penalties Paid	**4.235**	**0.127**

XXVII. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएएफ)
Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous year
डीईएएफ में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	98.31	29.92
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	43.49	70.71
घटाएँ : दावे के लिए डीईएएफ से प्रतिपूर्ति की राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	3.27	2.32
डीईएएफ को अंतरित अंतिम शेष राशि Closing Balance of amounts transferred to DEAF	138.53	98.31

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXVIII. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर/Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक जैसा कि इसकी क्रेडिट नीति में वर्णित है अपने ऋणदाताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है तथा अपने ग्राहकों को विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से उनके विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को रक्षित करने के लिए सूचित करता है.
The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation.

बैंक अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में आंतरिक विकसित प्रणाली पर आधारित सूचना आवधिक आधार पर प्राप्त करता है तथा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से होने वाली संभावित हानि की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का अनुसरण करता है. इस एक्सपोजर के प्रति 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण ₹ 19 करोड़ (₹ 205.62 करोड़ का प्रतिलेखन) रहा तथा इसके जोखिम के प्रति धारित पूंजी 31 मार्च 2019 को ₹ 46.25 करोड़ (₹ 96.83 करोड़) रही.
The Bank obtains information on Un-hedged Foreign Currency Exposure from its customers on a periodic basis and maintains the same in an internally developed system and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The incremental provisioning for the year ending 31-03-2019 towards this exposure worked out to write back of Rs 19 crore (write back of ₹ 205.62 crore) and capital held towards the risk stood at ₹ 46.25 crore (₹ 96.83 crore) as on 31-03-2019.

XXIX. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) / Liquidity Coverage Ratio(LCR) :

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

	विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current year		पिछले वर्ष Previous year	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
	उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां High Quality Liquid Assets				
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		51,310.87		46,881.87
	नकदी बहिर्वाह/ Cash Outflow				
2	खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियां जिनमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	107,625.83	10,663.54	107,368.26	10,625.97
	(i) स्थिर जमाराशियां/ Stable deposits	1980.78	99.04	2,217.12	110.86
	(ii) कम स्थिर जमाराशियां/ Less stable deposits	105,645.05	10,564.50	105,151.14	10,515.11
3	अप्रतिभूति थोक निधियन, जिनमें से : Unsecured wholesale funding, of which:	38,134.23	26,908.94	37,177.11	26,712.35
	(i) परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars		चालू वर्ष Current year		पिछले वर्ष Previous year	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
	(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	36,964.90	25,469.60	35,255.33	24,790.57
	(iii) अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	1,439.34	1,439.34	1,921.78	1,921.78
4	प्रतिभूत थोक निधीयन Secured wholesale funding		183.59		21.08
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से : Additional requirements, of which	853.13	743.4	3,874.50	3,870.00
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	731.2	731.2	3,869.50	3,869.50
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-
	(iii) क्रेडिट और चलनिधि Credit and liquidity	121.92	12.19	5.00	0.50
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व Other contractual funding obligations	3302.18	3302.18	4,131.10	4,131.10
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other contingent funding obligations	189,065.56	8,309.11	214,332.00	9,224.33
8	**कुल नकदी बहिर्वाह/Total Cash Outflows**		50,110.75		54,584.83
नकदी अंतर्वाह/Cash Inflows					
9	प्रतिभूत ऋण (उदा. रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	1,332.61	-	3,060.50	-
10	पूर्ण निष्पादित एक्सपोजर से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	3,002.87	1,501.43	4,402.33	2,201.16

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

	विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current year		पिछले वर्ष Previous year	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
11	अन्य नकदी अंतर्वाह/Other cash inflows	3,745.96	3,745.96	6,811.87	6,811.87
12	**कुल नकदी अंतर्वाह/Total Cash Inflows**	8,081.43	5,247.39	14,274.71	9,013.04
13	**कुल एचक्यूएलए/TOTAL HQLA**		51,310.87		46,881.87
14	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows**		44,863.36		45,571.80
15	**चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)**		114.37%		102.87%

* औसत भारित तथा गैर-औसत भारित राशियों का परिकलन 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के कार्यदिवसों के लिए प्रतिदिन सामान्य औसत लेकर किया जाता है.

* The average weighted and un-weighted amounts are calculated taking daily simple average from 1st April, 2018 to 31st March, 2019 for working days.

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन:
Qualitative disclosure around Liquidity Coverage Ratio (LCR) :

2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ सुधार के प्रस्ताव रखे थे. इसके लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने जनवरी 2013 में 'बासेल III : चलनिधि व्याप्ति अनुपात और चलनिधि जोखिम निगरानी साधन' और जनवरी 2014 में 'चलनिधि व्याप्ति अनुपात प्रकटीकरण मानक' पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 09 जून 2014 के अपने परिपत्र के द्वारा चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) पर दिशनिर्देश जारी किए थे.

In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools' in January 2013 and the 'Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards' in January 2014. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated June 09, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR).

चलनिधि व्याप्ति अनुपात संभावित चलनिधि विघटनों के प्रति बैंक की अल्पावधि आघात-सहनीयता को यह सुनिश्चित करके बढ़ावा देता है कि लगातार 30 दिनों तक बनी रहने वाली विकट दबावग्रत स्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं. चलनिधि व्याप्ति अनुपात मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भारमुक्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि अस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर चलनिधि दबाव वाली स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस की समयावधि हेतु अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सके.

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

चलनिधि व्याप्ति अनुपात की परिभाषा:
Definition of LCR :

उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) स्टॉक
Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

_____ > = 100%

अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल निवल नकदी बहिर्वाह
Total net cash outflows over the next 30 calendar days

चलनिधि व्याप्ति अनुपात अपेक्षाएं 01 जनवरी 2015 से बैंकों पर आबद्धकर हैं. तथापि, बैंकों को संक्रमण काल का समय प्रदान करने के विचार से कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए यह अपेक्षा न्यूनतम 60% की है जो 01 जनवरी 2015 से लागू है और 4 वर्ष की अवधि में इसे 10% के समान चरणों में बढ़ाना है ताकि 01 जनवरी 2019 तक 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर तक पहुंचा जा सके.
The LCR requirements are binding on banks from January 1, 2015. However, with a view to provide a transition time for banks, the requirement is minimum 60% for the calendar year 2015 i.e. with effect from January 1, 2015, and rise in equal steps of 10% over a period of 4 years to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019.

उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां
High Quality Liquid Assets

इस मानक के अंतर्गत बैंकों के लिए निर्धारित दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिन की अवधि के लिए कुल निवल नकदी बहिर्वाह को शामिल करने के लिए अभारग्रस्त एचक्यूएलए का स्टॉक रखना अनिवार्य है. एचक्यूएलए में पात्र होने के उद्देश्य से दबाव काल के दौरान बाजार में नकदी सुलभ होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में केंद्रीय बैंक के परिचालनों में उपयोग के लिए पात्र होना चाहिए. बैंक की एचक्यूएलए में मुख्यतः अनिवार्य अपेक्षाओं तक और उससे अधिक एसएलआर निवेश, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार (एनडीटीएल का 2%) के माध्यम से उपलब्ध चलनिधि, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एनडीटीएल का 13%) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों अथवा गैर-वित्तीय कॉरपोरेटों द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं.
Under the standard, banks must hold a Stock of unencumbered HQLA to cover the total net cash outflows over a 30-day period under the prescribed stress scenario. In order to qualify as HQLA, assets should be liquid in markets during times of stress and, in most cases, be eligible for use in central bank operations. The HQLA of the Bank mainly comprise of SLR investments over and above mandatory requirement, liquidity available by way of borrowing under Marginal Standing Facility (2% of NDTL), Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (13% of NDTL) & other securities issued by PSEs or non-financial corporates.

कुल निवल नकदी बहिर्वाह / Total net cash outflows

कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की बकाया शेष राशियों या देयता के प्रकार तथा तुलन-पत्र बाह्य वचनबद्धताओं में उन दरों का गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके बढ़ने या घटने की आशा है. प्रवाह में कुल प्रत्याशित नकदी की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष में उन दरों को गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके प्रवाहित होने की आशा है.
Total expected cash out flows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in.

चलनिधि प्रबंधन / Liquidity Management

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि मूल्यांकन एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलन-पत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न आल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा आल्को दिशा-निर्देशों तथा कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक का औसत एलसीआर 114.37% (102.87%) रहा है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals. The average LCR of the Bank for FY2018-19 is at 114.37% (102.87%).

XXX. पारिश्रमिक का प्रकटन/Disclosure on Remuneration

गुणात्मक प्रकटन

(क)	पारिश्रमिक समिति की संरचना और अधिदेश से संबंधिति जानकारी.
	पारिश्रमिक का ध्यान रखनेवाली मुख्य समिति का नाम, उसकी बनावट और उससे संबंधित अधिदेश:
	25 फरवरी 2019 को नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति को एक में विलय कर नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया गया. एनआरसी में पाँच सदस्य अर्थात इसके अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक और सरकारी नामिती निदेशक, एलआईसी के नामिती निदेशक और अन्य सदस्य के रूप में दो स्वतंत्र निदेशकगण शामिल हैं. यह समिति, निदेशकों के उपयुक्त और माकूल स्थिति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, एलओडीआर विनियामवली के विनियम 19 और अनुसूची II के भाग डी और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में प्रदत अधिदेशों/विचारार्थ विषयों को पूरा करती है जो निम्नानुसार हैं : • निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुणों और स्वतन्त्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों की नियुक्ति और उनके मूल्यांकन से संबंधित एक नीति के लिए बोर्ड से सिफ़ारिश करना, • बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए प्रभावी पद्धति विनिर्दिष्ट करना, बोर्ड अथवा एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जाना और इसके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा करना, • स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना, • निदेशक मंडल में विविधता के लिए नीति तैयार करना, • निदेशक नियुक्ति और मूल्यांकन नीति के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान करना, • निदेशक नियुक्ति और मूल्यांकन नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बोर्ड से निदेशकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की सिफ़ारिश करना, • योग्यता, विशेषज्ञता, पिछले कार्यनिष्पादन, सत्यनिष्ठा, 'उपयुक्त और माकूल' मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतन्त्रता (यदि लागू हो) के आधार पर तथा स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक मंडल संबंधी कार्यनिष्पन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/नियुक्ति को जारी रखने के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाना तथा उसके संबंध में मानदंड तैयार करना, • निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार करना, • बोर्ड से वरिष्ठ प्रबंधन को देय पारिश्रमिक, चाहे जिस रूप में हो, की सिफारिश करना, • पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुसंगतिकरण के लिए जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय के साथ कार्य करना, यथा 31 मार्च 2019 को एनआरसी के पाँच सदस्य थे जिसमें श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक एवं इसके अध्यक्ष तथा श्री पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री बी. बी. जोशी और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशकगण अन्य सदस्य के रूप में शामिल थे. बाह्य परामर्शदाता जिनसे परामर्श मांगे गए, संस्था जिनके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था, और पारिश्रमिक प्रक्रिया के किन-किन क्षेत्रों में वर्ष 2018-19 के दौरान, परामर्श मांगने के लिए पारिश्रमिक प्रक्रिया के किसी भी क्षेत्र में किसी बाह्य परामर्शदाता की नियुक्ति नहीं की गई. विदेश स्थित सहायक संस्थाओं और शाखाओं पर लागू सीमा सहित बैंक की पारिश्रमिक नीति के कार्यक्षेत्र के संबंध में विवरण : समिति, बोर्ड की तरफ से बैंक की देशी और विदेश स्थित शाखाओं, दोनों के लिए पारिश्रमिक नीति की निगरानी करती है. तथापि, यह बैंक की सहायक संस्थाओं के लिए प्रतिकर नीति की निगरानी नहीं करती है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

इसमें शामिल कर्मचारियों के प्रकार का विवरण और ऐसे कर्मचारियों की संख्या :

श्रेणी 1

एमडी एवं सीईओ और डब्ल्यूटीडी. इस श्रेणी में 3 कर्मचारी शामिल हैं. एलआईसी द्वारा अधिग्रहण से पहले, सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण, पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा संबंधित पूर्णकालिक निदेशकों के नियुक्ति आदेश के अनुसार निर्धारित किए जाते थे, जबकि गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसरण के अनुसार किया जाता था. गैर कार्यपालक निदेशकों को कोई अन्य पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है. 21 जनवरी 2019 से एलआईसी द्वारा अधिग्रहण के बाद तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुनः श्रेणीनिर्धारण के बाद पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन जरूरी हो गया है.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, एलआईसी द्वारा नामांकन और रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन के बाद श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ की सेवाएँ भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार नई नियुक्ति द्वारा समान पारिश्रमिक पर एमडी एवं सीईओ के रूप में जारी रखी गईं. जहां तक अन्य डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति का सवाल है, बोर्ड ने नए डीएमडी की नियुक्ति तक वर्तमान दोनों डब्ल्यूटीडी (डीएमडी) की की सेवाएँ जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था. अतः यथा 31 मार्च 2019 को, सरकार द्वारा पूर्व में जारी किए गए नियुक्ति पत्र के अनुसार, दोनों ही वर्तमान पदधारियों ने वर्तमान पारिश्रमिक पर पर डब्ल्यूटीडी (डीएमडी) के रूप में पद संभालना जारी रखा.

श्रेणी 2

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए पारिश्रमिक :

सीएफ़ओ और सीएस के पद आईडीबीआई बैंक के कैडर अधिकारियों द्वारा धारित किए जाते हैं तथा उनकी वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना आईडीबीआई बैंक द्वारा समानान्तर ग्रेड में अन्य अधिकारियों को ऑफर की जा रही वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना के समतुल्य होगी तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.

श्रेणी 3 : अन्य अधिकारी और कर्मचारी

आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना को इस संबंध में समय-समय पर निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद बैंक द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा. वर्तमान नीति के अनुसार, वेतनमान तथा पारिश्रमिक संरचना स्थायी संरचना है जो कि आईबीए के वेतनमान तथा पारिश्रमिक संरचना के अनुसार बनाई गई है तथा 5 वर्ष की अवधि के लिए उद्योग स्तरीय समझौते की अवधि के साथ समाप्त होती है.

अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :

ग्रेड	संख्या
अधिकारी (ग्रेड ए से कार्यपालक निदेशक)	14896
एक्जीक्यूटिव	815
लिपिकीय	736
अधीनस्थ	668
कुल योग	**17115**

(ख) पारिश्रमिक प्रक्रियाओं के ढांचे और संरचना के संबंध में जानकारी तथा पारिश्रमिक नीति की मुख्य विशेषताएँ और उसके उद्देश्य

पारिश्रमिक नीति की मुख्य विशेषताओं और उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण :

वर्ष 2018-19 के दौरान, 21 जनवरी 2019 को एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 51% नियंत्रक शेयर अधिग्रहण को पूरा किया तथा उक्त तारीख को और उक्त तारीख से उसे बैंक के प्रवर्तक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया.

एलआईसी द्वारा अधिग्रहण से पहले, सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण, पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा संबंधित पूर्णकालिक निदेशकों के नियुक्ति आदेश के अनुसार निर्धारित किए जाते थे, जबकि गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसरण के अनुसार किया जाता था. गैर-कार्यपालक निदेशकों को कोई अन्य पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता है. एलआईसी द्वारा अधिग्रहण करने तथा रिज़र्व बैंक द्वारा यथा 21 जनवरी 2019 से इसे निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एलआईसी द्वारा नामांकित किए जाने और भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर श्री राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ को भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार इसी पारिश्रमिक पर नयी नियुक्ति द्वारा एमडी एवं सीईओ के रूप में जारी रखा गया था. अन्य पूर्णकालिक निदेशकों (डीएमडी) की नियुक्तियों के संबंध में बोर्ड ने मौजूदा दो पूर्णकालिक निदेशकों (डीएमडी) की सेवा को नए उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति तक जारी रखने की मंजूरी दी थी. अतः 31 मार्च 2019 तक मौजूदा पदधारियों ने भारत सरकार द्वारा जारी पूर्व नियुक्ति पत्र के अनुसार मौजूदा पारिश्रमिक पर पूर्णकालिक निदेशकों (डीएमडी) के पद को संभालना जारी रखा.

पारिश्रमिक नीति का उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना किः

(क) पारिश्रमिक का स्तर और स्वरूप कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए वांछित गुणवत्ता वाले निदेशकों को आकर्षित करने, रोक कर रखने और प्रोत्साहित करने लायक उपयुक्त व पर्याप्त हो;

(ख) कार्य-निष्पादन और पारिश्रमिक का संबंध स्पष्ट हो तथा उचित कार्य-निष्पादन का बेंचमार्क पूरा करे; तथा

(ग) निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन को दिया जाने वाला पारिश्रमिक कंपनी और इसके लक्ष्यों के लिए उपयुक्त लघु और दीर्घकालिक कार्यनिष्पादन के उद्देश्यों को दर्शाते हुए निश्चित और प्रोत्साहन वेतन के बीच संतुलन स्थापित करता है.

(ग) पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को कम करने के तरीकों का विवरण. इसमें इन जोखिमों का ध्यान रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों का स्वरूप और प्रकार शामिल होने चाहिए.

वर्ष 2018-19 के दौरान एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 51% नियंत्रणकारी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को 21 जनवरी 2019 को पूरा कर लिया था और उपर्युक्त तारीख को और उक्त तारीख से इसे बैंक के प्रवर्तक के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया था.

एलआईसी द्वारा अधिग्रहण से पूर्व सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक पूर्णकालिक निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार निर्धारित किए गए थे, जबकि गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अनुपालित दरों के अनुसार किया गया था. गैर-कार्यकारी निदेशकों को कोई अन्य पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है. एलआईसी द्वारा अधिग्रहण किए जाने और रिज़र्व बैंक द्वारा 21 जनवरी 2019 से इसे निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुनःश्रेणीकृत किए जाने के बाद पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एलआईसी द्वारा नामांकित किए जाने और भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर श्री राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ को भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार इसी पारिश्रमिक पर नयी नियुक्ति द्वारा एमडी एवं सीईओ के रूप में जारी रखा गया था. अन्य पूर्णकालिक निदेशकों (डीएमडी) की नियुक्तियों के संबंध में बोर्ड ने मौजूदा दो पूर्णकालिक निदेशकों (डीएमडी) की सेवा को नए उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति तक जारी रखने की मंजूरी दी थी. अतः 31 मार्च 2019 तक मौजूदा पदधारियों ने भारत सरकार द्वारा जारी पूर्व नियुक्ति पत्र के अनुसार मौजूदा पारिश्रमिक पर पूर्णकालिक निदेशकों (डीएमडी) के पद को संभालना जारी रखा.

क्या पारिश्रमिक समिति ने पिछले वर्ष के दौरान फर्म की पारिश्रमिक नीति की समीक्षा की है, और यदि हाँ, तो किए गए परिवर्तनों पर टिप्पणी देंः

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने अपनी पारिश्रमिक नीति की समीक्षा नहीं की है. तथापि, आईडीबीआई बैंक में एलआईसी द्वारा 51% नियंत्रणकारी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप बैंक ने अपनी पारिश्रमिक नीति को संशोधित किया था ताकि एलआईसी द्वारा अधिग्रहण के कारण परिणामी परिवर्तनों को शामिल किया जा सके और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के संशोधनों को शामिल किया जा सके जिसे एनआरसी और बोर्ड द्वारा 13 मई 2019 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था.

इस विषय पर चर्चा कि बैंक अपने कारोबार से इतर जोखिम तथा अनुपालन दायित्व संभालने वाले कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से पारिश्रमिक को कैसे सुनिश्चित करता है :

मई 2017 में रिज़र्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए के अंतर्गत रख दिया था और एनपीए तथा बैंक को हो रही हानियों को ध्यान में रखते हुए पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन आधारित किसी प्रकार के प्रोत्साहन की मंजूरी सहित कई प्रतिबंध लगाए थे. बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के द्वारा पीसीए से बाहर आने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं. वर्तमान में विभिन्न खंडों में सभी कर्मचारियों को दिया जा रहा पारिश्रमिक एकरूपता का अनुसरण करता है.

कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लागू वेतन संरचना की संरेखा पर ही आधारित हैं. जोखिम व अनुपालन दायित्व संभालने वाले कर्मचारियों के लिए कोई पृथक पारिश्रमिक नहीं है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(घ)	उन तरीकों का विवरण जिसमें बैंक कार्यनिष्पादन माप अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन को पारिश्रमिक के स्तरों के साथ जोड़ना चाहता है. वर्तमान में बैंक अपने कर्मचारियों के लिए संरचित वेतन मान आधारित प्रतिकर प्रदान करता है, जो कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाए गए वेतन भत्तों के अनुसार ही है. यह बैंकों की तरफ से भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में कामगार यूनियनों/ अधिकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद किए गए समझौते के अनुसार है. वर्तमान में बैंक में कार्य-निष्पादन आधारित पारिश्रमिक की कोई अवधारणा लागू नहीं है.
(ड.)	परिवर्ती पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित करने के संबंध में बैंक की नीति और निहित करने से पहले और निहित करने के बाद आस्थगित पारिश्रमिक का समायोजन करने के लिए बैंक की नीति और मानदंडों पर चर्चा. वर्तमान में बैंक कर्मचारियों के लिए लागू प्रतिकर संरचना में कोई परिवर्तनीय पारिश्रमिक नहीं है.
(च)	परिवर्ती पारिश्रमिक के विभिन्न प्रकारों (जैसे: नकद, शेयर, ईएसओपी और अन्य प्रकार) जिन्हें बैंक प्रयोग करता है, के विवरण और इन विभिन्न प्रकारों के प्रयोग के लिए औचित्य. वर्तमान में बैंक अपने कर्मचारियों के लिए संरचित वेतन मान आधारित प्रतिकर प्रदान करता है, जो कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाए गए वेतन भत्तों के अनुसार ही है. यह भारतीय बैंक संघ और बैंकों के कर्मचारियों की यूनियनों/ संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच हुए उद्योग स्तरीय समझौते के अनुसार है. वर्तमान में बैंक में कोई परिवर्तनीय पारिश्रमिक लागू नहीं है.

मात्रात्मक प्रकटन

(मात्रात्मक प्रकटन में केवल पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अन्य जोखिम लेने वालों की जानकारी शामिल है) *

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(छ)	वित्तीय वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या और उन्हें प्रदत्त पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
(ज)	(i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्ती पारिश्रमिक प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या.	शून्य	शून्य
	(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए गए साइन ऑन पुरस्कारों की संख्या और कुल राशि	शून्य	शून्य
	(iii) तैनाती/ साइन ऑन बोनस के रूप में भुगतान किए गए गारंटीकृत बोनस, यदि कोई हो, के विवरण.	शून्य	शून्य
	(iv) उपचित लाभों के अतिरिक्त सेवाविच्छेद भुगतान, यदि कोई हो, के विवरण.	शून्य	शून्य
(झ)	(i) नकद, शेयर आधारित लिखत और अन्य प्रकारों में विभक्त बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि.	शून्य	शून्य
	(ii) वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि	शून्य	शून्य
(ञ)	नियत और परिवर्ती, आस्थगित और गैर-आस्थगित घटकों को दिखाने हेतु वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कार राशि का विश्लेषण	शून्य	शून्य
(ट)	(i) पूर्व सुस्पष्ट और/ अथवा अस्पष्ट समायोजनों के प्रति बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और धारित पारिश्रमिक की कुल राशि	शून्य	शून्य
	(ii) पूर्व सुस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्त वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि	शून्य	शून्य
	(iii) पूर्व अस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्त वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि	शून्य	शून्य

*उपलब्ध कराई गई जानकारी पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संबंध में है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Qualitative disclosures

(a)	Information relating to the composition and mandate of the Remuneration Committee.
	Name, composition and mandate of the main body overseeing remuneration:
	On February 25, 2019, the Nomination Committee and the Remuneration Committee was merged into a single committee known as Nomination and Remuneration Committee (NRC). The NRC comprises of five members with an Independent Director, as its chairman and Government Nominee Director, LIC Nominee Director and two other Independent Directors as other members. The Committee fulfils the mandate/ terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013, Regulation 19 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations and RBI guidelines in respect of fit and proper status of Directors as under. • Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board of Directors a policy relating to appointment and evaluation of Directors; • To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual directors, to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance; • Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors; • Devising a policy on diversity of Board of Directors; • To identify persons who are qualified for appointment as Independent Directors in accordance with Directors' Appointment and Evaluation Policy; • To recommend to the Board the appointment and removal of Directors in accordance with the criteria laid down in the Directors' Appointment and Evaluation Policy; • To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment / continuing to hold appointment as a director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors including independent directors and formulate the criteria relating thereto; • Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc; • Recommend to the Board, all remuneration, in whatever form, payable to the senior management; • To work in co-ordination with Risk Management Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks As on March 31, 2019, the NRC comprised of five members with Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director, as its chairman and Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director, Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, Shri B. B. Joshi & Shri N. Jambunathan, Independent Directors as other members External consultants whose advice has been sought, the body by which they were commissioned, and in what areas of the remuneration process During the year 2018-19, no external consultants were appointed for seeking advise in any of the areas of remuneration process
	A description of the scope of the Bank's remuneration policy, including the extent to which it is applicable to foreign subsidiaries and branches: The Committee monitors the remuneration policy for both domestic and overseas branches of the Bank on behalf of the Board. However, it does not oversee the compensation policy for subsidiaries of the Bank. **A description of the type of employees covered and number of such employees:** **Category 1** MD & CEO and WTDs. This category includes 3 employees. Prior to the acquisition by LIC, being a Government owned public sector bank, the remuneration of Whole Time Directors was fixed by GoI as per the appointment orders of the respective Whole Time Directors, while the Non- Executive Directors were paid sitting fees as per the rates prescribed by GoI and followed by all Public Sector Banks. No other remuneraton are paid to non-Executive Directors. Post acquisition by LIC and re-categorization by RBI as a Private Sector Bank w.e.f January 21, 2019, the Whole Time Executive Directors' appointments and remuneration requires prior approval of RBI.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

During the FY 2018-19, upon nomination by LIC and approval from RBI, Shri Rakesh Sharma MD & CEO was continued as MD & CEO by fresh appointment on the same remuneration as per the appointment order issued by GoI. As regards the appointments of other WTDs, Board had approved continuation of the service of Existing two WTDs(DMDs) till the appointment of new DMDs. Hence as on 31st March 2019, the existing incumbents continued to hold position of WTDs (DMDs) on their existing remuneration as per earlier appointment letter issued by GoI.

Category 2

Remuneration of Key Managerial Personnel:

The positions of CFO and CS are held by cadre officers of IDBI Bank and their Pay Scales and Remuneration structure would be equivalent to the Pay Scales and Remuneration structure being offered by IDBI Bank to the other parallel grade officers and would be finalized by the Bank with the approval of the Board of Directors

Category 3: other Officers and employees

The Pay Scales and Remuneration structure of IDBI Bank's Officers and Employees are finalized by IDBI Bank after obtaining Board of Directors' approval. As per the current policy, the pay scales and remuneration structure is a fixed structure, which is drawn out on the lines of IBA pay scales and structure, and runs co-terminus with the industry level settlements for a period of 5 years.

Count of Officers and employees is given below:

Grade	Count
Officers (Gr A to ED)	14896
Executives	815
Clerical	736
Subordinates	668
Grand Total	**17115**

(b) Information relating to the design and structure of remuneration processes and the key features and objectives of remuneration policy.

An overview of the key features and objectives of remuneration policy:

During the year 2018-19, LIC had on January 21, 2019 completed acquisition of 51% Controlling Stake in IDBI Bank and was reclassified as Promoter of the Bank on and from the aforesaid date.

Prior to the acquisition by LIC, being a Government owned public sector bank, the remuneration of Whole Time Directors was fixed by GoI as per the appointment orders of the respective Whole Time Directors, while the Non-Executive Directors were paid sitting fees as per the rates prescribed by GoI and followed by all Public Sector Banks. No other remuneration is paid to non-Executive Directors. Post acquisition by LIC and re-categorization by RBI as a Private Sector Bank w.e.f. January 21, 2019, the Whole Time Executive Directors' appointments and remuneration requires prior approval of RBI.

During the FY 2018-19, upon nomination by LIC and approval from RBI, Shri Rakesh Sharma MD & CEO was continued as MD & CEO by fresh appointment on the same remuneration as per the appointment order issued by GoI. As regards the appointments of other WTDs, Board had approved continuation of the service of Existing two WTDs (DMDs) till the appointment of new DMDs. Hence as on 31st March 2019, the existing incumbents continued to hold position of WTDs (DMDs) on their existing remuneration as per earlier appointment letter issued by GoI.

Objective of the Remuneration Policy

To ensure that:

a) the level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, retain and motivate directors of the quality required to run the company successfully;

b) relationship of remuneration to performance is clear and meets appropriate performance benchmarks; and

c) remuneration to directors, key managerial personnel and senior management involves a balance between fixed and incentive pay reflecting short and long term performance objectives appropriate to the working of the company and its goals:

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(c)	Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It includes the nature and type of the key measures used to take account of these risks. During the year 2018-19, LIC had on January 21, 2019 completed acquisition of 51% Controlling Stake in IDBI Bank and was reclassified as Promoter of the Bank on and from the aforesaid date. Prior to the acquisition by LIC, being a Government owned public sector bank, the remuneration of Whole Time Directors was fixed by GoI as per the appointment orders of the respective Whole Time Directors, while the Non-Executive Directors were paid sitting fees as per the rates prescribed by GoI and followed by all Public Sector Banks. No other remuneration are paid to non-Executive Directors. Post acquisition by LIC and re-categorization by RBI as a Private Sector Bank w.e.f January 21, 2019, the Whole Time Executive Directors' appointments and remuneration requires prior approval of RBI. During the FY 2018-19, upon nomination by LIC and approval from RBI, Shri Rakesh Sharma MD & CEO was continued as MD & CEO by fresh appointment on the same remuneration as per the appointment order issued by GoI. As regards the appointments of other WTDs, Board had approved continuation of the service of Existing two WTDs(DMDs) till the appointment of new DMDs. Hence as on 31st March 2019, the existing incumbents continued to hold position of WTDs (DMDs) on their existing remuneration as per earlier appointment letter issued by GoI. Whether the remuneration committee reviewed the firm's remuneration policy during the past year, and if so, an overview of any changes that were made: During the FY 2018-19 the bank has not reviewed its remuneration policy. However, consequent to Acquisition of 51% Controlling Stake by LIC in IDBI bank, the bank had revised its remuneration policy so as to cover the resultant changes due to acquisition by LIC, and also covering amendments to the Companies Act, 2013 and SEBI (LO DR) Regulations, 2015 which was approved by the NRC and Board in its meetings held on May 13, 2019. A discussion of how the Bank ensures that risk and compliance employees are remunerated independently of the businesses they oversee: On May – 2017, RBI had put IDBI Bank under PCA and imposed several restrictions including granting any performance linked incentives to the WTDs in view of NPAs and losses incurred by the Bank. The bank continues its efforts to come out of PCA by implementing the restrictions imposed by RBI. Presently, the remuneration being paid to all employees in different segments follows uniformity. Pay and allowances for employees is presently based on structured pay scale in alignment with the structure prevailing in Public Sector Banks. There is no independent remuneration for risk and compliance employees.
(d)	Description of the ways in which the bank seeks to link performance during a performance measurement period with levels of remuneration. Presently Bank follows a structured pay scale based compensation for its employees, in alignment with the pay and allowances structure followed in Public Sector Banks, as arrived by Indian Banks' Association on behalf of the Banks through negotiated settlements with workmen unions / officers' associations representing the employees of the member Banks. As such there is no concept of remuneration linked with performance presently in the Bank.
(e)	A discussion of the bank's policy on deferral and vesting of variable remuneration and a discussion of the bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting. Presently there is no variable remuneration in the compensation structure applicable to Bank's employees.
(f)	Description of the different forms of variable remuneration (i.e. cash, shares, ESOPs and other forms) that the bank utilizes and the rationale for using these different forms. Remuneration to employees of the Bank is presently in alignment with the structured pay scales as applicable in Public Sector Banks, which is done by way of industry level negotiated settlements through Indian Banks' Association and representative unions/associations of member banks. There are currently no other forms of variable remuneration in the Bank.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Quantitative disclosures

(The quantitative disclosures includes only Whole Time Directors / Chief Executive Officer/ Other Risk Takers)*

		Current Year	Previous Year
(g)	Number of meetings held by the Remuneration Committee during the financial year and remuneration paid to its	Nil	Nil
(h)	(i) Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year.	Nil	Nil
	(ii) Number and total amount of sign on awards made during the financial year.	Nil	Nil
	(iii) Details of guaranteed bonus, if any, paid as joining / sign on bonus	Nil	Nil
	(iv) Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	Nil	Nil
(i)	(i) Total amount of outstanding deferred remuneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms.	Nil	Nil
	(ii) Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	Nil	Nil
(j)	Breakdown of amount of remuneration awards for the financial year to show fixed and variable, deferred and non deferred.	Nil	Nil
(k)	(i) Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments.	Nil	Nil
	(ii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments.	Nil	Nil
	(iii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments.	Nil	Nil

* The information provided is with respect to the Whole Time Directors / Chief Executive Officer

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबधी आवश्यकताएं
B DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

1. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एएस-10)
FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENTS AS-10)

i. बैंक ने 31 मार्च 2019 को कारोबार समय की समाप्ति पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा किए गए मूल्यांकनों के आधार पर पट्टाधृत/ पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि एवं आवासीय/ कार्यालय भवन सहित परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया है. 31 मार्च 2019 के अनुसार ₹ 7,116.98 करोड़ अंतिम पुनर्मूल्यांकन पर विचार किया गया था. पुनर्मूल्यांकन पर ₹2,013.12 करोड़ का निवल प्रोत्साहन उत्पन्न हुआ जिससे निवल बही मूल्य में ₹ 5,103.86 करोड़ का अंतर आया और ₹ 7,116.98 करोड़ की पुनर्मूल्यांकन राशि को 31 मार्च 2019 को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा कर दिया गया था.

The bank has re-valued the Premises include Leasehold / Freehold Land & Residential/ Office building at the end of business hours, on 31st March 2019 based on valuations made by independent valuers. The final revaluation considered was ₹ 7,116.98 crore as on March 31, 2019. The net appreciation of ₹ 2,013.12 crore arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 5,103.86 crore and revalued amount of ₹ 7,116.98 crore was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2019

ii. 31 मार्च 2019 को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में शेष ₹ 6,727.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,053.88 करोड़) है.

The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2019 is 6,727.69 crore (₹ 5,053.88 crore for previous year).

iii. वर्ष के दौरान आवास/ कार्यालय भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर ₹ 72.57 करोड़ की निवल हानि राशि को अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है.

Net Loss amounting to ₹ 72.57 crore on account of sale of residential/office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.

iv. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से सामान्य रिजर्व अंतरित राशि ₹ 339.31 करोड़ (₹ 363.87 करोड़) में पुनर्मूल्यांकित अंश ₹ 182.37 करोड़ (₹ 185.34 करोड़) पर मूल्यह्रास की राशि शामिल है तथा आस्ति की बिक्री पर पुनर्मूल्यांकन रिजर्व का शेष ₹ 156.94 करोड़ (₹ 178.53 करोड़) है.

Amount transferred from revaluation reserve to general reserve ₹ 339.31 crore (₹ 363.87 cr) includes amount of depreciation on revalued portion ₹ 182.37 crore (₹ 185.34 crore) and balance of revaluation reserve on sale of asset is ₹ 156.94 crore (₹ 178.53 crore).

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित)
EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED)

अ. कर्मचारी लाभ योजनाएं

A. Employee Benefit Schemes

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं

Defined Contribution Schemes

बैंक के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने पेंशन विकल्प चुना है, जिन्होंने 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में सेवा ग्रहण की है, उन्हें भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक ने एक निर्दिष्ट अंशदान तय किया है जो कि मूल वेतन के नियत प्रतिशत के रूप में पीएफएस में जाता है. भविष्य निधि योजना को ''आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की भविष्य निधि (निधि) प्रशासक समिति'' द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फाइनेंस (आईएचएफएल) तथा आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदान मई 2011 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराए गए हैं और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लेखित निधि में किए गए हैं. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 13.52 करोड़ (₹ 4.52 करोड) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is administered by "The Committee of Administrators of IDBI Bank Employees' Provident Fund (Fund)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year, ₹ 13.52 crore (₹ 4.52 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद कार्यग्रहण किया है उन्हें निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के तहत कवर किया गया है, जिसमें बैंक मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है. वर्ष के दौरान डीसीपीएस में ₹ 153.16 करोड़ (₹ 69.20 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹153.16 crore (₹ 69.20 crore) has been contributed to DCPS and charged to Profit and Loss Account.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं

Defined Benefit Schemes

बैंक कर्मचारियों की ग्रैच्युटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रैच्युटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान देता है.

The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

क. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं, जिसका प्रशासन 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.

a. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ख. इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति से की जाती है.

b. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

आ. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और यथा 31 मार्च 2019 को बैंक के वित्तीय विवरण में दर्शायी गईं राशियों की स्थिति को प्रस्तुत करती है जो एएस - 15 (संशोधित) के अनुसार है:

B. The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2019 which is per AS-15(R).

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2019 Pension As at March 31, 2019	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2019 Gratuity As at March 31, 2019	पेंशन यथा 31 मार्च 2018 Pension As at March 31, 2018	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2018 Gratuity As at March 31, 2018
क) a) लाभ दायित्वों में परिवर्तन : Change in benefit obligations:				
वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	2111.79	709.54	2059.32	643.70
ब्याज लागत/ Interest cost	163.66	55.56	153.42	47.25
चालू सेवा लागत/ Current Service cost	33.06	34.85	36.64	39.41
सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	0.00	12.31	0.00	46.28
अंतरित देयता आगम/ (निर्गम) Liability Transferred In/ (Out)	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(138.94)	(81.16)	(111.50)	(57.79)
बीमांकिक (लाभ)/ हानि / Actuarial (gain)/ loss	0.56	8.74	(0.97)	7.99

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

	विवरण / Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2019 Pension As at March 31, 2019	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2019 Gratuity As at March 31, 2019	पेंशन यथा 31 मार्च 2018 Pension As at March 31, 2018	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2018 Gratuity As at March 31, 2018
	वित्तीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains) / Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(7.07)	2.60	(67.84)	(33.64)
	व्यवहार के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains) / Losses on Obligations - Due to Experience	180.22	44.60	42.72	16.34
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ/ दायित्व **Projected benefit/ obligation, end of the year**	**2343.28**	**787.04**	**2111.79**	**709.54**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन :** **Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	2289.98	641.54	2257.56	565.28
	योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	177.47	50.23	168.19	41.49
	नियोक्ता का अंशदान / Employer's contributions	50.17	97.66	14.55	83.84
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other company	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(138.94)	(81.16)	(111.50)	(57.79)
	बीमांकिक लाभ/ (हानि) / Actuarial gain/ (loss)	57.23	(0.05)	(38.82)	8.72
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य **Fair value of plan assets at the end of the year**	**2435.91**	**708.22**	**2289.98**	**641.54**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान** **Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	2343.28	787.04	2111.79	709.54
	भविष्य में अभिनिर्धारित/ प्रावधान की जानेवाली संक्रमण कालीन (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/provided in future	0.00	0.00	0.00	0.00
	लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation	2343.28	787.04	2111.79	709.54
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets	2435.91	708.22	2289.98	641.54
	अधिशेष/(घाटा)/ Surplus/ (Deficit)	**92.63**	**(78.82)**	**178.19**	**(68.00)**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

	विवरण / Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2019 Pension As at March 31, 2019	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2019 Gratuity As at March 31, 2019	पेंशन यथा 31 मार्च 2018 Pension As at March 31, 2018	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2018 Gratuity As at March 31, 2018
घ) d)	**वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year**				
	सेवा लागत / Service cost	33.06	34.85	36.64	39.41
	ब्याज लागत / Interest cost	163.66	55.56	153.42	47.25
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(177.47)	(50.23)	(168.19)	(41.49)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	116.48	55.99	12.73	(18.03)
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान निर्धारित की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	0.00	12.31	0.00	11.57
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई संक्रमण कालीन देयता Transitional liability recognized during the year	(23.74)	34.71	0.00	0.00
	उपर्युक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	**111.99**	**143.19**	**34.60**	**38.71**
	पुनरांकित न की गई बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability not written back	92.63	0.00	178.19	0.00
	चालू वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	(178.19)	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान में समायोजित किए गए निवेशों पर एलआईसी द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्याज दर में वृद्धि के कारण ग्रैच्युटी फंड मूल्य में वृद्धि Increase in Gratuity Fund Value due to increase in rate of interest offered by LIC on investments adjusted in current year	0.00	(0.17)	0.00	0.00
	वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	**26.43**	**143.02**	**212.79**	**38.71**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

	विवरण / Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2019 Pension As at March 31, 2019	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2019 Gratuity As at March 31, 2019	पेंशन यथा 31 मार्च 2018 Pension As at March 31, 2018	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2018 Gratuity As at March 31, 2018
ङ) e)	**आस्तियों की श्रेणी Category of Assets**				
	भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets	0.00	0.00	591.85	0.00
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां State Government Securities	186.38	0.00	474.29	0.00
	कॉरपोरेट बॉन्ड/ Corporate Bonds	724.80	0.00	597.12	0.00
	विशेष जमा योजना/ Special Deposits Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	1342.02	708.22	347.21	641.54
	अन्य/ Others	182.71	0.00	279.51	0.00
	कुल/ Total	**2435.91**	**708.22**	**2289.98**	**641.54**
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर/ Discount rate	7.78%	7.78%	7.75%	7.83%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of return on plan assets	7.78%	7.78%	7.75%	7.83%
	वेतन बढ़ोतरी दर/ Salary escalation rate	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%
	ह्रास दर/ Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08 % और उसके बाद 3.50 % 3.08% for service less than 5 years and 3.50% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08 % और उसके बाद 3.50 % 3.08% for service less than 5 years and 3.50% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.62 % और उसके बाद 3.21 % 2.62 % for service less than 5 Years and 3.21 % thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.62 % और उसके बाद 3.21 % 2.62 % for service less than 5 Years and 3.21 % thereafter
	मृत्यु दर/ Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.		भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

उपदान की सीमा ₹ 10 लाख से ₹ 20 लाख तक बढ़ाने के लिए 29 मार्च 2018 को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल 2018 के अपने पत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.9730/21.04.018./2017-18 द्वारा बैंकों को विकल्प दिया है कि वे उपदान सीमा में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त देयता को 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही से आरंभ कर चार तिमाहियों में फैला सकते हैं. तदनुसार, बैंक ने यथा दिनांक 31.03.2018 को ₹ 34.71 करोड़ उपदान देयता की राशि को आस्थगित कर दिया था जिसका चालू वर्ष में पूरी तरह प्रबंध किया गया. अतः यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को और कोई अपरिशोधित उपदान देयता नहीं है.

The payment of Gratuity Act 1972 was amended on March 29, 2018 to increase the limit of Gratuity from ₹ 10 lakhs to ₹ 20 lakhs. The Reserve Bank of India vide its communication DBR No. BP.BC. 9730/ 21.04.018/ 2017-18 dated April 27, 2018, has given option to Banks to spread additional liability on account of enhancement in gratuity limits in four quarter beginning with the quarter ended March 31, 2018. Accordingly, the Bank had deferred the amount of Gratuity liability of ₹ 34.71 crore as on 31.03.2018 which was subsequently provided fully in the current year and there is no further unamortised gratuity liability as on 31.03.2019.

ग. अन्य दीर्घावधि लाभ:
C Other long term benefits

बैंक के कर्मचारी अपनी अर्जित/ विशेषाधिकार छुट्टी का संचय करने के लिए पात्र हैं जिसमें अधिकारी अधिकतम 240 दिन और अन्य स्टाफ 300 दिन तक की छुट्टी का संचय कर सकते हैं. प्रति वर्ष अधिकतम 15 दिन की छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है.
Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 240 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.
Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन पूर्वानुमानित यूनिट-क्रेडिट पद्धति से किया गया है और वर्ष के दौरान ₹ 90.64 करोड़ की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है.
Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 90.64 Crore has been charged to Profit and Loss Account during the year.

बैंक के कर्मचारी अशक्तता सहायता के पात्र हैं जिसे अशक्तता घटित होने पर बैंक वहन करता है.
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)/ SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्य रूप से निम्न तीन कारोबारी खंडों में परिचालन करता है:
The Bank primarily operates in three business segments as under :

ट्रेजरी / Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाजार परिचालन, व्युत्पन्नों का सौदा, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित वैयक्तिक एवं लघु कारोबार पर केंद्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल/करेंसी कार्ड, अन्य पक्ष वितरण और ट्रांजेक्शन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services.
कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलापों को कवर करने वाले कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी / सिंडिकेशन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन और ट्रेजरी के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो कवर भी शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. स. Sr. No.	विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 Year Ended March 31, 2019	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 Year Ended March 31, 2018
		लेखा परीक्षित Audited	लेखा परीक्षित Audited
क./a.	**खंड राजस्व/ Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	13938	19105
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	29479	27899
	ट्रेजरी / Treasury	440	141
	कुल / TOTAL	**43857**	**47144**
	घटाएं : अंतर-खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	18485	17104
	परिचालनों से निवल बिक्री/ आय / Net sales/ income from operations	**25372**	**30040**
ख./b.	**खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ/ (हानि) Segment Results - Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/Wholesale Banking	(24852)	(14621)
	खुदरा बैंकिंग/Retail Banking	1733	1964
	ट्रेजरी /Treasury	291	64
	कुल/TOTAL	**(22827)**	**(12593)**
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ/ (हानि) Total profit/ (loss) before tax	**(22827)**	**(12593)**
	आय कर/Income taxes	(7711)	(4355)
	निवल लाभ/ (हानि)/Net profit/ (loss)	**(15116)**	**(8238)**
ग./c.	**खंड आस्तियां/Segment assets**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	121157	202515
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	171469	128470
	ट्रेजरी / Treasury	2965	3054
	अविनिधानित आस्तियां/ Unallocated assets	24694	16047
	कुल आस्तियां / Total assets	**320284**	**350086**
घ./d.	**खंड देयताएं / Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	77899	109113
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	211127	218686
	ट्रेजरी / Treasury	375	6587
	अविनिधानित देयताएं / Unallocated liabilities	-	-
	कुल देयताएं/ Total liabilities	**289400**	**334386**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. स. Sr. No.	विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 Year Ended March 31, 2019	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 Year Ended March 31, 2018
ङ./e.	**नियोजित पूंजी (खंड आस्तियां - खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	43258	93402
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	(39658)	(90215)
	ट्रेजरी / Treasury	2590	(3533)
	अविनिधानित / Unallocated	24694	16047
	कुल देयताएं / Total	**30884**	**15700**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरित एफटीपी (निधि अंतरण मूल्य) सिस्टम के तहत गणना किए गए अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं.
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per FTP (Fund Transfer Pricing) system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक ने यह माना है कि वह मुख्य रूप से देशी खंड में परिचालन करता है और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
  The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments

4. संयुक्त उद्यम (एएस-27)/ JOINT VENTURES (AS-27)

निवेशों में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम में बैंक के हित से संबंधित ₹ 384 करोड़ (₹ 384 करोड़) शामिल है.
Investments include ₹ 384 Crore (₹ 384 Crore) representing Bank's interest in the following joint venturer

कंपनी का नाम /Name of the Company	निवास का देश/ Country of Residence	धारिता/ Holding
आईडीबीआई फेडरल लाईफ इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड/ IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	भारत/ India	48%

एएस 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित सभी आस्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की प्रत्येक की कुल राशियों का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है:
As required by AS-27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entity are disclosed as under:

विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 (लेखापरीक्षित) March 31, 2019 (Audited)	31 मार्च 2018 (लेखापरीक्षित) March 31, 2018 (Audited)
देयताएं / Liabilities		
इक्विटी पूंजी एवं रिजर्व / Equity Capital & Reserve	384.00	384.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	149.02	177.83
कुल / Total	**533.02**	**561.83**
आस्तियां/ Assets		
नकदी और बैंक शेषराशियां / Cash and Bank Balances	65.54	78.62
निवेश / Investments	216.27	180.74

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 (लेखापरीक्षित) March 31, 2019 (Audited)	31 मार्च 2018 (लेखापरीक्षित) March 31, 2018 (Audited)
अचल आस्तियां / Fixed Assets	65.99	69.04
अन्य आस्तियां/ Other Assets	239.26	223.77
विविध व्यय / संचित हानि / Miscellaneous Expenditure/Accumulated Losses	(54.06)	9.67
कुल/ Total	**533.02**	**561.83**
पूंजी वचनबद्धताएं/ Capital Commitments	0.00	0.00
अन्य आकस्मिक देयताएं/ Other Contingent Liabilities	30.23	20.26
आय / Income		
निवेशों से आय/ब्याज आय/ Income from Investments/Interest Income	22.27	20.26
अन्य आय / Other income	50.22	31.78
कुल / Total	**72.48**	**52.04**
व्यय / Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि / Losses from Insurance Business	0.00	0.00
परिचालनगत व्यय/ Operating expenses	3.62	3.59
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies	5.13	0.00
कुल / Total	**8.75**	**3.59**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)/ Profit/(Loss) for the Year	**63.73**	**48.45**

5. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18)/ RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

अ. एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची

A. List of related party as per AS-18

I. धारक कंपनी:
Holding Company
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)
(21 जनवरी 2019 को चुकता पूंजी में 51% हिस्सेदारी अधिग्रहित की)
Life Insurance Corporation of India (LIC)
(Acquired 51% stake in paid up capital on January 21, 2019)

II. सहायक संस्थाएं
Subsidiaries

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड
IDBI Capital Market & Securities Limited.

आईडीबीआई इंटेक लि.
IDBI Intech Ltd.

आईडीबीआई म्युचूअल फंड ट्रस्टी कंपनी लि.
IDBI Mutual Fund Trustee Company Ltd.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि.
IDBI Asset Management Ltd.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.
IDBI Trusteeship Services Limited

III. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था
Jointly controlled entity

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.

IV. सहायक कंपनियां
Associates

बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लिमिटेड.
Biotech Consortium India Ltd.
नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड .
National Securities Depository Ltd
नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
North Eastern Development Finance Corporation Ltd
पॉन्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआईपीडीआईसीएल)
Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd (PIPDICL)

V. बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
Key management personnel of the Bank

श्री महेश कुमार जैन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (21 जून 2018 तक).
Shri Mahesh Kumar Jain, Managing Director & CEO (upto June 21, 2018).

श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (30 जून 2018 से 30 सितम्बर 2018).
Shri B. Sriram, Managing Director & CEO (from June 30, 2018 to September 30, 2018).

श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (10 अक्तूबर 2018 से).
Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO (from October 10, 2018).

श्री कृष्ण प्रसाद नायर, उप प्रबंध निदेशक
Shri Krishna Prasad Nair, Deputy Managing Director.

श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक
Shri G.M.Yadwadkar, Deputy Managing Director.

श्री अजय शर्मा, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी.
Shri Ajay Sharma, Executive Director & Chief Financial Officer

श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव
Shri Pawan Agrawal, Company Secretary.

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(51)(v) की शर्तों के अनुसार, बोर्ड ने 21 मार्च 2018 को निदेशकों से एक स्तर नीचे के अधिकारियों को केएमपी के रूप में पदनामित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था. बैंक ने 19 अप्रैल 2018 को उक्त अधिकारियों को केएमपी के रूप में रिपोर्टिंग/ पंजीयन के लिए एमसीए के पास फॉर्म दाखिल किया था. अभी तक उक्त अधिकारियों को एमसीए साइट के अंतर्गत केएमपी के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है, अतः तकनीकी रूप से उन्हें केएमपी नहीं माना जा सकता. तथापि प्रचुर सावधानी के रूप में, बैंक उक्त बोर्ड अनुमोदन के अनुसार संबद्ध पक्ष संव्यवहारों के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणों में उक्त अधिकारियों के पारिश्रमिक से संबंधित जानकारी प्रकट करता है.

In terms of Section 2(51)(v) of the Companies Act, 2013, the Board had approved the proposal to designate officers one level below the Directors as KMPs on March 21, 2018. The Bank had filed the form with MCA for reporting/ registering the said officers as KMPs on April 19, 2018. Till now the said officers have not been registered

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

as KMPs under the MCA site and hence cannot be technically deemed to be KMPs. However, as an abundant caution, Bank is disclosing information on remuneration of the said officers in the Annual Financial Statements under Related Party Transactions in accordance with the said board approval.

श्री पी. सीताराम, कार्यपालक निदेशक
Shri P Sitaram, Executive Director

श्री जी. ए. तड़स, कार्यपालक निदेशक
Shri G A Tadas, Executive Director

डॉ. एस. एस. बॅनर्जी, कार्यपालक निदेशक
Dr. S S Banerjee, Executive Director

श्रीमती मैथिली बालासुब्रमणियन, कार्यपालक निदेशक (30 नवम्बर 2018 तक)
Smt. Mythili Balasubramanian, Executive Director (upto November 30, 2018)

श्री अभय लक्ष्मण बोंगिरवार, कार्यपालक निदेशक (29 सितम्बर 2018 तक)
Shri Abhay Laxman Bongirwar, Executive Director (upto September 29, 2018)

श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, कार्यपालक निदेशक
Shri Suresh Kishinchand Khatanhar, Executive Director

श्री इंदरपाल सिंह कालरा, कार्यपालक निदेशक
Shri Inderpal Singh Kalra, Executive Director

श्री माधव वसंत फड़के, कार्यपालक निदेशक
Shri Madhav Vasant Phadke, Executive Director

श्री सुब्रतो गुप्ता, कार्यपालक निदेशक
Shri Subroto Gupta, Executive Director

श्री अजय नाथ झा, मुख्य महा प्रबंधक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी
Shri Ajoy Nath Jha, CGM & CRO

श्रीमती माया चक्रवर्ती, मुख्य महा प्रबंधक (14 मई 2018 तक)
Smt. Maya Chakravorty, CGM (upto May 14, 2018)

आ. संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण
B. Details of transactions with Related Parties

i. संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेषराशियां:
Transactions/ balances with related parties

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

मदें/ संबद्ध पक्षकार Items/ Related Party	प्रवर्तक/ धारक कंपनी Promoter/ Holding company	सहायक संस्थाएं Subsi-diaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहायक कंपनियां# Associ-ates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Manage-ment Personnel$	कुल Total
प्राप्त जमाराशियां* Deposit Received*	0.09	265.08	0.48	91.37	-	357.02
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	382.24	128.88	6.10	40.58	-	557.80

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

मदें/ संबद्ध पक्षकार Items/ Related Party	प्रवर्तक/ धारक कंपनी Promoter/ Holding company	सहायक संस्थाएं Subsi-diaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहायक कंपनियां# Associ-ates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Manage-ment Personnel$	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	530.57	159.95	28.56	91.64	-	810.71
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	278.07	384.00	38.50	-	700.57
प्रदत्त अग्रिम Advances Given	-	0.86	-	-	-	0.86
बकाया अग्रिम Advances Outstanding	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advances due during the Year	-	0.86	-	-	-	0.86
अग्रिमों पर ब्याज Interest on Advances	-	0.00	-	-	-	0.00
अग्रिमों पर उपचित ब्याज Interest accrued on advances	-	-	-	-	-	-
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	0.04	3.48	1.23	1.76	-	6.51
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	-	4.74	4.74
अन्य व्यय Other Expenditure	0.83	60.43	-	-	-	61.26
अन्य आय Other Income	7.43	19.57	28.29	0.02	-	55.31
वर्ष के दौरान लाभ/ हानि का हिस्सा Share of profit/ Loss during the year	-	42.31	63.73	43.21	-	149.25

* वर्ष के दौरान प्राप्त नई सावधि जमाओं को दर्शाता है.

* Represents new term deposits received during the Year

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से किसी प्रकार के वित्तीय विवरण तथा संव्यवहार विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः इसकी जानकारी उपर्युक्त में समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में किए गए निवेश को अवलेखित कर एक रुपया कर दिया है.

In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर- ग्राहक संबंध प्रकृति के संव्यवहारों को प्रकट नहीं किया गया है.
$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

ii. वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को ₹ 4.74 करोड़ का पारिश्रमिक प्रदान किया गया.
Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 4.74 Crores.

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18
श्री राकेश शर्मा / Shri Rakesh Sharma	0.18	-
श्री बी. श्रीराम / Shri B. Sriram	0.07	-
श्री महेश कुमार जैन / Shri Mahesh Kumar Jain	0.07	0.31
श्री के.पी. नायर / Shri K.P.Nair	0.29	0.27
श्री जी.एम. यादवाडकर / Shri G.M.Yadwadkar	0.29	0.26
श्री अजय शर्मा / Shri Ajay Sharma	0.31	0.23
श्री पवन अग्रवाल / Shri Pawan Agarwal	0.31	0.29
श्री पी. सीताराम / Shri P.Sitaram	0.33	0.02
श्रीमती बी. मैथिली / Smt. B Mythili	0.37	0.01
श्री. ए.एल. बोंगिरवार/ Shri. A L Bongirwar	0.24	0.01
श्री जी.ए. तड़स / Shri. G A Tadas	0.31	0.02
डॉ. एस.एस. बॅनर्जी/ Dr. S S Banerjee	0.33	0.01
श्री एस.के. खटनहार/ Shri. S K Khatanhar	0.32	0.01
श्री आई.एस. कालरा / Shri. I S Kalra	0.32	0.01
श्री एम.वी. फड़के / Shri. M V Phadke	0.30	0.0008
श्री सुब्रतो गुप्ता / Shri. Subroto Gupta	0.30	0.01
श्री अजय नाथ झा / Shri. Ajoy Nath Jha	0.37	0.01
श्रीमती माया चक्रवर्ती [14 मई 2018 तक] Smt. Maya Chakravorty [upto May 14, 2018]	0.03	0.32
कुल / Total	**4.74**	**1.79**

6. पट्टे (एएस-19)/ LEASES (AS-19)

परिचालनगत पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर, स्टाफ आवास और ऑटोमेटेड टेलर मशीनें (एटीएम), जिसे बैंक के विकल्प पर निरस्त किया जा सकता है या निरस्त नहीं होने वाले परिचालनगत पट्टे शामिल हैं.
Operating leases primarily comprise office premises, staff residences and Automated Teller Machines (ATM)s, which are either cancellable at the option of the Bank or non-cancellable operating lease.

वर्ष के दौरान निरसन योग्य/ निरस्त नहीं होने वाले परिचालनगत पट्टे पर प्रदत्त / देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ- हानि लेखे में ₹ 303.42 करोड़ (₹ 331.82 करोड़) की राशि प्रभारित की गई.
During the year ₹ 303.42 Crore (₹ 331.82 Crore) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/ payable on cancellable/non-cancellable operating lease.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

तुलन पत्र की तारीख तक अनिरसनीय परिचालनगत पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:
The future minimum lease payments in respect of non-cancellable operating leases as at balance sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than one year	3.03	2.42
एक वर्ष के बाद किंतु 5 वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	2.78	1.19

7. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20)/ EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में) Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ in Crores)	(15116.29)	(8237.92)
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	49591 43 791	23915 45 890
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	-	-
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	49591 43 791	23915 45 890
ईपीएस (मूल) (₹) EPS (Basic) (₹)	(30.48)	(34.45)
ईपीएस (न्यूनीकृत) (₹) EPS (Diluted) (₹)	(30.48)	(34.45)
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

8. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22)/ ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय अंतराल के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयता का घटक नीचे दिया गया है :
The Component of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

विवरण/Particulars	यथा 31 मार्च 2019 को As at March 31, 2019	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	यथा 31 मार्च 2018 को As at March 31, 2018
आस्थगित कर देयता/Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	18.72	(47.65)	66.37

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

विवरण/Particulars	यथा 31 मार्च 2019 को As at March 31, 2019	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	यथा 31 मार्च 2018 को As at March 31, 2018
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	444.08	4.27	439.81
कुल (अ)/Total (A)	**462.80**	**(43.38)**	**506.18**
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
एनपीए तथा अन्य प्रावधानों से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं है Disallowance related to NPA and other provisions not allowed under Income Tax Act, 1961	12 848.65	2 933.71	9 914.94
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों से संबंधित अस्वीकृति Disallowance related to Provisions of Income Tax Act, 1961	196.45	(23.47)	219.92
शामिल नहीं किए गए मूल्यह्रास Unabsorbed depreciation	51.06	2.50	48.56
कारोबार में हानि Business Loss	7 036.11	4 754.75	2 281.37
कुल (आ) / Total (B)	**20 132.28**	**7 667.49**	**12 464.79**
आस्थगित कर देयता/ (आस्ति)(निवल)(अ)-(आ) Deferred tax liability/ (asset) (net) (A) – (B)	**(19 669.48)**	**(7 710.87)**	**(11 958.61)**

कराधान के प्रावधान
Provision of Taxation

(₹ करोड़ में)/(₹ in crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
आय कर Income Tax	शून्य / Nil	शून्य / Nil

9. एएस-24 परिचालन बंद करना/ AS-24 Discontinuing Operations

01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, बैंक ने अपने परिचालनों में से कोई परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप देयता से मुक्ति मिली हो और आस्तियों की वसूली हुई हो.

During the period from 01.04.2018 to 31.03.2019, the bank has not discontinued operations of any of its operations, which resulted in shedding of liability and realisation of the assets.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

10. आकस्मिक देयताओं का विवरण*/ DESCRIPTION OF CONTINGENT LIABILITIES*

क./a.

क्र.सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
III	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its Banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance Banking activities with a view to augment the customers credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र.सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
V	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कॉरपोरेट बॉन्ड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income tax, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favourable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र.सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
VIII	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following : क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां और a) the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित राशि- जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को 'रिज़र्व बैंक डीईएएफ निधि' में अंतरित करता है. b) the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)- In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued pertaining to customers whose accounts were not operated or amounts were not claimed for more than 10 years to 'RBI DEAF Fund'.

ख. दीर्घावधि संविदाएं
b. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसी दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ग. लंबित मुकदमे
c. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियाँ शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

* मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएं देखें.
*Refer Schedule-12- Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ग अन्य प्रकटन
C OTHER DISCLOSURES

I. वर्ष के दौरान भारत सरकार तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर निम्नानुसार इक्विटी शेयर आबंटित किए गए:
During the year Equity shares were allotted to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis as under:

लाभार्थी Beneficiary	आबंटन प्रकार Type of allotment	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रत्येक ₹ 10) No. of Shares (Face value ₹ 10 each)	निर्गम मूल्य (₹ में) Issue Price (in ₹)	शेयर प्रीमियम प्रति शेयर (₹ में) Share premium per share (in ₹)	आबंटन की तारीख Date of Allotment
भारत सरकार Government of India	i अधिमानी Preferential	7881.00	1097326649	71.82	61.82	25.05.2018
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) Life Insurance Corporation of India(LIC)	i. अधिमानी Preferential	2098.19	339897328	61.73	51.73	04.10.2018
	ii. अधिमानी Preferential	14500.00	2387617322	60.73	50.73	28.12.2018
	iii. अधिमानी Preferential	5025.96	827590885	60.73	50.73	21.01.2019
अन्य कोई Any other	शून्य /NIL	शून्य /NIL	शून्य /NIL	शून्य /NIL	शून्य /NIL	शून्य /NIL

II. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 5 सितंबर 2016 के अपने पत्र के जरिए बैंक को सूचित किया कि वह 2006 में किए गए भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) के आस्ति विनिमय के निवल प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार को ₹1064.27 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां अभ्यर्पित करे. ये प्रतिभूतियां एसएएसएफ के प्रति सितंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा बैंक को जारी की गई ऐसी ₹ 9000 करोड़ की प्रतिभूतियों का भाग हैं. ये सितंबर 2024 में परिपक्व होने वाली 20 वर्षीय प्रतिभूतियां हैं. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही से प्रारंभ करते हुए 11 तिमाहियों में इन प्रतिभूतियों को अभ्यर्पित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त किया था. भारत सरकार ने दिनांक 27 जुलाई 2017 के अपने पत्र द्वारा बैंक के अनुरोध पर सहमति प्रदान की है. बैंक सितंबर 2016 से ₹ 96.75 करोड़ प्रति तिमाही प्रावधान कर रहा है. 31 मार्च 2019 को एसएएसएफ़ खाते से बट्टे खाते में डाली गयी कुल प्रतिभूतियों की राशि ₹ 1064.27 करोड़ है. इस प्रकार से बट्टे खाते में डाली गयी संपूर्ण राशि को पूरा कर लिया गया है. तथापि, प्रतिदान हेतु भारत सरकार की अधिसूचना के विचाराधीन होने के कारण बट्टे खाते में डाली गयी इन प्रतिभूतियों को यथा 31 मार्च 2019 को एसजीएल खाते में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एसजीएल खाते में समान राशि का अंतर आया है.

The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter dated 5th September 2016, advised the Bank to surrender securities of ₹ 1064.27 crore to the GoI representing net impact of the asset exchange of Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) done by the Bank in 2006. These securities form part of ₹ 9000 crore of such securities issued to the Bank by GoI in September 2004 against SASF. These are 20 years securities maturing in September 2024. The Bank had obtained approval from the Appropriate Authorities to surrender these securities in 11 quarters commencing from quarter II of FY 2016-17. GoI vide its letter dated July 27, 2017 has agreed to the bank's request. Bank is providing 96.75 crore per quarter since September 2016. Total securities written off from SASF account as on March 31, 2019 stands at Rs.1064.27 cr. Thus the full written off has been completed. However, these written off securities are reflected in SGL account as on 31.03.2019 pending Government notification for redemption which resulted in difference of the same amount in SGL account.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

III. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए नोट :
क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशि; ₹ शून्य (₹ शून्य)
ख. वर्ष के दौरान व्यय राशि:
Notes to Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:
a. Gross amount required to be spent by the Bank during the year; ₹ Nil (₹ Nil)
b. Amount spent during the year:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

यथा / Particulars	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18
नकद में In cash	0.25	1.36
नकद भुगतान किया जाना है Yet to be paid in cash	Nil/ शून्य	Nil/ शून्य
कुल **Total**	**0.25**	**1.36**

IV. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गयी धोखाधड़ी और किए गए प्रावधान.
Fraud Reported and Provision made during the Year.
रिज़र्व बैंक के दिनांक 18-01-2016 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर. सं. बीपी. बीसी. 92/21.04.048 के अनुसार प्रावधान संबंधी मानदंडों में संशोधन के कारण धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान.
Provisioning pertaining to fraud Accounts due to amendment in provisioning norms as per RBI Circular no. RBI/2015-16/376 DBR. No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 Dated 18-01-2016.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामलों की संख्या No. of Fraud cases reported during the FY 2018-19	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामलों में शामिल राशि Amount involved in fraud reported during the FY 2018-19	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा Quantum of Provision during the FY 2018-19	अन्य रिज़र्व से नामे किए गए गैर परिशोधित प्रावधानों की मात्रा Quantum of Un-amortised Provisions debited from other reserves
उधारकर्ता / Borrower	106	1215.87	1098.37	शून्य / Nil
गैर-उधारकर्ता / Non-Borrower	1056	12.97	6.71	शून्य / Nil
कुल / Total	**1162**	**1228.84**	**1105.08**	**-**

V. एमएसएमई क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना- संदर्भ रिज़र्व बैंक का दिनांक 01.01.2019 का परिपत्र.
MSME Sector-Restructuring of Advances- Ref RBI Circular dated 01-01-2019.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

पुनर्गठित खातों की संख्या No of Accounts Restructured	राशि Amount
515	13.30

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VI. रिजर्व से आहरण द्वारा कमी
Draw Down from Reserves

क्र. सं Sr. No	रिज़र्व Reserves	2018-19 2018-19	2017-18 2017-18	उद्देश्य Purpose
1	सांविधिक रिज़र्व Statutory Reserve	शून्य NIL	544.60	बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टियर 1 बॉन्डों पर कूपन भुगतान Coupon payment on Basel III Compliant Additional Tier 1 Bonds

VII. सूचीबद्ध इक्विटी निवेश और 1/- रुपये तक के अवलेखन के लिए वित्तीय वर्ष 18-19 के दौरान त्वरित प्रावधान का प्रकटन
Disclosure of Accelerated Provision during FY 18-19 for Listed Equity Investment and written Down to Re.1/-

क्र.सं Sr. No	कंपनियों की संख्या No. of Companies	त्वरित प्रावधान राशि (करोड़ रु. में) Accelerated Provision Amount in Cr.	बही लागत राशि (करोड़ रु. में) Book Cost Amount in Cr.
1	17	73.29	766.93

VIII. रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 10% से अधिक की धारिता वाले आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गए इक्विटी निवेशों का प्रकटन - वित्तीय वर्ष 18-19
Disclosure of Partially Write off Equity Investments having more than 10% holding as per RBI Directions - FY18-19

क्र.सं Sr. No	कंपनियों की संख्या No. of Companies	बही लागत राशि की आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाली गई राशि- (करोड़ रु. में) Partial Write Off of Book Cost Amount in Cr.
1	4	0.92

IX. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ प्रकटीकरण करना आवश्यक है. बैंक अपने आपूर्तिकर्ताओं से उक्त अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में संबंधित सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन की राय में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज, यदि कोई है, का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने की उम्मीद है.
Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to Micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

X. पूंजीगत खाते पर निष्पादन के लिए शेष रही संविदाओं के संबंध में अनुमानित पूंजी राशि (अग्रिमों को घटाकर) और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया ₹118.39 करोड़ (₹138.68 करोड़) है.

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 118.39 crore (₹ 138.68 crore).

XI. वेतन संशोधन पर उद्योग व्यापी द्विपक्षीय समझौते के लंबित रहने (नवंबर 2017 से देय) को ध्यान में रखते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान इस मद के लिए अनुमानित आधार पर ₹ 112 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है (यथा 31 मार्च 2019 को संचयी प्रावधान की कुल राशि ₹ 174 करोड़ थी).
Pending industry wide bipartite settlement on wage revision (due with effect from November 2017), a sum of ₹ 112 crore has been provided by the Bank during the year on this account on estimated basis. (Cumulative provision held as on March 31, 2019 was ₹ 174 crore)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XII. उपयुक्त परिचालनगत प्रक्रियाओं एवं विधिक राय के अनुसरण में बैंक द्वारा पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (पूर्ववर्ती-आईडीबीआई) द्वारा 1 अक्तूबर 2004 से पहले जारी किए गए कुछ बॉन्डों के संबंध में ₹ 177.87 करोड़ की पूरी अदावी देयताओं को अन्य आय के सापेक्ष प्रतिलेखित किया गया है.

Pursuant to appropriate operational procedures & legal opinion, the Bank has written back old unclaimed liabilities of ₹ 177.87 crores to other income pertaining to certain bonds issued prior to October 01, 2004 issued by erstwhile Industrial Development Bank of India (e-IDBI).

XIII. अन्य देयताओं में पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (पूर्ववर्ती-आईडीबीआई) द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में वर्ष 1995 से 2003 तक के लिए देय लाभांश के रूप में ₹ 7.22 करोड़ शामिल है. बैंक द्वारा प्राप्त की गई विधिक राय के अनुपालन में बैंक ने उन शेयरधारकों से संपर्क करने हेतु सभी प्रभावी कदम उठाए हैं जिनके लाभांश अदावी/ अदत्त रहे हैं और इस संबंध में प्राप्त वैध अनुरोधों के आधार पर भुगतान जारी किया है. इसके अलावा, विधिक राय के अनुपालन में बैंक ने राशि को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ़) में अंतरित करने की वैधानिकता के बारे में अभिमत प्राप्त करने हेतु इस मामले को कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) को भी संदर्भित किया है और और एमसीए और आईईपीएफ प्राधिकरण से लगातार अनुवर्तन किया जा रहा है जिनके उत्तरों की प्रतीक्षा है.

Other Liabilities include ₹ 7.22 crore as dividend payable pertaining to the years 1995 to 2003 in relation to the dividend declared by erstwhile Industrial Development Bank of India (e-IDBI). In compliance with the Legal Opinion obtained by the Bank, the Bank has taken all effective steps to reach out to the shareholders whose dividend remained unclaimed/ unpaid and has released payment based on valid requests received in this regard. Further, in compliance with the Legal Opinion, the Bank had also referred the matter to Ministry of Corporate Affairs (MCA) about the legality of transferring the amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF) and has been regularly following up with the MCA and the IEPF Authority from whom, the response is awaited.

XIV. वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिये गए हैं और चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति से पुष्टि के लिए उन्हें पुनर्समूहित/ पुनर्व्यस्थित किया गया है.

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

लेखों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)	(के.पी. नायर)	(जी.एम. यादवाडकर)	(समरेश परिदा)	(अजय शर्मा)	(पवन अग्रवाल)
(Rakesh Sharma)	(K.P. Nair)	(G.M. Yadwadkar)	(Samaresh Parida)	(Ajay Sharma)	(Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 01853823)	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.	कृते जेएलएन यूएस एंड कं.	कृते एम. पी. चितले एंड कं.
For K. S. Aiyar & Co.	For JLN US & Co.	For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W
शांतनु घोष Santanu Ghosh साझेदार/ (स. सं. 050927) / Partner (M.No. 050927)	रमाप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)	आशुतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2019

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2018
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **A. Cash flow from Operating Activities**		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ / (हानि) **Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items**	(22827 16 48)	(12592 53 24)
(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन: **Adjustments for non cash items:**		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) / हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	72 56 72	(516 68 08)
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिज़र्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	366 44 06	372 73 05
- प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना/ निवेश तथा अन्य प्रावधान Provisions/ Write off of Loans/ Investments and other provisions	26886 80 20	20497 35 58
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/ हानि (Profit)/ Loss on revaluation of Investments	0	4 70 02
	4498 64 50	**7765 57 33**
(3) परिचालन आस्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन: **Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
- निवेश / Investments	(3076 49 77)	(892 72 15)
- अग्रिम / Advances	961 70 12	(277 63 60)
- अन्य आस्तियां / Other assets	2658 19 27	(3187 98 76)
- करों की वापसी / (भुगतान) /Refund / (payment) of taxes	(936 08 15)	(938 55 67)
(4) परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन: **Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
- उधार राशियां / Borrowings	(17897 80 33)	6821 54 98
- जमा राशियां / Deposits	(20559 88 63)	(20606 48 46)
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	161 09 17	(1268 47 85)
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी **Net cash used in/generated from Operating activities**	**(34190 63 82)**	**(12584 74 19)**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of Fixed Assets	114 10 67	721 74 26
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Investing activities**	**114 10 67**	**357 88 16**

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2019

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2018
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
- इक्विटी शेयरों का निर्गम / Issue of Equity Shares	21624 14 56	4984 00 00
- आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि - Share application money pending allotment	0	7881 00 00
- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and Dividend Tax paid	0	0
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Financing activities**	**21624 14 56**	**12865 00 00**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) **NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS**	(12452 38 61)	1002 00 67
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य **OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS**	33686 08 56	32684 07 88
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य **CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS**	**21233 69 95**	**33686 08 56**
नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन पत्र मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	12730 46 84	13163 68 62
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	8503 23 11	20522 39 93
कुल / TOTAL	**21233 69 95**	**33686 08 56**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 एवं 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 01853823)	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं. For K. S. Aiyar & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	कृते जेएलएन यूएस एंड कं. For JLN US & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W	कृते एम. पी. चितले एंड कं. For M. P. Chitale & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W
शांतनु घोष Santanu Ghosh साझेदार/ (स. सं. 050927) / Partner (M.No. 050927)	रमाप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)	आशुतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक'), इसकी सहायक संस्थाओं, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम (सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट), के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2019 के समेकित तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखे, समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना इसके साथ संलग्न है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i) आईडीबीआई बैंक लि. (बैंक), के लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 30 मई 2019 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए हमारे द्वारा लेखापरीक्षित किए गए थे.

ii) अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा लेखापरीक्षित 05 देशी सहायक संस्थाओं, 01 सहायक कंपनी और 01 संयुक्त उद्यम के लेखापरीक्षित लेखे.

iii) 02 सहायक कंपनियों के अलेखापरीक्षित लेखे.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के द्वारा बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और 31 मार्च 2019 को बैंक के तुलन पत्र के मामले में इसके कार्यों की समेकित स्थिति की और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी समेकित हानि तथा समेकित नकदी प्रवाह की भारत में सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने अपनी लेखा-परीक्षा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत लेखापरीक्षा पर विनिर्दिष्ट मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन लेखा-परीक्षा पर जारी मानकों (एसए) के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में वर्णित है. हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा समेकित वित्तीय विवरणों पत्रों की हमारी लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक आचार संहिताओं के साथ हैं, हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त

To

The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited (the Bank) its subsidiaries, associates and Joint Venture (Collectively known as "the Group"). Comprising of the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2019, the consolidated Statement of Profit and Loss, the consolidated Statement of Cash Flows for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto, in which the following are incorporated :

i) Audited accounts of IDBI Bank Limited (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 30, 2019.

ii) Audited accounts of 05 domestic subsidiaries, 01 associate and 01 joint venture audited by other auditors.

iii) Unaudited accounts of 02 associates.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs in case of the Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2019 and its loss, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have

किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मुद्दों का समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का जवाब
आस्थगित कर आस्ति की मान्यता और मापन	
बैंक ने यथा 31 मार्च 2019 को 19669,48,05 रुपये (हजार में) की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जिसमें वर्ष के दौरान 7710,87,08 रुपये (हजार में) की निवल आस्ति शामिल है. आस्थगित कर आस्ति के निर्धारण और मापन वस्तुनिष्ठ अनुमान के अलावा भविष्य में लाभों की उपलब्धता और दृश्यता के संबंध में विविध निर्णयों और अनुमानों के आधार पर किए जाते हैं. आस्थगित कर आस्ति की अभिनिर्धारित राशि में हाल ही में हुई वृद्धि से विस्तारित अवधि में लाभ की उपलब्धता की संभावना पूर्वानुमानित की गई है, जिससे अनिश्चितता और उक्त आस्ति में निहित अनुपयुक्त निर्धारण का जोखिम बढ़ा है.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में जोखिम मूल्यांकन शामिल था ताकि प्रयोज्य कर कानून और बैंक पर प्रयोज्य संबंधित विनियमों को समझा जा सके. हमने अपनी नियंत्रण परीक्षा के तहत निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूरी कीं: • एएस 22 'आय पर कर का लेखांकन' के अनुसार आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का मूल्यांकन; • लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से समूह निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरण स्वीकार करते समय नोट किए गए पूर्वानुमानों के संदर्भ में भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर सकेगा. • प्रयोज्य कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई पद्धति, अनुमानों व अन्य मापदंडों का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया.

obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset	
The Bank has recognised a net deferred tax asset of Rs.19669, 48, 05 (in '000) as on March 31, 2019, including net asset of Rs. 7710, 87, 08 (in '000) during the year. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future. The recent increase in the amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.	Our audit procedures included the risk assessment to gain an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including: • evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • assessed the probability of the availability of profits against which the Group will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Board of Directors while adopting the Consolidated financial statements. • assessed the method, assumptions and other parameters used by the Management in determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.

अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण	
कृपया एकल वित्तीय विवरणों के अंतर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तन के संबंध में आस्ति गुणवत्ता विषयक टिप्पणी सं. 18 (ए) (X) (1) एवं 18 (ए) (V) (2) तथा गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के संबंध में प्रावधानों और प्रकटनों का संदर्भ लें. अग्रिमों के साथ-साथ निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला है क्योंकि इसमें तात्विकता तथा बैंक की मौजूदा प्रक्रियाएँ निहित हैं जिनके लिए मानवीय हस्तक्षेप, प्रबंधन अनुमान एवं निर्णय आवश्यक है.	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है. इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं: • हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन कर उसे समझा है. • हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में मानवीय प्रक्रिया और मानवीय नियंत्रणों सहित प्रमुख आईटी प्रणालियों/ एप्लीकेशनों, उनकी डिज़ाइन और कार्यान्वयन तथा संबंधित नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है. • हम अभिलिखित राशि की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण की जांच करने के लिए अग्रिमों का परीक्षण करते हैं. हमने खातों के विवरण, हानि संकेतकों, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए हानि प्रावधानों तथा अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के अनुपालनों की जांच की है; और हमने प्रबंधन निर्णय की पुरानी प्रवृत्तियों, अभिशासन प्रक्रिया और हानि प्रावधान गणनाओं के समीक्षात्मक नियंत्रण का मूल्यांकन किया तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन से प्रावधानों पर विमर्श किया.

Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms	
Please refer to Note nos. 18 (A) (X) (1) and 18 (A) (V) (2) of Standalone Financial Statement relating to Asset Quality in respect of movement of Non Performing Assets (NPAs) and related provisions and disclosures with regard to Non Performing Investments (NPI) respectively. Compliance of relevant prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances as well as those pertaining to investments is a key audit matter due to materiality involved and the current processes at the Bank which requires manual interventions, management estimates and judgment.	Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internalcontrols and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular: • we have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments; • we have tested key IT systems/ applications used and their design and implementation as well as operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments; • we test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, indicators of impairment, impairment provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances; and Evaluated the past trends of management judgment, governance process and review controls over impairment provision calculations and discussed the provisions made with the top and senior management of the Bank

आईटी प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण	
बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि आईटी नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रेकॉर्ड्स के तात्विक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है. इसलिए उपयुक्त आईटी नियंत्रण अपेक्षित है ताकि आईटी एप्लिकेशन योजना के अनुसार कार्य करते रहें व उसमें किए जाने वाले परिवर्तनों पर उचित रूप से नियंत्रण रहे. इस प्रकार के नियंत्रण से आउटपुट डाटा के गलत होने का जोखिम न्यूनतम रहेगा. लेखापरीक्षा के परिणाम आईटी नियंत्रण व प्रणाली पर निर्भर करते हैं.	हमने बैंक की आईटी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए ही लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं व नमूना जांच को नियोजित, निर्मित और निष्पादित किया है. हमारी राय में हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ आईटी नियंत्रण की पर्याप्तता का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं. इस परिप्रेक्ष्य में हमने बैंक के आईटी परिवेश को समझने के लिए हमारे आईटी विशेषज्ञों को भी शामिल किया. इसके अलावा हमने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा तथा सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा संचालित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भी भरोसा किया है. हमने प्रमुख ऑटोमोटेड व मानवीय कारोबार चक्र नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा से संबंधित सिस्टम जनरेटेड रिपोर्टों के तर्क का परीक्षण भी किया है, साथ ही प्रतिकारी नियंत्रण का परीक्षण करने के अलावा वैकल्पिक प्रक्रियाएं भी अपनाई हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या किसी ऐसे आईटी जोखिम पर कार्रवाई तो नहीं छूट गई, जो वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव डाले.

IT Systems and controls over financial reporting	
The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking and Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. Appropriate IT controls are required to ensure that the IT applications perform as planned and the changes made are properly controlled. Such controls contribute to risk mitigation of erroneous output data. The audit outcome is dependent on the extent of IT controls and systems.	We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank. The procedures adopted by us are, in our opinion, adequate to provide reasonable assurance on the adequacy of IT controls in place. Towards this end, we have involved our IT Specialists to obtain an understanding of Bank's related IT environment. In addition, we have also relied on IS audit conducted by internal audit department and also the audit of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants. We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements.

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध सहित (जिसे सामूहिक रूप से 'अन्य जानकारी' कहा जाता है) निदेशकों की रिपोर्ट शामिल हैं लेकिन इनमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III प्रकटन) के तहत पिलर III के प्रकटन शामिल नहीं हैं.

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं.

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि

Information Other Than Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon. The Other Information comprises the Management Discussion and Analysis, Directors' Report including Annexures to Directors' Report (collectively called as "Other Information") but does not include the Financial Statements and our auditor's report thereon and the Pillar III Disclosures under the New Capital AdequacyFramework (Basel III disclosures).

Our opinion on the financial statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती है.

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है. इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है.

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की वित्तीय विवरणों के लिए जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम की धारा 133 और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उसे कार्यान्वित करना तथा उसे बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली तथा धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक का प्रबंधन मंडल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

बैंक का प्रबंधन मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई मिथ्याकथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे ठोस तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the Other Information and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Bank's Management is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,

समग्र रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का कारण त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करना, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त है.

- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना.

- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित तात्विक अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं.

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं.

individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को विवरणी भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधों और उन मामलों जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम इन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अन्य मामले

क) हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है:

05 देशी सहायक कंपनियाँ अर्थात् (i) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड (ii) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड (iii) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड (iv) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (v) आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड. इनके वित्तीय विवरण के अनुसार यथा 31 मार्च 2019 को कुल आस्तियां 74773 लाख रुपये की थीं तथा वर्ष के लिए कुल राजस्व 32269 लाख रुपये था, जिनकी लेखापरीक्षा उनके संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा की गईं थीं और उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गईं थीं तथा हमारी राय महज उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है.

01 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी अर्थात् आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके वित्तीय विवरण के अनुसार यथा 31 मार्च 2019 को कुल आस्तियों में समूह का अंश ₹ 58707 लाख था तथा समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 7248 लाख था, जिसकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गईं थीं और उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई थी तथा हमारी राय महज उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है.

04 सहयोगी संस्थाएं अर्थात् (i) नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (ii) बायोटेक कंसोरशियम इंडिया लिमिटेड (iii) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (iv) पॉण्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इनके वित्तीय विवरण के अनुसार निवल लाभ में समूह का अंश ₹ 4321 लाख था. इन सहयोगी संस्थाओं में (01) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गईं थीं और उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई थी तथा हमारी राय महज उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है, इन सहयोगी संस्थाओं में (02) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और प्रबंधन द्वारा हमें वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी राय महज संबंधित प्रबंधन की रिपोर्ट पर ही आधारित है ; तथा इन सहयोगी

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably bethought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

a) We did not audit the financial statements of:

05 domestic subsidiaries viz. (i) IDBI Asset Management Limited (ii) IDBI Intech Limited (iii) IDBI Capital Markets & Securities Limited (iv) IDBI Trusteeship Services Limited (v) IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited. whose financial statements reflect total assets of Rs. 74773 lakhs as at 31st March'2019 and total revenues of Rs. 32269 lakhs for the year ended,which have been audited by their respective auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

01 jointly controlled entity viz. IDBI Federal Life Insurance Company Limited.whose financial statements reflect group's share of total assets of Rs. 58707 lakhs as at March 31'2019 and total revenues of Rs 7248 lakhs for the year ended, which has been audited by another auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

04 associates viz. (i) National Securities Depository Limited (ii) Biotech Consortium India Limited (iii) North Eastern Development Finance Corporation Limited (iv) Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited whose financial statements reflect group's share of net profit of Rs. 4321 lakhs, Financial statements of 01 of these associates have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the reports of the said auditor, 02 of these associates are unaudited whose financial statements have been furnished to us by the management and our opinion is based solely on the respective management reports & 01 of these associates'

संस्थाओं में (01) के वित्तीय विवरणों की अनुपलब्धता के कारण उन पर विचार नहीं किया गया है, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा.

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है.

ख) 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा बैंक के संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी, जिनमें से एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म है तथा उन्होंने इन वित्तीय विवरणों पर दिनांक 25 मई 2018 को असंशोधित राय अभिव्यक्त कर दी है.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 133 के साथ पठित अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है.

   ख) बैंक के जो लेन-देन हमारे ध्यान में लाए गए, वे बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

   ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ जिसमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जानकारी शामिल हैं, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं.

3. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ उचित और और पर्याप्त विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं;

   ग) बैंक की शाखाओं के लेखों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्टें हमारे पास प्रेषित की गई हैं और उन पर उचित रूप से विचार किया गया है;

   घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

financial statements have not been considered on account of non-availability, the impact of which on the consolidated financial statements is not material.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

(b) The consolidated financial statement of the Bank for the year ended March 31, 2018 were audited by joint auditors of the Bank, one of whom is the predecessor audit firm, and have expressed an unmodified opinion dated May 25, 2018 on such financial statements

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.

2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that::

   a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

   b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

   c. The returns received from the offices and branches of the Bank as supplemented with the information furnished by the management have been found adequate for the purpose of our audit.

3. Further, as required by section 143(3) of Act, we report that:

   a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us;

   c) the reports on the accounts of branches of the bank audited by other auditors have been forwarded to us and the same have been appropriately dealt with;

   d) the Balance Sheet, and the Statement of Profit and Loss, dealt with by this report are in agreement with the books of account;

ङ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और उसके आधार पर बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

च) यथा 31 मार्च 2019 को होल्डिंग कंपनी के निदेशकों से प्राप्त और होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन तथा उसकी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर समूह कंपनियों के किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

छ) बैंक (समूह) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में अनुबंध 'अ' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

ज) हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी व हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अन्य लेखापरीक्षकों की ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर (सहायक संस्थाओं), जो हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं है, सहायक कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान इसके निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी (2ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V और धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है.

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा 'अन्य मामले' पैराग्राफ (क) में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर नोट किए गए विचारों पर आधारित है:

i. बैंक (समूह) ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थित पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का अवधार्य/अभिनिश्चेय सीमा तक प्रकटन किया है. समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 (10) (सी) का संदर्भ लें.

ii. बैंक (समूह) ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है - समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 (10) (बी) का संदर्भ लें.

e) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and Rules made thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

f) On the basis of written representation received from the directors of the Holding Company as on March 31, 2019 and taken on record by the Board of Directors of the Holding Company and the reports of the statutory auditors of its subsidiary companies, none of the directors of the group companies are disqualified as on March 31, 2019 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act 2013;

g) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the Bank (the group) and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";

h) in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the report of the other auditors (subsidiaries) which was not audited by us, the remuneration paid by the subsidiary company to its directors during the year is in accordance with the provisions of Section 197 and Schedule V of the Companies Act, 2013 read with section 35B (2A) of the Banking regulation Act, 1949;

i) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors as noted in the "Other Matters" paragraph (a):

i) The Bank (the group) has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements to the extent determinable/ ascertainable. – Refer Schedule 18 (10) (C) to the Consolidated financial statements.

ii) The Bank (the group) has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts. Refer Schedule 18 (10) (b) to the Consolidated financial statements.

iii. बैंक (समूह) द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है. समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 18(II) (vi) का संदर्भ लें.

iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank (the group). Refer Schedule 18 (11) (vi) to the Consolidated financial statements.

कृते **के. एस. अय्यर एंड कं.**
For **K. S. Aiyar & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

शांतनु घोष
Santanu Ghosh
साझेदार/ (स. सं. 050927) / Partner (M.No. 050927)

कृते **जे एल एन यू एस एंड कं.**
For **JLN US & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

कृते **एम. पी. चितले एंड कं.**
For **M. P. Chitale & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) और इसकी सहायक संस्थाओं (संयुक्त रूप से 'समूह') के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को बैंक के वित्तीय विवरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

संबंधित कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय विवरणों में हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा संबंधी मानकों ('मानक') के अनुसार की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इकाई) द्वारा जारी किए गए हैं. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें ताकि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय विवरणों के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of IDBI Bank Limited ('the Bank') as at 31 March 2019 in conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries (collectively known as "the Group" for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective company's management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the respective company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ('the Act').

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing ('the Standards'), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to

पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक की वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. बैंक के वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ बैंक (समूह) की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;

(2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और जिनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारे अभिमत में, 'समूह' को अचल आस्तियों के संबंध में मध्यवर्ती/ नियंत्रण लेखों के लिए उपयुक्त समीक्षा प्रक्रिया अपनाने और बैंक को ट्रेजरी, पे-रोल, एनपीए प्रावधानीकरण और अचल आस्तियों के क्षेत्र में एकल प्रणाली को

financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system with reference to financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Bank's internal financial control with reference to financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. Bank's internal financial control with reference to financial statements includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank (the group);

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the consolidated financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to financial statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion "the group" needs to adopt a proper review process for intermediary/control accounts in respect of fixed assets and also integrate the standalone systems in the areas of

एकीकृत करने की आवश्यकता है. इनको छोड़कर, बैंक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय विवरण पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय विवरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय विवरण मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2019 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

अन्य मामले

(क) समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का संबंध है, यह संबंधित शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है जो हमारे पास भेजी गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका उचित रूप से उपयोग किया गया है.

(ख) समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक लेखापरीक्षित सहायक संस्थाओं और सहयोगी कंपनियों का संबंध है, यह संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है जो हमारे पास भेजी गई हैं तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका उचित रूप से उपयोग किया गया है.

Treasury, Payroll, NPA provisioning and fixed assets, except for this, the Bank has in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to financial statements and such internal financial controls with reference to financial statements were operating effectively as at March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

a) Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements insofar as it relates to branches audited by the branch auditors is based on the report of the respective branch auditor which has been sent to us and has been properly dealt with by us in preparing this report.

b) Our aforesaid under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements insofar as it relates to subsidiary and associate companies, is based on the corresponding report of the respective auditors which has been sent to us and has been properly dealt with by us in preparing this report.

कृते **के. एस. अय्यर एंड कं.**
For **K. S. Aiyar & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

शांतनु घोष
Santanu Ghosh
साझेदार/ (स. सं. 050927) / Partner (M.No. 050927)

कृते **जे एल एन यू एस एंड कं.**
For **JLN US & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

कृते **एम. पी. चितले एंड कं.**
For **M. P. Chitale & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च 2019 को
Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2019

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	7736 29 49	3083 86 27
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and Surplus	2	30610 41 37	18824 09 35
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest		96 97 88	85 95 69
जमाराशियां / Deposits	3	227190 10 73	247776 56 74
उधार राशियां / Borrowings	4	45287 72 39	63185 52 72
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	10189 87 94	17952 85 57
कुल / TOTAL		**321111 39 80**	**350908 86 34**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	12731 69 79	13169 19 98
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Balances with banks and money at call and short notice	7	8572 22 45	20611 87 45
निवेश / Investments	8	93327 72 54	91847 67 77
अग्रिम / Advances	9	146790 43 79	171739 94 52
अचल आस्तियां / Fixed Assets	10	8309 90 81	6852 92 78
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	51379 40 42	46687 23 84
कुल / TOTAL		**321111 39 80**	**350908 86 34**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	140905 10 03	198045 74 47
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		9634 77 33	9300 58 44
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 and 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन-पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(के.पी. नायर)
(K.P. Nair)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02611496)

(जी.एम. यादवाडकर)
(G.M. Yadwadkar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 01432796)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/(DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

शांतनु घोष
Santanu Ghosh
साझेदार/ (स. सं. 050927) / Partner (M.No. 050927)

कृते जेएलएन यूएस एंड कं.
For JLN US & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

कृते एम. पी. चितले एंड कं.
For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the period ended March 31, 2019

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	22102 09 52	23046 25 28
	अन्य आय / Other income	14	3535 32 88	7248 06 07
	कुल / TOTAL		**25637 42 40**	**30294 31 35**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	16162 45 79	17376 20 42
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	5258 46 13	4892 00 47
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies		19229 47 59	16183 21 07
	कुल / TOTAL		**40650 39 51**	**38451 41 96**
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ/ (हानि) / Net Profit / (Loss) for the year		(15012 97 11)	(8157 10 61)
	जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा Add: Share of Profit in Associate		43 20 93	41 21 73
	घटाएं: अल्पसंख्यक हित / Less: Minority Interest		16 99 36	16 51 11
	समूह लाभ / (हानि) / Group Profit/ (Loss)		**(14986 75 54)**	**(8132 39 99)**
	आगे लाया गया लाभ / Profit/(Loss) brought forward		(17148 54 05)	(8571 28 68)
	कुल / TOTAL		**(32135 29 60)**	**(16703 68 67)**
IV	**विनियोग / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		-	-
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		232 62 28	978 29 73
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		2 05 20	1 99 37
	सांविधिक रिज़र्व से पुनरांकित Transfer from Statutory Reserve		-	(544 60 00)
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		-	-
	अंतरिम लाभांश / Interim Dividend		1 36 64	5 46 57
	अंतरिम लाभांश पर कर / Tax on Interim dividend		33 58	3 69 71
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि Balance carried over to Balance Sheet		(32371 67 30)	(17148 54 05)
	कुल / TOTAL		**(32135 29 60)**	**(16703 68 67)**
	प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)/ Earnings per share (₹) (face Value ₹ 10 per share)	18 (6)		
	मूल / Basic		(30.22)	(34.00)
	न्यूनीकृत / Diluted		(30.22)	(34.00)

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the period ended March 31, 2019

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ और हानि लेखा के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.			

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida) निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 01853823)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal) कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं. For K. S. Aiyar & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	कृते जेएलएन यूएस एंड कं. For JLN US & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W	कृते एम. पी. चितले एंड कं. For M. P. Chitale & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W
शांतनु घोष Santanu Ghosh साझेदार/ (स. सं. 050927) / Partner (M.No. 050927)	रमाप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)	आशुतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 1500 00 00 000 (450 00 00 000) इक्विटी शेयर 1500 00 00 000 (450 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	15000 00 00	4500 00 00
	15000 00 00	**4500 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid-up Capital**		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 773 62 94 880 (308 38 62 696) इक्विटी शेयर अनुसूची 18 टिप्पण 11(i) देखें/ 773 62 94 880 (308 38 62 696) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (refer Schedule 18 note 11(i))	7736 29 49	3083 86 27
कुल / TOTAL	**7736 29 49**	**3083 86 27**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2474 74 70	3019 34 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	544 60 00
		2474 74 70	**2474 74 70**
II	**पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2733 30 54	1840 36 68
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	141 57 07	892 93 86
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2874 87 61	**2733 30 54**
III	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व** (अनुसूची 18 टिप्पणी (1) देखें) **Revaluation Reserve** (Refer Schedule 18 Note (1))		
	प्रारंभिक शेष Opening Balance	5053 88 23	5417 74 94
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2013 11 62	-
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण Transfer to General Reserve	339 30 70	363 86 71
		6727 69 15	**5053 88 23**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	18160 48 28	12301 53 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	24852 71 35	5858 95 24
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		43013 19 63	**18160 48 28**
V	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserves**		
	(क) सामान्य रिज़र्व **(a) General Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	5977 86 61	5612 01 64
	वर्ष के दौरान परिवर्धन (समेकित समायोजन को घटाकर) Additions during the year (Net of Consolidation Adjustments)	2 05 22	1 99 37
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरित Transferred from Revaluation Reserve	339 30 70	363 86 71
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	1 11
		6319 22 53	**5977 86 61**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व **(b) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व **(c) Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1566 00 00	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
VI	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि** **Balance in Profit and Loss Account**	(32371 67 30)	(17148 54 05)
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**30610 41 37**	**18824 09 35**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS			
अ/A				
	I.	**मांग जमाराशियां / Demand Deposits**		
		(i) बैंकों से / From banks	9052 75 33	7851 29 27
		(ii) अन्य से / From others	26170 31 58	27030 68 62
			35223 06 91	**34881 97 89**
	II.	**बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits**	**61413 50 61**	**57125 10 23**
	III.	**मीयादी जमाराशियां / Term Deposits**		
		(i) बैंकों से / From banks	8388 08 45	13744 53 06
		(ii) अन्य से / From others	122165 44 76	142024 95 56
			130553 53 21	155769 48 62
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)		**227190 10 73**	**247776 56 74**
आ/B				
	(i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	227135 27 97	246882 58 24
	(ii)	भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	54 82 76	893 98 50
	कुल / **TOTAL**		**227190 10 73**	**247776 56 74**

(₹ 000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS			
I.	**भारत में उधार राशियां / Borrowings in India**			
	(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	8996 00 00	11561 00 00
	(ii)	अन्य बैंक / Other banks	4771 44 72	-
	(iii)	टीयर I (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	1376 80 00	1708 80 00
	(iv)	अपर टीयर II बांड / Upper Tier II Bonds	3136 20 00	4286 20 00
	(v)	अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	6440 00 00	6530 00 00
	(vi)	बासेल III ओम्नी टीयर 2 बांड Basel III Omni Tier 2 Bond	1900 00 00	1900 00 00
	(vii)	अन्य* / Others *	7027 02 81	18950 05 76
II.	**भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India**		11640 24 86	18249 46 96
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)		**45287 72 39**	**63185 52 72**

* बेमीयादी ऋण लिखत सहित ₹ 8500000 हजार (₹ 8500000 हजार) जो सीआरएआर के लिए योग्य नहीं हैं
Includes Perpetual Debt Instrument of ₹ 850 00 00 thousand (₹ 850 00 00 thousand), which does not qualify for CRAR

* ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां ₹ 13989 35 38 हजार (₹21107 83 25 हजार)
Secured borrowings included in I and II above are ₹ 13989 35 38 thousand (₹ 21107 83 25 thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I.	देय बिल / Bills Payable	1676 52 65	1557 79 15
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	77 11	77 08
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	940 13 53	1180 91 09
IV	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provisions)**		
	(क) (a) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	1886 01 53	1911 61 40
	(ख) (b) प्राप्त अग्रिम भुगतान Advance payments received	177 65 98	396 12 41
	(ग) (c) देय लाभांश और लाभांश कर Dividend and Dividend Tax payable	-	4 75
	(घ) (d) विविध लेनदार Sundry Creditors	143 27 05	332 84 24
	(ङ) (e) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर Service Tax/TDS/Other taxes payable	97 59 15	81 53 14
	(च) (f) विविध जमाराशियां Sundry Deposits	43 03 28	64 46 50
	(छ) (g) अन्य प्रावधान Other Provisions	2987 35 70	2370 92 95
	(ज) (h) विविध* Miscellaneous*	2237 51 96	10055 82 86
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**10189 87 94**	**17952 85 57**

* भारत सरकार से लंबित शेयरों के आबंटन से प्राप्त ₹ शून्य (₹ 7881 00 00 हजार) की शेयर आवेदन धनराशि सहित

* Includes Share Application Money of ₹ Nil (₹ 7881 00 00 Thousand) received from GoI pending allotment of Shares

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	2059 49 35	1498 26 16
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	10672 20 44	11670 93 82
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**12731 69 79**	**13169 19 98**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
	SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I	**भारत में / In India**		
	(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
	(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	277 32 04	393 40 54
	(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	487 89 36	365 47 12
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice		
	(क) बैंकों के पास (a) with Banks	484 08 50	-
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	7150 00 00	16750 00 00
		8399 29 90	**17508 87 66**
II	**भारत से बाहर / Outside India**		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	9 41 87	212 13 71
	(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	103 73 25	2796 00 75
	(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice	59 77 43	94 85 33
		172 92 55	**3102 99 79**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**8572 22 45**	**20611 87 45**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS			
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां*/ Government Securities*	82711 42 51	82480 17 77
	(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii)	शेयर / Shares	1972 73 00	2780 83 58
	(iv)	डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	3048 88 18	4027 35 22
	(v)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	11 94 00	13 50 00
	(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी, सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी, आरआईडीएफ जमा राशियां) Others (CPs, Units in MFs, SRs,PTCs, SIDBI, NABARD, NHB, RIDF Deposits)	5256 31 10	1769 04 07
			93001 28 79	**91070 90 64**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	326 43 75	776 77 13
	(ii)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	-	-
	(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other Investments (shares)	-	-
			326 43 75	**776 77 13**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)		**93327 72 54**	**91847 67 77**
III	**भारत में निवेश / Investments in India**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		96688 21 39	95668 76 87
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास Less: Aggregate Provision/ Depreciation		3686 92 60	4597 86 23
	निवल निवेश / Net Investments		**93001 28 79**	**91070 90 64**
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments outside India**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		328 33 13	781 45 37
	घटाएं: मूल्यह्रास के लिए कुल प्रावधान Less: Aggregate Provision for Depreciation		1 89 38	4 68 24
	निवल निवेश / Net investments		326 43 75	776 77 13

* गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 78810000 हजार (₹ 78810000 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों सहित

* Includes Special GOI Securities of ₹ 7881 00 00 Thousand (₹ 7881 00 00 Thousand) classified as Non-SLR HTM Securities.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
		अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
अ A				
	(i)	खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	1510 97 80	3617 35 78
	(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	40344 29 80	49450 36 06
	(iii)	मीयादी ऋण */ Term loans *	104935 16 19	118672 22 68
		कुल / TOTAL	**146790 43 79**	**171739 94 52**
आ B				
	(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत ** / Secured by Tangible Assets **	140017 73 02	162201 09 39
	(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित *** Covered by Bank/ Government Guarantees***	186 44 97	2544 27 99
	(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	6586 25 80	6994 57 14
		कुल / TOTAL	**146790 43 79**	**171739 94 52**
इ C				
I		**भारत में अग्रिम / Advances in India**		
	(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	66877 91 80	62995 61 05
	(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	925 94 32	12907 66 10
	(iii)	बैंक / Banks	475 33 69	1606 08 28
	(iv)	अन्य / Others	71707 11 84	81279 72 64
		कुल / TOTAL	**139986 31 65**	**158789 08 07**
II		**भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India**		
	(i)	बैंकों से प्राप्य / Due from Banks	-	185 79 95
	(ii)	अन्य से प्राप्य / Due from others:		
		(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	32 50 28	666 67 33
		(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated Loans	1526 46 89	3670 03 15
		(ग) अन्य (c) Others	5245 14 97	8428 36 02
		कुल / TOTAL	**6804 12 14**	**12950 86 45**
		कुल योग (इ I और इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**146790 43 79**	**171739 94 52**

* अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र की बिक्री/ खरीदारी निवल ₹ 1530 00 00 हजार (₹ 77074800 हजार) शामिल है
Includes purchase of IBPC of ₹ 1530 00 00 thousand (P.Y. sale of IBPC of ₹ 7707 48 00 thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes Advances against book debts

*** बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल है
Includes Advances against Letter of Credit issued by banks.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी 1(i) देखें)** **Premises (Refer Schedule 18 Note (1))**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	6398 30 63	6770 10 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	18 50 53	67 74 32
	वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	2013 11 62	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	303 45 48	498 04 61
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	920 08 05	794 50 68
		7206 39 25	**5545 29 73**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित)** **Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	2265 12 51	2144 37 41
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	100 22 78	210 89 47
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	262 20 75	31 64 15
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1467 91 95	1518 47 65
		635 22 59	**805 15 08**
III	**पट्टे पर दी गयी आस्तियां / Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	468 28 97	502 47 97
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**8309 90 81**	**6852 92 78**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	5 74
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2475 83 81	2559 42 60
III	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance/ Tax Deducted at source (net)	5091 81 58	4142 92 30
IV	लेखन सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and stamps	14 53	20 22
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर)* Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (At cost)*	791 98 93	791 98 93
VI	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर आस्तियां (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	19688 61 18	11989 12 39
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares/ Bonds pending allotment	-	307 27 94
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry Deposit and Advances	228 93 80	229 37 53
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims Receivable	431 31 43	1337 53 32
	(ङ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/संवितरण (e) Expenses/ Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)	135 26 38	129 07 08
	(च) विविध ** (f) Miscellaneous**	22535 48 78	25200 25 79
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**51379 40 42**	**46687 23 84**

* प्रावधान घटाकर बकाया राशि ₹ 78 38 93 हजार (₹ 791 98 93 हजार) है.

* Amount outstanding net of provisions is ₹ 78 38 93 Thousand (₹ 791 98 93Thousand)

* प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 21537 83 75 हजार (₹ 24525 38 17 हजार) का निवेश शामिल हैं.

* Includes Investment in Priority Sector ₹ 21537 83 75 thousand (₹ 24525 38 17 thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**		
I	दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims not acknowledged as debts	175 61 17	161 51 13
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	55635 82 89	91355 62 29
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) -भारत में (a) -in India	41744 55 71	50383 21 78
	(ख) -भारत से बाहर (b) -outside India	728 12 82	899 72 96
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	13324 95 51	18551 25 92
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of Interest Rate and Currency Swaps and Credit Default Swaps	23278 28 64	30085 29 18
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative Contracts	1514 26 51	4738 17 56
VII	विवादित आय कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income Tax, Interest Tax, penalty and interest demands	4343 17 07	1754 36 45
VIII	अन्य Others	160 29 71	116 57 20
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**140905 10 03**	**198045 74 47**

आकस्मिक देयताओं के ब्योरे के लिए अनुसूची 18 टिप्पणी 10 देखे

Refer Schedule 18 Note 10 for description of Contingent Liabilities.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest / discount on advances / bills	14382 45 00	15693 55 26
II	निवेशों से आय / Income on Investments	6446 66 90	5904 99 34
III	रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	193 18 79	237 18 03
IV	अन्य / Others	1079 78 83	1210 52 65
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**22102 09 52**	**23046 25 28**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
	अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2129 05 22	2246 89 75
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	342 51 10	3938 79 43
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	1 11 44	1 58 56
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(72 71 41)	516 69 10
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions/ Derivatives (net)	312 66 00	156 61 76
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend Income from Subsidiary Companies and / or Joint Ventures in India	-	-
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली Recovery from written-off cases	468 36 34	220 17 01
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	354 34 19	167 30 46
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**3535 32 88**	**7248 06 07**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
	अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on Deposits	12522 57 71	13172 92 09
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / Inter-bank borrowings	664 59 41	399 33 15
III	अन्य / Others	2975 28 67	3803 95 18
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**16162 45 79**	**17376 20 42**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	2317 78 80	1900 30 21
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	429 56 52	450 25 97
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	46 79 87	45 32 64
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	19 85 81	31 53 32
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on the Bank's property	369 94 64	376 80 73
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	85 85	96 89
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	29 44 02	14 95 90
VIII	विधि प्रभार / Law charges	21 12 88	16 28 75
IX	डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	87 01 14	92 81 69
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	89 08 45	82 70 30
XI	बीमा / Insurance	208 85 85	218 13 62
XII	अन्य / Others		

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018
(क) (a) बैंकिंग व्यय Banking expenses	84 08 62	67 96 01
(ख) (b) कार्ड और एटीएम व्यय Card & ATM expenses	438 93 13	359 97 94
(ग) (c) परामर्श व्यय Consultancy expenses	34 50 06	11 94 11
(घ) (d) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय Expenses for recovery of write-off cases	5 95 94	5 14 44
(ङ) (e) आउटसोर्सिंग व्यय Outsourcing expenses	642 01 38	704 28 19
(च) (f) आईटी व्यय IT expenses	24 50 37	41 66 33
(छ) (g) स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय Staff training & other expenses	11 97 71	13 63 79
(ज) (h) यात्रा और वाहन प्रभार Travelling and conveyance charges	30 93 29	26 24 15
(झ) (i) ट्रेजरी व्यय Treasury expenses	6 44 78	6 68 43
(ञ) (j) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय Fee and other expenses for borrowing	2 07 40	7 03 84
(ट) (k) अन्य व्यय Other expenditure	356 69 62	417 33 22
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**5258 46 13**	**4892 00 47**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार :
Basis of Preparation:

समूह के वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी दृष्टि से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित, बीमा अधिनियम, 1938, कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी तथा कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट, अधिनियम के प्रावधानों (जहाँ तक लागू हैं) के अनुसार और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः लागू प्रथाओं के अनुरूप हैं. समूह लेखांकन की उपचय पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, को छोड़कर तथा परंपरागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है. ग्रुप द्वारा लेखांकन नीतियों का सतत् रूप से प्रयोग किया गया है और ये केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेखित न किया गया हो, पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं.

The Group's financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) & Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) from time to time, the provisions of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Companies Act , 2013 and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 7 of the Companies (Account) Rules, 2014, the provisions of the Act (to the extent applicable) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Group follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention. The accounting policies have been consistently applied by the Group and are consistent with those used in the previous year except where otherwise stated.

2. समेकन तैयार करना:
Preparation of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक (एएस) 21 'समेकित वित्तीय विवरण', लेखांकन मानक (एएस) 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस 27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी-'बैंक') और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के लेखे शामिल हैं. समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक अर्थात् 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company - "the Bank") and all its Subsidiaries/Associates /Joint Venture/ as defined in Accounting Standard AS-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 `Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'. The financial statements of the subsidiaries/associates/joint venture used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2019.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है: (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) इसके संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित किया गया है. विलोपन हिस्सेदारी के समतुल्य आनुपातिक आधार पर किया गया है. (ग) एएस 23 की इक्विटी प्रक्रिया के अनुसार इसकी सहयोगी संस्थाओं को समेकित किया गया है. अंतः समूह संव्यवहारों को समेकन पर समाप्त कर दिया गया है.

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income and expenses. The elimination has been considered on proportionate basis equivalent to the stake. c) its associates by consolidating as per Equity method as per AS-23. Intra Group transactions have been eliminated on consolidation.

सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरण-पत्रों में साख/पूंजी रिज़र्व के रूप में दर्शाया गया है.

The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries/associates is recognized in the financial statements as goodwill/ capital reserve.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:
Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

(क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी की राशि; तथा
(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

(ख) मूल संस्था-सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरों का घट-बढ़.
(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :
The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम / Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
अ) A)	**वित्तीय सहायक संस्थाएं: Financial Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड. IDBI Capital Market & Securities Limited.	भारत / India	100	100
2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited.	भारत / India	66.67	66.67
आ) B)	**गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं : Non Financial Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited.	भारत / India	100	100
2)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड. IDBI MF Trustee Company Limited.	भारत / India	100	100
3)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	भारत / India	54.70	54.70
इ) C)	**जीवन बीमा संयुक्त उद्यम: Life Insurance Joint Venture:**			
1)	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. IDBI Federal Life Insurance Company Limited.	भारत / India	48	48
ई) D)	**सहयोगी कंपनियां: Associates Companies:**			
1)	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd.	भारत / India	26.10	30
2)	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Ltd	भारत / India	27.93	27.93
3)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लि. North Eastern Development Finance Corporation Ltd	भारत / India	25	25

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम / Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
4)	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Ltd (PIPDICL). #	भारत / India	21.14	21.14

वित्तीय विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने कारण पीआईपीडीआईसीएल के वित्तीय विवरणों पर समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है. उक्त कंपनी के निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया गया है.
The financials of PIPDICL are not considered for consolidation on account of non receipt of financial statements/ annual report. The investment in the said company has been written down to Rupee one.

3. अनुमानों का उपयोग:
Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.
The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

4. राजस्व निर्धारण:
Revenue Recognition:

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि समूह को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके.
Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक आस्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of RBI.

ii. साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC) / Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होता है.
Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है
Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. गैर-निष्पादित अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.
In case of Non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the bank.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में,
B. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited,

i. कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मुख्य प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर निवल ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.

ii. तुलन-पत्र तारीख को धारित नियत कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज, खंडित अवधि के लिए कूपन दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.
Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

iii. निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अर्जन लागत पर बिक्री / मोचन आय का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है.
Profit on Sale of Investments is recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with loss on sale of Investments

iv. कंपनी द्वारा हामीदारी दिए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मूल्य के प्रति समायोजित नहीं किया जाता.
Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to profit and loss account and not netted against the value of investments.

v. सेकंडरी मार्केट परिचालनों पर अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित है. डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है. लाभांश का निर्धारण तब किया जाता है जब तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी के भुगतान प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित किया जाता है. राजस्व में सेवा कर/जीएसटी, जहां भी वसूल किया गया है, शामिल नहीं है. निर्गम प्रबंधन, ऋण समूहन तथा वित्तीय सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त राजस्व की गणना ग्राहक के साथ किए गए करार की शर्तों के आधार पर की जाती है.
Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management and other fees are accounted for on accrual basis. Dividend is recognised when the company's right to receive payment is established by the balance sheet date. Revenue excludes Service Tax/ GST, wherever recovered. Revenue from issue management, loan syndication and financial advisory services is recognised as per terms of agreement with the client.

vi. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों और ट्रेड में स्टॉक प्रकृति वाली अन्य प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को कंपनी की निधियों का टर्नओवर दर्शाने के लिए लाभ और हानि खाते में प्रकटन किया जाता है और इसमें केवल एकमुश्त लेन-देन शामिल हैं. इस उद्देश्य के लिए जब ये प्रतिभूतियाँ परिपक्वता की तारीख तक कंपनी के पास रहती हैं, तो बिक्री में मोचन से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है.
Purchases and sales of dated government securities, treasury bills and other securities in the nature of stock in trade are disclosed in the Profit and Loss Account, with a view to indicating the turnover of funds of the company

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

and include only outright transactions. For this purpose, sales also include redemption proceeds, if any, when these securities are held by the company till the date of maturity.

इ आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में,
C. In case of IDBI Asset Management Limited,

i. निवेश प्रबंधन शुल्कः निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर सेवा कर को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो.
Investment Management fees: Investment Management fees are recognized net-off service tax/GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') as amended

ii. अन्य आय : ब्याज आय को अवधि आनुपातिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.
Other income: Interest income is accounted for on period proportion basis. The profit/loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

iii. ब्याजयुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कूपन दर पर उपचित होता है. ऐसे निवेशों की खरीद पर, अंतिम ब्याज देय तारीख से खरीद की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान को खरीद की लागत नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूली योग्य ब्याज माना जाता है. इसी प्रकार बिक्री के समय अंतिम ब्याज देय तारीख से बिक्री की तारीख तक की अवधि के लिए प्राप्त ब्याज को बिक्री मूल्य का भाग नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूला गया ब्याज माना जाता है. प्रतिभूतियों पर प्रीमियम/छूट के मामले में इसे सम्पूर्ण अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है.
Interest on interest bearing securities is accrued on the coupon rate. On purchase of such investments, interest paid for the period from the last interest due date up to the date of purchase is not treated as a cost of purchase but is treated as interest recoverable. Similarly, interest received at the time of sale for the period from the last interest due date up to the date of sale is not treated as part of sale value but is treated as interest recovered. In case of premium /discount on securities the same is being amortized over the tenure.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. के मामले में,
D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited,

i. ट्रस्टीशिप शुल्कः ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए.
Trusteeship fees: Trusteeship fees is recognized on accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.

ii. अन्य आयः निवेशों से आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.
Other income: Income from Investments is accounted on accrual basis. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

उ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में,
E. In case of IDBI Intech Limited,

सॉफ्टवेयर समाधानों और परामर्शी सेवाओं से प्राप्त राजस्व को संविदा की निर्दिष्ट शर्तों पर हिसाब में लिया जाता है. समय और वस्तु आधारित संविदा के मामले में राजस्व को संबन्धित सेवाओं के निष्पादन पर और निर्धारित मूल्य संविदा के मामले में राजस्व को सेवाओं की पूर्ति और संविदा के मूल्य की पद्धति की पूर्ति के प्रतिशत द्वारा हिसाब में लिया जाता है. सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को वस्तु की संपत्ति के हस्तांतरण अथवा प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति पर हिसाब में लिया जाता है. वार्षिक तकनीकी सेवाओं से प्राप्त राजस्व को उस अवधि में जब सेवाएं प्राप्त की गई है पर आनुपातिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Revenues from software solutions and consulting services are recognized on specified terms of contract. In case of contract on time and material basis revenue is recognised when the related services are performed and in case of fixed price contracts revenue is recognized using percentage of completion method of value of the contract and completed service. Revenue from sale of software applications and products are recognized on transfer of property of goods or on achievement of milestone. Revenue from Annual technical services are recognized proportionately over the period in which services are rendered.

पूरे किए गए कार्य के प्रतिशत के संविदा मूल्य में किसी भी संशोधन का प्रभाव उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिसमें परिवर्तनों का पता चलता है. सेवाओं के निष्पादन से पूर्व प्राप्त या बिल की गई राशि को गैरअर्जित राशि के रूप में लिया जाता है. अन्य चालू आस्तियों में शामिल व बिल में नहीं लिखी गई सेवाएँ संविदा की शर्तों के अनुसार अग्रिम रूप से बिल में लिखे गए सेवाओं के राजस्व का निवल निष्पादन पर आधारित हिसाब में ली गई राशि होती है. राजस्व का निवल छूट और प्रोत्साहन के रूप में लिया जाता है.
The impact of any revision in contract value of the percentage of work completed is reflected in the year in which the change becomes known. Amount received or billed in advance of services performed are recorded as unearned revenue. Unbilled services included in other current assets represents amount recognized based on services performed in advance of billing in accordance with contract terms. Revenue is reported net of discount / incentive.

कॉल सेंटर से प्राप्त राजस्व इकाई कीमत वाली संविदाओं, समय आधारित संविदाओं, लागत आधारित संविदाओं और वचनबद्ध सेवाओं से प्राप्त होती है. ऐसे राजस्व को संबंधित सेवाओं की पूर्ति पर हिसाब में लिया जाता है और इसे ग्राहक के साथ हुई संविदा की निर्धारित शर्तों के अनुसार बिल में शामिल किया जाता है.
Revenue from call centre arises from unit priced contracts, time based contracts, cost based projects and engagement services. Such revenue is recognised on completion of the related services and is billed in accordance with the specific terms of the contract with the client.

ब्याज आय को समय अनुपात आधार पर दर्शाया जाता है.
Interest Income is recognised on time proportion basis.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में,
F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited,

i. कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर के किराए और बैंक सावधि जमाराशियों और म्यूचुअल फंडों में निवेश से आय के रूप में प्राप्त करती है जिनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है. यदि बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों की आय प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में ली जाती है. ऐसे अनियमित समनुदेशनों के प्रति पिछले वर्ष / वर्षों में बकाया किसी भी राशि को ऐसे निर्धारण वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है. जब अंतिम समाधान अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य व बट्टे खाते डाला गया समझा जाता है.
The company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from investments in Bank Fixed Deposit and Mutual Funds, which are accounted for on accrual basis. Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year/s amounts outstanding against such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination. Other Debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. निवेश पर ब्याज आय को बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को हिसाब में लेते हुए समयानुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है. इसे अन्य आय में शामिल किया जाता है.

Interest income on investment recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the applicable interest rate. It is included in other income.

ए. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में,

G. In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited,

(i) प्रीमियम आय:

Premium Income:

गैर-संबद्ध कारोबार के लिए, प्रीमियम (सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर घटाकर) को देय होने पर आय के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. व्यपगत पॉलिसियों के प्रीमियम को इन पॉलिसियों के फिर से सक्रिय होने पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. गैर-संबद्ध परिवर्ती बीमा कारोबार के लिए प्रीमियम को प्राप्ति तारीख पर आय माना जाता है. संराशीकृत प्रीमियम को संराशीकरण वर्ष में देय माना जाता है और उसे नवीकरण प्रीमियम माना जाता है. टॉप अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है. संबद्ध कारोबार के लिए, संबद्ध यूनिटों के आबंटन पर प्रीमियम को आय माना जाता है.

For non-linked business, premium (net of Service Tax / goods and services tax) is recognized as income when due. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt. Commuted premium is considered as due in the year of commutation and is considered as renewal premium. Top up premiums are considered as single premium. For linked business, premium is recognized as income when the associated units are allotted.

(ii) संबद्ध निधि से आय:

Income from Linked fund:

संबद्ध निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, नीति प्रशासन प्रभार, बीमा की लागत आदि शामिल हैं, को बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूला जाता है और उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, cost of insurance, etc. are recovered from the linked fund in accordance with terms and conditions of policy and are accounted on accrual basis.

(iii) निवेशों पर अर्जित आय:

Income Earned on Investments:

निवेशों पर ब्याज आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है. बट्टे का उपचय और ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध प्रीमियम के परिशोधन का निर्धारण सीधी रेखा आधार पर धारिता / परिपक्वता अवधि के बाद किया जाता है. बीमा पॉलिसियों पर ऋण से अर्जित ब्याज आय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है तथा इसे निवेशों पर ब्याज आय में शामिल किया जाता है. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है. वैकल्पिक निवेश फंडों से प्राप्त आय को उस समय निर्धारित किया जाता है जब आय फंड द्वारा वितरित की जाती है. संबद्ध कारोबार के अलावा ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल व परिशोधन लागत के बीच का अंतर होती है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.

Interest income on investments is recognized on accrual basis. Accretion of discount and amortization of premium relating to debt securities is recognized over the holding/maturity period on a straight-line basis. Interest income earned on loan against insurance policies is recognized on accrual basis and is included in interest income on investments. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. Income from Alternative Investment Funds is recognized when the income is distributed by the fund. Profit or loss on sale of debt securities for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

संबद्ध कारोबार के अलावा इक्विटी शेयरों व म्यूचुअल फंडों तथा वैकल्पिक निवेश फंड की यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है तथा इसमें पूर्व में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत निर्धारित उचित मूल्य के संचयी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है. संबद्ध कारोबार के लिए धारित निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Profit or Loss on sale of equity shares, mutual funds and alternative investment fund units for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale and includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account". Profit or loss on sale of investment held for linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

(iv) शुल्क और प्रभार
Fees and Charges

आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार पॉलिसीधारकों की अदावी राशि से प्रशासन तथा निधि प्रबंधन व्ययों की वसूली का हिसाब उपचित आधार पर किया जाता है.
Recovery towards administration and fund management expenses from the Unclaimed Amount of Policyholders in accordance with IRDAI regulations is accounted on accrual basis

5 **आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में**
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited

i) अर्जन लागत:
Acquisition Costs:

अर्जन लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो भिन्न-भिन्न होती हैं और प्राथमिक रूप से बीमा संविदा के अर्जन से जुड़ी होती हैं तथा ये उसी अवधि में व्यय की जाती हैं जिस अवधि में उपगत होती हैं.

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred

ii) प्रदत्त लाभ:
Benefits Paid:

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ का दावा निपटान, यदि कोई हो, शामिल है.
Benefits paid comprise of policy benefits and claim settlement costs, if any.

मृत्यु, राइडर,आहरण एवं अभ्यर्पण दावे सूचना मिलने के बाद हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे व परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत किए गए आहरण एवं अभ्यर्पण सहबद्ध यूनिटों के निरस्त होने पर संबंधित योजनाओं में हिसाब में लिए जाते हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों की अवधि में ही हिसाब में ली जाती हैं.
Death, rider, withdrawals and surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted when due. Withdrawals and Surrenders under linked policies are accounted in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

iii) बीमांकिक देयता मूल्यांकन:
Actuarial liability valuation:

जीवन बीमा के मामले में प्रवर्तनशील बीमा पॉलिसियों के संबंध में तथा ऐसी पॉलिसियों के संबंध में जहाँ प्रीमियम तो जारी नहीं है, लेकिन देयता विद्यमान है, उनके संबंध में बीमांकिक देयता का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा स्वीकार्य बीमांकक प्रथाओं, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित, इरडा विनियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों व भारतीय बीमांकक संस्थान के बीमांकक प्रथा मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सकल प्रीमियम पद्धति से किया जाता है. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत देयताएं यूनिटों के मूल्य व मृत्यु एवं रुग्णता जोखिमों के संबंध में भावी गैर यूनिट रिज़र्व का योग करने के बाद पॉलिसी प्रभार घटाकर निकाली जाती हैं.
Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Law (Amendment) Act, 2015, IRDA regulations & circulars issued from time to time and the Actuarial Practice Standards of the Institute of Actuaries of India. Liabilities under unit linked policies are the sum of the value of units and the prospective non unit reserve in respect of mortality and morbidity risks and future policy expenses, less policy charges.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iv) **पुनर्बीमा प्रीमियम:**
Reinsurance premium:

सत्तांतरित पुनर्बीमे की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ संधि अथवा सैद्धान्तिक व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय की गई है.
Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer.

v) **भावी समायोजन के लिए निधियां:**
Funds for Future Appropriations:

प्रतिभागी खंड में भावी समायोजन के लिए बताई गई निधियां वह अधिशेष है, जिसे तुलन पत्र की तारीख को पॉलिसीधारकों या अंशधारकों को आबंटित नहीं किया गया हैं. प्रतिभागी पॉलिसीधारक को किया गया कोई भी आबंटन अंशधारकों के लाभ हानि लेखे में अंतरण में अपेक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा.
The funds for future appropriations, in the participating segment, represent the surplus, which is not allocated to policyholders or shareholders as at the Balance Sheet date. Any allocation to the participating policyholders would also give rise to a transfer to Shareholders' Profit and Loss Account in the required proportion.

vi) **वस्तु और सेवा कर (पूर्ववर्ती 'सेवा कर'):**
Goods and Services Tax (erstwhile 'Service tax'):

जीवन बीमा सेवा पर वस्तु और सेवा कर के दायित्व का निपटान वस्तु एवं सेवाओं की निविष्टियों पर अदा किए गए कर पर उपलब्ध निविष्टि कर जमा ('आईटीसी') से किया गया है. अनुपयोगित क्रेडिट, यदि कोई हो, तो उसे निपटान के लिए आगे ले जाया गया हैं.
Goods and Services Tax liability on life insurance service is set-off against the input tax credits ('ITC') available from tax paid on input of goods or services. Unutilized credits, if any, are carried forward for set-off.

vii) **ऋण:**
Loans:

पॉलिसियों पर ऋण को ऐतिहासिक लागत पर विवरित किया गया है जो कि मूल्यह्रास के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, के अधीन है.
Loans against policies are stated at historical cost, subject to provision for impairment, if any.

6. अग्रिम और प्रावधान :
Advances and Provisions:

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.
Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/ created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as `Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है.
Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Profit and Loss account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.
The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments

v. पुनर्संरचित/ पुन:निर्धारण ऋणों और अग्रिमों का प्रावधान बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

vi. बैंक ने, बोर्ड के अनुमोदन से प्रावधानीकरण पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय बफर बनाया था, जिसका संशोधन समय-समय पर किया जाता है, और इसका उपयोग सीमाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुमत परिस्थितियों के भीतर करता है.
The Bank had made countercyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, amended from time to time, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

7. निवेश:
Investments:

I. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Bank Limited

अ. वर्गीकरण:
A. Classification:

निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:
In terms of extant guidelines of the RBI on Investment classification and Valuation, the entire investment portfolio is categorized as

i. परिपक्वता तक धारित
Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा
Available For Sale and

iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित
Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुन:वर्गीकृत किया जाता है:
Investments under each category are further classified as:

i. सरकारी प्रतिभूतियां
Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
Other Approved Securities

iii. शेयर
Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड
Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार:
B. Basis of Classification:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली तथा मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

d) An investment is classified as 'Held to Maturity', 'Available for Sale' or 'Held for Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in subsidiaries, joint venture are classified as 'Held to Maturity'.

इ. मूल्यांकन :

C. Valuation:

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में:
In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the acquisition cost/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.
Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint venture under this category is provided for each investment individually.

iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.
Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, are ignored.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन बट्टाकृत लिखत होने के कारण रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.

ख) क्रय-विक्रय/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों को मूल्य बाजार कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / क्रय-विक्रय न की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित कीमत पर किया जाता है.

c) Quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA).

घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा 1/- रुपए प्रति कंपनी के आधार पर निकाला जाता है और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्य रिज़र्व बैंक के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है.

d) Unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at Re.1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.

ङ) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे मूल्य वृद्धि अंतर व वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.

e) Unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting period end.

छ) उद्धृत अधिमान्य शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / गैर-ट्रेडेड अधिमान्य शेयरों को परिपक्वता पर उचित प्रतिफल द्वारा मूल्यांकित किया जाता है जो रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा.

g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है.
Investments are shown net of provisions.

ई. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन :
D. Repo and reverse repo transactions:

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत आपाती सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

रिज़र्व बैंक से एलएएफ एवं एमएसएफ के अंतर्गत किए गए रेपो लेन-देन के संबंध में रिज़र्व बैंक से उधार ली गई राशि को निवेश खाते में जमा कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है. इस पर लगने वाली लागत को ब्याज व्यय माना जाता है. एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो लेन-देनों के संबंध में रिज़र्व बैंक को दी गई राशि निवेश खाते में नामे कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स कर दी जाती है. इस पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In respect of repo transactions under LAF and MSF with RBI, amount borrowed from RBI is credited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Costs thereon are accounted for as interest expense. In respect of reverse repo transactions under LAF, amount lent to RBI is debited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Revenues thereon are accounted as interest income.

II. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Assets Management Limited

ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हैं और ऐसे निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किए जाने हैं, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है. तथापि, निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, के संबंध में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है. ऐसे घटाव का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग किया जाता है.
Investments which are readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date, on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as long term investments. Current investments are carried at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investments are carried at cost. However, provision for diminution is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually.

III. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में
In case of IDBI Trusteeship Services Limited

ऐसे सभी निवेश जो लंबे समय से धारित हैं, उन्हें गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते हैं. दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप से भिन्न कमी को दर्शाया जाता है.
All investments which are held, since a long period, same are classified as Non Current Investments. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognized, if considered other than temporary.

IV. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में
In case of IDBI Capital Market & Securities Limited

क. निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के जरिए आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अर्जित तथा धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अर्जन लागत पर किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट, यदि कोई हो, का

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश कम लागत या बाजार मूल्य पर किया जाता है. मार्केट मेकर के रूप में बाजार निर्माण प्रक्रिया में अर्जित प्रतिभूतियों को धारिता-अवधि पर ध्यान दिये बिना चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

a. Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as Current Investments irrespective of the period of holding.

अल्पावधि धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है. Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.

ख. विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को कम लागत या बाजार/ उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सिर्फ एकमुश्त लेन-देनों पर विचार करते हुए भारित औसत प्रणाली का अनुसरण कर लागत निकाली जाती है. बाजार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाजार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर आय-प्राप्ति के संदर्भ में और इक्विटी के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है.

b. Securities held as stock-in-trade category wise are valued at lower of cost or market/fair value. Cost is derived by following the weighted average method considering only outright transactions. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available balance sheet. Each security is valued individually. The depreciation, if any, for each security is provided and the appreciation, if any, is ignored.

ग. निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.

c. Premium paid on government securities held as investment is amortized over the tenor of the instrument.

V. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited

i. बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2016 और आईआरडीए द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं.
Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938 as amended by Insurance Law (Amendment) Act, 2015, the IRDAI (Investment) Regulations, 2016, and various other circulars / notifications and amendments issued by the IRDA in this context from time to time.

ii. निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें दलाली तथा कर, यदि कोई हों, शामिल किए जाते हैं और उपचित ब्याज शामिल नहीं किए जाते हैं
Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and taxes, if any, and excludes accrued interest.

अ) वर्गीकरण:
A) Classification:

i. तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीनों में निपटाने के विशेष अभिप्राय से किए गए निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Investments maturing within twelve months from the balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the balance sheet date are classified as short term investments.

ii. अल्पकालिक निवेशों के अलावा अन्य निवेशों को दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Investments other than short-term investments are classified as long-term investments.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ) मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेश
B) Valuation - shareholders' investments and non-linked policyholders' investments

i. सभी ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और वे तदनुसार परंपरागत लागत पर दर्शायी जाती हैं जो सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिपक्वता/ धारिता अवधि के दौरान प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट पर वृद्धि के अधीन हैं.
All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

ii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' - प्राथमिक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित किया जाता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे उसके उचित मूल्य पर 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' - द्वितीयक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों को तुलन-पत्र की तारीख को पिछले दिन के शुद्ध आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. तुलन-पत्र की तारीख की वैकल्पिक निधि यूनिटों को मूल्यांकन निधि हाउस में उपलब्ध अंतिम एनएवी के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में ह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.
Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange - 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange - 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units as at the balance sheet date are valued at the previous day's net asset values. Alternative investment fund units as at the balance sheet date are valued at last NAV available from the fund house. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision for diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iii. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण न लिए गए लाभ/ हानि को "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" में लिया जाता है और तुलन-पत्र में आगे ले जाया जाता है.
Unrealized gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units are taken to "Fair Value Change Account" and carried forward in the balance sheet.

iv. किसी भी ह्रास हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे में उतना व्यय समझा जाता है, जितना कि प्रतिभूति या निवेश के पुनर्मूल्यांकित उचित मूल्य व राजस्व या लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी भी पूर्व ह्रासित हानि द्वारा कम की गई इसकी अर्जन लागत के बीच का अंतर होता है. पूर्व में अभिनिर्धारित किसी भी ह्रासित हानि के प्रतिवर्तन को राजस्व या लाभ-हानि लेखों में दर्शाया जाता है.
Any impairment loss is recognized as an expense in Revenue or Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security or investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognized as expense in Revenue or Profit and Loss Account. Any reversal of previously recognized impairment loss is recognized in Revenue or Profit and Loss Account.

इ) मूल्यांकन - संबद्ध कारोबार
C) Valuation - linked business

i. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों के आधार पर किया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रेटिंग एजेंसी द्वारा दैनिक आधार पर जारी किए जाने वाले प्रतिफल मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए उचित मूल्य आधार पर किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Government Securities are valued at prices obtained from Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Debt Securities other than Government Securities are valued at Fair Value using Yield Matrix for Bonds released by Rating Agency, on a daily basis.

ii. मुद्रा बाजार लिखतों अर्थात् - जमा प्रमाणपत्र, संपार्श्विक उधार तथा उधार लेन-देन संबंधी दायित्व का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जो धारिता/ परिपक्वता अवधि पर सीधी रेखा आधार पर बट्टे की अभिवृद्धि या प्रीमियम के परिशोधन के अधीन होता है. अन्य मुद्रा बाजार लिखतों जैसे - वाणिज्यिक पत्रों, ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुरूप एफआईएमएमडीए से प्राप्त प्रतिफल वक्र मूल्यों पर किया जाता है.
Money Market Instruments i.e. Certificate of Deposit, Collateral Borrowing and Lending Obligation are valued at cost, subject to accretion of discount or amortization of premium over the holding/ maturity period on a straight line basis. Other Money Market instruments like Commercial Papers, Treasury Bills are valued based on yield curve / prices obtained from FIMMDA in line with IRDAI guidelines.

iii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर अंकित किया जाता है जो प्राथमिक एक्सचेंज - 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' पर उद्धृत अंतिम भाव होता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो सेकेन्डरी एक्सचेंज - 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' पर उद्धृत बंद भाव को उचित मूल्य माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.
Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange - 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange - 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision of diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iv. निवेश पर न लिए गए लाभ/ हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है.
Unrealized gains/losses on investments are recognized in the respective fund's Revenue Account.

ई) निवेशों का अंतरण
D) Transfer of investments

निवेशों का शेयरधारकों की निधि से पॉलिसीधारकों की निधि में अंतरण रखाव राशि या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है. तथापि, ऋण प्रतिभूति के मामले में सभी अंतरण निवल परिशोधनकृत लागत पर किए जाते हैं. यूनिट संबद्ध निधियों के निवेशों में अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाता है.
Transfer of investments from Shareholders' Fund to the Policyholders' Fund is at carrying amount or market price, whichever is lower. However in case of debt securities all transfers are carried out at the net amortized cost. Transfer of investments between unit linked funds is done at market price.

8 डेरिवेटिव लेन-देन:
Derivative Transactions:

अ. 'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में :
A. In Transactions designated as 'Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन-देन पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.

b) On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c) Re designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

आ. 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:
B. In Transactions designated as 'Trading':

i. 'ट्रेडिंग के लिए' नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप,परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

ii. एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ़) खंड में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Derivative TTransactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

इ. फ्यूचर्स एवं ऑप्शन में लेन-देन
C. Transactions in Futures and Options

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लि. के मामले में,
In case of IDBI Capital Market & Securities Limited

i. फ्यूचर्स कांट्रैक्ट/ ऑप्शन बिक्री के समय देय प्रारंभिक मार्जिन राशि एक्सचेंजों में सावधि जमा, नकदी जमा व प्रतिभूतियों के रूप में जमाराशियों से समायोजित की जाती है.

Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

ii. फ्यूचर्स कांट्रैक्ट में लेन-देनों को संविदा के कल्पित ट्रेड मूल्य पर खरीद एवं बिक्री के रूप में शामिल किया जाता है. तुलन-पत्र की तारीख को फ़्यूचर्स की खुली संविदा को उसके कल्पित मूल्य द्वारा समायोजित कर दिया जाता है.

Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. निपटान मूल्य अथवा विगत दिवस के एक्सचेंज के बंद भाव व अगले दिन के एक्सचेंज के बंद भाव के अंतर के कारण एक्सचेंज को अदा की गई या प्राप्त की गई राशि को मार्क-टू-मार्केट मार्जिन के रूप में चिह्नित किया जाता है. मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते की शेष राशि तुलन-पत्र की तारीख तक फ्यूचर्स कांट्रैक्ट के खुली संविदा के मूल्य में घट-बढ़ के फलस्वरूप अदा की गई या प्राप्त की गई निवल राशि होती है. मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते की निवल नामे शेष राशि राजस्व को प्रभारित की जाती है, जबकि निवल जमा शेष राशि को चालू देयताओं में दर्शाया जाता है.

The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.

iv. ऑप्शनों के क्रय-विक्रय पर अदा की गई या प्राप्त की गई प्रीमियम तथा ऑप्शन के प्रयोग के चलते अदा या प्राप्त की गई अंतर राशि को खरीद या बिक्री के हिसाब में लिया जाता है. तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार बेचे गए ऑप्शनों के खुली संविदा के मामले में ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से तुलन-पत्र की तारीख को लागू प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है. तुलन-पत्र में लागू प्रीमियम के मुकाबले प्राप्त प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उसे निर्धारित नहीं किया जाता है. इसी प्रकार ऑप्शन खरीदी के मामले में ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से तुलन-पत्र की तारीख को लागू प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है किंतु तुलन-पत्र में लागू प्रीमियम के मुकाबले प्राप्त प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उसे अनदेखा किया जाता है. बहुविध खुली स्थितियों के मामले में क्रय व विक्रय, दोनों ही स्थितियों में प्रावधान किया जाता है या शेष राशियों का समंजन करके अतिरिक्त प्रीमियम को अनदेखा किया जाता है.

iv. Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognized. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

ई. ब्याज दर स्वैप
D. Interest Rate Swaps

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लि. के मामले में, प्राथमिक डीलरशिप परिचालनों के संबंध में बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की कल्पित प्राथमिक राशि में से संबंधित आस्तियों और देयताओं को घटाया जाता है. ब्याज दर स्वैप में लाभ या हानि को संविदा की शर्तों के अनुसार देय तारीख को हिसाब में लिया जाता है.

In case of IDBI Capital Market & Securities Limited, Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

9. अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास:
Fixed Assets and depreciation:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में दर्शाया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iii. पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

iv. अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत अथवा आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में पुनर्मूल्यांकित राशियों के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है.

Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

v. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन-पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.

In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

vi. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

vii. मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी में उपबंधित अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाता है. उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.

Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate useful lives of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimate of useful life / remaining useful life.

viii. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अविध के लिए लगाया जाता है.

Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held.

ix. अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:
The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति / Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन /Motor vehicles	8
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वीसैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर और फिक्सचर / a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर / b) Personal Computers	3

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

x. लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease.

xi. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 6 वर्ष होती है.
Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 Lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Assets Management Limited

i. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास और ह्रास को घटाकर अर्जन लागत पर दर्शाया जाता है. लागत मूल्य में आस्तियों के अर्जन एवं संस्थापन से संबंधित मालभाड़ा, शुल्क, कर और प्रासंगिक व्यय शामिल होते हैं. प्रयोग में लाई जा रही आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इन आस्तियों से भविष्य में लाभ/ कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि की संभावना हो. मौजूदा अचल आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव और कलपुर्जों के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है.
Fixed assets are carried at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment. Cost includes freight, duties, taxes, and incidental expenses related to the acquisition and installation of the assets. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. All expenses on existing fixed assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged as revenue in the period in which they are incurred.

ii. मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया जाता है. आस्तियों के मूल्यह्रास की दरें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को विचार में लेने के बाद तय की गई हैं. प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल कम है तो मूल्यह्रास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर उच्च दर पर किया जाता है. इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है:
Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per schedule II of the Companies Act 2013. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

अचल आस्तियों की श्रेणी / Class of Fixed Assets	मूल्यह्रास की दर (% में) - एसएलएम आधार पर (1 अप्रैल 2015 से लागू) Rate of Depreciation (In%)- SLM basis (applicable from April 01, 2015)
फर्नीचर एवं फिक्सचर/ Furniture & Fixtures	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	19.00
आईटी हार्डवेयर /IT Hardware	33.33
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with Employees	33.33

iii. एकल रूप से 2.50 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को 5 वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है, एकल रूप से 2.50 लाख रुपए से कम की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय / अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Computer software individually costing more than 2.50 lakhs is capitalized and depreciated over a period of 5 years, Computer software individually costing less than 2.50 lakhs is fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iv. कंपनी आस्ति के उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्ति के लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है.
The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale.

v. एकल रूप से ₹ 5000 या उससे कम की लागत वाली, सॉफ्टवेयर से इतर अचल आस्तियों को क्रय/ अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets, other than software, individually costing ₹ 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase / acquisition.

इ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में
C. In case of IDBI Intech Limited

अचल आस्ति को उनकी संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में लक्षित प्रयोग के लिए कार्यशील परिस्थितियों में लाने हेतु आस्ति के अधिग्रहण में हुए सभी व्यय शामिल होते हैं. अमूर्त आस्तियां जैसे सॉफ्टवेयर, जिस पर कंपनी के अधिकार जारी रहते हैं उसे लागत पर पूंजीकृत किया जाता है.
Fixed assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation / amortization and impairment loss, if any. Cost includes all expenses incurred for acquisition of assets to bring these to working conditions for intended use. The intangible assets like software, on which propriety rights continue with the company, are capitalized at costs

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में
D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

i. अचल आस्तियों को अर्जन की मूल लागत तथा उनके अर्जन के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यह्रास निर्धारित दर पर अवलिखित आधार पर प्रभारित किया जाता है. आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान के लिए ऐसे निपटानों की तारीख तक किया जाता है. कम लागत वाली अलग-अलग आस्तियों (5000/- रुपये से कम राशि में अर्जित) को उनके अर्जन के वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written down Value basis as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired for less than Rs. 5,000/-) are depreciated in the year of acquisition.

ii. लेखांकन मानक एएस-26 के अनुसरण में आस्तियों को संचित परिशोधन घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है. अमूर्त आस्तियों का परिशोधन आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है.
In accordance with Accounting Standards AS-26, Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization. Amortization of intangible assets is provided on Written Down Value method on the basis of estimated useful life of the asset.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में
E. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited

मूर्त आस्तियों के मामले में संपत्ति की मदें, संयंत्र और उपकरण की पहचान आरंभ में लागत पर की जाती है और तत्पश्चात संचित मूल्यह्रास तथा हानि को घटाकर मूल लागत पर की जाती है. संपत्ति की मदों, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके आकलित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्य ह्रासित राशि पर सीधी रेखा पद्धति के द्वारा निम्नानुसार की जाती है:
In case of Tangible Assets, Items of property, plant and equipment are initially recognized at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation on items of property, plant and equipment is calculated using the straight-line method to allocate their depreciable amounts over their estimated useful lives as specified in Schedule II to the Companies Act as follows:

भवन - 60 वर्ष
Buildings - 60 years

कम्प्यूटर - 3 वर्ष
Computers - 3 years.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

फर्नीचर एवं फिक्सचर - 10 वर्ष
Furniture& Fixtures - 10 years

कार्यालय उपकरण - 5 वर्ष
Office Equipments - 5 years

₹ 5000 से कम एकल मूल्य वाली सभी मूर्त आस्तियों को अर्जन के वर्ष में तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.
All Tangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

अमूर्त आस्तियों के मामले में अर्जित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंसों को आरंभ में लागत पर पूंजीकृत किया जाता है जिसमें खरीद मूल्य (किसी भी छूट अथवा रिबेट को घटाकर) और आस्ति को उसके नियत प्रयोग के लिए तैयार करने हेतु लगे अन्य प्रत्यक्ष रोप्य लागत को शामिल किया जाता है. सॉफ्टवेयर की मूल लागत में प्रत्यक्ष व्यय जो कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के कार्य निष्पादन को बढ़ाता और विस्तारित करता हो और जिसे उसके ब्योरे से आगे और विश्वसनीय रूप से आँका जा सकता है, को शामिल किया जा सकता है. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के रखरखाव से संबंधित खर्च वहन किए जाने पर उसे व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है.
In case of Intangible Assets, Acquired computer software licenses are initially capitalised at cost, which includes the purchase price (net of any discounts and rebates) and other directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Direct expenditure which enhances or extends the performance of computer software beyond its specifications and which can be reliably measured is added to the original cost of the software. Costs associated with maintaining the computer software are recognized as an expense when incurred.

पूंजीकरण हेतु पात्र सॉफ्टवेयर विकास पर व्यय को विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों के रूप में लिया जाता है जहां पर कि ऐसी आस्तियां उनके नियत उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं.
Expenditure on software development eligible for capitalisation are carried as Intangible assets under development where such assets are not yet ready for their intended use.

अमूर्त आस्तियों को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी मूल्य पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधन हेतु प्रयोग अमूर्त आस्तियों का अनुमानित उपयोगी मूल्य है:
Intangible assets are amortized on a straight line basis over their estimated useful lives. The estimated useful lives of intangible assets used for amortization are:

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - 3 वर्ष
Computer Software -3 years

वेब ट्रेडिंग पोर्टल - 3 वर्ष
Web Trading Portal - 3 years

बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज कार्ड - 21 वर्ष
Bombay Stock Exchange Card - 21 years

प्रबंधन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राइट के आर्थिक मूल्य का अनुमान उसके उपयोग मूल्य के आधार पर लगाता है.
Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use.

₹ 5,000, से कम एकल मूल्य की सभी अमूर्त आस्तियों को अर्जन के वर्ष में तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.
All Intangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

संपत्ति, संयत्र और उपकरण, जिनकी एकल लागत 5000/- रुपए अथवा कम हो, को खरीद/अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Property, Plant and Equipment, individually costing Rs 5000/ or less are fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का आंकलित उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा और समायोजन यथा उपयुक्त रूप से प्रत्येक तुलन-पत्र में की जाती है. किसी भी प्रकार के संशोधन के प्रभावों को परिवर्तनों के उत्पन्न होने पर लाभ व हानि विवरणों में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The residual values and estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted as appropriate, at each balance sheet date. The effects of any revision are recognised in profit or loss when the changes arise.

ऊ. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में

F. In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited

i. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और उस आस्ति को उसके उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपगत कोई भी लागत शामिल हैं. मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में आस्ति की प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अर्जन की तारीख से / बिक्री की तारीख तक आनुपातिक रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) का प्रयोग करते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है:
Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost includes the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. The Depreciation is provided using Straight Line Method ('SLM') prorated from the date of acquisition/up to the date of sale, based on estimated useful life for each class of asset in the manner specified in Schedule II of the Companies Act, 2013, as stated below:

आस्ति / Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) / Useful Life (in Years)
भवन / Building	60
पट्टाधृत उन्नयन / Leasehold improvements	3
संचार नेटवर्क और सर्वर Communication networks and servers	6
कंप्यूटर तथा पेरिफेरल उपकरण Computers and peripheral equipments	3
कार्यालय उपकरण / Office equipment	5
फर्नीचर एवं फिक्सचर / Furniture & fixtures	10
मोटर वाहन / Motor Vehicles	8
बिजली संस्थापना एवं उपकरण Electrical Installations and Equipments	10

ii. सॉफ्टवेयर युक्त अमूर्त आस्तियों को परिशोधन घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. इन्हें इनके उपयोग की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है. सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण उन्नयनों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित होता है कि इस प्रकार का उन्नयन आस्ति को उसके मूल रूप से निर्धारित मानकों से अधिक भावी आर्थिक लाभ उत्पन्न करने में समर्थ बनाएगी और इस प्रकार का व्यय विश्वसनीय ढंग से आंका और आस्ति पर जोड़ा जा सकता है. अनुवर्ती व्ययों का परिशोधन सॉफ्टवेयर के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान किया जाता है. सॉफ्टवेयर के सपोर्ट तथा रख-रखाव के व्ययों को उस अवधि के राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें वे उपगत होते हैं.
Intangible assets comprising software are stated at cost less amortization. These are amortized using Straight Line Method over a period of 3 years from the date of being put to use. Significant improvements to software are capitalized when it is probable that such improvement will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably. Subsequent expenditures are amortized over the remaining useful life of the software. The expenses for support and maintenance of software are charged to Revenue Account in the period in which they are incurred.

10. प्रतिभूतीकरण लेन-देन:
Securitization Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री की जाती है, जो इसके बदले में निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.
Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

11. प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:
Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies:

प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्रतिभूति रसीद (एसआर)/ प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र (पीटीसी) के भुनाई मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य में से निम्नतर आधार पर की गई है.
Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

पूरी तरह से प्रावधान की गई आस्तियों अर्थात् संदिग्ध आस्तियां-3 की बिक्री और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की बैंक की निवेश बही में एक रुपये के रूप में गणना की जाती है.
In case of sale of assets which are fully provided i.e. Doubtful Assets-3 and Technical Write Off cases, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य(एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य धारित प्रावधान हटाकर) से कम मूल्य पर किया जाता है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में डेबिट किया जाता है. बैंक अनर्जक आस्तियों की बिक्री में किसी भी कमी अर्थात् जब बिक्री एनबीवी से कम हो, को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय/ अस्थायी प्रावधानों का प्रयोग कर सकते हैं.
In case the sale value is at a price below the Net Book Value(NBV) (i.e., book value less provison held), the shortfall should be debited to the profit and loss account of that year. Banks can also use countercyclical/floating provisions for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है तो अतिरिक्त प्रावधान को राशि के प्राप्त होने वाले वर्ष में ही प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है. तथापि, आधिक्य प्रावधान का ऐसा प्रत्यावर्तन आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकद राशि तक सीमित है.
In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

12. विदेशी मुद्रा लेन-देन:
Foreign Currency Transactions:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं..
Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाएं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.
Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.
Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.
Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित औसत तिमाही बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Operations of foreign branch are classified as `Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

आ. **आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड** के मामले में विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के दौरान निपटान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण होने वाले विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

B. **In case of IDBI Assets Management Limited,** Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. Exchange difference, if any, arising out of the foreign exchange transactions settled during the year are recognized in the statement of Profit and Loss.

इ. **आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.** के मामले में विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया किया जाता है. विदेशी मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं, यदि कोई हों, का रूपान्तरण वर्ष के अंत में समाप्त दर पर किया जाता है. निपटान/रूपान्तरण पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे, जैसा लागू हो, में दर्शाया जाता है.

C. **In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited,** Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

ई. **आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि.** के मामले में विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जाती है. उन पर उत्पन्न होने वाले तथा विदेशी मुद्रा वसूली/भुगतान पर होने वाले विनिमय अंतर को सम्बद्ध वर्ष के दौरान आय या व्यय के हिसाब में लिया जाता है.

D. **In case of IDBI Capital Market & Securities Limited,** Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

उ. **आईडीबीआई इंटेक लि.** के मामले में, विदेशी मुद्रा में संव्यवहार, संव्यवहार के समय प्रभावी विनिमय की मूल दर पर दर्ज किए जाते हैं. विदेशी मुद्रा संव्यवहार के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों कों तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग कर पुनःस्थापित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले निवल विनिमय अंतर को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

E. **In case of IDBI Intech Limited,** Transactions in foreign currency are recorded at the original rate of exchange in force at the time transactions are effected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss. Monetary items denominated in foreign currency are restated using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting net exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ऊ. **आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.** के मामले में में विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर बहियों में दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में मूल्यवर्गित सभी मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुनः दर्शाया जाता है. निपटान या लेनदेन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

F. **In case of IDBI Trusteeship Services Limited,** Transactions in foreign currencies are recorded in the books by applying the exchange rates prevailing on the date of the transaction. All monetary items denominated in foreign currency assets and liabilities are restated at the exchange rate prevailing at the year end. Any income or expense on account of the exchange difference either on settlement or on transaction is recognized in the profit & loss account.

13. कर्मचारी लाभः
Employee Benefits:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. अंशदान के देय होने पर निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में किए गए भुगतान को वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.
Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्वलक्षित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है.
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

आ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले,

B. **In case of IDBI Intech Limited,**

i. नियोजन पश्चात् सुविधाएं और अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाएंः
Post-employment benefits and other long term benefit plans:

निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं के भुगतानों को व्यय माना जाता है. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं के लिए,लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्व लक्षित ईकाई ऋण पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है. पिछली सेवा लागत को उस सीमा तक शीघ्र ही हिसाब में लिया जाता है जिससे लाभ पहले ही निहित होते हैं और अन्यथा लाभ के निहित होने तक औसत अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किए जाते हैं. तुलन पत्र में हिसाब में ली गई सेवानिवृत्ति सुविधा देयता परिभाषित सुविधा दायित्व को दर्शाती है जो कि हिसाब में न ली गई सेवा हेतु समायोजन, योजना आस्तियों के उचित मूल्य से घटाकर किया जाता है. इस गणना के परिणामस्वरूप कोई भी आस्ति निर्दिष्ट लाभ देयता के रूप में निर्धारित राशि से कम है और उपलब्ध प्रतिदान के वर्तमान मूल्य और/ अथवा योजना में भविष्य के अंशदान तक सीमित होती है.
Payments to defined contribution schemes are expensed as incurred. For defined benefit schemes and other long term benefit plans, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognized in full in the Statement of Profit and Loss for the period in which they occur. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight line basis over the average period until the benefits become vested. The retirement benefit liability recognized in the balance sheet represents the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognized past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to the lower of the amount determined as the defined benefit liability and the present value of available refunds and /or reduction in future contributions to the scheme.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अदा किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है. इन लाभों में एक वर्ष के भीतर ली जानेवाली छुट्टी के लिए प्रतिपूरित अनुपस्थिति तथा देय बोनस शामिल हैं.

Short term employee benefits:

The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized as an expense during the year when the employee renders those services. These benefits include compensated absences such as leave expected to be availed within a year and bonus payable.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में,

C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited,

नियोजन की शर्तों के अनुसार देय वर्तमान एवं भूतपूर्व सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभ, अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों, के लिए देयता ''भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)'' द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार दर्ज की जाती है.

Liability for employee benefits, both short and long term, for present and past services which are due as per the terms of employment are recorded in accordance with Accounting Standard - 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the "Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)".

निर्धारित अंशदान योजनाएं

Defined Contribution Schemes

क) **भविष्य निधि**

a) **Provident Fund**

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के अधीन पंजीकृत है. तदनुसार, कंपनी सरकारी प्राधिकरणों के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निधियों/ योजनाओं में कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे न्यूनतम अंशदान के बराबर अंशदान कर रही है. पात्र कर्मचारियों को सरकारी प्राधिकरणों से लाभ मिलता है. वर्ष के लिए देय अंशदान को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

The Company is registered under the provisions of Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and schemes framed there under. Accordingly, the Company is contributing, in equal share of minimum contribution as those of employees, to the funds/ schemes established under the Act to Government Authorities. The eligible employees receive benefits from Government Authorities. The contribution due for the year is charged to profit and loss account.

ख) उपदान

b) **Gratuity**

कंपनी रिपोर्टिंग की तारीख यथा 31 मार्च 2017 तक बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित ''द ट्रस्टीज आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. एम्प्लॉईस ग्रुप ग्रैच्युटी स्कीम'' नाम से उपदान प्रदान करती है. कंपनी को वार्षिक प्रीमियम अंशदान का भुगतान करना होता है. वर्ष के लिए इस प्रकार प्रदत्त/ भुगतान-योग्य प्रीमियम को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

The Company provides for gratuity, known as "The Trustees IDBI Trusteeship Services Limited Employee's Group Gratuity Scheme" based on actuarial valuation as on reporting date 31st March, 2017. The Company is required to pay annual premium contributions. The premium so paid / payable for the year is recognised in profit and loss account.

ग) छुट्टी नकदीकरण

c) **Leave Encashment**

वार्षिक छुट्टी नकदीकरण की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है..

Annual Leave encashment is accounted on Actuarial valuation as per Accounting Standard - 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the ICAI.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में,
D. In case of IDBI Asset Management Limited,

क) उपदान:
a) **Gratuity:**

उपदान देयता एक निर्धारित लाभ दायित्व है और इसका निधियन उपदान निधि के माध्यम से किया जाता है जिसका प्रशासन एवं प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है. कंपनी, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित भावी उपदान लाभ हेतु देयता की गणना परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति के प्रयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में करती है.
Gratuity liability is a defined benefit obligation and is funded through a Gratuity Fund administered and managed by the Life Insurance Corporation of India. The Company accounts for liability for future gratuity benefits based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method carried out as at the end of each financial year.

ख) भविष्य निधि:
b) **Provident fund:**

कंपनी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान करती है. अंशदान की गणना उपचय आधार पर की जाती है और इसे लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
The Company contributes to a recognized provident fund. The contributions are accounted for on an accrual basis and are recognized as an expense in the statement of profit and loss.

ग) अल्पावधि कर्मचारी लाभ:
c) **Short term employee benefits:**

अल्पावधि कर्मचारी लाभों को सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
Short term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit & loss account of the year in which the services are rendered.

घ) प्रतिपूरित अनुपस्थिति:
d) **Compensated absences:**

कंपनी कुछ नियमों के अधीन विशेष छुट्टी नकदीकरण की व्यवस्था प्रदान करती है. कर्मचारियों को भावी नकदीकरण और छुट्टी लेने के लिए एक निर्धारित सीमा तक छुट्टी संचय करने का अधिकार है. यह देयता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए जाने वाले स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख में अप्रयुक्त छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर प्रदान की जाती है.
The company provides for Privilege Leave Encashment subject to certain rules. The employees are entitled to accumulate leave subject to certain limits for future encashment as well as availment. The liability is provided based on the number of days of unutilized leave at each balance sheet date on the basis of an independent actuarial valuation carried out as at the end of each financial year..

उ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में,
E. In case of Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Limited,

i. उपदान के प्रति देयता को निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है और इसे तुलन-पत्र तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति'' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है.
Liability towards Gratuity is considered as the defined benefit plan and is recognized on the basis of independent actuarial valuation on "Projected Unit Credit Method" at Balance Sheet date

ii. नकदीकरण योग्य अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ के रूप में माना जाता है और इसका तुलन-पत्र तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति'' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया है.
Earned Leave which is encashable is considered as long term benefit and is provided on the basis of independent actuarial valuation on "Projected Unit Credit Method" at Balance Sheet date.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. बीमारी छुट्टी को अल्पकालिक प्रतिपूरक अनुपस्थिति माना जाता है और तुलन-पत्र की तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति'' के अनुसार स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.
Sick Leave is considered as short term compensated absences and is provided on the basis of independent actuarial valuation on "Projected Unit Credit Method" at Balance Sheet date.

iv. सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, समूह मीयादी बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के रूप में लाभ को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और इसे कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने की अवधि के लिए प्रदत्त अथवा भुगतान-योग्य राशि के आधार पर दर्शाया जाता है.
The benefit in the form of contribution to the Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance and Employee Labour Welfare Fund are considered as the defined contribution plans and are recognized on the basis of the amount paid or payable for the period during which services are rendered by the employees.

ऊ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में,
F. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited,

i. **निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं**
कंपनी की भारत में भविष्य निधि, पेंशन निधि (एनपीएस) और अधिवर्षिता निधि के रूप में नियोजन पश्चात के लाभों के लिए निर्धारित योजनाएं हैं जिनका प्रशासन भारत सरकार और/ अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के द्वारा किया जाता है. जब संबंधित निधियों में अंशदान देय होता है तब इसे वर्ष के लाभ व हानि खाता में प्रभारित किया जाता है.
Defined contribution plans
The Company has defined contribution plans for post-employment benefits in the form of provident fund, pension fund (NPS) and superannuation fund in India which are administered through Government of India and/or Life Insurance Corporation of India (LIC). Contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due.

ii. **निर्दिष्ट लाभ योजना**
उपदान: कंपनी की भारत में अपने कर्मचारियों के लिए उपदान के रूप में नियोजन पश्चात लाभों के लिए लाभ योजना निर्धारित किया हैं. कंपनी की उपदान योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रशासित किया जाता है. निर्धारित लाभ योजनाओं के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रदान की जाती है, जिसका बीमांकन तुलन-पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति पूर्वानुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति है. बीमांकिक लाभों/ हानियों को तुरंत लाभ-हानि लेखे में डाल दिया जाता है और इन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है.
Defined benefit plans
Gratuity: The Company has defined benefit plans for post-employment benefits in the form of gratuity for its employees in India. The gratuity scheme of the Company is administered through Life Insurance Corporation of India (LIC). Liability for defined benefit plans is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

iii. **प्रतिपूरित अनुपस्थिति:** कंपनी के कर्मचारी कंपनी की नीति के अनुसार प्रतिपूरित अनुपस्थितियों के रूप में अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए भी पात्र हैं. कंपनी की नीति के अनुसार कर्मचारी को अधिकतम सीमा तक उनकी शेष छुट्टी के लिए वार्षिक आधार पर छुट्टी का नकदीकरण किया जाता है. सेवानिवृति, रोजगार के दौरान मृत्यु अथवा रोजगार की समाप्ति के समय पर कंपनी की नीति के अनुसार अधिकतम सीमा के अधीन जमा शेष दिनों की संख्या के लिए देय वेतन के बराबर छुट्टी का नकदीकरण किया जाता है. ऐसे लाभों के लिए देयता तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसका बीमांकन एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है. छुट्टी नकदीकरण योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रशासित किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति पूर्वानुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति है. बीमांकिक अभिलाभों/ हानियों को तुरंत लाभ और हानि लेखे में डाल दिया जाता है और इसे आस्थगित नहीं किया जाता है.

iii. **Compensated absences:** The employees of the Company are also entitled for other long-term benefit in the form of compensated absences as per the policy of the Company. Leave encashment vests to employees on an annual basis for leave balance above the upper limit as per the Company's policy. At the time of retirement, death while in employment or on termination of employment leave encashment vests equivalent to salary payable for number of days of accumulated leave balance subject to an upper limit as per the Company's policy. Liability for such benefit is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

actuary. The leave encashment scheme of the company is administered through Life Insurance Company (LIC). The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

iv. **अल्पकालिक कर्मचारी दायित्व:** कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले अदा किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की है उस अवधि के दौरान अबट्टाकृत राशि के रूप में अदा किया जाता है..
Short Term Employee Obligations : The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized in the year during which the employee rendered the services.

14. खंड रिपोर्टिंग:
Segment Reporting:

समूह चार खंडों यथा- होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाएं तथा अन्य परिचालन में कार्य करता है. इन खंडों का निर्धारण एएस-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं के स्वरूप व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.
The Group operates in four segments wholesale banking, retail banking, treasury services and other operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों व देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जिन आस्तियों व देयताओं को अभिनिर्धारणीय खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया जाता है.
Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

15. कराधान:
Taxation:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Ltd,

कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.
Tax expense comprises of current and deferred tax.

i. चालू कर आय कर की वह निर्धारित राशि है जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है. इसकी गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार की जाती है.
Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है..
Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognised to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित मूल्यह्रास/हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.
Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.
Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

v. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के संबंध में कर जमा का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त साक्ष्य के आधार पर इस शर्त के साथ किया जाता है कि कंपनी सांविधानिक समय-सीमा के अंतर सामान्य आय कर का भुगतान करेगी तथा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को इसकी समीक्षा की जाती है.
Tax credit is recognized in respect of Minimum Alternate Tax (MAT) as per the provisions of Section 115JAA of the Income tax Act, 1961 based on convincing evidence that the Company will pay normal income tax within the statutory time frame and is reviewed at each balance sheet date.

16. दलाली एवं नए निधि प्रस्ताव व्यय:
Brokerage & New Fund Offer expenses:

अ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में,
A. In case of IDBI Asset Management Limited,

दलाली: असीमित अवधि वाली इक्विटी लिंक्ड कर बचत योजना के मामले में अदा की गई अपफ्रंट दलाली को 36 महीने की अवधि में परिशोधित करना होता है तथा अन्य असीमित अवधि वाली योजना के मामले में इसे भरपाई अवधि में परिशोधित करना होता है. सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में अपफ्रंट दलाली को परिपक्वता अवधि के दौरान परिशोधित करना होता है.
Brokerage: Upfront Brokerage paid in case of open ended Equity Linked Tax Saving schemes are to be amortized over the period of 36 months and in case of any other open ended scheme , over the claw back period. In case of closed ended schemes upfront brokerage to be amortized over the tenure of the scheme.

नए निधि प्रस्ताव (एनएफओ): नए निधि प्रस्ताव को आरंभ करने संबंधी व्ययों को उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में प्रभारित करना होता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं और सीमित अवधि वाली योजनाओं के लिए इसे योजना की अवधि के लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित करना होता है.
New Fund Offer (NFO): Launch expenses relating to New Fund Offer are to be charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which they are incurred and for close ended scheme it is to be charged to the Statement of Profit and Loss over the tenure of the scheme.

17. प्रति शेयर उपार्जन:
Earnings Per Share:

i. समूह एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.
The Group reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाते हैं जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

18. आस्तियों की अनर्जकता:
Impairment of Assets:

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन ऐसे संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-राशि वसूली योग्य नहीं है तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से करके किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गई हों तो निर्धारित होने वाली अनर्जकता को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.
Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

19. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

i. एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में, बैंक द्वारा कोई प्रावधान तभी हिसाब में लिया जाता है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए दायित्व संबंधी विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.
In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.
Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.
Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण किया जाता है और न ही इनका प्रकटन किया जाता है.
Contingent Assets are neither recognised nor disclosed.

20. योजना से संबंधित व्यय:
Scheme related expenses:

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियमन अधिनियम 1996 द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होने वाली राशियों सहित अथवा सीमाओं से अधिक और कंपनी द्वारा योजना संबंधी जानकारी दस्तावेजों में दिये अनुसार उन व्ययों को जो कंपनी द्वारा वहन किए जाने आवश्यक हैं, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं के सभी आवर्ती व्यय योजना संबंधी व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है.
In case of IDBI Asset Management Limited, In All recurring expenses of the schemes of the IDBI Mutual Fund including the amounts in excess of the limits prescribed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations Act 1996, as amended, or in excess of limits and as given in the Scheme Information Document that are required to be borne by the Company as per the said regulations, are charged to the Statement of Profit and Loss as Scheme related expenses.

आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियमन 1996 अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होने वाले आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजना के व्यय कंपनी द्वारा वहन किए जा सकते हैं. तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई भी व्यय लाभ-हानि लेखे को प्रभारित नहीं किया गया है. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड पर लगाये जाने वाले सचिवीय तथा अन्य प्रभारों के एक भाग को युक्तियुक्त एवं साम्यिक आधार पर प्रभाजित किया है और ऐसे व्यय लाभ-हानि लेखा में दर्शाये जाते हैं.
In case of IDBI MF Trustee Company Limited, Expenses of the scheme of IDBI Mutual Fund in excess of the limits prescribed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations Act 1996 can be borne by the Company. However, during the period under review no such expenses are charged to profit and loss account. IDBI Asset Management Limited has apportioned a part of the Secretarial and other charges attributable to the IDBI MF trustee company Limited on a reasonable and equitable basis and such expenses are charged to the Profit and Loss account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 18: समेकित लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18: NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण एएस-10)
FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT AS-10)

i. बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति पर परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया है जिसमें पट्टाधृत/पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय /कार्यालय भवन शामिल हैं. यथा 31 मार्च 2019 को अंतिम पूनर्मूल्यांकन ₹ 7,116.98 करोड़ माना गया. पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल मूल्यवृद्धि ₹ 2,013.12 करोड़ हो गई जो निवल बही मूल्य ₹ 5,103.86 करोड़ और पूनर्मूल्यांकित राशि ₹ 7,116.98 के बीच अंतर के कारण था तथा जिसे 31 मार्च 2019 को पूनर्मूल्यन रिजर्व में जमा कर दिया गया.
The bank has re-valued the Premises include Leasehold / Freehold Land & Residential/ Office building at the end of business hours, on 31st March 2019 based on valuations made by independent valuers. The final revaluation considered was ₹ 7,116.98 Crore as on March 31, 2019. The net appreciation of ₹ 2,013.12 Crore arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 5,103.86 crore and revalued amount of ₹7,116.98 crore was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2019.

ii. 31 मार्च 2019 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शेष ₹ 6,727.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,053.88 करोड़) रहा.
The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2019 is ₹ 6,727.69 Crore (₹ 5,053.88 crore for previous year).

iii. वर्ष के दौरान आवासीय/कार्यालय भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री के कारण निवल ₹ 72.57 करोड़ की हानि हुई जिसे अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है.
Net Loss amounting to ₹ 72.57 Crore on account of sale of residential/office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.

iv. पुनर्मूल्यन रिजर्व से सामान्य रिजर्व में अंतरित राशि ₹ 339.31 करोड़ (₹ 363.87 करोड़) में पूनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास की राशि ₹ 182.37 करोड़ (₹ 185.34 करोड़) और बैंक द्वारा आस्ति की बिक्री पर पूनर्मूल्यन रिजर्व शेष की राशि ₹ 156.94 करोड़ (₹ 178.53 करोड़) शामिल है.
Amount transferred from revaluation reserve to general reserve ₹ 339.31 crore (₹ 363.87 cr) includes amount of depreciation on revalued portion ₹ 182.37 crore (₹185.34 crore) and balance of revaluation reserve on sale of asset by the Bank is ₹ 156.94 cr (₹178.53 crore)

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित)
EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (Revised)

अ. कर्मचारी लाभ योजनाएं

A. Employee Benefit Schemes

i) निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं

Defined Contribution Schemes

पेंशन का विकल्प चुनने वाले तथा 31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर बैंक के अन्य कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना को 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की भविष्य निधि (निधि) के प्रशासकों की समिति' द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फ़ाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफ़एल) और आईडीबीआई गिल्टस लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संदर्भ में मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किए गए और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लिखित निधि में किए गए. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 13.52 करोड़ (₹4.52 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is administered by "The Committee of Administrators of IDBI Bank Employees' Provident Fund (Fund)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year, ₹ 13.52 Crore (₹4.52 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में अंशदान करता है. वर्ष के दौरान डीसीपीएस में ₹153.16 करोड़ (₹ 69.20 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 153.16 crore (₹ 69.20 crore) has been contributed to DCPS and charged to Profit and Loss Account.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में, लाभ-हानि लेखे में भविष्य निधि अंशदान के लिए ₹0.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.71 करोड़) की राशि निर्दिष्ट की गई और डाली गयी है.

In case of IDBI Capital Market & Securities Ltd, the amount recognised and included for Contribution to Provident Fund in Profit and Loss Account is ₹ 0.83 crore (Previous year ₹ 0.71 crore)

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में भविष्य निधि अंशदान के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.61 (₹0.55 करोड़) करोड़ की राशि निर्दिष्ट की गयी है.

In case of IDBI Asset Management Ltd the amount recognized is ₹ 0.61 crore (₹ 0.55 crore) for the year ended 31st March 2019 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के मामले में कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में भविष्य निधि अंशदान के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹0.15 करोड़ (₹0.14 करोड़) करोड़ की राशि निर्दिष्ट की गयी है.

In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, the amount recognized is ₹ 0.15 crore for the year ended 31st March 2019 (₹ 0.14 crore) for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, समूह मीयादी बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹4.32 करोड़ (₹2.32 करोड़) करोड़ की राशि निर्दिष्ट की गयी है.

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, the amount recognized is ₹ 4.32 crore for the year ended 31stMarch 2019 (₹ 2.32 crore)for the contribution towards statutory provident fund, Employee State Insurance, Group Term insurance& Employee Labour Welfare Fund in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में कर्मचारी और कंपनी दोनों ही कर्मचारी के कवर किए गए वेतन के निर्दिष्ट औसत के बराबर राशि भविष्य निधि योजना में मासिक आधार पर अंशदान करते हैं. कंपनी के उन कर्मचारियों के मामले में जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) के पास पंजीकृत हैं और जिनके पास यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरपीवाई) के दिशानिर्देशों के अधीन नए कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार ने ईपीएफ़ और ईपीएस दोनों में पूर्ण नियोक्ता अंशदान का भुगतान किया है. शेष कर्मचारियों के लिए और सभी कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण अंशदान सरकार द्वारा अभिशासित कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि में किया जाता है. लाभभोगियों को प्रति वर्ष देय ब्याज के बारे में सरकार द्वारा सूचना दी जा रही है.

In case of IDBI Intech Ltd, Both the employees and the company make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. In case of Company's employees enrolled with the Employees Provident Fund Organisation (EPFO) having Universal Account Number (UAN), the Government of India has paid the full employer's contribution to both EPF and EPS in respect of new employees under the guidelines of Pradhan Mantri Rojgar Yojana (PMRPY). For the remaining employees and the entire contribution in respect of all employees is contributed to the Government administered Employee Provident and Pension Fund. The Interest rate payable to the beneficiaries every year is being notified by the Government.

वर्ष के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि के प्रति अंशदान के रूप में ₹ 3.03 करोड़ (₹ 3.08 करोड़) व्यय निर्धारित किया है. वर्ष के दौरान कंपनी ने पीएमआरपीवाई के प्रति ₹ 0.18 करोड़ (₹ 0.03 करोड़) का लाभ प्राप्त किया है

During the year, the company has recognized expenses towards contributions to provident fund for ₹ 3.03 crore (₹ 3.08 crore). During the year, the company has availed the benefit of PMRPY for ₹ 0.18 crore (₹0.03 crore).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii) निर्दिष्ट लाभ योजनाएं
Defined Benefit Schemes

क. बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है.

a. The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

i. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित है.
Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ii. इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है
The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

ख. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में समूह की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उसे सेवा से मुक्त होते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो कि अधिकतम ₹ 20,00,000 की सीमा के अधीन है.

b. In case of IDBI Capital Market & Securities Ltd, the group has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹ 2000000.

ग. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार भुगतान के लिए समूह ने ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है जो सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति लाभ योजना है. इस योजना के अंतर्गत संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर उसे सेवानिवृत्ति या सेवा समापन पर एकमुश्त राशि दी जाती है.

c. In case of IDBI Asset Management Ltd, In accordance with Payment of Gratuity Act, 1972, the group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company.

ग्रेच्युटी लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियंत्रित तथा प्रबंधित ग्रेच्युटी निधि के जरिए प्रदान किया जाता है. ग्रेच्युटी निधि में वार्षिक अंशदान तथा प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.
The gratuity benefit is provided through a Gratuity Fund administrated and managed by the Life Insurance Corporation of India. The annual contributions to the gratuity fund and provision is made on the basis of actuarial valuation.

घ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में समूह भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा संचालित कर्मचारी समूह उपदान बीमा योजना में वार्षिक अंशदान करता है जो अर्हताप्राप्त कर्मचारियों के लिए एक निधिक निर्धारित लाभ है. यह योजना सेवा पूरे किए गए वर्ष के आधार पर या छह माह से अधिक होने पर उसके भाग के रूप में संबन्धित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या सेवा की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करती है. निहित योजना 5 वर्ष की लगातार सेवा पूरी होने पर लागू होता है.

d. In case of IDBI Intech Ltd, the group makes annual contribution to the Employee's Group Gratuity Assurance Scheme, administered by the Life Insurance Corporation of India (LIC), a funded defined benefit plan for qualifying employees. The scheme provide for lump sum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment based on completed years of service or part thereof in excess of six months. Vesting occurs on completion of five years of continuous service.

ङ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में समूह ने ग्रेच्युटी दायित्वों के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है. ग्रेच्युटी ट्रस्ट के अनुमोदन के लिए आयकर विभाग के पास किया गया आवेदन लंबित है. ट्रस्ट ने एलआईसी से ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और बीमांकिक आधार पर एलआईसी द्वारा निर्धारित किए गए वार्षिक अंशदानों का भुगतान कर उन्हें लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. वर्ष के अंत में एलआईसी के पास हुआ संचय कंपनी की योजना आस्तियों और ग्रेच्युटी देयताओं के निधिकृत भाग को दर्शाते हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

e. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, The group has created a separate Trust for Gratuity obligations. The Application filed for approval of the Gratuity Trust with the Income Tax Dept is pending. The Trust has taken Group Gratuity Policy from LIC and the annual contributions determined by LIC on actuarial basis are paid and charged to Statement of Profit & Loss. The accumulations with LIC at year end represent Plan Assets and Funded Part of Gratuity Obligations of the company.

चूंकि एलआईसी द्वारा बीमांकिक गणनाओं में अपेक्षाकृत कम दरों पर वेतन में बढ़ोत्तरी (4%) और आहरण (1% से 3%) का अनुमान लगाया जाता है, कंपनी ने सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बीमा मूल्यांकक से अधिक वास्तविक धारणाओं पर पिछली और वर्तमान सेवा के भविष्य के दायित्वों के वर्तमान मूल्य के मूल्यांकन हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. एलआईसी योजना में निधि संचयन और स्वतंत्र मूल्यांकक (ग्रेच्युटी दायित्व के गैर निधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हुए) द्वारा वर्ष के अंत में देयता के रूप में निर्धारित राशि में अंतर को लाभ-हानि विवरण में उपयुक्त रूप से डालकर लेखे में देयता के रूप में दर्शाया जाता है.

On account of LIC assuming lower rates of salary escalations (4%) and withdrawal (1% to 3%) in actuarial computations, the company has obtained, from Independent Government Approved Actuary Valuer, a certificate for valuation of present value of future obligation of past and current service on more realistic assumptions. The difference between fund accumulation in LIC Scheme and amount determined at year end obligations by Independent Valuer (representing Non-Funded Part of Gratuity Obligation) is recognized and presented as liability in accounts by appropriate charge to Statement of Profit & Loss.

च. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में समूह ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट निगमित किया है. कंपनी आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड के ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित ग्रेच्युटी निधि में अंशदान करती है. ग्रेच्युटी योजना में पात्र कर्मचारियों को संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में रोजगार के वर्ष के आधार पर सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है.

f. In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, The group has incorporated a gratuity trust. The Company makes contribution to a Gratuity Fund administered by trustee of IDBI Federal Life Insurance Company Limited Gratuity Fund. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirements or termination of employment based on the respective employee's salary and the year of employment with the Company.

6 महीने या उससे अधिक की नियमित सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार सेवा छोड़ने पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन के मूल वेतन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.

The Gratuity is payable on separation as per the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 @ 15 days basic pay for each completed years of service to eligible employees who have rendered continuous service of 6 months or more.

कर्मचारियों को उपदान लाभ न्यास द्वारा प्रबंधित बीमा नीति और निवेश के माध्यम प्रदान किया जाता है. बीमा पॉलिसी कंपनी द्वारा जारी की जाती है तथा ऐसी पॉलिसी के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रीमियम को व्यय माना गया है. इससे संबन्धित देयता (निधिक भाग) जीवन निधि का भाग और तदनुरूपी निवेश पॉलिसीधारक का भाग होती है.

Gratuity benefits to employees are provided for through an insurance policy and investments managed by the Trust. The insurance policy is issued by the company and the premium paid by the company in respect of such policy has been accounted as an expense. The liability in respect thereof (funded portion) forms part of life fund and corresponding investment as part of policyholder's investment.

कर्मचारियों के लिए संचित बीमारी छुट्टी के संबंध में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति हेतु देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उक्त लाभों के लिए प्रावधान के रूप में राजस्व अथवा लाभ और हानि लेखा में ₹ 0.19 करोड़ (₹ 0.75 करोड़) रुपये प्रभारित किए गए.

Liability for compensated absence in respect of accumulated sick leave for employees is determined based on actuarial valuation. During the year amount of ₹ 0.19 crore (₹ 0.75 crore) has been charged to Revenue or Profit and Loss Account towards provision for the said benefits based on actuarial valuation.

ख. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2019 का समूह के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार है.

b. The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Group's financial statements as at March 31, 2019 which is as per AS-15(Revised).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019		यथा 31 मार्च 2018 March 31, 2018	
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन** Change in benefit				
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	**2111.79**	**721.69**	**2059.32**	**654.34**
	ब्याज लागत / Interest cost	163.66	56.44	153.42	48.00
	वर्तमान सेवा लागत / Current Service cost	33.06	36.93	36.64	41.16
	वर्ष के दौरान सीमा में वृद्धि के कारण उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	0.00	12.31	0.00	46.57
	अंतरित देयता आगम / (निर्गम) Liability Transferred In/(Out)	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(138.94)	(82.66)	(111.50)	(59.50)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि/ Actuarial (gain) / loss	0.56	8.41	(0.97)	8.41
	वित्तीय अवधारणाओं में बदलाव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(7.07)	2.60	(67.84)	(33.64)
	अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	180.22	44.60	42.72	16.34
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/obligation, end of the year	**2343.28**	**800.32**	**2111.79**	**721.69**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	2289.98	651.66	2257.56	573.49
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	177.47	51.04	168.19	42.15
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	50.17	100.08	14.55	86.88
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other company	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(138.94)	(82.66)	(111.50)	(59.50)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain / (loss)	57.23	(0.11)	(38.82)	8.65

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019		यथा 31 मार्च 2018 March 31, 2018	
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**2435.91**	**720.01**	**2289.98**	**651.67**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at end of the year	2343.28	800.32	2111.79	721.69
	भविष्य में अभिनिर्धारित/ प्रावधान की जानेवाली संक्रमणकालीन (देयता) Transitional (Liability) to be recognised/ provided in future	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at end of the year	2343.28	800.32	2111.79	721.69
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at end of the year	**2435.91**	**720.01**	**2289.98**	**651.67**
	अधिशेष/(कमी) / Surplus/(Deficit)	**92.63**	**(80.31)**	**178.19**	**(70.03)**
घ) d)	**वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year**				
	सेवा लागत / Service cost	33.06	36.93	36.64	41.16
	ब्याज लागत / Interest cost	163.66	56.44	153.42	6.51
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(177.47)	(50.81)	(168.19)	(0.01)
	निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि Net Actuarial (gain)/loss	116.48	55.74	12.73	(17.54)
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) [नीचे दिए गए नोट (i) का संदर्भ लें] Past Service Cost (Vested Benefit) recognised during the year due to increase in limit [refer note (i) below]	0.00	12.31	0.00	11.86
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई संक्रमणकालीन देयता Transitional liability recognised during the year	(23.74)	34.71	0.00	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019		यथा 31 मार्च 2018 March 31, 2018	
	उपर्युक्त अनुसार निवल लागत Net cost as per above	**111.99**	**145.32**	**34.60**	**41.99**
	पुनरांकित न की गयी बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता Excess of fund value over actuarial liability not written back	92.63	0.00	178.19	0.00
	वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	(178.19)	0.00	0.00	0.00
	वर्तमान वर्ष में समायोजित निवेशों पर एलआईसी द्वारा ऑफर ब्याज दर में बढ़ोतरी के कारण उपदान निधि मूल्य में वृद्धि Increase in Gratuity Fund Value due to increase in rate of interest offered by LIC on investments adjusted in current year	0.00	(0.17)	0.00	0.00
	वर्ष की निवल लागत / Net cost of the year	**26.43**	**145.15**	**212.79**	**41.99**
ङ/ e)	**आस्तियों की श्रेणी / Category of Assets**				
	भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets	0.00	0.00	591.85	0.00
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	186.38	0.24	474.29	0.24
	कॉरपोरेट बांड / सावधि जमा Corporate Bonds / FD	724.80	0.45	597.12	0.56
	विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	1342.02	716.84	347.21	649.03
	अन्य / Others	182.71	2.45	279.51	1.83
	कुल / Total	**2435.91**	**719.97**	**2289.98**	**651.66**
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं : Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर / Discount rate	7.78%	7.78%	7.75%	7.83%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर Rate of return on plan assets	7.78%	7.78%	7.75%	7.83%
	वेतन बढ़ोतरी दर Salary escalation rate	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019		यथा 31 मार्च 2018 March 31, 2018	
	पलायन दर / Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08% तथा उसके बाद 3.50% 3.08 % for service less than 5 Years and 3.50 % thereafter.	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08% तथा उसके बाद 3.50% 3.08% for service less than 5 years and 3.50% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.62% तथा उसके बाद 3.21% 2.62 % for service less than 5 Years and 3.21% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.62% तथा उसके बाद 3.21% 2.62 % for service less than 5 Years and 3.21% thereafter
	मृत्यु दर / Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.		भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

(i) उपदान की सीमा ₹ 10 लाख से ₹ 20 लाख तक बढ़ाने के लिए 29 मार्च 2018 को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया. भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल 2018 के अपने पत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.9730/21.04.018./2017-18 द्वारा बैंकों को विकल्प दिया है कि वे उपदान सीमा में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त देयता को 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही से आरंभ कर चार तिमाहियों में फैला सकते हैं. तदनुसार, बैंक ने यथा दिनांक 31.03.2018 को ₹ 34.71 करोड़ उपदान देयता की राशि को आस्थगित कर दिया था जिसका बाद में चालू वर्ष में पूरी तरह प्रबंध किया गया, अतः यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को और कोई अपरिशोधित उपदान देयता नहीं है.

The payment of Gratuity Act 1972 was amended on March 29, 2018 to increase the limit of Gratuity from ₹ 10 lakhs to ₹ 20 lakhs. The Reserve Bank of India vide its communication DBR No. BP.BC. 9730/ 21.04.018/ 2017-18 dated April 27, 2018, has given option to Banks to spread additional liability on account of enhancement in gratuity limits in four quarter beginning with the quarter ended March 31, 2018. Accordingly, the Bank had deferred the amount of Gratuity liability of ₹ 34.71 crore as on 31.03.2018 which was subsequently provided fully in the current year and there is no further unamortised gratuity liability as on 31.03.2019

iii. अन्य दीर्घावधि लाभ
Other long term benefits

क) अवधि की समाप्ति पर छुट्टी नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य
a) Present value of Leave Encashment obligation at the End of the period

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

संस्था/Entity	वित्तीय वर्ष FY 2018-19	वित्तीय वर्ष FY 2017-18
आईडीबीआई बैंक लि. / IDBI Bank Ltd.	431.99	373.77
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	1.45	1.42
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड / IDBI Asset Management Limited	0.41	0.34
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Limited	2.34	2.57
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Market & Securities Limited	3.27	2.47
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. / IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.35	0.29

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख) आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में, बैंक के अधिकारी अधिकतम 240 दिन और अन्य स्टाफ अधिकतम 300 दिन तक अपनी अर्जित/ साधारण छुट्टी को संचित करने के लिए पात्र हैं. प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराया जा सकता है.

b) In case of IDBI Bank Ltd., employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 240 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना सहायता के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति का प्रयोग करते हुए किया गया है तथा वर्ष के दौरान ₹ 90.64 करोड़ (₹17.47 करोड़) की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गयी है.
Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 90.64 crore (₹ 17.47) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

बैंक के कर्मचारी अपंगता सहायता के लिए पात्र हैं जिसे अपंगता की घटना घटित होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

ग) आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी के कर्मचारी अधिकतम 30 दिन की अर्जित/ विशेष छुट्टी को संचित कर सकते हैं जो नीति के अनुसार उनके द्वारा सेवा छोड़ते समय भुगतान योग्य/ नकदीकरण योग्य हैं. वर्ष के दौरान ₹ 1.65 करोड़ (₹ 2.11 करोड़) की राशि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान के रूप में उक्त लाभ के लिए राजस्व या लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है.

c) In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, The Employees of the Company are entitled to accumulate their earned / privilege leave up to a maximum of 30 days which is payable/encashable as per the policy on their separation. During the year amount of ₹ 1.65 crore (₹ 2.11 crore) has been charged to Revenue or Profit and Loss Account towards provision for the said benefits based on actuarial valuation.

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)
SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्यतः निम्नलिखित चार कारोबारी खंडों में परिचालन करता है :
The Bank primarily operates in four business segments as under :

ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाजार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केंद्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल/ करेंसी कार्ड, थर्ड पार्टी वितरण और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services.
कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अतिरिक्त जमा एवं ऋण कार्यकलाप सहित कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ समूहन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन और ट्रेजरी के अंतर्गत शामिल न किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अन्य बैंकिंग/ समूह परिचालन Other Banking/ Group Operations	इसमें बैंक के अलावा समूह कंपनियों के परिचालन/ कार्यकलाप शामिल हैं. Includes operations/activities of group companies other than Bank.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 Year ended March 31, 2019 (लेखापरीक्षित) (Audited)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 Year ended March 31, 2018 (लेखापरीक्षित) (Audited)
क. a.	**खंड राजस्व Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	138 81	190 47
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	294 79	278 99
	ट्रेजरी / Treasury	4 40	1 41
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	3 23	3 12
	कुल / TOTAL	**441 23**	**473 99**
	घटाएं :- अंतर-खंड राजस्व Less :- Inter-segment revenue	184 85	171 04
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय Net sales / income from operations	**256 37**	**302 94**
ख. b.	**खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results -Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	(248 44)	(146 13)
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	17 33	19 64
	ट्रेजरी / Treasury	2 91	64
	अन्य बैंकिंग/ समूह परिचालन Other banking / Group operations	1 54	1 14
	कुल / TOTAL	**(226 65)**	**(124 70)**
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ Total profit before tax	**(226 65)**	**(124 70)**
	आय कर / Income taxes	(76 78)	(43 38)
	निवल लाभ /(हानि) / Net profit /(Loss)	**(149 87)**	**(81 32)**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 Year ended March 31, 2019 (लेखापरीक्षित) (Audited)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 Year ended March 31, 2018 (लेखापरीक्षित) (Audited)
ग. c.	**खंड आस्तियां Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	1204 32	2020 08
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	1714 69	1284 70
	ट्रेजरी / Treasury	29 65	30 54
	अन्य बैंकिंग/ समूह परिचालन / Other banking/ Group operations	14 66	12 45
	अविनिधानीत कॉरपोरेट आस्तियां / Unallocated corporate assets	247 80	161 32
	कुल आस्तियां / Total assets	**3211 11**	**3509 09**
घ. d.	**खंड देयताएं Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	777 04	1084 70
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	2111 27	2186 86
	ट्रेजरी / Treasury	3 75	65 87
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking/Group operations	2 87	3 13
	अविनिधानीत कॉरपोरेट देयताएं / Unallocated corporate liabilities	-	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	**2894 92**	**3340 55**
ङ. e.	**पूंजी Capital**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	427 28	935 38
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	(396 58)	(902 15)
	ट्रेजरी / Treasury	25 90	(35 33)
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking/Group operations	11 79	9 32
	अविनिधानीत कॉरपोरेट देयताएं / Unallocated corporate liabilities	247 80	161 32
	कुल पूंजी / Total capital	**316 19**	**168 54**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली (एफटीपीएस) के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं.
- The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- समूह प्राथमिक रूप से भारत में कारोबार करता है, अतः समूह ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
- The group primarily operates in India, hence the group has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

4. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTIES DISCLOSURE (AS-18)

i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के ब्योरे
Details of Key Management Personnel

क्रम सं./ Sr.No.	संस्था का नाम / Name of Entity	संबंध /Relationship
1	श्री महेश कुमार जैन, Shri Mahesh Kumar Jain	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, 01 अप्रैल 2018 से 21 जून 2018 तक MD & CEO from April 01, 2018 to June 21, 2018
2	श्री बी. श्रीराम Shri B Sriram	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, 30 जून 2018 से 30 सितंबर 2018 तक MD & CEO from June 30, 2018 to September 30, 2018
3	श्री राकेश शर्मा Shri Rakesh Sharma	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, 10 अक्तूबर 2018 से अब तक MD & CEO from October 10, 2018 till date
4	श्री कृष्ण प्रसाद नायर Shri Krishna Prasad Nair	उप प्रबंध निदेशक Deputy Managing Director
5	श्री गुरुदेव मधुकर यादवाडकर Shri Gurudeo Madukar Yadwadkar	उप प्रबंध निदेशक Deputy Managing Director
6	श्री अजय शर्मा Shri Ajay Sharma	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी. Executive Director. & Chief Financial Officer.
7	श्री पवन अग्रवाल Shri Pawan Agrawal	कंपनी सचिव Company Secretary

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51)(v) की शर्तों के अनुसार, बोर्ड ने दिनांक 21 मार्च 2018 को एक प्रस्ताव अनुमोदित किया था कि निदेशक से एक स्तर नीचे के अधिकारियों को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में पदनामित किया जाए. बैंक ने उक्त अधिकारियों को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में रिपोर्टिंग/पंजीकरण के लिए दिनांक 19 अप्रैल 2018 को एमसीए के पास फॉर्म फाइल किया था. उक्त अधिकारियों को एमसीए की साइट के अंतर्गत अभी तक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है और इस प्रकार उन्हें तकनीकी रूप से मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नहीं समझा जा सकता है. तथापि, अति सावधानी के रूप में, बैंक बोर्ड के उक्त अनुमोदन के अनुसार, वार्षिक वित्तीय विवरणों में संबन्धित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत उक्त अधिकारियों की पारिश्रमिक से संबन्धित जानकारी का प्रकटन कर रहा है.

In terms of Section 2(51)(v) of the Companies Act, 2013, the Board had approved the proposal to designate officers one level below the Directors as KMPs on March 21, 2018. The Bank had filed the form with MCA for reporting/ registering the said officers as KMPs on April 19, 2018. Till now the said officers have not been registered as KMPs under the MCA site and hence cannot be technically deemed to be KMPs. However, as an abundant caution, Bank is disclosing information on remuneration of the said officers in the Annual Financial Statements under Related Party Transactions in accordance with the said board approval.

श्री पी. सीताराम, कार्यपालक निदेशक
Shri P Sitaram Executive Director

श्री जी. ए. तड़स, कार्यपालक निदेशक
Shri G A Tadas, Executive Director

डॉ. एस. एस. बॅनर्जी, कार्यपालक निदेशक
Dr. S S Banerjee, Executive Director

श्रीमती मैथिली बालसुब्रमणियन, कार्यपालक निदेशक (30 नवंबर 2018 तक)
Smt. Mythili Balasubramanian, Executive Director (upto November 30, 2018)

श्री अभय लक्ष्मण बोंगिरवार, कार्यपालक निदेशक (29 सितंबर 2018 तक)
Shri Abhay Laxman Bongirwar, Executive Director (upto September 29, 2018)

श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार, कार्यपालक निदेशक
Shri Suresh Kishinchand Khatanhar, Executive Director

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

श्री इंद्रपाल सिंह कालरा, कार्यपालक निदेशक
Shri Inderpal Singh Kalra, Executive Director

श्री माधव वसंत फड़के, कार्यपालक निदेशक
Shri Madhav Vasant Phadke, Executive Director

श्री सुब्रतो गुप्ता, कार्यपालक निदेशक
Shri Subroto Gupta, Executive Director

श्री अजय नाथ झा, मुख्य महा प्रबंधक एवं सीआरओ
Shri Ajoy Nath Jha, CGM & CRO

श्रीमती माया चक्रवर्ती, मुख्य महा प्रबंधक (14 मई 2018 तक)
Smt. Maya Chakravorty, CGM (upto May 14, 2018)

ii) वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों से लेनदेन किए गए
Parties with whom transactions were entered into during the year

लेखा मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में लेनदेनों में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के संबंधियों का प्रकटन नहीं किया गया है.
In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management personnel.

iii) वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत पारिश्रमिक
Remuneration paid to Key Management Personnel during the year

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18
श्री राकेश शर्मा Shri Rakesh Sharma	0.18	-
श्री बी. श्रीराम Shri B. Sriram	0.07	-
श्री महेश कुमार जैन Shri Mahesh Kumar Jain	0.07	0.31
श्री के. पी. नायर Shri K.P.Nair	0.29	0.27
श्री जी. एम. यादवाडकर Shri G.M.Yadwadkar	0.29	0.26
श्री अजय शर्मा Shri Ajay Sharma	0.31	0.23
श्री पवन अग्रवाल Shri Pawan Agarwal	0.31	0.29
श्री पी. सीताराम Shri P. Sitaram	0.33	0.02
श्रीमती बी. मैथिली Smt. B Mythili	0.37	0.01
श्री ए. एल. बोंगिरवार Shri. A L Bongirwar	0.24	0.01

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18
श्री जी. ए. तड़स Shri. G A Tadas	0.31	0.02
डॉ. एस. एस. बॅनर्जी Dr. S S Banerjee	0.33	0.01
श्री एस. के. खटनहार Shri. S K Khatanhar	0.32	0.01
श्री आई. एस. कालरा Shri. I S Kalra	0.32	0.01
श्री एम. वी. फड़के Shri. M V Phadke	0.30	0.0008
श्री सुब्रतो गुप्ता Shri. Subroto Gupta	0.30	0.01
श्री अजय नाथ झा Shri. Ajoy Nath Jha	0.37	0.01
श्रीमती माया चक्रवर्ती [14 मई 2018 तक] Smt. Maya Chakravorty [upto May 14, 2018]	0.03	0.32
कुल Total	**4.74**	**1.79**

5. पट्टे (एएस-19)/ LEASES(AS-19)

परिचालनात्मक पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर, स्टाफ के आवास और स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) शामिल हैं जो समूह के विकल्प पर या तो निरसनीय या गैर-निरसनीय पट्टे हैं.

Operating leases primarily comprise office premises, staff residences and Automated Teller Machines(ATM)s, which are either cancellable at the option of the group or non-cancellable operating lease.

वर्ष के दौरान निरसनीय / गैर निरसनीय परिचालनात्मक पट्टे पर प्रदत्त/ देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ-हानि लेखे में ₹ 314.06 करोड़ (₹ 433.34 करोड़) प्रभारित किए गए.

During the year ₹ 314.06 Crore (₹433.34 Crore) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/ payable on cancellable/ non-cancellable operating lease.

तुलन-पत्र की तारीख को गैर-निरसनीय परिचालनात्मक पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:

The future minimum lease payments in respect of non-cancellable operating leases as at balance sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	4.07	6.48
एक वर्ष के बाद लेकिन पाँच वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	4.23	6.46

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

6. प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (एएस-20) / EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (हानि) (₹ करोड़ में) Net profit (Loss) considered for EPS calculation (₹ in crore)	(14986.75)	(8132.40)
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for basic EPS	49591 43 791	23915 45 890
न्यूनीकृत ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	49591 43 791	23915 45 890
प्रति शेयर उपार्जन (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	(30.22)	(34.00)
प्रति शेयर उपार्जन (न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	(30.22)	(34.00)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

7. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय-अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित आस्तियां और आस्थगित देयताओं के घटक निम्नानुसार हैं:

The component of Deferred Assets & Deferred Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018
आस्थगित कर देयताएं: / Deferred Tax Liability:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	20.07	(48.02)	68.09
विपणन एवं वितरण व्यय का परिशोधन Amortisation of marketing & distribution expenses	0.00	0.00	0.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-Tax Act, 1961	444.08	4.27	439.81
कुल (अ) / Total (A)	**464.15**	**(43.75)**	**507.90**
आस्थगित कर आस्ति: Deferred Tax Asset:			
अनर्जक आस्तियों तथा पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं है Disallowance related to provision for NPA and for Restructured Advances not allowed under Income tax Act, 1961	12848.65	2933.71	9914.94

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	(0.14)	(0.02)	(0.12)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए) (i ए) आदि के अंतर्गत अस्वीकृति Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income-Tax Act, 1961	196.51	(20.67)	217.18
आरंभिक व्ययों का परिशोधन Amortisation of Preliminary expenses	0.00	(0.06)	0.06
ग्रेच्युटी / पेंशन / Gratuity/Pension	0.45	(0.14)	0.59
छुट्टी का नकदीकरण / Leave Encashment	0.10	0.04	0.06
आगे ले जाई गई हानि / Carried forward Loss	7050.58	4741.14	2309.44
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी और 35डीडी के अंतर्गत कटौती द्वारा कवर व्यय Expenditure covered by deduction u/s 35D and 35DD of the Income Tax Act, 1961	0.00	(2.89)	2.89
अनवशोषित मूल्यह्रास Unabsorbed depreciation	52.48	3.33	48.99
अन्य व्यापार प्राप्तियाँ Other Trade Receivables	4.12	1.13	2.99
कुल (आ) / Total (B)	**20152.76**	**7655.58**	**12497.02**
आस्थगित कर देयता / (आस्ति) (निवल) (अ)-(आ) Deferred tax liability/ (asset)(net) (A) - (B)	**(19688.61)**	**(7699.33)**	**(11989.12)**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

8. यथा 31 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार सहायक संस्थाओं, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

Summarized financial information of Subsidiary companies, Associate companies & Jointly Controlled entity as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2019 are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

संस्था का नाम Name of the entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share in profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
1	2	3	4	5
मूल संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. **Parent : IDBI Bank Ltd**	97.09%	37611.70	(101.00%)	(15116.29)
सहायक संस्थाएं: / Subsidiaries:				
भारतीय: Indian:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Market & Securities Ltd.	0.81%	314.91	0.00%	0.26
2. आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.	0.15%	56.34	0.06%	8.84
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Ltd.	0.28%	108.09	(0.03%)	(4.34)
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	0.00%	1.47	0.00%	0.04
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.54%	207.37	0.25%	37.51
विदेशी: / Foreign:	लागू नहीं / NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित **Minority Interests in all subsidiaries**	0.25%	96.98	0.11%	16.99
सहयोगी कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) **Associates (Investment as per the equity method)**				
भारतीय / Indian				

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

संस्था का नाम Name of the entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share in profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
1	2	3	4	5
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	0.00%	0.51
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	0.19%	28.78
3. नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	0.09%	13.92
4. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईडीसीएल) * Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd (PIPDICL) *	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
विदेशी / Foreign:	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
संयुक्त उद्यम / Joint Ventures				
(आनुपातिक समेकन के अनुसार इक्विटी विधि के अनुसार निवेश) (as per proportionate consolidation/ investment as per the equity method)				
भारतीय / Indian				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited	1.13%	438.06	0.43%	63.73
विदेशी / Foreign	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
कुल / TOTAL	100%	38737.94	(100%)	(14967.04)
विलोपन / Elimination	(1.01%)	(391.23)	(0.13%)	(19.71)
निवल कुल / Net Total	98.99%	38346.71	(100.13%)	(14986.76)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

नोटः उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है.

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

* पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से किसी प्रकार के वित्तीय विवरण तथा संव्यवहार विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः इसकी जानकारी उपर्युक्त में समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में किए गए निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया है.

*In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

9. दंड का प्रकटन / DISCLOSURE ON PENALTY :

वर्ष के दौरान विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए :

During the year following penalties were imposed on the Bank by regulatory authorities.

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण Brief particulars	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
1	रिज़र्व बैंक RBI	चेक संग्रहण प्रक्रिया पर दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन हेतु दंड Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process	0.000	0.000
2	रिज़र्व बैंक RBI	ग्राहक सेवा पर दिशा-निर्देशों, सिक्कों, छोटे मूल्यवर्ग के नोटों और कटे-फटे नोटों के विनिमय संबंधी दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन हेतु दंड Penalty for non-compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	0.000	0.000
3	रिज़र्व बैंक RBI	कोबरा-पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित की गयी जांच (शाखाओं द्वारा मुख्य अधिकारी को मामले की रिपोर्ट न करने के कारण) के संबंध में प्रयासित संदिग्ध लेन-देनों के लिए एसटीआर फाइल न करने हेतु लगाए गए दंड Penalty levied for not filing STRs for Attempted Suspicious Transaction in respect of the inquiries happened in connection with Cobra-post sting operation (due to non-reporting of the incident by the branches to the Principal Officer)	0.000	0.000
4	रिज़र्व बैंक RBI	करेंसी चेस्टों द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए विप्रेषण के मामलों में रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	0.035	0.127
5	सेबी SEBI	फ्लेक्सी बॉन्ड के मोचन संबंधी सेवाओं में कमी Deficiency of Service in dealing with the redemption of Flexibond.	0.000	0.000

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्र. सं. Sr. No.	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण Brief particulars	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018
6	रिज़र्व बैंक RBI	रिज़र्व बैंक के दिनांक 20 फरवरी 2018 के परिपत्र के नियंत्रण बिन्दु 2 (ख) के संबंध में अपालन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा ₹ 1 करोड़ का दंड लगाया गया. अधिक से अधिक मार्च 2018 तक आंतरिक रूप से निर्धारित की गई प्रारंभिक सीमा से अधिक के संव्यवहारों के लिए रिज़र्व बैंक के दिनांक 20 फरवरी 2018 के निर्देशों के अनुसार अनुमोदन के अतिरिक्त चरण के गैर-कार्यान्वयन के संबंध में. Penalty of ₹ 1 crore imposed by RBI for non-compliance w.r.t. Control Point no. 2(b) of RBI's Circular dated Feb 20, 2018. In respect of non-implementation of additional layer of approval as per RBI directions dated February 20, 2018 for transactions exceeding a particular internally decide threshold latest by March, 2018.	1.000	0.000
7	रिज़र्व बैंक RBI	बैंक को रिज़र्व बैंक से 12 जनवरी 2018 को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था और दिनांक 09 अप्रैल 2018 के आदेश द्वारा बैंक पर आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अपालन के लिए ₹ 3 करोड़ का दंड लगाया गया है जिसका 16 अप्रैल 2018 को भुगतान कर दिया गया. The bank had received Show Cause Notice on January 12, 2018 from RBI and vide order dated April 09, 2018 bank has been imposed penalty of ₹ 3 crore for non-compliance with the directions issued by RBI on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) norms which was paid on April 16, 2018.	3.000	0.000
8	रिज़र्व बैंक RBI	बैंक को दिनांक 25 अक्तूबर 2018 की कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा केवाईसी/एएमएल के संबंध में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है. बैंक पर दिनांक 4 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा ₹ 20 लाख का दंड लगाया गया है जिसका 16 फरवरी 2019 को भुगतान कर दिया गया. Bank has received show cause notice dated October 25, 2018 stating the bank has not complied with KYC/AML guidelines prescribed by RBI, Bank has been imposed a penalty of ₹ 20. Lakhs vide order dated February 04, 2019 and was paid on February 16, 2019.	0.200	0.000
		भुगतान किया गया कुल दंड **Total Penalties Paid**	**4.235**	**0.127**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

10. आकस्मिक देयता* / CONTINGENT LIABILITY*:

क.
a.

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएं निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
III	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its Banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
IV	स्वीकृतियाँ, समर्थन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance Banking activities with a view to augment the customer's credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customer's obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
V	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कारपोरेट बॉन्ड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income tax, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधान मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकरणों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favourable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
VIII	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following : क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकरणों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां और a) the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित राशि - जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को 'रिज़र्व बैंक डीईएएफ निधि' में अंतरित करता है. b) the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)- In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued pertaining to customers whose accounts were not operated or amounts were not claimed for more than 10 years to 'RBI DEAF Fund'.

ख. दीर्घावधि संविदाएं
b. Long term contracts

बैंक के पास प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि/ लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ग. लंबित मुकदमों के लिए
c. For Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकरणों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में
In case of IDBI Asset Management Ltd

i) कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 15-03-2016 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील फाइल की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

For the AY 2013-14 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 15-03-2016 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regards.

ii) कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26-12-2017 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरूद्ध अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
For the AY 2015-16 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 26-12-2017 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regards.

iii) वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आशोधित मूल्य योजित कर प्रणाली (एमवीएटी) कर-निर्धारण में वैट विभाग ने आईडीबीआई एमएफ गोल्ड ईटीएफ योजना में स्वर्ण की खरीद पर अदा किए गए खरीद वैट के लिए दावा किए गए समंजन को अनुमति नहीं दी थी और कंपनी से ₹ 43.34 लाख की मांग की थी. कंपनी ने इस कर-निर्धारण के विरूद्ध भी अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. वर्ष के दौरान अभ्यापत्ति के अंतर्गत ₹ 15 लाख का तदर्थ भुगतान किया गया है.
In the MVAT assessment for the financial year 2011-12 the VAT department has disallowed the set-off claimed of purchase VAT paid on the purchase of Gold in the IDBI MF Gold ETF scheme and raised a demand of ₹ 43.34lacs on the Company. The Company has also filed an appeal against this assessment. No provision has been made in this regards. An adhoc payment under protest of ₹15 lacs has been made during the previous year.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में
In case of IDBI Capital Market & Securities Ltd,

i) कंपनी की अन्य आकस्मिक देय मदें-
Other items for which the Company is contingently liable-

1. कंपनी के विरूद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे - ₹ 0.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.05 करोड़) है जिसमें 18% की दर से ₹ 0.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़) का ब्याज शामिल है.
Claims against the company not acknowledged as debt - ₹ 0.37 crore (₹ 0.05 crore) including interest @ 18% amounting to ₹ 0.02 crore (₹ 0.01 crore).

2. क) विवादित आयकर मामले
a) Disputed Income Tax Matters

वित्तीय वर्ष Financial Year	विवादित कर राशि (₹ करोड़ में) Disputed Tax Amount (₹ in crore)	
	2018-2019	2017-2018
2011-12	8.43	8.43
2012-13	0.25	0.25
2013-14	0.22	0.22

विवादित आयकर/ सेवा कर के मामले विभिन्न अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कंपनी के विरूद्ध कर की मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तदनुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
Disputed Income Tax matters are pending before various Appellate Authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2008-09 के संबंध में आयकर विभाग ने अपीलीय कार्यवाही में कंपनी को अनुमत कुछ व्ययों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है. तथापि आगे ले जाई गई हानियों / एमएटी के अंतर्गत स्वीकार्य कर के कारण कंपनी से कोई कर की मांग नहीं की गई. इसी प्रकार से निर्धारण कार्यवाही के दौरान की गई कुछ अस्वीकृतियों के बारे में निर्धारण वर्ष 2016-17 के संबंध में कंपनी अपील करनेवाली है हालांकि विभाग द्वारा कोई मांग नहीं की गई है. प्रबंधन को विश्वास है कि अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन अपीलों में उसके पक्ष को बरकरार रखा जाएगा और कंपनी पर कोई देयता नहीं आएगी.

In respect of Assessment Years 2006-07 and 2008-09, the Income Tax Dept. has gone in appeal before High Court pertaining to some of the expenses allowed to the company in appellate proceedings. However there were no tax demands on the company due to adjustment of carried forward losses/admitted tax under MAT. Similarly company is in appeal in respect of Assessment Year 2016-17 relating to certain disallowances made during the assessment proceeding though there have been no demand raised by the Dept. The management is confident that its position is likely to be upheld in the appeals pending before appellate authorities and no liability could arise on the Company.

3) विवादित सेवा कर मामले
Disputed Service Tax Matters

विभाग द्वारा की गई सेवा कर लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए आधार पर निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के लिए सेवा कर विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है

Show Cause notices have been raised by the Service Tax Dept. for following financial years based on the finding during the Service Tax Audit conducting by the Department.

वित्तीय वर्ष Financial Year	विवादित सेवा कर राशि (₹ करोड़ में) Disputed Service Tax Amount (₹ in crore)	
	चालू वर्ष CY	पिछले वर्ष PY
2012-13	1.59	1.59
2013-14	1.74	
2014-15	1.78	
2015-16	1.58	
2016-17	0.33	

कंपनी द्वारा सभी कारण बताओ नोटिसों का प्रतिवाद किया गया है और ये संबन्धित प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हैं और विभाग द्वारा कंपनी से कोई मांग नहीं की गई है.

All the show cause notices have been contested by the company and are pending before the respective authorities and no demands have been raised on the company by the Dept.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. के मामले में

In case of IDBI Trusteeship Services Ltd. (₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण / Particulars	2018-19	2017-18
कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे Claims against the company not acknowledged as debt :		
i) कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए आयकर मांग (विटको) (कंपनी ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील की है) Income Tax demand for the AY 2007 - 08 (WITECO) (Company is in appeal before the CIT (Appeal))	0.06	0.06
ii) प्रतिभूतिकरण लेन-देनों पर विथहोल्डिंग करों के भुगतान में विलंब होने पर विभिन्न प्रतिभूतिकरण न्यासों, जहां आईटीएसएल इसके लिए प्रतिभूतिकरण न्यासी के रूप में कार्यरत है, पर ₹ 1.61 करोड़ (लगभग) तक की राशि का ब्याज उत्पन्न हो सकता है There may arise interest on delayed payment of withholding taxes on Securitization transactions amounting to ₹ 1.61 crore (approximately) on various Securitization trusts, where ITSL is acting as Securitization Trustee for the same		

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में आकस्मिक देयताएं निम्नानुसार हैं :

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Contingent Liabilities are as follows: (₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2019 As At March 31, 2019	यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018
अंशतः प्रदत्त निवेश / Partly paid-up investments	शून्य/Nil	शून्य/Nil
बकाया हामीदारी वचनबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में) Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे, पॉलिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर-विवादों के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts by the company - - विवादों के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे Claims made by employees for disputes	शून्य/Nil	शून्य/Nil
कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given by or on behalf of the company	शून्य/Nil	शून्य/Nil
विवादित सांविधिक मांग/ देयताएं, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for*		
- आयकर / Income Tax	35.15	18.67
- सेवा कर (कंपनी द्वारा अपनाए गए कतिपय रुखों पर सेवा कर आयुक्त III का कार्यालय, मुंबई द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में) Service Tax (on account of objections raised by the Office of the Commissioner of Service Tax III, Mumbai on certain positions taken by the Company)	15.81	13.77
उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसका लेखों में प्रावधान नहीं किया गया Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	शून्य/Nil	शून्य/Nil
मुकदमे के अंतर्गत पॉलिसी संबंधी दावे / Policy related claims under litigation	12.02	9.78

* इन मांग/ देयताओं के लिए विभिन्न अधिनिर्णयन और प्रबंधन स्तर पर प्रतिवाद किए जा रहे हैं साथ ही विशेषज्ञों की राय है कि ये वहनीय नहीं हैं और तदनुसार प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अनंतिम फैसलों से कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालनगत परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

* These demands/liabilities are being contested at various adjudicating levels and management including its experts are of the view that the same shall not be sustainable and accordingly the management believes that the ultimate outcome of these proceedings will not have any material adverse effect on the Company's financial position and results of operations.

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में,
In case of IDBI Intech Ltd,

(क) कंपनी ने अपनी आईटी परियोजनाओं के लिए ग्राहकों को ₹ 2.49 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की है. यथा 31 मार्च 2019 को इन गारंटियों के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं ₹ 2.49 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.12 करोड़) रहीं.

(a) The Company has provided bank guarantee of ₹ 2.49 crore to customers for its IT Projects. As at 31st March 2019, the contingent liabilities under these guarantees amounted to ₹ 2.49 crore (previous year ₹1.12 crore).

(ख) कंपनी ने जयपुर उच्च न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती ओबीएसटी वर्टिकल के पूर्व कर्मचारी को ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.04) की प्रतिकर राशि अदा करने संबधी आदेश के खिलाफ उच्चतर बेंच में अपील दायर की है तथा कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है.कंपनी ने अनुमानित संवैधानिक बकाया सहित अनुमानित आधार पर प्रावधान किया है. तथापि, उक्त ओबीएसटी वर्टिकल के दूसरे पूर्व-कर्मचारियों को किसी भी अन्य मुआवजे का भुगतान करने के परिणाम का पता नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है.

(b) The company has contested and has appealed at higher bench against an order passed by the Jaipur High Court for a claim to pay compensation amounting to ₹ 0.04 crore (previous year ₹0.04 crore) to one of the ex-employee of the erstwhile OBST vertical and expects favourable outcome. The company has made provision on estimated basis including the possible statutory dues. However the outcome to pay any further compensation to other ex-employees of the said OBST vertical cannot be ascertained and hence no separate provision, except the retiring benefits, has been made.

(ख) आय पर करों के लिए दावे उन स्थितियों में किए जाते हैं जहाँ कंपनी निम्न अनुसार अपील की प्रक्रिया में है :

(c) Claims for taxes on income:
Where the Company is in appeal:

i. आय कर प्राधिकारियों की कुछ अस्वीकृतियों से उत्पन्न लेखा वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के संबंध में पूर्ण किए गए निर्धारण के संबंध में आय कर विभाग ने ₹ 0.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.05 करोड़) की मांग की है. कंपनी ने उक्त आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है तथा मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है.

i. Income tax demands of ₹ 0.05 crore (previous year ₹s0.05 crore) have been raised in respect of assessment completed with respect to AY 2013-14 and AY 2014-15, arising from certain disallowances by the Income tax authorities. The Company has appealed against the Orders and based on merit, expects favourable outcome. Hence no provision against such demand is considered necessary.

ii. सेवा कर प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि के संबंध कंपनी द्वारा सेवा कर लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त किए गए कुछ सेनवेट क्रेडिट को अस्वीकार करते हुए ब्याज तथा दंड सहित ₹ 0.84 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की मांग की है. कंपनी ने उक्त आदेशों खिलाफ अपील दायर की है तथा मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है. तथापि कंपनी ने ₹ 0.51 करोड़ सविरोध भुगतान कर दिये हैं जिसे अन्य गैर-चालू आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

ii. Service tax authority put a demand of ₹ 0.84 crore (previous year Nil) including interest and penalty by disallowing certain CENVAT credit availed by the Company during the Service tax audit in respect of period from FY 2012-13 to FY 2017-18. The company has appealed against the Orders and based on merit, expects favourable outcome. Hence no provision against such demand is considered necessary. However the company had paid ₹0.51 crore under protest, which is reflected under other non-current assets.

वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा ₹ 0.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.26 करोड़) की मांग की गई है जिसका प्रतिवाद किया गया है और बिक्री कर उपायुक्त के समक्ष अपील दायर की गई है. मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. Demand of VAT made by Sales tax authority amounting to ₹ 0.26 crore (previous year ₹ 0.26 crore) for the period from FY 2010-11 to FY 2015-16 has been contested and appeal to Deputy Commissioner of Sales tax. Based on merit, the Company expects a favourable outcome on the same. Hence no provision against such demand is considered necessary.

* मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएं देखें.

*Refer Schedule 12 Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

11. अन्य / Others:

i. वर्ष के दौरान भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को इक्विटी शेयरों का अधिमानी आधार पर निम्नानुसार आबंटन किया गया:

During the year Equity shares were allotted by the Bank to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis as under:

लाभार्थी Beneficiary	आबंटन का प्रकार Type of allotment	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक) No. of Shares (Face value ₹ 10 each)	निर्गम मूल्य (₹ में) Issue Price (in ₹)	शेयर प्रीमियम प्रति शेयर (₹ में) Share premium per share (in ₹)	आबंटन की तारीख Date of Allotment
भारत सरकार Government of India	i. अधिमानी Preferential	7881.00	1097326649	71.82	61.82	25.05.2018
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) Life Insurance Corporation of India (LIC)	i. अधिमानी Preferential	2098.19	339897328	61.73	51.73	04.10.2018
	ii. अधिमानी Preferential	14500.00	2387617322	60.73	50.73	28.12.2018
	iii. अधिमानी Preferential	5025.96	827590885	60.73	50.73	21.01.2019
कोई अन्य / Any other	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

ii. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 5 सितंबर 2016 के अपने पत्र के जरिए बैंक को सूचित किया कि वह 2006 में किए गए भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) के आस्ति विनिमय के निवल प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार को ₹ 1064.27 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां अभ्यर्पित करे. ये प्रतिभूतियां एसएएसएफ के विरुद्ध सितंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा बैंक को जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियों की ₹ 9000 करोड़ का भाग रूप हैं. ये सितंबर 2024 में परिपक्व होने वाली 20 वर्षीय प्रतिभूतियां हैं. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही से प्रारंभ करते हुए 11 तिमाहियों में इन प्रतिभूतियों को अभ्यर्पित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त कर लिया था. भारत सरकार ने दिनांक 27 जुलाई 2017 के अपने पत्र द्वारा बैंक के अनुरोध पर सहमति प्रदान की है. बैंक सितंबर 2016 से ₹ 96.75 करोड़ प्रति तिमाही प्रावधान कर रहा है. 31 मार्च 2019 को एसएएसएफ़ खाते से बट्टे खाते में डाली गयी कुल प्रतिभूतियों की राशि ₹ 1064.27 करोड़ है. इस प्रकार से बट्टे खाते में डाली गयी संपूर्ण राशि को पूरा कर लिया गया है. तथापि, भारत सरकार की अधिसूचना के विचाराधीन होने के कारण बट्टे खाते में डाली गयी इन प्रतिभूतियों को यथा 31 मार्च 2019 को एसजीएल खाते में दर्शाया गया है. जिसके परिणामस्वरूप एसजीएल खाते में समान राशि का अंतर आया है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter dated 5th September 2016, advised the Bank to surrender securities of ₹ 1064.27 crore to the GoI representing net impact of the asset exchange of Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) done by the Bank in 2006. These securities form part of ₹ 9000 crore of such securities issued to the Bank by GoI in September 2004 against SASF. These are 20 years securities maturing in September 2024. The Bank had obtained approval from the Appropriate Authorities to surrender these securities in 11 quarters commencing from quarter II of FY 2016-17. GoI vide its letter dated July 27, 2017 has agreed to the bank's request. Bank is providing ₹ 96.75 crore per quarter since September 2016. Total securities written off from SASF account as on March 31, 2019 stands at ₹1064.27 cr. Thus the full written off has been completed. However, these written off securities are reflected in SGL account as on 31.03.2019 pending Government notification for redemption which resulted in difference of the same amount in SGL account.

iii. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए टिप्पणियां:

Notes to Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:

क. वर्ष के दौरान समूह द्वारा व्यय की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि; ₹ शून्य करोड़

a. Gross amount required to be spent by the group during the year; ₹ Nil crore.

ख. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि

b. Amount spent during the year:

₹ करोड़ ₹ Crore

विवरण / Particulars	2018-2019	2017-2018
नकद / In cash	0.25	1.36
नकद भुगतान किया जाना है / Yet to be paid in cash	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total	**0.25**	**1.36**

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के मामले में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी कार्यकलापों पर कंपनी द्वारा कुल ₹ 1.07 करोड़ (₹ 1.44 करोड़) की सकल राशि व्यय की जानी अपेक्षित है.

In case of IDBI Federal Life Insurance Limited Gross amount required to be spent by the company on corporate social responsibility (CSR) related activities during the year ended March 31, 2019 is ₹ 1.07 crore (₹ 1.44 crore).

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में : चूंकि कंपनी को ठीक पिछले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक का लाभ नहीं हुआ है, अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की उप-धारा (1) के संशोधित प्रावधानों के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं.

In case of IDBI Intech Ltd: As the company does not have net profit exceeding ₹ 5 crores in the immediately preceding financial year, the requirement for corporate social responsibility does not apply as per the amended provision of sub-section (1) of section 135 of the Companies Act 2013.

iv. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मूल, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई ऐसी अतिरिक्त सांविधिक जानकारी जिसका समेकित वित्तीय विवरणों को सही और उचित रूप से दर्शाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही उन मदों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण नहीं है, का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरण में नहीं किया गया है.

Additional statutory information disclosed in separate financial statements of parent, subsidiaries and joint ventures having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statement in the view of general clarification issued by ICAI.

v. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) के खातों को आईएनडी एएस के तहत तैयार किया जाता है तथा तदनुसार लाभ के हिस्से का समेकन किया जाता है.

Accounts of National Securities Depositaries Limited (NSDL) are prepared under IND AS and accordingly the share of profit is taken into consolidation.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

vi. अन्य देयताओं में पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में वर्ष 1995 से 2003 तक के लिए देय लाभांश के रूप में ₹ 7.22 करोड़ शामिल हैं. कंपनी अधिनियम, 1956/ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध विधिक राय के अनुसार राशि को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है. बैंक ने राशि को आईईपीएफ में अंतरित करने की वैधता के बारे में अभिमत प्राप्त करने हेतु इस मामले को कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) को भेजा था जिसका उत्तर प्रतीक्षित है.
Other Liabilities include ₹ 7.22 crores as dividend payable pertaining to the years 1995 to 2003 in relation to the dividend declared by erstwhile Industrial Development Bank of India (IDBI). On the basis of the legal opinion on record the amount need not be transferred to Investors Education and Protection Fund (IEPF) as Companies Act 1956/Companies Act 2013 is not applicable to erstwhile IDBI. The Bank had referred the matter to Ministry of Corporate Affairs (MCA) about the legality of transferring the amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF) where the reply is awaited.

vii. बैंक द्वारा सूचीबद्ध इक्विटी निवेश और ₹1/- तक के अवलेखन के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान त्वरित प्रावधान का प्रकटन:
Disclosure of Accelerated Provision during FY 18-19 for Listed Equity Investment and written Down to ₹1/- by Bank:

क्र.सं / Sr.no.	कंपनियों की संख्या No. of Companies	त्वरित प्रावधान राशि (करोड़ ₹ में) Accelerated Provision Amount in Cr.	बही लागत राशि (करोड़ ₹ में) Book Cost Amount in Cr.
1	17	73.29	**766.93**

viii. रिज़र्व बैंक के निर्देश- वित्तीय वर्ष 18-19 के अनुसार 10% से अधिक की धारिता वाले आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गए इक्विटी निवेशों का प्रकटन:
Disclosure of Partially Write off Equity Investments having more than 10% holding of the Bank as per RBI Directions - FY18-19:

क्र.सं / Sr.no.	कंपनियों की संख्या No. of Companies	बही लागत राशि की आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाली गई राशि- (करोड़ ₹ में) Partial Write Off of Book Cost Amount in Cr.
1	4	0.92

ix. बैंक के बोर्ड ने 1 नवंबर 2017 से निवल एकदिवसीय खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए ₹ 400 करोड़ की सीमा अनुमोदित की है. वर्ष के दौरान खुली स्थिति अनुमोदित सीमा के अंदर थी और उपयोग की औसत राशि ₹ 298.22 करोड़ थी. वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोग की राशि 10 दिसंबर 2018 को ₹ 368.41 करोड़ थी.
The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹ 400 crore w.e.f from November 01, 2017. During the year the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 298.22 crore. The maximum utilization during the year was at ₹ 368.41 crore on December 10, 2018.

x. पूँजी खाते (अग्रिमों को घटाकर निवल तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं) पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि ₹ 121.40 करोड़ (₹ 140.95 करोड़) है.
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances and not provided for is ₹ 121.40 crore (₹ 140.95 crore).

xi. वेतन संशोधन पर उद्योग व्यापी द्विपक्षीय समझौते के लंबित रहने (नवंबर 2017 से देय) को ध्यान में रखते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान इस मद के लिए अनुमानित आधार पर ₹112 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है (यथा 31 मार्च 2019 को संचयी प्रावधान की कुल राशि ₹ 174 करोड़ थी).
Pending industry wide bipartite settlement on wage revision (due with effect from November 2017), a sum of ₹ 112 crore has been provided by the Bank during the year on this account on estimated basis. (Cumulative provision held as on March 31, 2019 was ₹ 174 crore)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

xii. उपयुक्त परिचालनगत प्रक्रियाओं एवं विधिक राय के अनुसरण में बैंक द्वारा पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (पूर्ववर्ती-आईडीबीआई) द्वारा 1 अक्तूबर 2004 से पहले जारी किए गए कुछ बॉन्डों के संबंध में ₹ 177.87 करोड़ की पूरी अदावी देयताओं को अन्य आय के सापेक्ष प्रतिलेखित किया गया है.

Pursuant to appropriate operational procedures & legal opinion, the Bank has written back old unclaimed liabilities of ₹ 177.87 crores to other income pertaining to certain bonds issued prior to October 01, 2004 issued by erstwhile Industrial Development of Bank India Limited (e-IDBI).

पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिए गए हैं और उन्हें पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सके.

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped /rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

लेखों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 01853823)	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं. For K. S. Aiyar & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	कृते जेएलएन यूएस एंड कं. For JLN US & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W	कृते एम. पी. चितले एंड कं. For M. P. Chitale & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W
शांतनु घोष Santanu Ghosh साझेदार/ (स. सं. 050927) / Partner (M.No. 050927)	रमाप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)	आशुतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2019

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2018
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
(1) **कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)** **Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items**	(22691 07 83)	(12495 12 85)
(2) **गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन:** **Adjustments for non cash items:**		
- अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of Fixed Assets (Net)	72 71 41	(516 69 10)
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिज़र्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	369 94 64	376 80 73
- प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना / निवेश तथा अन्य प्रावधान Provisions/ write off of Loans/ Investments and other provisions	26523 92 49	20516 84 01
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/(हानि) Profit/ (Loss) on revaluation of investments	(1 11 44)	3 11 46
	4274 39 27	**7884 94 25**
(3) **परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन:** **Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
- निवेश / Investments	(2748 74 08)	(1042 12 88)
- अग्रिम / Advances	944 94 90	(283 73 92)
- अन्य आस्तियां / Other assets	2625 31 20	(3238 84 33)
- करों की वापसी / (भुगतान) /Refund / (payment) of taxes	(970 11 62)	(986 80 02)
(4) **परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन:** **Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
- उधार राशियां / Borrowings	(17897 80 32)	6821 54 98
- जमा राशियां / Deposits	(20586 46 02)	(20439 11 14)
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	143 66 99	(1230 16 54)
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी **Net cash used in/generated from operating activities**	**(34214 79 68)**	**(12514 29 59)**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
- अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of Fixed Assets	115 52 74	720 17 07
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from investing activities**	**115 52 74**	**720 17 07**

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2019

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2019	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2018
इ. C. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
- इक्विटी शेयरों का निर्गम / Issue of Equity Shares	21624 14 55	4984 00 00
- आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन धनराशि - Share application money pending allotment	0	7881 00 00
- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and Dividend Tax paid	(2 02 80)	(22 11 08)
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	**21622 11 75**	**12842 88 92**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	(12477 15 19)	1048 76 40
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	33781 07 43	32732 31 03
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**21303 92 24**	**33781 07 43**
नकदी प्रवाह के लिए टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन पत्र मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	12731 69 79	13169 19 98
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	8572 22 45	20611 87 45
कुल / TOTAL	**21303 92 24**	**33781 07 43**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 एवं 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 01853823)	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं. For K. S. Aiyar & Co.	कृते जेएलएन यूएस एंड कं. For JLN US & Co.	कृते एम. पी. चितले एंड कं. For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W
शांतनु घोष Santanu Ghosh	रमाप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal	आशुतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar
साझेदार/ (स. सं. 050927) / Partner (M.No. 050927)	साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)	साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहायक संस्थाओं/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताएं
STATEMENT CONTAINING SALIENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

भाग "ए" : सहायक संस्थाएं
Part "A": Subsidiaries

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण/ Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market & Securities	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
यदि सहायक संस्था की रिपोर्टिंग अवधि धारिता कंपनी से भिन्न है, तो उसके लिए रिपोर्टिंग अवधि Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	लागू नहीं / Not Applicable				
विदेशी सहायक संस्था के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को मुद्रा तथा विनिमय दर की रिपोर्टिंग Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.	लागू नहीं / Not Applicable				
शेयर पूंजी / Share Capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	13 12 82
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष Reserves & Surplus	186 82 32	201 33 82	(91 90 54)	1 26 60	43 20 79
कुल आस्तियां / Total Assets	353 43 40	212 26 73	117 34 78	1 67 19	63 01 92
कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों के आलवा/ Total Liabilities (excluding capital and reserves)	38 51 07	4 89 63	9 25 32	20 58	6 68 31
निवेश / Investments	77 66 92	135 08 59	76 72 97	1 40 52	-
कुल कारोबार/ Turnover	96 70 23	68 58 03	64 84 19	81 56	91 25 35
कराधान के पहले लाभ Profit before taxation	**20 77**	**52 67 80**	**9 57 55**	**6 53**	**12 60 55**
कराधान के लिए प्रावधान Provision for taxation	(5 25)	(15 16 46)	(12 03 42)	2 04	(3 76 93)
कराधान के बाद लाभ Profit after taxation	26 02	37 51 34	(4 34 07)	4 49	8 83 62

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण/ Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market & Securities	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
प्रस्तावित लाभांश (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)/Proposed Dividend (including corporate dividend tax)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
शेयरधारिता का % % of shareholding	100%	54.70%	*66.67%	100.00%	100.00%

* 33.33% शेष आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विस लि. द्वारा धारित है
* Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Market & Securities Ltd

टिप्पणियां/ Notes:

1. कुल कारोबार से तात्पर्य प्रत्येक संस्था द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में दी गई कुल आय की रिपोर्ट से है.
   Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
2. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्होने अभी तक परिचालन शुरूनहीं किया है: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
3. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय किया गया हो: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

भाग "बी" : सहयोगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
Part "B": Associates and Joint Ventures

	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम/ Name of Associates/ Joint Ventures	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड/ Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि./ National Securities Depository Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि./ North Eastern Development Finance Corporation Limited	आईडीबीआई फेडरल लि. IDBI Federal Ltd.
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख/Latest audited Balance Sheet Date	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2019 March 31, 2019
2.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के शेयर/ Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end**				
	इक्विटी शेयरों की संख्या/ Number of equity shares	150 00 04	1200 00 00	2500 00 00	38400 00 00
	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश राशि/Amount of Investment in Associates/ Joint Venture	1500 00 40	12000 00 00	25000 00 00	384 00 00
	धारिता % की मात्रा/Extend of Holding %	27.93%	26.10%	25.00%	48.00%

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम/ Name of Associates/ Joint Ventures	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड/ Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि./ National Securities Depository Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि./ North Eastern Development Finance Corporation Limited	आईडीबीआई फेडरल लि. IDBI Federal Ltd.
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. में 24.93% की धारिता को लेखांकन मानक-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है/ Holding in Biotech Consortium India Ltd being 27.93%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल में 30% की धारिता को लेखांकन मानक-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL being 26.10 %, considered as an Associate as per AS-23	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. में 25% की धारिता को लेखांकन मानक-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in North Eastern Development Finance Corporation Ltd being 25%, considered as an Associate as per AS-23	आईडीबीआई फेडरल में 48% की धारिता को लेखांकन मानक-27 के अनुसार संयुक्त उद्यम माना जाता है Holding in IDBI Federal Ltd. being 48%, considered as a Joint Venture as per AS-27
4.	सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यमों के समेकित नहीं होने का कारण Reason why the associate/ joint venture is not Consolidated	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता जन्य निवल मालियत/ Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	7 87 69	172 90 13	209 22 55	383 18 28
6.	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/ हानि Profit / Loss for the year ended March 31, 2019**				
	i. समेकन में शामिल Considered in Consolidation	50 87	28 78 09	13 91 96	63 73 08
	i. समेकन में शामिल नहीं Not Considered in Consolidation	0	0	0	0

1. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है : कोई नहीं.
Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

2. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया है: एनएसडीएल ई गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year: NSDL e-Governance Infrastructure Ltd.

3. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. तथा पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर एएस-23 के अनुसार समेकन किया गया है.
Biotech Consortium India Limited, National Securities Depository Ltd & North Eastern Development Finance Corporation Limited have been consolidated in accordance with AS-23 based on unaudited financials statements for the year 2018-19

4. पोंडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्मेंट कॉर्पोरेशन लि. के वित्तीय विवरणों का समेकन वित्तीय विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है. सहायक संस्था में निवेश को बट्टे खाते डालकर एक रुपया कर दिया गया है.
The financials of Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Ltd. have not been consolidated on account of non receipt of financial statements/annual report. The investment in the Associate is written down to rupee one.

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida) निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 01853823)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal) कंपनी सचिव Company Secretary

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2019 / Date: May 30, 2019

पिलर III प्रकटन
Pillar III Disclosures

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2019)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2019)

भारतीय रिज़र्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2019 को पिलर III प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2018-19 (Basel III)>> March 2019 लिंक पर अलग से रखे गए हैं.

Pillar III disclosures at March 31, 2019 as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on the Bank's website under 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2018-19 (Basel III)>> March 2019.

नोट / NOTE

नोट / NOTE

Moody's upgrades IDBI Bank's rating

SPECIAL CORRESPONDENT
MUMBAI

Days after LIC infused capital and picked up 51% stake in IDBI Bank, Moody's Investors Service has upgraded the lender's long term foreign currency senior unsecured rating and its Dubai International Financial Centre (DIFC) Branch to Ba2 from B1, up by two notches.

The long term local and foreign currency bank deposit ratings of the lender

आईडीबीआई ने अपनी रिटेल बैंकिंग रणनीति को गतिशील किया

मुंबई, आईडीबीआई बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए गृह ऋण पीएसएल मानदंडों के अनुरूप अपने गृह ऋण स्लैब को फिर से शुरू करने वाला पहला अधिसूचित (शिड्यूल्ड) वाणिज्यिक बैंक है। आवासीय ऋण स्लैब को मौजूदा रु 30 लाख रु. से बढ़ाकर 35 लाख रु. किया गया है जो कि 18 जून, 2018 से प्रभावी मानी जाएगी। आईडीबीआई बैंक अब आवासीय ऋण पर 8.5 प्रतिशत (6 माह की एमसीएलआर 0.05 प्रतिशत) की पेशकश के साथ है। इसमें एक बीपीएस छूट महिलाओं और वेतनभोगी ऋणियों के लिए दी जा रही है। इसके अलावा, ऋण के क्रेडिट स्कोर के आधार पर अधिकतम 15 बीपीएस रियायत भी उपलब्ध है। गृह ऋण 6 महीने एमसीएलआर से आधा वार्षिक रीसेट क्लॉज के साथ जुड़े हुए हैं।

ऑटो और व्यक्तिगत ऋण मोर्चे पर, आईडीबीआई बैंक ने जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण शुरू किया है जिससे ग्राहकों को अच्छी क्रेडिट प्रोफाइल वाले आकर्षक दरों की पेशकश की जा सके। ऑटो लोन में ब्याज दर 8.90: पी.ए. से 9.50 पीए से शुरू होती है और व्यक्तिगत ऋण के लिए यह 12 प्रतिशत पीए से शुरू हो कर 14 प्रतिशत तक जिसमें क्रेडिट स्कोर के आधार पर, उच्च क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को कम ब्याज दरें दी जाती हैं। (1)

IDBI Bank cuts MCLR by 5 bps

ENS ECONOMIC BUREAU
NEW DELHI, MARCH 12

IDBI Bank's overall advances fell by 16.8 per cent year-on-year (y-o-y) to nearly Rs 1,525 crore as of December 2018

IDBI BANK on Monday reduced the marginal cost of funds based lending rate (MCLR) for overnight, one-month, three-month and six-month tenors by 5 basis points (bps) to 7.95 per cent, 8.25 per cent, 8.45 per cent and 8.65 per cent, respectively, according to the lender's website.

IDBI Bank's overall advances fell by 16.8 per cent year-on-year (y-o-y) to nearly Rs 1,525 crore as of December 2018.

In a recent development, SBI has responded to the RBI's desire for products which have faster transmission of rates by selectively introducing repo-linked savings and cash credit products, said analysts at ICICI. From May 1, 2019, all SBI savings deposits above Rs 1 lakh would be priced at 275 bps below the prevailing repo rate of 6.25 per cent, which implies interest on savings accounts unchanged at 3.5 per cent.

While the cash credit loans of

with policy rate will help faster repricing of liabilities for banks and help in protecting their profit margins," said Anil Gupta, V-P, Icra. More banks, especially all the PSBs and a few large private banks, are expected to follow the move by linking their deposit and lending rates to RBI's repo rate, Gupta added.

Earlier this month, HDFC Bank had also reduced the MCLR for two and three years tenors by 5 bps to 8.85 per cent and 9 per cent, respectively, after back-to-back rate hikes in December and January.

"HDFC Bank has been consistently gaining market share across retail product segments, includ-

IRDA okays LIC-IDBI Bank deal

'Insurer can buy up to 51% in troubled lender, must pare stake to 15% over time'

MANOJIT SAHA
MUMBAI

The board of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, which met on Friday, has approved Life Insurance Corporation's (LIC) proposal to increase its stake in troubled state-run lender IDBI Bank.

According to sources, IRDA has approved acquisition of up to 51% stake by LIC in IDBI Bank.

However, LIC needs to get a board-approved plan to bring down its stake to 15% over time. Now, the LIC board will have to consider the matter for approval.

'Needs LIC board's nod'

"The next step is LIC has to

Banking ambitions: LIC Housing Finance had once applied for a bank licence, but was not successful in getting one. KR. BALU

period," highly-placed sources who are aware of the development said. The government, which is the promoter of the bank, holds almost

As per capital market regulations, any company that acquires 25% stake in a listed entity has to make an open offer to acquire 26% addi-

public sector entities. The proposed deal will also need Reserve Bank of India's approval. The life insurer has harboured ambitions for a banking licence for a while. One of its subsidiaries, LIC Housing Finance, had applied for one in the previous round when RBI invited applications but it did not get a licence.

Sources said if LIC acquires significant stake in IDBI Bank, the latter will operate as a subsidiary of the insurer. Interestingly, the bank also has a life insurance arm, IDBI Federal Life Insurance Co. According to IRDA regulations, no entity can have two separate insurance companies.

IDBI Bank improves Audit Systems

IDBI Bank has initiated a Quality Assurance Audit (QAA) to further strengthen and enhance its Internal Audit function and align it with prevailing best practices. For this purpose, the Bank had appointed an external expert who was very much associated with the audit reforms in the PSBs. The scope of QAA included, inter alia, i) review of the internal audit framework (policies, processes, procedures, reporting structures, formats etc) of the Bank and integration thereof with Risk Based Supervision; ii) review Branch Risk Rating Framework to ensure that various business risk assessment parameters, criticality, risk weightages and audit observations reflect the risk severity of the branches, in terms of business performance, adherence to the laid down procedures, regulatory compliances etc.; iii) to Benchmark, identify and recommend good/successful practices of Internal Audit, particularly taking cognisance of prevailing practices in the market, iv) to assess compliance to standards for professional practice of Internal Audit, etc. The assignment is expected to be completed by April 2018 and the Bank is determined to implement the suggestion of QAA immediately to strengthen and reinforce the internal audit system with the business goals, to ensure the quality of the operations & business.

IDBI to boost retail loans, raise Rs 5k cr from non-core asset sale

NEW DELHI: Ailing IDBI Bank is looking to step up focus on housing, retail, farm and MSME loans and pare the size of its corporate loan book, with the management planning to raise Rs 5,000 crore through the sale of non-core assets as part of a revamped five-year strategy to be finalised by the state-run lender's board.

The plan hinges on specialised branches and digital transactions — targeted to account for 80-85% share (of all transactions) over the next five years — with the management banking on the rapidly-depleting manpower to deliver results, sources told TOI. In recent months, large number of employees have left the bank due to uncertainty and no salary revision for several years. The new strategy has been prepared by Boston Consulting Group, which may get a fresh lease of life through a one-year extension in its contract that is estimated to cost over Rs 15 crore.Since shedding its development financial institution tag nearly 15 years ago, IDBI has been a story of misses with several twists and turns and repeated failures to significantly scale up retail banking, a business that has moved from the public sector to private banks, which are seen as more efficient in delivering services. The retail loan book made up for 23% of the lender's advances at the end of December, while the loans to industry accounted for nearly half the global loans of over Rs 2 lakh crore. Between March and December 2017, the retail loan portfolio grew 10% to Rs 47,000 crore, while agri- and MSME-loans remained flat. The sources said the agri-loan portfolio may be expanded from around Rs 17,000 crore to nearly Rs 45,000-crore in five years. The bank is saddled with over a quarter of its loans turning into NPAs, and over the next five years the plan is to reduce the proportion of gross NPAs to 10% of advances. IDBI Bank sources, however, said a large part of this is depended on the bankruptcy cases filed against various companies. Of the 12 highprofile cases, none have been finalised yet as promoters and bidders have used multiple judicial tracks to hold up decisions even as the 270 resolution deadlines near in almost every case.Last May, RBI invoked the provisions of prompt and corrective (used for so-called weak banks) against IDBI Bank due to worsening asset quality and negative return on assets. The action puts curbs on expanding the loan portfolio and forces managements to initiate action to put the bank back on track.The five-year strategy has been in the making for a while and is expected to factor in the recent government instructions on running banks and sanctioning loans.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में सतर्कता जागरुकता सप्ताह का उद्घाटन

भुवनेश्वर : सतर्कता जागरुकता सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा ने 29 अक्टूबर को बैंक के कार्पोरेट कार्यालय मुंबई के सभी कर्मचारियों को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई। डीएमडी केपी नायर, सीवीओ उषा रवि और ईडी जीए तादास ने कर्मचारियों को संबोधित किया और सतर्कता सप्ताह के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कर्मचारियों को भ्रष्टाचार व इससे जुड़े विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार से लड़ने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए मूल्यों और नैतिकता को

विकसित करने के तरीकों पर जोर दिया। सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान आईडीबीआई बैंक इससे जुड़े विषयों पर प्रतिष्ठित अतिथि वक्ताओं के व्याख्यान और थीम से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कर रहा है। युवाओं के बीच इस बारे में जागरुकता फैलाने के प्रयास में बैंक, स्कूलों और कालेजों के छात्रों के लिए आउटरीच गतिविधियों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा, ग्राम सभा और शिकायत निवारण शिविरों में जागरुकता संबंधी कार्यक्रम बैंक द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं।

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई – 400005
टोल फ्री नं.: 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
गैर–टोल फ्री नं.: 022-67719100.

IDBI Bank Limited
Regd. Office:
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005
Toll Free Nos.: 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
Non-Toll Free No.: 022-67719100.

www.idbibank.in @idbi_bank /IDBIBank YouTube/idbibank /idbibank

CIN - L65190MH2004GOI148838

Printed at Print Plus Pvt. Ltd.